छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची
जुलाई, 2024 सत्र

गुरुवार, दिनांक 25 जुलाई, 2024

भाग-1
तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला-सरगुजा में उपलब्ध मशीनरी से किसानों को प्रदत्त सुविधा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

1. (*क्र. 899) श्री प्रबोध मिंज : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** संभागीय कार्यालय, कृषि, जिला-सरगुजा में शासन द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 एवं 2024-25 में जून, 2024 तक कितनी एवं कौन-कौन सी मशीनरी कार्य हेतु उपलब्ध कराई गई है? जानकारी उपलब्ध कराएं? **(ख)** वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक शासन द्वारा उपल्ब्ध कराई गई मशीनरी की कितने किसानों को सुविधा प्रदान की गई? जानकारी उपलब्ध कराएं? **(ग)** उक्त विभाग के अधिकारियों को किस-किस मद में, कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय, बिलासपुर (सरगुजा संभाग समाहित) के अंतर्गत कार्यालय सहायक कृषि यंत्री, अंबिकापुर जिला सरगुजा को वर्ष 2021-22 से 2024-25 में जून, 2024 तक राज्य शासन द्वारा कृषि कार्य हेतु दो मशीनरी (1 डायरेक्ट राईस सीडर एवं 1 मल्टीक्राप प्लांटर) उपलब्ध कराई गई है। **(ख)** उपलब्ध मशीनो से वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक 83 कृषकों को कस्टम हायरिंग की सुविधा प्रदान की गई है। **(ग)** छ.ग. वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-2 1995 के तहत् कृषि विभाग के अधिकारियों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **[संलग्न "परिशिष्ट - एक"]**

कोण्डागांव जिलांतर्गत सोलर लाईट का क्रय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (*क्र. 496) सुश्री लता उसेंडी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कोण्डागांव जिले में प्रधानमंत्री आर्दश ग्राम योजना व अन्य योजनांतर्गत जनपद एवं ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक कुल कितने सोलर लाईट हेतु क्रय आदेश किसके द्वारा, किसको, कितनी राशि के, किस दर पर एवं कब दिये गए हैं तथा इन्हें कब तक लगाया जाना था, कब लगाया गया तथा गुणवत्ता की जांच कब व किसके द्वारा की गई? इस हेतु कितना भुगतान, किसको कब एवं किसके द्वारा किया गया व कितना भुगतान शेष है? **(ख)** प्रश्नांश (क) अनुसार कार्यो हेतु कब, किसके द्वारा व क्या शिकायत की गई ? उसकी जांच कब व किसके द्वारा की गई तथा जांच के प्रमुख निष्कर्ष क्या थें तथा दोषी कौन पाया गया एवं दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या यह सही है कि इस संबंध में विभागीय जांच भी की गई और इसमें तत्कालीन अधिकारी दोषी पाए गए? यदि हॉ तो उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? क्या यह सही है कि उक्त अवधि में जैम पोर्टल से क्रय प्रतिबंधित होने के बाद भी जैम पोर्टल से खरीदी की गई? यदि हॉ तो कब व कितनी राशि की खरीदी जैम पोर्टल से किसके द्वारा की गई व दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) कोण्डागांव जिले में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत सोलर लाईट का क्रय नहीं किया गया है। अन्य योजनाओं के अंतर्गत जनपद व ग्राम पंचायतों में वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक क्रय की गई सोलर लाईट के क्रय आदेश, राशि, दर, स्थापित किये जाने का दिनांक, गुणवत्ता की जांच, राशि का भुगतान, भुगतान प्राप्तकर्ता तथा भुगतान हेतु शेष राशि आदि का विवरण **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार कार्यों के संबंध में की गई शिकायत, उसकी जांच, जांचकर्ता अधिकारी,जांच के प्रमुख निष्कर्ष तथा दोषी पाये जाने की स्थिति में की गई कार्यवाही की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-ब** अनुसार है।**(ग)** यह सही नहीं है कि इस संबध में विभागीय जांच भी की गई और इसमें तत्कालीन अधिकारी दोषी पाए गए बल्कि सही यह है कि प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना अंतर्गत स्वीकृत स्ट्रीट लाईट की स्थापना संबंधी कार्यों के क्रियान्वयन की प्रारम्भिक जांच में तत्कालीन प्रभारी परियोजना प्रशासक श्री संकल्प साहू शासन निर्देशों का पालन किया जाना न पाए जाने के कारण निलंबित किया जाकर आरोप पत्र जारी किया गया है। विभागीय जांच संस्थित नहीं की गई है। यह कहना भी सही नहीं है कि उक्त अवधि में जेम पोर्टल से क्रय प्रतिबंधित होने के बाद भी जेम पोर्टल से खरीदी की गई। बल्कि सही यह है कि भारत सरकार के निर्देशानुसार जेम पोर्टल से सामग्री की खरीदी प्रतिबंधित नहीं है। इस स्तर से राज्य स्तरीय समिति गठित की जाकर जांच की कार्यवाही की जा रही है।

न्यू जनरेशन वाटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट से संबंधित जानकारी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

3. (*क्र. 704) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** न्यू जनरेशन वाटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत राज्य कार्यालय स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा जिलों में कितनी राशि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु आबंटन की गयी हैं? क्या जिलों में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की राशि प्रावधानिक राशि से कम दी गई हैं? हां तो राज्य कार्यालय द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मद की राशि किस-किस तरह व्यय की जा रही है? राज्य कार्यालय द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की राशि का किन-किन एजेंसीयों को विगत तीन वर्ष से जून, 2024 तक में कब-कब भुगतान किया गया हैं, मदवार, एजेंसीवार, विकासखंडवार, जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मद की राशि को राज्य कार्यालय द्वारा व्यय किया जा सकता हैं? यदि हां तो किये गये व्यय की जिलेवार, वर्षवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) न्यू जनरेशन वाटरशेड डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट अंतर्गत राज्य कार्यालय स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा जिलों को डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने हेतु प्रति परियोजना 04.00 लाख की दर से कुल 45 परियोजना हेतु राशि रू. 180.00 लाख आबंटन किया गया। हॉ, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेतु प्रावधानित राशि से कम दी गई है। राज्य कार्यालय द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट मद की राशि का व्यय ई-डीपीआर साफ्टवेयर के माध्यम से परियोजना के डीपीआर तैयार करने एवं परियोजना के मानचित्र तैयार करने के लिए किया गया है। राज्य कार्यालय द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हेतु दिनांक 02.08.2022 को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन.आई.आर.डी.पी.आर.), भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, हैदराबाद को रू. 8.85 लाख एवं दिनांक 27.04.2022 तथा 13.06.2023 को छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (सी.जी. कास्ट) रायपुर को रू. 26.30 लाख का भुगतान किया गया है। मदवार, एजेंसीवार, विकासखंडवार, जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** जी हॉ, स्टेट लेवल नोडल एजेंसी द्वारा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट मद की राशि को राज्य कार्यालय द्वारा व्यय किया जा सकता है। भारत सरकार, भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईन 2021 (बिंदु क्रमांक 7.1.6 एवं 9.3.3.-सी) अंतर्गत परियोजनाओं के डीपीआर निर्माण हेतु राज्य स्तर से तकनीकी सहयोग एवं जीआईएस आधारित प्लानिंग किये जाने का प्रावधान है। जिलेवार, वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - दो"]

बेलतरा वि.स. क्षेत्र में रजिस्ट्री (पंजीयन) हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण

[वाणिज्यिक कर]

4. (*क्र. 779) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंजीयन कार्यालय (पंजीयन एवं मुद्रांक) में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 30.6.2024 तक रजिस्ट्री हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए? कितने आवेदनों का निराकरण किया गया? कितने लम्बित हैं? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांकित अवधि में गलत रजिस्ट्री, रजिस्ट्री में अनियमितता, रजिस्ट्री रोकने हेतु कितनी शिकायतें/आवेदन प्राप्त हुए? प्राप्त शिकायतों/आवेदनों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) बेलतरा विधानसभा अंतर्गत पंजीयन कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 30.06.2024 तक कुल 23,623 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया है। समस्त आवेदनों का निराकरण किया गया है, कोई भी अवेदन लंबित नहीं है।वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है –

वर्ष	प्राप्त आवेदन	निराकृत आवेदन	लंबित आवेदन
2021-22	7389	7389	0
2022-23	6863	6863	0
2023-24	7424	7424	0
2024-25 (30.06.2024)	1947	1947	0
योग -	23623	23623	0

(ख) निरंक

जिला सक्ती में डोलोमाईट उत्खनन तथा शर्तों का पालन

[आवास एवं पर्यावरण]

5. (*क्र. 700) डॉ. चरण दास महंत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सक्ती में विगत 05 वर्ष में डोलोमाईट उत्खनन के लिए पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कब-कब/कहां-कहां पर, किसको-किसको, सम्मतियां/अनुमतियां दी गई? उत्पादन क्षमता खसरा नंबर, रकबा एवं भू-स्वामित्व सहित सम्पूर्ण जानकारी देवें? यदि नवीनीकरण किया गया हो तो उसका विवरण भी बताएं? क्या कोई वैधानिक स्वीकृति/अनुमोदन शेष भी है? यदि हां तो क्या-क्या और क्यों? **(ख)** क्या उक्त क्षेत्र में संचालित समस्त खदानों में नियमों, निबंधनों तथा शर्तो का पालन किया जा रहा है? यदि हां तो वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया? निरीक्षण तिथि एवं अधिकारी का नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें? निरीक्षण में क्या-क्या कमियां/त्रुटियां पाई गई तथा क्या-क्या कार्यवाहियां की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र–अ अनुसार है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ख)** जी हां। सभी संचालित खदानों द्वारा जल एवं वायु सम्मति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र–ब अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तीन"]

कमल विहार बोरिया खुर्द गजराज तालाब के आस पास की भूमि का प्लान

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (*क्र. 672) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के तहत बोरिया खुर्द स्थित गजराज तालाब के आस पास की भूमि का मास्टर प्लान में क्या उपयोग दर्शाया गया था तथा प्राधिकरण ने इसके आस पास की भूमि में क्या प्रोजेक्ट विकसित करने का प्लान रखा था? **(ख)** क्या इस भूमि को विक्रय/लीज पर देने हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां, तो कब और इसमें अद्यतन स्थिति क्या है? पूर्ण विवरण देवें। **(ग)** क्या इस भूमि के

उपयोग को लेकर रायपुर विकास प्राधिकरण तथा न्यूनतम निविदाकार के बीच मतभेद उत्पन्न हो गये हैं तथा प्रकरण आरबिट्रेशन में है? यदि हां, तो इसकी अद्यतन स्थित क्या है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) रायपुर विकास प्राधिकरण की कमल विहार योजना के तहत बोरिया खुर्द स्थित गजराज तालाब के आस-पास की भूमि का रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में भू-उपयोग आमोद-प्रमोद प्रयोजन अंतर्गत क्षेत्रीय उद्यान हेतु दर्शाया गया था/प्रस्तावित था तथा प्राधिकरण द्वारा उक्त भूमि में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 अंतर्गत एवं कमल विहार योजना के स्वीकृत लेआउट के अनुसार स्वीकार्य योग्य प्रोजेक्ट विकसित करने का प्लान रखा गया हैं।**(ख)** जी, हां। भूमि के विक्रय हेतु ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 03.02.2023 को आमंत्रित की गई थी। न्यूनतम निविदाकार को आवंटन आदेश दिनांक 12.04.2023 को जारी किया गया था। निविदा की शर्तों के अनुसार निविदाकार को 05 माह के भीतर प्रथम किश्त की जारी जमा करते हुए अनुबंध निष्पादित किया जाना था, किन्तु निविदाकार द्वारा समयसीमा पर अनुबंध निष्पादित नहीं किया गया। निविदाकार द्वारा कमर्शियल कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट द्वारा प्रकरण का निपटारा आरबिट्रेशन के माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। वर्तमान में आरबिट्रेशन की प्रक्रिया जारी हैं।**(ग)** जी, हां। प्रकरण आरबिट्रेशन में हैं। वर्तमान में आरबिट्रेशन की प्रक्रिया जारी हैं। डेवलपर द्वारा क्लेम जमा किया जा चुका हैं, जिसके संबंध में प्राधिकरण का जवाब प्रस्तुत किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आदिवासियों को रोजगार दिए जाने संबंधी योजनाओं मे कार्यो के चयन एवं राशि आबंटन की प्रक्रिया

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

7. (*क्र. 729) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आदिवासी बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचना विकास एवं आदिवासियों के रोजगार से संबंधित कौन-कौन से मद की कौन-कौन सी योजना वर्तमान में लागू है? उस योजना के तहत कार्यों के चयन एवं राशि आबंटन की क्या प्रक्रिया है? **(ख)** गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य कौन-कौन से ग्राम हैं? उन ग्रामों में गत तीन वर्षों में किस-किस कार्य पर कितनी-कितनी राशि खर्च की गई ? कितनी राशि का कौन-कौन सा कार्य लंबित है? **(ग)** किस-किस आदिवासी बाहुल्य ग्राम में आवागमन के लिए सड़क, पेयजल एवं बिजली की समस्या है? **(घ)** मार्ग निर्माण, पेयजल की व्यवस्था एवं बिजली की व्यवस्था हेतु शासन क्या कदम उठा रहा है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** प्रश्नाश ''ख'' के उत्तर के उत्तर में उल्लेखित आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में सड़क, पेयजल एवं बिजली की समस्या नहीं है। **(घ)** चूंकि प्रश्नांकित आदिवासी बाहुल्य ग्रामों में सड़क, पेयजल एवं बिजली की समस्या नहीं है, अतः उक्त व्यवस्था हेतु कदम उठाए जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चार"]

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषकों हेतु स्वीकृत ट्रैक्टर

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

8. (*क्र. 831) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वित्तीय वर्षों एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30 जून, 2024 तक किस योजना के तहत, कितने हितग्राही कृषकों को अनुदान पर ट्रैक्टर स्वीकृत किये गये? क्या कृषकों की अंशराशि (अनुदान) एवं कृषकों की संख्या निर्धारित की गई है? यदि हां, तो कितनी राशि एवं संख्या निर्धारित है? वर्षवार, विकासखण्डवार, जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अंतर्गत कितने किसानों द्वारा ट्रैक्टर हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया? कितने स्वीकृत एवं कितने अस्वीकृत किये गये?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पंडरिया,

सहसपुर लोहारा एवं कवर्धा विकासखण्डों में विगत तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30.06.2024 तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कुल 624 हितग्राहियों/कृषक समूहों को अनुदान पर ट्रैक्टर स्वीकृत किये गये, वर्षवार, विकासखण्डवार एवं योजनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के कंपोनेंट क्रमांक-3, 4 एवं 6 में कृषक वर्गवार निर्धारित अनुदान की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्षवार स्वीकृत कार्ययोजना के अंतर्गत कृषक/कृषक समूहों हेतु कंपोनेंट 4 एवं 6 में जिलेवार भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, तथा कंपोनेंट 3 में जिलेवार केवल भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है न की विकासखण्डवार। निर्धारित लक्ष्यों के अधीन पहले आओ पहले पाओ के सिद्वांत पर कृषकों को लाभांवित किया जाता है। वर्षवार, जिलेवार निर्धारित लक्ष्य की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के तहत ट्रैक्टर हेतु कृषकों/कृषक समूहों द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकृत आवेदन एवं अस्वीकृत/निरस्त आवेदनों की वर्षवार, विकासखण्डवार एवं योजनावार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-द अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पाँच"]

कृषि विभाग द्वारा कृषकों को ट्रेक्टर प्रदाय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

9. (*क्र. 840) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में विगत तीन वित्तीय वर्षो एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30 जून, 2024 तक किस योजना के तहत कितने हितग्राहियों द्वारा योजना के तहत् ट्रेक्टर हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन किये गये हैं? कितने कृषकों को अनुदान पर ट्रेक्टर स्वीकृत किये गये? वर्षवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** क्या कृषकों की अंशराशि (अनुदान) राशि एवं कृषकों की संख्या प्रतिवर्ष निर्धारित रहती है? यदि हां, तो कितनी राशि एवं संख्या निर्धारित है? वर्षवार, जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में विगत तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30 जून, 2024 तक संचालनालय कृषि अंतर्गत कुल 33,727 हितग्राहियों /कृषक समूहों द्वारा कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना अंतर्गत ट्रेक्टर क्रय हेतु ऑनलाईन/आफलाईन आवेदन दिए गए है। कृषकों/कृषक समूहों द्वारा ट्रेक्टर क्रय हेतु प्रस्तुत आवेदन, स्वीकृत प्रकरण एवं लाभांवित हितग्राहियों/ कृषक समूहों की वर्षवार, जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत 5 हितग्राहियों द्वारा ट्रेक्टर क्रय हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सभी 5 आवेदनो पर अनुदान की स्वीकृति दी गई। वर्षवार**,** जिलेवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कृषकवार/कृषक समूहों हेतु लक्ष्य निर्धारित किये जाते है, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु पृथक-पृथक होते है। अनुदान एवं कृषक अंश राशि योजना के प्रावधान अनुसार तय रहती है। प्रश्नांश 'क' अनुसार संचालनालय कृषि अंतर्गत संचालित कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना के कंपोनेंट क्रमांक-3, 4 एवं 6 में कृषकवार/वर्गवार निर्धारित अनुदान का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है। कंपोनेंट 4 एवं 6 में भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, तथा कंपोनेंट 3 में जिलेवार केवल भौतिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। निर्धारित लक्ष्यों का जिलेवार, वर्षवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-**द **अनुसार** है। संचालनालय उद्यानिकी द्वारा संचालित राष्ट्रीय बागवानी मिशन अंतर्गत ट्रेक्टर (20 पीटीओ हॉर्स पॉवर से कम क्षमता वाले ट्रेक्टर पर इकाई लागत 3.00 लाख पर सामान्य वर्ग के कृषको को रू. 0.75 लाख एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग के कृषकों को रू 1.00 लाख अनुदान का प्रावधान है।

बालको संयंत्र में नियमों के उल्लघंन की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

10. (*क्र. 573) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सही है कि दिनांक 28.02.2024 को बालको संयंत्र में नियमों का उल्लघंन संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना में माननीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि ''मै विभागीय रूप से इस प्रकरण में जांच भी कराऊंगा''? यदि हॉ तो किसके द्वारा जांच की जा रही है? समिति में कौन-कौन सदस्य हैं? जांच के क्या-क्या बिन्दु हैं? समिति की बैठकें कब-कब हुई हैं एवं समिति द्वारा कब-कब निरीक्षण किया गया है? समिति/जांच अधिकारी के द्वारा क्या निष्कर्ष प्रस्तुत किये गए हैं? जांच में क्या अनियमिताएं पाई गई हैं एवं इसके लिये दोषी कौन हैं तथा क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो जांच कब तक पूर्ण हो जावेगी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : जी हां। माननीय आवास एवं पर्यावरण मंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा के पालन में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से मेसर्स बालको कोरबा के ताप विद्युत संयंत्रों से उत्पन्न राख के भण्डारण, परिवहन एवं अपवहन की जांच हेतु 03 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। गठित समिति के सदस्य (1) अनूप कुमार बेहरे अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर, (2) आर.के.शर्मा, अधीक्षण अभियंता, मुख्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर एवं प्रमेन्द्र शेखर पाण्डेय, क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा है। समिति द्वारा बालको के ताप विद्युत संयंत्र से उत्पन्न राख के भण्डारण, परिवहन एवं अपवहन के बिन्दुओं पर जांच की गयी है। उक्त समिति के द्वारा पृथक से बैठक नहीं की गयी है, अपितु मेसर्स बालको के विद्युत संयंत्रों, राखड़बांध एवं फ्लाई ऐश भराव स्थलों का निरीक्षण दिनांक 01.05.2024 एवं 02.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के दौरान निम्नलिखित कमियॉ पायी गयी:- (1) ऐश संग्रहण सायलो एरिया के आस-पास अत्यधिक मात्रा में ऐश का जमाव होना पाया गया। (2) ऐश डाइक मार्ग पर लगभग 20-30 टन राखड़ के 02 ढेर पाये गये, जिस पर मिट्टी की परत नहीं बिछायी गयी थी। (3) ऐश डाइक के पॉण्ड 02 एवं 06 में पर्याप्त जल छिड़काव व्यवस्था नहीं पायी गयी। (4) निरीक्षण के दौरान 02 वाहनों द्वारा उचित ढंग से तारपोलिन बांधे बिना परिवहन किया जाना पाया गया। (5) ग्राम-बरबसपुर स्थित स्थल पर ऐश के माध्यम से भू-भराव के उपरांत मिट्टी की परत बिछाने का कार्य प्रगति पर होना पाया गया, परन्तु पर्याप्त् जल छिड़काव व्यवस्था नहीं पायी गयी, जिसके कारण राख उड़ती हुई पायी गयी। उपरोक्तानुसार पायी गयी कमियों के संबंध में समिति द्वारा उद्योग प्रबंधन के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करने / विधिसम्मत कार्यवाही की अनुशंसा की गई। तत्पश्चात उद्योग के ताप विद्युत संयंत्र को वायु (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया एवं पाये गये उल्लंघन हेतु पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा किया जाने बाबत निर्देशित किया गया। उद्योग प्रबंधन के द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किये जाने की जानकारी दी गयी एवं कुल 1429500/- रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि मंडल मुख्यालय में जमा किया गया है। उपरोक्त की पुष्टि हेतु दिनांक 10.06.2024 को उद्योग के निरीक्षण के दौरान उद्योग प्रबंधन द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किया जाना पाया गया। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र में स्थापित कोल वाशरी, उद्योग एवं कोल यूनिट

[आवास एवं पर्यावरण]

11. (*क्र. 581) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने उद्योग, कोल वाशरी एवं कोल युनिट स्थापित हैं, जिन्हें पर्यावरण संरक्षण मण्डल की अनुमति की आवश्यकता होती है? पर्यावरण संरक्षण मण्डल के द्वारा 01/01/2022 से जून, 2024 तक किन-किन उद्योगों/कोल वाशरियों/कोल यूनिट के निरीक्षण में पर्यावरण संरक्षण मण्डल के नियमों/बिन्दुओं का उल्लंघन पाया गया एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार, उद्योगवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश (क) में पूछे गए अवधि में ग्राम पाराघाट, तहसील-मस्तुरी, जिला बिलासपुर में स्थापित राशि स्टील एण्ड पॉवर व कोल वाशरी के विरूद्ध उद्योग से निकलने वाले दूषित जल को लीलागर नदी में छोड़ने, निर्धारित ग्रीन बेल्ट की स्थापना नहीं करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? उद्योग का विगत दो वर्षों

में कितनी बार निरीक्षण किया गया? निरीक्षण मे कौन-कौन से बिन्दु पर्यावरण संरक्षण के नियमों के विपरीत पाये गये? उस पर क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) :(क) मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 05 कोल वाशरी, 06 कोल यूनिट एवं 93 अन्य उद्योग स्थापित हैं। उक्त सभी उद्योगों/कोल वाशरी/कोल यूनिट को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत् सम्मति प्रदान की गई है। दिनांक 01/01/2022 से जून 2024 तक की अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षणों में पाये गये उल्लंघन कारी उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)**जी हाँ। प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में ग्राम-पाराघाट, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर में स्थापित राशि स्टील एण्ड पॉवर व कोल वाशरी के विरूद्ध उद्योग से निकलने वाले दूषित जल को लीलागर नदी में छोड़ने की शिकायतें प्राप्त हुई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। उद्योग का विगत दो वर्षों (अप्रैल 2022 से मार्च 2024 तक) में 06 बार निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षणों में उल्लंघन की स्थिति नहीं पाई गई एवं उद्योग के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।
[संलग्न "परिशिष्ट - छः"]

प्रदेश में ओ.पी.एस. एवं एन.पी.एस. पेंशन योजना की जानकारी

[वित्त]

12. (*क्र. 731) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश सरकार द्वारा शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए एन.पी.एस. के स्थान पर ओ.पी.एस. पेंशन योजना कब से प्रारंभ की गई है? ओ.पी.एस. पेंशन हेतु क्या प्रावधान किया गया है? कितनी राशि केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त होनी है? **(ख)** प्रश्नांकित दिनांक तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारी की पेंशन की गणना किस योजना के तहत की जा रही है? यदि ओ.पी.एस. योजना के तहत गणना की जा रही है तो कौन से तिथि से गणना की जा रही है? **(ग)** वर्तमान में 2005 से पूर्व नियुक्त एवं ओ.पी.एस. लागू होने के पश्चात् ऐसे कर्मचारी, जिनको 2018 में शासकीय सेवक माना गया है, ऐसे कर्मचारियों को ओ.पी.एस. लागू होने के बाद सेवानिवृत्ति पर पेंशन की गणना कब से की जा रही है? **(घ)** कुछ शासकीय कर्मचारी ऐसे हैं, जो विकल्प फार्म में भरते समय किसी कारण से एन.पी.एस. भर दिये हैं, परंतु ओ.पी.एस. योजना का लाभ लेना चाहते हैं, ऐसे कर्मचारियों के लिए क्या कार्ययोजना है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 द्वारा शासकीय अधिकारी/कर्मचारी के लिए एन.पी.एस. के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना दिनांक 01.11.2004 से बहाल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 मई 2022 एवं अधिसूचना दिनांक 20 जनवरी 2023 द्वारा ओपीएस पेंशन हेतु प्रावधान किये गये है। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है। पी.एफ.आर.डी.ए. से कुल राशि रूपये 20160 करोड़ राज्य सरकार को प्राप्त होना है। **(ख)** पुरानी पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारियों की पेंशन की गणना छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1976/छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 अनुसार तथा एन.पी.एस. चयन करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों का एन.पी.एस. योजना के प्रावधान अनुसार होता है। पेंशन योग्य नियमित शासकीय स्थापना में पदग्रहण तिथि से गणना की जा रही है। **(ग)** ऐसे कर्मचारी जिनको वर्ष 2018 में शासकीय सेवक माना गया है, उसके पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना शासन के पेंशन योग्य स्थापना में नियुक्ति दिनांक से होगी। **(घ)** छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार, दिनांक 20 जनवरी 2023 के बिन्दु क्रमांक 5(अ) अनुसार शासकीय सेवक के द्वारा एक बार दिया गया विकल्प अंतिम एवं अपरिवर्तनीय होगा।

जिला-बालोद में गन्ना उत्पादन एवं समर्थन मूल्य पर गन्ना खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

13. (*क्र. 762) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत 03 वर्षों में गन्ना का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं प्रोत्साहन राशि कितनी-कितनी निर्धारित थी? **(ख)** वितगत 03 वर्षों में जिला-बालोद के किसानों द्वारा कुल कितने क्षेत्रफल पर गन्ने की खेती की गई? कितनी मात्रा में गन्ने का उत्पादन हुआ एवं शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर कितनी-कितनी मात्रा में गन्ने की खरीदी की गई है? वर्षवार, बतावें। **(ग)** विगत 05 वर्षों में समर्थन मूल्य पर गन्ना खरीदी के बदले जिला-बालोद के गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान की गई राशि की जानकारी देवें. समर्थन मूल्य पर गन्ना खरीदी एवं प्रोत्साहन राशि का वर्षवार पृथक-पृथक बतावें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विगत 3 वर्षों (वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24) में गन्ना का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य क्रमशः राशि 275.50 रूपये, 282.125 रूपये तथा 291.975 रूपये एवं प्रोत्साहन राशि रूपये 79.50, 72.875 प्रति क्विंटल निर्धारित थी, वर्ष 2023-24 की प्रोत्साहन राशि निर्धारित नहीं हुई है। **(ख)** विगत 03 वर्षों (वर्ष 2021-22, वर्ष 2022-23 एवं वर्ष 2023-24) में जिला बालोद के किसानों द्वारा की गई गन्ने की खेती का कुल क्षेत्रफल, उत्पादन एवं समर्थन मूल्य पर कारखाना द्वारा खरीदे गये गन्ने की मात्रा की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। **(ग)** विगत 05 वर्षों (वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24) में समर्थन मूल्य पर गन्ना खरीदी के बदले जिला-बालोद के गन्ना उत्पादक कृषकों को राशि रूपये 7214.46 लाख भुगतान की गई है। समर्थन मूल्य पर गन्ना खरीदी एवं प्रोत्साहन राशि का वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ब अनुसार** है। **[संलग्न "परिशिष्ट - सात"]**

मंडी बोर्ड के तहत स्वीकृत निर्माण कार्यो की अद्यतन स्थिति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

14. (*क्र. 498) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- बसना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से जून, 2024 तक मंडी बोर्ड में कुल कितनी राशि के निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये हैं? उनमे से कितने पूर्ण तथा कितने अपूर्ण हैं तथा कितनों की स्वीकृति दिया जाना प्रस्तावित/लंबित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : बसना विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021 से जून, 2024 तक मंडी बोर्ड में राज्य विपणन विकास निधि तथा मंडी समिति निधि से स्वीकृत किये गये निर्माण कार्यों, उनके पूर्णता एवं अपूर्णता की जानकारी क्रमशः **संलग्न प्रपत्र-अ** एवं **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। **[संलग्न "परिशिष्ट - आठ"]**

प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय का संचालन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

15. (*क्र. 335) श्रीमती शकुंतला सिंह पोर्ते : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या यह सत्य है कि कृषि महाविद्यालय, प्रतापपुर का संचालन अम्बिकापुर में किया जा रहा है, जबकि प्रतापपुर में भवन उपलब्ध करा दिया गया है? क्या उक्त भवन निर्माण के लिए भूमि का भी चयन कर लिया गया है? यदि हां, तो प्रतापपुर में कृषि महाविद्यालय का संचालन कब से प्रारम्भ होगा एवं कृषि महाविद्यालय का भवन कब तक निर्मित हो जायेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : हां, यह सत्य है कि कृषि महाविद्यालय, प्रतापपुर का संचालन अम्बिकापुर में किया जा रहा है। प्रतापपुर में विकासखंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पुराने शासकीय भवन को हस्तांतरित नहीं किया गया है एवं पुराने शासकीय भवन के मरम्मत में अधिक समय लगने, प्रयोगशाला एवं प्रायोगिकी कार्य के लिए भूमि आबंटित नहीं होने के कारण नवीन कृषि महाविद्यालय,

प्रतापपुर का संचालन कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र अम्बिकापुर में अस्थाई तौर पर किया जा रहा है। प्रतापपुर में उपयुक्त भूमि आबंटन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भूमि आबंटित होने के उपरांत भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा। भवन निर्माण की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

वि.स. क्षेत्र धरसींवा के उद्योगों को विस्तारीकरण हेतु प्रदत्त अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

16. (*क्र. 211) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र धरसींवा के सिलतरा में स्थापित किन-किन उद्योगों को वर्ष 2021 से जून, 2024 के मध्य विस्तारीकरण हेतु अनुमति प्रदान की गई है तथा किन-किन उद्योगों के विस्तारीकरण के आवदेन लंबित हैं? **(ख)** क्या मेसर्स जायसवाल निको इण्ड.लिमि. सिलतरा द्वारा विस्तारीकरण हेतु आवेदन किया गया है? यदि हां, तो आवेदन की अद्यतन स्थिति क्या है? **(ग)** प्रश्नांक 'ख' द्वारा उक्त उद्योग के विस्तारीकरण आवेदन पर अनुमति पूर्व जन-सुनवाई कर प्राप्त आपत्तियों के निराकरण करने की क्या प्रक्रिया है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)विधानसभा क्षेत्र धरसींवा के सिलतरा में स्थापित उद्योगों को वर्ष 2021 से जून, 2024 के मध्य क्षमता विस्तार के लिये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी स्थापना सम्मति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है तथा क्षमता विस्तार के लंबित आवेदनों की सूची की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।**(ख)** जी हाँ। मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा के विस्तारीकरण हेतु आवेदन किया गया है, जिनकीं अद्यतन स्थिति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र 'द' अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - नौ"]

राज्य के सीमावर्ती जिला बलरामपुर एवं रामानुजगंज में अवैध रूप से पेट्रोल, डीजल तस्करी

[वाणिज्यिक कर]

17. (*क्र. 774) श्री धर्मजीत सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या यह सत्य है कि जून-जुलाई, 2023 के दौरान जिला बलरामपुर, रामानुजगंज क्षेत्र के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड से डीजल-पेट्रोल की अवैध रूप से तस्करी कर क्षेत्र में विक्रय करने के मामले दर्ज किए गए हैं या इसकी शिकायतें मिली हैं? यदि हां, तो कब और इस पर किस स्तर पर, क्या कार्यवाही की गई हैं? विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** क्या कंडिका "क" के मामले में छत्तीसगढ़ राज्य को वैट टैक्स का बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कितना और क्या? क्या दोषियों से वसूली की कार्रवाई की गई हैं? यदि नहीं तो क्यों? विवरण देवें? **(ग)** क्या यह सत्य है कि कंडिका "क" के मामले की शिकायत का ब्यौरा कलेक्टर के माध्यम से विभाग को प्राप्त हुआ हैं? यदि हां, तो कब और क्या? क्या विभाग द्वारा तत्संबंध में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की गई हैं? यदि हां, तो कब और क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जून-जुलाई-2023 के दौरान जिला बलरामपुर, रामानुजगंज क्षेत्र के सीमावर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, झारखंड मे डीजल-पेट्रोल की अवैध रुप से तस्करी कर क्षेत्र में विक्रय करने के मामले इस विभाग द्वारा दर्ज नहीं किये गये है। कलेक्टर जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज से जानकारी मिलने पर पुलिस विभाग के द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही की गई है। 1. पुलिस थाना बसंतपुर द्वारा दिनांक 01.07.2023 को प्रदीप सिंह पिता महेन्द्र सिंह से वाहन क्रमांक सीजी 15 डीआर 2514 मे लोड 644 लीटर डीजल जप्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 90/2023 में भा.दं.स. 1860 की धारा 258 दर्ज किया गया। 2. दिनांक 15.07.2023 को पुलिस थाना सनावल द्वारा हसियत अंसारी एवं मो. सफिक से वाहन क्रमांक यूपी 64 एटी में लोड 2000 लीटर डीजल जप्त कर प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 28/2023 में भा.दं.सं. 1860 की धारा 285 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियिम की धारा 7(2) दर्ज किया गया। **(ख)** प्रश्न ''क'' से संबंधित शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई। **(ग)** कार्यालय कलेक्टर से पत्र क्रमांक 768/स्टेनो/2023 बलरामपुर दिनांक 31.08.2023 के द्वारा जानकारी प्राप्त हुई थी कि ''डीजल-पेट्रोल एवं अन्य सामग्रीयां दूसरे राज्य से क्रय कर विक्रय किया जाता है जिससे राजस्व की क्षति होती है। अतएव बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में राज्य कर के

अधिकारी/कर्मचारियों की पदस्थापना अथवा सप्ताह में तीन दिवस उपस्थित होने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करेंगें।'' पत्र के अनुक्रम में बलरामपुर-रामानजगुंज जिले के लिये सहायक आयुक्त संभाग क्रमांक-एक के श्री एम.आर.बड़ा को नोडल अधिकारी, नामित किया गया है तथा सरगुजा क्षेत्र में वाहनों के जांच के लिए ई-वे बिल दल का गठन किया गया है ।

राज्य शासन द्वारा लिया गया ब्याज का भुगतान

[वित्त]

18. (*क्र. 883) श्री ललित चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021 सें 01 जुलाई, 2024 तक राज्य शासन ने कहां-कहां से कितनी-कितनी राशि का ऋण लिया है, इस पर ब्याज का प्रतिशत क्या है? **(ख)** कंडिका 'क' के ऋण में से क्या किसान न्याय योजना के तहत भी धनराशि आहरित हुई है? यदि हां, तो प्रश्नावधि में कितनी राशि किसान न्याय योजना के लिए आहरित की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जनवरी 2021 से 30 जून 2024 तक संस्थावार लिये गये ऋण की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र अनुसार"** है। **(ख)** राज्य शासन द्वारा लिया गया ऋण व्यय के लिये उपलब्ध कुल संसाधनों का भाग होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - दस"]

धमतरी जिले में नेट हाउस एवं पैक हाउस के निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

19. (*क्र. 815) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** उद्यानिकी विभाग, धमतरी द्वारा जिले में वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक कितने नेट हाउस एवं पैक हाउस का निर्माण कराया गया है? हितग्राही का नाम, स्थान का नाम, लागत की पूर्ण जानकारी देंगे? **(ख)** नेट हाउस एवं पैक हाउस निर्माण कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन क्या कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय द्वारा कराया गया है? **(ग)** उद्यानिकी विभाग द्वारा कराए गए नेट हाउस एवं पैक हाउस निर्माण से संबंधित कितनी शिकायतें प्राप्त हैं एवं उक्त प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है? कृपया जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) उद्यानिकी विभाग धमतरी द्वारा जिले में वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक 12 कृषकों/ स्व सहायता समूह को उनके द्वारा निर्मित कराये गये शेडनेट हाउस तथा 38 कृषकों को पैक हाउस पर पात्रता अनुसार अनुदान प्रदान किया गया है। निर्मित किये गये नेट हाउस एवं पैक हाउस पर अनुदान से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम स्थान एवं लागत की जानकारी **क्रमशः संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार है। (ख)** कृषकों द्वारा निर्मित कराये गये नेट हाउस का भौतिक सत्यापन कृषि अभियांत्रिकी कार्यालय से एवं पैक हाउस का भौतिक सत्यापन तथा मूल्यांकन ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग के उप अभियंता से कराया गया है। **(ग)** प्रश्नांश **'क'** अनुसार कृषकों द्वारा निर्मित कराये गये शेडनेट हाउस एवं पैक हाउस से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है अतः शेष जानकारी निरंक है।
[संलग्न "परिशिष्ट - ग्यारह"]

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग छात्र / छात्राओं हेतु छात्रावास की क्षमता वृध्दि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

20. (*क्र. 754) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**खल्लारी-विधानसभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के छात्र / छात्राओं के प्रवेश हेतु छात्रावासों की क्षमता वर्गवार, स्तरवार , विकासखण्डवार बतायें? **(ख)** क्या प्रश्नांश **(क)** के छात्रावासों में दर्ज संख्या क्षमता वृद्धि हेतु शासन कोई कार्यवाही कर रही है? यदि हाँ तो कितने की वृद्धि की जा रही है । यदि नहीं तो क्या छात्रावासों में दर्ज संख्या क्षमता वृद्धि हेतु अधोसंरचना की व्यवस्था की

जायगी? **(ग)** दिनांक 30.06.24 की स्थिति में कितने नवीन छात्रावास हेतु आवेदन लंबित हैं विकासखण्डवार, वर्ग एवं स्तरवार बतायें है? कब तक नवीन छात्रावास प्रारंभ कर दिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** दिनांक 30.06.2024 की स्थिति में नवीन छात्रावास खोलने हेतु कोई भी आवेदन लंबित नहीं है। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बारह"]

धमतरी जिले के आश्रमों एवं छात्रावासों हेतु सामग्री का क्रय एवं वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

21. (*क्र. 682) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिला अन्तर्गत संचालित आश्रम एवं छात्रावासों हेतु वर्ष 2022 से जून, 2024 तक कौन-कौन सी सामग्री, कितनी-कितनी राशि की क्रय की गयी है? क्या सामग्रियों के क्रय हेतु भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया था? विकासखण्डवार/वर्षवार जानकारी देवे? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के तहत् क्रय सामग्री की अपूर्ति कितने आश्रम एवं छात्रावासों को की गयी? **(ग)** क्या उपरोक्त सामग्री क्रय में अनियमितता/भष्टाचार होने संबंधित शिकायत/जानकारी विभाग के संज्ञान में आयी है, यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जी हॉ। जिले के विकासखंडों में संचालित छात्रावास/ आश्रमों हेतु सामग्री का क्रय जिले से एक साथ किया गया है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के तहत् क्रय की गयी सामग्री की आपूर्ति 13 आश्रमों एवं 44 छात्रावासों को की गई है। **(ग)** जी नहीं। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तेरह"]

पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु संचालित योजनायें

[आवास एवं पर्यावरण]

22. (*क्र. 719) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? विवरण देवें। **(ख)** कंडिका 'क' की योजना हेतु विभाग द्वारा सीतापुर विधानसभा क्षेत्र हेतु पिछले 03 वर्षों में कितनी राशि आबंटित हुई थी एवं कौन-कौन से मद में कितना-कितना खर्च किया गया है? विवरण देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से प्राप्त जानकारी अनुसार पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु शासन द्वारा बिगड़े वनों का सुधार पर्यावरण वानिकी, भू-जल संरक्षण योजना एवं कैम्पा योजना संचालित की जा रही है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/केन्द्र शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित कार्यक्रम निम्नानुसार है:- (1) राष्ट्रीय वायु मापन कार्यक्रम, (2) राष्ट्रीय जल मापन कार्यक्रम, (3) प्रदूषण न्यूनिकरण के लिये सहायता कार्यक्रम, (4) राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम, (5) पर्यावरण सूचना केन्द्र (इनविस), (6) नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, (रायपुर, भिलाई एवं कोरबा शहर हेतु)**(ख)**कंडिका 'क' की योजना हेतु वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सीतापुर विधानसभा क्षेत्र हेतु पिछले 03 वर्षो में मदवार आबंटित राशि एवं खर्च की गई राशि का विवरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौदह"]

पुरैना, रायपुर में निर्मित सोशल एण्ड हेल्थ क्लब के अनुबंधों के उल्लंघन पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

23. (*क्र. 422) श्री अजय चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल रायपुर अंतर्गत पुरैना, रायपुर में निर्मित सोशल एण्ड हेल्थ क्लब व किनके-किनके मध्य, कब, क्या-क्या अनुबंध हुये हैं? उसकी मुख्य शर्तें क्या-क्या थीं? क्या इन शर्तो/अनुबंध का उल्लंघन हुआ है? यदि हां, तो किनके द्वारा किन-किन शर्तो का उल्लंघन किया गया और उसके ऊपर क्या कार्यवाही अब तक की गयी? **(ख)** उक्त क्लब में जनप्रतिनिधियों/व्हीआईपी के लिये क्या-क्या लाभ या सुविधायें देने हेतु, कितनी अवधि के लिये देने का प्रावधान था तथा किन-किन सत्रों के, कितने विधायकों को उसकी मेंबरशिप प्रदाय की गयी थी? यदि किसी भी जनप्रतिनिधियों/ व्हीआईपी को यह लाभ या सुविधा नही दी गयी है तो उसके कारण क्या हैं? **(ग)** क्या उक्त क्लब में गोलीकांड हुआ था? यदि हां, तो कब हुआ, और उसके दोषी कौन-कौन थे? उनके ऊपर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी? **(घ)** उक्त क्लब वर्तमान में चालू है या बंद? यदि बंद है तो उसका कारण क्या है तथा पुनः कब तक चालू कर दिया जायेगा?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल के अंतर्गत पुरैना, रायपुर में निर्मित सोशल एण्ड हेल्थ क्लब का निर्माण, संचालन तथा वापसी का अनुबंध हुआ है। यह अनुबंध छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल एवं एमीनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. द्वारा संचालक श्री हरबक्श सिंह बत्रा के मध्य दिनांक 10.02.2008 को अनुबंध क्रमांक 57/2008-09 निष्पादित हुआ है। निष्पादित अनुबंध की प्रति **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है, जिसमें अनुबंध की मुख्य शर्तो का उल्लेख है। जी,हां, अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन हुआ है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। अनुबंध के शर्तो के उल्लंघन फलस्वरुप दिनांक 15.03.2024 को अनुबंध निरस्त कर मण्डल द्वारा दिनांक 17.03.2024 को क्लब का भौतिक आधिपत्य ले लिया गया है। क्लब वर्तमान में मण्डल के आधिपत्य में है एवं इसका संचालन दिनांक 29.05.2024 से विभागीय रुप से प्रारंभ किया गया है।**(ख)** माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए निर्मित विशेष आवासीय योजना के तहत् पुरैना में आबंटित 108 भवन के मूल आबंटी क्लब के विशेष सदस्य होगें। उन्हें एवं उनके परिवार के सदस्यों (पत्नि एवं नाबालिक बच्चों) के लिए दी जाने वाली सुविधाएं निम्नानुसार है:-

S.No.	Particulars	Annual Charges
1	Admission Fee	Free
2	Annual Subscription (Compulsory)	3,000.00
3	Billiards	1,000.00
4	Badminiton	1,000.00
5	Tennis	1,000.00
6	Table Tennis	1,000.00
7	Squash	1,000.00
8	Health Culb	General Card Rate LESS 30% Special Discount
	(a) Gymnasium, (b) Massage	
	(c) Steam, (d) Sauna, (e) Jacuzzi	
9	Bridge Room	
10	Swimming Pool	
11	Any new facility	Rate will fixed ny mutual agreement

माननीय विशेष सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाएं संपूर्ण अनुबंध काल के लिए जारी रहेगी। केवल द्वितीय विधान सभा सत्र के समस्त माननीय विधायकों/माननीय सांसदों जिनकी कुल संख्या 108 है, को यह सुविधा दी जा रही है। उपरोक्त सुविधाओं के लिए माननीय सदस्य क्लब से संपर्क कर सुविधाएं प्राप्त कर सकते है। **(ग)** जी, हां। थाना तेलीबांधा में श्री आफताब कुरैशी द्वारा दिनांक 27.09.2020, समय 22:00 बजे श्री हितेश पटेल नामक व्यक्ति द्वारा गोली चलाये जाने के संबंध में एफ.आई.आर. क्रमांक 341 दर्ज कराया गया है। थाना प्रभारी तेलीबांधा द्वारा एफ.आई.आर. क्रमांक 341/2020 दिनांक 27.09.2020 की विवेचना पूर्ण कर भा.द.वि. धारा 307 एवं आर्म्स एक्ट 30 के तहत् माननीय न्यायालय सी.जे.एम. महोदय रायपुर के समक्ष चालान (चार्ट सीट) क्रमांक 399/2020 दिनांक 29.12.2020 प्रस्तुत किया गया है।**(घ)** क्लब वर्तमान में चालू

है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल द्वारा क्लब में उपलब्ध स्पोर्टस सुविधा बैडमिंटन, बिलियर्ड, स्क्वैश, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल को दुरूस्त कर संचालन प्रारंभ किया गया है। क्लब में रेस्टोरेंट एवं कमरों की सुविधाओं में आवश्यक मरम्मत के पश्चात् शीघ्र ही चालू किया जावेगा।

मंडी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पश्चात पेंशन सुविधा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

24. (*क्र. 879) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राज्य के कृषि उपज मण्डियों में कार्यरत कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता होती है? **(ख)** कृषि उपज मंडी, अभनपुर में जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 के मध्य कितने कर्मचारी सेवानिवृत्ति हुए? कृपया सेवानिवृत कर्मचारियों के नाम तथा उनके पदनाम तथा उनके सेवानिवृत्ति की तिथि बतावें। **(ग)** क्या कंडिका "ख" अनुसार सेवानिवृत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति हित लाभ तथा पेंशन का भुगतान किया जा रहा है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राज्य मंडी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 49 के अनुसार राज्य मंडी बोर्ड सेवा तथा मंडी समितियों हेतु प्रभावशील आदर्श उपविधि सन 2009 की उपविधि क्रमांक 72 के अनुसार राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति मंडी समिति के कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता है। **(ख)** कृषि उपज मंडी अभनपुर में जनवरी 2022 से दिसंबर 2023 के मध्य 01 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुआ है। सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री चंद्रशेखर तिवारी, उपनिरीक्षक दिनांक 30.06.2022 को सेवानिवृत्त हुए है।**(ग)** कंड़िका ''ख'' अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री चंद्रशेखर तिवारी उपनिरीक्षक को सेवानिवृत्त हित लाभ का भुगतान किया जा चुका है तथा नियमानुसार प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा वृक्षारोपण कार्य की एजेंसी

[आवास एवं पर्यावरण]

25. (*क्र. 897) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** नया रायपुर में नवा रायपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 एवं 2022-23 में वृक्षारोपण किन-किन एजेंसी के माध्यम से किया गया और कितना भुगतान किया गया? वर्षवार एवं एजेंसीवार जानकारी प्रदान करें। **(ख)** वर्तमान में कितने प्रतिशत वृक्ष संरक्षित/सुरक्षित है? **(ग)** नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक कितने निर्माण एवं रख-रखाव कार्य को किन-किन एजेंसी के द्वारा किया गया? तथा कितना भुगतान किया जा चुका है और कितने कार्य पूर्ण हुए?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2023-24 तक राशि रू. 601.39 लाख की लागत से वृक्षारोपण के कार्य मेसर्स नेचर टच रायपुर, मेसर्स रेम्बो ग्रीन्स नागपुर, मेसर्स एन.सी. नाहर दुर्ग तथा मेसर्स आर.के. इन्फ्रास्ट्रक्चर रायपुर के द्वारा कराया गया है। वर्षवार एवं एजेंसीवार भुगतान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम (1), (2), (3), (4) अनुसार** है।**(ख)** नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019-20 से लेकर वर्ष 2023-24 तक संपादित किये गये वृक्षारोपण के कार्यों में से वर्तमान में औसत 92.5 प्रतिशत वृक्ष सुरक्षित है। वर्षवार एवं एजेंसीवार सुरक्षित वृक्षों के प्रतिशत की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम (5) अनुसार** है।**(ग)**नया रायपुर विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक 67 निर्माण कार्य एवं 64 रखरखाव कार्य संपादित किये गये है/जा रहे है। इन कार्यो के एजेंसी एवं भुगतान की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार** है। उक्त कार्यों में से वर्तमान में निर्माण के 37 कार्य एवं रख-रखाव के 35 कार्य पूर्ण हो चुके है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पन्द्रह "]

भाग-2

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

जिला रायगढ़ में छात्रावासों हेतु क्रय सामग्री

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

1. (क्र. 100) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** रायगढ़ जिले में वर्ष 2022 -23 से 28 जून, 2024 तक की स्थिति में छात्रावासों के लिए क्या-क्या सामग्री, किस-किस दर पर किस फर्म से खरीदी गई हैं? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या उपरोक्त सामग्री क्रय में छत्तीसगढ़ शासन के भंडार क्रय नियमों का पालन किया गया है? यदि नहीं तो संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) रायगढ़ जिले में वर्ष 2022-23 से 28 जून 2024 तक की अवधि में छात्रावासों हेतु क्रय की गयी सामग्री, दर एवं फर्म की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जिले के विकास खंडों में संचालित छात्रावास/आश्रमों हेतु सामग्री का क्रय जिले से एक साथ किया जाता है। **(ख)** जी हाँ, परन्तु दिनांक 28.02.2023 में किये गये सामग्री क्रय में भण्डार क्रय नियमों का पालन नहीं किया गया है। फलस्वरूप तत्कालीन सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के विरूद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही के अनुक्रम में कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभागीय छात्रावास/आश्रमों हेतु किए गए सामग्री क्रय में भण्डार क्रय नियमों का पालन किया गया है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सोलह"]

विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार में वन अधिकार पट्टा वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

2. (क्र. 275) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार में वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक कितने वन अधिकार पट्टे (पत्र) वितरित किये जा चुके हैं? व्यक्तिगत (वर्गवार) तथा सामुदायिक का पृथक-पृथक वर्षवार बताएं एवं रकबा भी बताएं? **(ख)** कितने पात्र व्यक्ति तथा समुदायों को वन अधिकार पट्टा (पत्र) दिया जाना प्रकियाधीन है? कितने प्रकरण अपात्रता के कारण अस्वीकृत किये गये हैं? **(ग)** क्या शासन द्वारा 5 लाख वन अधिकार पट्टा वितरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है? अगर नहीं तो कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** व्यक्तिगत वन अधिकार के 487 दावे जिला स्तरीय समिति के समक्ष प्रक्रियाधीन है। जबकि सामुदायिक वन अधिकार का कोई भी दावा प्राप्त नहीं हुआ है। व्यक्तिगत वन अधिकार के कोई भी प्रकरण अपात्रता के कारण अस्वीकृत नहीं किए गए हैं। **(ग)** वन अधिकारों की मान्यता सतत् प्रक्रिया है। राज्य में मार्च, 2024 तक 4,81,445 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 49,271 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए जा चुके हैं।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्रह"]

जिला - कोरबा अंतर्गत उद्योगों द्वारा वृक्षारोपण

[आवास एवं पर्यावरण]

3. (क्र. 277) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश के उद्योगों हेतु वृक्षारोपण एवं ग्रीन बेल्ट के संबंध में क्या नियम/नीति है? **(ख)** जून, 2024 की

स्थिति में कोरबा जिला में किन-किन उद्योगों द्वारा कितना वृक्षारोपण किया जाना था? कितना किया गया? कितने पौधे जीवित हैं व कितने किया जाना शेष है तथा किन उद्योगों के द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण नहीं किया गया है? तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं तो क्यों जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रदेश में वृहद्/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 तथा वायु (प्रदुषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत जारी की जाने वाली सम्मति में उद्योगों के कुल क्षेत्र का न्यूनतम 33 प्रतिशत (एक तिहाई क्षेत्रफल) क्षेत्र में तथा खदानों में चिन्हांकित स्थानों पर वृक्षारोपण/ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने की शर्त दी जाती है।**(ख)** कोरबा जिले के वृहद्/मध्यम श्रेणी के उद्योगों एवं खदानों द्वारा किये गये वृक्षारोपण सम्बन्धी **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठारह"]

जिला रायगढ़ के उद्योगों द्वारा वन एवं कृषि भूमि में राखड़ डम्प किए जाने की प्राप्त शिकायतें

[आवास एवं पर्यावरण]

4. (क्र. 383) श्रीमती गोमती साय : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या केन्द्र सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की गाइड लाइन में वन भूमि एवं कृषि भूमि पर राखड़ डाला जाना प्रतिबंधित है? यदि हां, तो वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक जिला रायगढ़ अंतर्गत किन-किन कंपनियों द्वारा कहां-कहां, कितनी-कितनी मात्रा में राखड़ डम्प किया जा रहा है? **(ख)** कंडिका ''क'' अंतर्गत किन-किन कंपनियों द्वारा वन भूमि एवं कृषि भूमि तथा सड़कों के किनारे राखड़ डम्प किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई? शिकायत पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** कंपनियों द्वारा राखड़ प्रबंधन हेतु किये जा रहे परिवहन से प्रभावित और आसपास के गांवों के प्रदूषण को रोकने एवं उस पर नियंत्रण किये जाने तथा आवेरलोड वाहनों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ। केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका में कृषि भूमि एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आवश्यक अनुमति के बिना वन भूमि पर राखड़ डालना प्रतिबंधित है। वर्ष 2021-22 से माह जून, 2024 तक की अवधि में जिला रायगढ़ में किसी भी उद्योग के द्वारा वन भूमि एवं कृषि भूमि में राखड डम्प नहीं की गई है।**(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ग)** राखड़ के परिवहन से प्रदूषण को रोकने के लिए वाहनों को पूर्ण रूप से तारपोलिन से ढककर किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसका छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है। वर्ष 2021-22 से माह जून 24 तक फ्लाई ऐश के परिवहन में पाई गई अनियमितताओं पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। साथ ही कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार 01 अप्रैल 2021 से जून 2024 तक कुल 1,311 चालान में 3,10,63,100 रुपये शमन शुल्क वसूल किया गया है। राखड़ (फ्लाई एश ओवरलोड) वाहनों में कुल 104 वाहनों पर 22,27,600 रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया है तथा बिना तिरपाल वाले राखड़ (फ्लाई एश ओवरलोड) वाहनों वाले 73 वाहनों पर 1,56,700 रूपये वसूल किया गया है।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्नीस"]

आदिम जाति कल्याण विभाग, बिलासपुर के अंतर्गत प्राप्त आबंटन से क्रय सामग्री

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

5. (क्र. 416) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वित्तीय वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक आदिम जाति कल्याण विभाग, बिलासपुर को सामग्री पूर्ति मद से, शासन से सामग्री खरीदी हेतु कितना आबंटन प्राप्त हुआ? प्राप्त आबंटन से कितनी- कितनी राशि की क्या-क्या सामग्री खरीदी गई? वर्षवार, विकासखण्डवार एवं सामग्रीवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" के अनुसार खरीदी गई सामग्री का किन-किन छात्रावास/ आश्रमों में वितरण किया गया? वर्षवार, विकासखण्डवार सामग्रीवार जानकारी देवें? **(ग)** अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक/प्री मैट्रिक बालक/बालिका

छात्रावास में एक सत्र में कितने बार तकिया, गद्दा, बेडशीट दिया जाता है? **(घ)** वित्तीय वर्ष 2023- 24 में बिलासपुर जिला अंतर्गत संचालित छात्रावास एवं आश्रमों को भोजन सहायता योजना अंतर्गत किस-किस माह में कितनी-कितनी राशि जारी की गयी है? माहवार एवं छात्रावासवार विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वित्तीय वर्ष 2021-22 में 1,88,89,000, वर्ष 2022-23 में 1,98,18,000, वर्ष 2023-24 में 1,98,24,000 एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 जून तक 1,11,06,000 आदिमजाति कल्याण विभाग बिलासपुर को सामग्री खरीदी हेतु आबंटन प्राप्त हुआ। प्राप्त आबंटन से क्रय की गई सामग्रियों एवं राशि की वर्षवार, सामग्रीवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। जिले के विकासखंडों में संचालित छात्रावास/ आश्रमों हेतु सामग्री का क्रय जिले से एक साथ किया गया है।**(ख)** कंडिका ''क'' अनुसार खरीदी गई सामग्री का छात्रावास/आश्रमों में वितरण की वर्षवार, विकासखण्डवार एवं सामग्रीवार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक/प्री मैट्रिक बालक/बालिका छात्रावासों में एक सत्र में 01 बार तकिया, गद्दा, बेडशीट दिया जाता है। **(घ)** वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिलासपुर जिले में संचालित पोस्ट मैटिक छात्रावासों के विद्यार्थियों के लिए भोजन सहायता योजनान्तर्गत जारी राशि की माहवार एवं छात्रावासवार विवरण **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''स''** अनुसार है। आश्रमों को भोजन सहायता योजना की राशि प्रदाय नही की जाती है, बल्कि शिष्यवृत्ति प्रदाय की जाती है।

एनटीपीसी, सीपत के द्वारा फ्लाई ऐश का उत्सर्जन एवं निष्पादन की शिकायत पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

6. (क्र. 417) श्री दिलीप लहरिया : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** एनटीपीसी, सीपत के द्वारा जनवरी, 2022 से जून, 2024 तक कुल कितना फ्लाई ऐश का उत्सर्जन किया गया है? माहवार जानकारी देवें? फ्लाई ऐश उत्सर्जन एवं निष्पादन हेतु एनजीटी एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा क्या नियम वर्तमान में प्रभावशील हैं तथा इस संबंध में किस अधिकारी के द्वारा कब जांच की गई व जांच में क्या निष्कर्ष दिये गए एवं क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** कंडिका "क" अनुसार फ्लाई ऐश के निष्पादन हेतु, किस स्थान की अनुमति, कब कितनी मात्रा के लिये दी गई तथा इन चिन्हांकित क्षेत्रों में कितनी मात्रा का निष्पादन उक्त क्षेत्रों में किया गया? माहवार जानकारी देवें? **(ग)** कंडिका "क" अनुसार फ्लाई ऐश निष्पादन हेतु उक्त अवधि में किसे, किस आधार पर व कब कार्य दिया गया था? उनके द्वारा कितने फ्लाई ऐश का परिवहन किया गया? उन्हें कितना भुगतान किया गया है? माहवार, फर्मवार व निष्पादन मात्रावार जानकारी देवें? उक्त कार्य के लिये प्राप्त भुगतान के एवज में कितना जीएसटी जमा किया जाना था, कितना जमा किया गया व कितनी राशि जमा किया जाना शेष है? **(घ)** कंडिका "क" के कार्य हेतु किसके द्वारा, क्या शिकायत, की गई व उन पर क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार है। फ्लाई ऐश के निपटान हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.12.2021 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 30.12.2022) वर्तमान में प्रभावशील है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। प्रश्नाधीन अवधि में फ्लाई एश निष्पादन स्थलों का निरीक्षण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा नहीं किया गया है। उद्योग द्वारा अपवहन स्थलों पर कार्य पूर्ण होने की सूचना प्रदान की जाती है।**(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र – स अनुसार** है। माहवार जानकारी संधारित नहीं की जाती है।**(ग)** फ्लाई एश अपवहन की जिम्मेदारी सम्बंधित ताप विद्युत संयंत्र की स्वयं की है। अतः जानकारी निरंक है ।**(घ)** प्रश्नाधीन अवधि में उद्योग के फ्लाई एश निष्पादन के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक है।

रेरा (रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) प्राधिकरण अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निराकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

7. (क्र. 423) श्री अजय चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 1 दिसंबर, 2018 से दिनांक 30 जून, 2024 की स्थिति में रेरा (रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) प्राधिकरण अंतर्गत कितने प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं? किन-किन प्रोजेक्ट के विरूद्ध कितने प्रकरण दर्ज हुये हैं? उनमें से कितने प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा कितने प्रकरण कब से, किन-किन कारणों से लंबित हैं? प्रमोटर का नाम, पता व शहर अनुसार बतायें? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' प्राधिकरण के नियमों का उलघंन करने वाले किन-किन प्रोजेक्टों के विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही उक्त अवधि में की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में रेरा (रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) अंतर्गत कुल 962 प्रोजेक्ट का पंजीयन किया गया है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ अनुसार** है। प्रपत्र-अ में से 178 प्रोजेक्ट के विरूद्ध कुल 305 प्रकरण दर्ज हुए है। जिसमें से कुल 238 प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है तथा कुल 68 प्रकरणों में प्राधिकरण में अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के तहत सुनवाई जारी होने के कारण लंबित है, **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-ब अनुसार** है। प्रपत्र-अ के कुल 602 प्रमोटर का नाम, पता व शहर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है।**(ख)** प्रश्नांश 'क' के अंतर्गत प्रपत्र-अ में से पंजीकृत 196 प्रोजेक्ट के प्रमोटर द्वारा भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-4 (2) (एल) (डी) एवं धारा-11 का उल्लंघन करने के कारण प्राधिकरण द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज कर अधिनियम की धारा-59, 60, 61 एवं 63 के अंतर्गत शास्ति अधिरोपित किया गया है। **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार** है।

कांकेर जिले में आश्रम, छात्रावासों में निर्माण व मरम्मत में व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

8. (क्र. 452) श्री आशा राम नेताम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- कांकेर जिले में वित्तीय वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में विभिन्न आश्रम, छात्रावासों में कितने व कहां-कहां निर्माण व मरम्मत कार्य कराये गये हैं? उक्त समयावधि में जिले में कितनी राशि आंबटित की गई है एवं किन-किन कार्यो में कितनी राशि खर्च की गई है? क्या वर्तमान में कोई कार्य लंबित है? अगर लंबित है तो क्या कार्यवाही हुई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : वित्तीय वर्ष 2022-23 में 134 एवं 2023-24 में 93 मरम्मत एवं निर्माण कार्य कराए गये है। उक्त समयावधि में राशि रुपये 1521.27 लाख आबंटित की गई है। कराए गये कार्यो एवं व्यय राशि की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है। जी हाँ, 34 कार्य लंबित है। 17 लंबित कार्यो को पूर्ण कराये जाने एवं 17 लंबित कार्यो की निविदा करने की कार्यवाही की जा रही है।

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में खरीफ फसल हेतु उर्वरक(खाद)/बीज की व्यवस्था

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

9. (क्र. 493) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में खरीफ फसल, 2024 हेतु 30 जून, 2024 तक कहां-कहां कौन-सी उर्वरक(खाद) एवं कौन-कौन सी प्रजाति के बीज की व्यवस्था, कितनी-कितनी मात्रा में की गई? समिति/विकासखण्डवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' के परिप्रेक्ष्य में विकासखण्ड डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा में उर्वरक एवं बीज वितरण का कितना लक्ष्य रखा गया एवं कितना वितरित किया गया? **(ग)** क्या उपरोक्तानुसार डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र के कृषकों को खरीफ फसल की उर्वरक(खाद)/बीज क्या समय पर वितरण किया गया है? यदि नहीं तो क्यों? **(घ)** क्या किसी समिति में उर्वरक(खाद)/बीज की मांग के अनुरूप कमी होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हॉ, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) डौण्डीलोहारा विधानसभा अंतर्गत विकासखंड में डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा में खरीफ फसल, 2024 (31 मार्च 2023 की प्रारंभिक स्कंध एवं 01 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 सहित) हेतु सेवा सहकारी समितियों में यूरिया, डी.ए.पी., एम.ओ.पी. एस.एस.पी. एवं एन.पी. के. उर्वरकों की कुल 18699.00 मे.टन मात्रा तथा विभिन्न फसलों के बीज की कुल 11909.30 क्विंटल मात्रा की आपूर्ति की गई है। समितिवार उर्वरक आपूर्ति/भंडारण तथा बीज आपूर्ति/ भंडारण (किस्मवार) की **जानकारी संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांक "क" की अवधि में डौण्डी एवं डौण्डीलोहारा विकासखण्ड में उर्वरकों का कुल 13350 मे.टन एवं बीज का 14601.10 क्विंटल लक्ष्य निर्धारित किया गया है, लक्ष्य के विरूद्ध उर्वरकों की कुल 15678.00 मे.टन एवं बीज की कुल 11551.70 क्विंटल मात्रा कृषकों को वितरित किया गया है। उर्वरको एवं बीज वितरण का समितिवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र "स एवं "द"** अनुसार है। **(ग)** जी हाँ। **(घ)** जी नहीं।
[संलग्न "परिशिष्ट - बीस"]

महासमुंद जिले में छात्रावास एवं आश्रमों में क्रय की गयी सामग्री

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

10. (क्र. 502) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022 से जून, 2024 तक महासमुंद जिले के छात्रावास/आश्रमों को क्या-क्या सामग्री प्रदान की गयी है? उक्त सामग्री किस-किस फर्म से, कितनी-कितनी मात्रा एवं दर पर क्रय की गयी है? विकासखंडवार ,वर्षवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश "क" अनुसार क्या उक्त सामग्री क्रय में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गयी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2022 से जून 2024 तक महासमुन्द जिले के छात्रावास/आश्रमों को प्रदाय की गयी सामग्री तथा क्रय की गयी सामग्री से संबंधित, फर्म, मात्रा एवं दर की वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जिले के विकासखंडों में संचालित छात्रावास/ आश्रमों हेतु सामग्री का क्रय जिले से एक साथ किया गया है। **(ख)** जी नहीं। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।
[संलग्न "परिशिष्ट - इक्कीस"]

कोरबा जिले में कन्या व बालक छात्रावासों में सीटों में वृद्धि एवं छात्रावासों का उन्नयन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

11. (क्र. 528) श्री फूलसिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या कोरबा जिले में संचालित छात्रावासों में विद्यार्थियों की समस्या को देखते हुए कन्या एवं बालक छात्रावासों में 100-100 सीटों की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है? तथा पूर्व में जो कन्या एवं बालक छात्रावास संचालित हैं वहां के छात्रावासों का उन्नयन करते हुए प्री मैट्रिक छात्रावास को पोस्ट मैट्रिक छात्रावास किया जाना प्रस्तवित है? हॉ तो कब तक? **(ख)** क्या कोरबा जिले के सभी कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में 100 - 100 सीटों की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है? यदि हॉ तो कब तक ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी नहीं। पूर्व में जो कन्या एवं बालक छात्रावास संचालित हैं वहां के छात्रावासों का उन्नयन करते हुए प्री मैट्रिक छात्रावास को पोस्ट मैट्रिक छात्रावास किया जाना प्रस्तावित नहीं है। अतः समय-सीमा बताये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। **(ख)** जी नहीं। अतः समय-सीमा बताये जाने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

अमानक खाद्य बीज की बिक्री

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

12. (क्र. 568) श्री दीपेश साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** आगामी खरीफ की फसल हेतु खाद एवं बीज के वितरण हेतु क्या व्यवस्था की गई है? बेमेतरा

विधानसभा क्षेत्र में कितने स्थान से शासकीय मूल्य पर खाद और बीज वितरित किया जाता है? जिन खाद और बीज वितरण संस्थाओं अनियमितता की गयी है, उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? **(ख)** किसानों के लिए खाद् बीज वितरण की सरकार की क्या कार्ययोजना है? **(ग)** क्या बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-2022 से वर्ष 2023-24 तक नकली खाद् बीज बेचने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हाँ, तो क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) खरीफ 2024 में की फसलों के लिए आंकलित मांग अनुसार सहकारी समितियों में उर्वरक का भण्डारण छ. ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) तथा बीज का भण्डारण छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. द्वारा किया जा रहा है। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में 34 सहकारी समितियों में उर्वरक एवं बीज तथा 190 निजी विक्रय केन्द्रों से शासकीय मूल्य पर रासायनिक उर्वरक का वितरण किया जा रहा है । प्रश्नांकित अवधि में उर्वरक एवं बीज विक्रय संस्थाओं में पायी गई अनियमितता एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"अ, प्रपत्र- "ब" एवं प्रपत्र-"स" अनुसार है**। **(ख)** किसानों के लिए उर्वरक एवं बीज वितरण हेतु जिलों की आंकलित मांग अनुसार सहकारी समितियों में विपणन संघ (मार्कफेड) के माध्यम से उर्वरक का भंडारण तथा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लि. द्वारा बीज का भण्डारण किया जा रहा है । **(ग)** जी हाँ, बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक नकली उर्वरक बेचने संबंधी प्राप्त 02 शिकायतों के विरूद्ध थाना बेमेतरा एवं बेरला में एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयी है । नकली बीज बेचने के सम्बन्ध में कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।
[संलग्न "परिशिष्ट - बाईस"]

बीज विकास निगम द्वारा उर्वरक, बीज एवं पेस्टिसाईड खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

13. (क्र. 582) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में बीज विकास निगम द्वारा वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 व वर्तमान वर्ष में जून, 2024 तक क्या उर्वरक, बीज, संकर (बीज) हाईब्रीड, पेस्टीसाईड, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट, बायो फर्टिलाइजर एवं अन्य कृषि संबंधित सामग्री क्रय की गयी है? यदि हां, तो किस क्रय प्रक्रिया के तहत कितनी फर्मों से क्रय किया गया एवं उनको कितनी राशि का भुगतान किया गया है? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** क्या क्रय सामग्री का अधिसूचित प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण कराया गया? यदि हां, तो कौन-कौन सी सामग्री गुणवत्तायुक्त, मानक अनुरूप पाए गए हैं? प्राप्त रिपोर्ट की जानकारी वर्षवार, सामग्रीवार उपलब्ध करावें? **(ग)** उपरोक्त में से कौन-कौन सी सामग्री का क्रय पश्चात् गुणवत्ता परीक्षण अधिसूचित प्रयोगशाला से नहीं कराया गया? सामग्रीवार जानकारी देवें? उक्त अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर की कितनी एजेंसियों/फर्मो से सामग्री क्रय की गयी है? **(घ)** उपरोक्त अवधि में प्राप्त/वितरित सामग्री में गुणवत्ता एवं अपात्र लोगों को वितरण करने संबंधी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई अथवा विभाग के संज्ञान में आई? क्या उस पर जांच कराई गई? जांच उपरांत क्या किसी प्रकार कार्यवाही की गई है?वर्षवार प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जांजगीर-चांपा जिलें में मांग अनुसार प्रमाणित बीजों की आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने हेतु वर्ष 2021-22, 2022-23 2023-24 व वर्तमान वर्ष में जून 2024 तक क्रय किये गये प्रमाणित बीज की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''अ'' अनुसार है।** छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा कृषि विभाग से प्राप्त मांग अनुसार बीजों की आपूर्ति किये जाने हेतु बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणीकृत टैग्ड एवं पैक्ड प्रमाणित बीजों को ही क्रय किया गया है। विभाग के आदेश पत्र क्र. 5467/एफ-04-09/ बीनि/ 2011/ 14-2 दिनांक 20.12.2011 के द्वारा छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति हेतु 1. भारत सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रम, 2. राज्य सरकार के बीज उत्पादन करने वाले उपक्रम, 3. नाफेड, 4. मध्य प्रदेश बीज महासंघ की समितियों, 5. प्रदेश में बीज उत्पादन करने वाले बीज उत्पादक सहकारी समितियों से सीधे दर बुलाकर

प्रमाणित बीज क्रय करने के लिये भण्डार क्रय नियम -2002 के नियम 4 में निविदा आमंत्रित करने बाबत् शर्तो से छूट प्रदान की गई है। उपरोक्त प्रक्रिया के तहत प्रमाणित बीज क्रय किया गया है। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा चैम्प्स प्रणाली में कृषि यंत्र/उपकरण/सामाग्री की खरीदी नहीं की जाती है। अपितु चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के प्रावधान के अनुरूप कृषक द्वारा कृषक अंश की राशि जमा किये जाने के उपरांत अनुदान पर सामाग्री प्रदान की जाती है। इस प्रणाली में कृषक द्वारा अपने पंजीकृत प्रदायकों से मोलभाव कर सामाग्री क्रय किये जाने का प्रावधान है। जांजगीर-चांपा जिलें में वर्ष 2021-22, 2022-23 2023-24 व वर्तमान वर्ष में जून 2024 तक कृषकों को प्रदायित्त कृषि यंत्र, उपकरणों की वर्षवार, योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ''ब'' अनुसार है।** जॉजगीर -चांपा जिले में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (एग्रो शाखा) द्वारा वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 व वर्तमान वर्ष में जून 2024 तक उर्वरक बीज संकर (बीज) हाईब्रीड, पेस्टीसाइड, माइक्रोन्यूट्रिएंट, बायो फर्टिलाइजर एवं अन्य कृषि संबंधित सामग्री का क्रय की जानकारी एवं फर्म को किये गये भुगतान की वर्षवार, फर्मवार, सामग्रीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार है। (ख)** प्रश्नांक ''क'' की अवधि में संचालनालय कृषि द्वारा में क्रय की गई सामग्री यथा प्रमाणित बीज, पेस्टीसाईड, माइक्रोन्यूट्रिएन्ट, बायो फर्टिलाइजर का अधिसूचित प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण कराया गया। प्रदेश में संकर बीजो की गुणवत्ता परीक्षण हेतु कोई प्रयोगशाला अधिसूचित नहीं होने के कारण डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एण्ड बायो-टेक्नोलॉजी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में नमूना परीक्षण कराया गया है। गुणवत्ता परीक्षण में सभी नमूने मानक स्तर के पाये गये है। वर्षवार-सामग्रीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-द अनुसार है।** संचालनालय उद्यानिकी द्वारा क्रय की गई सामग्री का गुणवत्ता परीक्षण नहीं कराया गया है। **(ग)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार क्रय सामग्रियो में से गुणवत्ता परीक्षण हेतु यादृच्छिक रुप से लिये गये नमूनो में से संकर मक्का बीज का परीक्षण प्रश्नांश ''ख'' में दर्शाये गये कारण से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला से कराया गया है। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. के जिला कार्यालय जॉजगीर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के एजेंसी/फर्म से क्रय किये गये सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'इ' अनुसार है।** संचालनालय उद्यानिकी द्वारा राज्य की बाहरी संस्था भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपण संघ मर्या. (नाफेड), इंदौर, मध्य प्रदेश से क्रय सामग्री की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ई' अनुसार है। (घ)** प्रश्नांश ''क'' की अवधि में क्रय एवं वितरित सामग्री की गुणवत्ता एवं अपात्र लोगों को वितरण करने संबंधी कोई शिकायत संज्ञान में नही आई है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत केमिकल खरीदी में भंडार क्रय नियम का उल्लंघन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

14. (क्र. 673) श्री राजेश मूणत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या सत्य है कि दिनांक 19.2.2024 को अतारांकित प्रश्नोत्तर 42 (क्र. 1750) के उत्तर में विभाग ने यह स्वीकार किया था कि वर्ष 2021 से वर्ष 2023 में कृषि विभाग के स्वायल हेल्थ कार्ड योजनांतर्गत केमिकल खरीदी में भंडार क्रय नियम का उल्लघंन संबंधी प्रकरण की प्रारंभिक जांच में 7 अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है? यदि हां, तो इन अधिकारियों के विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? **(ख)** यदि प्रश्नांक ''क'' में प्रथम दृष्टतया दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं करने हेतु कौन जिम्मेदार है? भंडार क्रय नियम के उल्लघंन संबंधी इस प्रकरण में दोषी अधिकारी गणों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज क्यो नहीं की गई? **(ग)** वर्ष 2021 से वर्ष 2023 में सीवीड/हयुमिक/एमिनों एसिड की निरर्थक खरीदी की जांच नहीं करने का क्या कारण है? **(घ)** भविष्य में स्वायल हेल्थ कार्ड का दुरूपयोग कृषि विभाग के जिलाधिकारी नहीं कर पायें, इसे रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या योजना बनाई गई है/जा रही है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ। प्रारंभिक जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध छ.ग. शासन कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के पत्र क्र एफ-01/27/वि.स.-771/2021 दिनांक 21.06.2024 द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर 15 दिवस के भीतर प्रतिवाद उत्तर चाहा गया है। उक्त अधिकारियों में से 01 अधिकारी (श्री जे.एस. काकोरिया, तत्कालीन उप संचालक कृषि बिलासपुर) के दिनांक 24.05.2021 को मृत्यु हो चुकी है। **(ख)** प्रश्नांक 'क' में प्रथम दृष्टया

दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। **(ग)** वर्ष 2021 से वर्ष 2023 में सी-वीड/ह्यूमिक/एमिनो एसिड की निरर्थक खरीदी का कोई प्रकरण संज्ञान में नही आया है, अतः शेष जानकारी निंरक है। **(घ)** भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध छ.ग. शासन सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही योजनांतर्गत भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप योजना के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत डी.एम.एफ मद से कृषि उपकरणों की खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

15. (क्र. 683) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2022-2023 से जून, 2024 तक सिहावा विधानसभा क्षेत्र के कृषकों को किट/कृषि उपकरणों का क्रय वितरण किये जाने हेतु कितनी राशि प्राप्त हुई थी तथा कितने कृषकों को वितरण किया गया? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार कृषि यंत्रों के क्रय करने हेतु आबंटित राशि से कितनी-कितनी मात्रा में कृषि यंत्र क्रय किये गए? विकासखण्डवार विवरण प्रदाय करें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' अनुसार सामग्री वितरण में क्या कोई शिकायत प्राप्त हुई या कोई शिकायत विभाग के संज्ञान में आयी थी? यदि हां, तो शिकायत में किसे दोषी पाया गया तथा क्या कार्यवाही की गयी? कृपया अवगत करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विभाग द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार नहीं अपितु विकासखंडवार जानकारी संधारित की जाती है। सिहावा विधानसभा क्षेत्र से संबद्ध विकासखंड मगरलोड एवं नगरी अंतर्गत डी.एम.एफ. मद में वर्ष 2022 से जून, 2024 तक **कृषकों** को किट/कृषि यंत्र एवं **उपकरणों** के वितरण हेतु स्वीकृति अथवा राशि प्राप्त नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत अति विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या व विकास हेतु राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

16. (क्र. 690) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी अति विशेष पिछड़ी जनजाति हैं ग्रामवार जानकारी देवे? अंतिम बार उनकी जन गणना कब हुई थी? **(ख)** उपरोक्त विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास एवं उत्थान के लिए विगत 02 वर्षो में कितनी राशि स्वीकृत की गई है? क्या-क्या कार्य कराए गए हैं? ग्रामवार जानकारी देवें? **(ग)** कितने विशेष पिछड़ी जनजाति के लोगो को रोजगार प्रदान किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में विशेष रूप से कमजोर जनजाति बिरहोर निवासरत है, जिसकी ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015-16 में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर के माध्यम से आधारभूत सर्वेक्षण कराया गया था। **(ख)** विगत 02 वर्षो में कुल राशि रूपये 376.90 लाख स्वीकृत की गई है। कार्यवार एवं ग्रामवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुंसार है। **(ग)** बिरहोर जनजाति के कुल 52 व्यक्तियों को शासकीय सेवा अंतर्गत रोजगार प्रदान किया गया है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तेईस"]

रायगढ़ जिला अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा सामग्री क्रय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

17. (क्र. 691) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत वर्ष 2022 से जून, 2024 तक कृषि विभाग द्वारा क्या-क्या

सामग्री/उपकरण किस-किस प्रयोजन हेतु किन-किन एजेंसियों से कितनी-कितनी दर पर क्रय किए गए हैं, जानकारी देवें? **(ख)** कितने किसानों को किस-किस योजना अन्तर्गत क्या-क्या सामग्री का वितरण की गयी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला-रायगढ़ में वर्ष 2022 से जून, 2024 तक संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत संचालित योजनाओं के तहत विभिन्न एजेंसियों से क्रय किये गये सामग्री/उपकरण, क्रय का प्रयोजन एवं सामग्रीवार क्रय दर की वर्षवार **जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार क्रय सामग्री के वितरण से लाभान्वित कृषकों की वर्षवार योजनावार एवं सामग्रीवार **जानकारी क्रमशः पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब' अनुसार है।**

विधानसभा क्षेत्र आरंग स्थित उद्योगों को पर्यावरण विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमति

[आवास एवं पर्यावरण]

18. (क्र. 703) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र आरंग अतंर्गत संचालित उद्योग मीवान स्टील लिमिटेड़, कुरूद मंदिर-हसौद, जिला रायपुर, जिदंल स्टील पावर प्लांट, नूतन स्टील प्लांट, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम एवं गैस प्लांट, इंडियन आयल एवं गैस प्लांट, कृष्णा कोल्ड स्टोरेज जैसे उघोग संचालित हैं, जिनकी पर्यावरण प्रदूषण कि अनुमति कब-से कब तक है? उक्त संस्थानों/उद्योगों के रख रखाव के संबंध में शासन द्वारा क्या-क्या नियमावली जारी की गयी हैं? **(ख)** संचालित उद्योगों के द्वारा राज्य/केन्द्र सरकार को वर्ष 2022 से जून, 2024 तक कब-कब एस0आर0 मद के लिए राशि दी गयी हैं? **(ग)** संचालित उद्योगों में पर्याप्त पार्किग सुविधा नहीं होने के संबंध में विभाग द्वारा प्रश्नांश ''ख'' अवधि में कब-कब निरीक्षण किया गया है, क्या-क्या कमी पाई गई, तथा क्या -क्या कार्यवाही की गयी? **(घ)** संचालित उद्योंगों का प्रश्नांश ''ख'' अवधि में कब-कब निरीक्षण किस-स्तर के अधिकारियों के द्वारा किया गया है तथा क्या कार्यवाही की गयी हैं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) प्रश्नाधीन उद्योगों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जारी सम्मति की वर्तमान वैधता की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-'अ' अनुसार** है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों को जारी जल एवं वायु सम्मति में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का सतत् संचालन, प्रदूषकों का उत्सर्जन निर्धारित मानक सीमा तक सीमित रखने, ठोस अपशिष्टों का समुचित अपवहन एवं निपटान तथा वृक्षारोपण आदि की शर्त अधिरोपित की जाती हैं।**(ख)** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यालय जिला पंचायत रायपुर से प्राप्त जानकारी अनुसार संचालित उद्योगों के द्वारा जिला पंचायत रायपुर को वर्ष 2022 से जून 2024 तक सी.एस.आर.में प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार हैं :- वर्ष 2023 मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, मंदिर हसौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर, राशि रूपये 5.00 लाख, प्राप्ति दिनांक 08.12.2023 ।**(ग)** विभाग द्वारा पार्किंग सुविधा से सबंधित निरीक्षण नहीं किया जाता है। कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार कारखाने के बाहर मुख्य सड़क या चालू मार्ग में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने से अन्य वाहनों के आवागमन में असुविधा होने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जाती है। वर्ष 2024 में जनवरी से जून 2024 तक मंदिर हसौद चैक के आसपास मुख्य हाइवे मार्ग के किनारे स्थित संस्थानों के सामने अवैध पार्किंग में खड़े 161 वाहनों में कार्यवाही की गई है।**(घ)जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौबीस"]

उद्यानिकी विभाग द्वारा सामग्रियों एवं मशीनरी का क्रय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

19. (क्र. 705) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत

उद्यानिकी विभाग द्वारा स्वयं एजेंसी बनकर किन-किन सामग्रियों एवं मशीनरी का क्रय किया गया? खरीदी गई सामग्री एवं मशीनरी को क्रय करने के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई गई? **(ख)** क्या रीपा अंतर्गत स्थापित की गई मशीनों की खरीदी उद्यानिकी विभाग द्वारा एजेंसी बनकर की गई है? यदि हां, तो उक्त मशीनों की खरीदी का भुगतान कितना किया गया? स्थापित की गई मशीनों से क्या-क्या उत्पादन किया जा रहा है? खरीदी उपरांत उत्पादित सामग्री का नाम, विक्रय की गई एजेंसी का नाम एवं विक्रय से प्राप्त राशि की जानकारी विकासखंडवार देवें? विक्रय से प्राप्त राशि का उपयोग किस प्रयोजन हेतु किया जा रहा है, विवरण वर्षवार देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान गण्डई अंतर्गत उद्यानिकी विभाग द्वारा स्वयं एजेंसी बनकर उद्यानिकी टूल किट एवं महिला स्व सहायता समूह को सहायता प्रदान करने के लिए पल्वराइजर मशीन की सहायक सामग्री इलेक्ट्रानिक वेट मशीन, आटोमेटिक सीलिंग मशीन एवं फुड पैकेजिंग मटेरियल की खरीदी की गई है। खरीदी गई सामग्री एवं मशीनरी को क्रय करने के लिए भाव पत्रक एवं निविदा आमंत्रित कर दर का निर्धारण किया गया है। क्रय की गई सामग्री की जिलावार, वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
(ख) जी नहीं, अतः शेष जानकारी निरंक है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चीस"]

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के ग्रामों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में शामिल किया जाना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

20. (क्र. 715) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकारण में ग्रामों को शामिल किये जाने के क्या प्रावधान हैं? क्या मुंगेली विधानसभाक्षेत्र में वि.ख.मुंगेली के 26 एवं विकासखण्ड पथरिया के 11,इस प्रकार कुल-37 ग्रामों को मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में शामिल किये जाने हेतु कलेक्टर मुंगेली के प्रस्ताव पर आयुक्त रायपुर सह सचिव मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन उपरांत राज्य शासन को प्रेषित किया गया हैं? यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक उक्त ग्रामों को शामिल किये जाने हेतु क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : बस्तर तथा सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण में सम्मिलित क्षेत्र को छोड़कर शेष आदिवासी उपयोजना क्षेत्र (यथा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र, माडा पाकेट, लघु अंचल) के ग्रामों एवं अनुसूचित क्षेत्र से भिन्न अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ग्राम/बस्तियों के मजरा, टोला, पारा, मोहल्ला एवं नगरीय क्षेत्र के वार्ड में स्थित पारा-मोहल्ला जहां अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हों सम्मिलित करने का प्रावधान है। जी हॉ, कलेक्टर मुंगेली द्वारा 25 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जनजाति वाले 37 ग्रामों का नाम प्रस्तावित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की अधिसूचना क्र./एफ 4-6/2024/एक/6 दिनांक 24.06.2024 द्वारा मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का पुर्नगठन किया गया, जिसमें प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में उक्त ग्राम भी सम्मिलित हैं।

विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के किसानों को खाद बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

21. (क्र. 716) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र मुंगेली के कृषकों द्वारा वर्ष 2021-2022 से जून,2024 तक कौन कौन से एवं कितनी-कितनी मात्रा में रसायनिक खाद, उर्वरक एवं बीज की मांग के विरुध्द कितनी-कितनी मात्रा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुई? उनमें से निजी संस्थाओं एवं सरकारी संस्थाओं को किस अनुपात में देने का प्रावधान है? किस अनुपात में कितनी कितनी मात्रा में किस दर पर निजी संस्थाओं को उपलब्ध कराया गया? इन निजी संस्थाओं द्वारा किसानों को कितने मूल्यों पर विक्रय किया गया? जानकारी वर्षवार अलग अलग बतावें? (ख.)

प्रश्नांक ''क'' किसानों की मांग के अनुरुप कितनी कितनी मात्रा में रसायनिक खाद्/उर्वरक व बीज की कमी आयी एवं सहकारी संस्था को वितरण की गयी? रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज को किसानों को किस-किस दरों पर विक्रय किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) एवं **(ख)** की **जानकारी संकलित की जा रही है।**

<u>विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर के आदिवासी छात्रावास/आश्रम में आहता निर्माण एवं अन्य सुविधाएं</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

22. (क्र. 722) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अंतर्गत कितने आदिवासी छात्रावास/आश्रम आहता विहिन हैं ? **(ख)** आहता-विहिन आदिवासी छात्रावास/आश्रम में आहता निर्माण की स्वीकृति कब तक की जावेगी ? कृपया समय-सीमा बताने का कष्ट करें। **(ग)** आदिवासी छात्रावास/आश्रम में बच्चों के लिए सभी पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, की नहीं ? यदि नहीं तो क्या-क्या सुविधाएं वर्तमान में उपलब्ध नहीं हैं, कृपया जानकारी देने का कष्ट करें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 17 छात्रावास एवं 01 आश्रम अहाता विहीन है। **(ख)** समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। **(ग)** जी हां। समस्त छात्रावास/आश्रम में विद्युत, पेयजल, किचन, शौचालय, पलंग, गद्दा, कंबल, चादर, मच्छरदानी, बर्तन सामग्री इत्यादि की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं।

<u>मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में लंबित बोनस भुगतान</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

23. (क्र. 743) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-2022 से जून, 2024 तक कितने पंजीकृत किसानों द्वारा कितने रकबा में कितना धान बेचा गया एवं उपरोक्त किसानों को कितनी राशि का बोनस प्रदान किया गया? **(ख)** ऐसे कितने किसानों की कितनी राशी का भुगतान लंबित है और लंबित होने के कारण क्या है? **(ग)** भुगतान हेतु लंबित किसानों को शीघ्र भुगतान हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं और कब तक भुगतान पूर्ण कर लिया जाएगा? विकासखण्डवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र के विकासखण्ड पथरिया एवं मुंगेली में वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान एवं धान बीज विक्रय करने हेतु पंजीकृत किसान, धान बेचने वाले किसानो की संख्या, रकबा एवं मात्रा तथा किसानो को प्रदाय की गई आदान सहायता राशि की वर्षवार, विकासखण्ड़वार, संस्थावार **जानकारी प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश ''क'' के परिपेक्ष्य में वर्ष 2023-24 के 01 किसान का बैंक खाता अक्रियाशील होने एवं 02 किसानो का भुगतान फाईल तैयार नहीं होने के कारण आदान सहायता राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में किसी भी किसान को आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाना शेष नहीं है। **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' अनुसार किसानों के बैंक खाते में आवश्यक सुधार कराकर आदान सहायता राशि भुगतान करने संबंधी कार्यवाही की जा रही है। भुगतान पूर्ण होने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। विकासखण्ड़वार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - छब्बीस"]

जिला बालोद में डी.ए.पी. व यूरिया खाद का स्टॉक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

24. (क्र. 746) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** दिनांक 30 जून, 2024 की स्थिति में बालोद जिले में कुल कितना डी.ए.पी. व यूरिया खाद की क्लोजिंग स्टॉक शेष था, विकासखंडवार जानकारी देवें? यदि क्लोजिंग स्टॉक शेष था तो डी.ए.पी. व यूरिया की कमी का क्या कारण था? **(ख)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से जून, 2024 तक जिले में डी.ए.पी. व यूरिया खाद खपत की वित्तीय वर्ष व विधानसभावार जानकारी देवें? **(ग)** क्या इस वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले अधिक डी.ए.पी. व यूरिया खाद की आवश्यकता बनी है? प्रश्नांकित अवधि में केंद्र द्वारा कितना कितना डी.ए.पी. व यूरिया खाद कब कब उपलब्ध कराया गया है? समयवार व मात्रावार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला बालोद में दिनांक 01.04.2024 से 30.06.2024 (खरीफ मौसम में) तक कृषकों द्वारा क्रय (उठाव) उपरांत निजी व सहकारी क्षेत्र में डीएपी का कुल 369 मे.टन एवं यूरिया का कुल 6182.645 मे.टन स्कंध शेष था **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है। उक्त अवधि में इन उर्वरकों की कमी नहीं थी।**(ख)** वित्तीय वर्ष 2023-24 से जून 2024 तक (01.04.2023 से 30.06.2024 तक) जिला बालोद में डी.ए.पी. एवं यूरिया वितरण की वित्तीय वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' एवं 'स' अनुसार है।(ग)** उर्वरक खपत की तुलना वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ही संभव है, अतः वर्तमान मे तुलनात्मक जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। प्रश्नांकित अवधि में केन्द्र द्वारा प्रदाय डीएपी एवं यूरिया उर्वरक की **जानकारी प्रपत्र 'द' अनुसार है।**

[संलग्न "परिशिष्ट - सत्ताईस"]

जिला-महासमुंद अंतर्गत जैविक खेती मिशन हेतु चयनित ग्राम व प्रदत्त अनुदान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

25. (क्र. 755) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-महासमुंद में जैविक खेती मिशन के चयनित ग्राम-कौन-कौन से हैं? **(ख)** प्रशनांश 'क' के तहत महासमुंद जिले में उक्त योजना में 30-06-2024 की अवधि तक प्रदत्त अनुदान व सामान की राशि मदवार, विकासखंडवार बतायें । **(ग)** क्या महासमुंद जिले में कृषको को उक्त योजना में पावर स्प्रेयर क्रय करने हेतु निर्देशित किया गया है, यदि हाँ, तो क्या कारण है? यदि नहीं, तो इसकी कितनी शिकायत प्राप्त हुई? उन पर क्या कार्यवाही हुई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला-महासमुंद के विकासखण्ड बागबाहरा में जैविक खेती मिशन का संचालन वर्ष 2015-16 से प्रारंभ हुआ है। वर्ष 2015-16 से वर्ष 2024-25 में जून 2024 तक जैविक खेती हेतु चयनित ग्रामों की वर्षवार एवं विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' की अवधि में जैविक खेती मिशन हेतु चयनित कृषको को प्रदायित अनुदान एवं सामग्री में व्यय की गई राशि का वर्षवार, मदवार एवं विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ग)** जी नहीं। जिला महासमुंद में कृषकों को जैविक खेती मिशन में पावर स्प्रेयर क्रय करने हेतु निर्देशित नही किया गया है। उप संचालक कृषि, जिला-महासमुन्द द्वारा जैविक फसल प्रदर्शन अंतर्गत बैटरी कम हैण्ड आपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर के भण्डारण हेतु छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को क्रय आदेश जारी करने संबंधी जानकारी प्राप्त होने पर उप संचालक कृषि, जिला-महासमुन्द के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अट्ठाईस"]

जिला-बालोद अंतर्गत कृषि विभाग के अंतर्गत संचालित योजनायें एवं लाभान्वित हितग्राही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

26. (क्र. 763) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** कृषि विभाग के अंतर्गत बालोद जिले में केन्द्र एवं राज्य सरकार की कौन-कौन सी योजनाएँ

संचालित हैं? **(ख)** विगत 03 वर्षों में कृषि विभाग जिला बालोद को किन-किन योजनाओं/मदों में कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई है एवं प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन योजनाओं/मदों में कितना-कितना किया गया है? वर्षवार, योजनावार/मदवार जानकारी देवें। **(ग)** विगत 03 वर्षों में बालोद जिले के कितने हितग्राहियों/किसानों को विभाग की किन-किन योजनाओं से लाभान्वित किया गया है? जानकारी देवें।
आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला बालोद में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- अ अनुसार** है। **(ख)** जिला बालोद में विगत 3वर्षों में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं अंतर्गत प्राप्त राशि एवं व्यय की योजनावार,वर्षवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र- "ब" एवं प्रपत्र-"स" अनुसार** है। **(ग)** विगत 3 वर्षों में बालोद जिले के लाभान्वित हितग्राहियों/किसानों की योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-"ब" एवं प्रपत्र-"स" अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्तीस"]

बीजापुर जिले में संचालित आश्रम/छात्रावास हेतु क्रय सामग्री

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

27. (क्र. 766) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बीजापुर अंतर्गत वर्ष 2022 से जून, 2024 तक छात्रावास/आश्रमों के लिए क्या क्या सामग्रियाँ किस-किस मद से, कब-कब, किस-किस फर्म से किस-किस दर पर क्रय की गई? फर्मो को किए गए भुगतान की जानकारी फर्मवार, सामग्रीवार, विकासखण्डवार वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार क्या सामग्री क्रय में भण्डार क्रय नियम का पालन किया गया है? यदि नहीं तो कारण सहित बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। जिले के विकासखंडों में संचालित छात्रावास/आश्रमों हेतु सामग्री का क्रय जिले से एक साथ किया गया है। **(ख)** जी हां। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तीस"]

बीज निगम द्वारा सामग्रियों का क्रय एवं वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

28. (क्र. 767) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बीज विकास निगम द्वारा वर्ष 2021-22 से 2023-24 की अवधि में उर्वरक, बीज, संकर बीज (हाईब्रीड), पेस्टीसाईड, माईक्रो न्यूट्रीयेन्ट, बायो फर्टिलाईजर क्रय किस प्रक्रिया के अंर्तगत कितनी मात्रा एवं राशि का किया गया ? क्या क्रय की गई सामग्रियों की नोटीफाईड (अधिसूचित) प्रयोगशाला में गुणवत्ता परीक्षण की शर्त रखी गई थी? वर्षवार, जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार किन-किन सामग्रियों के क्रय पश्चात गुणवत्ता परीक्षण नोटीफाईड (अधिसूचित) प्रयोगशाला से नहीं कराया गया है? वर्षवार, सामग्रीवार जानकारी देवें? इन सामग्रियों के लिए कितनी फर्मों को, कितनी राशि का भुगतान किया गया है? वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** क्रय की गई सामग्रियों का वितरण या विक्रय कितने हितग्राहियों को किया गया ? निःशुल्क, वितरण की दशा में कितने हितग्राहियों को किया गया ? **(घ)** विभाग की क्रय प्रक्रिया के विरूद्ध प्राप्त सामग्री से संबंधित फर्मों को बिल भुगतान के लिए किन-किन अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क), (ख), (ग) एवं **(घ) जानकारी संकलित की जा रही है।**

बेलतरा वि.स. क्षेत्र में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियों का नगरीय निकाय को हस्तांतरण

[आवास एवं पर्यावरण]

29. (क्र. 780) श्री सुशांत शुक्ला : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड द्वारा कितनी आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया गया है ? क्या इन

कॉलोनियों को नगरीय निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया है ? यदि हाँ तो किन-किन कालोनी को कब-कब ? **(ख)** क्या प्रश्नांश "क" के हस्तांतरित कॉलोनियों मूलभूत अधोसंरचना का कार्य, जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा सम्पादित किया जाना था, को पूर्ण करने के पश्चात नगर निगम को हस्तांतरित किया गया ? यदि नहीं तो क्या इन कार्यों को नगर निगम द्वारा पूर्ण करने की सहमति प्रदान की गई ? **(ग)** क्या प्रश्नांश "ख" के मूलभूत अधोसंरचना के कार्य वर्तमान में पूर्ण कर लिये गये हैं ? यदि नहीं तो इस हेतु किसकी जिम्मेदारी है तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा 05 आवासीय कॉलोनियों का निर्माण किया गया है। जी, हां। हस्तांतरित कॉलोनियों का हस्तांतरित दिनांक निम्नानुसार है:-(1) दीनदयाल आवास योजना मंगला-दिनांक 08.03.2021(2) कुशाभाऊ ठाकरे आवास योजना मंगला-दिनांक 08.03.2021 (3) अटल विहार योजना चिल्हाटी-दिनांक 08.03.2021 (4) दीनदयाल आवास योजना बहतराई-दिनांक 08.08.2022 (5) सामान्य आवास योजना खमतराई-दिनांक 08.08.2022 **(ख)** जी, हां। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)** जी, हां। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

जिला जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले में कृषि व उद्यानकी विभाग द्वारा कृषि उपकरण की खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

30. (क्र. 787) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** ज़िला जाँजगीर-चाँपा व सक्ती जिले मे कृषि व उद्यानिकी विभाग द्वारा वर्ष 2020-21 से 30/06/2024 तक बीज, ईसपेयर व धान कुटनी मशीन, ग्रास कटर मशीन, छोटा ट्रेक्टर एवं अन्य सामग्री की कब-कब निविदा निकाली गई? इनमें किन-किन मशीनों की कितनी राशि की खरीदी कोटेशन के आधार पर, की गई? **(ख)** प्रश्न "क" के तहत कितने किसानों को बीज, मशीनें व अन्य सामग्री को वरिष्ट कृषि विकास अधिकारी को विकासखण्डवार कितनी-कितनी मात्रा में भेजा गया और कितने किसानों को वितरण किया गया? फर्म द्वारा खरीदी गई बीज, मशीनें व अन्य सामग्री की अनियिमतता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? कितने में कार्यवाही हुई, अवगत करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में संचालनालय कृषि अंतर्गत कार्यालय उप संचालक कृषि द्वारा वर्ष 2020-21 से 30.06.2024 तक बीज, स्प्रेयर, धान कुट्टी मशीन, ब्रास कटर एवं छोटा ट्रैक्टर के क्रय हेतु कोई निविदा प्रकाशित नही की गई है अपितु रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजनांतर्गत वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में सीमित निविदा (कोटेशन) के माध्यम से क्रय किये गये अन्य सामाग्रियो की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। जिला सक्ती के गठन उपरांत दिनांक 01.04.2022 से 30.06.2024 तक कार्यालय उप संचालक कृषि द्वारा बीज, स्प्रेयर, धान कुट्टी मशीन, ब्रास कटर, छोटा ट्रैक्टर एवं अन्य सामाग्रियों के क्रय हेतु कोई निविदा निकाले जाने की जानकारी निरंक है। जिला-जांजगीर-चांपा व सक्ती जिले में संचालनालय उद्यानिकी द्वारा वर्ष 2020-21 से 30.06.2024 तक बीज, स्प्रेयर व धान कुटनी मशीन, ग्रास कटर मशीन, छोटा ट्रैक्टर एवं अन्य सामग्री का निविदा/कोटेशन के आधार पर किसी भी सामग्री की खरीदी नहीं की गई है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार जिला जांजगीर-चाम्पा मेसंचालनालय कृषि द्वारा रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट योजनांतर्गत सीमित निविदा (कोटेशन) के माध्यम से क्रय सामाग्रियों की सम्बंधित विकासखण्डों में भेजी गई मात्रा/संख्या एवं लाभान्वित किसानों की संख्या की जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। उक्त समाग्रियों के क्रय में अनियमितता के सम्बंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष जानकारी निरंक है। प्रश्नांश ''क'' अनुसार संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तीस"]

जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिले में सामग्री क्रय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

31. (क्र. 788) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)**जिला जांजगीर-चांपा एवं सक्ती जिले में विभाग द्वारा वर्ष 2021-22 से 30/06/2024 तक किन -किन फर्मों से किन-किन संस्थानों के लिए क्या-क्या सामग्री का क्रय किया गया है? विस्तृत जानकारी देवें ? (ख) प्रश्न "क" अनुसार आदिवासी विभाग द्वारा किन- किन संस्था व NGO द्वारा प्रशिक्षण सामग्री की आपूर्ति कहां-कहां की गयी है ? विस्तृत जानकारी देवें ? **(ग)** प्रश्न "क" "ख"अनुसार यदि NGO द्वारा प्रशिक्षण दिया गया तो प्रशिक्षण देने हेतु NGO का चयन किस मापदंड के आधार पर किया गया? **(घ)** प्रश्न "क" "ख" एवं "ग" अनुसार विभाग द्वारा किस-किस विभाग में प्रशिक्षण हेतु राशि आबंटित की गयी एवं प्रशिक्षण का क्रियन्वयन किससे और कहां-कहां प्रशिक्षण कराया गया? विस्तृत जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार क्रय की गयी प्रशिक्षण सामग्री की आपूर्ति किसी संस्था के एन.जी.ओ. द्वारा नहीं की गई है। **(ग)** प्रश्नांक ''ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** प्रश्नांश ''क'', ''ख'' एवं ''ग'' अनुसार विभाग अंतर्गत किसी विभाग को प्रशिक्षण हेतु राशि आंबटित नहीं की गयी, न ही प्रशिक्षण का क्रियान्वयन कराया गया।

[संलग्न "परिशिष्ट - बत्तीस"]

फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

32. (क्र. 795) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कितने मामलों में जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है? कितने मामलों में जांच प्रक्रिया प्रचलन में है? कितनी शिकायतों में जांच प्रारंभ नहीं की गई है? क्यों नहीं की गई है? विभागवार नाम, पदनाम सहित जानकारी देवें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार जिन शिकायतों के विरूद्ध जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है उन्हें पदमुक्त करने एवं शासन के विरूद्ध धोखाधड़ी करने का F.I.R क्यो नहीं दर्ज कराया जा रहा है? कारण सहित समस्त जानकारी देवे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर शासन के विभिन्न विभागों में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध 452 मामलों में जांच प्रक्रिया प्रचलन पूर्ण कर ली गई है। 72 मामलों में जांच प्रक्रिया प्रचलन में है। ऐसी कोई शिकायत नहीं है, जिसमें जांच प्रारंभ नहीं की गई है। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के अनुसार जिन शिकायतों के विरुद्ध जांच प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है उन्हें पदमुक्त करने एवं शासन नियमानुसार एफ.आई.आर. दर्ज कराने सहित वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश छानबीन समिति द्वारा संबधित नियोक्ता विभाग को दिए गए है। जिसके तारतम्य में विभागों द्वारा प्रकरणों में **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** में दर्शित अनुसार कार्यवाही की गई है।

फर्जी जाति प्रमाण के आधार पर नौकरी करने वाले शासकीय सेवकों पर कार्यवाही

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

33. (क्र. 803) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- प्रदेश के कितने शासकीय सेवकों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये हैं ? उपरोक्त शासकीय सेवकों के खिलाफ अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है ? शासकीय सेवक का नाम, कार्यरत विभाग का नाम सहित जानकारी, विभागवार बताएं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत 230 शासकीय सेवकों

के जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये है। उपरोक्त शासकीय सेवकों के खिलाफ की गई कार्यवाही, नाम, विभाग का नाम सहित विभागवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है।

जिला महासमुंद में पर्यावरण प्रदूषण की शिकायतों पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

34. (क्र. 804) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुंद जिले के किन-किन संयंत्रों के खिलाफ वर्ष 2021 से लेकर दिनांक 30/06/24 तक पर्यावरण प्रदूषण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ? प्राप्त शिकायतों के खिलाफ क्या-क्या कार्रवाई की गई है ? संयंत्र के नाम, की गई कार्रवाई की जानकारी विकासखण्डवार बताएं ? **(ख)** पर्यावरण प्रदूषण रोकने हेतु विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ? विस्तार से जानकारी दें ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**(ख)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों से प्रदूषण रोकने हेतु उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना, उनका सतत् संचालन, प्रदूषकों का स्तर निर्धारित मानक सीमा के अनुरूप रखा जाना, वृक्षारोपण, ठोस अपशिष्टों का अपवहन एवं निपटान नियमानुसार कराया जाना सुनिश्चित किया जाता हैं। ताप विद्युत संयंत्र, स्पंज आयरन संयंत्र की चिमनियों में उत्सर्जन के सतत परिमापन के लिये आनलाईन कंटीन्यूअस एमीशन मानिटरिंग सिस्टम स्थापित कराया गया है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा उद्योगों का समय-समय पर निरीक्षण कर निगरानी रखी जाती है। उद्योगों के निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् नोटिस, उत्पादन बंद/विद्युत विच्छेदन के निर्देश जारी किये जाते है तथा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही की जाती है। इन उद्योगों द्वारा की गई समाधानात्मक कार्यवाहियों का पुनः परीक्षण कर तदानुसार अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तैंतीस"]

छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, में प्रबंध संचालक की नियुक्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

35. (क्र. 807) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** मण्डी बोर्ड में प्रबंध संचालक की नियुक्ति कैसे की जाती है ? इस पद पर कौन रह सकता है ? योग्यता व मापदण्ड बताएं ? **(ख)** क्या दिनांक 28 जून, 2024 तक छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड में किसी अधिकारी को प्रबंध संचालक का प्रभार दिया गया है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत दिया गया है ? क्या उन्हें वित्तीय प्रभार भी दिया गया है ? यदि हां, तो क्या इसकी वित्त विभाग से सहमति ली गई है, कृपया बताएं ? **(ग)** क्या वर्तमान में यहां प्रबंध संचालक की संविदा नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो किस नियम के तहत की गई है ? क्या जिनकी नियुक्ति की गई है वे उक्त पद की पात्रता रखते हैं ? क्या उन पर कोई विभागीय जांच या आपराधिक प्रकरण दर्ज है? जानकारी दें ? **(घ)** उक्त अधिकारी का प्रथम नियुक्ति दिनांक ,पद व वेतनमान क्या है ? उन्हें कब-कब प्रमोशन दिया गया ? प्रमोशन का आधार क्या था ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छ.ग. कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्र 24 सन् 1973) की धारा 42 घ में प्रदत्त अधिकार तथा राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम 1998 के विनियम 5 एवं 6 की अनुसूची 3 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रबंध संचालक की नियुक्ति की जाती है। राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी इस पद पर रह सकता है। **(ख)** छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर के आदेश क्र./ई 1-03/2024/एक-2/नवा रायपुर, दिनांक 18.01.2024 द्वारा श्री महेन्द्र सिंह सवन्नी, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड को प्रबंध संचालक, मण्डी बोर्ड के पद पर पदस्थ किया गया। मण्डी अधिनियम की धारा 42-च में प्रबंध संचालक की कर्तव्य एवं शक्तियां उल्लेखित है। **(ग)** जी, हां। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 9-6/2024/1-8, नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक

28.06.2024 द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के नियम 4(2) के तहत् श्री महेन्द्र सिंह सवन्नी अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2024 के उपरांत दिनांक 01.07.2024 से 6 माह के लिए, संविदा पर नियुक्त करते हुए, अस्थाई रूप से प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड के पद पर पदस्थ किया गया। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 के अनुसार संविदा नियुक्ति दी गई। **(घ)** उक्त अधिकारी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.11.1985, सचिव वर्ग- 4, वेतनमान 685-15-800-20-900-25-950 है। सचिव कनिष्ठ से सचिव वरिष्ठ वर्ष 2005, सचिव वरिष्ठ से सचिव वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वर्ष 2008, सचिव वरिष्ठ प्रवर श्रेणी से संयुक्त संचालक वर्ष 2011, संयुक्त संचालक से अपर संचालक वर्ष 2014, अपर संचालक से अतिरिक्त प्रबेध संचालक वर्ष 2018, छत्तीसगढ़ कृषि विपणन बोर्ड की सेवा विनियम 1998 के विनियम 06,11,14 एवं 15 के प्रावधान तथा अनुसूची 7 एवं 8 में पदोन्नति की पात्रता एवं पदोन्नति समिति के विवरण और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पदोन्नति नियम 2003 के आधार पर नियमानुसार पदोन्नति की गई है।

<u>छ.ग. राज्य कृषि विपणन मण्डी बोर्ड की ई- निविदा (ई-टेंडर) की जांच</u>

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

36. (क्र. 813) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- मण्डी बोर्ड में ई-निविदा किस माध्यम से जारी की जाती है? माह जुलाई, 2023 से 30/06/2024 तक जितने भी ई-निविदा (ई-टेंडर) खोले गए हैं, उसमें बिड वैलिडिटी पीरियड की जानकारी देवें? क्या सभी ई-टेंडर निर्धारित समय-सीमा के भीतर खोले गए हैं? यदि नहीं तो ऐसे कितने ई-टेंडर हैं, जिनका बिड वैलिडिटी पीरियड समाप्त होने के बाद खोला गया है? जितने भी ई-टेंडर में विलंब हुए हैं, क्या उस पर जांच टीम गठित हुई है? यदि नहीं, तो क्या ऐसे प्रकरणों की जांच करवायेंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : मंडी बोर्ड में ई-निविदा चिप्स के माध्यम से जारी की जाती है। माह जुलाई, 2023 से 30.06.2024 तक कुल 116 ई-टेण्डर खोले गये हैं, उसमें बिड वैलिडिटी पीरियड की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।** 115 ई-टेण्डर निर्धारित समय सीमा में खोले गये मात्र 01 ई-टेण्डर क्रमांक 147322, विधानसभा आचार संहिता प्रभावशील होने के कारण और किसी भी निविदाकार की आपत्ति न होने के कारण बिड वैलिडिटी पीरियड समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 16.02.2024 को खोली गयी तथा प्राप्त न्यूनतम निविदा दर को पत्र क्र. 7612 दिनांक 23.02.2024 द्वारा स्वीकृत किया जाकर न्यूनतम निविदाकार को अनुबंध हेतु सूचना दी गयी। निविदाकार द्वारा ''बिड वैलिडिटी'' समाप्त होने के कारण अनुबंध करने से इंकार किया गया। संपूर्ण कार्यवाही नियमानुसार है, अतः जांच का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

<u>जिला धमतरी के कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग द्वारा क्रय की गई सामग्री</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

37. (क्र. 816) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला धमतरी के कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग द्वारा वर्ष 2021 से 2023-24 तक किन-किन फर्मों से किन-किन संस्थानों के लिए, क्या-क्या सामग्री का क्रय किया गया है? जानकारी देवें? **(ख)** जिला धमतरी के कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग द्वारा वर्ष 2021 से 2023-24 तक किन-किन स्वयं सेवी संस्था NGO द्वारा प्रशिक्षण एवं सामग्री की आपूर्ति कहां-कहां की गयी है? विस्तृत जानकारी देवें? **(ग)** यदि NGO द्वारा प्रशिक्षण दिया गया तो प्रशिक्षण देने हेतु NGO का चयन किस मापदंड के आधार पर किया गया? **(घ)** जिला धमतरी के कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विभाग द्वारा वर्ष 2021 से 2023-24 तक किस-किस विभाग में प्रशिक्षण हेतु राशि आबंटित की गयी एवं प्रशिक्षण का क्रियान्वयन किससे कराया गया? इस प्रशिक्षण में किन-किन नियमों का पालन किया गया और कहां-कहां प्रशिक्षण कराया गया? विस्तृत जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** वर्ष

2021 से 2023-24 तक किसी भी स्वयं सेवी संस्था एन.जी.ओ. द्वारा प्रशिक्षण एवं सामग्री की आपूर्ति नहीं की गई है। **(ग)** प्रश्नाश ''ख'' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(घ)** वर्ष 2021 से 2023-24 तक किसी भी विभाग को प्रशिक्षण हेतु राशि आबंटित नहीं की गई है एवं कोई भी प्रशिक्षण कार्यक्रम का क्रियान्वयन नहीं किया गया है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौंतीस"]

जिला राजनांदगांव के कृषकों को रासायनिक उर्वरक वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

38. (क्र. 823) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2024-25 में जिला राजनांदगांव के कृषकों को रासायनिक उर्वरक वितरण करने का कितना लक्ष्य सहकारी (समितिवार) एवं निजी क्षेत्र में रखा गया है? दिनांक 01 मार्च, 2024 से 03 जुलाई, 2024 तक कितनी मात्रा में रासायनिक उर्वरक जिला-राजनांदगांव को प्राप्त हुआ और उसमें कितनी मात्रा का कितने कृषकों को वितरण कर दिया गया है? **(ख)** उर्वरकों को सहकारी एवं निजी विक्रेताओं को किस अनुपात में आबंटित किया जाता है? उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (एफसीओ) के अंतर्गत सहकारी एवं निजी क्षेत्र में उर्वरक वितरण का अनुपात क्या है एवं उर्वरक का वितरण, उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के किस खंड के तहत किया जाता है? **(ग)** उर्वरकों का नियमानुसार वितरण नहीं होने पर किस अधिकारी पर क्या कार्यवाही की गयी है? समितिवार एवं रासायनिक उर्वरकवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2024-2025 में जिला राजनांदगांव के कृषकों को रासायनिक उर्वरक वितरण करने का सहकारी क्षेत्र में 44900 मे.टन एवं निजी क्षेत्र में 16700 मे.टन लक्ष्य रखा गया है सहकारी समितिवार रासायनिक उर्वरक के वितरण के लक्ष्य **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ तथा निजी क्षेत्र से वितरण का लक्ष्य संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।** दिनांक 01 मार्च, 2024 से 03 जुलाई, 2024 तक सहकारी एवं निजी क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक भंडारण एवं कृषकों को वितरण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।(ख)** कृषि विभाग द्वारा रासायनिक उर्वरकों की सहकारी एवं निजी क्षेत्र के लिये आँकलित मांग अनुसार सहकारी क्षेत्र में उर्वरक की आपूर्ति मार्कफेड द्वारा की जाती है। सहकारी समितियों में पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उर्वरक रेक की सामान्यतः 60 प्रतिशत मात्रा (आवश्यकता पड़ने पर बढ़ायी जाती है) मार्कफेड द्वारा भंडारित की जाती है। उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 (एफसीओ) के अंतर्गत सहकारी एवं निजी क्षेत्र में उर्वरक वितरण का अनुपात निर्धारित करने संबंधी उल्लेख नहीं है, इसी प्रकार उर्वरक का वितरण उर्वरक (नियंत्रण) आदेश-1985 के खण्ड 3 एवं 6 के तहत् किया जाता है। **(ग)** समितिवार रासायनिक उर्वरकवार उर्वरकों का नियमानुसार वितरण नहीं होने संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः कार्यवाही की जानकारी निरंक है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतीस"]

राजनांदगांव जिला में पंजीकृत किसानों को बोनस राशि का वितरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

39. (क्र. 824) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव जिला में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में कितने पंजीकृत किसानों को कुल कितनी राशि का बोनस वितरण किया गया एवं जिले में कितने किसानों को बोनस वितरण राशि अभी तक अप्राप्त है एवं किस कारण से अप्राप्त है? **(ख)** जिन पंजीकृत किसानों की मृत्यु हो गयी हो, परिवार विभाजन हो गया हो, खाते में बंटवारा हुआ हो, अन्य खातेदार का नाम चढ़ गया हो एवं जमीन की खरीदी-बिक्री हो गयी हो, ऐसे किसानों की बोनस राशि के वितरण के लिये क्या प्रावधान हैं तथा उक्त किसानों का चिन्हांकन कैसे किया जावेगा? **(ग)** उनकी बोनस राशि किस माध्यम से तथा कब तक वितरित कर दी जायेगी? बोनस वितरण अप्राप्त किसानों की विकासखंडवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) अविभाजित राजनांदगांव जिला में धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 75,657 पंजीकृत कृषको को रु. 8877.58 लाख प्रोत्साहन राशि

का भुगतान किया गया है एवं 767 कृषको को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना शेष है। वर्ष 2016-17 में पंजीकृत सभी 1,15,635 कृषको को रु. 15639.68 लाख प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है। पंजीकृत एवं पात्र किसानों को प्रदाय तथा प्रदायगी हेतु शेष प्रोत्साहन राशि की कारण सहित वर्षवार, संस्थावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र- अ अनुसार है। (ख)** वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों में से वर्तमान स्थिति में जिन किसानों की मृत्यु हो गई हो, परिवार विभाजन हो गया हो, खाते में बंटवारा हुआ हो, अन्य खातेदार का नाम चढ़ गया हो एवं जमीन की खरीदी-बिक्री हो गई हो, ऐसे किसानों को प्रोत्साहन राशि के वितरण के संबंध में राज्य शासन के परिपत्र क्रमांक/4685/एफ-02/03/धा.प्रो.यो./2023/14-2 दिनांक 21.12.23 के द्वारा निम्नानुसार प्रावधान किये गये हैं- (1) ''कृषक, जिनके द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 में धान विक्रय उपरांत भूमि विक्रय की जा चुकी है/पारिवारिक बंटवारा हो चुका है, ऐसी दशा में मूल काश्तकार, जिन्होंने धान विक्रय किया था, उन्हे धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।'' (2) ''ऐसे हितग्राही, जिनके मृत्यु होने, बैंक द्वारा डिफाल्टर घोषित करने या उनके कानूनी उतराधिकारी घोषित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण, धान उत्पादन प्रोत्साहन राशि का लाभ नहीं मिल पाया हो, के द्वारा राशि वितरण की निर्धारित तिथि के उपरांत तत्काल संबंधित सहकारी समिति में सुसंगत दस्तावेजों सहित (मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान प्रमाण पत्र इत्यादि की जानकारी) पूर्ण विवरण के साथ आवेदन प्रस्तुत करेंगे। समिति प्रबंधक को कृषक से प्राप्त आवेदन का परीक्षण/निराकरण हेतु तहसील मॉड्यूल में ऑनलाईन प्रस्तुत करेंगे। तहसील स्तर पर संबंधित अधिकारियों से परीक्षण कराकर वारिसान का निर्धारण कर ऑनलाईन निराकरण करेंगे।'' **(ग)** प्रश्नांश ''ख'' अनुसार वैध वारिसान से आवेदन प्राप्त होने पर तहसील से सत्यापन कराकर सही बैंक खाता प्राप्त कर बैंक के माध्यम से भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। जिसकी निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। अविभाजित राजनांदगांव जिले में वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु शेष किसानों की संख्या व राशि की वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - छत्तीस"]

प्रदेश में किसानों को वितरित की जाने वाली खाद

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

40. (क्र. 832) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को कौन-कौन से खाद वितरित किए जाते हैं? वितरित किए जाने वाले खाद की कुल आवश्यकता प्रतिवर्ष कितनी होती है? वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-2025 में जून 2024 तक की वर्षवार जानकारी देवें? आवश्यकता के अनुरूप खाद की उपलब्धता की मात्रा क्या है? वर्षवार एवं जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान समय में कौन-कौन से खाद कितने किसानों को वितरित किये गए हैं? आवश्यकता के अनुरूप खाद उपलब्ध कराया गया है या नहीं? यदि नहीं तो कब तक उपलब्ध करा दिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) एवं **(ख)** की **जानकारी संकलित की जा रही है।**

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में संचालित आश्रम/छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

41. (क्र. 839) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र मे कहाँ-कहाँ पर छात्रावास/आश्रम संचालित है ? कौन-कौन से स्वयं के भवन में एवं कौन-कौन से छात्रावास/आश्रम किराये के भवन में संचालित हैं ? विकासखंडवार जानकारी देवें ? **(ख)** कंडिका"क" के अनुसार विगत तीन वर्षों में किन-किन छात्रावास/आश्रमों की मरम्मत, नवीन भवन निर्माण के लिए कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है? इन कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतीस"]

बस्तर संभाग में संचालित आश्रम-शालायें

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

42. (क्र. 849) श्री कवासी लखमा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभाग में कितने आश्रम-शालायें, छात्रावास संचालित हैं? विकासखंडवार, जिलेवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या संचालित सभी संस्थाओं के स्वयं के भवन हैं और उसका संचालन स्वयं के भवन में किया जा रहा है? **(ग)** क्या सभी संस्थाएं अपने स्वीकृत मूल स्थान पर संचालित हैं? यदि नहीं तो क्यों? नाम सहित, स्थलवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विकासखण्डवार, जिलेवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जी नहीं, बस्तर संभाग में संचालित 1133 संस्थाओं में से 933 संस्थाओं के स्वयं के भवन हैं और उनका संचालन स्वयं के भवन में किया जा रहा है। **(ग)** जी नहीं। जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तीस"]

हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टा

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

43. (क्र. 864) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2022-23 से 01 जुलाई 2024 तक कुल कितने हितग्राहियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं? वर्षवार, विकासखंडवार, जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका "क" में उल्लेखित समयावधि के दौरान के कितने प्रकरण लंबित हैं? कारण सहित पंचायत वार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में 71 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 12 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** ग्राम पंचायत परेवाडीह में 48 प्रकरण व्यक्तिगत वन अधिकार एवं ग्राम पंचायत आयबांधा में 01 प्रकरण सामुदायिक वन अधिकार का ग्रामसभा स्तर से लंबित है।
[संलग्न "परिशिष्ट - उनतालीस"]

अमानक बीज, नकली उर्वरक एवं कीट नाशक दवाई विक्रय /भण्डारण की प्राप्त शिकायतें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

44. (क्र. 866) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** राजनांदगांव एवं मोहला-मानपुर-अ.चौकी जिले में वर्ष 2022-23 से 1 जुलाई, 2024 तक अमानक बीज, नकली उर्वरक व कीटनाशक दवाई विक्रय /भंडारण किए जाने के संबंध में किन-किन कंपनियों /व्यवसायियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई है तथा शिकायत प्राप्ति के पश्चात किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्रवाई की गई है ?वर्षवार, विकासखंडवार बताएं ? **(ख)** उक्तावधि में किन-किन बीज कंपनियों के विरुद्ध खरीदे गए फसल की राशि तथा फसल क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है एवं प्राप्त शिकायत पर क्या-क्या कार्रवाई की गई ? वर्षवार, विकासखंडवार बताएं?
आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) राजनांदगांव एवं मोहला मानपुर-अ.चौकी जिले में वर्ष 2022-23 से 1 जुलाई,2024 तकअमानक बीज, व नकली कीटनाशकों के विक्रय/भण्डारण के संबंध

में कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है। नकली उर्वरक के संबंध में प्राप्त शिकायत एवं कृत कार्यवाही की वर्षवार, कंपनीवार/व्यवसायीवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)** प्रश्नांकित अवधि में बीज कंपनियों के विरुद्ध खरीदे गए फसल की राशि तथा फसल क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायतें प्राप्त नही हुई है। अतःशेष जानकारी निरंक है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चालीस"]

बस्तर संभाग में गोठानों का कार्य संचालन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

45. (क्र. 871) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभाग के जिलों में मार्च, 2023 की स्थिति में ऐसे कितने गोठान थे, जहां महिला स्व- सहायता समूह के माध्यम से महिलायें स्व-रोजगार, कुटीर उद्योग अथवा लघु व्यवसाय से जुड़ी थीं? जिलेवार गोठानों की संख्या, महिला स्व-सहायता समूहों की संख्या, स्व-रोजगार से जुड़ी कुल महिलाओं की संख्या की जानकारी देंवे? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' में उल्लेखित गोठानों के कार्यसंचालन की अद्यतन स्थिति सहित छ0ग0 शासन के द्वारा इन गोठानों में संलग्न महिला स्व-सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनुदान राशि/सहायता राशि स्वीकृत की गई हो तो जानकारी देंवे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) बस्तर संभाग के जिलों में मार्च, 2023 की स्थिति में कुल 1241 गोठान थे, जहां महिला स्व-सहायता समूह के माध्यम से महिलायें स्व-रोजगार, कुटीर उद्योग अथवा लघु व्यवसाय से जुड़ी थीं। **जिलेवार गोठानों, महिला स्व-सहायता समूहों व स्व-रोजगार से जुड़ी महिलाओं की जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। (ख)** प्रश्नांश "क" में उल्लेखित गोठानों के कार्य अद्यतन 13 गोठानों में संचालित है, छ0ग0 शासन द्वारा इन गोठानों में संलग्न महिला स्व-सहायता समूहों के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु अनुदान/सहायता राशि स्वीकृति की जानकारी निरंक है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इक्तालीस"]

बस्तर संभाग के जिलों में आदिवासी बालक/बालिका आश्रम छात्रावासों का संचालन

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

46. (क्र. 872) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बस्तर संभाग के अधीन संचालित आदिवासी बालक/बालिका आश्रम, छात्रावासों में से ऐसे कितने आश्रम छात्रावास हैं, जिनका स्वंय भवन नहीं है अथवा भवन जर्जर/अत्यंत जर्जर हैं तथा शौंचालयों की स्थिति खराब है? **(ख)** बस्तर संभाग में कुल कितने आदिवासी बालक/बालिका आश्रम, छात्रावास हैं इनमें से कितनों में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था है तथा कितनों में नहीं है? बालक, बालिका आश्रम/छात्रावासों पृथक-पृथक जानकारी देंवे? **(ग)** प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के परिपेक्ष्य में सरकार/विभाग की क्या कार्ययोजना है, कृपया स्पष्ट करें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांश ''क'' एवं ''ख'' के परिपेक्ष्य में भवन विहीन संस्थाओ के भवन निर्माण बजट उपलब्धता अनुसार केन्द्र एवं राज्य सरकारो से प्रतिवर्ष स्वीकृत हो रहे है। जर्जर अथवा अत्यंत जर्जर भवन को भी उपयोग योग्य नही होने पर नवीन भवन की स्वीकृत प्राप्त की जाती है। मरम्मत योग्य शौचालयों को अनुरक्षण मद से सुधार किया जाता है अथवा उपयोग योग्य नही होने पर नवीन शौचालय के निर्माण भी केन्द्र सरकार के बजट से कराये जाते है। महिला सुरक्षा गार्ड की उपलब्धता अनुसार कन्या छात्रावास/आश्रमों में पदस्थ किये गये है, जहां पर होम गार्ड उपलब्ध नही हो पाते है वहॉ विभागीय महिला चौकीदार की व्यवस्था की जाती है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बयालीस"]

गोबरा नवापारा में विस्थापितों का पुनर्वास

[आवास एवं पर्यावरण]

47. (क्र. 878) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को गोबरा नवापारा नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत विस्थापितों के पुनर्वास हेतु रायपुर जिला के कलेक्टर द्वारा भूमि आबंटन के सबंध में कोई पत्र 1 फरवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 में मध्य प्रेषित की गई है? **(ख)** यदि हां, तो छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा उक्त पत्र पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी, हां। रायपुर जिला कलेक्टर द्वारा अटल विहार योजना के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल को गोबरा-नवापारा में आबंटित भूमि रकबा 26.248 हेक्टेयर में से 5 एकड़ भूमि अतिक्रामकों के व्यस्थापन हेतु हस्तांतरण किए जाने के संबंध में पत्र क्रमांक 1264 दिनांक 07.03.2024 प्रेषित किया गया है।**(ख)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा उक्त पत्र पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अभनपुर विधानसभा क्षेत्रांतर्गत सहकारी सोसाइटियों के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा उर्वरक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

48. (क्र. 881) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जनवरी, 2022 से जून, 2024 के मध्य अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन सोसाइटियों के माध्यम से, कितनी कितनी मात्रा में, कौन-कौन से उर्वरक किन दरों पर किसानों को विक्रय किए गए? कृपया वर्षवार जानकारी देवें। **(ख)** क्या उपरोक्त अवधि में गुणवत्ताहीन उर्वरक तथा उर्वरकों की कमी की कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जनवरी 2022 से जून 2024 के मध्य अभनपुर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखंड अभनपुर एवं आरंग में किसानों को विक्रय किये गये उर्वरकों की समितिवार, उर्वरकवार एवं वर्षवार विक्रय मात्रा एवं विक्रय दर की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।(ख)** उपरोक्त अवधि में गुणवत्ताहीन उर्वरक एवं उर्वरक कमी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। अतः जानकारी निरंक है।

जिला दुर्ग अंतर्गत किसानों का फसल बीमा

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

49. (क्र. 885) श्री ललित चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला दुर्ग के विभिन्न किसानों का 1 अप्रैल 2021, से 30 जून 2024 तक कितने हेक्टेयर खरीफ व रबी फसलों का बीमा किया गया है? वर्षवार, तहसीलवार जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका 'क' के संदर्भ में कितने किसानों द्वारा रबी फसल हेतु बीमा का आवेदन किया गया है, कितने किसानो का आवेदन निरस्त किया गया है एवं क्यों? **(ग)** कंडिका 'क' एवं 'ख' के संर्दभ में क्या रबी फसल बीमा से संबंधित शिकायतें आयी हैं, यदि हां तो इसमें क्या कार्यवाही की गयी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में कृषि फसलो के फसल बीमा योजना हेतु संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत 01 अप्रैल 2021 से जून 2024 तक जिला दुर्ग में मौसम खरीफ एवं रबी में मौसमवार, वर्षवार एवं तहसीलवार बीमित फसल रकबे की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। प्रश्नाधीन अवधि में ही उद्यानिकी फसलो के बीमा हेतु संचालित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजनांतर्गत जिला दुर्ग में मौसम खरीफ एवं रबी में मौसमवार, वर्षवार एवं तहसीलवार बीमित फसल रकबे की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** कंडिका ''क'' के संदर्भ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में रबी फसलों के बीमा हेतु 85,718 कृषकों द्वारा आवेदन किया गया था, जिसमें से 488 कृषको के आवेदन निरस्त किये गये। वर्षवार आवेदन की संख्या एवं निरस्त होने का कारण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है। पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना अंतर्गत

कुल 2,014 किसानों द्वारा रबी मौसम में फसल बीमा हेतु आवेदन किया गया है तथा किसी भी किसान के आवेदन को निरस्त नहीं किया गया है। **(ग)** कंडिका ''क'' एवं ''ख'' के संदर्भ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलो के बीमा के संबंध में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्यवाहियों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-द अनुसार** है। पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलो के बीमा से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिरालीस"]

रासायनिक उर्वरक, बीज आदि की मांग तथा पूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

50. (क्र. 889) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** खरीफ वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 में रासायनिक उर्वरक तथा बीज का वितरण लक्ष्य तथा पूर्ति, निजी क्षेत्र एवं सहकारी क्षेत्र का अलग-अलग उर्वरक के प्रकार एवं बीज की प्रजातिवार बताएं? बीज के स्त्रोत एवं मात्राएं भी बताएं? **(ख)** रासायनिक उर्वरकों तथा बीज की क्रय दरें तथा विक्रय दरें क्या-क्या हैं? **(ग)** किस प्रकार के उर्वरकों तथा बीजों की पूर्ति किसानों की मांगों के अनुरूप समय पर नहीं की जा सकी और उसके कारण क्या हैं? **(घ)** खरीफ सीजन समाप्त होने पर रासायनिक उर्वरक तथा बीज की कितनी-कितनी मात्राएं कहां-कहां शेष रही थीं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) , **(ख), (ग)** एवं **(घ)** की **जानकारी संकलित की जा रही है।**

जिला-सरगुजा अंतर्गत वितरित पॉवर विडर की गुणवत्ता की प्राप्त शिकायतें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

51. (क्र. 900) श्री प्रबोध मिंज : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विगत तीन वर्षों में सरगुजा जिले में कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा कुल कितने पावर विडर, किस-किस विकास खण्ड में वितरित किए गए? पॉवर विडर के सप्लायर कम्पनियों के नाम एवं किस मॉडल के यन्त्र, कितनी राशि के कृषकों को दिये गये ? **(ख)** क्या पॉवर विडर की गुणवत्ता को लेकर शासन/प्रशासन को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हुई है तो, क्या उसकी जांच हुई है? यदि नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विगत तीन वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में कृषि विभाग द्वारा कृषकों को अनुदान पर 344 पावर वीडर एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा 429 पावर वीडर वितरित किये गए हैं। कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा वितरित पावर वीडर के सप्लायर कंपनियों के नाम, माँडल एवं प्रति नग इकाई की दर की जानकारी की विकासखंडवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र- स अनुसार** है। **(ख)** जिला सरगुजा में कृषि एवं उद्यानिकी द्वारा वितरित पावर वीडर की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है, अपितु दैनिक समाचार पत्र नवभारत में दिनांक 17 जून 2021 को प्रकाशित समाचार के परिपेक्ष्य में संचालनालय उद्यानिकी द्वारा रायपुर, बेमेतरा एवं जगदलपुर जिले में वितरित पावर वीडर की जांच कराई गई जिसमें कृषकों के द्वारा पावर वीडर को चलाकर दिखाया गया तथा पावर वीडर सही हालत में पाये गए । इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में वितरित पावर वीडर के संबंध में प्राप्त अन्य शिकायतों की जांच हेतु अपर संचालक कृषि की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई है। जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चवालीस"]

विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत ग्रामों में तालाबों को पाटा जाना

[आवास एवं पर्यावरण]

52. (क्र. 907) श्री रामकुमार यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र चंद्रपुर के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से जून, 2024 तक कौन कौन से ग्रामों के तालाबों एवं खेल मैदान को किस प्रकार से और कहाँ से मिट्टी, राखड़, पत्थर वगैरह लाकर पाटा गया है? विस्तृत विवरण देवें। **(ख)** क्या तालाबों एवं खेल मैदान को पाटे जाने हेतु पावर प्लांटों के राखड़ का उपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या इसकी विभाग से अनुमति ली गई है? बतावें। **(ग)** क्या ग्राम कटौद, विकासखण्ड डभरा में खइया तालाब एवं खेल मैदान को राखड़ से पाटने की शिकायत ग्रामीणों ने की है? क्या इस हेतु क्या सरपंच ने अनुमति प्रदान की है? प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) विभाग द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के ग्रामों के तालाबों एवं खेल मैदान को फ्लाई ऐश से पाटने हेतु अनुमति नहीं दी गई है। अतः जानकारी निरंक है।**(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।**(ग)** कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला-सक्ती का पत्र दिनांक 30/05/2024 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में प्राप्ति दिनांक 04/07/2024 के माध्यम से ग्राम-कटौद के खईया तालाब (निस्तारी तालाब) में फ्लाई ऐश पाटे जाने के संबंध में शिकायत पत्र प्राप्त हुआ है। कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा, जिला सक्ती के पत्र क्रमांक 1129, दिनांक 29.05.2024 द्वारा कलेक्टर, जिला सक्ती को प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त राखड़ पाटने के संबंध में ग्राम पंचायत के द्वारा पंचायत प्रस्ताव किया जाना सरपंच के द्वारा बताया गया।प्राप्त पत्र के परिपेक्ष्य में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के कार्यालयीन टीम द्वारा दिनांक 10/07/2024 को स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मौके पर राखड़ डंप किया जाना नहीं पाया गया। पूर्व में डाले गये राखड़ के ऊपर मिट्टी की परत का बिछा होना पाया गया एवं प्रदूषण की स्थिति सामान्य पायी गयी। निरीक्षण के दौरान मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मेसर्स डी.बी. पॉवर लिमिटेड द्वारा पत्र दिनांक 10/07/2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा ग्राम-कटौद में किसी प्रकार का फ्लाई ऐश डंप नहीं किया गया है। अत: आगामी कार्यवाही हेतु कार्यालय कलेक्टर, जिला-सक्ती को पत्र दिनांक 12/07/2024 के माध्यम से फ्लाई ऐश पाटने वाले ताप विद्युत संयंत्र के नाम की पुष्टि हेतु दस्तावेज प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है। कार्यालय कलेक्टर, जिला-सक्ती से जानकारी अप्राप्त है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जिला सक्ती के अंतर्गत सड़क मार्गों की प्रशासकीय स्वीकृति पश्चात वित्त विभाग से अनुमति

[वित्त]

53. (क्र. 908) श्री रामकुमार यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सक्ती के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक कितने सड़क मार्गों की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है? विवरण देवें? **(ख)** प्रश्नांक "क" के अनुसार कितने कार्यों की वित्त विभाग से अनुमति मिली है और कितने में नहीं मिली है? विवरण देवें? **(ग)** क्या सड़क मार्ग सिंघीतराई-कथर्रापाली-बेनीपाली-ओडेकेरा-देवरहा तक एवं कनाईडीह से दर्री नवापारा तक मार्ग की प्रशासकीय स्वीकृति के बाद भी वित्त विभाग से अनुमति नही मिली है? यदि हां, तो क्यों और कब तक अनुमति दी जावेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जिला सक्ती के अंतर्गत वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक वित्तीय स्वीकृति प्रदाय सड़क मार्गो की जानकारी **"संलग्न प्रपत्र अनुसार"** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" की जानकारी में उल्लेखित समस्त कार्यो को वित्त विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृति दी गई है। **(ग)** सड़क मार्ग सिंघीतराई-कथर्रापाली-बेनीपाली-ओडेकेरा-देवरहा तक एवं कनाईडीह से दर्री नवापारा तक मार्ग की वित्त विभाग द्वारा अनुमति विचाराधीन है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पैंतालीस"]

बिलासपुर के बहतराई और खामतराई में निर्मित अटल आवास निर्माण

[आवास एवं पर्यावरण]

54. (क्र. 919) श्री देवेन्द्र यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बिलासपुर के बहतराई और खामतराई में निर्मित अटल आवास निर्माण की अनुज्ञा किन शर्तों के तहत, कब और कितने आवास की दी गयी है? **(ख)** अटल आवास निर्माण के बाद क्या विभाग द्वारा मूलभूत सुविधाओं की सुनिश्चितता को लेकर कोई निरीक्षण किया गया? यदि हां, तो कब किया गया, निरिक्षण उपरांत क्या पाया गया, इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) बिलासपुर के बहतराई और खमतराई में अटल आवास का निर्माण नहीं किया गया है।**(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में जानकारी निरंक है।

डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में मण्डी बोर्ड से स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

55. (क्र. 945) श्रीमती अनिला भेंडिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2023-24 से जून, 2024 प्रश्नावधि तक मण्डी बोर्ड से विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में कौन-कौन से कार्य एवं कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये है, जानकारी देवें ? **(ख)** उक्त स्वीकृत कार्यो की वर्तमान स्थिति क्या है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2023-24 से जून, 2024 प्रश्नावधि तक मण्डी बोर्ड से विधानसभा क्षेत्र डौण्डीलोहारा में स्वीकृत किये गये कार्यो एवं राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** उक्त स्वीकृत कार्यो की वर्तमान स्थिति **संलग्न प्रपत्र** में उल्लेखित है। **[संलग्न "परिशिष्ट - छियालीस"]**

जिला-बिलासुपर में तखत पलंग, तकिया, चादर, आलमारी समग्री के खरीदी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

56. (क्र. 951) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** वर्ष 2021-22 से जून 2024, तक बिलासपुर जिले में छात्रावास,प्रयास एवं पीटीसी हेतु कितने नग तखत, पलंग, तकिया, चादर एवं अन्य किस किस समाग्री की खरीदी कितनी राशि से की गई है? खरीदी के लिये अनुमति कब कब किस स्तर से ली गई है? केन्द्र एवं वर्षवार जानकारी क्या है? **(ख)** खरीदी के लिये निविदा कब कब आमंत्रित की गयी तथा निविदा के प्रसार का माध्यम क्या था? कौन-कौन से फर्म के द्वारा निविदा के लिए आवेदन किया गया था? आवेदित फर्म द्वारा उक्त सामग्री की अपूर्ति हेतु क्या क्या दर प्रस्तावित की गयी थी ? सप्लाई हेतु किस फर्म को, किस दर से आर्डर जारी किया गया? वर्षवार एवं समाग्रीवार जानकारी क्या है? **(ग)** किस-किस केन्द्र में कब-कब, तखत, पलंग, तकिया, चादर, आलमारी एवं अन्य सामग्री की सप्लाई ? कितनी मात्रा में की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2021-22 से जून 2024 तक बिलासपुर जिले में छात्रावास, प्रयास विद्यालय एवं पीईटीसी हेतु खरीदी गयी सामग्री का नाम, मात्रा एवं राशि की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। खरीदी के लिए वर्ष 2021-22 में दिनांक 23.10.2021 एवं 07.02.2022, वर्ष 2022-23 में दिनांक 02.06.2023 एवं 31.01.2023, वर्ष 2023-24 में 26.06.2023 एवं 21.12.2023 एवं वर्ष 2024-25 में दिनांक 04.07.2024 को जिला कलेक्टर बिलासपुर से अनुमति ली गई है। **(ख)** खरीदी के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की गयी थी बल्कि छत्तीसगढ़ स्टेट इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन (CSIDC) के ऑनलाईन पोर्टल से तथा खादी ग्रामोद्योग विभाग के अनुमोदित दर से सामग्री का क्रय किया गया है। **(ग)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।

परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर की जानकारी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

57. (क्र. 952) श्री अटल श्रीवास्तव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर में वर्ष 2020-2021 से जून, 2024 तक किस-किस कार्य हेतु कौन कौन से मद एवं योजना से कुल कितना राशि का आबंटन प्राप्त हुआ है ? प्राप्त राशि के विरूध्द कौन-कौन से कार्य में कितनी राशि का खर्च किया गया है? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बिलासपुर में वर्ष 2020-21 से जून 2024 तक कुल कितने परीक्षार्थी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है? कितने प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता द्वारा कौन कौन से प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त की गई है? वर्षवार जानकारी क्या है? **(ग)** प्रश्नांकित अवधि में कौन-कौन सी संस्था द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया है? संस्था को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया है? संस्थावार जानकारी क्या है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''स''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सैंतालीस"]

जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अंतर्गत कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन विषयक

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

58. (क्र. 957) श्रीमती कविता प्राण लहरे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत आदिम जाति विकास विभाग में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छात्रावासों एवं आश्रमों में कार्य कराये जाने पश्चात वेतन नहीे देने की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है? तथा उन्हें वेतन कब तक दिया जावेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के अंतर्गत आदिम जाति विकास विभाग में कुल 09 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को वेतन भुगतान नहीं होने संबंधी शिकायत प्राप्त हुआ, जिसमें 08 कर्मचारियों का जून 2024 तक भुगतान किया जा चुका है। शेष 01 कर्मचारी के वेतन भुगतान के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

भाग-3

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्व भू-अभिलेख में दोरला जाति त्रुटि सुधार संबंधी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

1. (क्र. 117) श्री विनायक गोयल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम ककनार, चंदेला, काटाबांस, करेकोट, सतसपुर, पालम में दोरला जाति वर्ष 1944 से निवासरत है परन्तु उच्चारण त्रुटिवश होने के कारण राजस्व भू-अभिलेखों में दोरला को दोरा अभिलिखित होने से उक्त जाति शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित है? **(ख)** क्या उन्हें सरकार द्वारा संज्ञान में लेकर प्राथमिकता के आधार पर उच्चारण संबंधी त्रुटि सुधार किये जाने का प्रावधान है? **(ग)** यदि प्रावधान है तो क्या बस्तर जिले में निवासरत दोरला जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाएगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर Gond के साथ Dorla शामिल है। किंतु दोरा शामिल नहीं है। अतः राजस्व अभिलेखों में पूर्वजों की जाति दोरा अंकित व्यक्तियों को शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभ प्राप्त नहीं हो रहे है। स्वतंत्रतापूर्व के प्रकाशित संदर्भ साहित्यों में दोरला को दोरा के समनामी (Synonyms) के रूप में Dora or Dorla उल्लेखित किया गया है। अतः उक्त प्रकाशित संदर्भ साहित्यों के आधार पर अभिलेखों में दोरा जातिनाम को उच्चारण त्रुटि माना जाना सही नहीं है। **(ख)** प्रकरण मात्रात्मक त्रुटि का नहीं है। अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन का अधिकार भारत सरकार का है अतः दोरा जाति को दोरला जनजाति के साथ शामिल कराने हेतु भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**(ग)** Dorla जाति छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 16 पर शामिल है। दोरा जाति को Dorla के साथ सम्मिलित किये जाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राखड़ परिवहन के गाईड लाईन का पालन न होने पर कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

2. (क्र. 182) श्री ब्यास कश्यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या राखड़ परिवहन हेतु केन्द्र सरकार के वन पर्यावरण विभाग द्वारा बनाए गए गाईड लाईन अनुसार खुली वाहनों से राखड़ परिवहन न हो इस हेतु सरकार द्वारा ने गाईड लाईन का पालन कराने हेतु कोई कदम उठाया गया है? **(ख)** क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की गाईड लाईन में वनभूमि एवं कृषि भूमि पर राखड़ डालने हेतु प्रतिबंधित किया गया है? क्या कोरबा एवं जांजगीर-चांपा जिले के वनभूमि (बड़े झाड़ का जंगल) एवं कृषि भूमि पर बड़ी संख्या में राखड़ डालने की अनुमति प्रदान की गई है? यदि हां तो दोषियों के खिलाफ क्या जांच/कार्यवाही की गई है? **(ग)** क्या यह सत्य है कि कोरबा जिला के ग्राम बरीडीह एवं जांजगीर चांपा जिले के ग्राम नकटीडीह एवं कल्याणपुर में मनरेगा योजना के अंतर्गत खुदाई किए गए तालाब को राखड़ से पाट दिया गया है? यदि हां तो जांच कर क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) ताप विद्युत संयंत्रो से उत्पन्न फ्लाई ऐश का परिवहन खुले ट्रक से न किया जाकर तारपोलिन से ढके हुये ट्रकों द्वारा किया जाता है। फ्लाई ऐश परिवहन बिना ढके ट्रकों से किया जाना पाये जाने पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा क्षतिपूर्ति एवं परिवहन विभाग द्वारा जुर्माना लगाने की कार्यवाही की जाती है। कार्यालय परिवहन उड़नदस्ता कोरबा से प्राप्त जानकारी अनुसार 01-02-2024

से 04-07-2024 तक की अवधि में कोरबा एवं जांजगीर-चांपा जिले में बिना तिरपाल ढके परिवहन करने वाले वाहनों से कुल 535200 रूपये जुर्माना वसूल किया गया है। इसी अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कोरबा जिले में उपयुक्त तरीके से तिरपाल ढके बिना परिवहन करना पाए जाने पर 3,57,000 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है।**(ख)** जी हां, केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शिका में कृषि भूमि एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की आवश्यक अनुमति के बिना वन भूमि पर राखड डालना प्रतिबंधित है। कोरबा एवं जांजगीर-चांपा जिले में वनभूमि (बड़े झाड़ के जंगल) पर राखड डालने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी है। उक्त दोनों जिलो में भू-भराव हेतु भू-स्वामी के आवेदन एवं सहमति के आधार पर राखड भराव की अनुमति दी गयी है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)**कोरबा जिला के ग्राम बरीडीह में खसरा क्रमांक 325/1, रकबा 2.73 एकड में ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव एवं अनुभागीय अधिकारी (राजस्व), कोरबा द्वारा अनुमति दिए जाने के उपरान्त क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल कोरबा द्वारा फ्लाई ऐश भराव हेतु अनुमति दी गयी। जांजगीर-चाम्पा जिले में ग्राम नकटीडीह में मनरेगा योजना के अंतर्गत खुदाई किये गये तालाब को राखड से नहीं पाटा गया है। ग्राम कल्याणपुर में खसरा नंबर 779/1, रकबा 17.5 हेक्टेयर में स्थित गड्ढे को ग्राम पंचायत की सहमति के आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल बिलासपुर द्वारा फ्लाई ऐश भराव हेतु अनुमति दी गयी। चूंकि उक्त स्थलों को ग्राम पंचायत की सहमति से पाटा गया है। अतः छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>प्रदेश में सी. ई. आर. (कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी) हेतु जारी निर्देश</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

3. (क्र. 238) श्रीमती भावना बोहरा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विभाग द्वारा सी. ई. आर. (कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी) के संबंध में क्या कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ? **(ख)** दुर्ग संभाग में कितनी संस्थाओं, उद्योग व प्रोजेक्ट इत्यादि को CER का प्रावधान विगत 2 वर्षों में करना था ? **(ग)** प्रश्नांश 'क' अनुसार जिस संस्था/उद्योग/प्रोजेक्ट द्वारा CER का प्रावधान व व्यय नहीं किया गया है ? उन पर क्या कार्यवाही की गई है? **(घ)** क्या CER से संबंधित जानकारी संस्था/उद्योग/प्रोजेक्टवार ऑनलाइन उपलब्ध है ? यदि नहीं तो कब तक पब्लिक डोमेन में जानकारी उपलब्ध कराई जावेगी ? CER के पर्यवेक्षण की क्या व्यवस्था है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी नहीं। सी.ई.आर. (कॉर्पोरेट एनवायरमेंटल रिस्पांसिबिलिटी) के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कोई भी दिशा निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। तथापि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के इम्पैक्ट असेसमेंट डिवीजन, नई दिल्ली द्वारा सी.ई.आर. के संबंध में कार्यालय आदेश (ओ. एम.) दिनांक 30/09/2020 एवं 20/10/2020 को जारी किये गये हैं।**(ख)** दुर्ग संभाग में भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आँकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ (एसईआईएए, छत्तीसगढ़) द्वारा विगत 02 वर्षों में कुल 58 संस्थानों/उद्योगों / प्रोजेक्ट इत्यादि को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है, जिनमे सी.ई.आर. संबंधी शर्त दी गई है।**(ग)** प्रश्नधीन अवधि मे कुल 58 संस्थानों/उद्योगों / प्रोजेक्ट इत्यादि को प्राप्त पर्यावरण स्वीकृति एवं तत्पश्चात परियोजना के संचालन/उत्पादन प्रारंभ होने उपरांत 15 परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सी. ई. आर. के तहत प्रावधानित कार्य/व्यय पूर्ण रूप से नहीं किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा कार्यों/व्यय को पूर्ण करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।**(घ)** भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा विकसित एवं संचालित एकीकृत पोर्टल परिवेश 2.0 (ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में उपलब्ध) में संस्था/ उद्योग/प्रोजेक्टवार जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति अपलोड रहती है। जिनमें सी.ई.आर. संबंधित कार्यों का विवरण शर्त के रूप में अंकित रहता है। पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र मे उल्लेखित सी.ई.आर. सहित अन्य शर्तों की मॉनीटरिंग एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा किया जाता है।

खाद बीज एवं उर्वरक की आपूर्ति

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

4. (क्र. 424) श्री अजय चंद्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2021-22 से 2024-25 (30 जून, 2024) तक कौन-कौन से, कितनी-कितनी मात्रा में रासायनिक खाद/उर्वरक एवं बीज की मांग थी? मांग के विरूद्ध कितनी-कितनी मात्रा केन्द्र व राज्य सरकार से प्राप्त हुई? **(ख)** प्रश्नांक ''क'' सहकारी/निजी क्षेत्रों को खाद-बीज देने हेतु शासन की नीति क्या है? क्या दर निर्धारित की गयी है? किस अनुपात में कितनी-कितनी मात्रा में दिये गये तथा किन-किन निजी संस्थाओं को दिये गये? संस्था का नाम सहित बतायें, जानकारी वर्षवार बतायें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) एवं **(ख)** की **जानकारी संकलित की जा रही है।**

विभागों में लगे उपकरों या शुल्कों से प्राप्त एवं व्यय राशि

[वित्त]

5. (क्र. 425) श्री अजय चंद्राकर : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 1 जनवरी, 2024 से 30 जून, 2024 तक कौन-कौन से उपकर या शुल्क, किन-किन उद्देश्यों से, किन-किन चीजों पर, कितनी-कितनी प्रतिशत/दर पर, कब से अधिरोपित किये गए तथा उसकी समायवधि कितनी है और 30 जून, 2024 की स्थिति में कौन-कौन सा प्रभावशील है तथा उससे कितनी राशि प्राप्त हुयी? **(ख)** क्या उक्त अधिरोपित उपकरों/शुल्कों से प्राप्त राशि का उपयोग उनके उद्देश्यों के अनुरूप किया गया है? यदि हां, तो किन-किन कार्यो में, कितनी राशि व्यय की गयी? यदि उनके उद्देश्यों के अनुरूप व्यय नही किया गया है तो क्या यह नियम विरूद्ध है? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की गयी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : उपरोक्त जानकारी शासन के विभिन्न विभागों से **संकलित की जा रही है। संकलन उपरांत जानकारी प्रेषित की जावेगी।**

सरगुजा विकास प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत कार्यों की स्थिति

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

6. (क्र. 432) श्रीमती गोमती साय : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक सरगुजा विकास प्राधिकरण अंतर्गत कुल कितने कार्य व राशि स्वीकृत की गई? विकासखंडवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण, अपूर्ण, अप्रारंभ अथवा अधूरे स्थिति में हैं? विवरण सहित जानकारी देवें? **(ग)** उक्त वर्षों में विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत हुए? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अड़तालीस"]

जिला जशपुर में किसानों के लिए संचालित योजनाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

7. (क्र. 433) श्रीमती गोमती साय : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला जशपुर में किसानों के हित में कौन-कौन सी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? क्या उक्त योजनाओं का क्रियान्वयन सही रूप से हो रहा है, यदि नहीं तो क्या कारण है? विवरण सहित जानकारी देवें? **(ख)** क्या यह सत्य है कि जिला जशपुर के किसानों को कम मात्रा में खाद, बीज दिया जाता है? यदि हॉ, तो इसके क्या कारण हैं? उक्त समस्या के निवारण हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला जशपुर में संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी द्वारा किसानों के हित में संचालित राज्य पोषित योजना एवं केन्द्र पोषित योजनाओं की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। जी हां ,योजनाओं का क्रियान्वयन नियमानुसार किया जा रहा है। **(ख)** जी नहीं ।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्चास"]

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण में शामिल ग्राम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

8. (क्र. 436) श्री दिलीप लहरिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत कौन-कौन से ग्राम शामिल हैं? ग्रामवार बतावें? **(ख)** प्रश्नांक "क" अनुसार शामिल ग्रामों में वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रश्नावधि तक क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुये हैं? स्वीकृत कार्यों की भौतिक स्थिति क्या है? कार्यवार विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पचास "]

महासमुंद जिलान्तर्गत उद्योगों द्वारा वृक्षारोपण

[आवास एवं पर्यावरण]

9. (क्र. 448) श्री सम्पत अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में वृक्षारोपण एवं ग्रीन बेल्ट के सम्बन्ध में क्या नीति नियम निर्धारित हैं? **(ख)** महासमुंद जिले में कितने उद्योगों द्वारा वृक्षारोपण किया गया और कितने उद्योगों ने अपेक्षित वृक्षारोपण नहीं किया? **(ग)** वृक्षारोपण नहीं करने वाले उद्योगों पर क्या नियमानुसार कार्यवाही की जानी थी?क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)प्रदेश में वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत् जारी सम्मति में उद्योग के कुल क्षेत्र के न्यूनतम 33 प्रतिशत क्षेत्र (एक-तिहाई क्षेत्रफल) में वृक्षारोपण/ग्रीन बेल्ट विकसित किये जाने की शर्त अधिरोपित की जाती है।**(ख)** महासमुंद जिले में संचालित सभी 08 वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण किया गया है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)** सम्मति पत्र में उल्लेखित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं करने वाले उद्योगों पर सम्मति शर्तो के उल्लंघन के आधार पर उद्योग का संचालन सम्मति/सम्मति नवीनीकरण आवेदन निरस्त किया जा सकता है। महासमुंद जिले में संचालित सभी 08 वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण किया गया है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

रायपुर जिले में छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

10. (क्र. 492) श्री अनुज शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)**रायपुर जिले अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जून, 2024 तक छ.ग.राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा जिले में कृषि विकास अंतर्गत कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये हैं तथा कितने कार्यो को पूर्ण करा लिया गया? वर्षवार एवं राशि एवं श्रेणीवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** वर्तमान वित्तीय वर्ष में निगम अंतर्गत रायपुर जिले में कृषि यंत्रों, मिनी राईस मिल, ट्रैक्टर हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये एवं कितने आवेदनों का निराकरण किया गया?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) रायपुर जिले अंतर्गत वर्ष 2022-23 से जून, 2024 तक छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर द्वारा कोई भी कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है। **(ख)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 30.06.2024 तक छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड, रायपुर (चैम्प्स प्रकोष्ठ) अंतर्गत रायपुर जिले में कृषि यंत्रों, मिनी राईस मिल, ट्रैक्टर हेतु किसानों से प्राप्त ऑनलाईन आवेदन एवं निराकृत आवेदनों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इन्क्यावन"]

जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छ.ग. गृह निर्माण मंडल की परियोजनाओं की जानकारी

[आवास एवं पर्यावरण]

11. (क्र. 522) श्री ब्यास कश्यप : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत छ.ग. गृह निर्माण मंडल की वर्तमान में कितनी परियोजनाएं किन-किन स्थानों में संचालित हैं? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अनुसार छ.ग. गृह निर्माण मंडल द्वारा आगामी वर्षो में जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कहां-कहां, कितनी भूमि पर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है? इन स्थानों पर किस-किस श्रेणी के भवन निर्माण कराया जाना है? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार विभिन्न श्रेणी के भवनों के लिए क्या मूल्य निर्धारित किये गये हैं? क्या रिक्त भूमियों की नीलामी की जाएगी? **(घ)** जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में कितने न्यायालयीन प्रकरण छ.ग. गृह निर्माण मंडल से संबंधित लंबित हैं तथा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए शासन द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)जानकारी निरंक है।**(ख)** छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा आगामी वर्षो में जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अटल विहार योजना कुलीपोटा में 3.50 एकड़, निर्मित कालोनी हसदेव विहार जांजगीर में आरक्षित भूमि 0.31 एकड़ एवं अटल विहार योजना हेतु ग्राम पेण्ड्री में 4 एकड़ तथा घुटिया में 31.37 एकड़ भूमि पर भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, इन स्थानों पर सीनियर एम.आई.जी., एल.आई.जी., ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के भवन एवं दुकान तथा 2 बीएचके फ्लैट का निर्माण प्रस्तावित है।**(ग)** प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार विभिन्न श्रेणी के भवनों के लिए किये गये मूल्य निर्धारण निम्नानुसार है:-(1) सीनियर एम.आई.जी. टाईप-I - रू. 37.18 लाख, (2) सीनियर एम.आई.जी. टाईप-II- रू. 37.39 लाख, (3) सीनियर एम.आई.जी. टाईप-III- रू. 46.83 लाख, (4) एल.आई.जी. टाईप-I- रू. 20.97 लाख, (5) एल.आई.जी. टाईप -II - रू. 21.14 लाख, (6) एल.आई.जी. टाईप -III - रू. 22.46 लाख, (7) ई.डब्ल्यू.एस. टाईप-I - रू. 9.51 लाख, (8) ई.डब्ल्यू.एस. टाईप -II - रू. 9.57 लाख, (9) ई.डब्ल्यू.एस. टाईप -III - रू. 10.09 लाख। कॉलोनियों में उपलब्ध बिखरे भूखण्ड अंतर्गत रिक्त भूमियों की नीलामी/विक्रय नियमानुसार की जाएगी।**(घ)** जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से संबंधित 01 न्यायालयीन प्रकरण लंबित है तथा इन प्रकरणों के निराकरण के लिए जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है।

जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आश्रम छात्रावासों की जानकारी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

12. (क्र. 523) श्री ब्यास कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा अंतर्गत कितने आश्रम, छात्रावास संचालित हैं? उन आश्रम, छात्रावासों में कितने विद्यार्थी वर्तमान में निवासरत हैं? **(ख)** कितने आश्रम छात्रावास भवन विहीन, अहातावि‍हीन है तथा कितने भवन जर्जर हैं? जर्जर भवनों की मरम्मत में वर्ष 2021-22 से 2023-2024 तक कितनी राशि व्यय की गई? आश्रम/छात्रावास वार, व्यय राशि की वर्षवार जानकारी प्रदान करें? **(ग)** आश्रम/छात्रावासों में प्रवेश देने के क्या नियम हैं? वर्ष 2023-24 में जांजगीर-चांपा अंतर्गत आश्रम/छात्रावासों में प्रवेश के लिए कितने विद्यार्थियों ने आवेदन किया था तथा कितनों को प्रवेश दिया गया? कितने छात्र प्रवेश से वंचित रह गए? जानकारी प्रदान करें? **(घ)** आश्रम/छात्रावासों में प्रदान किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता के संबंध में वर्ष 2023-24 में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई तथा उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र जांजगीर-चांपा अंतर्गत 12 छात्रावास संचालित हैं। उक्त छात्रावासों में वर्तमान में 345 विद्यार्थी निवासरत् है। उक्त विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आश्रम संचालित नहीं हैं। **(ख)** जांजगीर-चांपा विधानसभा क्षेत्र के 02 छात्रावास भवन विहीन हैं। कोई भी छात्रावास अहाताविहीन नहीं है तथा भवन जर्जर नहीं है। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। **(ग)** आश्रम/छात्रावास में प्रवेश हेतु छात्रावास/ आश्रम नियमावली 2010-11 के ''प्रवेश के मापदण्ड'' की कंड़िका 12, 13, एवं 14 के प्रावधानों के अनुसार छात्र-छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। वर्ष 2023-24 में आश्रम/छात्रावासों में प्रवेश के लिए 777 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था जिनमें से 749 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया तथा आवेदन अपूर्ण होने के कारण 28 विद्यार्थी प्रवेश से वंचित रह गए। **(घ)** कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

आदिवासियों की संस्कृति की संरक्षण हेतु आबंटित राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

13. (क्र. 552) श्री तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- विधानसभा क्षेत्र पाली-तानाखार अंतर्गत आदिवासियों की संस्कृति (देवगुडी) को संरक्षित किये जाने हेतु कुल कितनी राशि वर्ष 2023-24 से जून, 2024 तक आबंटित की गयी है? जनपद पंचायतवार जानकारी उपलब्ध करावें? यदि नहीं की तो क्यों जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : वर्ष 2023-24 से जून, 2024 तक जनपद पंचायत पाली को **रूपये 7.50 लाख** एवं पोड़ी उपरोड़ा को **रूपये 106.50 लाख**, इस प्रकार कुल **रूपये 114.00 लाख** आबंटित किये गये है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

महासमुन्द जिले में वन अधिकार पत्र का प्रदाय

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

14. (क्र. 558) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** महासमुन्द जिले में कितने हितग्राहियों का वन ग्राम समिति के माध्यम से वन अधिकार पत्र के लिए आवेदन प्राप्त हुआ? कितने को वन अधिकार पत्र प्रदाय किया गया? कितने आवेदन निरस्त किए गए? **(ख)** क्या यह सही है कि सामुदायिक वन अधिकार पत्र के दावे को लेकर महासमुन्द जिले के अनेक गांवों में सीमा विवाद की स्थिति निर्मित हुई है? **(ग)** यदि **(ख)** सही है तो गाँववार विवरण, शिकायतों की जानकारी और निवारण का ब्यौरा देंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) महासमुंद जिले में 17,393 हितग्राहियों का ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति के माध्यम से व्यक्तिगत वन अधिकार के लिए तथा 337 आवेदन सामुदायिक वन अधिकार हेतु प्राप्त हुआ है। जिसमें से 9,421 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 311 सामुदायिक वन अधिकार पत्र प्रदाय किए गए हैं। पात्रता की शर्तों को पूर्ण नहीं करने के कारण व्यक्तिगत वन अधिकार के 7,972 आवेदन एवं सामुदायिक वन अधिकार के 15 आवेदन निरस्त हुए हैं। **(ख)** जी नहीं। **(ग)** प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

वायु एवं जल प्रदूषण अधिनियम के तहत उद्योगों का निरीक्षण

[आवास एवं पर्यावरण]

15. (क्र. 559) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** महासमुन्द जिले में संचालित किन- किन प्रतिष्ठानों/उद्योगों में वर्ष 2023 और 2024 में जून, 2024 तक कब-कब वायु एवं जल प्रदूषण से संबंधित शिकायतें अथवा स्व संज्ञान से किन-किन विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच की कार्यवाही की गई? **(ख)** किन-किन उद्योगों में जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं करना पाया गया? तथा संबंधित प्रतिष्ठानों /उद्योगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई विवरण देंगे?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) महासमुंद जिले में दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 30.06.2024 तक की अवधि में वायु एवं जल प्रदूषण संबंधित शिकायतों तथा स्व संज्ञान से प्रतिष्ठानों/उद्योगो का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियो द्वारा किये गये निरीक्षण की विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र के कालम 03, 04, 05 एवं 06 अनुसार** है।**(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कालम 07 एवं 08 अनुसार** है। **[संलग्न "परिशिष्ट - बावन"]**

आकांक्षी, जिला महासमुन्द के लिए विशेष वित्तीय सहायता

[योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी]

16. (क्र. 560) श्री योगेश्वर राजू सिन्हा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या आकांक्षी, जिला महासमुन्द के समन्वित विकास के लिए विशेष वित्तीय सहायता का प्रावधान है? **(ख)** क्या महासमुन्द जिला में कम्पोजिट बिल्डिंग निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की मांग लंबित है? यदि हाँ तो कितनी राशि अपेक्षित है? **(ग)** क्या संयुक्त जिला कार्यालय भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत करने पर विचार किया जा रहा है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी नहीं। **(ख)** जिला कार्यालय में कम्पोजिट बिल्डिंग हेतु प्राक्कलन तैयार करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। राषि की गणना प्राक्कलन तैयार करने उपरांत ही निष्चित हो पायेगा। **(ग)** जी नहीं।

प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी की नियुक्ति

[वित्त]

17. (क्र. 574) श्री धरमलाल कौशिक : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने के नियम/निर्देश हैं? यदि हॉ तो क्या हैं? क्या प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारियों को रखने हेतु वित्त विभाग की स्वीकृति जरूरी है तथा इस हेतु क्या नियम हैं? **(ख)** प्रदेश में वर्ष 2022 व 2023 में किन-किन विभागों में प्लेसमेंट के माध्यम से कितने अधिकारी/कर्मचारी रखे गए थें तथा इन में कितने अधिकारी/कर्मचारियों को रखने के लिये वित्त विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदाय की गई थी और कितने कर्मचारी वित्त विभाग की बिना स्वीकृति प्राप्त किये रखे गए थे? विभागवार, पदवार जानकारी देवें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हां, प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से अधिकारी/कर्मचारी रखे जाने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 672/254/परा./2015/1-3, दिनांक 29.05.2015 एवं पत्र क्रमांक 719/275/परा./2017/1-3, दिनांक 30.05.2017 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है। जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र** अनुसार है। विभागों द्वारा समय-समय पर की गई मांग के अनुसार व्यावसायिक सेवाओं हेतु भी विभागीय बजट में प्रावधान किया जाता है। **(ख)** प्रश्नांश "ख" की **जानकारी विभागों से संकलित की जा रही है।**

कृषि विभाग अंतर्गत क्रय किये गए बीज, कीटनाशक, उर्वरक की जांच

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

18. (क्र. 575) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या यह सही है कि पंचम विधानसभा अवधि में कृषि विभाग अंतर्गत क्रय किये गए बीज, कीटनाशक, उर्वरक आदि से संबंधित जांच हेतु विभागीय समिति का गठन किया गया था? यदि हॉ तो समिति की जांच में क्या निष्कर्ष पाए गए, कौन दोषी पाया गया और उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई? समितिवार जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : पंचम विधान सभा अवधि में कृषि विभाग अंतर्गत

क्रय किये गये बीज, कीटनाशक उर्वरक आदि से संबंधित जांच हेतु कोई विभागीय समिति का गठन नहीं किया गया है। अतः शेष जानकारी निरंक है।

कृषि विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी पद के संबंध में

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

19. (क्र. 576) श्री धरमलाल कौशिक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रश्न दिनांक की स्थिति में प्रदेश में कृषि विभाग में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के कौन-कौन से पद स्वीकृत, रिक्त व भरें हुए हैं? राज्य/जिलेवार जानकारी देवें। **(ख)** वर्ष 2021 से उपरोक्त अधिकारियों के विरूद्ध कब, किसने, किसको एवं क्या शिकायत की तथा इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? क्या जांच अधिकारी/समिति बनाई गई तो उनके निष्कर्ष क्या थे? वर्षवार, शिकायतवार जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : प्रश्नांश **(क)** एवं **(ख)** की **जानकारी संकलित की जा रही है।**

जांजगीर-चांपा जिले में स्थापित बारूद फैक्ट्री/बारूद संग्रहण केन्द्र की जांच

[आवास एवं पर्यावरण]

20. (क्र. 583) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जांजगीर-चाम्पा जिले में कितने बारूद फैक्ट्री/बारूद संग्रहण केन्द्र स्थापित हैं, जिन्हें पर्यावरण सरंक्षण मण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गई है? संस्थानों के नामवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** पर्यावरण संरक्षण मण्डल या विभागीय सक्षम अधिकारीयों द्वारा प्रश्नांश **(क)** में पूछे गए स्थापित फैक्ट्री/संग्रहण केन्द्रों का विगत तीन वर्षों 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं प्रश्नांश जून, 2024 तक में कब-कब निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में पर्यावरण संरक्षण मण्डल के किन-किन बिन्दुओं का उल्लंघन पाया गया एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई? संस्थानवार, वर्षवार की गई कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करावें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार जांजगीर-चांपा जिले में किसी बारूद फैक्ट्री/बारूद संग्रहण केन्द्र को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् सम्मति जारी नहीं की गई है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में स्थापित राईस मील, क्रेशर एवं अन्य उद्योग

[आवास एवं पर्यावरण]

21. (क्र. 584) श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में कितने राईस मील, क्रेशर एवं अन्य उद्योग स्थापित हैं, जिन्हें पर्यावरण सरंक्षण मण्डल द्वारा अनुमति प्रदान की गई है? संस्थानों के नामवार, विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें। **(ख)** प्रश्नांश (क) में पूछे गए स्थापित क्रेशर, राईस मील व अन्य उद्योगों के बसाहट/आबादी से न्यूनतम कितनी दूरी पर स्थापित होने संबंधित पर्यावरण संरक्षण मण्डल के दिशा निर्देश हैं एवं वर्तमान में वह कितनी दूरी पर स्थित हैं? संस्थानवार जानकारी उपलब्ध करावें।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम,1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत सम्मति प्राप्त 26 राईस मिल, 68 क्रेशर एवं 50 अन्य उद्योग स्थापित है। संस्थानों के नामवार, विकासखंडवार, **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** उद्योगों के स्थापना हेतु बसाहट/आबादी से न्यूनतम दूरी के संबंध में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किया गया है। क्रेशर,

राईस मिल व् अन्य उद्योगों के बसाहट/आबादी से दूरी संबंधी **जानकारी संलग्न प्रपत्र के कालम-4 अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिरपन"]

मोहला-मानपुर विधान सभा क्षेत्र में किसानों की दी जा रही सुविधाएं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

22. (क्र. 640) श्री इन्द्रशाह मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-दिसंबर, 2023 पश्चात से छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए क्या-क्या नई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, इन योजनाओं के तहत दिसबंर, 2023 से जून, 2024 तक मोहला-मानपुर विधान सभा क्षेत्र के कितने किसानों को क्या-क्या लाभ दिया गया है? वर्तमान में विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अंतर्गत कितने किसान पंजीकृत है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : छत्तीसगढ़ में किसानों के लिये दिसम्बर, 2023 के पश्चात से नई योजना ''कृषक उन्नति योजना'' संचालित की जा रही है। दिसबंर, 2023 से जून, 2024 तक विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर से संबंधित विकासखण्ड मोहला, मानपुर एवं चौकी के कुल 30,214 पंजीकृत किसानों को योजना के प्रावधानुसार खाद्य विभाग द्वारा उपार्जित धान पर रूपये 19,257/- प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदाय की गई है। प्रश्नाधीन अवधी में विधानसभा क्षेत्र मोहला-मानपुर अंतर्गत कुल 32,662 किसान पंजीकृत है। विकासखंडवार पंजीकृत कृषकों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौवन"]

अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण के पूर्व पार्किंग व्यवस्था निरीक्षण

[आवास एवं पर्यावरण]

23. (क्र. 675) श्री राजेश मूणत : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** कैलेण्डर वर्ष 2020 से 2021,2022 तथा 2023 एवं इस कैलेण्डर वर्ष 2024 में 30 जून 2024 तक की अवधि में कितने प्रकरणों का अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण किया गया वर्षवार, बताएं? **(ख)** क्या नियमितीकरण से पूर्व यह सुनिश्चित किया गया कि भवन में पार्किंग की समुचित व्यवस्था थी या नहीं? यदि पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी तो नियमितीकरण किस आधार पर किया गया तथा क्या आज की स्थिति में ये नियमितीकरण निरस्त कर पहले भवन स्वामियों को पार्किंग की समुचित व्यवस्था के निर्देश दिए जा सकते हैं? **(ग)** यदि किसी प्लाट के दोनों ओर मार्ग है तो उसके भूमि स्वामी को दोनों ओर सड़क के मध्य से भुखंड रेखा छोड़कर निर्माण करने के नियम है यदि नहीं तो तद्संबंधी नियमो में प्रवाधन कब तक किया जावेगा?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) कैलेण्डर वर्ष 2020 में 1440, वर्ष 2021 में 1265, वर्ष 2022 में 788, वर्ष 2023 में 20514 तथा इस कैलेण्डर वर्ष 2024 में 30 जून 2024 तक की अवधि में 2281 प्रकरणों का अनाधिकृत विकास का नियमितीकरण किया गया।**(ख)** जी, हां। पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने पर छत्तीसगढ़ अनधिकृत विकास का नियमितिकरण (संशोधन) अधिनियम 2022 की धारा 6 की उपधारा (1) के खण्ड (चार)(ख) के तहत् अतिरिक्त शास्ति निर्धारित कर नियमितिकरण किया गया है तथा आज की स्थिति में ये नियमितीकरण निरस्त कर पहले भवन स्वामियों को पार्किंग की समुचित व्यवस्था के निर्देश भूतलक्षीय प्रभाव से वर्तमान अधिनियम/नियम के अंतर्गत नहीं दिये जा सकते है। **(ग)** छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 एवं विकास योजना नियमन के अंतर्गत मार्ग की चौड़ाई एवं भूखण्ड के आकार के अनुसार प्रावधान है। शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

धमतरी जिले में डी.एम.एफ. मद से बोरवेल खनन्

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

24. (क्र. 684) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-धमतरी जिले में किन-किन हितग्राहियों की भूमि पर विगत 3 वर्षो में विभाग द्वारा विभिन्न

योजनाओं के तहत सिंचाई हेतु बोरवेल खनन किए गए ? उक्त बोरवेल के लिए कौन-कौन सी एजेंसी को कितनी राशि प्रदान की गई ? क्या डीएमएफ राशि से बोर खनन का कार्य किया गया ? यदि हां, तो कितना बोर सफल रहा है ? कृपया विकासखण्डवार जानकारी प्रदाय करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : धमतरी जिले में विगत 03 वर्षों (वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक) में कृषक द्वारा सिंचाई हेतु स्वयं की भूमि पर विभाग द्वारा संचालित राज्य पोषित किसान समृद्धि योजना अंतर्गत 393 नलकूप खनन एवं केन्द्र प्रवर्तित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत 1237 उथला नलकूप खनन कुल 1630 खनन कराये गये। वर्षवार, कृषकवार, विकासखंडवार जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब** अनुसार है। उक्त नलकूप/उथला नलकूप खनन हेतु विभिन्न एजेंसी को राशि रू. 119.55 लाख भुगतान की गई। एजेंसीवार, योजनावार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-स अनुसार** है। प्रश्नाधीन अवधि में डी.एम.एफ. मद से बोर खनन कार्य नहीं किया गया है।

सिहावा विधानसभा क्षेत्र में वितरित वन अधिकार पत्र एवं सामुदायिक वन अधिकार पत्र

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

25. (क्र. 685) श्रीमती अंबिका मरकाम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सिहावा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में जून, 2024 तक कुल कितने हितग्रहियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं ? हितग्राहियों की संख्या सहित जानकारी बताएं? **(ख)** प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित समयावधि दौरान कितने हितग्राहियों में प्रकरण लंबित हैं ? हितग्राहियों की संस्था ग्राम पंचायतवार बताएं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) सिहावा विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि में 131 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 519 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं। **(ख)** ग्राम पंचायत बेलरबाहरा में 21 एवं करही में 15 इस प्रकार कुल 36 हितग्राहियों के व्यक्तिगत वन अधिकार के प्रकरण ग्रामसभा स्तर पर लंबित हैं। सामुदायिक वन अधिकार का कोई भी प्रकरण लंबित नहीं है।

धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वितरित वन अधिकार पत्र का वितरण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

26. (क्र. 692) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष, 2022 से जून,2024 तक कुल कितने हितग्राहियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया हैं, हितग्राहियों की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध कराएं? **(ख)** उक्त अवधि के कितने प्रकरण लंबित हैं, हितग्राहियों संख्या, पंचायतवार बताएं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नाधीन अवधि में 1615 हितग्राहियों को व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 08 सामुदायिक वन अधिकार पत्र वितरित किए गए हैं।**(ख)** प्रश्नाधीन अवधि के व्यक्तिगत वन अधिकार के 424 प्रकरण लंबित हैं एवं सामुदायिक वन अधिकार के कोई भी प्रकरण लंबित नहीं हैं। पंचायतवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पचपन"]

जिला रायगढ़ अंतर्गत कृषक समृद्धि योजना के लाभान्वित हितग्राही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

27. (क्र. 693) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला रायगढ़ अंतर्गत कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत वर्ष 2022 से जून, 2024 तक कितने

किसानों को ट्यूबवेल का वितरण किया गया है, विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने किसान पात्र हैं, कितने अपात्र हैं, ट्यूबवेल के लिए पात्रता हेतु क्या क्या नियम है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) अविभाजित जिला रायगढ़ अंतर्गत राज्य पोषित किसान समृद्धि योजना अंतर्गत वर्ष 2022 से जून 2024 तक 120 किसानों को अनुदान पर नलकूप प्रतिस्थापन से लाभान्वित किया गया है, वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र.	विकासखंड	जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक	2022-23	2023-24	2024-25 (जून 2024 तक)	योग
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	रायगढ़	13	4	24	0	41
2	खरसिया	1	4	0	0	5
3	तमनार	0	16	2	0	18
4	पुसौर	8	5	2	0	15
5	धरमजयगढ़	0	7	2	0	9
6	घरघोडा	0	0	0	0	0
7	लैलुगा	27	0	0	0	27
	योग	**49**	**36**	**30**	**0**	**115**
8	सारंगढ़	2	3	पृथक जिला निर्मित		5
9	बरमकेला	0	0			0
	योग	**2**	**3**			5
	महायोग	**51**	**39**	**30**	**0**	**120**

(ख) प्रश्नाधीन अवधि में योजनान्तर्गत कुल 240 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें समस्त कृषक पात्र हैं। ''किसान समृद्धि योजना'' में नलकूप खनन/पंप प्रतिस्थापन हेतु पात्रता निम्नानुसार हैः- 1. योजनांतर्गत समस्त वर्ग के कृषक पात्र है, लघु एवं सीमांत वर्ग के कृषकों को प्राथमिकता दी जावेगी। 2. अनुदान की पात्रता उन सभी कृषक व उनके समूह को होगी, जिन्होंने सहकारी अथवा व्यवसायिक बैंक से ऋण लिया हो अथवा ऐसे कृषक या उनके समूह जो स्वयं के व्यय से नलकूप खनन के इच्छुक हो। 3. कृषक अथवा कृषक समूह में जोत का आकार न्यूनतम 1 हेक्टेयर हो। 4. एक नलकूप से दूसरे नलकूप की दूरी कम से कम 300 मीटर होना अनिवार्य है। 300 मीटर की परिधि में पूर्व निर्मित नलकूप हैण्ड पंप नही होना चाहिये। 5. योजनांतर्गत सहकारी संस्था, ट्रस्ट इत्यादि को अनुदान की पात्रता नही होगी। 6. विभाग द्वारा संचालित अन्य योजना अथवा किसान समृद्धि योजनांतर्गत पूर्व में नलकूप खनन अनुदान का लाभ प्राप्त किये कृषक पात्र नही होंगें।

<u>जिला राजनांदगांव व खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में इन्वर्टर की खरीदी</u>

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

28. (क्र. 706) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत इन्वर्टर की खरीदी की गई है? यदि हां, तो कब-कब और किस-किस एजेंसी/फर्म से कितनी मात्रा में की गई? क्या इन्वर्टर खरीदी के लिए किसी प्रकार की निविदा आमंत्रित की गई थी? यदि हां तो चयनित एजेंसी/फर्म का नाम, चयन प्रक्रिया की जानकारी देवें? इन्वर्टर कहां-कहां और कब-कब स्थापित किया गया? क्या एजेंसी द्वारा उसका मेंटनेंस किया जा रहा हैं? यदि नहीं तो क्यों तथा एजेंसी पर क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी नहीं। प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

छात्रावास में सामग्री क्रय से संबंधित जानकारी

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

29. (क्र. 707) श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2021-22 से जून,2024 तक जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत कौन-कौन से मद में कौन-कौन सी सामग्रियॉ क्रय की गई? सामग्रियों का क्रय किस-किस एजेंसी/फर्म/दुकान से किया गया? फर्म का चयन किस आधार पर किया गया? फर्म का नाम, खरीदी गई सामग्री का नाम, मात्रा, वर्षवार बताएं? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की सामग्री किस-किस छात्रावास में कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध कराई? वर्षवार,विकासखंडवार, जिलावार जानकारी देवें? **(ग)** क्या खरीदी मे अनियमितता पाई गई? यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक जिला राजनांदगांव अतंर्गत विभिन्न मदों में क्रय की गई सामग्रियों का नाम, मात्रा एवं फर्मो की जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। उक्त अवधि में राजनांदगॉव से नवगठित जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई द्वारा कोई सामग्री का क्रय नहीं किया गया है। **(ख)** वर्षवार, विकासखण्डवार, जिलावार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** जी नहीं। अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

नवा रायपुर अटल नगर के प्रभावित भूस्वामियों को वार्षिक राशि का भुगतान

[आवास एवं पर्यावरण]

30. (क्र. 714) श्री गुरू खुशवंत साहेब : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या नवा रायपुर अटल नगर के प्रभावित भूस्वामियों को वार्षिक राशि के भुगतान का कोई अनुबंध है? **(ख)** यदि हां, तो कितने भू स्वामियों से कितनी-कितनी वार्षिक राशि भुगतान किये जाने का अनुबंध किया गया है? ग्रामवार जानकारी देवें। **(ग)** जनवरी, 2022 से जून, 2024 तक कितने भू स्वामियों को वार्षिकी राशि का भुगतान नहीं किया गया है? में कितने भू स्वामियों को राशि नहीं प्राप्त होने की शिकायत प्राप्त हुई हैं तथा उक्त के संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) नवा रायपुर अटल नगर के प्रभावित भूमिस्वामियों से वार्षिकी राशि के भुगतान का कोई अनुबंध नहीं किया गया है।**(ख)** प्रश्नांश 'क' के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।**(ग)** जनवरी, 2022 से जून, 2024 तक कुल 672 भूमिस्वामियों को वार्षिकी राशि का भुगतान नहीं किया गया था। जिसमें से 333 भूमिस्वामियों के प्राप्त आवेदनों में संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण कर वार्षिकी राशि का भुगतान किया जा चुका है। शेष 339 भू-स्वामियों का प्रकरण-ऑडिट आपत्तियों, न्यायालयीन प्रकरणों, भूमिस्वामियों के मृत्यु पश्चात उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज किए जाने, आपसी पारिवारिक विवाद एवं बैंक खाता की त्रुटियों आदि के कारण लंबित है। उक्त के अतिरिक्त कोई शिकायत आवेदन प्राप्त नहीं है। लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार या आर्थिक अनियमितता की शिकायतें

[वित्त]

31. (क्र. 723) श्री दीपेश साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-पिछले 03 वर्षों में कितने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार या आर्थिक अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई? इनमें कितनों की जाँच कब पूर्ण हुई अगर जाँच लंबित है तो क्यों और कब तक पूरी हो जायेगी? जिनकी जाँच पूरी हुई है उसमें शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई है? वर्षवार जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : पिछले 03 वर्षो में वित्त विभाग के अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार या आर्थिक अनियमितता की कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। शेष प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।

जिला मुंगेली अंतर्गत जैविक कृषि से लाभान्वित कृषक

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

32. (क्र. 724) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला मुंगेली अंतर्गत जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये कौन-कौन सी योजनायें संचालित हैं? वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक जैविक कृषि हेतु कितने किसानों को लाभ प्रदान करते हुये क्या-क्या सुविधाएं दी गयी हैं? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अवधि में कितने किसानों को कितनी राशि सब्सिडी के रुप में दी गयी है, विकासखण्ड वार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला-मुंगेली में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिये केन्द्र प्रवर्तित परम्परागत कृषि विकास योजना तथा राज्य पोषित जैविक खेती मिशन संचालित है। वर्ष 2021-22 से जून, 2024 तक इन योजनाओ के तहत जैविक कृषि हेतु 1,391 किसानों को लाभ प्रदान करते हुए जैविक क्षेत्र बनाने हेतु पी.जी.एस. प्रमाणीकरण, ऑनफार्म जैविक कम्पोस्ट उत्पादन एवं कीटनाशी अवशेष परीक्षण, उन्नत तकनीकी हस्तांतरण अंतर्गत जैविक फसल प्रदर्शन आयोजन हेतु आदान सामग्री यथा सुगन्धित धान बीज, जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, हस्त चलित उपकरण तथा क्षमता विकास हेतु कृषक प्रशिक्षण, शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम एवं जैविक उत्पादों के विपणन व प्रचार-प्रसार हेतु जैविक किसान मेला के दौरान जीवंत प्रदर्शनी आयोजन की सुविधा दी गई है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' की अवधि में विकासखंड-पथरिया के 1,391 किसानो को रू. 238.73 लाख अनुदान के रूप में सामग्री दी गई। प्रश्नाधीन अवधि में जिला-मुंगेली के विकासखण्ड मुंगेली एवं लोरमी में योजना का क्रियान्वयन नही किया गया।

जिला-मुंगेली में संचालित प्री.मैट्रिक/पोस्ट मैट्रिक कन्या एवं बालक छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

33. (क्र. 725) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** मुंगेली जिला में जून 2024 की स्थिति में कितने अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कुल कितने प्री.एवं पोस्ट कन्या एवं बालक छात्रावास संचालित हैं? **(ख)** उक्त छात्रावास में कितनी-कितनी सीट स्वीकृत हैं? इन सीटों के विरुध्द कितने छात्र-छात्राएं निवासरत हैं? कितने छात्रावास स्वयं के भवन में संचालित हैं एवं कितने भवन-विहिन हैं? यदि भवन-विहिन हैं,तो कहां कहां? छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है एवं कब तक भवन उपलब्ध करा दिया जावेगा? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 05 अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास, 08 अनुसूचित जाति प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, 03 अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास, 03 अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास, 03 अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास, 04 अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, 01 अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास संचालित है। अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास संचालित नहीं है। **(ख)** अनुसूचित जाति वर्ग के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में स्वीकृत 470 सीट के विरूद्ध 332 छात्र, प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में 250 सीट के विरूद्ध 220 छात्राएं, पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में स्वीकृत 250 सीट के विरूद्ध 129 छात्र एवं पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में स्वीकृत 250 सीट के विरूद्ध 130 छात्राएं निवासरत है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में स्वीकृत 200 सीट के विरूद्ध 200 छात्र, प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में 150 सीट के विरूद्ध 142 छात्राएं, एवं पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में स्वीकृत 50 सीट के विरूद्ध 12 छात्राएं निवासरत है। 22 छात्रावास स्वयं के भवन में संचालित हैं एवं 05 छात्रावास भवन विहीन हैं। पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक एवं कन्या छात्रावास लोरमी, प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास लोरमी, प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास लोरमी तथा प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बरमपुर भवन विहीन हैं। उक्त भवन विहीन छात्रावासों के भवन निर्माण कार्य स्वीकृत हैं जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है। निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।

सरगुजा जिले में माइक्रो वाटर शेड योजना अंतर्गत कार्यों में अनियमितता

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

34. (क्र. 726) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सरगुजा जिले में माइक्रो वाटर शेड योजना अंतर्गत जनवरी 2021-22 से जून, 2024 तक किन-किन स्थानों में कितनी-कितनी लागत से कौन-कौन सी एजेंसी तथा एन.जी.ओ. के माध्यम से कितनी-कितनी लागत से कार्य कराये गए? विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी देवें। **(ख)** प्रशानांक 'क' अनुसार योजना के क्रियान्वयन के लिए स्थल चयन के क्या मापदण्ड हैं? उक्त निर्माण से कितने किसानों के कितनी हेक्टेयर भूमि सिंचित हुई तथा फसल के उत्पादन में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई? लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या, वर्षवार दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) सरगुजा जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण क्षेत्र विकास घटक अंतर्गत जनवरी 2021-22 से जून, 2024 तक जलग्रहण समितियों के माध्यम से कुल रू. 521.14 लाख की लागत से 108 कार्य कराये गये। एन.जी.ओ. के माध्यम से कोई कार्य नहीं कराये गये है। विधानसभा क्षेत्रवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-जलग्रहण क्षेत्र विकास घटक अंतर्गत परियोजना क्रियान्वयन के लिए स्थल चयन हेतु वाटरशेड क्षेत्रों में भूमि के कटाव रोकने, वर्षा जल के प्रवाह की गति कम करने, वर्षा जल को वाटरशेड क्षेत्र में ही रोकने, भूमि एवं जल संरक्षण सिद्धांतों के तहत ''शिखर से घाटी'' की अवधारणा को आधार मानकर मृदा प्रोफाईल, ढलान का प्रतिशत, जियोमार्फोलॉजी, लिथोलॉजी, वानस्पतिक आच्छादन, नालों की चौड़ाई-गहराई, समीपस्थ खेती योग्य भूमि एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव को मापदण्ड अनुसार स्थल चयन किया जाता है। प्रश्नांश ''क'' की अवधि में किये गये निर्माण कार्यो से वर्षवार सिंचित भूमि का रकबा, फसल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि एवं लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - छप्पन"]

सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित प्री./पोस्ट मैट्रिक कन्या एवं बालक छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

35. (क्र. 727) श्री रामकुमार टोप्पो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में जून 2024, की स्थिति में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के कुल कितने प्री. एवं पोस्ट मैट्रिक कन्या एवं बालक छात्रावास संचालित हैं? **(ख)** प्रश्नांक 'क' अनुसार उक्त छात्रावास में कितनी-कितनी सीट स्वीकृत हैं? इन सीटों के विरुद्ध कितने छात्र-छात्राएं निवासरत हैं? क्या सभी छात्रावास स्वयं के भवन में संचालित हैं? यदि नहीं तो कहाँ-कहाँ? और कब तक इनका छात्रावास निर्माण किया जावेगा? जानकारी प्रदान करें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में जून 2024 की स्थिति में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 14 प्री मैट्रिक बालक छात्रावास, 08 प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास, 03 पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास एवं 03 पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास संचालित है। अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावास सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत संचालित नहीं हैं। **(ख)** अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में स्वीकृत 660 सीट के विरूद्ध 395 छात्र निवासरत, प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास में 420 सीट के विरूद्ध 208 छात्राएं, पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में स्वीकृत 150 सीट के विरूद्ध 70 छात्र एवं पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास में स्वीकृत 150 सीट के विरूद्ध 70 छात्राएं निवासरत है। स्वयं के भवनों में संचालित एवं अन्यत्र संचालित छात्रावासों की जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। भवन विहीन छात्रावासों के भवन निर्माण की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नही है।

[संलग्न "परिशिष्ट - सनतावन"]

जिला-रायगढ़ अंतर्गत अवैध फ्लाईएश डंपिंग की प्राप्त शिकायतों पर कृत कार्यवाही

[आवास एवं पर्यावरण]

36. (क्र. 733) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या दिसंबर, 2023 से जून,2024 तक रायगढ़ जिला के विभिन्न मार्गों में अवैध फ्लाई एश डंपिंग की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां तो कहां, कब-कब हुई है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? **(ख)** यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि जिले में प्रश्नांकित दिनांक तक कहां-कहां कितने डंपयार्ड हैं और कहां किन-किन उद्योगों का फ्लाई एश डंप होता है? **(ग)** यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अवैध फ्लाई एश डंपिंग को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहें हैं और कब तक कर लिए जायेंगे?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हाँ। प्रश्नाधीन अवधि में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को ग्राम-महापल्ली मार्ग से लगे भूमि पर फ्लाई एश डंपिंग की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ख)** जिला रायगढ़ में ताप विद्युत संयंत्रो से जनित ऐश के भण्डारण हेतु स्थापित एश डाईक की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से फ्लाई ऐश से भू-भराव हेतु अनुमति/अनापत्ति प्राप्त स्थलों की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-स अनुसार** है।**(ग)** छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अवैध फ्लाई ऐश अपवहन के रोकथाम हेतु निम्नानुसार उपाय किये गये है :– (1) जी.पी.एस. युक्त वाहनों से फ्लाई ऐश का परिवहन।(2) फ्लाई ऐश अवैध अपवहन के शिकायत हेतु व्हाट्अप हेल्प लाईन नंबर। (3) मुख्य मार्गो का समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण। (4) फ्लाई ऐश अपवहन नियमों का उल्लंघन की स्थिति पाये जाने पर नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर राशि वसूली।
[संलग्न "परिशिष्ट - अनठावन"]

रायगढ़ जिला में कोल साइडिंग की प्राप्त शिकायतें

[आवास एवं पर्यावरण]

37. (क्र. 736) श्री उमेश पटेल : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायगढ़ जिला अंतर्गत कितने औद्योगिक कोल साइडिंग कहां-कहां पर संचालित हैं? पर्यावरण विभाग द्वारा किन शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है? क्या शर्तों का पालन किया जाता है? क्या इन साइडिंगों में पर्यावरण को प्रदूषित करने की शिकायत प्राप्त हुई है? **(ख)** क्या इन उद्योगों द्वारा उद्योग लगाने के पूर्व जनसुनवाई हेतु पर्यावरण विभाग से अनुमति लिया जाता है तो कौन से मापदण्ड के आधार पर अनुमति दी जाती है? उल्लंघन करने पर क्या कार्यवाही का नियम है? **(ग)** पर्यावरण प्रदूषित न हो इसके लिए सरकार द्वार क्या कार्ययोजना बनाई गयी है और इसके क्रियान्यवयन के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है। विभाग द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् साइडिंग में पर्याप्त मात्रा में जल छिडकाव हेतु फिक्स्ड वाटर स्प्रिंकलर की स्थापना करने, कोल साइडिंग के दोनों तरफ विंड शील्ड की स्थापना करने, कोल साइडिंग के प्रवेश व निकासी द्वार में रेनबाथ की व्यवस्था करने, ढके ट्रकों के माध्यम से उत्पाद व रॉ मटेरियल का परिवहन करने, पर्याप्त संख्या में वृक्षारोपण करने, उच्चकोटि की हाउसकीपिंग की व्यवस्था करने आदि शर्तों के साथ सम्मति जारी की जाती है। सभी कोल साइडिंग द्वारा शर्तो का पालन किया जा रहा है। कोल साइडिंग से पर्यावरण को प्रदूषित करने की विगत 01 वर्ष में विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।**(ख)**कोल साईडिंग, ई.आई.ए. अधिसूचना 2006 (यथा संशोधित) की परिधि से परे है। अत: कोल साईडिंग की स्थापना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति एवं लोकसुनवाई की आवश्यकता नहीं है। अत: शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।**(ग)**केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कोल साईडिंग से प्रदूषण नियंत्रण हेतु माह मार्च 2015 में गाईडलाईन जारी की गई है। सभी कोल साईडिंग द्वारा इसका पालन किया जाना अनिवार्य है। विभाग द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाकर प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं का संचालन सुनिश्चित कराया जाता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्सठ"]

जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अंतर्गत ग्राम बकरकट्टा व साल्हेवारा में आदिवासी छात्रावास निर्माण

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

38. (क्र. 739) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम बकरकट्टा व साल्हेवारा में निर्माणाधीन आदिवासी छात्रावास भवन का निर्माण कब तक पूर्ण किया जाना अनुबंध में उल्लेखित है? **(ख)** ग्राम बकरकट्टा व साल्हेवारा में निर्माणाधीन भवन के कार्य के एस्टीमेट व मेजरमेंट बुक की जानकारी देवें। **(ग)** क्या उक्त निर्माण कार्य में संलग्न एजेंसी/ठेकेदार के विरुद्ध पूर्व में निर्माण कार्य में लापरवाही या गुणवत्ताहीन कार्य के संबंध में विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है? जानकारी प्रदान करे।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम बकरकट्टा में निर्माणाधीन प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन का निर्माण दिनांक 30.01.2024 तक एवं साल्हेवारा में निर्माणाधीन प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन का निर्माण दिनांक 03.11.2023 तक पूर्ण किया जाना अनुबंध में उल्लेखित है। **(ख)** ग्राम बकरकट्टा में निमार्णाधीन प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन के एस्टीमेंट की लागत राशि रूपये 152.97 लाख एवं मेजरमेंट बुक की मूल्यांकन राशि रूपये 86.28 लाख व साल्हेवारा में निर्माणाधीन प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास भवन के कार्य के एस्टीमेट की लागत राशि रूपये 152.97 लाख एवं मेजरमेंट बुक की मूल्यांकन राशि रूपये 103.91 लाख है। **(ग)** जी नहीं।

जिला- बालोद अंतर्गत पर्यावरण सुधार हेतु कराए गए कार्य

[आवास एवं पर्यावरण]

39. (क्र. 747) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या केंद्र/राज्य प्रवर्तित अनेक योजनाओं के माध्यम से विभाग द्वारा बालोद जिला अंतर्गत पर्यावरण सुधार हेतु विभिन्न प्रकार के अनेक कार्य किये जा रहे हैं? **(ख)** यदि हाँ तो नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 2021-22 से लेकर वर्ष 2023-24 तक बड़े एवं छोटे उद्योगों से होने वाली प्रदूषण, अत्यंत दूषित अपशिष्ट, संग्रहण स्थलों के माध्यम से होने वाले प्रदूषण, खनिज खदानों, ईट भट्टों इत्यादि अन्य अनेक प्रकार के स्थलों के सम्बन्ध में किस कार्य योजना के माध्यम से क्या क्या किया गया? वर्षवार जानकारी देवें? **(ग)** प्रश्नांश "ख" उल्लेखित विभिन्न स्थलों के साथ ही अन्य स्थलों पर भी प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ एवं नियंत्रित किये जाने हेतु क्या क्या कार्यवाही की गई? वर्षवार जानकारी देवें? **(घ)** प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित पर्यावरण विरुद्ध कार्य किये स्थलों का निरीक्षण, जाँच, कब-कब किया गया? क्या कार्यवाही की गई जानकारी देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जिला-बालोद अंतर्गत वन विभाग द्वारा केंद्र/राज्य प्रवर्तित निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से वन क्षेत्रो में वन संवर्धन एवं संरक्षण की दृष्टि से कार्य किए जाते है :- (1) बिगड़े वनों का सुधार योजना, (2) बिगड़े बांस वनों का सुधार योजना, (3) सहायक प्राकृतिक पुनरोत्पादन कार्य योजना, (4) भू-जल संरक्षण कार्य योजना, (5) पर्यावरण वानिकी, (6) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण, बांस रोपण, मिश्रित प्रजाति रोपण, (7) डिपोजिट रोपण।**(ख)** नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी वृहद्, मध्यम एवं लघु श्रेणी के उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत् जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु समुचित व्यवस्था करने, शून्य निस्सारण की स्थिति रखने, उचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन व्यवस्था करने, सघन वृक्षारोपण करने आदि प्रमुख शर्तों के साथ छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा सम्मति जारी की गई है। वर्तमान में उद्योगों द्वारा जल एवं वायु सम्मति में निहित शर्तों का पालन किया जा रहा है। वन विभाग द्वारा वर्ष 2023-24 में महामाया माइंस के विरूद्ध वन कक्ष क्रमांक-280 आर.एफ. रकबा 8.00 हेक्टे. क्षेत्र में कैम्पा -सेफ्टीजोन वृक्षारोपण के तहत 7279 पौधों का रोपण कार्य किया गया। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में सेफ्टीजोन वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया तथा छ.ग. राज्य वन विकास निगम द्वारा भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई राजहरा माईन्स अंतर्गत डिपोजिट रोपण के तहत वर्ष 2021-22 में 37500 पौधे, वर्ष 2023-24 में 25000 पौधों का रोपण कार्य किया गया है।**(ग)** वन विभाग द्वारा अन्य स्थलों पर भी प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ एवं

नियंत्रित किये जाने हेतु की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(घ)**बालोद जिला के अंतर्गत दिनांक 01/04/2021से 31/03/2024 के मध्य किये गये निरीक्षण में जिन उद्योगों/खदानों में अनियमितता पाई गई एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - साठ"]

अमानक रासायनिक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों की गुणवत्ता की जाँच

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

40. (क्र. 748) श्री कुंवर सिंह निषाद : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या जिला-बालोद में वर्ष 2023-24 में खाद, दवाई एवं बीज विक्रेताओं के संस्थानों में अमानक रासायनिक खाद बीज एवं कीटनाशक दवाइयों के गुणवत्ता की जाँच करायी गई? किस किस स्थानों में किन किन संस्थानों के खाद बीज एवं दवाई अमानक स्तर में पाए गए तथा उन पर क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हां । जिला-बालोद में वर्ष 2023-24 में खाद, दवाई एवं बीज विक्रेताओं के संस्थानों में रासायनिक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों के गुणवत्ता की जाँच करायी गई है। पंजीकृत विक्रय संस्थानों से लिए गए रासायनिक खाद, बीज एवं कीटनाशक दवाइयों के नमूनों में से परीक्षण उपरांत अमानक पाए गए नमूनों एवं उन पर की गई कार्यवाही की संस्थावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब एवं प्रपत्र-स अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - इकसठ"]

प्रदेश के जिलो में जिलास्तरीय नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय खोला जाना

[आवास एवं पर्यावरण]

41. (क्र. 751) श्री दीपेश साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश के सभी जिलों में नगर तथा ग्राम निवेश का कार्यालय संचालित है? यदि नहीं तो क्या कार्यालय खोलने संबंधी सरकार की कोई कार्ययोजना है? यदि हाँ, तो कब तक नगर निवेश का कार्यालय खोला जावेगा? **(ख)** नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में कुल कितने पद स्वीकृत हैं तथा स्वीकृत पद के विरूद्ध कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं? एवं रिक्त पद कब तक भरे जायेंगे ? जिलेवार जानकारी प्रदाय करे?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी, नहीं। प्रदेश के कुल 33 जिलों में से 18 जिलों में नगर तथा ग्राम निवेश के कार्यालय संचालित है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 09 जिलों सारंगढ़-बिलाईगढ़, सक्ति, मोहला-मानुपर-अंबागढ़ चौकी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, बेमेतरा, सूरजपुर, मुंगेली एवं गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में नगर तथा ग्राम निवेश के नवीन कार्यालय खोले जाने हेतु 108 पदों की स्वीकृति एवं अन्य कार्यालय स्थापना व्यय हेतु नवीन मद में शामिल किया गया है। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है।**(ख)** नगर तथा ग्राम निवेश विभाग में कुल 398 पद स्वीकृत है तथा स्वीकृत पद के विरूद्ध 168 पदों पर अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत है एवं शेष 230 पद रिक्त है। निश्चित तिथि बताया जाना संभव नहीं है। जिलेवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बैंसठ"]

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्रांतर्गतअवैध विकास के नियमितीकरण हेतु स्वीकृत आवेदन

[आवास एवं पर्यावरण]

42. (क्र. 752) श्री दीपेश साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध विकास के नियमितीकरण हेतु वर्ष 2022 में कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? कितने प्रकरण स्वीकृत किये गये हैं? कितने प्रकरण अस्वीकृत किये गये हैं? कितना शास्ति राशि अधिरोपित की गयी है तथा कितने प्रकरणों में पार्किंग शुल्क लिया गया है, आवासीय एवं गैर आवासीय प्रकरणों में

जिलेवार जानकारी देवें?**(ख)** अस्वीकृत किये गये आवेदनों/प्रकरणों के क्या कारण हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की जावेगी?**(ग)** भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण की स्थिति में नियमितीकरण हेतु आवेदन नहीं किये जाने की स्थिति में अधिक निर्माण पर सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने क्या कार्ययोजना है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध विकास के नियमितीकरण हेतु वर्ष 2022 में कुल 15 प्रकरण दर्ज किये गये है, जिसमें से 12 प्रकरण स्वीकृत किए गए है। अस्वीकृत प्रकरणों की संख्या निरंक है। कुल 35,28,763.00 रू. शास्ति की राशि अधिरोपित की गई है तथा 01 प्रकरण में पार्किंग शुल्क की राशि अधिरोपित की गई है, राशि प्राप्त नहीं हुई है। बेमेतरा जिला में आवासीय के कुल 11 प्रकरण तथा गैर आवासीय के 04 प्रकरण दर्ज किए गए है**(ख)** जानकारी निरंक है।**(ग)** भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण की स्थिति में नियमितीकरण हेतु आवेदन नहीं किये जाने की स्थिति में अधिक निर्माण पर शासन द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा-307, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-36/37, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा-187 तथा छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 2(5) के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाती है।

जिला-महासमुंद में संचालित शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना

[आवास एवं पर्यावरण]

43. (क्र. 757) श्री द्वारिकाधीश यादव : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-महासमुंद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रो में आवास निर्माण हेतु कौन-कौन सी योजना संचालित हैं तथा वर्तमान में इन योजनाओ में स्वीकृत, निर्मित एवं अपूर्ण कार्यो की जानकारी विकासखण्डवार, शहरी/ग्रामीण, योजनावार बतावें ? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के आवास योजनाओ में निर्माण कार्य पूर्ण, परन्तु अनआबंटित, आवासों की संख्या योजनावार, विकासखण्डवार बतायें ? कब तक आबंटित कर दी जायेंगी?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम (2),(3),(4),(5),(6) एवं (7) अनुसार है।**(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम (8) एवं (9) अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिरसठ"]

जिला-बलोद में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए संचालित छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

44. (क्र. 764) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 30 जून, 2024 की स्थिति में जिला-बालोद में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए किस-किस स्तर के कितने बालक व बालिका छात्रावास संचालित है तथा इन छात्रावासों में सीटों की संख्या कितनी-कितनी है? विकासखण्डवार बतावें. **(ख)** दिनांक 30 जून, 2024 की स्थिति में कण्डिका 'क' के छात्रावासों में दर्ज बच्चों की संख्या कितनी है? विकासखण्डवार बतावें। **(ग)** कण्डिका 'क' के कितने छात्रावास भवनविहीन तथा कितने अहातावि‍हीन हैं? **(घ)** विगत 03 वर्षों में उक्त छात्रावासों को किन-किन मदों में कुल कितनी राशि प्रदान की गई है तथा उनके द्वारा प्राप्त राशि को किन-किन कार्यों में कितना-कितना खर्च किया गया है? जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** कण्डिका 'क' के 01 छात्रावास भवनविहीन तथा 03 छात्रावास अहातावि‍हीन है। **(घ)** विगत 03 वर्षो में उक्त छात्रावासों को विभिन्न मदों में प्रदान की गई राशि तथा कार्यो में किए गये व्यय की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''स''** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - चौंसठ"]

जिला-बालोद में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए संचालित छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

45. (क्र. 765) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** दिनांक 30 जून, 2024 की स्थिति में जिला-बालोद में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए किस-किस स्तर के कितने बालक व बालिका छात्रावास संचालित है तथा इन छात्रावासों में सीटों की संख्या कितनी-कितनी है? विकासखण्डवार बतावें। **(ख)** कण्डिका 'क' के छात्रावासों में बच्चों की दर्ज संख्या कितनी है? विकासखण्डवार बतावें। **(ग)** कण्डिका 'क' के कितने छात्रावास भवनविहीन तथा कितने अहाताविहीन हैं? **(घ)** विगत 03 वर्षों में उक्त छात्रावासों को किन-किन मदों में कुल कितनी राशि प्रदान की गई है तथा उनके द्वारा प्राप्त राशि को किन-किन कार्यों में कितना-कितना खर्च किया गया है? जानकारी देवें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) दिनांक 30 जून, 2024 की स्थिति में जिला-बालोद अतंर्गत विकासखंड बालोद में अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए प्री-मैट्रिक बालक छात्रावास बालोद तथा पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास बालोद संचालित है तथा इन छात्रावासों में सीटों की संख्या 50-50 है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' के छात्रावासों में बच्चों की दर्ज संख्या क्रमशः 50 एवं 25 है। **(ग)** जानकारी निरंक है। **(घ)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - पैंसठ"]

बस्तर सभांगान्तर्गत ''परधान समुदाय'' को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण-पत्र हेतु मात्रा-त्रुटि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

46. (क्र. 768) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या बस्तर संभाग अंतर्गत "परधान" समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने में जाति की मात्रा त्रुटि सम्बंधी कोई समस्या है? यदि हां तो क्या त्रुटि सुधार या सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सरकार की क्या योजना है? **(ख)** प्रश्नांक 'क' के अनुसार "परधान" समुदाय की प्रदेश में कुल कितनी जनसंख्या है? जिलेवार बतावें ।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हॉ, बस्तर संभाग अंतर्गत 'परधान' समुदाय को सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है क्योंकि, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु जारी अनुसूचित जनजाति की सूची में अनुक्रमांक 35 पर परधान जाति शामिल है किंतु कतिपय लोगों के प्रारंभिक राजस्व अभिलेखों में पूर्वजों की जाति प्रधान (Pradhan) भी उल्लेखित है, जो कि छत्तीसगढ राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। विभाग द्वारा प्रधान जातिनाम को राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किये जाने संबंधी प्रस्ताव भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रेषित किया गया जिसे भारत सरकार द्वारा भारत के महापंजीयक कार्यालय की टिप्पणी के आधार पर अमान्य किया गया। **(ख)** स्वतंत्र रूप से परधान समुदाय की जनसंख्या, जनगणना प्रतिवेदनों में उपलब्ध नहीं है।

बीजापुर जिले में संचालित आश्रम/छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

47. (क्र. 769) श्री विक्रम मंडावी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बीजापुर जिले में कितने आदिवासी आश्रम/ छात्रावास हैं? कितने आश्रम/छात्रावास भवन-विहीन हैं? कितने आश्रम /छात्रावास स्वयं के शासकीय भवन में संचालित हैं? विकासखण्डवार जानकारी देवें। **(ख)** कितने आश्रम/छात्रावास शासन के अभिलेख के अनुसार अपने मूल स्थान पर संचालित हैं? यदि नहीं संचालित या अन्यत्र संचालित हैं, तो क्यों ? विकासखण्डवार जानकारी देवें। **(ग)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार आश्रम/छात्रावास मूल स्वीकृत स्थान पर कब से संचालित किए जायेंगे? विकासखण्वार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) 137 आश्रम एवं 44 छात्रावास संचालित हैं।

भवन विहीन एवं स्वयं के भवन में संचालित आश्रम/छात्रावासों की विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। **(ग)** चूंकि नक्सल समस्या वर्तमान में भी विद्यमान है, अतः आश्रम/छात्रावासां को मूल स्वीकृत स्थान पर संचालित किए जाने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - छैंसठ"]

बिलासपुर जिला अंतर्गत लघु सिंचाई, तालाब निर्माण एवं नलकूप खनन योजना के प्राप्त आवेदन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

48. (क्र. 773) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में लघु सिंचाई तथा तालाब निर्माण योजना, नलकूप खनन योजना के तहत कितने-कितने किसानों से आवेदन प्राप्त हुए? विकासखण्डवार विस्तृत विवरण देवें? (ख) कंडिका "क" के कितने किसानों को, योजना के तहत किन-किन कार्यों के लिए, कितना-कितना अनुदान दिया गया हैं? विस्तृत विवरण देवें? (ग) कंडिका "क" के कितने आवेदनों पर कार्यवाही की गई हैं?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) संचालनालय कृषि द्वारा संचालित लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना हितग्राही मूलक नहीं होने के कारण सिंचाई तालाब निर्माण हेतु कृषकों से आवेदन प्राप्त नहीं किये जाते है, अपितु योजनांतर्गत ग्राम पंचायत से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार शत-प्रतिशत शासकीय व्यय पर शासकीय भूमि में सिंचाई तालाब निर्मित किये जाते हैं। बिलासपुर जिले में वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में किसान समृद्धि योजना अंतर्गत कृषकों से नलकूप खनन हेतु 29 आवेदन तथा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में कृषकों से उथला नलकूप खनन हेतु 102 आवेदन प्राप्त हुए। वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। संचालनालय उद्यानिकी द्वारा संचालित ''राष्ट्रीय बागवानी मिशन'' के घटक जल संसाधन का विकास अंतर्गत व्यक्तिगत तालाब निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2021-22 में 10 किसानों से आवेदन प्राप्त हुए तथा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में किसानो से आवेदन प्राप्त नही हुए है। वर्षवार, विकासखण्डवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है। **(ख)** कंडिका ''क'' की अवधि संचालनालय कृषि द्वारा संचालित योजनाओ में 131 किसानों को नलकूप एवं उथले नलकूप खनन कार्यों के लिए अनुदान रू. 9.26 लाख तथा पंप प्रतिष्ठापन हेतु 119 कृषकों को रू. 18.73 लाख अनुदान दिया गया है। विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है। संचालनालय उद्यानिकी द्वारा 10 किसानो को व्यक्तिगत तालाब निर्माण कार्य हेतु रू. 7.50 लाख का अनुदान प्रदाय किया गया है। विस्तृत **जानकारी निर्धारित प्रपत्र-ब में संलग्न** है। **(ग)** कंडिका ''क'' अनुसार संचालनालय कृषि द्वारा 131 एवं संचालनालय उद्यानिकी द्वारा 10 आवेदनों पर कार्यवाही की गई है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सड़सठ"]

गौठान निर्माण में व्यय राशि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

49. (क्र. 781) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** प्रदेश में वर्ष 2019 से 2023 तक कितने गौठान स्वीकृत किये गये? उक्त गौठानों के निर्माण में कितनी-कितनी राशि किन-किन मदों से व्यय की गई ? कितने गौठान पूर्ण, कितने अपूर्ण एवं कितने अप्रारम्भ हैं ? क्या गौठानों हेतु गौठान समिति का गठन किया गया था ? यदि हाँ तो किसके अनुमोदन से ? प्रश्नांकित अवधि में कितनी मात्रा में गोबर की खरीदी की गई एवं कितनी राशि का भुगतान किया गया ? वर्षवार, जिलावार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश "क" की खरीदी गई गोबर से क्या-क्या उत्पाद कितनी-कितनी मात्रा में बनाया एवं बेचा गया? प्राप्त राशि किस मद में जमा की गई? **(ग)** प्रश्नांश "क" एवं "ख" में अनियमितता की कितनी-कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) प्रदेश में वर्ष 2019 से 2023 (दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024) तक कुल 9384 गोठान स्वीकृत किये गये। उक्त गोठानों के निर्माण में मदवार व्यय राशि की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार** है। स्वीकृत गोठानों में से कुल 9319 गोठान पूर्ण, 39 अपूर्ण एवं 38 अप्रारंभ हैं। जी हाँ, जिले के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से गोठानों हेतु गोठान समिति का गठन किया गया था। प्रश्नांकित अवधि में कुल 1,46,54,936.48 क्विंटल गोबर की खरीदी किया जाकर कुल राशि रू. 280,60.95 लाख का भुगतान किया गया। वर्षवार, जिलावार भुगतान की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश "क" की खरीदी गई गोबर से निर्मित एवं बेचे गए उत्पाद की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार** है। प्राप्त राशि किसी मद में जमा करने संबंधी जानकारी निरंक है। **(ग)** प्रश्नांश "क" एवं "ख" में प्राप्त अनियमितता की शिकायतों तथा उन पर की गई कार्यवाही की जिलेवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" अनुसार** है।

बेलतरा वि.स. क्षेत्रांतर्गत कृषि उपकरण एवं अन्य सामग्रियों की खरीदी

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

50. (क्र. 782) श्री सुशांत शुक्ला : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 30.6.2024 तक कृषि विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं के तहत कितनी लागत के, कितने कार्य कराये गये एवं कौन-कौन से कृषि उपकरण एवं अन्य सामग्री की खरीदी की गई ? वर्षवार , विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें ? **(ख)** प्रश्नांश "क" के खरीदे गये कृषि उपकरण एवं अन्य सामग्रियों का वितरण कितने कृषकों को किया गया ? योजनावार लाभांवित कृषकों की संख्या विकासखण्डवार बतायें ? **(ग)** क्या प्रश्नांश "क" की खरीदी गई सामग्री/उपकरण, हितग्राहियों के चयन, वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र बेलतरा में सम्मिलित विकासखण्ड कोटा एवं बिल्हा में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 में 30.06.2024 तक संचालनालय कृषि अंतर्गत कराये गये योजनावार कार्य, क्रय कृषि उपकरण एवं सामग्री की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ'** एवं **प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। प्रश्नांकित अवधि में संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत योजनावार क्रय कृषि उपकरण एवं सामग्री की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत कृषकों को प्रदाय सामग्री एवं कृषि उपकरण की योजनावार, विकासखण्डवार लाभान्वित कृषकों की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब'** एवं **प्रपत्र 'स' अनुसार** है। **(ग)** प्रश्नांश ''क'' की खरीदी गई सामग्री/उपकरण, हितग्राहियों के चयन, वितरण में अनियमितता संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में संचालित आश्रम, पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रावास

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

51. (क्र. 794) श्री बालेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र में कितने आश्रम, पोस्ट मैट्रिक एवं प्री-मैट्रिक छात्रावास संचालित हैं? विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ख)** कितने आश्रम ,पोस्ट मैट्रिक एवं प्री-मैट्रिक छात्रावासों का स्वयं का भवन है तथा कितने भवन-विहीन हैं? कृपया अवगत करावें? भवन- विहीन छात्रावासों हेतु स्वयं के भवन की कब तक स्वीकृती प्रदान कर दी जाएगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** 08 आश्रम, 09 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास एवं 18 प्री मैट्रिक छात्रावास स्वयं के भवन में संचालित है। कोई भी संस्था भवन विहीन नहीं है।

[संलग्न "परिशिष्ट - अड़सठ"]

नवा रायपुर अटल नगर में सेवाग्राम के निर्माण हेतु स्वीकृत राशी

[आवास एवं पर्यावरण]

52. (क्र. 797) श्रीमती शेषराज हरवंश : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** नवा रायपुर अटल नगर में निर्माणाधीन "सेवा ग्राम" हेतु कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई? कितने क्षेत्रफल में क्या-क्या निर्माण कार्य, कितनी-कितनी राशि में किया जाना प्रस्तावित है? **(ख)** "सेवा ग्राम" निर्माण की कार्य पूर्णता तिथि अनुबंध के अनुसार क्या नियत की गई है ? वर्तमान में कार्य की भौतिक एवं वित्तीय स्थिति बतावें? कितनी राशि व्यय की गई है? कितनी राशि व्यय किया जाना शेष है? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के कार्य में विलम्ब का कारण क्या है तथा निर्माण एजेंसी को कब-कब, समय पर कार्य पूर्ण करने हेतु नोटिस जारी किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) कुल 129.03 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम (2), (3), (4) अनुसार है।(ख)** अनुबंध अनुसार प्रथम चरण निर्माण कार्य पूर्णता तिथि 30.06.2024 तथा द्वितीय चरण निर्माण कार्य पूर्णता तिथि 31.08.2024 है। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ के कॉलम (5), (6), (7), (8) अनुसार है।(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - उनहत्तर"]

कृषि विभाग की योजनाओं से लाभान्वित किसान

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

53. (क्र. 805) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-सरायपाली विधानभा क्षेत्र के अंतर्गत पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30/06/2024 तक किन-किन योजनाओं से कितने किसानों को लाभान्वित किया गया है? योजनावार, वर्षवार, जानकारी दें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : सरायपाली विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखण्ड सरायपाली एवं बसना में प्रश्नाधीन अवधि में संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित कृषकों की वर्षवार योजनावार **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सत्तर"]

नवीन उद्योगों की लंबित पर्यावरण स्वीकृति

[आवास एवं पर्यावरण]

54. (क्र. 806) श्रीमती चातुरी नन्द : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में स्थापित होने वाले कितने नवीन उद्योगों की पर्यावरण स्वीकृति किस कारण से कब से लंबित है ? संयंत्र का नाम, स्थान की जानकारी जिलावार बताएं? **(ख)** क्या नए उद्योगों के द्वारा बिना पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किए ही उद्योग का संचालन शुरू कर दिया गया है? यदि हां तो क्या क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) की अनुसूची के प्रवर्ग 'क' में उल्लेखित क्षमता के लिये भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है। अत: भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों का अभिलेख संधारित नहीं किया जाता है। उक्त अनुसूची के प्रवर्ग 'ख' में उल्लेखित क्षमता के लिये राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ के द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है। वर्तमान में प्राधिकरण के समक्ष नवीन उद्योगों के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल 03 प्रकरण लंबित है, जिनकी जिलेवार विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।**(ख)** नए उद्योगों द्वारा बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये संचालन शुरू नहीं किया गया है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - इकहत्तर"]

जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में अमानक बीज/दवा/खाद सप्लाई पर कार्यवाही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

55. (क्र. 808) श्री इंद्र साव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा में कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2021-22. 2022-23 एवं 2023-2024 में 30 जून, 2024 तक छ.ग. राज्य एवं छत्तीसगढ़ से बाहर के किन-किन संस्थानों/फर्मों से बीज/दवा की खरीदी की गई है? खरीदी हेतु कौन सी प्रक्रिया का पालन किया गया? कौन-कौन से बीज/खाद की खरीदी की गई? क्या गुणवत्ता जांच की गई? **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अवधि में किन-किन संस्थानों/फर्मों द्वारा अमानक बीज की सप्लाई की गई? इस संबंध में क्या विभाग को किसी प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई? शिकायतों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई? **(ग)** क्या विभागीय सक्षम अधिकारियों द्वारा खाद एवं बीज सप्लाई करने वाले संस्थानों/फर्मों का विगत 3 वर्षों में निरीक्षण किया गया? क्या सेंपल जांच की गई? किन-किन कंपनियों द्वारा सप्लाई की गई दवा/बीज की गुणवत्ता अमानक पाये गए? किन-किन संस्थानों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत विगत तीन वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में 30 जून 2024 तक क्रय बीज/दवा एवं खाद की वर्षवार, संस्थावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द, प्रपत्र-इ एवं प्रपत्र-ई अनुसार है।** इन सामग्रियों का क्रय राज्य शासन द्वारा आदान सामग्रियों की आपूर्ति हेतु अधिकृत संस्थाओं को प्रदायगी आदेश जारी कर किया गया है। छ.ग. राज्य के बाहर की किसी भी संस्था/फर्म से सामग्रियों का क्रय नहीं किया गया है। संचालनालय कृषि द्वारा आपूर्ति किए गए बीज, कीटनाशी रसायन, बायोफर्टिलाईजर, माईक्रोन्यूट्रियेंट एवं तरल रासायनिक उर्वरक की गुणवत्ता परीक्षण की **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार है।** संचालनालय उद्यानिकी द्वारा आदान सामग्रियों की गुणवत्ता जांच नहीं कराई गई है। **(ख)** प्रश्नांश 'क' की अवधि में वर्ष 2024-25 (30 जून 2024 तक) संचालनालय कृषि को छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम से आपूर्ति किये गये धान फसल के बीजों में से एक नमूना प्रयोगशाला में परीक्षण उपरांत अमानक स्तर का पाया गया, जिसके भण्डारण एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाए जाने की कार्यवाही की गई। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। संचालनालय उद्यानिकी को किसी भी संस्थान/फर्म द्वारा अमानक बीज की आपूर्ति नहीं की गई है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। **(ग)** जी हाँ। प्रश्नांश 'क की अवधि में संचालनालय कृषि अंतर्गत कीटनाशक/उर्वरक/बीज निरीक्षकों द्वारा आपूर्तिकर्ता संस्थाओं का निरीक्षण कर नमूने लेकर प्रयोगशालाओं को परीक्षण हेतु प्रेषित किए गए हैं। प्रयोगशालाओं से प्राप्त परीक्षण परिणाम के अनुसार अमानक पाए गए नमूनों एवं उनके विरूद्ध की गई कार्यवाही की वर्षवार, संस्थावार, सामग्रीवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स, प्रपत्र-द एवं प्रपत्र-इ अनुसार है।** संचालनालय उद्यानिकी के बीज निरीक्षकों द्वारा बीज आपूर्ति करने वाली संस्थानों/फर्मों का निरीक्षण कर नमूने लेकर प्रयोगशालाओं को परीक्षण हेतु भेजे गये नमूनों में से कोई भी नमूने अमानक स्तर के नहीं पाये गये हैं।

धमतरी जिले में संचालित रासायनिक/जैविक उर्वरक, खाद, बीज की दुकानें

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

56. (क्र. 820) श्री ओंकार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** धमतरी जिले में कितने रासायनिक/जैविक उर्वरक, खाद, बीज के दुकान, कृषि यंत्र, बीज पैकेजिंग, बीज भंडारण के दुकान/उद्योग संचालित हैं? **(ख)** कृषि विभाग, धमतरी द्वारा विगत 02 वित्तीय वर्षों में जिले में अमानक रासायनिक खाद, उर्वरक, बीज, एवं कीटनाशक के कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? उक्त प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई है? **(ग)** जिले में कौन-कौन सी कंपनियों के कीटनाशक/ बीज/ उर्वरक पर प्रतिबंध लगाया गया है? कारण समेत जानकारी उपलब्ध करावें? **(घ)** वर्ष 2022-23 से जून, 2024 तक जिले

में बिना अनुमति/लाइसेंस के संचालित कीटनाशक/कृषि यंत्र/बीज दुकानों के कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं? वर्षवार, स्थानवार, कार्यवाही विवरण की जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) जिला धमतरी में रासायनिक उर्वरक /जैविक उर्वरक एवं खाद की 386, बीज की 291, बीज पैकेजिंग बीज भण्डारण की 4 एवं कृषि यंत्र 12 की दुकानें संचालित है। उद्यानिकी विभाग के अंतर्गत जिला धमतरी में उद्यानिकी फसलों के बीजों के विक्रय हेतु 24 दुकान संचालित है। **(ख)** कृषि विभाग, जिला धमतरी द्वारा वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में लिये गये नमूनों में प्रयोगशाला से विश्लेषण पश्चात् रासायनिक खाद के 20, बीज के 10, कीटनाशक के 19 नमूने अमानक पाये गये है। उर्वरक के अमानक नमूनों पर उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985, बीज के अमानक नमूनों पर बीज अधिनियम 1966, कीटनाशक के अमानक नमूनों पर कीटनाशी अधिनियम 1968 के प्रावधानो के अंतर्गत विक्रय प्रतिबंध की कार्यवाही किया गया है। अमानक पाये गये उर्वरक, बीज एवं कीटनाशक की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र- अ अनुसार** एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र- द अनुसार है।(ग)** जिला धमतरी में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में अनियमितता पाये जाने पर कंपनियों के विरूद्ध लगाये गये प्रतिबंध की **जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब, प्रपत्र-स एवं प्रपत्र- द अनुसार है। (घ)** वर्ष 2022-23 से जून, 2024 तक जिले में बिना अनुमति/लाइसेंस के संचालित कीटनाशक/कृषि यंत्र/बीज दुकानों के प्रकरण की वर्षवार, स्थानवार एवं की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- ई अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - बहत्तर"]

जिला-धमतरी अंतर्गत पर्यावरणीय अनुमति हेतु लंबित प्रकरण

[आवास एवं पर्यावरण]

57. (क्र. 822) श्री ओंकार साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पर्यावरण विभाग को धमतरी जिले में स्थापित उद्योगों / संस्थानों से वर्ष 2020 से जून, 2024 तक अनुमति हेतु कितने प्रकरण प्राप्त हुए हैं? उक्त प्रकरणों का क्या प्रकार है एवं अनुमति किस आधार पर प्रदान की गई? जानकारी वर्ष वार प्रदान करें। **(ख)** प्रश्न "क" अनुसार पर्यावरण विभाग में धमतरी जिले के कितने प्रकरण लंबित हैं? उन प्रकरणों का प्रकार क्या है, एवं लंबित होने के क्या कारण हैं? लंबित प्रकरणों को अनुमति कब तक प्रदान की जाएगी? जानकारी दे।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2020 से जून, 2024 तक टी.ओ.आर./पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल 62 प्रकरण प्राप्त हुए है। प्राप्त प्रकरणों के प्रकार, एवं जारी की गई टी.ओ.आर./पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार की वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र के कालम (3) एवं (5) अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नाश 'क' अनुसार राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले के टी.ओ.आर./पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु कुल 15 प्रकरण लंबित है। लंबित प्रकरणों के प्रकार तथा लंबित होने के कारण की **जानकारी संलग्न प्रपत्र के कालम (3) एवं (6) अनुसार** है। राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ द्वारा गुण-दोषों के आधार पर लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाता है। अतः निराकरण की तिथि बताया जाना संभव नहीं है।
[संलग्न "परिशिष्ट - तिहत्तर"]

केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्र क्षेत्रीय, विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत कृषकोन्मुखी योजनाओं का संचालन

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

58. (क्र. 825) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- क्या वर्ष 2021-2022 से 30/06/2024 तक कृषि विभाग द्वारा केन्द्र प्रवर्तित, केन्द्र क्षेत्रीय, विशेष केन्द्रीय

सहायता के तहत कृषकोन्मुखी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? यदि हां, तो इनके तहत राजनांदगांव जिला में कौन-कौन से कार्यक्रम/योजना संचालित किये जा रहे हैं? उक्त कार्यक्रमों या गतिविधियो में कितनी राशि का व्यय किया गया है, विकासखण्डवार, योजनावार, जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : जी हॉ। प्रश्नाधीन अवधि में जिला राजनांदगांव में संचालित विभिन्न योजनाओं में गतिविधिवार व्यय की गई राशि की वर्षवार विकासखण्डवार योजनावार जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब अनुसार** है।

छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (बीज निगम) में केंद्र एवं राज्य की योजनाऐं

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

59. (क्र. 826) श्री दलेश्वर साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (बीज निगम) में राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? **(ख)** यदि हॉ, तो वर्ष 2022-2023 से 30/06/2024 तक राजनांदगांव जिला में बीज निगम द्वारा कौन-कौन सी योजनाओं के तहत कितने कृषकों को लाभान्वित किया गया है? **(ग)** क्या किसानों को निःशुल्क बीज एवं किसान औजार या यंत्र वितरण करने का प्रावधान है? यदि हां, तो राजनांदगांव जिला के कितने कृषकों या हितग्राहियों को कौन-कौन सी फसलों के बीज एवं किसान औजारों का वितरण किया गया है? विकासखण्डवार, वर्षवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हां, छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड अंतर्गत चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से शक्ति चलित कृषि यंत्र एवं सूक्ष्म सिंचाई से सबंधित हितग्राही मूलक राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। **(ख)** वर्ष 2022-23 से दिनांक 30.06.2024 तक राजनांदगांव जिले में चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं के तहत अनुदान पर कुल 4157 कृषकों को लाभान्वित किये गये हैं, विस्तृत **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ**अनुसार है **(ग)** विभाग अंतर्गत संचालनालय कृषि द्वारा क्रियान्वयन की जा रही विभिन्न राज्य पोषित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के प्रदर्शन घटक तथा मिनिकिट के तहत किसानों को निःशुल्क बीज वितरण का प्रावधान है। राज्य पोषित एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत निःशुल्क औजार या यंत्र वितरण का प्रावधान नहीं है। जिला राजनांदगांव में वर्ष 2022-2023 से 30.06.2024 तक निःशुल्क वितरित बीज से लाभांवित किसानों की वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार, फसलवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र- ब अनुसार है।**उद्यान विभाग अंतर्गत क्रियान्वयन की जा रही योजनाओं में किसानों को बीज एवं कृषि/यंत्र विभागीय योजनाओ में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। जिला खनिज न्यास निधि एवं नीती आयोग मद से प्राप्त राशि से उद्यानिकी विभाग जिला राजनांदगांव द्वारा किसानो को औजार/यंत्र का निःशुल्क वितरण किया गया है। प्रश्नावधि में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड(बीज निगम)के माध्यम से क्रय कर वितरित बीज की विकासखंडवार, योजनावार, वर्षवार **जानकारी संलग्न प्रपत्र- स अनुसार** एवं वितरित कृषि यंत्र की **जानकारी संलग्न प्रपत्र- द अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौहत्तर"]

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कृषि विभाग द्वारा क्रय सामग्री/उपकरण

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

60. (क्र. 833) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 30/06/2024 तक कृषि विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं के तहत कितनी लागत के कितने कार्य कराये गये एवं कौन-कौन से कृषि उपकरण एवं अन्य सामग्री की खरीदी की गई, वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांक 'क' की खरीदी गई सामग्री/उपकरण का वितरण कितने किसानों को किया गया? लाभान्वित कृषकों की संख्या विकासखंडवार बतावें? **(ग)** क्या प्रश्नांक 'क' की खरीदी गयी सामग्री/उपकरण, हितग्राहियों के चयन, वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र पंडरिया में सम्मिलित विकासखण्ड पंडरिया, सहसपुर लोहारा एवं कवर्धा में वित्तीय वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 में 30.06.2024 तक संचालनालय कृषि अंतर्गत कराये गये योजनावार कार्य, क्रय कृषि उपकरण एवं सामग्री की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ'** एवं **प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। प्रश्नांकित अवधि में संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत योजनावार क्रय कृषि उपकरण एवं सामग्री की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स', प्रपत्र 'द'** एवं **प्रपत्र 'इ' अनुसार**है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत कृषकों को प्रदाय सामग्री एवं कृषि उपकरण की योजनावार, विकासखण्डवार लाभान्वित कृषकों की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ब'** एवं **प्रपत्र 'क', प्रपत्र 'ख' अनुसार** है। **(ग)** जी हॉ। शिकायत की जांच करवाई गई है, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

पंडरिया वि.स. क्षेत्र अंतर्गत संचालित प्री-मैट्रिक अनु जनजाति बालक एवं बालिका छात्रावास/आश्रम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

61. (क्र. 834) श्रीमती भावना बोहरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक एवं बालिका छात्रावास/आश्रम कहाँ-कहाँ संचालित हैं? विकासखण्डवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांक (क) के उपरोक्त छात्रावासों हेतु वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में दिनांक 2 जुलाई, 2024 तक कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? स्वीकृत राशि किन-किन कार्यों में खर्च की गई? कार्य एजेंसी के नाम सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांक (क) के संचालित छात्रावास/आश्रम में कितने-कितने छात्र /छात्राएं निवासरत हैं? प्रतिमाह कितनी राशि प्रति छात्र/छात्रा पर खर्च की जाती है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'अ'** अनुसार है। **(ख)** स्वीकृत राशि, कार्य का विवरण एवं कार्य एजेंसी की वर्ष वार जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'ब'** अनुसार है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र 'स'** अनुसार है। प्रतिमाह राशि रूपये 1500/- प्रति छात्र/छात्रा पर खर्च की जाती है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पचहत्तर"]

जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत कराये गये कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

62. (क्र. 841) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 30.06.2024 तक कृषि विभाग द्वारा किन-किन योजनाओं के तहत, कितनी लागत के, कितने से कार्य कराये गये एवं कौन-कौन से कृषि उपकरण एवं अन्य सामग्री की खरीदी की गई? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी प्रदान करें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' की खरीदी गई सामग्री/उपकरण का वितरण कितने किसानों को किया गया ? योजनावार लाभान्वित कृषकों की संख्या विकासखंडवार बतावें? **(ग)** क्या प्रश्नांश 'क' की खरीदी गयी सामग्री/उपकरण, हितग्राहियों के चयन, वितरण में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विधानसभा क्षेत्र जगदलपुर में सम्मिलित विकासखण्ड जगदलपुर एवं दरभा में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2024-25 में 30.06.2024 तक संचालनालय कृषि अंतर्गत कराये गये योजनावार कार्य, क्रय कृषि उपकरण एवं सामग्री की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं प्रपत्र 'ब'अनुसार** है। प्रश्नांकित अवधि में संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत योजनावार क्रय कृषि उपकरण एवं सामग्री की वर्षवार, विकासखण्डवार जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'स'अनुसार** है। **(ख)** प्रश्नांश ''क'' अनुसार संचालनालय कृषि एवं संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत कृषकों को प्रदाय सामग्री एवं कृषि उपकरण की योजनावार, विकासखण्डवार लाभान्वित कृषकों की जानकारी क्रमशः **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'द'**

एवं प्रपत्र 'इ'अनुसार है। **(ग)** प्रश्नांश ''क" की खरीदी गई सामग्री/उपकरण, हितग्राहियों के चयन, वितरण में अनियमितता संबंधी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

जगदलपुर वि.स. क्षेत्र में संचालिजत प्री-मैट्रिक अनु. जनजाति बालक एवं बालिका छात्रावास/आश्रम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

63. (क्र. 842) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कितने प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक एवं बालिका छात्रावास/आश्रम कहां-कहां संचालित हैं? विकासखंडवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के उपरोक्त छात्रावासों हेतु वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 में दिनांक 30 जून, 2024 तक कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है? स्वीकृत राशि किन-किन कार्यो में खर्च की गई? कार्य एजेंसी के नाम सहित वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें? **(ग)** प्रश्नांश 'क' के संचालित छात्रावास/आश्रम में कितने-कितने छात्र/छात्रायें निवासरत हैं? प्रतिमाह कितनी राशि प्रति छात्र/छात्रा पर खर्च की जाती है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) विकासखण्डवार जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुसार है। **(ग)** विकासखंड जगदलपुर में प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में 455 छात्र 365 छात्राएं एवं आश्रमों में 210 छात्र 50 छात्राएं, विकासखंड दरभा में प्री-मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में 165 छात्र 195 छात्राएं एवं आश्रमों में 291 छात्र 278 छात्राएं निवासरत है। प्रतिमाह रुपये 1500/- प्रति छात्र/छात्रा पर खर्च की जाती है।
[संलग्न "परिशिष्ट - छिहत्तर"]

प्रदेश में निवासरत अति विशेष पिछड़ी जनजातियों की जनगणना

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

64. (क्र. 843) श्री किरण देव : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** छत्तीसगढ़ राज्य में कौन-कौन सी अति विशेष पिछड़ी जनजाति निवासरत हैं ? इनकी जिलेवार आबादी कितनी-कितनी है? अंतिम बार इनकी जनगणना कब हुई थी? पुनः जनगणना कब की जावेगी? **(ख)** प्रश्नांश 'क' अंतर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षो एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिनांक 30 जून, 2024 तक कितनी-कितनी राशि केन्द्र सरकार से किस-किस योजना के तहत प्राप्त हुई? प्राप्त राशि का उपयोग किन-किन कार्यो में किया गया? वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 05 विशेष रूप से कमजोर जनजातियां अबूझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य हेतु घोषित 02 विशेष रूप से कमजोर जनजातियां भुजिया और पंडो निवासरत है। इनकी जिलेवार आबादी की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजाति हेतु आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2015-16 में अंतिम बार आधारभूत सर्वेक्षण कराया गया है। राज्य द्वारा मान्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति के अभिकरण क्षेत्र अंतर्गत निवासरत परिवारों का वर्ष 2005-06 में स्थानीय सर्वेक्षण किया गया है। अभिकरण क्षेत्र के बाहर निवासरत भुंजिया परिवारों का आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा वर्ष 2016-17 में सर्वेक्षण कराया गया है। भारत सरकार एवं राज्य सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर पुनः इनका सर्वेक्षण कराया जावेगा। **(ख)** पिछले 03 वित्तीय वर्षो एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष दिनांक 30 जून 2024 तक केन्द्र सरकार से योजनावार प्राप्त राशि एवं कार्यो की जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुंसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - सतत्तर"]

जिला सुकमा में कृषि विभाग द्वारा कराए गए कार्य एवं सामग्री क्रय

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

65. (क्र. 850) श्री कवासी लखमा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2021-22 से 2024-25 में जून, 2024 तक जिला सुकमा में कृषि विभाग को भारत सरकार, राज्य शासन एवं अन्य मदों से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुयी ? **(ख)** प्राप्त राशि से कौन-कौन से कार्य कराए गए? वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी देवें? **(ग)** उक्त वित्तीय वर्ष में कौन-कौन सी सामग्रियाँ क्रय की गयी? वर्षवार लागत सहित अलग-अलग जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) संचालनालय कृषि अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 2024-25 में जून, 2024 तक जिला-सुकमा में भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं तथा अन्य मद अंतर्गत प्राप्त राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', प्रपत्र 'ब', प्रपत्र 'स' एवं प्रपत्र 'द'** अनुसार है। प्रश्नांकित अवधि में संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत जिला-सुकमा में भारत सरकार, राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं तथा अन्य मद अंतर्गत प्राप्त राशि का विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ' इ '** अनुसार है। (ख) प्रश्नांकित अवधि में संचालनालय कृषि अंतर्गत जिला-सुकमा में प्राप्त राशि से अधोसंरचना विकास तथा विस्तार कार्य कराये गये, सम्पादित कार्य का वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', प्रपत्र 'ब', प्रपत्र 'स' एवं प्रपत्र 'द'** अनुसार है। प्रश्नांकित अवधि में संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत जिला-सुकमा में कार्य कराये गये, सम्पादित कार्य का वर्षवार, विकासखण्डवार, योजनावार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र ' क '** अनुसार है। (ग) प्रश्नाधीन अवधि में संचालनालय कृषि अंतर्गत जिला-सुकमा में क्रय सामग्री हेतु किये गये व्यय का वर्षवार-योजनावार-विकासखंडवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ', प्रपत्र 'ब', प्रपत्र 'स' एवं प्रपत्र 'द'** अनुसार है। प्रश्नांकित अवधि में संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत जिला-सुकमा में क्रय सामग्री हेतु किये गये व्यय का वर्षवार-योजनावार- विकासखंडवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'ख' अनुसार है।**

जिला सुकमा में बीज विकास निगम द्वारा की गयी सामग्री

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

66. (क्र. 851) श्री कवासी लखमा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** वर्ष 2022 से जून, 2024 तक जिला सुकमा के लिए शासन द्वारा कृषि विभागांतर्गत किन-किन योजनाओं के तहत सामग्री क्रय के लिए कितनी-कितनी राशि प्रदान की गयी? वर्षवार जानकारी देवें? **(ख)** प्राप्त राशि से कौन-कौन सी सामग्रियां क्रय की गयी? प्राप्त बजट अनुसार वर्षवार व्यय की जानकारी देंवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) :(क) वर्ष 2022 से जून 2024 तक जिला-सुकमा के लिए विभाग में संचालित राज्य पोषित योजनाओं तथा केन्द्र प्रवर्तित/पोषित योजना अंतर्गत सामग्री क्रय हेतु पृथक से राशि आबंटित नहीं की जाती अपितु योजनांतर्गत प्राप्त राशि से बीज, सिंचाई पाईप एवं कृषि यंत्र वितरण तथा फसल प्रदर्शन अंतर्गत कृषि आदान सामग्री की व्यवस्था की जाती है। कृषि विभाग में संचालित योजनाओं में प्राप्त राशि से क्रय की गई सामग्री की राशि का वर्षवार-योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अ अनुसार** है। प्रश्नाधीन अवधि में उद्यानिकी विभाग में संचालित योजनाओं में प्राप्त राशि से क्रय की गई सामग्री की राशि का वर्षवार-योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- ब अनुसार** है। छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से संचालित योजनाओं के प्रावधान अनुरूप अनुदान पर उपकरण/सामग्री क्रय की राशि का वर्षवार- योजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र- स अनुसार** है। **(ख)** प्राप्त राशि से क्रय सामग्रियों एवं प्राप्त बजट अनुसार वर्षवार व्यय की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ, प्रपत्र-ब, प्रपत्र स, एवं, प्रपत्र-द अनुसार** है।

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में उद्योगों द्वारा प्रदूषण उत्सर्जन की जाँच

[आवास एवं पर्यावरण]

67. (क्र. 856) श्री संदीप साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बलौदाबाजार -भाटापारा जिले में 2023-24 में कितने उद्योगों के खिलाफ प्रदूषण संबंधी शिकायत प्राप्त हुई है? वह उन पर क्या कार्रवाई की गई है? जानकारी देवें? **(ख)** किन-किन उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रक यंत्र स्थापित हैं व किन-किन उद्योगों में नियंत्रण यंत्र स्थापित नहीं होने पर क्या-क्या कार्रवाई की गई है? विवरण सहित बतावें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क)बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक की अवधि में कुल 04 उद्योगों के विरुद्ध प्रदूषण संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई है। प्राप्त शिकायतों के संबंध में की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'अ' अनुसार** है।**(ख)**प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित उद्योगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाये की गई है, जिसकी **जानकारी संलग्न प्रपत्र 'ब' अनुसार** है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अठहत्तर"]

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के चिन्हाँकित औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध वृक्षारोपण

[आवास एवं पर्यावरण]

68. (क्र. 857) श्री संदीप साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र हेतु कितना क्षेत्र चिन्हाँकित है तथा इन चिन्हाँकित औद्योगिक क्षेत्र के विरुद्ध कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना था तथा कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण नवंबर, 2023 से जून, 2024 तक की स्थिति में किया गया एवं कितने क्षेत्र में शेष है? **(ख)** क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में ग्रीन बेल्ट के मापदंड अनुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है, यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) से प्राप्त जानकारी अनुसार औद्योगिक क्षेत्र औरेठी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (रकबा 7.747 हेक्टेयर) में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से स्वीकृत अभिन्यास के अनुसार वृक्षारोपण हेतु 1.174 हेक्टेयर भूमि का चिन्हांकन किया गया है। वन विभाग के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।**(ख)**छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसआईडीसी) से प्राप्त जानकारी अनुसार औद्योगिक क्षेत्र औरेठी, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में ग्रीन बेल्ट के मापदंडों के अनुसार ही वृक्षारोपण करने की कार्यवाही प्रस्तावित है। अतः शेषांश प्रश्न उपस्थित नहीं होता हैं।

उद्यानिकी विभाग अंतर्गत योजनाओं व मदों से प्राप्त राशि व स्वीकृत कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

69. (क्र. 858) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** बलौदाबाजार - भाटापारा जिले में उद्यानिकी विभाग द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं संचालित की जा रही हैं? संचालित योजनाओं में वर्ष 2023-24 से जून,2024 तक कौन-कौन से मुद्दों से राशि प्राप्त हुई है? जानकारी देवें? **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार प्राप्त मदों से कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए हैं, स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) वर्ष 2023-24 से जून, 2024 तक कार्यालय सहायक संचालक उद्यान जिला बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा संचालित योजनाओं तथा इनमें मांग संख्यावार प्राप्त राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** कंडिका 'क' अनुसार संचालित योजनाओं में स्वीकृत किये गये कार्य एवं 30 जून 2024 तक कार्य की स्थिति की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।
[संलग्न "परिशिष्ट - उन्यासी"]

कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत स्वीकृत राशि एवं कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

70. (क्र. 859) श्री संदीप साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत किन-किन ग्रामों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत चिन्हित किया गया है, ग्रामवार जानकारी देवें? **(ख)** उक्त योजनाओं से वित्तीय वर्ष 2022-23 से जून, 2024 तक किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई है? **(ग)** स्वीकृत कार्य एवं राशि के विरुद्ध कितने कार्य, किस एजेंसी से, कितनी लागत से, प्रश्ननांक 'क' के ग्रामों में कराए गए हैं? क्या किसी निजी एजेंसी को कार्य दिया गया है? ग्राम पंचायत के अनुमोदन पश्चात कितने कार्य दिए गए पूर्ण विवरण देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र-अ** अनुसार है। **(ख)** योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में विधान सभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत चिन्हांकित 10 ग्रामों हेतु भारत सरकार से राशि अप्राप्त होने के कारण कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राशि प्रदान नहीं की गई है। वर्ष 2023-24 एवं अप्रेल 2024 से जून 2024 तक किसी गांव को योजना अंतर्गत चिन्हित नहीं किया गया है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र-ब** अनुसार है। किसी निजी एजेंसी को कार्य नहीं दिया गया है।
[संलग्न "परिशिष्ट - अस्सी"]

खुज्जी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत किसान समृद्धि योजना के लाभान्वित हितग्राही

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

71. (क्र. 863) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत तीन वर्षों में कितने कृषक को किसान समृद्धि योजना का क्या-क्या लाभ दिया गया? वर्ष वार, विकास खंड वार, जानकारी देवें? **(ख)** उक्त किसान समृद्धि योजना के तहत कितने किसानों के वर्तमान में आवेदन लंबित हैं ? लंबित होने का पूर्ण विवरण सहित विकास खंड वार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) खुज्जी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित विकासखंड छुरिया एवं अंबागढ़ चौकी अंतर्गत विगत तीन वर्षों में किसान समृद्धि योजनान्तर्गत अनुदान पर नलकूप खनन से 48 एवं पम्प प्रतिस्थापन से 37 कृषकों को लाभान्वित किया गया हैं। वर्षवार एवं विकासखंडवार विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	विकासखंड छुरिया		विकासखंड अंबागढ़ चौकी		योग	
	खनन में अनुदान	पम्प प्रतिस्थापन में अनुदान	खनन में अनुदान	पम्प प्रतिस्थापन में अनुदान	खनन में अनुदान	पम्प प्रतिस्थापन में अनुदान
2021-22	10	6	6	6	16	12
2022-23	9	8	4	2	13	10
2023-24	16	13	3	2	19	15
योग	35	27	13	10	48	37

(ख) वर्तमान में योजनान्तर्गत किसानों से प्राप्त आवेदन पंजीयन हेतु लंबित नहीं हैं।

अविभाजित राजनंदगांव जिले में संचालित छात्रा वास/आश्रम

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

72. (क्र. 865) श्री भोलाराम साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** अभिभाजित राजनांदगांव जिले अंतर्गत वर्ष 2021-22 से 1 जुलाई, 2024 तक छात्रावास एवं आश्रमों में किन-किन कार्य हेतु कितनी -कितनी राशि स्वीकृत की गई है ? वर्ष वार, जिलेवार, विकास खंडवार छात्रावास,

आश्रमवार, मदवार जानकारी देवें? **(ख)** क्या कंडिका"क" में स्वीकृत राशि का व्यय उसी मदवार किया गया है ?यदि हाँ तो किस-किस मद में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है? वर्ष वार, जिले वार,विकास खंड वार, छात्रा वास, आश्रम वार एवं मदवार जानकारी देवें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है। **(ख)** जी हाँ। जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र** अनुसार है।

रायपुर जिला अंतर्गत कृषि उपज मण्डियों में जमा स्थानीय निधि

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

73. (क्र. 880) श्री इन्द्र कुमार साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** रायपुर जिला अंतर्गत किन-किन कृषि उपज मण्डियों में कितनी-कितनी राशि स्थानीय निधि के रूप में जमा है? **(ख)** आरंग, गोबरा नवापारा तथा अभनपुर कृषि उपज मंडी में उपलब्ध स्थानीय निधि के द्वारा जनवरी 2021 से जून 2024 के मध्य कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) रायपुर जिला अंतर्गत कृषि उपज मण्डियों में स्थायी निधि के रूप में जमा राशि की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।(ख)** आरंग, गोबरा नवापारा तथा अभनपुर कृषि उपज मंडी में उपलब्ध स्थायी निधि के द्वारा जनवरी 2021 से जून 2024 के मध्य स्वीकृत निर्माण कार्यो की **जानकारी संलग्न प्रपत्र अनुसार है।**
[संलग्न "परिशिष्ट - इक्यासी "]

जनजातियों के व्यक्यिों की संख्या तथा योजनांतर्गत लाभ

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

74. (क्र. 890) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश में बैगा, बिरहोर, कमार, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया एवं पंडो आदि किस-किस विशेष पिछड़ी जनजाति के कितने-कितने परिवार निवासरत हैं? जिलेवार विस्तृत विवरण देवें? **(ख)** विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या योजनाएं संचालित हैं? कितने परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का लाभ दिया जाना है तथा कितनों को दिया जा चुका है? **(ग)** विशेष पिछड़ी जनजाति के कितने हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, योजना का नाम सहित जिलेवार जानकारी देवें? योजनाओं के लाभ से वंचितों की संख्या कितनी है?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''अ''** अनुंसार है। **(ख)** भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजातियों के लिये वर्तमान में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) संचालित है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य हेतु मान्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह पंडो एवं भुंजिया के लिये पंडों एवं भुंजिया विकास अभिकरण तथा मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम संचालित है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति के 48950 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) को लाभ दिया जाना है। जिसमें से 36298 परिवारों को लाभान्वित किया जा चुका है। **(ग)** जानकारी **संलग्न प्रपत्र ''ब''** अनुंसार है।
[संलग्न "परिशिष्ट - बयासी"]

अति विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास पर व्यय राशि

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

75. (क्र. 891) डॉ. चरण दास महंत : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** प्रदेश मे अति विशेष पिछड़ी जनजाति (आदिम जन-जातियों) के विकास एवं उत्थान हेतु वर्ष

2020-21 से वर्ष 2024-25 में 30 जून 2024 की स्थिती में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार से कितनी - कितनी राशि प्राप्त हुई? वर्षवार, जानकारी बतावें? **(ख)** प्रश्नांश 'क' के अनुसार केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में प्राप्त राशि किन-किन कार्यो में कितनी-कितनी खर्च हुई वर्षवार, जिलेवार सम्पूर्ण जानकारी बतावें? कितनी राशि शेष है तथा क्यों शेष है, कारण सहित बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''अ''** अनुसार है। **(ख)** जानकारी **पुस्तकालय** में रखे **प्रपत्र ''ब''** अनुसार है।

नगर पंचायत पाटन स्थित गौठान में हुई घटना के संबंध में

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

76. (क्र. 894) श्री मोतीलाल साहू : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि प्रश्न क्रमांक 701 के उत्तर दिनांक 12.02.2024 में पूरे प्रदेश में एकमात्र गौठान ग्राम-फुण्डहर में हाथ फ्रेक्चर की घटना दिनांक 06.01.2021 को नवीन गोकाष्ठ मशीन पर कार्य करने के दौरान हुई असावधानी के कारण श्रीमती एलिना रिबेलो के दाहिने हाथ के अंगुली में चोट लगने की जानकारी दी गई थी?**(ख)** यदि हां, तो क्या यह सही है कि नगर पंचायत, पाटन के गौठान में दिनांक 26 अप्रैल, 2022 को देवेन्द्र मारकण्डे पिता सतउ मारकण्डे, जहां वे प्लेसमेंट कर्मचारी थे, जिसकी गौठान में कार्य के दौरान दोपहर लगभग 03.00 बजे गौठान में ही करंट लगने से मौत हो गयी थी? **(ग)** यदि हां, तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पंचायत,पाटन के द्वारा जानकारी को छुपाया गया ? क्या उक्त घटना विभाग के लापरवाही के चलते हुई? क्या उक्त श्री देवेन्द्र मारकण्डे के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 04 लाख रूपये का सहयोग प्रदान किया गया। यदि हां, तो उत्तर में उपरोक्त घटना की जानकारी क्यों छुपाया गया? जानकारी छुपाने हेतु कौन जिम्मेदार है तथा उस पर क्या कार्यवाही की जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जी हाँ । **(ख)** नगर पंचायत पाटन, जिला दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार "नगर पंचायत, पाटन अंतर्गत गोठान तथा कम्पोस्टिंग शेड पृथक-पृथक स्थान पर स्थित है । संबंधित श्री देवेन्द्र मारकण्डे पिता सतउ मारकण्डे की दिनांक 26 अप्रैल, 2022 को दोपहर लगभग 03:00 बजे कम्पोस्टिंग शेड के कार्य के दौरान मोटर में शार्ट सर्किट के कारण इलेक्ट्रिक करेंट लगने से मृत्यु हुई, ना कि गौठान के कार्य के दौरान। श्री देवेन्द्र मारकण्डे पिता सतउ मारकण्डे जुलाई 2019 से अप्रैल 2022 तक प्लेसमेंट कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे। **(ग)** नगर पंचायत पाटन, जिला दुर्ग से प्राप्त जानकारी अनुसार "चूँकि मृत्यु गोठान में न होकर कम्पोस्टिंग शेड में हुई है, इस हेतु प्रश्न क्र. 701 के उत्तर में जानकारी निरंक प्रेषित की गई थी। श्री देवेन्द्र मारकण्डे के परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि रु. 4.00 लाख का सहयोग दिनांक 06.05.2022 को चेक क्र. 752505 के माध्यम से प्रदान किया गया है।" थाना प्रभारी, थाना पाटन, जिला दुर्ग से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार "मृतक श्री देवेन्द्र मारकंडे की मृत्यु मोटर में शार्ट शर्किट से के कारण जल जाने के कारण दुर्घटनावश इलेक्ट्रिक करेंट लगने के कारण मृत्यु हुई है । पंचान चश्मदीद गवाहन एवं परिजनों ने मृतक के मृत्यु में अन्य कोई शंका जाहिर नहीं किये हैं ।"

गृह निर्माण मंडल के द्वारा जिला-रायपुर अंतर्गत मकान निर्माण

[आवास एवं पर्यावरण]

77. (क्र. 896) श्री मोतीलाल साहू : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** छ.ग. गृह निर्माण मंडल के द्वारा जिला रायपुर में कुल कितने मकान का निर्माण करवाया गया और कितने मकान हितग्राहियों को प्रदान किये गये? **(ख)** कितने मकान वर्तमान में विभाग के पास हैं और उनके आबंटन के लिए विभाग क्या प्रयास या कार्ययोजना बना रही है? **(ग)** कितने निर्माण कार्य निर्धारित समय समाप्त होने पर भी अपूर्ण है और कितने कार्य अपूर्ण स्थिति में बंद हैं?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के द्वारा जिला रायपुर में कुल 46268 मकान का निर्माण करवाया गया और 41267 मकान हितग्राहियों को प्रदान किये गये।**(ख)** वर्तमान में विभाग

के पास 5001 मकान है तथा इनके आबंटन के लिए विभाग द्वारा भवनों के मूल्य में छूट प्रदान कर, विशेष शिविर, होर्डिंग्स, रेडियों तथा सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर प्रयास किया जा रहा है।**(ग)** निर्माण कार्य की निर्धारित समय समाप्त होने पर भी 20 कार्य (4282 भवन) अपूर्ण (प्रगतिरत्) है तथा कोई भी कार्य अपूर्ण स्थिति में बंद नहीं है।

जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए विभिन्न कार्य

[आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास]

78. (क्र. 927) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-**(क)**जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जून, 2024 तक आदिमजाति तथा अनुसूचितजाति विकास, पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु किन-किन कार्यों व सामग्री आपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? कार्यवार, राशिवार, आपूर्ति सामग्रीवार की विस्तृत जानकारी प्रदान करें। **(ख)** वित्तिय वर्ष 2024-25 में विभिन्न प्रयोजनों के संदर्भ में किन-किन सामग्री की आपूर्ति हेतु टेंडर किया जा चुका है?**(ग)** आदिमजाति तथा अनुसूचितजाति विकास, पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) अंतर्गत जिला स्तर पर किन-किन योजनाओं व प्रयोजनों हेतु निर्माण व सामग्री आपूर्ति की प्रक्रिया की गई है या की जा रही है। कार्यवार, राशिवार, आपूर्ति सामग्रीवार विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वित्तीय वर्ष 2024-25 जून, 2024 तक आदिमजाति तथा अनुसूचितजाति विकास, पिछड़ावर्ग एवं अल्पसंख्यक विभाग द्वारा सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग/ट्रीटमेन्ट के प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1.95 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2024-25 में किसी प्रयोजन के संदर्भ में सामग्री की आपूर्ति हेतु टेंडर जारी नहीं किया गया है। **(ग)** प्रश्नांश ''क'' के अंतर्गत जिला स्तर पर योजनाओं व प्रयोजनों हेतु निर्माण व सामग्री आपूर्ति की प्रक्रिया नहीं की गयी है।

कृषि विकास एवं कल्याण विभाग द्वारा जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में स्वीकृत किए विभिन्न कार्य

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

79. (क्र. 928) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जून, 2024 तक कृषि विकास एवं कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु किन-किन कार्यों व सामग्री आपूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है? कार्यवार, राशिवार, आपूर्ति सामग्रीवार की विस्तृत जानकारी प्रदान करें। **(ख)** वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न प्रयोजनों के संदर्भ में किन-किन सामग्री की आपूर्ति हेतु टेंडर किया जा चुका है? **(ग)** कृषि विकास एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा प्रश्नांश-(क) अंतर्गत जिला स्तर पर किन-किन योजनाओं व प्रयोजनों हेतु निर्माण व सामग्री आपूर्ति की प्रक्रिया की गई है या की जा रही है? कार्यवार, राशिवार, आपूर्ति सामग्रीवार विस्तृत जानकारी प्रदान करें।

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : (क) जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जून, 2024 तक कृषि विभाग की विभिन्न योजनान्तर्गत खण्ड प्रदर्शन, बीज उत्पादन एवं वितरण, सिंचाई पम्प वितरण, नलकूप प्रतिस्थापन तथा उथला नलकूप प्रतिस्थापन की स्वीकृति प्रदान की गई। योजनावार स्वीकृति के विरूद्ध आदान सामग्री की जानकारी **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है। **(ख)** विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार सामग्री आपूर्ति या अन्य कार्यो हेतु छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमि. एवं अन्य शासकीय संस्थाओं द्वारा प्रसारित दरों पर नियमानुसार प्रदायगी आदेश दिया जाता है अथवा कार्य कराया जाता है। इस हेतु विभाग द्वारा पृथक से निविदा आमंत्रित नहीं की गयी है। **(ग)** प्रश्नांश (क) अनुसार विस्तृत विवरण **संलग्न प्रपत्र अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - तिरासी"]

छत्तीसगढ़ सरकार पर कर्ज, ब्याज भुगतान की जानकारी

[वित्त]

80. (क्र. 929) श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** 30 जून, 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार पर कितना कर्ज है व प्रत्येक माह उक्त कर्ज पर कितना ब्याज चुकाया जा रहा है? इस भुगतान हेतु राशि की व्यवस्था किन किन माध्यमों से की जा रही है? **(ख)** दिसम्बर 2023 से जून, 2024 तक प्रदेश सरकार ने किस किस प्रयोजन हेतु किन-किन माध्यम से कितनी-कितनी राशि का कर्ज लिया है व इस भिन्न भिन्न कर्ज हेतु कितनी कितनी ब्याज की दर व रकम लौटने के लिए कितनी अवधि तय है? **(ग)** छत्तीसगढ़ सरकार की देनदारी को कम करने हेतु सरकार क़्या उपाय कर रही है।

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) 30 जून, 2024 की स्थिति में छत्तीसगढ सरकार पर 1,14,279 करोड़ का कर्ज है। वर्ष 2024-25 में ब्याज भुगतान हेतु बजट में 7,931 करोड़ प्रावधान है। देय ब्याज का भुगतान प्रतिमाह नहीं किया जाकर तिमाही अथवा छःमाही आधार पर किया जाता है। इस हेतु बजट में प्रावधान कर राशि की व्यवस्था की गई है। **(ख)** राज्य शासन द्वारा लिया गया ऋण, व्यय के लिए उपलब्ध कुल संसाधनों का भाग होता है। प्रश्नांकित अवधि में संस्थावार लिये गये ऋण की जानकारी **''संलग्न प्रपत्र अनुसार''** हैं। **(ग)** देनदारी को कम करने हेतु सरकार द्वारा राज्य के संसाधनों से समुचित बजट प्रावधान प्रतिवर्ष किया जाता है।

[संलग्न "परिशिष्ट - चौरासी"]

धरसींवा विधान सभा क्षेत्रांतर्गत स्टोन क्रेशर उद्योगों के द्वारा क्षेत्र में पर्यावरण उपयोगी कार्य

[आवास एवं पर्यावरण]

81. (क्र. 943) श्री अनुज शर्मा : क्या वित्त मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-**(क)** क्या यह सही है कि धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रेशर उद्योगों के द्वारा क्षेत्र एवं आसपास पर्यावरण संतुलन एवं सौन्दर्यीकरण हेतु विभिन्न रकबों में वृक्षारोपण किया गया था? यदि हां तो इन वृक्षों की देखभाल की जवाबदारी किसकी है? **(ख)** क्या वर्तमान में इन स्टोन क्रेशर उद्योगों के द्वारा वर्ष 2023 से जून, 2024 तक अपने कार्य क्षेत्र के आस-पास के ग्रामों में किसी प्रकार का जन/पर्यावरण उपयोगी कार्य कराया गया है? यदि हां तो कार्य का ग्रामवार एवं उद्योगवार विवरण देवें। **(ग)** विभाग के निर्धारित मापदंडों के पालन हेतु इन उद्योगो की जांच वर्ष 2023 से जून, 2024 तक कब-कब की गई ? उद्योगवार एवं विवरण देवें?

वित्त मंत्री (श्री ओ. पी. चौधरी) : (क) जी हॉ। इन वृक्षों की देखभाल की जवाबदारी क्रेशर उद्योग एवं रायपुर क्रेशर संचालक एसोसिएशन की है।**(ख)** जी हॉ। **जानकारी संलग्न प्रपत्र-अ अनुसार** है।**(ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र-ब अनुसार** है।

[संलग्न "परिशिष्ट - पच्चासी"]

दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती हेतु प्रोत्साहन योजना

[कृषि विकास एवं किसान कल्याण]

82. (क्र. 955) श्री चैतराम अटामी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :-क्या दंतेवाड़ा जिले को शासन के द्वारा जैविक जिला घोषित किया गया है? यदि हां, तो क्या जैविक फसल के उत्पादन को प्रोसाहित करने हेतु दर बढ़ाने की शासन की कोई योजना है? यदि हां, तो फसलों का समर्थन मूल्य क्या होगा ? क्या जैविक उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराए जायेंगे तथा क्या जैविक उत्पादों के लिए ब्रांडिंग और पैकेजिंग की कोई व्यवस्था की जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (श्री रामविचार नेताम) : दंतेवाड़ा जिले को जैविक जिला घोषित नहीं किया गया है, अपितु दंतेवाड़ा जिला को जैविक जिला के रूप में विकसित किये जाने के समन्वित प्रयास किया जा रहा है। जैविक फसल के उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु दर बढ़ाने की शासन की कोई योजना नही है,

अपितु जैविक खेती के प्रोत्साहन हेतु केन्द्र प्रवर्तित परम्परागत कृषि विकास योजना, वृहद क्षेत्र प्रमाणीकरण कार्यक्रम एवं राज्य पोषित जैविक खेती मिशन संचालित है। वर्तमान में जैविक फसलों का समर्थन मूल्य निर्धारित नही है। जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने हेतु जैविक प्रमाणीकरण, जैविक उत्पादक कृषकों का कृषक उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ.) संगठित करना, जैविक उत्पादों का प्रसंस्करण एवं ''आदिम'' ब्राण्ड अंतर्गत ब्रांडिंग एवं पैकेजिंग कर मार्केट लिंकेज हेतु व्यवस्था की जा रही है, साथ ही स्थानीय हाट बाजारों में ''जैविक जोन'' को चिन्हांकित कर जैविक सब्जी एवं अन्य उत्पादों के विक्रय के लिये व्यवस्था प्रदाय की जा रही है ताकि जैविक उत्पादो हेतु कृषको को अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके।

तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - एक

तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 899) की जानकारी

प्रपत्र

छ.ग. वित्तीय अधिकारों की पुस्तक (भाग–2) 1995 कृषि विभाग अंतर्गत प्रदत्त वित्तीय अधिकार

क्र.	विवरण	प्राधिकारी सक्षम	वित्तीय अधिकार की सीमा	रिमार्क
1	2	3	4	5
*1.	अतिशेष भंडार (अनाज एवं बीज सहित) के निबटारे की स्वीकृति	1. अतिरिक्त संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	–
		2. संयुक्त संचालक	रू. 30,000 तक	–
		3. उप संचालक	रू. 10,000 तक	–
		4. परियोजना कार्यपालन अधिकारी, रायपुर / कृषि यंत्री	रू. 10,000 तक	–
2.	फार्म / उद्यान की फसल की आम नीलामी की स्वीकृति	1. संचालक / अतिरिक्त संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	–
		2. संयुक्त संचालक	प्रत्येक प्रकरण में रू. 60,000 तक	–
		3. उप संचालक / परियोजना कार्यपालन अधिकारी, रायपुर	प्रत्येक प्रकरण में रू. 20,000 तक	–
		4. अनुसंधान एवं विकास शाखा के प्रमुख	रू. 4,000 तक	–
		5. सहायक कृषि यंत्री / सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी / उप संभागीय कृषि अधिकारी / द्वितीय श्रेणी अधिकारी जो योजनाओं का स्वतंत्र प्रभार	प्रत्येक प्रकरण में अनुमानित मूल्य रू. एक हजार तक	–
3.	फार्म एवं उद्यानों में के अतिशेष पशुधन का निबटारा करने की स्वीकृति प्रदान करना	1. संचालक / अतिरिक्त संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	–
		2. संयुक्त संचालक	पुस्तकीय मूल्य रू. 20,000 तक	–
		3. उप संचालक / परियोजना कार्यपालन अधिकारी, रायपुर	पुस्तकीय मूल्य रू. 10,000 तक	–
4.	बोली का अनुमोदन करने की शक्ति	1. संचालक / अतिरिक्त संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	–
		2. संयुक्त संचालक	रू. 40,000 तक	–
		3. उप संचालक	रू. 20,000 तक	–
		4. कृषि यंत्री	रू. 20,000 तक	–
		5. अनुसंधान तथा विकास शाखा में प्रमुख	रू. 20,000 तक	–
5.	सुरक्षित स्टॉक की सीमा का निर्धारण	संचालक / अतिरिक्त संचालक	रू. 40,000 तक	–
6.	आकस्मिक खर्च की स्वीकृति निम्न क्रय हेतु– (क) उपकरण (ख) फार्म मशीनरी (ग) साधन (घ) फर्नीचर (ङ) अतिरिक्त पुर्जे (च) अन्य भण्डार	1. संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	इसमें फर्नीचर, एयर कूलर्स, वाटर कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, कम्प्यूटर तथा पेरीफेरल्स सम्मिलित नहीं है।
		2. अतिरिक्त संचालक	रू. 50,000 तक	
		3. संयुक्त संचालक / उप संचालक / परियोजना कार्यपालन अधिकारी, रायपुर / कृषि यंत्री / कृषि यंत्री (अनुसंधान)	20,000 तक	
		4. सहायक कृषि / सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी / उप संभागीय कृषि अधिकारी तथा अन्य द्वितीय श्रेणी अधिकारी जो योजना का स्वतंत्र प्रभार रखते हैं	5,000 तक	
7.	खाद्य एवं चारे का क्रय	1. फार्म / उद्यान के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के अधिकारी	पूर्ण शक्तियाँ	–
		2. सहायक कृषि यंत्री / सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी / उप संभागीय कृषि अधिकारी जो योजना का स्वतंत्र प्रभार रखते हैं।	प्रत्येक मद में रू. 2000 तक	–

क्र.	विवरण	प्राधिकारी सक्षम	वित्तीय अधिकार की सीमा	रिमार्क
1	2	3	4	5
8.	कार्यालयीन उपयोग हेतु भंडार के क्रय की मंजूरी जैसे गिलास, पानी के बर्तन इत्यादि	1. अतिरिक्त संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	–
		2. संयुक्त संचालक	रू. एक हजार प्रति वर्ष	–
		3. उप संचालक	रू. आठ सौ प्रति वर्ष	–
		4. परियोजना कार्यपालन अधिकारी, रायपुर	रू. छह सौ प्रति वर्ष	–
		5. कृषि यंत्री	रू. छह सौ प्रति वर्ष	–
		6. सहायक यंत्री/सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी/उप–खण्डीय कृषि अधिकारी/द्वितीय श्रेणी अधिकारी जो योजना का स्वतंत्र प्रभार रखते हैं	रू. पांच सौ प्रति वर्ष	–
9.	भूमि संरक्षण कार्य के एस्टीमेट तथा प्रोजेक्ट की तकनीकी	1. सयुक्त संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	–
		2. उप संचालक/संभागीय भूमि	रू. 3.5 लाख तक	–
		3. परियोजना कार्यपालन अधिकारी	रू. तीन लाख तक	–
		4. सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी	रू. पचास हजार तक	–
10.	भूमि संरक्षण कार्यों के एस्टीमेट्स तथा प्रस्तावों को प्रशासकीय मंजूरी देना (तकनीकी अनुमोदन के बाद)	1. संचालक/अतिरिक्त संचालक	पूर्ण शक्तियाँ	–
		2. संयुक्त संचालक	रू. 4 लाख तक प्रति कार्य	–
		3. उप संचालक/संभागीय भूमि संरक्षण अधिकारी/परियोजना कार्यपालन अधिकारी	रू. 3 लाख तक प्रति कार्य	–
11.	टूल्स एवं प्लांट्स के मरम्मत के एस्टीमेट्स की मंजूरी	संयुक्त संचालक/उप संचालक/कृषि यंत्री	रू. 6,000 तक	–
12.	कार्य के निष्पादन की मंजूरी देने की शक्ति	1. संचालक/अतिरिक्त संचालक	रू. 40,000 तक प्रति कार्य	–
		2. संयुक्त संचालक	रू. 20,000 तक प्रति कार्य	–
		3. उप संचालक/परियोजना कार्यपालन अधिकारी, रायपुर	रू. 10,000 तक प्रति कार्य	–
		4. नियंत्रण अधिकारी	रू. 10,000 तक प्रति कार्य	–

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा
जैव प्रौद्योगिकी विभाग

डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मद अंतर्गत व्यय की जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड	डीपीआर हेतु प्रावधानित राशि	डीपीआर निर्माण हेतु जिलों को प्रदाय राशि	डीपीआर निर्माण की व्यय राशि				एजेंसी का नाम
					2021–22	2022–23	2023–24 (जून 2024 तक)	कुल व्यय	
1	बालोद	गुरूर	8.45	4.00	0.00	3.97	0.00	3.97	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
2	बेमेतरा	साजा	11.57	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
3	बेमेतरा	साजा	16.06	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
4	दुर्ग	पाटन	13.27	4.00	0.00	3.75	0.00	3.75	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
5	दुर्ग	दुर्ग	17.44	4.00	0.23	3.76	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
6	कबीरधाम	बोडला	9.07	4.00	0.61	3.36	0.00	3.97	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
7	कबीरधाम	पण्डरिया	14.06	4.00	0.12	3.81	0.00	3.93	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
8	राजनांदगांव	अंबागढ़ चौकी	11.43	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
9	राजनांदगांव	मानपुर	19.60	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
10	बिलासपुर	कोटा	14.90	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
11	जांजगीर–चांपा	सक्ति	7.86	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
12	कोरबा	पोड़ीउपरोड़ा	11.79	4.00	0.00	3.88	0.00	3.88	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
13	कोरबा	पाली	9.93	4.00	0.00	3.85	0.00	3.85	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
14	मुंगेली	मुंगेली	14.50	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
15	रायगढ़	घरघोड़ा	9.92	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
16	रायपुर	तिल्दा	15.22	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
17	बलौदाबाजार	कसडोल	11.34	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
18	धमतरी	मगरलोड	13.58	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
19	महासमुंद	महासमुंद	15.26	4.00	0.23	2.75	0.00	2.98	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
20	महासमुंद	पिथौरा	14.90	4.00	0.66	3.34	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
21	गरियाबंद	देवभोग	14.95	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
22	गरियाबंद	गरियाबंद	8.73	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड	डीपीआर हेतु प्रावधानित राशि	डीपीआर निर्माण हेतु जिलों को प्रदाय राशि	डीपीआर निर्माण की व्यय राशि				एजेंसी का नाम
					2021–22	2022–23	2023–24 (जून 2024 तक)	कुल व्यय	
23	बस्तर	दरभा	15.48	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
24	बस्तर	बस्तानार	13.47	4.00	0.00	3.92	0.00	3.92	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
25	कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	12.48	4.00	0.00	3.98	0.00	3.98	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
26	कोण्डागांव	कोण्डागांव	10.58	4.00	0.00	3.97	0.00	3.97	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
27	कांकेर	कांकेर	15.67	4.00	0.00	3.58	0.00	3.58	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
28	कांकेर	कांकेर	18.51	4.00	0.00	3.49	0.00	3.49	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
29	कांकेर	दुर्गकोंदल	14.43	4.00	0.00	3.13	0.00	3.13	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
30	नारायणपुर	नारायणपुर	15.67	4.00	0.00	3.96	0.00	3.96	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
31	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	14.94	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
32	दंतेवाड़ा	कुआंकोण्डा	12.01	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
33	बीजापुर	उसूर	18.23	4.00	0.00	2.81	0.00	2.81	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
34	बीजापुर	बीजापुर	13.68	4.00	0.00	3.17	0.00	3.17	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
35	सुकमा	कोंटा	13.57	4.00	0.00	3.94	0.00	3.94	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
36	सुकमा	छिंदगढ़	15.40	4.00	0.00	3.90	0.00	3.90	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
37	सरगुजा	उदयपुर	14.49	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
38	सरगुजा	लखनपुर	16.00	4.00	0.00	3.99	0.00	3.99	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
39	बलरामपुर	बलरामपुर	13.37	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
40	बलरामपुर	रामानुजगंज	15.52	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
41	जशपुर	पत्थलगांव	14.21	4.00	0.00	3.86	0.00	3.86	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
42	जशपुर	बगीचा	15.07	4.00	0.00	3.82	0.00	3.82	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
43	कोरिया	बैकुण्ठपुर	11.23	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
44	कोरिया	भरतपुर	14.74	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
45	सूरजपुर	भैयाथान–प्रतापपुर	11.09	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी
जिला का योग			**613.66**	**180.00**	**1.85**	**171.93**	**0.00**	**173.78**	

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड	डीपीआर हेतु प्रावधानित राशि	डीपीआर निर्माण हेतु जिलों को प्रदाय राशि	डीपीआर निर्माण की व्यय राशि				एजेंसी का नाम
					2021–22	2022–23	2023–24 (जून 2024 तक)	कुल व्यय	
1	राज्य स्तर (छत्तीसगढ़ राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी)		-	-	0.00	8.85	0.00	8.85	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय, हैदराबाद
			-	-	0.00	26.30	0.00	26.30	छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिसर रायपुर
राज्य स्तर का योग			-	-	**0.00**	**35.15**	**0.00**	**35.15**	
कुल योग			**613.66**	**180.00**	**1.85**	**207.08**	**0.00**	**208.93**	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं [illegible] कल्याण
तथा जैव प्रौद्यो[illegible] विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - तीन

तारांकित प्रश्न संख्या 5 (क्र. 700) की जानकारी

प्रपत्र–अ

छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरंक्षण मंडल द्वारा जिला सक्ती में विगत 05 वर्ष (अप्रैल, 2019 से मार्च, 2024 तक) में जल एवं वायु सम्मति प्राप्त संचालित डोलोमाईट खदान की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम	खसरा नं.	रकबा	उत्पाद व उत्पादन क्षमता	भू - स्वामित्व	संचालन सम्मति जारी दिनांक	सम्मति नवीनीकरण की तिथि	सम्मति वैधता दिनांक	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	मेसर्स अरविंद सोनी, (अकलसरा डोलोमाईट माईन) ग्राम- अकलसरा तहसील - जैजैपुर, जिला-सक्ती	1263/1	4.047 हेक्टेयर	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 17,500 टन/वर्ष	श्री अरविंद सोनी	17/05/2019	09/03/2021	17/01/2024	खदान विगत 10 माह से बंद है।
2.	मेसर्स उमेश प्रसाद अग्रवाल माईंस, ग्राम-खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती	792, 793/1, 793/2, 794/1 794/2, 801, 802/1, 802/2, 827/1, 827/2, 827/3, 828, 831/1, 831/2, 832/1, 832/2, 833, 834/1, 838/1,839/1, 839/2, 865, 866, 867/1, 867/2, 868/1, 868/2	4.66 हेक्टेयर	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट बोल्डर्स - 1,00,000 टन/वर्ष	श्री उमेश प्रसाद अग्रवाल	06/05/2020	31/05/2021	05/05/2026	निरंक
3.	मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, (माइंस) ग्राम-छितापंडरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती	5/2	4.99 हेक्टेयर	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट- 2,50,000 टन/ वर्ष	श्री मनमोहन शर्मा	16/02/2021	18/02/2022	15/02/2027	निरंक
4.	मेसर्स गुरू मिनरल्स एवं डेव्हलपर्स, ग्राम-झालरौंदा, ब्लॉक-जैजैपुर, जिला-सक्ती	207/2, 207/3, 208/2, 209/1, 209/2, 209/3, 209/4, 209/5, 209/6, 210/2, 210/3, 210/4, 211/1, 211/2, 211/3, 211/4, 212, 214/1, 214/2, 214/3, 214/4, 226/4	4.998 हेक्टेयर	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 1,52,500 टन/ वर्ष	श्री प्रमोद अग्रवाल	01/02/2022	21/09/2023	31/01/2028	निरंक
5.	मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, (माइंस) ग्राम-छितापंडरिया, तहसील -जैजैपुर, जिला-सक्ती	167, 168/1, 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168/6, 168/7, 168/8, 168/9, 168/10, 168/11, 168/12, 168/13, 169, 329/1, 329/2	4.297 हेक्टेयर	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट- 3,00,000 टन/ वर्ष	श्री मनमोहन शर्मा	09/11/2021	16/11/2022	08/11/2027	निरंक
6.	मेसर्स लोकेश चन्द्रा माईंस, ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरौद, जिला-सक्ती	65/3, 74, 77/2, 65/2, 76/2, 72 (69/1 शामिल 70/1), 76/3, 76/4, 76/5, 76/1, 68/1, 68/2, 64/3, 64/12, 64/11, 65/1, 73, 65/4, (69/2 शामिल 70/2),67, 66, 77/1	4.587 हेक्टेयर	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 2,00,337 टन/ वर्ष	श्री लोकेश चन्द्रा	05/09/2022	15/05/2024	04/09/2030	निरंक

(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा वर्ष 2022-23 तथा 2023-24 में किये गये निरीक्षण सम्बन्धी जानकारी

क्र.	खदान का नाम	उत्पादन क्षमता	वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में किया गया निरीक्षण			
			निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी	पायी गयी स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, (माइंस) ग्राम-छितापंडरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट- 2,50,000 टन/ वर्ष	16/01/2024	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक एवं राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
2.	मेसर्स मृत्युंजय सिंह सिसोदिया, ग्राम-छितापंडरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 2,03,522 मी.टन/वर्ष	17/02/2023	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 36/2023 आदेश दिनांक 06/11/2023 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र क्रमांक 3843 दिनांक 04/12/2023 के माध्यम से खदान बंद करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त आदेश के परिपालन में खदान वर्तमान में बंद है।
3.	मेसर्स प्रतीश कुमार गोयल, ग्राम-अकलसरा, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 99,294 मी.टन/वर्ष	21/08/2023	तोरन सिंह, सहायक अभियंता	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
4.	मेसर्स बालाजी ट्रेडिंग कम्पनी, ग्राम-छितापंडरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ स्टोन बोल्डर (डोलोमाईट) 2,08,269.45 मी.टन/वर्ष स्टोन चिप्स - 2,00,000 मी.टन/वर्ष	10/11/2022	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
5.	मेसर्स प्रतीश कुमार गोयल, खम्हरिया डोलोमाईट माइंस, ग्राम-खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 214812 मी.टन/वर्ष	10/11/2022	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
6.	मेसर्स श्री बालाजी मेटल्स एण्ड मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-डूमरपारा डोलोमाईट माइंस, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट विथ क्रशिंग एण्ड स्क्रीनिंग - 1,50,000 मी.टन/वर्ष	21/11/2023	तोरन सिंह, सहायक अभियंता	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
7.	मेसर्स श्री अरविंद सोनी, (अकलसरा डोलोमाईट माइंस), ग्राम-अकलसरा, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 17,500 मी.टन/वर्ष	21/08/2023	तोरन सिंह, सहायक अभियंता	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	खदान विगत 10 माह से बंद है।
8.	मेसर्स गुरूश्री मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-छितापंडरिया, तहसील -जैजैपुर, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट- 3,00,000 टन/ वर्ष	08/11/2022	देवव्रत मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
			16/01/2024	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक एवं राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक		
9.	मेसर्स उमेश प्रसाद अग्रवाल माईंस, ग्राम-खम्हरिया, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट बोल्डर - 1,00,000 मी.टन/वर्ष	21/08/2023	तोरन सिंह, सहायक अभियंता	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
10.	मेसर्स गुरू मिनरल्स एवं डेव्हलपर्स, ग्राम-झालरौंदा, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट - 1,52,500 टन/वर्ष	21/09/2023	तोरन सिंह, सहायक अभियंता	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
			16/01/2024	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक एवं राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक		

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

11.	मेसर्स लोकेश चन्द्रा माईंस, प्रोपाइटर श्री लोकेश चन्द्रा, ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ लाईम स्टोन-20,396 मी.टन/वर्ष	09/03/2024	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
12.	मेसर्स नगझर लाइम स्टोन माईन, प्रोपाइटर श्री लोकेश चन्द्रा, ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ लाईम स्टोन-14,850 मी.टन/वर्ष	29/02/2024	मनीष जायसवाल, सहायक अभियंता	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
13.	मेसर्स धनीराम कंवर, माईंस, ग्राम-जुडगा, तहसील एवं जिला-सक्ती	माईनिंग लाईम स्टोन-2,925 मी.टन/वर्ष	16/10/2023	तोरन सिंह, सहायक अभियंता	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
14.	मेसर्स बाबा परमहंस ग्रामोद्योग माईंस, प्रोपाइटर श्री बजरंगलाल अग्रवाल, ग्राम-केकराभाट, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ लाईम स्टोन-9,944.6 मी.टन/वर्ष	13/03/2023	राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक
15.	मेसर्स राजकुमार अग्रवाल (माईंस), ग्राम-सिरियागढ़, तहसील -डभरा, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ लो ग्रेड लाईम स्टोन-6,899.43 टन/वर्ष	21/10/2022	तोरन सिंह, सहायक अभियंता	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	खदान नवंबर 2023 से बंद है।
16.	मेसर्स राजकुमार अग्रवाल, ग्राम-सिरियागढ़, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ लाईम स्टोन (माईनर मिनरल)-6,858 टन/वर्ष	12/02/2024	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 36/2023 आदेश दिनांक 06/11/2023 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र क्रमांक 3819 दिनांक 04/12/2023 के माध्यम से खदान बंद करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त आदेश के परिपालन में खदान वर्तमान में बंद है।
17.	मेसर्स लोकेश चन्द्रा माइंस, ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरौदा, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ स्टोन बोल्डर- 17,212.5 मीट्रिक टन/वर्ष	12/02/2024	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 36/2023 आदेश दिनांक 06/11/2023 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र क्रमांक 3831 दिनांक 04/12/2023 के माध्यम से खदान बंद करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त आदेश के परिपालन में खदान वर्तमान में बंद है।
18.	मेसर्स अजय सिंह चन्द्रा माइंस, ग्राम-झालरौंदा, तहसील-जैजैपुर, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ स्टोन बोल्डर (डोलोमाईट) - 2,00,000 मीट्रिक टन/वर्ष	16/01/2024	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक एवं राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	माननीय एन.जी.टी. सेंट्रल जोनल बेंच भोपाल में विचाराधीन प्रकरण ओ.ए. क्रमांक 36/2023 आदेश दिनांक 06/11/2023 के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र क्रमांक 3821 दिनांक 04/12/2023 के माध्यम से खदान बंद करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। उक्त आदेश के परिपालन में खदान वर्तमान में बंद है।
19.	मेसर्स लोकेश चन्द्रा माईंस, प्रोप्राईटर श्री लोकेश चन्द्रा, ग्राम-नगझर, तहसील-मालखरौद, जिला-सक्ती	माईनिंग ऑफ डोलोमाईट लाईम स्टोन- 2,00,337 टन/वर्ष	16/01/2024	राजेन्द्र प्रसाद वासुदेव, वैज्ञानिक एवं राजाराम वैष्णव, कनिष्ठ वैज्ञानिक	निरीक्षण दौरान स्थिति सामान्य पायी गयी।	निरंक

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - चार

तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 729) की जानकारी

प्रपत्र–अ

अधोसंरचना विकास एवं रोजगार से संबंधित योजनाओं ,कार्यो के चयन तथा राशि आबंटन की प्रकिया की जानकारी

क्र	विभाग का नाम	मद का नाम	योजना का नाम	कार्यो के चयन की प्रकिया	राशि आबंटन की प्रकिया
1	2	3	4	5	6
1	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	अनुसूचित क्षेत्र के ग्रामों में सुविधाओं का विस्तार	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत जिला स्तरीय परियोजना क्रियान्वयन समिति की अनुशंसा से कार्य राज्य स्तरीय समिति को प्रेषित किये जाते हैं। राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा सहित कार्य स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किये जाते है।	भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली के द्वारा अनुमोदित अनुसार प्राप्त राशि का हस्तांतरण/पुनराबंटन राज्य स्तर से संबंधित एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को किया जाता है।
2		41/4225/7995–मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण –45 पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण –001	मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण	मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत आदिवासी बाहुल्य बस्तियों के अधोसंरचनात्मक विकास कार्य जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों पर विकास प्राधिकरण द्वारा कार्यो की स्वीकृति प्रदान की जाती है।	विकास प्राधिकरण के कार्यालय द्वारा कार्यो की स्वीकृति के साथ राशि का आबंटन किया जाता है। प्राप्त स्वीकृत अनुसार संबंधित विभागो को एजेंसी निर्धारित कर कार्य की राशि पुनराबंटित की जाती है।
3	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	राष्ट्रीय आयुष मिशन/ राजीव गांधी शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा)/मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना/स्वास्थ्य विभाग की योजना	राष्ट्रीय आयुष मिशन/ राजीव गांधी शिक्षा मिशन (समग्र शिक्षा)/मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना/स्वास्थ्य विभाग की योजना	योजना क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका अनुसार कार्यो का चयन किया जाता है।	योजना क्रियान्वयन की मार्गदर्शिका अनुसार कार्यो का चयन किया जाता है।
		जिला खनिज न्यास मद/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)/योजना मण्डल/मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना/छ. ग राज्य ग्रमीण विकास योजना/मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास योजना/15वें वित्त जिला जनपद स्तर/जनपद पंचायत विकास निधि/275(1)	जिला खनिज न्यास मद/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा.)/योजना मण्डल/मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना/छ.ग राज्य ग्रमीण विकास योजना/मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास योजना/15वें वित्त जिला जनपद स्तर/जनपद पंचायत विकास निधि/275(1)	योजना क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार	योजना क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार
4	वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोजना (41–2406)	ग्राम वन समितियों के माध्यम से औषधीय पौध रोपण (6516)	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्य योजना वर्ष 2021–22 से वर्ष 2030–31 में प्रावधानित अनुसार वन क्षेत्र में कार्यो का चयन किया जाता है।	चयनित क्षेत्र एवं शासन द्वारा निर्धारित नार्म्स के आधार पर प्राप्त राशि का पुनराबंटन किया जाता है।
5	लोक स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग	जल जीवन मिशन	जल जीवन मिशन	जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका अनुसार कार्यो का चयन किया जाता है।	जल जीवन मिशन की मार्गदर्शिका अनुसार कार्यो का चयन किया जाता है।

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय नवा रायपुर

प्रपत्र –ब

गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र के आदिवासी ग्रामों में विगत तीन वर्षो में स्वीकृत, खर्च की गयी राशि, तथा लंबित राशि एवं कार्य की जानकारी

(राशि लाख में)

क्र	वर्ष	ग्राम का नाम	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	खर्च की गयी राशि	शेष राशि	कार्य की भौतिक स्थिति		
							पूर्ण	प्रगति पर	अप्रारंभ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2021–22	मुढ़िया	स्पाट पेयजल सुविधा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बालोद प्रति ईकाई रू. 15.00 लाख	15.00	15.00	0.00	पूर्ण	–	–
2		पीपरखार	सामुदायिक भवन निर्माण ग्रा०/पंचा० पीपरखार	5.00	5.00	0.00	पूर्ण	–	–
3		राघोनवागांव	शासकीय आयुर्वेद औषधालय रघोनागांव	16.36	16.36	0.00	पूर्ण	–	–
4		गहिरा नवागांव	शा.प्रा.शाला जीर्णोद्धार कार्य	5.00	2.50	2.50	पूर्ण		
5		भेंड़ी–सू	स्पाट पेयजल सुविधा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बालोद प्रति ईकाई रू. 15.00 लाख	15.00	15.00	0.00	पूर्ण	–	–
6		डेंगरापार	सी०सी०रोड निर्माण (संजू घर से रूपसिंह घर की ओर)	2.50	2.50	0.00	पूर्ण	–	–
7		मार्री	शास.प्राथ.शाला मार्री में अति.कक्ष निर्माण	4.71	4.71	0.00	पूर्ण	–	–
8		गहिरा नवागांव	आर.सी.सी.बैंच की व्यवस्था	0.90	0.90	0.90	पूर्ण		
9		सिर्राभाठा	स्पाट पेयजल सुविधा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बालोद प्रति ईकाई रू. 15.00 लाख	15.00	14.38	0.63	पूर्ण	–	–
10		गहिरा नवागांव	शासकीय प्राथमिक शाला गहिरा नवागांव अतिरिक्त कक्ष निर्माण (1 कार्य) (60256)	8.32	8.32	0.00	पूर्ण	–	–
11		मुढ़िया	शा.प्रा.शाला भवन जीर्णोद्धार कार्य	5.00	4.86	4.86	पूर्ण		
12		खामभाठ	स्पाट पेयजल सुविधा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बालोद प्रति ईकाई रू. 15.00 लाख	15.00	14.38	0.63	पूर्ण	–	–
13		मुढ़िया	मुख्य मार्ग में बालिका दिव्यांग अगोरन ठिहा	5.00	4.84	4.84	पूर्ण		
14		मार्री	स्पाट पेयजल सुविधा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बालोद प्रति ईकाई रू. 15.00 लाख	15.00	14.38	0.63	पूर्ण	–	–
15		मुढ़िया	आर.सी.सी.बैंच की व्यवस्था	0.90	0.90	0.90	पूर्ण		
16		बोइरडीह	स्पाट पेयजल सुविधा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बालोद प्रति ईकाई रू. 15.00 लाख	15.00	15.00	0.00	पूर्ण	–	–
17		मार्री	मुख्य मार्ग में बालिका दिव्यांग अगोरन ठिहा	5.00	4.33	4.33	पूर्ण		
18		पीपरखार–ना	स्पाट पेयजल सुविधा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बालोद प्रति ईकाई रू. 15.00 लाख	15.00	14.38	0.63	पूर्ण	–	–
19		कुआंगांव	शा.प्रा.शा.भवन में जीर्णोद्धार कार्य	3.00	1.50	1.50		प्रगतिरत	
20		अहि०नवांगांव	स्पाट पेयजल सुविधा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बालोद प्रति ईकाई रू. 15.00 लाख	15.00	14.38	0.63	पूर्ण	–	–
21		बुन्देली	मुख्य मार्ग में बालिका दिव्यांग अगोरन ठिहा	5.00	4.95	4.95	पूर्ण		
22		गड़ईनडीह	स्पाट पेयजल सुविधा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बालोद प्रति ईकाई रू. 15.00 लाख	15.00	14.38	0.63	पूर्ण	–	–
23		खपराभाठ	शा.प्रा.शाला जीर्णोद्धार कार्य	5.00	4.77	4.77	पूर्ण		
24		कठिया	स्पाट पेयजल सुविधा आदिवासी उपयोजना क्षेत्र जिला बालोद प्रति ईकाई रू. 15.00 लाख	15.00	14.38	0.63	पूर्ण	–	–
25		महराजपुर	भूतकूदन शासकीय डबरी के पास चेकडेम पुलिया निर्माण	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
26		मुडखुसरा	खेल मैदान के पास पुलिया निर्माण कार्य	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
27		बोईरडीह	भांठापारा स्कूल के पास पुलिया निर्माण कार्य	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
28		खपराभाठ	सी.सी.रोड आंगनबाड़ी से माध्य.शाला तक	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
29		पीपरखार (ना)	विभिन्न वार्डों में सी.सी.रोड निर्माण	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
30		खामभाठ	गली सीमेन्टीकरण रोड निर्माण कार्य	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
31		फुलसुंदरी	विभिन्न वार्डों में सीमेंटीकरण रोड निर्माण कार्य	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
32		राघोनवागांव	विभिन्न गलियों में सी.सी.रोड निर्माण	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
33		मार्री	खपराभाठ पहुंच मार्ग में पुल पुलिया निर्माण	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
34		मुढ़िया	पुल पुलिया निर्माण	10.00	7.50	2.50	पूर्ण	–	–
35		मुढ़िया	वार्ड क्रमांक 11 एवं 12 में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00	7.50	2.50	पूर्ण	–	–
36		डेंगरापार	सी.सी.रोड निर्माण विभिन्न गलियों में	10.00	7.50	2.50	पूर्ण	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37		बुन्देली	सी.सी.रोड निर्माण कोटवार घर से सोहन घर तक	10.00	7.50	2.50	पूर्ण	–	–
38		मुड़खुसरा	पुल पुलिया निर्माण	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
39		घीना	पुल पुलिया निर्माण घीना खार मार्ग में	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
40		कठिया	सी.सी.रोड घसिया घर से आंगनबाड़ी तक	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
41		भालूकोन्हा	सी.सी.रोड सांस्कृतिक कलामंच के पास	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
42		भेड़ी (सु.)	सी.सी.रोड महादेव खरे घर से दुर्योधन घर तक	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
43		भेड़ी (सु.)	सी.सी.रोड मेघु राम घर से बेदराम भुआर्य घर तक	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
44		भेड़ी (सु.)	सी.सी.रोड जयस्तंभ चौक से शत्रु राम घर तक	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
45		भुरकाभाठ	पुलिया निर्माण डामन लाल घर पास	10.00	7.50	2.50	–	प्रगतिरत	–
46		भुरकाभाठ	सी.सी.रोड तेजराम सिन्हा घर से मुख्य मार्ग तक	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
47		अहि.नवागांव	सी.सी.रोड निर्माण निराशा बाई घर से मुनसुख घर तक	10.00	7.50	2.50	पूर्ण	–	–
48		भीमकन्हार	सी.सी.रोड़ निर्माण पंचायत चौक से कुंआ तक	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
49		हथौद	विभिन्न वार्डो में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
50		गहि.नवागांव	विभिन्न वार्डो में सी.सी.रोड निर्माण कार्य	10.00	10.00	0.00	पूर्ण	–	–
51		पीपरखार ना	ग्राम पीपरखार ना में मानसिंग गली से खोरबाहरा घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	2.50	2.50	2.50	पूर्ण	–	–
52		भीमकन्हार	ग्राम भीमकन्हार के वार्ड कं. 03 के सामुदायिक भवन में शौचालय एवं किचन शेड निर्माण कार्य।	2.50	2.50	2.50	पूर्ण	–	–
53		हथौद	ग्राम हथौद वार्ड कं. 05 के जय स्तंभ चबुतरा सौंदर्यीकरण कार्य।	0.50	0.50	0.50	पूर्ण	–	–
54		कुंआगांव	ग्राम कुंआगांव में रोड से स्कूल तक पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य।	2.00	2.00	2.00	पूर्ण	–	–
55		खपराभाट	ग्राम खपराभाट में आंगनबाड़ी केन्द्र क. 01 से डोमार के खेत तक पक्का नाली निर्माण कार्य।	2.00	2.00	2.00	पूर्ण	–	–
56		खपराभाट	बोर खनन एंव हैण्डपम्प स्थापना	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
57		कुआगांव	दो नग पम्प सेट खरीदी कार्य	0.50	0.25	0.25	–	–	अप्रांरभ
58	2021–22	अहि.नवागांव	दो नग पम्प सेट खरीदी कार्य	0.50	0.25	0.25	–	प्रगतिरत	–
59		भेडी सु	दो नग पम्प सेट खरीदी कार्य	0.50	0.25	0.25	–	प्रगतिरत	–
60		मुढिया	दो नग पम्प सेट खरीदी कार्य	0.45	0.25	0.20	–	प्रगतिरत	–
61		मार्री	दो नग पम्प सेट खरीदी कार्य	0.50	0.25	0.25	–	प्रगतिरत	–
62		खपराभाट	दो नग पम्प सेट खरीदी कार्य	0.50	0.50	0.00	पूर्ण	–	–
63		डेंगरापार	डेंगरापार पचरीसह तालाब सौंदर्यीकरण	2.00	2.00	0.00	पूर्ण	–	–
64		मुढिया	कुडादान निर्माण	0.50	0.25	0.25	–	प्रगतिरत	–
65		खाम्भाट	सार्वजनिक शौचालय निर्माण (पानी टंकी के पास)	0.90	0.45	0.45	–	प्रगतिरत	–
66		खैरा	नाली निर्माण उदयान में (खेल मैदान से तालाब की ओर)	2.00	2.00	0.00	पूर्ण	–	–
67		मार्री	हैण्डपंप के पास वाटर रिचार्ज (वार्ड कमांक 03,वार्ड कमांक 08 एंव वार्ड कमांक 13 हैण्डपम्प के पास)	0.25	0.25	0.00	पूर्ण	–	–
68		कुंआगांव	वाटर रिचार्ज हेतु सोखता निर्माण (प्राथमिक शाला के पास वार्ड कमांक 10 में 2 नग,वार्ड कमांक 01 पंचायत भवन के पास)	0.25	0.13	0.13	–	प्रगतिरत	–
69		भीमकन्हार	वाटर रिचार्ज हेतु सोखता निर्माण (रामसहाय साहू घर के पास, दिनेश साहू घर के पास)	0.25	0.13	0.13	–	प्रगतिरत	–
70		घीना	नाली निर्माण कार्य (खिलावन सिन्हा घर से होलिक दहन तक)	2.00	1.00	1.00	–	प्रगतिरत	–
71		गणेशखपरी	शीतला मंदिर के पास सी.सी. रोड निर्माण	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
72		भालूकोन्हा	भालूकोन्हा में प्रकाश व्यवस्था हेतु	1.50	1.49	0.01	पूर्ण	–	–
73		भालूकोन्हा	ग्राम कठिया में कुसी कय	0.50	0.25	0.25		प्रगतिरत	–
74		मुढिया	आहता निर्माण सामुदायिक भवन शीतला मंदिर के पास	1.50	1.50	0.00	पूर्ण	–	–
75		कुंआगांव	शा.प्रा.शाला में छत निर्माण	2.00	1.00	1.00	पूर्ण		–
76		राघोनवागांव	खुला जिम एवं गार्डन निर्माण	7.00	7.00	0.00	पूर्ण	–	–
77		भालूकोन्हा	स्टील चेयर (चौक चौराहा में)	0.50	0.50	0.00	पूर्ण	–	–
78		घीना	सी.सी.रोड निर्माण	1.50	1.50	0.00	पूर्ण	–	–
79		कठिया	मोटर पंप व टंकी निर्माण पाईप लाईन विस्तार	1.50	1.50	0.00	पूर्ण	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80		राघोनवागांव	जिम सामग्री क्रय	2.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
81		राघोनवागांव	सीमेंट चेयर (गार्डन में बैठक व्यवस्था हेतु)	1.00	0.50	0.00	–	प्रगतिरत	
82		भालूकोन्हा	स्टील चेयर (चौक चौराहा में)	0.50	0.50	0.00	पूर्ण	–	–
83		भेडी सु	स्कूल में बोर खनन मोटरखरीदी टंकी सहित पेयजल की सम्पूर्ण व्यवस्था	2.50	1.25	1.25	–	प्रगतिरत	–
84		मनकी क	मोटर पंप व टंकी निर्माण पाईप लाईन विस्तार	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
85		डेंगरापार	आरसीसी नाली निर्माण कार्य	1.50	0.75	0.75	–	प्रगतिरत	–
86		गहिरानवागांव	मानिक घर से छोटे तालाब सी.सी. नाली निर्माण	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
87		भीमकन्हार	आर.सी.सी.नाली निर्माण	1.00	0.50	0.50	–	प्रगतिरत	–
88		बुन्देली	आर.सी.सी.नाली निर्माण	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
89		खामभाट	वार्ड कमांक 12 में सी.सी. रोड निर्माण	3.00	3.00	0.00	पूर्ण	–	–
90		महाराजपुर	नलजल योजना	103.72	48.85	54.87	-	प्रगतिरत	-
91		पीपरखार	नलजल योजना	92.99	73.38	19.61	-	प्रगतिरत	-
92		खपराभाठ	नलजल योजना	117.37	117.30	0.07	-	प्रगतिरत	-
93		खामभाठ	नलजल योजना	78.80	66.00	12.80	-	प्रगतिरत	-
94	2021–22	कुंआगांव	नलजल योजना	108.51	91.40	17.11	-	प्रगतिरत	-
95		राघोनवागांव	नलजल योजना	39.19	27.97	11.22	-	प्रगतिरत	-
96		कठिया	नलजल योजना	96.85	29.53	67.32	-	प्रगतिरत	-
97		भुरकाभाठ	नलजल योजना	91.80	79.26	12.54	-	प्रगतिरत	-
98		तेलीटोला	नलजल योजना	64.45	39.55	24.90	-	प्रगतिरत	-
99		मुढ़िया	नलजल योजना	64.57	24.33	40.24	-	प्रगतिरत	-
100		हथौंद	नलजल योजना	116.23	110.87	5.36	-	प्रगतिरत	-
101		भेड़ी–सु	नलजल योजना	122.49	64.03	58.46	-	प्रगतिरत	-
102		अहिबरन नवागांव	नलजल योजना	134.49	131.45	3.04	-	प्रगतिरत	-
103		गडईनडीह	नलजल योजना	77.95	54.52	23.43	-	प्रगतिरत	-
104		घीना	नलजल योजना	154.54	108.62	45.92	-	प्रगतिरत	-
105		बुन्देली	नलजल योजना	101.46	22.92	78.54	-	प्रगतिरत	-
106		मुड़खुसरा	नलजल योजना	96.53	31.52	65.01	-	प्रगतिरत	-
107		भीमकन्हार	नलजल योजना	136.88	93.52	43.36	-	प्रगतिरत	-
1		भीमकन्हार	शासकीय आयुर्वेद में औषधालय में योगा शेड ब्राडिंग कार्य एवं अधोसरंचना कार्य ग्राम भीमकन्हार	5.00	5.00	0.00	पूर्ण	–	–
2		मुड़खुसरा	दीर्घ मरम्मत कार्य शासकीय प्राथमिक विद्यालय मुड़खुसरा	15.00	15.00	0.00	पूर्ण	–	–
3		गहिरा नवागांव	लघु मरम्मत कार्य शासकीय प्राथमिक विद्यालय गहिरा नवागांव	1.25	1.25	0.00	पूर्ण	–	–
4		डेंगरापार	लघु मरम्मत कार्य शासकीय प्राथमिक विद्यालय डेंगरापार	3.00	3.00	0.00	पूर्ण	–	–
5		राघोनवागांव	लघु मरम्मत कार्य शासकीय प्राथमिक विद्यालय राघोनवागांव	1.10	1.10	0.00	पूर्ण	–	–
6		भीमकन्हार	लघु मरम्मत कार्य शासकीय प्राथमिकता विद्यालय भीमकन्हार	1.25	1.25	0.00	पूर्ण	–	–
7	2022–23	मुढ़िया	लघु मरम्मत कार्य शासकीय प्राथमिक विद्यालय मुढ़िया	1.25	1.25	0.00	पूर्ण	–	–
8		महराजपुर	उपस्वास्थ्य केन्द्र महराजपुर ब्राडिंग एवं अधोसरंचना विकास कार्य	4.00	4.00	0.00	पूर्ण	–	–
9		गहिरा नवागांव	देवगुड़ी निर्माण /गहिरा नवागांव	2.50	1.25	1.25	पूर्ण	–	–
10		फुलसुंदरी	देवगुडी निर्माण /फुलसुंदरी	2.50	2.48	2.48	पूर्ण	–	–
11		डेंगरापार	देवगुड़ी निर्माण /डेंगरापार	2.50	2.38	2.38	पूर्ण	–	–
12		रानीतराई रोड	ग्राम बोईरडीह ग्राम पंचायत रानीतराई (रोड में महिला स्व–सहायता समूह के आजीविका संवर्धन हेतु कड़कनाथ मुर्गी पालन एवं प्रशिक्षण कार्य	6.10	3.05	3.05	पूर्ण	–	–
13		राघोनवागांव	देवगुडी निर्माण /राघोनवागांव	2.50	1.25	1.25	पूर्ण	–	–
14		पीपरखार ना.	देवगुड़ी निर्माण /पीपरखार ना.	2.50	2.46	2.46	पूर्ण	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15		भेड़ी सु.	देवगुड़ी निर्माण /भेड़ी सु.	2.50	2.38	2.38	पूर्ण	–	–
16		भुरकाभाट	देवगुडी निर्माण /भुरकाभाट	2.50	2.38	2.38	पूर्ण	–	–
17		भालूकोन्हा	सी.सी.रोड निर्माण कार्य भालूकोन्हा मुख्य मार्ग से मटेवाखार पहुंच मार्ग तक	19.84	9.92	9.92	–	प्रगतिरत	–
18		भीमकन्हार	सोलर स्ट्रीट लाईट स्थापना कार्य 30 नग	18.00	18.00	18.00	पूर्ण	–	–
19		भीमकन्हार	शा.प्रा.शा.में 02 नग अतिरिक्त कक्ष निर्माण	10.50	5.25	5.25	पूर्ण	–	–
20		भीमकन्हार	देवगुड़ी निर्माण /भीमकन्हार	2.50	1.25	1.25	पूर्ण	–	–
21		हथौद	पशु आश्रय (गौठान) निर्माण हेतु फेंसिंग जाली का प्रदाय/हथौद	3.18	3.09	3.09	पूर्ण	–	–
22		हथौद	देवगुड़ी निर्माण /हथौद	2.50	1.25	1.25	पूर्ण	–	–
23		मनकी क.	देवगुड़ी निर्माण /मनकी क.	2.50	2.38	2.38	पूर्ण	–	–
24		मुढ़िया	पशु आश्रय (गौठान) निर्माण हेतु फेंसिंग जाली का प्रदाय/मुढ़िया	7.21	7.00	7.00	पूर्ण	–	–
25		मुढ़िया	सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना कार्य 15 नग मुढ़िया	8.10	4.05	4.05	पूर्ण	–	–
26		मार्री	देवगुड़ी निर्माण /मार्री	2.50	2.38	2.38	पूर्ण	–	–
27		महराजपुर	देवगुड़ी निर्माण /महराजपुर	2.50	2.50	2.50	पूर्ण	–	–
28		महराजपुर	प्रकाश व्यवस्था/महराजपुर	6.45	6.15	6.15	पूर्ण	–	–
29		कुआंगांव	देवगुड़ी निर्माण /कुआंगांव	2.50	1.25	1.25	पूर्ण	–	–
30		बुन्देली	देवगुड़ी निर्माण /बुन्देली	2.50	2.37	2.37	पूर्ण	–	–
31		खपराभाट	देवगुड़ी निर्माण /खपराभाट	2.50	2.50	2.50	पूर्ण	–	–
32		खपराभाठ	आदर्श गौठान में पेंट निर्माण ईकाई की स्थापना खपराभाठ	7.85	7.85	7.85	पूर्ण	–	–
33	2022–23	खपराभाठ	ग्राम पंचायत खपराभाठ में महिला स्व–सहायता समूह के आजीविका संवर्धन हेतु कड़कनाथ मुर्गी पालन एवं प्रशिक्षण कार्य	6.10	3.05	3.05	पूर्ण	–	–
34		घीना	ग्राम पंचायत घीना में महिला स्व–सहायता समूह के आजीविका संवर्धन हेतु कड़कनाथ मुर्गी पालन एवं प्रशिक्षण कार्य	6.10	3.05	3.05	पूर्ण	–	–
35		घीना	हडगहन जलाशय तट विकास कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत घीना	9.90	4.95	4.95	–	प्रगतिरत	–
36		हथौद	कचरा संग्रहण शेड	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
37		मुडखुसरा	कचरा संग्रहण शेड	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
38		खामभाठ	सामुदायिक शौचालय	2.10	2.10	0.00	पूर्ण	–	–
39		भीमकन्हार	सामुदायिक शौचालय	2.10	2.10	0.00	पूर्ण	–	–
40		गहिरा नवांगांव	ग्राम–गहिरा नवांगांव के झंडा चौक कलामंच में अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य।	3.50	3.50	3.50	पूर्ण	–	–
41		फुलसुन्दरी	ग्राम खामभाट समुदाय के लिए सीमेंट कांकीट रोड़ का निर्माण(वार्ड क्र. 08 एवं 09 में मेन रोड से तरूण घर एवं भागवत घर की ओर)(मनरेगा अभिसरण)	2.50	2.50	2.50	पूर्ण	–	–
42		रानीतराई रोड	ग्राम–बोईरडीह में स्कूल के पास कलामंच निर्माण कार्य।	2.50	2.50	2.50	पूर्ण	–	–
43		रानीतराई रोड	ग्राम रानीतराई रोड के लिए इंटर लांकिग सीमेंट ब्लॉक/टाइल्स रोड निर्माण (पेवर ब्लॉक रोड निर्माण मुख्य मार्ग से कलामंच तक) (मनरेगा अभिसरण)	1.00	1.00	1.00	पूर्ण	–	–
44		भेड़ी सु	ग्राम भेड़ी सु समुदाय के लिए ओपन/कवर्ड ग्रे वाटर/स्टोर्म ड्रेम का निर्माण (मेन रोड से शीतला तालाब की ओर) ।(मनरेगा अभिसरण)	2.50	2.50	0.30	–	प्रगतिरत	–
45		भुरकाभाट	ग्राम शिकारीटोला समुदाय के लिए सीमेंट कांकीट रोड़ का निर्माण (दिलीप पटेल घर से जागेश्वर साहू घर तक)(मनरेगा अभिसरण)	3.50	1.75	1.75	–	प्रगतिरत	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46		भालूकोन्हा	ग्राम कठिया में समुदाय के लिए सीमेंट कांक्रीट रोड़ का निर्माण (पिताम्बर घर से आगे की ओर सी.सी. रोड़ निर्माण कार्य) (मनरेगा अभिसरण)	2.50	2.50	2.50	पूर्ण	–	–
47		भालूकोन्हा	ग्राम–भालूकोन्हा आश्रम के पास सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य। (मनरेगा अभिसरण)	0.94	0.94	0.47		प्रगतिरत	–
48		भीमकन्हार	ग्राम भीमकन्हार समुदाय के लिए सीमेंट कांकीट रोड का निर्माण (मेन रोड़ से जीवन घर तक)(मनरेगा अभिसरण)	2.50	2.50	2.50	पूर्ण	–	–
49		मार्रीबंगला	ग्राम मार्रीबंगला आंगनबाड़ी केन्द्र कं. 01 के पीछे में सी.सी.रोड निर्माण कार्य।	2.50	2.50	2.50	पूर्ण	–	–
50		मार्री बंगला	ग्राम–मार्री बंगला में सांस्कृतिक भवन के सामने कलामंच सह टिन शेड निर्माण कार्य।	4.00	4.00	4.00	पूर्ण	–	–
51		कुंआगांव	ग्राम–कुंआगांव के पंचायत भवन में आहाता निर्माण कार्य।	3.00	3.00	1.50	–	पूर्णता पर	–
52		कुंआगांव	ग्राम–गणेश खपरी के चौंक में कलामंच निर्माण कार्य।	2.50	2.50	1.25	–	पूर्णता पर	–
53		खपराभाट	ग्राम–खपराभाट के पंचायत भवन में आहाता निर्माण कार्य।	3.00	3.00	3.00	पूर्ण		–
54		घीना	ग्राम घीना में समुदाय के लिए इंटर लॉकिंग सीमेंट ब्लॉक/टाइल्स रोड़ का निर्माण (कलामंच से कुआ तक) (मनरेगा अभिसरण)	2.00	2.00	1.00	–	प्रगतिरत	–
55		अहि नवागांव	बोर खनन पम्प एंव सिनटैक्स स्थापना वार्ड कमांक 06 में नया आबांदी पारा	1.50	0.75	0.75	पूर्ण	–	–
56		मार्री बंगला	शासकीय प्राथमिक शाला में आर.ओ.मशीन प्रदाय	0.48	0.24	0.24	–	प्रगतिरत	–
57		मार्री बंगला	शासकीय प्राथमिक शाला में पेयजल कूलर	0.58	0.29	0.29	–	प्रगतिरत	–
58		मार्री बंगला	शासकीय माध्यमिक शाला में आर.ओ.मशीन प्रदाय	0.48	0.24	0.24	–	प्रगतिरत	–
59		मार्री बंगला	शासकीय माध्यमिक शाला में पेयजल कूलर	0.58	0.29	0.29	–	प्रगतिरत	–
60		भीमकन्हार	वाटर कुलर क्रय, प्रा.शाला वं पूर्व.मा.शाला	0.50	0.25	0.25	–	प्रगतिरत	–
61	2022–23	कुआगांव	आर.ओ.मशीन क्रय 07 नग (शा.प्रा.शाला. कुआगांव, गणेश खपरी, खामभाट,फुलसुन्दरी, खामतराई, कन्याडबरी, संबलपुर क) (66213978)	1.50	1.50	0.00	पूर्ण	–	–
62		रानीतराई रोड	पेयजल वाटर कूलर मशीन क्रय (66661755)	0.83	0.83	0.00	पूर्ण		
63		फरदडीह	पक्की नाली निर्माण अक्तू राम घर से गोठान तक 200 मीटर	1.50	0.75	0.75	–	प्रगतिरत	–
64		फरदडीह	नाली निर्माण रोमन घर से अमरूद घर तक 140 मीटर	1.50	0.75	0.75	–	प्रगतिरत	–
65		गणेशखपरी	नाली निर्माण कार्य (शीतला मंदिर के सामने बोर से आगे)	0.30	0.15	0.15	–	प्रगतिरत	–
66		गहिरा नवागांव	पक्की नाली निर्माण	1.65	1.65	0.00	पूर्ण	–	–
67		अहि.नवागांव	पचरी एंव टोवाल निर्माण	3.00	3.00	0.00	पूर्ण	–	–
68		मार्री बंगला	डस्टबिन खरीदी कार्य	0.25	0.12	0.12	–	प्रगतिरत	
69		फरदडीह	कलामंच निर्माण (शिवमंदिर के पास)	1.50	1.42	0.08	पूर्ण	–	–
70		कठिया	खुला मंच गुडडु किराना स्टोर्स के पास	2.20	2.20	0.00	पूर्ण	–	–
71		महराजपुर	सी.सी रोड निर्माण (फगुवा राम अवध घर से शानु घर तक)	2.20	2.10	0.10	पूर्ण	–	–
72		फरदडीह	सी.सी रोड निर्माण (धनराज घर से शिवमंदिर तक)	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
73		खैरा	दुर्गा मंच में टाईल्स कार्य	0.85	0.85	0.00	पूर्ण	–	–
74		खामभाट	धनकर सांस्कृतिक भवन	1.50	1.50	0.00	पूर्ण	–	–
75		कुआगांव	आहाता निर्माण शासकीय प्राथमिक शाला से शीतला तक	1.00	0.50	0.50	–	–	अप्रांरभ
76		डेंगरापार	स्टील चेयर क्रय	0.75	0.38	0.00	–	प्रगतिरत	–
77		भालूकोन्हा	समुदाय के लिए सीमेंट कांकीट रोड का निर्माण (बुढ़ादेव मंदिर से मेन रोड की ओर)	1.00	0.50	0.50	–	प्रगतिरत	–
78		मुढ़िया	कम्प्यूटर क्रय प्राथमिक शाला में	2.00	2.00	0.00	पूर्ण	–	–
79		मुढ़िया	सिन्टेक्स क्रय प्राथमिक शाला में	2.00	2.00	0.00	पूर्ण	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
80		मार्री	प्राथमिक शाला में किचन शेड निर्माण	2.00	2.00	0.00	पूर्ण	–	–
81		खैरा	स्वामी विवेकानंद उद्यान में बोर खनन कार्य	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
82		पीपरखार ना.	स्ट्रीट लाईट 40 नग	2.00	2.00	0.00	पूर्ण	–	–
83		मार्री	सरस्वती शिशु मंदिर निर्माण मार्री में अतिरिक्त कार्य	2.10	2.10	0.00	पूर्ण	–	–
84		मार्री	दंतेश्वरी मंदिर के पास हाई मास्क लाईट कार्य	6.45	6.45	0.00	पूर्ण	–	–
85		खैरा	दुर्गा मंच के पास हाई मास्क लाईट कार्य	6.45	6.45	0.00	पूर्ण	–	–
86		भालूकोन्हा	सबमर्सिबल पानी टंकी निर्माण सामुदायिक भवन के पास	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
87		मुड़खुसरा	आंगनबाड़ी चौक के पास पाईपलाईन विस्तार एवं टंकी स्थापना	2.00	2.00	0.00	पूर्ण	–	–
88		अहिबरन नवागांव	वाटर फिल्टर वाटर कुलर आरओ सहित शास.प्राथ. शाला	1.20	1.20	0.00	पूर्ण	–	–
89		अहिबरन नवागांव	वाटर फिल्टर वाटर कुलर आरओ सहित शास.माध्य. शाला	1.20	1.20	0.00	पूर्ण	–	–
90	2022–23	मुडखुसरा	वाटर फिल्टर वाटर कुलर आरओ सहित शास. हाईस्कूल	1.20	0.00	0.00	पूर्ण	–	–
91		खपराभाट	आरसीसी नाली निर्माण वार्ड कमांक 01 में	2.00	2.00	0.00	पूर्ण	–	–
92		भेडी सु	वाटर फिल्टर वाटर कुलर आरओ सहित शास.माध्य. विद्यालय	1.20	1.20	0.00	पूर्ण	–	–
93		बुंदेली	वाटर फिल्टर वाटर कुलर आरओ सहित शास.माध्य. विद्यालय	1.20	1.20	0.00	पूर्ण	–	–
94		अहिबरन नवागांव	आरसीसी नाली निर्माण बरगद पेड़ से मनिहार के खेत तक एवं पुराना गौठान से रानीसागर तालाब तक	4.00	2.00	2.00	–	प्रगतिरत	–
95		अहि.नवागांव	इंटरलॉकिंग सिमेंट ब्लॉक रोड निर्माण	3.00	1.50	1.50	–	प्रगतिरत	–
96		भुरकाभाट	इंटरलॉकिंग सिमेंट ब्लॉक रोड निर्माण	1.00	0.50	0.50	–	प्रगतिरत	–
97		अहिबरन नवागांव	सीसी रोड निर्माण बाजार चौक गली एवं प्रागंण में	4.00	2.00	2.00	–	प्रगतिरत	–
98		बोईरडीह	नलजल योजना	134.34	46.22	88.12	-	प्रगतिरत	-
99		गहिरानवागांव	नलजल योजना	190.18	56.74	133.44	-	प्रगतिरत	-
100		मार्री	नलजल योजना	241.44	62.89	178.55	-	प्रगतिरत	-
1		घीना	अनुसूचित जनजाति प्री. मेट्रिक एवं पोस्ट मेट्रिक छात्रावास में अहाता निर्माण कार्य (प्री.मे.बा.छा. घीना एवं मंगलतराई तथा पो.मैं.बा.छा.डौं.लोहारा	11.39	आबंटन अप्राप्त	–	–	–	–
2		खपराभाट	शौचालय मरम्मत शासकीय प्राथमिक शाला खपराभाठ (68848)	0.65	0.65	0.00	पूर्ण	–	–
3		पीपरखार–ख	आदिवासी क्षेत्रो गोदाम सह उचित मुल्य की दुकान निर्माण कार्य	11.96	आबंटन अप्राप्त	–	–	–	–
4		भुरकाभाट	सामुदायिक भवन निर्माण	5.00	2.00	3.00	-	प्रगतिरत	–
5		भेड़ी (सु)	बालोद जिले के विकासखंड डौंडीलोहारा के अंतर्गत भेड़ी उदवहन सिंचाई योजना (12.50 कि.मी. खरखरा मोंहदीपाट मुख्य नहर से प्रस्तावित)	907.05	473.32	433.73	–	प्रगतिरत	–
6		खपराभाट	किचन शेड शासकीय उच्च प्राथमिक शाला खपराभाठ (68849)	2.00	2.00	0.00	पूर्ण	–	–
7	2023–24	घीना	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.घीना में लाईब्रेरी स्थापना कार्य	4.48	आबंटन अप्राप्त	–	–	–	–
8		फुलसुन्दरी	शौचालय मरम्मत, किचन शेड मरम्मत शासकीय प्राथमिक शाला फुलसुन्दरी (68873)	2.00	2.00	0.00	पूर्ण	–	–
9		घीना	प्री.मै.आदि.बालक छात्रा.घीना में फुड ग्रेन स्टोरेज कंटेनर प्रति ईकाई रू. 0.034 लाख	0.034	आबंटन अप्राप्त	–	–	–	–
10		भूरकाभाट	शौचालय मरम्मत शासकीय प्राथमिक शाला भुरकाभाट (68792)	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
11		मुढ़िया	किचन शेड शासकीय प्राथमिक शाला मुढ़िया (68988)	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
12		मुढ़िया	किचन शेड शासकीय प्राथमिक शाला मुढ़िया (68989)	1.10	1.10	0.00	पूर्ण	–	–
13		भालूकोन्हा सु.	किचन शेड शासकीय प्राथमिक शाला भालुकोन्हा (एस)(68992)	1.10	1.10	0.00	पूर्ण	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14		कुआगांव	शौचालय मरम्मत शासकीय प्राथमिक शाला कुवागांव (68875)	2.19	2.19	0.00	पूर्ण	–	–
15		भालूकोन्हा	शाला मरम्मत, शौचालय मरम्मत शासकीय माध्यमिक शाला भालुकोन्हा (एस.एस.ए)(एस)(68663)	2.72	2.72	0.00	पूर्ण	–	–
16		महराजपुर	शाला मरम्मत, शौचालय मरम्मत शासकीय प्राथमिक शाला महराजपुर (68880)	2.90	2.90	0.00	पूर्ण	–	–
17		खामभाठ	किचन शेड एवं शाला मरम्मत शासकीय प्राथमिक शाला खामभाट (68874)	3.00	3.00	0.00	पूर्ण	–	–
18		महराजपुर	ाला मरम्मत किचन शेड मरम्मत शासकीय माध्यमिक शाला महराजपुर (68881)	3.16	3.16	0.00	पूर्ण	–	–
19		पीपरखार	शाला मरम्मत शासकीय माध्यमिक शाला पीपरखार (लो)(68765)	3.71	3.71	0.00	पूर्ण	–	–
20		भुरकाभाठ	शाला मरम्मत शौचालय मरम्मत शासकीय माध्यमिक शाला भुरकाभाट (एस.एस.ए)(68793)	4.12	4.12	0.00	पूर्ण	–	–
21		पीपरखार	शाला मरम्मत, किचन शेड शौचालय मरम्मत शासकीय प्राथमिक शाला पीपरखार (68850)	5.45	5.45	0.00	पूर्ण	–	–
22		पीपरखार	किचन शेड एवं शाला मरम्मत शासकीय माध्यमिक शाला पीपरखार (एस.एस.ए.)(68851)	5.75	5.75	0.00	पूर्ण	–	–
23		गंडनईडीह	शाला मरम्मत किचन शेड शौचालय मरम्मत शासकीय प्राथमिक शाला गंडनईडीह	6.81	6.81	0.00	पूर्ण	–	–
24		घीना	किचन शेड एवं शाला मरम्मत शासकीय माध्यमिक शाला घीना (687820)	6.91	6.91	0.00	पूर्ण	–	–
25		गहिरा नवागांव	शाला मरम्मत शौचालय मरम्मत किचन शेड शासकीय प्राथमिक शाला गहिर नवागांव (68919)	7.14	7.14	0.00	पूर्ण	–	–
26		मुड़खुसरा	शाला मरम्मत शासकीय प्राथमिक शाला मुड़खुसरा (68999)	4.50	4.50	0.00	पूर्ण	–	–
27		घीना	शाला मरम्मत किचन शेड शौचालय मरम्मत शासकीय प्राथमिक शाला घीना (68783)	7.91	7.91	0.00	पूर्ण	–	–
28	2023–24	कठिया	शाला मरम्मत शासकीय प्राथमिक शाला कठिया (68991)	11.00	11.00	0.00	पूर्ण	–	–
29		घीना	शाला मरम्मत, शौचालय मरम्मत शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला घीना (68785)	15.50	15.50	0.00	पूर्ण	–	–
30		पीपरखार ना.	सी.सी.रोड निर्माण कार्य वार्ड क्र. 07 एवं 08 में ग्राम पंचायत पीपरखार (ना)	10.00	7.35	7.35	पूर्ण	–	–
31		भीमकन्हार	सी.सी.रोड निर्माण कार्य वार्ड नं. 14 व 15 में भीमकन्हार	10.00	5.00	5.00	पूर्ण	–	–
32		भीमकन्हार	प्राथ.शाला प्रांगण में सीमेन्टीकरण कार्य भीमकन्हार	5.00	0.00	0.00	–	कार्यादेश जारी	–
33		मुढ़िया	सीमेन्टीकरण कार्य (आबादी पारा क्र. 01) मुढ़िया	10.00	5.00	5.00	पूर्ण	–	–
34		बोईरडीह	कचरा संग्रहण शेड	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
35		खामभाठ	कचरा संग्रहण शेड	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
36		कुंआगांव	कचरा संग्रहण शेड	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
37		कठिया	कचरा संग्रहण शेड	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
38		भेड़ी सु	कचरा संग्रहण शेड	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
39		डेंगरापार	कचरा संग्रहण शेड	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
40		घीना	कचरा संग्रहण शेड	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
41		बुन्देली	कचरा संग्रहण शेड	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
42		भीमकन्हार	कचरा संग्रहण शेड	1.00	1.00	0.00	पूर्ण	–	–
43		अहिबरन नवागांव	ग्राम अहिबरन नवागांव कला मंच निर्माण कार्य।	2.50	1.25	1.25	–	प्रगतिरत	–
44		डेंगरापार	ग्राम गड़ईनडीह मंच में शेड निर्माण कार्य(हेमनाथ निषाद घर के पास)।	2.00	1.00	1.00	–	प्रगतिरत	–
45		राघोनवागांव	ग्राम राघोनवागांव सामुदायिक भवन निर्माण कार्य। (आदिवासी पारा में)	6.50	3.25	3.25	–	प्रगतिरत	–
46		भालूकोन्हा	ग्राम कठिया वार्ड कं. 09 आदिवासी भवन के पास कलामंच मरम्मत कार्य।	3.00	3.00	3.00	पूर्ण	–	–
47		भालूकोन्हा	ग्राम कठिया में समुदाय के लिए सीमेंट कांक्रीट रोड का निर्माण कलामंच से मेन रोड़ की ओर।	2.50	2.50	2.50	पूर्ण	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48		मनकी (क)	ग्राम मनकी (क) कलामंच निर्माण कार्य।	2.50	1.25	1.25	–	प्रगतिरत	–
49		मुडखुसरा	ग्राम मुडखुसरा (भीम.) कला मंच मंच सह कक्ष निर्माण (पुराना मंच के पास)	5.00	2.50	2.50	–	प्रगतिरत	–
50		मुढ़िया	ग्राम मुढ़िया महिला मानस भवन में संधारण कार्य।	2.00	1.00	1.00	–	प्रगतिरत	–
51		मार्री बंगला	ग्राम मार्री बंगला में सामुदायिक भवन निर्माण कार्य।	5.00	5.00	5.00	पूर्ण	–	–
52		कुआंगांव	ग्राम गणेश खपरी कला मंच निर्माण तालाब के पास।	2.50	1.25	1.25	–	प्रगतिरत	–
53		कुंआगांव	ग्राम गणेश खपरी खेल मैदान में कला मंच निर्माण कार्य।	2.50	2.50	1.25	–	प्रगतिरत	–
54		कुंआगांव	ग्राम गणेश खपरी में समुदाय के लिए ओपन/कवर्ड ग्रे वाटर/ स्टोर्म ड्रेन निर्माण विदेश जगनायक के घर से चम्पक साहू की घर की ओर।	2.50	2.50	1.25	–	प्रगतिरत	–
55		भेड़ी (सु)	ग्राम भेड़ी (सु) में सोलर लाईट की स्थापना कार्य । (सोलर लाईट की संख्या 21 नग)	12.60	6.30	6.30	पूर्ण	–	–
56		मुढ़िया	ग्राम मुढ़िया में सोलर लाईट की स्थापना कार्य । (सोलर लाईट की संख्या 21 नग)	12.60	6.30	6.30	पूर्ण	–	–
57		अहिबरन नवागांव	सी.सी. रोड निर्माण (कुंभकरण घर से ढालूराम घर तक)	5.20	2.08	3.12	–	प्रगतिरत	–
58		तेलीटोला	सी.सी. रोड निर्माण	5.20	2.08	3.12	पूर्ण	–	–
59		भुरकाभाट	सी.सी. रोड निर्माण	5.20	2.08	3.12	पूर्ण	–	–
60		पीपरखार (न)	शमशान घाट में बोर खनन	1.00	0.50	0.50	–	प्रगतिरत	–
61		राधोनवागांव	देवगुड़ी के पास बोर खनन	1.50	0.75	0.75	–	प्रगतिरत	–
62		मुडखुसरा	गौठान में बोर खनन एवं पाईप लाईन विस्तार	2.00	1.00	1.00	–	प्रगतिरत	–
63	2023–24	राघोनवागांव	स्कूल में वाटर कूलर	0.50	0.25	0.25	–	प्रगतिरत	–
64		अहि. नवागांव	बोरखनन एवं टंकी स्थापना तथा नल कनेक्शन प्रदाय	4.50	2.25	2.25	–	प्रगतिरत	–
65		अहि. नवागांव	कान्हा डबरी में तटबंध निर्माण	3.00	1.50	1.50	–	प्रगतिरत	–
66		मनकी (सु)	नाली निर्माण कार्य	1.00	0.50	0.50	–	प्रगतिरत	–
67		घीना	कलामंच शेड निर्माण	1.50	0.75	0.75	–	प्रगतिरत	–
68		खपराभाट	प्राथमिक शाला स्कूल जीर्णोद्धार	3.00	1.50	1.50	–	प्रगतिरत	–
69		अहि. नवागांव	समुदाय के लिए भारत निर्माण सेवा केंद्र भवन की मरम्मत व रखरखाव	3.00	1.50	1.50	–	प्रगतिरत	–
70		भीमकन्हार	वाटर कुलर कय माध्यमिक शाला भीमकन्हार में	0.50	0.25	0.25		प्रगतिरत	–
71		मुढिया	पाईप लाईन विस्तार कार्य	1.90	0.95	0.95	पूर्ण	–	–
72		कुआगांव	पेयजल हेतु आर.ओ.मशीन 06 नग (उपस्वास्थ केन्द्र खामतराई,पूर्व मा.शाला खामतराई,साहू सामाजिक भवन सुरसुली,शा.पूर्व.मा.शाला सम्बलपुर क, शा.पूर्व.मा.शाला गणेश खपरी एंव टंकी एव नल कनेक्शन सम्बलपुर क)	1.80	1.80	0.00	पूर्ण	–	–
73		बुन्देली	वाटर कूलर कय	0.60	0.30	0.30	–	प्रगतिरत	–
74		पीपरखार ना	पानी टेंकर कय	2.00	1.00	1.00	–	प्रगतिरत	–
75		भीमकन्हार	शौचालय निर्माण (सतनामी समाज भवन में)	0.80	0.40	0.40	–	प्रगतिरत	–
76		भीमकन्हार	पक्की नाली निर्माण (सियाराम कोठारी के घर से माखन दास के घर तक)	0.85	0.43	42.00	–	–	अप्रारंभ
77		भीमकन्हार	कचरा ट्राईसायकल	0.35	0.18	17.00	–	प्रगतिरत	–
78		मुढिया	निर्मला घाट संधारण कार्य	1.90	0.95	0.95	–	प्रगतिरत	–
79		कुआगांव	सुखा एंव गीला कचरा डिब्बा 80 नग	1.80	1.80	0.00	पूर्ण	–	–
80		बुन्देली	सार्वजनिक कलामंच निर्माण (डोम शेड निर्माण)	2.40	1.20	1.20	–	प्रगतिरत	–
81		गणेशखपरी	शत्रु घर के पास चबूतरा निर्माण कार्य	0.20	0.10	0.10	–	–	अप्रारंभ
82		भीमकन्हार	मुरूम समतलीकरण कार्य, शासकीय हाईस्कुल मैदान में	0.50	0.25	0.25	–	प्रगतिरत	–

परिशिष्ट - पाँच

तारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 831) की जानकारी

प्रपत्र–अ

प्रश्नांश "क" की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2021–22

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	ट्रेक्टर पर अनुदान हेतु स्वीकृत प्रकरण
1	2	3	4
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पंडरिया	67
	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		5
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	सहसपुर लोहारा	51
3	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कवर्धा	40
4	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4) फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना		4
योग वर्ष 2021–22			**167**
वर्ष 2022–23			
5	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पंडरिया	117
6		सहसपुर लोहारा	159
7	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कवर्धा	123
	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना)		4
योग वर्ष 2022–23			**403**
वर्ष 2023–24			
8	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	पंडरिया	24
9		सहसपुर लोहारा	17
10	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कवर्धा	11
	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना)		2
योग वर्ष 2023–24			**54**
वर्ष 2024–25 (दिनांक 30.06.2024)			
11	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3 कृषि यंत्रों पर अनुदान)	निरंक	
	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना)		
महायोग			**624**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

कंपोनेंट क्रमांक–3 ट्रेक्टर हेतु देय अनुदान विवरण

क्र.	यंत्र का नाम	शक्ति का विवरण	अन्य वर्ग के हितग्राहियों हेतु		अजा/अजजा./लघु एवं सीमांत कृषक एवं महिलाओं हेतु	
			अधिकतम अनुदान सीमा	अनुदान पैटर्न	अधिकतम अनुदान सीमा	अनुदान पैटर्न
1	2	3	4	5	6	7
1	ट्रैक्टर	(2 डब्ल्यू डी) 8 से 20 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 1,60,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 2,00,000/–)	50 प्रतिशत
2		(4 डब्ल्यू डी) 8 से 20 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 1,80,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 2,25,000/–)	50 प्रतिशत
3		(2 डब्ल्यू डी) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 2,00,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 2,50,000/–)	50 प्रतिशत
4		(4 डब्ल्यू डी) 20 से अधिक 40 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 2,40,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 3,00,000/–)	50 प्रतिशत
5		(2 डब्ल्यू डी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 3,40,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 4,25,000/–)	50 प्रतिशत
6		(4 डब्ल्यू डी) 40 से अधिक 70 पी.टी.ओ एच.पी. तक	(अधिकतम सीमा रू. 4,00,000/–)	40 प्रतिशत	(अधिकतम सीमा रू. 5,00,000/–)	50 प्रतिशत

कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना

क्र.	विवरण	सभी वर्ग के हितग्राही हेतु	
		अनुदान सीमा	अनुदान प्रतिशत
1	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 10.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	4.00 लाख	40%
2	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 25.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	10.00 लाख	40%
3	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 40.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	16.00 लाख	40%
4	ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 60.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	24.00 लाख	40%

कंपोनेंट क्रमांक–6 चयनित ग्रामों में फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना

क्र.	विवरण	सभी वर्ग के हितग्राही हेतु	
		अनुदान सीमा	अनुदान प्रतिशत
1	पंजीकृत समूहों द्वारा ट्रेक्टर एवं जुताई से लेकर गहाई तक के राशि रू. 10.00 लाख तक के यंत्रों के क्रय पर	8.00 लाख	80%

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

प्रश्नांश "क" की वर्षवार जानकारी

क्र.	जिला	वर्ष	योजना का नाम				
			कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3 कृषि यंत्रों पर अनुदान)	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4 फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना)		कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–6 चयनित ग्रामों में यांत्रिकीकरण हेतु फार्म मशीनरी बैंकों की स्थापना)	
			भौतिक लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य
1	2	3	4	5		6	
1	कबीरधाम	2021–22	37	9	54	0	0
2		2022–23	87	8	38	0	0
3		2023–24	56	5	32	0	0
4		2024–25	50	14	106	2	16
योग			**230**	**36**	**230**	**2**	**16**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रश्नांश "ख" की वर्षवार जानकारी

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या		स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत हेतु शेष/निरस्त प्रकरणों की संख्या	रिमार्क
				ऑनलाईन आवेदन	ऑफलाईन आवेदन				
1	2		3	4		7	8	8	8
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	2021–22	पंडरिया	73	0	67	0	6	कृषकों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु भेजे जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व 13 प्रकरण पुनः मुख्यालय में अप्राप्त रहने के कारण वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत स्वमेव निरस्त हो गए।
			सहसपुर लोहारा	57	0	51	0	6	
			कवर्धा	41	0	40	0	1	
	योग			**171**	**0**	**158**	**0**	**13**	
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4) फार्म मशीनी बैंकों की स्थापना		पंडरिया	0	7	5	2	0	लक्ष्य के अभाव में
			सहसपुर लोहारा	0	5	0	5	0	
			कवर्धा	0	11	4	7	0	
	योग			**0**	**23**	**9**	**14**	**0**	
3	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेत		पंडरिया	0	0	0	0	0	
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	0	0	0	0	
	योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान		पंडरिया	129	0	117	0	12	कृषकों के ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों में त्रुटि सुधार हेतु भेजे जाने के उपरांत वित्तीय वर्ष समाप्ति से पूर्व 37 प्रकरण पुनः मुख्यालय में अप्राप्त रहने के कारण वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत स्वमेव निरस्त हो गए।
			सहसपुर लोहारा	173	0	159	0	14	
			कवर्धा	134	0	123	0	11	
	योग			**436**	**0**	**399**	**0**	**37**	

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या		स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत हेतु शेष/निरस्त प्रकरणों की संख्या	रिमार्क
				ऑनलाईन आवेदन	ऑफलाईन आवेदन				
1	2		3	4		7	8	8	8
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4) फार्म मशीनी बैंकों की स्थापना	2022–23	पंडरिया	0	1	0	1	0	भौतिक लक्ष्य अनुसार अ.जा. श्रेणी के आवेदनों का समय सीमा में प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	7	4	3	0	लक्ष्य के अभाव में
	योग			**0**	**8**	**4**	**4**	**0**	
3	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेत		पंडरिया	0	0	0	0	0	
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	0	0	0	0	
	योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	2023–24	पंडरिया	146	0	24	0	122	भौतिक लक्ष्य के अभाव में स्वीकृत नहीं होने के कारण वित्तीय वर्ष समाप्ति उपरांत स्वमेव निरस्त हो गए।
			सहसपुर लोहारा	198	0	17	0	181	
			कवर्धा	171	0	11	0	160	
	योग			**515**	**0**	**52**	**0**	**463**	
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4) फार्म मशीनी बैंकों की स्थापना		पंडरिया	0	0	0	0	0	
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	0	0	0	0	
	योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
3	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेत		पंडरिया	0	0	0	0	0	
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	0	0	0	0	
	योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

क्र.	योजना का नाम	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या		स्वीकृत आवेदनों की संख्या	अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	स्वीकृत हेतु शेष/निरस्त प्रकरणों की संख्या	रिमार्क
				ऑनलाईन आवेदन	ऑफलाईन आवेदन				
1	2		3	4		7	8	8	8
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	2024–25 (दिनांक 30.06. 2024 तक)	पंडरिया	129	0	0	0	0	स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन
			सहसपुर लोहारा	180	0	0	0	0	
			कवर्धा	178	0	0	0	0	
	योग			**487**	**0**	**0**	**0**	**0**	
2	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–4) फार्म मशीनी बैंकों की स्थापना		पंडरिया	0	0	0	0	0	7 आवेदन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन।
			सहसपुर लोहारा	0	1	0	1	0	
			कवर्धा	0	6	0	6	0	
	योग			**0**	7	**0**	7	**0**	
3	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन योजना (कंपोनेंट क्रमांक–6) चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेत		पंडरिया	0	0	0	0	0	
			सहसपुर लोहारा	0	0	0	0	0	
			कवर्धा	0	0	0	0	0	
	योग			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - छः

तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 581) की जानकारी

प्रपत्र-अ

दिनांक 01/01/2022 से जून 2024 तक की अवधि में मस्तुरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थापित उद्योग/ कोल वाशरी /कोल यूनिट द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के नियमों का किये गये उल्लंघन तथा की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षण के समय पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स राशि स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पाराघाट, पोस्ट-जयरामनगर, तहसील-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	पैलेटाईजेशन ऑफ़ लो-ग्रेड आयरन ओर बेनिफिकेशन-0.4 मिलियन टन/वर्ष, आयरन ओर बेनिफिकेशन - 1.9 मिलियन टन/वर्ष, कोल गैसीय फायर हैविंग कैपिसिटी आफ प्रोड्यूसर गैस - 13,000 घनमीटर प्रतिघंटा तथा कोल वाशरी - 0.35 मिलियन टन/वर्ष	03/03/2022	उद्योग द्वारा जल एवं वायु सम्मति मे निहित शर्तों का उल्लंघन पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 04/03/2022 के द्वारा उद्योग को नोटिस जारी किया गया।
			07/03/2022	उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नही पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 01/04/2022 के द्वारा उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत् राशि 12510000/- रूपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने के कारण सक्षम न्यायालय, जिला-बिलासपुर में दिनांक 20/06/2022 को परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जो कि विचाराधीन है।
2.	मेसर्स क्लीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-गतौरा, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर	कोल वाशरी - 0.96 मिलियन टन/वर्ष	06/07/2022	उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग द्वारा जल एवं वायु सम्मति मे निहित शर्तों का उल्लंघन पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 08/07/2022 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
			16/08/2022	उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।	मंडल द्वारा पत्र दिनांक 16/08/2022 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत उत्पादन बंद करने हेतु निर्देशित किया गया ।
			23/08/2022	-	उद्योग बंद पाया गया । उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। इस कार्यालय के पत्र दिनांक 24/08/2022 के माध्यम से उद्योग को पुनः उत्पादन आरंभ करने हेतु आदेश जारी किया गया।
3.	मेसर्स क्लीन कोल इन्टरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड (पूर्वनाम-हिन्द मल्टी सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम-गतौरा, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर	2.5 मिलियन टन/वर्ष	06/07/2022	उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग द्वारा जल एवं वायु सम्मति मे निहित शर्तों का उल्लंघन पाया गया।	मंडल द्वारा पत्र दिनांक 08/07/2022 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
			16/08/2022	उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।	मंडल द्वारा पत्र दिनांक 16/08/2022 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत उत्पादन बंद करने हेतु निर्देशित किया गया ।
			23/08/2022	-	उद्योग बंद पाया गया । उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। मंडल के पत्र दिनांक 24/08/2022 के माध्यम से उद्योग को पुनः उत्पादन आरंभ करने हेतु आदेश जारी किया गया।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

4.	मेसर्स क्लीन कोल इंटरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड (पूर्वनाम-मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनीफिकेशन (इंडिया) लिमिटेड), ग्राम-गतौरा, तहसील-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	कोल वाशरी - 0.96 मिलियन टन/वर्ष	06/07/2022	उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग द्वारा जल एवं वायु सम्मति मे निहित शर्तों का उल्लंघन पाया गया।	मंडल द्वारा पत्र दिनांक 08/07/2022 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
			16/08/2022	उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।	मंडल द्वारा पत्र दिनांक 16/08/2022 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत उत्पादन बंद करने हेतु निर्देशित किया गया ।
			23/08/2022	-	उद्योग बंद पाया गया । उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। मंडल के पत्र दिनांक 24/08/2022 के माध्यम से उद्योग को पुनः उत्पादन आरंभ करने हेतु आदेश जारी किया गया।
5.	मेसर्स हिन्द मल्टीसर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड (पूर्वनाम - मेसर्स हिन्द एनर्जी एण्ड कोल बेनीफिकेशन (इंडिया) लिमिटेड), ग्राम-हिण्डाडीह, तहसील-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर	कोल वाशरी - 3.6 मिलियन टन/वर्ष	06/07/2022	उद्योग संचालित पाया गया। उद्योग द्वारा जल एवं वायु सम्मति मे निहित शर्तों का उल्लंघन पाया गया।	मंडल द्वारा पत्र दिनांक 08/07/2022 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत नोटिस जारी किया गया।
			16/08/2022	उद्योग बंद पाया गया। उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 16/08/2022 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' एवं जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' के तहत उत्पादन प्रारंभ नहीं करने का निर्देश जारी किया गया।
			23/08/2022	-	उद्योग बंद पाया गया। निर्देश के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना पाया गया। मंडल के पत्र दिनांक 24/08/2022 के माध्यम से उद्योग को पुनः उत्पादन आरंभ करने हेतु आदेश जारी किया गया।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

दिनांक 01/01/2022 से जून 2024 तक की अवधि में राशि स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड व कोल वाशरी के विरूद्ध उद्योग से निकलने वाले दूषित जल को लीलागर नदी में छोड़ने संबंधी शिकायतें एवं उन पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	शिकायत दिनांक	शिकायतकर्ता का नाम एवं पता	शिकायत का विषय	की गई कार्यवाही
		वर्ष 2021		
01.	30/12/2021	श्री अंकित साहू, महासचिव भारतीय युवा कांग्रेस, मस्तुरी, पूर्व जिला संयोजक सोशल मीडिया युवा कांग्रेस, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	मेसर्स राशि स्टील एण्ड पावर प्लांट द्वारा की जा रही मनमानी व शासन के नियमों के दुरूपयोग के मामले में जांच कर कार्यवाही किये जाने बाबत्।	उक्त शिकायत के संबंध में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की टीम द्वारा दिनांक 25/01/2022 को किया गया। उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।
		वर्ष 2022		
01.	01/02/2022	श्री अंकित साहू, महासचिव भारतीय युवा कांग्रेस, मस्तुरी, पूर्व जिला संयोजक सोशल मीडिया युवा कांग्रेस, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	RO एवं AE द्वारा जाँच में लापरवाही, निष्क्रियता एवं शिकायतकर्ता से फोन पर बदसलूकी करने के सम्बन्ध में जाँचकर तत्काल कार्यवाही करने बाबत् ।	प्राप्त शिकायत के संबंध में उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की टीम द्वारा दिनांक 03/03/2022 को किया गया। निरीक्षण के परिपेक्ष्य में उद्योग को दिनांक 04/03/2022 को नोटिस जारी किया गया। कार्यालयीन टीम द्वारा उद्योग का पुनः निरीक्षण दिनांक 07/03/2022 को किया गया। उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किया जाना नही पाया गया। जिसके अनुक्रम में उद्योग को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत् दिनांक 01/04/2022 को राशि 12510000/- रूपये का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई। उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं करने के कारण सक्षम न्यायालय, जिला-बिलासपुर में दिनांक 20/06/2022 को परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जो कि विचाराधीन है।
		वर्ष 2023		
01.	03/10/2023	श्री हर्ष भेड़िया (पत्रकार) राजकमल वस्त्रालय, मेन रोड जयरामनगर, तहसील-मस्तुरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.)	राशि स्टील एण्ड पावर प्लांट द्वारा की जा रही मनमानी व शासन के नियमों के दुरूपयोग के मामले में जांच कर कार्यवाही किये जाने बाबत्।	प्राप्त शिकायत के परिपेक्ष्य में उद्योग का क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, बिलासपुर की टीम द्वारा निरीक्षण दिनांक 29/11/2023 को किया गया। उद्योग की स्थिति सामान्य पाई गई।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - सात

तारांकित प्रश्न संख्या 13 (क्र. 762) की जानकारी

प्रपत्र अ

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना बालोद, जिला बालोद द्वारा विगत 3 वर्षो में खरीदे गये गन्ना का विवरण

क्र.	गन्ना पेराई वर्ष	गन्ना फसल का क्षेत्रफल* (हेक्टेयर में)	उत्पादन* (मे.टन में)	खरीदे गये गन्ना की मात्रा (मे.टन में)
1.	2021–22	1,120.00	67,200	27,135.84
2.	2022–23	1,102.00	66,120	46,725.89
3.	2023–24	868.00	56,420	55,928.848
	योग	**3,090**	**1,89,740**	**1,29,790.578**

*विभागीय नजरी आंकलन के आधार पर

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र ब

दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना बालोद जिला बालोद द्वारा विगत 5 वर्षो में खरीदे गये गन्ना, कृषको को भुगतान एवं गन्ना प्रोत्साहन राशि का विवरण

इकाई राशि लाख रूपये में

क्र.	गन्ना पेराई वर्ष	गन्ना खरीदी (मे.टन में)	कृषको को भुगतान की गयी राशि		गन्ना उत्पादक कृषकों को प्राप्त कुल राशि
			गन्ना खरीदी मूल्य राशि	गन्ना प्रोत्साहन राशि	
1	2	3	4	5	6
1	2019–20	54,338.910	1419.60	509.43	1929.03
2.	2020–21	29,023.805	785.82	244.53	1030.35
3.	2021–22	27,135.840	747.60	215.73	963.33
4.	2022–23	46,725.890	1318.25	340.52	1658.77
5.	2023–24	55,928.848	1632.98	–	1632.98
	योग	**213153.293**	**5904.25**	**1310.21**	**7214.46**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - आठ

तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 498) की जानकारी

प्रपत्र–अ

विषय– बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनवरी 2021 से जून, 2024 तक मंडी बोर्ड में राज्य विपणन विकास निधि से स्वीकृत निर्माण कार्यो की जानकारी

क.	स्वीकृत कार्य का नाम		राशि लाख में	निविदा दर सहित लागत (रू. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण
	धान उपार्जन केन्द्र का नाम	कार्य का नाम				
1	2	3	4	5	6	7
1	जगदीशपुर	200 मी.टन. गोदाम	12.48	12.54	पूर्ण	–
2		नवीन शेड चबूतरा सहित 01 नग	5.00	5.13	पूर्ण	–
3		नवीन शेड चबूतरा सहित 01 नग	5.00	5.13	पूर्ण	–
4		नवीन शेड चबूतरा सहित 01 नग	5.00	5.13	पूर्ण	–
5	चिमरकेल	200 मी.टन. गोदाम	12.48	12.54	पूर्ण	–
6		नवीन शेड चबूतरा सहित	5.00	5.03	पूर्ण	–
7		नवीन शेड चबूतरा सहित	5.00	5.03	पूर्ण	–
8	बरेकेल	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	अपूर्ण
9		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.45	–	अपूर्ण
10	टेका	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
11		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.68	पूर्ण	–
12	सरकड़ा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	अपूर्ण
13	राजाडीहा (राजाडेरा)	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
14		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.68	पूर्ण	–
15	बेल्दीडीह	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	अपूर्ण
16		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.45	–	अपूर्ण
17	जेराभरन	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
18	सागुनढाप	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
19	परसवानी	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
20	पेण्ड्रावन	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	अपूर्ण
21	भगतदेवरी	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	अपूर्ण
22		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.68	–	अपूर्ण
23	सांकरा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	अपूर्ण
24		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.45	–	अपूर्ण
25	सुखीपाली	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	पूर्ण	–
26		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.68	पूर्ण	–
27	भस्करापाली	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	अपूर्ण
28		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.68	–	अपूर्ण
29	धूमाभाठा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
30		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	पूर्ण	–
31	खरोरा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
32	गौरटेक	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	–	अपूर्ण
33	बिछिया	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
34		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.32	पूर्ण	–

क.	स्वीकृत कार्य का नाम		राशि लाख में	निविदा दर सहित लागत (रू. लाख में)	पूर्ण	अपूर्ण
	धान उपार्जन केन्द्र का नाम	कार्य का नाम				
1	2	3	4	5	6	7
35	भूकेल	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	–	अपूर्ण
36	बडेडाभा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
37		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.32	पूर्ण	–
38	गढफूलझर	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
39		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.32	पूर्ण	–
40	कुरचुण्डी	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
41		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	पूर्ण	–
42	धामनपुटकुरी	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
43		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	–	अपूर्ण
44	बाराडोली	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	पूर्ण	–
45		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.32	पूर्ण	–
46	रसोड़ा	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	–	अपूर्ण
47		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.32	–	अपूर्ण
48	सल्डीह	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.20	–	अपूर्ण
49		पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड कम गोदाम	6.30	6.45	–	अपूर्ण
50	बडेटेमरी	पूर्व निर्मित चबूतरे के उपर शेड	4.10	4.12	–	अपूर्ण
51		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	–	अपूर्ण
52	सिंघनपुर	नवीन शेड चबूतरा सहित	5.00	5.03	पूर्ण	–
53		नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	पूर्ण	–
54	बसना	नवीन शेड कम गोदाम	7.50	7.53	–	अपूर्ण
55		नवीन शेड चबूतरा सहित	5.00	5.03	पूर्ण	
56	पिथौरा	नवीन शेड चबूतरा सहित	5.00	5.13	पूर्ण	–
57	वि.स. क्षेत्र बसना जिला महासमुन्द अंतर्गत बसना– बरौली मार्ग से		62.03	64.56	पूर्ण	–
58	वि.स. क्षेत्र बसना जिला महासमुन्द अंतर्गत बसना– बिलाईगढ़ मार्ग		117.67	122.24	पूर्ण	–
59	वि.स. क्षेत्र बसना जिला महासमुन्द अंतर्गत ग्राम गिधली से ग्राम		83.40	87.04	पूर्ण	–
	योग			**588.78**	**37**	**22**

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

विषय– बसना विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मंडी समिति निधि से प्रस्तावित कार्यो की स्वीकृति की जानकारी

क.	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाख में)	पूर्ण/अपूर्ण
1	बसना	पौसरा	श्याम मलिक के घर से अल्हादिनि के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 250 मी.	5.9	अपूर्ण
2	बसना	छोटेडाभा	आंगनबाड़ी भवन से रवि साव के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 280 मी.	9.96	अपूर्ण
3	बसना	खरोरा	सरदार के घर से लिम्हाई तालाब तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 280 मी.	9.9	अपूर्ण
4	बसना	सराईपाली	विशाल के घर से नरेश साहू के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 280 मी.	9.92	अपूर्ण
5	बसना	मेदिनीपुर	डीपापारा से चुद्रामणी के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 310 मी.	12.52	अपूर्ण
6	बसना	बंसुला	बंसुला आई. टी. आई से रेशम उद्योग तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 112 मी.	3.97	अपूर्ण
7	बसना	खेमड़ा	सुभाष बारिक के घर से रसिक के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 130 मी.	3.93	अपूर्ण
8	बसना	अंकोरी	ग्राम पंचायत अंकोरी चमरू घर से आत्मा राम से डबरी तालाब तक में सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 330 मी.	12.48	अपूर्ण
9	बसना	बड़ेडाभा	राजेश पटेल घर से अरूण पटेल घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। 105 मी.	3.94	अपूर्ण
10	बसना	पलसापाली	निरंजन घर से सेतकुमार घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 135 मी.	4.96	अपूर्ण
11	बसना	बरोली	पंचायत घर से बाजार पड़ाव तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 120 मी.	4.82	अपूर्ण
12	बसना	सरकण्डा	अरूण घर से पंचायत भवन तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 140 मी.	4.96	अपूर्ण
13	बसना	भैंसाखुरी	कुसीर कुमार घर से मुन्डू घर तक बीच गली से हरिजन मोहल्ला तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 150 मी.	5.03	अपूर्ण
14	बसना	गिधली	दण्ड खेत से मंदिर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 105 मी.	4	अपूर्ण
15	बसना	खरोरा	गोड़ पारा में उरखिंत घर से केन्दवही ताला तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 355 मी.	12.43	अपूर्ण
16	बसना	भदरपाली	मधुसुदन पटेल के घर से शिव मंदिर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 130 मी.	5.03	अपूर्ण
17	बसना	मोहका	आश्रित ग्राम बोहार पारा में स्कूल से अरूण घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 90 मी.	3.6	अपूर्ण
18	बसना	सिघंनपुर	अर्जुन नर्मदा घर से जगदीश के घर से कमल घर तक वार्ड क. 09 से 10 तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 139 मी.	4.93	अपूर्ण
19	बसना	छुईपाली	ग्र. पं. भवन से प्रभात कूमार साहू के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 145 मी.	5.01	अपूर्ण
20	बसना	बैंगनडीह	पदमन दुकान से गाड़ा पारा तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 215 मी.	7.43	अपूर्ण
21	बसना	गौरटेक	संकरी मार्ग से कुमहारी मार्ग तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 340 मी.	12.51	अपूर्ण

क.	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाख में)	पूर्ण/अपूर्ण
22	बसना	कुम्हारी	पुरनचंद घर से मिला राम घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 135 मी.	5.09	अपूर्ण
23	बसना	खुसरूपाली	ग्राम . पांचायत खंसरूपाली खंगेश्वर घर से गौठान तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 210 मी.	7.1	अपूर्ण
24	बसना	बानी पाली	बस्ती से डेंग डीपा तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 81 मी.	2.48	अपूर्ण
25	बसना	भूंकेल	एन.एच. 53 से गर्ल्स हास्टल तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 120 मी.	4	अपूर्ण
26	बसना	गिधापाली	खेलपारा (इन्द्रजीत घर) से डीपा पारा तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 130 मी.	5.01	अपूर्ण
27	बसना	पिपलखुटा	तालाब रास्ता से सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 240 मी.	7.45	अपूर्ण
28	बसना	बरेाली	पोस्ट आफिस से हाट बाजार तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 170 मी.	6.02	अपूर्ण
29	बसना	कुदारी बाहरा	वैष्णव मंदिर से भैंसा दरहा पहुच मार्ग तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 105 मी.	5.01	अपूर्ण
30	बसना	कुरचुण्डी	तीज राम घर से बीच गली तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 140 मी.	4.96	अपूर्ण
31	बसना	कपसाखुटा	केशव घर से फादुराम के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 140मी.	4.96	अपूर्ण
32	पिथौरा	बरेकेल खुर्द	ग्राम पंचायत भवन से लोचन पटेल के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 265 मी.	10.02	अपूर्ण
33	पिथौरा	बल्दीडीह	रूपधर के घर से वाकड़े के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 250 मी.	10.05	अपूर्ण
34	पिथौरा	राजपुर	बेदराम कोसरिया घर से पदुम खुंटे के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 265 मी.	10.09	अपूर्ण
35	पिथौरा	सावित्रीपुर	जीतलाल के घर से अजीत राम के घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 210 मी.	7.44	अपूर्ण
36	पिथौरा	गिरना	गोवर्धन प्रधान घर से लाखे राम पटेल घर तक वार्ड न. 03 एवं 06 व 07 में सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 265 मी.	10.08	अपूर्ण
37	पिथौरा	कौड़िया	ग्राम पंचायत कौड़िया में विष्णुराम साहू घर से रंगमंच तिलसाया निषाद घर से बेनीराम घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 212 मी.	7.51	अपूर्ण
38	पिथौरा	कंचनपुर	वार्ड क. 01 व 2,3,4,5,6,7 और 08 तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 300 मी.	12.06	अपूर्ण
39	पिथौरा	जबलपुर	आश्रित ग्राम ताला में लकेश्वर घर से हितेपा घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 140 मी.	4.96	अपूर्ण
40	पिथौरा	ताला	लकेश्वर घर से हितेश घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 65 मी.	2.49	अपूर्ण
41	पिथौरा	जबलपुर	गाड़ाराय के घर से शिव मंदिर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 65 मी.	2.5	अपूर्ण
42	पिथौरा	जबलपुर	अंकुर घर से पंचायत भवन तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 75 मी.	2.53	अपूर्ण
43	पिथौरा	कुदारीदादर	बट वृक्ष से स्कूल तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 66 मी.	2.5	अपूर्ण

क.	विकास खण्ड	ग्राम	कार्य का नाम	अनु. लागत (लाख में)	पूर्ण/अपूर्ण
44	पिथौरा	झगरेनडीह	शांतिलाल के घर से गुलापी घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 70 मी.	2.48	अपूर्ण
45	पिथौरा	बरनाईदादर	बृजमोहन के घर से गोकुल घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 70 मी.	2.48	अपूर्ण
46	पिथौरा	भिथिडीह	अस्पताल चौक से लोचन पटंल घर तक सी. सी. रोड निर्माण कार्य। दूरी 150 मी.	4.98	अपूर्ण
			योगः–	**291.48**	

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - नौ

तारांकित प्रश्न संख्या 16 (क्र. 211) की जानकारी

प्रपत्र-अ

विधानसभा क्षेत्र धरसींवा के सिलतरा में स्थापित उन उद्योगों की सूची जिन्हें वर्ष 2021 से जून, 2024 के मध्य क्षमता विस्तार हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा स्थापना सम्मति जारी की गई है :-

क्र.	उद्योग का नाम व् पता
1	2
1.	मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड, प्लाट नं.- 428/2,औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, रायपुर
2.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, सिलतरा औद्योगिक ग्रोथ सेन्टर, फेज-1, सिलतरा, जिला-रायपुर
3.	मेसर्स एन.आर. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बहेसर, फेस-2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर
4.	मेसर्स ए.पी.आई. इस्पात एण्ड पावरटेक प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, फेज्-2 के पास, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया जिला-रायपुर
5.	मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज-1, ग्राम-माढ़र, जिला-रायपुर
6.	मेसर्स श्री हरे कृष्णा स्पंज आयरन लिमिटेड, प्लांट नं. 106, फेस-II, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर
7.	मेसर्स विघ्नेश्वर इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चरौदा, ब्लाक-धरसींवा, जिला-रायपुर
8.	मेसर्स शिवम स्टील कार्पोरेशन, खसरा नं. 295/(1,4-5, 7-8), 296/(2-3), 297/(1,3), 300/1, 300/7, ग्राम-सांकरा, धरसींवा, जिला-रायपुर
9.	मेसर्स हिन्दुस्तान क्वाईल लिमिटेड, प्लाट नं. 19 एवं 20, फेस-I, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर
10.	मेसर्स इस्पात इंडिया प्लाट नं. 4 एवं 9, फेज-2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिलतुरा, जिला-रायपुर
11.	मेसर्स ओम स्पंज, ग्राम-मुरेठी, सिलतरा, धरसींवा, जिला-रायपुर
12.	मेसर्स पी.डी. इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, फेज-2, तहसील व जिला- रायपुर
13.	मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड, फेब्रिकेशन एण्ड पाईप डिवीजन), ग्राम-सोण्ड्रा, ब्लाक-धरसींवा, जिला-रायपुर
14.	मेसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, के फेस-1, सिलतरा, जिला-रायपुर
15.	मेसर्स गोदावरी पावर एण्ड इस्पात लिमिटेड,प्लाट नं.-428/2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज-1, रायपुर
16.	मेसर्स रामा उद्योग प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, फेज-2 के पास, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर
17.	मेसर्स वंदना ग्लोबल लिमिटेड, फेज्-2, इण्डस्ट्रीयल एरिया सिलतरा, सिलतरा, जिला-रायपुर
18.	मेसर्स श्री हरे कृष्णा स्पंज आयरन लिमिटेड, प्लांट नं. 106, फेस-II, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर
19.	मेसर्स इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, एल.पी.जी. बाटलिंग प्लांट महामाया स्पंज के पास, सीएसआईडीसी, सिलतरा, फेज-1, बिलासपुर रोड, जिला-रायपुर
20.	मेसर्स श्री श्याम आयरन एण्ड पावर प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 103 (पार्ट) एवं 104, फेज-2, इण्डस्ट्रीयल एरिया सिलतरा, जिला-रायपुर
21.	मेसर्स एपीआई इस्पात एण्ड पावरटेक (प्रा.) लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, नियर फेस-02, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर
22.	मेसर्स आरती स्पंज एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-मुनरेठी, फेज-2, सिलतरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, तहसील-धरसींवा, जिला-रायपुर
23.	मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, प्लाट क्रमांक 428/2, ओद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज-1, जिला-रायपुर
24.	मेसर्स जगदीश इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-चरौदा, धरसींवा, जिला-रायपुर
25.	मेसर्स वत्स मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर
26.	मेसर्स उद्भव इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर
27.	मेसर्स रामनिवास इस्पात प्राईवेट लिमिटेड (यूनिट-2), फेस-2, ओद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर
28.	मेसर्स सूर्योदय वॉयर्स, इण्डस्ट्रीयल एरिया सिलतरा, जिला-रायपुर
29.	मेसर्स अग्रवाल चैनल्स मिल्स लिमिटेड (प्राईवेट), ओद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर
30.	मेसर्स इस्पात इंडिया (यूनिट-4), फेस-2, ओद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, तहसील व जिला-रायपुर
31.	मेसर्स श्रीराम नवीन कुमार एण्ड सन्स इस्पात लिमिटेड (प्राईवेट), इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, फेस-2, सिलतरा, जिला-रायपुर
32.	मेसर्स सर्वोत्तम स्ट्रीप्स प्राईवेट लिमिटेड, फेस-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर
33.	मेसर्स सुदर्शन मेटालिक्स प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर
34.	मेसर्स कैलाश कॉस्टिंग प्राईवेट लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

विधानसभा क्षेत्र धरसींवा के सिलतरा में स्थापित उद्योगों के क्षमता विस्तार हेतु लंबित आवेदनों की सूची :-

क्र.	उद्योग का नाम व् पता
1	2
1.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा (फेज-1) तहसील व जिला-रायपुर
2.	मेसर्स हनुमान इस्पात प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सोण्ड्रा, नियर फेस-2, औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर
3.	मेसर्स देवी आयरन एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड,ग्राम-टाडा, मोहंदी, ब्लाक-धरसींवा, जिला-रायपुर
4.	मेसर्स द मेटालिक एलाएज, इण्डस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा, फेस-2, जिला-रायपुर
5.	मेसर्स वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-सोड्रा, फेज-2, सिलतरा इण्डस्ट्रियल एरिया, तहसील व जिला-रायपुर
6.	मेसर्स गोदावरी पॉवर एंड इस्पात लिमिटेड, प्लाट क्रमांक 428/2, ओद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, फेज-1, जिला-रायपुर
7.	मेसर्स सुनील स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं. 96, 97, फेस-2, सिलतरा इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला-रायपुर
8.	मेसर्स जायसवाल निकों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा ग्रोथ सेन्टर, सिलतरा, जिला-रायपुर
9.	मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड, (फेब्रिकेशन एण्ड पाईप डिवीजन), ग्राम-सोण्ड्रा, ब्लाक-धरसींवा, जिला-रायपुर
10.	मेसर्स नंदन स्टील्स एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-सोण्ड्रा, नियर फेज-2, ओद्योगिक क्षेत्र सिलतरा, जिला-रायपुर

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-स

मेसर्स जायसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा के विस्तारीकरण हेतु आवेदन किया गया है, जिनकीं अद्यतन स्थिति की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व् पता	जल एवं वायु स्थापना सम्मति आवेदन दिनांक	क्षमता विस्तार के तहत् उत्पाद एवं उत्पादन क्षमता	अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5
1.	मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा (फेज-1) तहसील व जिला-रायपुर	28/02/2022	पिग आयरन/हाट मेटल क्षमता- 6,50,000 मीट्रिक टन/वर्ष से 7,50,000 मीट्रिक टन/वर्ष	प्रकरण मंडल की बैठक दिनांक 04/07/2024 में प्रस्तुत। अनुमोदन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2.	मेसर्स जायसवाल निकों इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, सिलतरा ग्रोथ सेन्टर, सिलतरा, जिला-रायपुर	29/05/2024	प्रोड्यूसर गैस क्षमता- 1,16,000 घनमीटर/घण्टा एवं आयरन ओर पेलेट प्लांट -15,00,000 टन /वर्ष	उद्योग से वांछित जानकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी से निरीक्षण प्रतिवेदन अप्राप्त है.

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-द

उद्योग के विस्तारीकरण आवेदन पर अनुमति पूर्व जन-सुनवाई कर प्राप्त आपत्तियों के निराकरण करने की प्रक्रिया की जानकारी

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 14/09/2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त अधिसूचना की अनुसूची में वर्णित उद्योगों, परियोजनाओं, क्रियाकलापों की स्थापना एवं क्षमता विस्तार के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। अनुसूची के अ श्रेणी के उद्योगों परियोजनाओं, क्रियाकलापों की स्थापना एवं क्षमता विस्तार के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा तथा अनुसूची के ब श्रेणी के उद्योगों परियोजनाओं, क्रियाकलापों की स्थापना एवं क्षमता विस्तार के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है। पर्यावरणीय स्वीकृति के पूर्व लोक सुनवाई कराये जाने के संबंध में निर्णय सक्षम प्राधिकारी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली या राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा लिया जाता है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों को अभिलेखित कर तथा लिखित में प्राप्त अभ्यावेदनों को बगैर किसी टीका टिप्पणी के, सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित कर दिये जाते है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त पर सम्यक रूप से विचार कर संबंधित उद्योग, परियोजना, क्रियाकलाप की स्थापना एवं विस्तार की अनुमति हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जाती है।

मेसर्स जायसवाल निको इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेंटर, सिलतरा (फेज-1) तहसील व जिला-रायपुर को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11/10/2023 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र अनुसार लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों के समाधान के लिये उद्योग के द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में पुनरीक्षित कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - दस

तारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 883) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नाधीन अवधि में लिए गए ऋण की जानकारी

(राशि करोड़ में)

क्र.	संस्था का नाम	ऋण की राशि	ब्याज की दर
1.	भारतीय रिजर्व बैंक	43,000.00	5.97 से 7.75
2.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	4498.76	2.75 से 5.25
3.	केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेव्हलपमेंट बैंक/विश्व बैंक/जी.एस.टी. ऋण/अन्य ऋण	17165.10	LIBOR दर

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - ग्यारह

तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 815) की जानकारी

प्रपत्र–अ

वर्ष 2021–22 से जून 2024 तक उद्यानिकी द्वारा धमतरी जिले में कृषकों द्वारा निर्मित कराये गये नेट हाउस हेतु प्रदत्त अनुदान, निर्माण स्थल व निर्माण लागत की वर्षवार, कृषकवार जानकारी

क्र.	वर्ष	हितग्राही का नाम	ग्राम	विकासखंड	लागत राशि	अनुदान राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2021-22	श्री प्रशांत कुमार	उड़ेना	धमतरी	28.40	14.20
2		मां कर्मा कृषक अभिरूचि स्व सहायता समूह	पचपेड़ी	कुरूद	14.20	7.10
3		श्री अजय कुमार	भखारा	कुरूद	14.20	7.10
योग :					**56.80**	**28.40**
1	2022-23	श्री अशोक कुमार	तुमाबुजुर्ग	धमतरी	14.20	7.10
2		श्रीमति मीना बाई	बागोडार	धमतरी	14.20	7.10
3		श्री सालिक राम	मारियामारी	नगरी	28.40	14.20
4		श्री दुलार सिंह	भरदा	मगरलोड	14.20	7.10
5		श्री गुलशन कुमार	बकोरी	मगरलोड	14.20	7.10
6		श्री मनोहर	भोथीडीह	मगरलोड	14.20	7.10
7		श्री योगेश वर्लयानी	कोडेबोड़	कुरूद	14.20	7.10
योग :					**113.60**	**56.80**
1	2023-24	श्री गणपत/प्यारेलाल	कुहकुहा	कुरूद	14.20	7.10
2		पद्मावती स्व सहायता समूह	गोजी	कुरूद	14.20	7.10
योग :					**28.40**	**14.20**
1	2024–25 (01.04.2024 से जून 2024 तक)	निरंक				
महायोग :					**198.80**	**99.40**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

वर्ष 2021–22 से जून 2024 तक उद्यानिकी द्वारा धमतरी जिले में कृषकों द्वारा निर्मित कराये गये पैक हाउस हेतु प्रदत्त अनुदान, निर्माण स्थल व निर्माण लागत की वर्षवार, कृषकवार जानकारी

क्र.	वर्ष	हितग्राही का नाम	ग्राम	विकासखंड	लागत राशि	अनुदान राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2021-22	श्री नारायण सिंग	पीपरछेड़ी	धमतरी	4.00	2.00
2		श्री नकुल राम	कण्डेल	धमतरी	4.00	2.00
3		श्री बिसनाथ	सांरगुपरी	धमतरी	4.00	2.00
4		श्री नागेश सोनकर	सारंगपुरी	धमतरी	4.00	2.00
5		श्री चिंताराम साहू	बारना	धमतरी	4.00	2.00
6		श्रीमति कौशिल्या बाई	देमार	धमतरी	4.00	2.00
7		श्री कलीराम	रीवागहन	धमतरी	4.00	2.00
8		श्री रामरोशन ध्रुव	खपरी	धमतरी	4.00	2.00
9		श्रीमति कामनी अरोरा	धुमा	कुरूद	4.00	2.00
10		श्री केश्वर राम	संकरी	कुरूद	4.00	2.00
11		श्री मोती लाल	सेमरा बी	कुरूद	4.00	2.00
12		श्रीमति प्रभादेवी	भुसरेगा	कुरूद	4.00	2.00
13		श्री गुहरी राम	बंजारी	कुरूद	4.00	2.00
14		श्री विश्वेन्द्र कुमार	करेली छोटी	मगरलोड	4.00	2.00
15		श्री अब्दुल लतीफ	कमईपुर	मगरलोड	4.00	2.00
16		श्री सर्वेश कुमार	मोहेरा	मगरलोड	4.00	2.00
17		श्री रामभुवन	सोनपुर भर्री	नगरी	4.00	2.00
18		श्री सुरेश कुमार	बरबांधा	नगरी	4.00	2.00
19		श्री नरसिंग	बांसपानी	नगरी	4.00	2.00
20		श्री छबिलाल	मुरूमतरा	नगरी	4.00	2.00
20	**योग :**				**80.00**	**40.00**
1	2022-23	श्रीमति मंजू/गौरीशंकर	बरारी	धमतरी	4.00	2.00
2		श्री सोमन लाल/गणपत	कसावाही	धमतरी	4.00	2.00
3		श्री तेजराम/रजऊ राम	दुधवारा	मगरलोड़	4.00	2.00
4		श्री तुलसी राम/समयदास	मोहंदी	मगरलोड़	4.00	2.00
5		श्री प्रेमलाल/उदय राम	बागोडार	धमतरी	4.00	2.00
6		श्री प्रशांत/संतोष	उड़ेना	धमतरी	4.00	2.00
7		श्री मोहन/विष्णुप्रसाद	चरमुड़िया	कुरूद	4.00	2.00
8		श्रीमति चेतना/मुक्तेश	कमरौद	कुरूद	4.00	2.00
9		श्री दोलेश/हेमनाथ	फरसिया	नगरी	4.00	2.00
10		श्री धर्मेन्द्र/भोलाराम	मुकुन्दपुर	नगरी	4.00	2.00
11		श्री मोहित/शिवराम	जुगदेही	कुरूद	4.00	2.00
12		श्री कोमल/बुद्धुराम	कमईपुर	मगरलोड़	4.00	2.00
12	**योग :**				**48.00**	**24.00**

क्र.	वर्ष	हितग्राही का नाम	ग्राम	विकासखंड	लागत राशि	अनुदान राशि
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	2023-24	श्री सतीश / शोभाराम	भुसरेंगा	कुरूद	4.00	2.00
2		श्री पाल्हन राम / बुधारु	कमरौद	कुरूद	4.00	2.00
3		श्री सन्नी / अजय	कुर्रा	कुरूद	4.00	2.00
4		श्री सूर्यभान / शंकर लाल	डुमरपाली	मगरलोड़	4.00	2.00
5		श्री प्यारीलाल / हलालसिंह	बांधा	नगरी	4.00	2.00
6		श्री डाकेश / गोवर्धन	पंडरीपानी रै.	नगरी	4.00	2.00
6	**योग :**				**24.00**	**12.00**
1	2024–25 (01.04.2024 से जून 2024 तक)	निरंक				
38	**योग :**				**152.00**	**76.00**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

खल्लारी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित छात्रावासों की वर्गवार, स्तरवार, विकासखंडवार की जानकारी

क्र.	विकास खण्ड	संस्था का नाम	वर्ग	स्तर	क्षमता
1	महासमुन्द	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, झारा	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	50
2	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, खम्हरिया	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	50
3	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, खल्लारी	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	20
4	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बी.के.बाहरा	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	20
5	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बागबाहरा	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	30
6	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कोमाखान	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	50
7	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, मोंगरापाली	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	50
8	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, हाथीबाहरा	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	50
9	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, तेन्दूकोना	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	50
10	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, गांजर	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	50
11	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बोड़रीदादर	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	50
12	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, बागबाहरा	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	100
13	बागबाहरा	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, तेन्दूकोना	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	50
14	बागबाहरा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, बागबाहरा	अनुसूचित जाति	प्री मैट्रिक	50
15	बागबाहरा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, खल्लारी	अनुसूचित जाति	प्री मैट्रिक	50
16	बागबाहरा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बागबाहरा	अनुसूचित जाति	प्री मैट्रिक	50
17	बागबाहरा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, देवरी	अनुसूचित जाति	प्री मैट्रिक	50
18	बागबाहरा	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बागबाहरा	अनुसूचित जनजाति	पोस्ट मैट्रिक	50
19	पिथौरा	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, बुन्देली	अनुसूचित जनजाति	प्री मैट्रिक	20
20	पिथौरा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, बुन्देली	अनुसूचित जाति	प्री मैट्रिक	50
					940

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रा

परिशिष्ट - तेरह

तारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 682) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2022 से जून 2024 तक सामग्री क्रय एवं राशि की जानकारी

क.	वर्ष	सामग्री का नाम	कुल राशि
1	2	3	4
01	2022–23 अप्रेल 2022 से मार्च 2023	फिनाईल	597005
		मच्छरदानी	670620
		थाली	219785
		गिलास	76079
		जग	11158
		कढ़ाही (15 कि.ग्रा.)	46493
		एल.ईडी. बल्ब	160493
		एल.ईडी. ट्यूबलाईट	361038
		विद्यार्थी टेबल	260477
		विद्यार्थी कुर्सी	235546
		आलमारी छोटी	358187
		लोहा पलंग	683386
		गद्दा	496526
		व्हालीबाल (कास्को)	142920
		फुटबाल (कास्को)	85500
		गैस भट्टा (डबल बर्नर)	165000
		गैस भट्टा (सिंगल बर्नर)	27500
		बैडमिंटन	175910
		शटलकॉक	143900
		पंखा	395535
		पानी टंकी (स्टील)	147541
		बाल्टी 20 लीटर	94400
		आईना	99750
		दीवार घड़ी	88420
		चेनिस चेकर	27000
योग			**5770169**
02	2023–24 अप्रेल 2023 से मार्च 2024	विद्यार्थी टेबल	136276
		विद्यार्थी कुर्सी	117046
		लोहा पलंग	1199381
		छोटी आलमारी	613340
		बाल्टी (प्लास्टिक)	277725
		मग (प्लास्टिक)	29571
		मच्छरदानी	809540

क्र.	वर्ष	सामग्री का नाम	कुल राशि
1	2	3	4
03	2023–24 अप्रेल 2023 से मार्च 2024	गद्दा	676634
		कूकर (12 लीटर)	101405
		फिनाईल	456311
		गैस भट्ठा	130900
		थाली स्टील	87236
		कटोरी स्टील	12172
		बैडमिंटन रैकेट	129000
		शटलकॉक	70350
		व्हालीबॉल	129500
		चेनिस चेकर	85000
		ट्यूबलाईट	175213
		नाश्ता प्लेट	112000
		नाश्ता चम्मच	23520
		स्टील गिलास	30240
		स्टील जग	14504
		तकिया (16x24) इंच	186440
		दरी (12x15)	207928
		गद्दा	1003590
		ज्ञानवर्धक एवं प्रतियोगी पुस्तकें	1000000
		खेलकूद सामग्री	1000000
योग			**8814822**
04	2024–25 अप्रेल 2024 से जून 2024	वित्तीय वर्ष 2024–25 में जून 2024 तक कोई सामग्री क्रय नहीं की गयी।	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

पारिशेष्ट - चौदह

तारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 719) की जानकारी

प्रपत्र

कंडिका 'क' की योजना हेतु वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा सीतापुर विधानसभा क्षेत्र हेतु पिछले 03 वर्षो में मदवार आबंटित राशि एवं खर्च की गई राशि का विवरण

(राशि लाख रूपए में)

क्र.	वर्ष	मद का नाम	योजना का नाम	आबंटित राशि	खर्च की गई राशि
1	2	3	4	5	6
1.	2021-22	विभागीय	बिगड़े वनों का सुधार	86.68	86.68
2.		विभागीय	पर्यावरण वानिकी	1.20	1.20
3.		कैम्पा	कैम्पा	901.51	692.39
	योग:-			989.39	780.27
1.	2022-23	विभागीय	बिगड़े वनों का सुधार	202.19	202.19
2.		विभागीय	भू-जल संरक्षण	61.01	61.01
3.		विभागीय	पर्यावरण वानिकी	1.20	1.20
4.		कैम्पा	कैम्पा	171.59	128.44
	योग:-			435.99	392.84
1.	2023-24	विभागीय	बिगड़े वनों का सुधार	233.93	233.93
2.		विभागीय	भू-जल संरक्षण	66.95	66.95
3.		विभागीय	पर्यावरण वानिकी	1.20	1.20
4.		कैम्पा	कैम्पा	48.85	32.51
	योग:-			350.93	334.59

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - पन्द्रह

तारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 897) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वर्षवार एवं एजेंसीवार भुगतान एवं सुरक्षित वृक्षों के प्रतिशत की जानकारी

वर्ष	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	कुल भुगतान राशि (लाख रू.)	संरक्षित/सुरक्षित वृक्षों का प्रतिशत	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2019-20	निरंक				
2020-21	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-17 में वृक्षारोपण एवं सिंचाई व्यवस्था का विकास कार्य।	में. नेचर टच लैण्डस्केपिंग प्रा. लि. रायपुर	31.17	87%	कार्य में स्वाईल प्रिपारेशन, फेंसिंग, सिंचाई व्यवस्था भी शामिल है।
2021-22	नवा रायपुर अटल नगर, जिला में रोड नंबर - 04 और रोड नंबर - 02 (दक्षिण की ओर) के लिए पारिस्थितिक हरित गलियारे का विकास कार्य।	मेसर्स रेनबो ग्रीनर्स नागपुर	170.38	92%	कार्य में स्वाईल प्रिपारेशन, फेंसिंग, सिंचाई व्यवस्था एवं सौंदर्यीकरण भी शामिल है।
2022-23	निरंक				
2023-24	लैण्डस्केपिंग का विकास, सिटी लेवल रोड नंबर 1,2,8,4-एक्सटेंशन के मध्य और दोनों तरफ सुरक्षा के साथ वृक्षारोपण, सेक्टर -24 जंक्शन से न्यू सर्किट हाउस, एकात्म पथ से मेफेयर और मेफेयर से रोड नंबर 4-एक्सटेंशन तक, स्टेडियम रोड से एनएच-53, रोड नंबर 02 से जंगल सफारी, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)।	मे. एन.सी. नाहर	303.00	91%	कार्य में स्वाईल प्रिपारेशन, फेंसिंग, सिंचाई व्यवस्था भी शामिल है।
	एनटीपीसी कार्यालय, नवा रायपुर के समीप चिन्हित रिक्त सर्कल क्षेत्र में लॉन और गार्डन पार्क का विकास और लैण्डस्केपिंग।	में. आर.के. इंफ्रास्ट्रक्चर,	96.84	100%	कार्य में स्वाईल प्रिपारेशन, फेंसिंग, सिंचाई व्यवस्था, फुलदार पौधे, फाउंटेन, विद्युत व्यवस्था एवं सौंदर्यीकरण भी शामिल है।
	वर्ष 2023-24 का कुल भुगतान राशि (लाख रू. में)		399.84		
	वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक हुए सकल भुगतान की राशि (लाख रू. में)		601.39		

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु एजेंसी, भुगतान एवं कार्य की स्थिति की जानकारी

वित्तीय वर्ष	स. क्रं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	कुल भुगतान राशि (लाख रू.)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/प्रगतिरत्)
1	2	3	4	5	6
निर्माण कार्य					
2019-20					
	1.	नवा रायपुर अटल नगर पीएचक्यू बिल्डिंग, सेक्टर 19, में कॉन्फ्रेंस हॉल और साइबर क्राइम लैब का निर्माण।	मेसर्स विकास एसोसिएट्स, कोरबा (छ.ग.)	113.00	पूर्ण
	2.	ऊपरवारा सेक्टर-40, नवा रायपुर अटल में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन का विकास एवं मरम्मत कार्य	मेसर्स विकास ऐसोसिएट्स रायपुर (छ0ग0)	179.00	पूर्ण
	3.	नवा रायपुर अटल नगर के ग्राम उपरवारा ,चौचा एवं सेन्ध में मिनी -मार्केट का निर्माण कार्य। मेसर्स वसुन्धरा कन्स्ट्रक्शन रायपुर छ.ग .	मेसर्स वसुन्धरा कन्स्ट्रक्शन रायपुर छ.ग.	233.00	प्रगतिरत
	4.	सेरीखेड़ी में इंटरचेंज एवं विधायकों के आवास गृहो को नवा रायपुर अटल नगर के सड़क क्रं. 1 से जोडने हेतु पहुच मार्ग का निर्माण कार्य।	मेसर्स श्री कृशन एंड कंपनी रायपुर छ.ग.	967.00	पूर्ण
	5.	एनटीपीसी के पश्चिम क्षेत्र-2 मुख्यालय भवन, सेक्टर 24, नवा रायपुर अटल नगर में एलइडी लाइट का आटोमेशन के साथ प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग और कमिशनिंग का कार्य।	मेसर्स आर.के. लाला, रायपुर	224.00	पूर्ण
	6.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 24 में स्थित IIIT आडिटोरियम भवन में विविध विद्युत अधोसंरचना के विकास कार्य हेतु प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य।	मेसर्स आर.के. लाला, रायपुर	32.81	पूर्ण
	7.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 24 में स्थित IIIT आडिटोरियम भवन में आडियो-विजुवल एवं विडियो वाल सिस्टम लगाने के कार्य हेतु प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य।	मेसर्स अरविंद लिमिटेड, पुणे	130.18	पूर्ण
	8.	एनटीपीसी के पश्चिम क्षेत्र-2 मुख्यालय भवन सेक्टर 24 नवा रायपुर अटल नगर में नेटवर्किंग उपकरणों का प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग और कमिशनिंग का कार्य।	मेसर्स महेश्वरी कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड,	167.09	पूर्ण
	9.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-39 में स्थित हार्टिकल्चर भवन में विविध विद्युत अधोसंरचना कार्य के प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य	मेसर्स आर. के. लाला, रायपुर	13.71	पूर्ण
	10.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 19 में स्थित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भवन में एयरकंडिशनिंग सिस्टम प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य।	मेसर्स एयरपरफेक्शन, जबलपुर	197.21	पूर्ण
		वर्ष 2019-20 का कुल भुगतान राशि रू. (लाख में)		2257.00	
2020-21					
	1.	"सेक्टर-15 में प्लॉट बी-12 और बी-19, सेक्टर-30 में प्लॉट बी-03 और डी-03 और नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (सी.जी.) के सेक्टर-17 में विभिन्न भूखंडों का बुनियादी ढांचा विकास"	मेसर्स रायपुर कन्स्ट्रक्शन, रायपुर (छ0ग0)	1148.00	प्रगतिरत्
	2.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-24 के विशेष आवासीय क्षेत्र में निर्मित 2 लेन व 4 लेन सड़कों के चौड़ीकरण एवं नई सड़कों के निर्माण कार्य तथा झांझ जलाशय के अग्र भाग में विकास कार्य	मेसर्स रायपुर कन्स्ट्रक्शन रायपुर छ.ग.	280.00	प्रगतिरत
	3.	आफिस कैम्पस भवन सेक्टर-24 नवा रायपुर अटल नगर में बाहय विकास एवं फिनिशिंग का कार्य।	में. निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर, भिलाई	153.56	पूर्ण
	4.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 24 में छत्तीसगढ. निजी विश्वविद्यालय विनयामक आयोग कार्यालय सह विद्युतीकरण का कार्य।	मे. विकास एसोसियेट कोरबा।	208.08	पूर्ण
	5.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-24 में आई.आई.आई.टी.-नया रायपुर में द्वितीय चरण भवनों का निर्माण और बुनियादी ढाँचे का निर्माण कार्य।	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमि., रायपुर (छ.ग.)	3398.00	प्रगतिरत्
	6.	नवा रायपुर अटल नगर में एसटीपी- 1, 2 एवं 3 में चारदीवारी का निर्माण कार्य।	मेसर्स अनिल कंन्स्ट्रक्शन, रायपुर	22.07	पूर्ण
	7.	नवा रायपुर के एसटीपी-1 में वीसीबी पैनल रूम एवं मीटरिंग रूम का निर्माण।	मेसर्स साई इन्फ्रा, रायपुर	16.55	पूर्ण
	8.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 में स्थित मंत्रालय, महानदी भवन की 5वीं तल एवं अन्य भवनों में ऑडियो विजुअल, कंफ्रेंसिंग एवं नियंत्रण सिस्टम के डिजाईंग, आपूर्ति, स्थापना एवं कमशिनिंग का कार्य	मेसर्स सुरभि इंटरप्राजेस, रायपुर	163.16	पूर्ण
		वर्ष 2020-21 का कुल भुगतान राशि रू. (लाख में)		5389.42	
2021-22					
	1.	नवा रायपुर अटल नगर के विभिन्न सेक्टरों में सड़कों का अधोसंरचना विकास कार्य सड़क क्रं.2 के पश्चिम की ओर (पेकेज-एक)	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमि., रायपुर (छ.ग.)	769.00	प्रगतिरत्

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

	2.	नवा रायपुर अटल नगर के विभिन्न सेक्टरों में सड़कों का अधोसंरचना विकास कार्य सड़क क्रं.2 के पूर्व की ओर (पेकेज-दो)।	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमि., रायपुर (छ.ग.)	200.00	अपूर्ण
	3.	नवा रायपुर अटल नगर, जिला के नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, पीएचक्यू में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल का निर्माण।	मेसर्स सन् इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिलासपुर (छ.ग.)	193.00	पूर्ण
	4.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 22 में सी.बी.डी. रेलवे स्टेशन भवन के शेष निर्माण कार्य	मेसर्स श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमि., रायपुर (छ.ग.)	6873.00	प्रगतिरत्
	5.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-25 में क्रिस्टल हाउस स्कूल (फेस-2) का निर्माण एवं विकास कार्य	मेसर्स श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमि., रायपुर (छ.ग.)	1072.00	पूर्ण
	6.	**चेन लिंक फेंसिंग ग्राउंड छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय भवन सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) का निर्माण"**	**मेसर्स के.डी. सिंह, रायपुर (छ.ग.)**	7.00	पूर्ण
	7.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय भवन एवं सेक्टर-24 बी ब्लॉक के पाठ्य पुस्तक निगम तथा सेक्टर-21 के आयकर विभाग कार्यालय परिसर के भवन में पर्दे और ब्लाइंड्स का कार्य।	मेसर्स टचवेल मार्केटिंग रायपुर (छ0ग0)	32.00	पूर्ण
	8.	नवा रायपुर अटल नगर में स्थित संचालनालय इंद्रावती भवन के शेष कार्य एवं रेक्टिफिकेशन का कार्य।	मैं. निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर, भिलाई	230.18	पूर्ण
	9.	नवा रायपुर अटल नगर में स्ट्रीम 1 एवं 3 का विकास कार्य के साथ सेंध लेक का सौंदर्यीकरण कार्य।	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमि., रायपुर (छ.ग.)	2313.73	पूर्ण
	10.	नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के विभिन्न गांवों में अन्य सेवाओं सहित ग्रामीण सड़क का निर्माण।	मैं. कल्याण टोल इंफ्रास्ट्रक्चर,	666.00	पूर्ण
	11.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-16 में नार्थ क्लब हाउस का निर्माण एवं सेक्टर-19 स्थित मंत्रालय महानदी भवन व इंद्रावती भवन के फसाड का उन्नयन कार्य।	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमि., रायपुर (छ.ग.)	982.00	अपूर्ण
	12.	**जलशोधन संयंत्र] पचेड़ा] नवा रायपुर अटल नगर में परिसर की चारदीवारी का निर्माण कार्य।**	**मेसर्स मार्डन बिल्डर, रायपुर**	23.38	**पूर्ण**
	13.	**नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-03 में स्थित आर्मी कैंप में 33/11 के.व्ही0. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण एवं 33 के.व्ही. विद्युत आपूर्ति प्रदान करने का कार्य।**	**मेसर्स राम गोपाल सोमानी**	392.44	**पूर्ण**
	14.	**नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-21 में स्थित कमर्शियल काम्पलेक्स के आठवें एवं नवम् तल में निर्माणाधीन आयकर विभाग के निम्न दाब विद्युत आपूर्ति एवं विभिन्न विद्युतीकरण के प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य।**	**मेसर्स विकास एसोसिएट, कोरबा**	94.85	**पूर्ण**
	15.	**नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-21 में स्थित कमर्शियल काम्पलेक्स के आठवें एवं नवम् तल में निर्माणाधीन आयकर विभाग के एयर कंडिशनिंग के प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य।**	**मेसर्स टचवेल मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर**	145.25	**पूर्ण**
	16.	**नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-24 में स्थित आफिस काम्पलेक्स के ग्राउण्ड फ्लोर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम विभाग के निम्न दाब विद्युत आपूर्ति एवं विभिन्न विद्युतीकरण के प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य।**	**मेसर्स नुतेन्द्र कुमार साहू, रायपुर**	26.34	**पूर्ण**
	17.	**नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-24 में स्थित आफिस काम्पलेक्स के ग्राउण्ड फ्लोर में निर्माणाधीन छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम विभाग के एयर कंडिशनिंग के प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य।**	**मेसर्स मेसर्स एयर परफेक्शन, जबलपुर**	50.49	**पूर्ण**
	18.	**छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के कार्यालय में आडियो विडियो के स्थापना का कार्य**	**मेसर्स सुरभि इंटरप्राजेस, रायपुर**	34.33	**पूर्ण**
	19.	**छत्तीसगढ़ मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय एवं फर्निशिंग कार्य-नवीन कार्यालय भवन में सी.सी.टी.वी. के स्थापना का कार्य**	**मेसर्स सुरभि इंटरप्राजेस, रायपुर**	2.28	**पूर्ण**
	20.	**छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग भवन, पाठ्य पुस्तक निगम छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग एवं आयकर भवन नवा रायपुर अटल नगर में आडियो विडियो एवं सी.सी.टी.वी. की स्थापना, का कार्य**	**मेसर्स सुरभि इंटरप्राजेस, रायपुर**	130.77	**पूर्ण**
		वर्ष 2021-22 का कुल भुगतान राशि रू. (लाख में)		14238.04	
2022-23					
	1.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-32 में विश्व स्तरीय आवासीय विद्यालय के भवन सहित परिसर का व्यापक विकास कार्य।	मेसर्स रायपुर कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमि., रायपुर (छ.ग.)	1559.00	प्रगतिरत्
	2.	नवा रायपुर अटल नगर, सेक्टर-13, में छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य भण्डारण निगम के लिए परीक्षण प्रयोगशाला भवन का निर्माण एवं विकास।	मेसर्स श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमि., रायपुर (छ.ग.)	1244.00	प्रगतिरत्
	3.	नवा रायपुर अटल नगर में 03 नग रेलवे स्टेशन के शेष निर्माण कार्य।	मेसर्स श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमि., रायपुर (छ.ग.)	5478.00	प्रगतिरत्
	4.	नवा रायपुर अटल नगर, सेक्टर-3 में कोसा (COSA) सैन्य स्टेशन के लिए आंतरिक जल निकासी कार्य और नाला प्रशिक्षण निर्माण और, सेक्टर-12 में अन्य विविध कार्य।	मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन, रायपुर (छ.ग.)	101.00	प्रगतिरत्
	5.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय भवन एवं टावर ए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की 8वीं और 9वीं मंजिल में साइनेज का कार्य।	मेसर्स सुपरटेक सॉलयुशन रायपुर (छ0ग0)	11.00	पूर्ण
	6.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 में स्वास्थ्य भवन के लिए आंतरिक एवं अन्य कार्य।	मेसर्स विकास ऐसोसिएट्स रायपुर (छ0ग0)	53.00	पूर्ण
	7.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग कार्यालय भवन परिसर एवं राज्य निर्वाचन आयोग भवन के चारों ओर चेन लिंक लगाने का निर्माण कार्य।	मेसर्स अनिल कंस्ट्रक्शन रायपुर (छ0ग0)	31.00	पूर्ण

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

	8.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 24 में छत्तीसगढ़, निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग कार्यालय सह विद्युतीकरण का कार्य।	मे. विकास एसोसियेट कोरबा।	25.36	पूर्ण
	9.	नवा रायपुर अटल नगर में ग्राम खपरी के पास सेवाग्राम के लिए बहुउद्देशीय डाइनिंग हॉल, सामुदायिक रसोई और शौचालय का निर्माण कार्य।	मे. आर. के. बिल्डर रायपुर	159.00	प्रगतिरत्
	10.	नवा रायपुर अटल नगर में ग्राम खपरी के पास सेवाग्राम निर्माण के लिए भवनों, बुनियादी ढांचे और बाहरी विकास का कार्य।	मे. डी.व्ही. प्रोजेक्ट्स, रायपुर	5287.62	प्रगतिरत्
	11.	**नवा रायपुर अटल नगर के जोन-4 और निर्दिष्टि क्षेत्र के शेष सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम का विकास कार्य एवं 48 महीने के संचालन-संधारण कार्य।**	**मेसर्स इनवायरो इन्फ्रा] दिल्ली**	2707.70	**प्रगतिरत**
	12.	**नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-12 में विद्युत अधोसंरचना विकास कार्य।**	**मेसर्स रॉयल पावर टर्नकी इम्पलिमेंट्स प्राईवेट लिमि., पुणे**	220.59	प्रगतिरत्
	13.	**नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 में स्थित स्वास्थ्य भवन में विविध विद्युत अधोसंरचना के विकास कार्य हेतु प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य।**	**मेसर्स विकास एसोसिएट, कोरबा**	50.49	पूर्ण
		वर्ष 2022-23 का कुल भुगतान राशि रू. (लाख में)		16927.76	
2023-24					
	1.	नवा रायपुर अटल नगर, के सेक्टर-15 में प्लॉट बी-17, बी-8 और बी-9 और सेक्टर-28 में विभिन्न स्वास्थ्य सेवा भूखंडों के लिए बुनियादी ढांचे का विकास।	मेसर्स श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमि., रायपुर (छ.ग.)	871.00	प्रगतिरत्
	2.	नवा रायपुर अटल नगर, सेक्टर-15, में प्लॉट बी-11 के लिए 8 मीटर आरओडब्ल्यू (180 मीटर लंबाई) सर्विस रोड और संबद्ध कार्य का बुनियादी ढांचा विकास।	मेसर्स विकास एसोसिएट्स, कोरबा (छ.ग.)	67.00	प्रगतिरत्
	3.	नवा रायपुर अटल नगर के विभिन्न सेक्टरों में सड़कों का अधोसंरचना विकास कार्य सड़क क्रं.2 के पूर्व की ओर (पेकेज-दो)। का शेष कार्य।	मेसर्स रामनिवास अग्रवाल, जांजगीर-चांपा, छ.ग.	229.00	प्रगतिरत्
	4.	नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर के सेक्टर -21, सीबीडी वाणिज्यिक परिसर भवन के टॉवर-सी में आईटीईएस (प्लग एंड प्ले सेंटर) के लिए अधोसंरचना का विकास कार्य।	मेसर्स विकास एसोसिएट्स, कोरबा (छ.ग.)	189.00	प्रगतिरत्
	5.	नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.) में रोड नंबर 05, सेक्टर-35 के किनारे 45 मीटर और 18 मीटर ROW सर्विस रोड और संबद्ध अधोसंरचना का निर्माण कार्य।	मेसर्स विकास एसोसिएट्स, कोरबा (छ.ग.)	55.00	प्रगतिरत्
	6.	नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.), सेक्टर-03 में ओलंपिक एसोसिएशन के लिए 18 मीटर रो रोड का अधोसंरचना विकास और संबद्ध कार्य।	मेसर्स विकास एसोसिएट्स, कोरबा (छ.ग.)	0.00	प्रगतिरत्
	7.	**नवा रायपुर अटल नगर के विभिन्न स्थानों पर चौक चौराहों के विकास कार्य**	**मेसर्स विनोद कुमार जैन रायपुर छ.ग.**	530.00	**प्रगतिरत**
	8.	**नवा रायपुर अटल नगर के विभिन्न स्थानों पर चौक चौराहों, उद्यान एवं जलाशय के नामकरण हेतु विभिन्न प्रकार के संकेतक लगाने का कार्य।**	**मेसर्स आर. एच. एजेंसी रायपुर छ.ग.**	73.00	**प्रगतिरत**
	9.	**नवा रायपुर अटल नगर के विभिन्न स्थानों पर सड़क के नामकरण हेतु विभिन्न प्रकार के संकेतक लगाने का कार्य।**	**मेसर्स अनिरूद्ध कुमार यदु विथ मेसर्स वी. एन. इंडस्ट्रीज, जगदलपुर**	59.00	**प्रगतिरत**
	10.	**नवा रायपुर अटल नगर के शहर स्तरीय सड़कों का सुधार, मरम्मत, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण कार्य।**	**मेसर्स सुप्रिम बिटूकेम नागपुर**	245.00	**पूर्ण**
	11.	नवा रायपुर अटल नगर में स्ट्रीम । एवं 3 का विकास कार्य के साथ सेंध लेक का सौंदर्यीकरण का शेष कार्य।	मेसर्स मोहन पोद्दार	412.91	**प्रगतिरत**
	12.	नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.) के विभिन्न गांवों में अन्य सेवाओं सहित ग्रामीण सड़क का निर्माण का शेष कार्य।	मेसर्स दीपक पाण्डे	585.23	**प्रगतिरत**
	13.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-16 में नार्थ क्लब हाउस का निर्माण एवं सेक्टर-19 स्थित मंत्रालय महानदी भवन व इंद्रावती भवन के फसाड का उन्नयन का शेष कार्य।	मेसर्स विनोद कुमार जैन, जशपुर	285.00	**प्रगतिरत**
	14.	**नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 में स्थित वन विभाग के मुख्यालय भवन में एयर कंडिशनिंग, विविध विद्युत एवं सिविल प्रदाय, स्थापना, टेस्टिंग एवं कमिशनिंग का कार्य**	**शिनरयो सुविधा प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर**	37.16	**प्रगतिरत**
	15.	**नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-5 में विद्युत अधोसंरचना विकास कार्य**	**मेसर्स आर.के. लाला, रायपुर**	147.08	**प्रगतिरत**
	16.	**महानदी भवन के पंचवीं तल में ऑडियो विडियो सिस्टम का उन्नयन का कार्य।**	**मेसर्स सुरभि इंटरप्राजेस, रायपुर**	46.63	**पूर्ण**
		वर्ष 2023-24 का कुल भुगतान राशि रू. (लाख में)		3832.01	
		वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक हुए सकल भुगतान की राशि (लाख रू. में)		42644.23	

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-स

नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण अंतर्गत संचालन/संधारण कार्यों हेतु एजेंसी, भुगतान एवं कार्य की स्थिति की जानकारी

वित्तीय वर्ष	स. क्रं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	कुल भुगतान राशि (लाख रू.)	कार्य की स्थिति (पूर्ण/ प्रगतिरत्)
1	2	3	4	5	6
संधारण कार्य					
2019-20					
	1.	मंत्रालय महानदी भवन तथा संचालनायल इंद्रावती भवन के आडियो-विजुवल सिस्टम के वार्षिक संचालन, रिपेरिंग एवं अनुरक्षण कार्य	मे. सुरभी इंटरप्राईजेस, रायपुर	134.22	पूर्ण
	2.	जोनल कॉन्ट्रेक्ट-मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के लिये आंतरिक साज-सज्जा का अतिरिक्त/ विषेष मरम्मत का कार्य।	मे. टचवेल मार्केटिंग रायपुर	79.59	पूर्ण
	3.	मंत्रालय महानदी भवन, संचालनालय इंद्रावती भवन,सीसीआईआईडी, एवं राजधानी सरोवर के लैण्डस्केपिंग का वार्षिक अनुरक्षण कार्य।	में. वन्या लैण्डस्केपिंक एवं हार्टिकल्चर सोल्यूशन प्रा. लि. रायपुर	369.20	प्रगतिरत्
	4.	मंत्रालय महानदी भवन, सीसीआईडी एवं राजधानी सरोवर का वार्षिक सुविधा प्रबंधन सेवा प्रदाय कार्य	मे. बी. व्ही. जी. इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली,	580.88	पूर्ण
	5.	मंत्रालय महानदी भवन, सीसीआईडी एवं राजधानी सरोवर का वार्षिक सुविधा प्रबंधन सेवा प्रदाय कार्य	मे. काल मी सर्विसेस, रायपुर।	2501.00	प्रगतिरत्
	6.	संचालनालय इंद्रावती भवन एवं राजधानी परिसर का वार्षिक सुविधा प्रबंधन सेवा प्रदाय कार्य।	मे. रितु हास्पिटालिटी, वेस्ट बंगाल।	1739.31	पूर्ण
	7.	सेक्टर 24, नया रायपुर में स्थित प्लॉट संख्या 7 और 8 पर कार्यालय परिसर भवनों और सेवाओं के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा प्रदाता	में. विन्सपाईयर गुडगांव	187.43	पूर्ण
	8.	सीबीडी, सेक्टर 21, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (सीजी) में हाई-स्ट्रीट के साथ वाणिज्यिक टॉवर ए एंड सी और रिटेल बिल्डिंग ई09 ए एंड बी और ई10 ए एंड बी कॉम्प्लेक्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा प्रदाता।	में. विन्सपाईयर गुडगांव	871.01	पूर्ण
	9.	नवा रायपुर अटल नगर के कैपिटल काम्पलेक्स में एमबीआर प्रौद्योगिकी पर आधारित 1.2 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के 60 महीने के व्यापक संचालन-संधारण का कार्य।	मेसर्स प्रीमियर टेक ब्रिजानिया, न्यू दिल्ली	131.98	प्रगतिरत
	10.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर- 5, 7, 15, 16 और 22 में फेस-1, के लिए बुनियादी ढांचा विकासः विविध जल आपूर्ति और जल मीटर कनेक्शन कार्य।	मेसर्स गोविंद अग्रवाल, रायपुर	67.61	पूर्ण
	11.	नवा रायपुर अटल नगर के शहरीय स्तरीय स्ट्रीट लाईट के वार्षिकी रखरखाव का कार्य	मेसर्स आर.के. लाला, रायपुर	512.58	पूर्ण
	12.	नवा रायपुर अटल नगर में स्थित पर्यावास भवन, सेक्टर-19 में विद्युत सिस्टम (एच टी एवं एल टी) , आंतरिक विद्युतीकरण, डी.जी सेट, यूपीएस एवं फायर अलार्म सिस्टम के वार्षिकी रखरखाव का कार्य	मेसर्स आर.के. लाला, रायपुर	148.79	पूर्ण
	13.	इंद्रावती भवन में यूपीएस का रिपेयरिंग, वार्षिक संचालन, संधारण एवं रखरखाव	मेसर्स इनसिक टेक्नोलाजी, नई दिल्ली	106.80	पूर्ण
	14.	इंद्रावती भवन में एलिवेटर का वार्षिक संचालन, संधारण एवं रखरखाव	मेसर्स ओटिस एलिवेटर, रायपुर	90.13	पूर्ण
	15.	मंत्रालय भवन इंद्रावती भवन एवं सीसीआईआईडी में विद्युत सामग्री एवं विद्युत का वार्षिक संचालन, संधारण एवं रखरखाव-	मेसर्स आर.के. लाला , रायपुर	96.29	पूर्ण
	16.	इन्द्रावती भवन में स्थापित स्पीलिट एसी के वार्षिक रख-रखाव का कार्य।	मेसर्स डेजिसोल टेक्नोलाजी, रायपुर	13.79	पूर्ण
	17.	इंद्रावती भवन में इलेक्ट्रीकल आईटम सप्लाई	मेसर्स आर.के. लाला, रायपुर	4.58	पूर्ण
	18.	केपिटल काम्प्लेक्स के भवन में एल. ई. डी. लाइट सप्लाई	मेसर्स दीपक इलेक्ट्रीकल्स,रायपुर	58.85	पूर्ण

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

	19.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 में स्थित कैपिटल काम्पलेक्स में मंत्रालय-महानदी भवन एवं संचालनालय, इन्द्रावती भवन में स्थापित अग्निशामक यंत्र की जांच और रिफलिंग तथा अग्निशामन सामग्रियों की आपूर्ति का कार्य	मेसर्स फायरसेफटी सॉल्यूशन्स, रायपुर	15.40	पूर्ण
		वर्ष 2019-20 का कुल भुगतान राशि रू. (लाख में)		7709.44	
2020-21					
	1.	पर्यावास भवन और एकीकृत कमाण्ड एवं नियंत्रण केंद्र, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.) में लैण्डस्केपिंग और सिंचाई प्रणाली का 03 वर्ष की अवधि के लिए रखरखाव कार्य।	मेसर्स वन्या लेण्डस्केपिंग एण्ड हर्टिकल्चर सोल्यूशन प्रा. लिमि., रायपुर छ.ग.	48	पूर्ण
	2.	नवा रायपुर अटल नगर के विभिन्न सेक्टरों में स्थित 14 नग 33/11 के.व्ही विद्युत सबस्टेशन, 33 के.व्ही. लाइन, 11 के.व्ही. लाइन, ट्रांसफार्मर एवं एल.टी. लाइन के वार्षिकी रखरखाव का कार्य	मेसर्स आर. के. लाला, रायपुर	176.88	पूर्ण
	3.	मंत्रालय भवन में एचवीएसी का वार्षिक संचालन, संधारण एवं रखरखाव-	मेसर्स स्टर्लिंग एण्ड विल्सन, रायपुर	276.99	पूर्ण
	4.	महानदी भवन में स्थापित लिफ्ट के वार्षिक रख-रखाव का कार्य।	मेसर्स एयर परफेक्शन, जबलपुर	317.72	पूर्ण
	5.	इंद्रावती भवन में एचवीएसी का वार्षिक संचालन, संधारण एवं रखरखाव	मेसर्स एबीएस एयरकॉन , बैंगलूर	164.83	पूर्ण
		वर्ष 2020-21 का कुल भुगतान राशि रू. (लाख में)		984.42	
2021-22					
	1.	नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर (छ.ग.), सेक्टर-19 में पर्यावास भवन तथा एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र भवन तथा इसके परिसर के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा प्रदाता का चयन कार्य।	मेसर्स कॉल मी सर्विसेस, रायपुर (छ.ग.)	319	प्रगतिरत्
	2.	नार्थ एवं साउथ ब्लाक संट्रल पार्क का संचालन, संधारण एवं रखरखाव।	मे. कॉल मी सर्विसेस,	164.30	प्रगतिरत
	3.	स्वागत वाटिका सेरीखेड़ी का संचालन / संधारण एवं अनुरक्षण कार्य।	मे. कॉल मी सर्विसेस,	30.31	प्रगतिरत
	4.	नवा रायपुर अटल नगर के लिए आकस्मिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा प्रदाता का कार्य।	मेसर्स क्लीनटेक सर्विसेस एण्ड वर्कफोर्स, रायपुर	212.91	पूर्ण
	5.	एन. आई. सी. एन. के. एन. में स्थापित विभिन्न विद्युत उपकरणों के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य	मेसर्स सुरभि इंटरप्राजेस, रायपुर	13.31	पूर्ण
	6.	महानदी भवन, इन्द्रावती भवन एवं पर्यावास भवन में स्थापित आडियो विडियो सिस्टम के वार्षिक रख-रखाव का कार्य।	मेसर्स सुरभि इंटरप्राजेस, रायपुर	170.47	पूर्ण
	7.	मंत्रालय भवन इंद्रावती भवन एवं सीसीआईआईडी में डी.जी. सेट एवं पेनल का रखरखाव	मेसर्स कर्म सेल्स, रायपुर	81.93	प्रगतिरत
	8.	इंद्रावती भवन में ट्रास्फार्मर के रिपेयरिंग का कार्य	मेसर्स आर्या इलेक्ट्रीकल, रायपुर	9.00	पूर्ण
	9.	मंत्रालय भवन इंद्रावती भवन में सी.सी.टी. वी. कैमरा, के रिप्लेसमेंट/इंस्टालेशन का कार्य	मेसर्स आई विज्रन, रायपुर	38.51	पूर्ण
	10.	महानदी भवन एवं इन्द्रावती भवन में एल. ई. डी. लाइट सप्लाई स्थापित करने तथा इलेक्ट्रीकल आईटम सप्लाई का कार्य	मेसर्स आर.के. लाला , रायपुर	29.31	पूर्ण
	11.	मंत्रालय भवन में यूपीएस का वार्षिक संचालन, संधारण एवं रखरखाव- का कार्य	मेसर्स इनसिक टेक्नोलाजी, नई दिल्ली	97.82	पूर्ण
	12.	मंत्रालय -महानदी भवन एवं संचालनालय इन्द्रावती, कैपिटल काम्पलेक्स नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर-19 में अग्निशमन सामग्रियों की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य	मेसर्स लेदर टेक, कोरबा	12.55	पूर्ण
		वर्ष 2021-22 का कुल भुगतान राशि रू. (लाख में)		1179.42	

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

2022-23					
	1.	जोनल कॉन्ट्रेक्ट-मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के लिये आंतरिक साज-सज्जा का अतिरिक्त/ विषेष मरम्मत का कार्य।	मे. विकास एसोसियेट कोरबा।	198.03	पूर्ण
	2.	संचालनालय इंद्रावती भवन एवं राजधानी परिसर का वार्षिक सुविधा प्रबंधन सेवा प्रदाय कार्य।	मे. टॉपग्रेड मैनपावर एंड सिक्योरिटी सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, राजनांदगांव	468.05	प्रगतिरत्
	3.	सेक्टर 24, नया रायपुर में स्थित प्लॉट संख्या 7 और 8 पर कार्यालय परिसर भवनों और सेवाओं के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा प्रदाता	मेसर्स एबीपी ट्रैवल्स एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, गुडगांव	91.87	प्रगतिरत्
	4.	नया रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय महानदी भवन में जल उपचार संयंत्र, आरओ प्लांट (घरेलू आरओ सहित) का वार्षिक रखरखाव कार्य।	मे. एक्वा साल्यूशन प्रा0 लि0 इंदौर।	24.03	पूर्ण
	5.	सीबीडी, सेक्टर 21, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (सीजी) में हाई-स्ट्रीट के साथ वाणिज्यिक टॉवर ए एंड सी और रिटेल बिल्डिंग ई09 ए एंड बी और ई10 ए एंड बी कॉम्प्लेक्स के लिए सुविधा प्रबंधन सेवा प्रदाता।	मे. काल मी सर्विसेस, रायपुर।	209.78	प्रगतिरत्
	6.	सेंट्रल बुलेवार्ड का संचालन / संधारण एवं अनुरक्षण।	मे. रायपुर कन्सट्रक्शन प्रा. लि., रायपुर	105.72	प्रगतिरत
	7.	नवा रायपर अटल नगर के विभिन्न सेक्टरों में 31 पम्प हाउसों का संचालन एवं रखरखाव कार्य।	मेसर्स द्रोणकर एण्ड ब्रदर्स, इंदौर	160.06	पूर्ण
	8.	इंद्रावती भवन में एलिवेटर का वार्षिक संचालन, संधारण एवं रखरखाव	मेसर्स ओटिस एलिवेटर, रायपुर	40.97	प्रगतिरत
	9.	मंत्रालय भवन एवं इंद्रावती भवन - यूपीएस का वार्षिक संचालन, संधारण एवं रखरखाव	मेसर्स इनसिक टेक्नोलाजी, रायपुर	58.61	प्रगतिरत
	10.	ऑफिस काम्पलेक्स सेक्टर 24, रिटेल काम्पलेक्स एवं कामर्शियल काम्पलेक्स एवं पर्यावास भवन में स्थापित लिफ्ट एवं एस्केलेटर के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य।	मेसर्स टी. के. एलिवेटर, रायपुर	60.85	प्रगतिरत
	11.	इमर्शिव डोम के स्क्रीन के रिपलेस्मेंट का कार्य	मेसर्स फुल डोम प्रो. नोएडा	64.90	पूर्ण
		वर्ष 2022-23 का कुल भुगतान राशि रू. (लाख में)		1482.87	
2023-24					
	1.	नवा रायपुर अटल नगर सी.जी. में 9 नग बस शेल्टर, 2 बस पिकअप पॉइंट और बस डिपो में डेंटिंग-पेंटिंग और इलेक्ट्रिकल रखरखाव कार्य।	में. के.डी. सिंह	7.22	प्रगतिरत
	2.	सेक्टर 27 का रखरखाव।	मे. साई शांति शिक्षण समिति, भिलाई	91.22	प्रगतिरत
	3.	सेक्टर 29 का रखरखाव।	मे. साई शांति शिक्षण समिति, भिलाई	65.40	प्रगतिरत
	4.	एयरपोर्ट वीआईपी रोड जंक्शन से चीचा चौक, एकात्म पथ और नवा रायपुर अटल नगर (छत्तीसगढ़) में दीनदयाल उपाध्याय चौक से कोटराभाठा चौक तक पारिस्थितिक हरित और सघन पर्यावरण कॉरिडोर का संचालन और रखरखाव।	में. आर. के. इंफ्रास्ट्रक्चर, रायपुर	63.40	प्रगतिरत
	5.	नवा रायपुर अटल नगर के विभिन्न क्षेत्रों से ठोस अपशिष्ट का संग्रहण एवं निपटान कार्य।	मेसर्स कॉल मी सर्विसेस, रायपुर	140.00	प्रगतिरत
	6.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 21 एवं 24 में स्थित रिटेल काम्पलेक्स, कमर्शियल काम्पलेक्स एवं ऑफिस काम्पलेक्स में विद्युत सिस्टम (एच टी एवं एल टी) , आंतरिक विद्युतीकरण, डी.जी सेट, यूपीएस एवं फायर अलार्म सिस्टम के वार्षिकी रखरखाव का कार्य	मेसर्स आर.के. लाला, रायपुर	48.57	प्रगतिरत

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

	7.	नवा रायपुर अटल नगर में स्थित पर्यावास भवन, सेक्टर-19 में एच.व्ही.ए.सी. सिस्टम के वार्षिकी रखरखाव का कार्य	मेसर्स ब्लू स्टार, नागपुर	0.00	प्रगतिरत
	8.	नवा रायपुर अटल नगर के सेक्टर 21में स्थित रिटेल काम्पलेक्स एवं कमर्शियल काम्पलेक्स में एच.व्ही.ए.सी. सिस्टम के वार्षिकी रखरखाव का कार्य	शिनिरियो सुविधा इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर	14.65	प्रगतिरत
	9.	नवा रायपुर अटल नगर में स्थित पर्यावास भवन, सेक्टर-19 में विद्युत सिस्टम (एच टी एवं एल टी) , आंतरिक विद्युतीकरण, डी.जी सेट, यूपीएस एवं फायर अलार्म सिस्टम के वार्षिकी रखरखाव का कार्य	मेसर्स आर.के. लाला, रायपुर	0.00	प्रगतिरत
	10.	नवा रायपुर अटल नगर के शहरीय स्तरीय स्ट्रीट लाईट के वार्षिकी रखरखाव का कार्य	मेसर्स आर.के. लाला, रायपुर	54.82	प्रगतिरत
	11.	ऑफिस काम्पलेक्स सेक्टर 24, रिटेल काम्पलेक्स एवं कामर्शियल काम्पलेक्स में स्थापित डी.जी. सेट्स के वार्षिक अनुरक्षण का कार्य।	मेसर्स स्टर्लिंग एण्ड विल्सन, रायपुर	39.43	प्रगतिरत
	12.	महानदी भवन में वाटर कूलर के सप्लाई का कार्य	मेसर्स विनायक इंटरप्राजेस, रायपुर	8.29	पूर्ण
	13.	इन्द्रावती भवन में वाटर कूलर के सप्लाई का कार्य	मेसर्स हर्ष इंटरप्राजेस	8.85	पूर्ण
	14.	महानदी भवन, इन्द्रावती भवन एवं पर्यावास भवन में स्थापित ऑडियो विडियो सिस्टम के वार्षिक रख-रखाव का कार्य।	मेसर्स सुरभि इंटरप्राजेस, रायपुर	0.00	प्रगतिरत
	15.	महानदी भवन एवं इन्द्रावती भवन में एच.व्ही.एसी. एवं स्पिलिट एसी का वार्षिक संचालन, संधारण एवं रखरखाव का कार्य।	शिनिरियो सुविधा इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड, रायपुर	0.00	प्रगतिरत
	16.	केपिटल काम्पलेक्स, सेक्टर-19 में विद्युत का वार्षिक संचालन संधारण एवं रखरखाव का कार्य।	मेसर्स आर.के. लाला, रायपुर	0.00	प्रगतिरत
	17.	महानदी भवन एवं इन्द्रावती भवन एवं सीसीआईडी सेक्टर-19 में इलेक्ट्रीकल सामग्रियों का सप्लाई का कार्य।	मेसर्स सुपरटेक सल्यूशन, रायपुर	0.00	प्रगतिरत
		वर्ष 2023-24 का कुल भुगतान राशि (लाख रू. में)		541.85	
		वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 तक हुए सकल भुगतान की राशि (लाख रू. में)		11898.00	

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

नियम 46 (2) के अंतर्गत परिवर्तित अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट - सोलह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्र. 100) की जानकारी

प्रपत्र

वित्तीय वर्ष 2022–23 से 28 जून 2024 तक रायगढ़ जिले में छात्रावासों हेतु क्रय की गई सामग्री का नाम, दर एवं फर्म की जानकारी

क्र	सामग्री का नाम	दर	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम
1	2	3	4
वित्तीय वर्ष 2022–23			
1	पलंग	4590.00	मेसर्स सांवडिया स्टील इण्ड खरसिया
2	गद्दा	2097.00	मेसर्स एस.एस. इण्ड. राजनांदगांव
3	तकिया	421.00	मेसर्स एस.एस. इण्ड. राजनांदगांव
4	गंज एल्युमूनियम	1785.00	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
5	ढक्कन एल्युमूनियम	385.00	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
6	कढ़ाई एल्युमूनियम	1820.00	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
7	गंज स्टील	2012.00	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
8	पानी टंकी स्टील	1066.00	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
9	प्लास्टीक बाल्टी	330.00	मेसर्स सारथी इण्ट. भिलाई
10	डस्टबीन	1800.00	मेसर्स सारथी इण्ट. भिलाई
11	कुकर 22 ली.	5200.00	मेसर्स ऑरियेंटल सेल्स कॉ. रायपुर
12	एक्जीक्यूटिव चेयर	2700.00	मेसर्स महावीर इण्ड रावेलिडीह
13	विजिटर चेयर	2079.00	मेसर्स महावीर इण्ड रावेलिडीह
14	लोवर	427.02	मेसर्स मनोज स्पोर्टस बिलासपुर
15	अपर	427.02	मेसर्स मनोज स्पोर्टस बिलासपुर
16	स्पोर्टस शू	879.56	मेसर्स मनोज स्पोर्टस बिलासपुर
17	वार्म अप शू	879.56	मेसर्स मनोज स्पोर्टस बिलासपुर
18	सॉक्स	47.50	मेसर्स वरूण इण्ट. बिलासपुर
19	टी–शर्ट फॉर गर्ल्स	237.02	मेसर्स वरूण इण्ट. बिलासपुर
20	हॉफ पैंट फॉर गर्ल्स	237.02	मेसर्स वरूण इण्ट. बिलासपुर
21	फिनाईल	99.00	मेसर्स धनवंतरी केमिकल्स बिलासपुर
22	पंखा	2030.00	मेसर्स आर.के. ट्रेडिंग रायपुर
23	रेगुलेटर	210.00	मेसर्स आर.के. ट्रेडिंग रायपुर
24	प्लास्टीक बाल्टी	300.00	मेसर्स श्री राम क्रीएशन रायपुर
25	प्लास्टीक मग्गा	40.00	मेसर्स श्री राम क्रीएशन रायपुर
26	प्लास्टीक डस्टबीन	1600.00	मेसर्स श्री राम क्रीएशन रायपुर
27	मच्छरदानी	258.00	मेसर्स महावीर इण्ड रावेलिडीह
28	गद्दा	3800.00	मेसर्स श्री बालाजी इण्ड कोरबा
29	कटोरी	27.00	मेसर्स सोनचिरईयां कॉ. रायपुर

क्र	सामग्री का नाम	दर	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम
1	2	3	4
30	दालपात्र	306.00	मेसर्स सोनचिरईयां कॉ. रायपुर
31	चौमुखा	486.00	मेसर्स सोनचिरईयां कॉ. रायपुर
32	स्टील जग	180.00	मेसर्स सोनचिरईयां कॉ. रायपुर
33	पलंग	3884.00	मेसर्स हरि ओम उद्योग खरसिया
34	पलंग	3884.00	मेसर्स सांवडिया स्टील इण्ड. खरसिया
		वित्तीय वर्ष 2023–24	
1	पंखा	2030.00	मेसर्स सांई टेक्नो सेल्स रायपुर
2	वॉल फैन	3389.00	मेसर्स आर.के. ट्रेडिंग रायपुर
3	एलईडी बल्ब 20 वॉट	304.00	मेसर्स मनीष इले. राजनांदगांव
4	पलंग	3884.00	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
5	पलंग	3884.00	मेसर्स शर्मा स्टील इण्ड. खरसिया
6	थाली	216.00	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
7	कटोरी	27.00	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
8	गिलास	45.00	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
9	फिनाईल	99.00	मेसर्स धनवंतरी केमिकल्स बिलासपुर
10	मच्छरदानी	277.00	मेसर्स छ.ग. सुपर सेल्स सुरजपुर
11	गद्दा	3800.00	मेसर्स श्री बालाजी इण्ट. कोरबा
12	गिलास	34.50	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
13	भगोना	1428.00	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
14	कढ़ाई	1456.00	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
15	थाली	145.75	मेसर्स मनीषा इण्ड.सक्ति
16	कुकर	4800.00	मेसर्स सालासर एसोसिएट
17	कुकर	4800.00	मेसर्स सालासर एसोसिएट
18	मच्छरदानी	175.00	मेसर्स श्री बालाजी हस्थ उद्योग
19	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट	2300.00	मेसर्स मनीष इले. राजनांदगांव
20	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट	2300.00	मेसर्स मनीष इले. राजनांदगांव
21	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट	2300.00	मेसर्स मनीष इले. राजनांदगांव
22	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट	2300.00	मेसर्स मनीष इले. राजनांदगांव
23	एल.ई.डी. स्ट्रीट लाईट	2300.00	मेसर्स मनीष इले. राजनांदगांव
24	गद्दा	4180.00	मेसर्स उन्नती वेंचर पराग फेब्रिकेशन एण्ड फर्नीचर रायपुर
25	गद्दा	4180.00	मेसर्स उन्नती वेंचर पराग फेब्रिकेशन एण्ड फर्नीचर रायपुर
26	गद्दा	4180.00	मेसर्स उन्नती वेंचर पराग फेब्रिकेशन एण्ड फर्नीचर रायपुर
27	गद्दा	4180.00	मेसर्स उन्नती वेंचर पराग फेब्रिकेशन एण्ड फर्नीचर रायपुर
28	गद्दा	4180.00	मेसर्स उन्नती वेंचर पराग फेब्रिकेशन एण्ड फर्नीचर रायपुर
29	गद्दा	4180.00	मेसर्स उन्नती वेंचर पराग फेब्रिकेशन एण्ड फर्नीचर रायपुर
30	स्टूडेंट चेयर	1319.00	मेसर्स अजय इण्ड बिलासपुर
31	स्टूडेंट टेबल	1438.00	मेसर्स अजय इण्ड बिलासपुर
32	स्टूडेंट चेयर	1319.00	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़

क्र	सामग्री का नाम	दर	सामग्री आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम
1	2	3	4
33	स्टूडेंट टेबल	**1438.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
34	स्टूडेंट चेयर	**1319.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
35	स्टूडेंट चेयर	**1319.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
36	स्टूडेंट चेयर	**1319.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
37	स्टूडेंट चेयर	**1319.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
38	स्टूडेंट चेयर	**1319.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
39	स्टूडेंट चेयर	**1319.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
40	स्टूडेंट टेबल	**1438.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
41	स्टूडेंट टेबल	**1438.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
42	स्टूडेंट टेबल	**1438.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
43	स्टूडेंट टेबल	**1438.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
44	स्टूडेंट टेबल	**1438.00**	मेसर्स गर्ग फेब्रिकेशन रायगढ़
45	फिनाईल	**99.00**	मेसर्स धनवंतरी केमिकल्स बिलासपुर
46	फिनाईल	**99.00**	मेसर्स धनवंतरी केमिकल्स बिलासपुर
47	फिनाईल	**99.00**	मेसर्स धनवंतरी केमिकल्स बिलासपुर
48	फिनाईल	**99.00**	मेसर्स धनवंतरी केमिकल्स बिलासपुर
49	फिनाईल	**99.00**	मेसर्स धनवंतरी केमिकल्स बिलासपुर
वित्तीय वर्ष 2024–25 (28 जून 2024 तक)			
निरंक			

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - सत्रह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 275) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	अवधि	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या				वितरित भूमि (हेक्टे.में)			
		व्यक्तिगत			सामुदायिक	व्यक्तिगत			सामुदायिक
		एसटी	ओटीएफडी	योग		एसटी	ओटीएफडी	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2021–22	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
2	2022–23	1463	777	2240	0	1153.877	164.983	1318.860	0.000
3	2023–24	566	13	579	0	138.201	11.821	150.022	0.000
4	2024–25 (जून, 2024 तक)	0	0	0	0	0.000	0.000	0.000	0.000
योग		**2029**	**790**	**2819**	**0**	**1292.078**	**176.804**	**1468.882**	**0.000**

अनुभाग अधिकारी
अ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - अट्ठारह

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 3 (क्र. 277) की जानकारी

प्रपत्र

कोरबा जिले में संचालित वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योगों द्वारा जून, 2024 तक की स्थिति में किये गये वृक्षारोपण/ग्रीन बेल्ट विकास की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	वृक्षारोपण का लक्ष्य	परिसर के अंदर रोपित वृक्षों की संख्या	जीवित वृक्षो की संख्या	लक्ष्यपूर्ति हेतु शेष वृक्षारोपण की संख्या	की गई कार्यवाही/ टीप
1.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड, मेगावॉट 2600 विद्युत संयंत्र जमनीपाली, जिला(.ग.छ) कोरबा-	1798500	2132000	1790000	निरंक	-
2.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, विद्युत संयंत्र एवं स्मेल्टर बालको नगर जिला-(.ग.छ) कोरबा	664000	664000	560500	निरंक	-
3.	मेसर्स छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, कोरबा (पश्चिम)840+मेगावॉट 500 (.ग.छ) कोरबा-विद्युत संयंत्र जिला	138380	139955	130158	निरंक	-
4.	डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, छ.ग. राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, कोरबा (पूर्व)500 मेगावॉट विद्युत संयंत्र कोरबा, जिला-(.ग.छ) कोरबा	51870	51870	51300	निरंक	-
5.	मेसर्स लैंको अमरकंटक पॉवर लिमिटेड, 600 मेगावॉट, ग्रामपताढ़ी-, पोस्टतिलकेजा -, तहसील-कोरबा, जिला(.ग.छ) कोरबा-	212000	243000	205926	निरंक	-
6.	मेसर्स एप्राईवेट लिमिटेड (इंडिया) .बी.सी., 270 मेगावॉट विद्युत संयंत्र, ग्रामचाकाबुड़ा-, जिला-(.ग.छ) कोरबा	88960	128000	92258	निरंक	-
7.	मेसर्स एप्राईवेट लिमिटेड (इंडिया) .बी.सी., 30+मेगावॉट विद्युत संयंत्र 30, ग्रामचाकाबुड़ा-, जिला(.ग.छ) कोरबा-	8000	13650	10920	निरंक	-
8.	मेसर्स एप्राईवेट लिमिटेड (इंडिया) .बी.सी., 50+मेगावॉट विद्युत संयंत्र 50, एवं कोलवॉशरी संयंत्र, ग्रामरतिजा-, तहसीलकटघोरा-, जिला-(.ग.छ) कोरबा	64200	65500	64400	निरंक	-
9.	मेसर्स एप्राईवेट लिमिटेड (इंडिया) .बी.सी., 60 मेगावॉट विद्युत संयंत्र एवं कोलवॉशरी, ग्रामरेंकी-, तहसीलपाली-, जिला(.ग.छ) कोरबा-	85000	91210	86300	निरंक	-
10.	मेसर्स मारूति क्लीन कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, एमटीपीए 6.6 कोलवॉशरी संयंत्र, ग्रामरतीजा-, तहसीलपाली-, जिला(.ग.छ) कोरबा-	12510	12510	12047	निरंक	-
11.	मेसर्स मारूति क्लीन कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, मेगावॉट विद्युत संयंत्र 300, ग्रामबांधाखार - पाली-तहसील, जिला(.ग.छ) कोरबा-	151000	199990	166160	निरंक	-
12.	मेसर्स एइंडिया लिमिटेड.बी.सी., चाकाबुड़ा कोलवॉशरी एमटीपीए 7.5, ग्रामचाकाबुड़ा-, जिला(.ग.छ) कोरबा-	7190	10610	7235	निरंक	-
13.	मेसर्स एइंडिया लिमिटेड.बी.सी., बिंजरी कोलवॉशरी एमटीपीए 4.8, ग्रामबिंजरी-, तहसील-कटघोरा, जिला(.ग.छ) कोरबा-	3000	3000	2900	निरंक	-
14.	मेसर्स एइंडिया लिमिटेड.बी.सी., कोलवॉशरी 14 एमटीपीए, ग्रामबेलटिकरी-, तहसीलकटघोरा-, जिला(.ग.छ) कोरबा-	4120	4120	4045	निरंक	-
15.	मेसर्स एइंडिया लिमिटेड.बी.सी., दीपका कोलवॉशरी एमटीपीए 6.25, ग्रामदीपका-, जिला(.ग.छ) कोरबा-	5550	5550	5500	निरंक	-
16.	मेसर्स एइंडिया लिमिटेड.बी.सी., कोलवॉशरी 11 एमटीपीए, ग्रामरतीजा-, तहसीलकटघोरा-, जिला(.ग.छ) कोरबा-	9880	11750	10460	निरंक	-

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

17.	मेसर्स मानिकपुर ओपन कास्ट कोल माईन एस.ई.सी.एल. कोरबा क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	658470	693501	521450	निरंक	-
18.	मेसर्स सरायपाली ओपन कास्ट कोल माईन, एस.ई.सी.एल कोरबा क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	206730	68500	65000	138230	खदान में उत्खनन कार्य पूर्ण होने तक चरणबद्व तरीके से वृक्षरोपण किया जाना प्रस्तावित है ।
19.	मेसर्स रजगामार अण्डर ग्राउण्ड कोल माईन, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	92420	93500	69350	निरंक	-
20.	मेसर्स बलगी अण्डर ग्राउण्ड कोल माईन, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	45470	46000	33670	निरंक	-
21.	मेसर्स सुराकछार अण्डर ग्राउण्ड कोल माईन, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	126020	127500	89250	निरंक	-
22.	मेसर्स ढेल्वाडीह अण्डर ग्राउण्ड कोल माईन, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	2470	2500	1750	निरंक	-
23.	मेसर्स सिंघाली अण्डर ग्राउण्ड कोल माईन, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	9880	10000	7000	निरंक	-
24.	मेसर्स बगदेवा अण्डर ग्राउण्ड कोल माईन, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	9960	10000	7000	निरंक	-
25.	मेसर्स बाँकी अण्डर ग्राउण्ड कोल माईन, एसईसीएल कोरबा क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	51070	51670	36170	निरंक	-
26.	मेसर्स कुसमुण्डा ओपन कास्ट कोल माईन एस.ई.सी.एल. कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	1363295	2399249	2105118	निरंक	-
27.	मेसर्स गेवरा ओपन कास्ट कोल माईन एस.ई.सी.एल. गेवरा क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	3445226	4434381	4115798	निरंक	-
28.	मेसर्स दीपका ओपन कास्ट कोल माईन एस.ई.सी.एल. दीपका क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	1646000	2317000	1672000	निरंक	-
29.	मेसर्स के.जे.एस.एल. कोलवॉशरी, ग्राम-धतुरा, तहसील-कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	20000	22000	21500	निरंक	-
30.	मेसर्स हिमाद्री स्पेशिलिटी केमिकल लिमिटेड, ग्राम-झगरहा, तहसील-कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	1670	1800	1650	निरंक	-
31.	मेसर्स इण्डस उद्योग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-जमनीपाली, तहसील-करतला, जिला-कोरबा (छ.ग.)	6850	4000	3500	3350	उद्योग द्वारा अपेक्षित वृक्षारोपण किये जाने हेतु समयबद्ध कार्य योजना सहित बैंक गारंटी जमा की गयी है। उद्योग विगत 03 वर्षों से बंद है।
32.	मेसर्स इण्डो स्पंज पॉवर एण्ड स्टील लिमिटेड, ग्राम झगरहा, तहसील- कोरबा जिला-कोरबा (छ.ग.)	1850	1850	1850	निरंक	उद्योग विगत 03 वर्षों से बंद है।
33.	मेसर्स रानीअटारी अण्डर ग्राउंड कोल माईंस, एसईसीएल, चिरमिरी क्षेत्र, जिला-कोरबा (छ.ग.)	यह एक अण्डरग्राउण्ड कोल माईन है, जिसमें प्राकृतिक रूप से भूमि सतह पर पौधे/वृक्ष लगे हुए है। खदान प्रबंधन द्वारा 0.207 एकड़ में 210 पौधे रोपित किये गये है।				
34.	मेसर्स विजय वेस्ट अण्डर ग्राउण्ड कोल माईंस, एसईसीएल चिरमिरी क्षेत्र, तह. पोडी उपरोडा, जिला-कोरबा (छ.ग.)	यह एक अण्डरग्राउण्ड कोल माईन है, जिसमें प्राकृतिक रूप से भूमि सतह पर पौधे/वृक्ष लगे हुए है। खदान प्रबंधन द्वारा 0.13 एकड़ में 130 पौधे रोपित किये गये है।				

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय

35.	मेसर्स भारत एल्युमिनियम कंपनी लि., चोटिया-2 कोयला खदान, ग्राम-चोटिया जिला-कोरबा (छ.ग.)	237040	146239	131615	90801	खदान में उत्खनन कार्य पूर्ण होने तक चरणबद्व तरीके से वृक्षरोपण किया जाना प्रस्तावित है ।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - उन्नीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 383) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला -रायगढ़ में वर्ष 2021-22 से माह जून 2024 तक वन भूमि, कृषि भूमि तथा सड़कों के किनारे राखड़ डंप किये जाने की प्राप्त शिकायत एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	ग्राम शिकायत	शिकायत दिनांक एवं शिकायतकर्ता	उद्योग का नाम व पता	निरीक्षण दिनांक	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
01	ग्राम-खैरपाली, बसनाझर मार्ग के आस-पास आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से ग्राम मौखिक शिकायत दिनांक 04.04.2021	मेसर्स जे एस डब्लू स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, ग्राम-नहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	05.04.2021	निरीक्षण के दौरान उद्योग को फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा खैरपाली, बसनाझर मार्ग के बाई ओर डंप फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य किया गया है। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निष्पादित किया गया।
	एन एच रोड चारभाठा चौक स्थित ढाबा के बगल स्थित हरिश पटेल के जमीन पर आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	कार्यालय थाना प्रभारी भूपदेवपुर, जिला-रायगढ़ का पत्र दिनांक 06.07.2021		16.07.2021	मंडल के पत्र दिनांक 16.07.2021 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश हटाने एवं अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था बनाने के संबंध में पत्र जारी कर समतलीकरण कार्य कराया गया।	फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निष्पादित किया गया।
	एन एच 49 पटेल ढाबा के समीप श्री मोहनलाल पटेल व श्री मदनलाल पटेल, ग्राम-धनागर, तहसील व जिला-रायगढ़ के जमीन पर फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	आवेदक श्री मोहनलाल पटेल का पत्र दिनांक 20.02.2023		15.03.2023	मंडल के पत्र दिनांक 31.03.2023 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश के समतलीकरण एवं मिट्टी की परत बिछाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निष्पादित किया गया।
	ग्राम-धनागर, तहसील व जिला-रायगढ़ में नेशनल हाईवे के दोनो ओर एवं कृषि भूमि में अवैध फ्लाई ऐश का अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से ग्राम मौखिक शिकायत दिनांक 13.03.2023		13.03.2023 से 16.03.2023	मंडल के पत्र दिनांक 20.03.2023 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश हटाने, अपवहन हेतु समुचित व्यवस्था बनाने, समतलीकरण करने एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 2,14,830.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निष्पादित किया गया।
02	रायगढ़-खरसिया मार्ग में लोड़ाझर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से ग्राम मौखिक शिकायत दिनांक 23.02.2022	मेसर्स स्काई एलायंज एण्ड पॉवर प्राईवेटलिमिटेड, ग्राम-टेमरेमा, जिला-रायगढ़	23.02.2022	उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निष्पादित किया गया।
03	ग्राम-धनागर नेशनल हाईवे के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	न्यायालय नायब तहसीलदार रायगढ़ का पत्र दिनांक 06.12.2021	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला-रायगढ़	08.12.2021	मंडल के पत्र दिनांक 16.12.2021 एवं 03.02.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	वर्तमान में फ्लाई ऐश का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई है। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निष्पादित किया गया।
	एन एच 49 पटेल ढाबा के समीप श्री मोहनलाल पटेल व श्री मदनलाल पटेल, ग्राम-धनागर, तहसील व जिला-रायगढ़ के जमीन पर फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	आवेदक श्री मोहनलाल पटेल का पत्र दिनांक 20.02.2023		15.03.2023	मंडल के पत्र दिनांक 31.03.2023 द्वारा उद्योग को समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निष्पादित किया गया।
04-	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से ग्राम मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	सिंघल इंटरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-लेराईमाल, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निष्पादित किया गया।
05-	रायगढ़-पुंजीपथरा सड़क	समाचार पत्र से	मेसर्स जिंदल पॉवर	01.11.2021	मंडल के पत्र दिनांक	उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश हटाई

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

	किनारे ग्राम-चिरोईपानी एवं लाखा आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	प्रकाशित दिनांक 01.11.2021	लिमिटेड, ग्राम-नमनार, जिला-रायगढ़		02.11.2021 द्वारा सामाजिक समाचार पत्र रायगढ़ दर्पण में प्रकाशित अनियमित एवं अवैधानिक रूप से सड़क के किनारे अपवहन किये जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	गई। उद्योग प्रबंधन द्वारा फ्लाई ऐश भराव हेतु अनुमति प्राप्त कर चिन्हित स्थल पर फ्लाई ऐश का अपवहन किया जा रहा है। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
06-	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से ग्राम मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	मेसर्स वी एस स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
07-	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से ग्राम मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	मेसर्स एन आर इस्पात एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गौरमुडी, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
08-	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से ग्राम मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	मेसर्स एन आर एल स्टील लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
09-	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से ग्राम मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	मेसर्स सिंघल इनर्जी लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
10-	सामारूमा नाले के समीप जिला-रायगढ़ आदि में फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से ग्राम मौखिक शिकायत दिनांक 12.01.2022	मेसर्स अंजनी स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उजलेश्वरपुर, जिला-रायगढ़	12.01.2022	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु पत्र जारी किया गया।	फ्लाई ऐश डंप स्थल का समतलीकरण किया जाकर मिट्टी की परत बिछाई गई। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
11-	ग्रामपंचायत- उमरिया द्वारा फ्लाई ऐश डालने के लिये एन ओ सी दिया गया है। फ्लाई ऐश डालने के बाद मिट्टी की परत नहीं बिछाई गई है जिससे मेन रोड में आ जाने से आने-जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है।	ऑनलाईन के माध्यम से ग्राम शिकायत दिनांक 05.11.2022	मेसर्स एन टी पी सी लारा, सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील -पुसौर, जिला-रायगढ़	15.12.2022	सरपंच ग्राम पंचायत-उमरिया द्वारा बताया गया कि स्थल पर कामप्लेक्स निर्माण हेतु फ्लाई ऐश का उपयोग किया गया है। अनुमति की आवश्यकता के संबंध में जानकारी के अभाव में अनुमति नहीं ली गई है।	उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
12-	ग्राम-माहपल्ली मार्ग से लगे समीप भूमि पर फ्लाई ऐश का अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन किया जाना पाया गया।	दैनिक समाचार पत्र "पत्रिका" में प्रकाशित खबर कार्यालय कलेक्टर, जिला-रायगढ़ से इस कार्यालय में आवक दिनांक 11.03.2024	मेसर्स एम एस पी स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, जिला-रायगढ़	21.03.2024	मंडल के पत्र दिनांक 22.03.2024 द्वारा उद्योग पर 4,50,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 4,50,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
13-	एन एच 49 पटेल ढाबा के समीप श्री मोहनलाल पटेल व श्री मदनलाल पटेल, ग्राम-धनागर, तहसील व जिला-रायगढ़ के जमीन पर फ्लाई ऐश अपवहन के संबंध में।	आवेदक श्री मोहनलाल पटेल का पत्र दिनांक 20.02.2023	मेसर्स एस.के.एस. पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम बिजकोट एवं दर्रीमुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	15.03.2023	मंडल के पत्र दिनांक 31.03.2023 द्वारा उद्योग को समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा समाधान कारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	ग्राम-धनागर, तहसील व	कलेक्टर जन चौपाल के		20.03.2023	मंडल के पत्र दिनांक	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

	जिला-रायगढ़ में नेशनल हाईवे के समीप फ्लाई ऐश का अवैध अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन के संबंध में।	मध्यम से ग्राम शिकायत दिनांक 20.03.2023			24.03.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।	42,150.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	खरसिया राष्ट्रीय राजमार्ग-49 में अवैध फ्लाई ऐश डंप करने वाले ट्रांसपोर्टर श्री जगदीश मित्तल ऊपर कानूनी कार्यवाही करने बाबत्।	फ्लाई ऐश बॉट्म ऐश हेल्प लाईन नंबर में दिनांक 11.05.2023		12.05.2023	मंडल के पत्र दिनांक 16.05.2023 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 29,865.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	ग्राम-कुरूभांठा मार्ग से जामपाली मार्ग के मध्य खेत में फ्लाई ऐश का अवैध अपवहन किये जाने के संबंध में	फ्लाई ऐश बॉट्म ऐश हेल्प लाईन नंबर में दिनांक 07.10.2023		11.10.2023	मंडल के पत्र दिनांक 11.10.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 16.02.2024 के मध्यम से वाहन अचानक ग्राम-कुरूभांठा से जामपाली के मध्य सड़क में ब्रेक फेल होने के कारण अनियंत्रित हो कर फ्लाई ऐश सड़क किनारे खेत में जा गिरने एवं उक्त स्थल में गिरे फ्लाई ऐश को हटाया जा कर सफाई किये जाने की जानकारी प्रस्तुत की गई है। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
	आवेदक घर के सामने राखड़ डंप करने के विरूध्द शिकायत।	आवेदक श्री राजकुमार पटेल का शिकायत पत्र दिनांक 27.05.2024		12.06.2024	मंडल के पत्र दिनांक 12.06.2024 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु 29,865.00 अधिरोपित किया गया।	उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
14.	आवेदक के कृषि भूमि में गिराये गये डस्ट को हटाये जाने तथा क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि दिलाये जाने का आदेश के बाद भी टी.आर.एन. कंपनी के द्वारा न तो मुआवजा दिया गया और न ही खेत को समतलीकरण एवं न ही सफाई किया गया के विरुद्ध शिकायत।	कलेक्टर जन चौपाल के मध्यम से ग्राम शिकायत दिनांक 11.06.2024	मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवापारा, टेण्डा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	20.06.2024	मंडल के पत्र दिनांक 20.06.2024 द्वारा शिकायतकर्ता श्री दुकालू राम, पिता श्री डहरू, निवासी-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ के ग्राम-घरघोड़ा स्थित खसरा क्रमांक-269/1, 269/3, 269/5, 277, 230, 270/22, रकबा-1.286 हेक्टेयर में बल पूर्वक डस्ट डाले जाने एवं सफाई नहीं कराये जाने के कारण कृषक द्वारा कृषि नहीं कर पाने की शिकायत के संबंध में स्पष्टीकरण बाबत् पत्र निर्देशित किया गया है।	उद्योग द्वारा पत्र दिनांक 13.07.2024 के मध्यम से क्षतिपूर्ति मुआवजा राशि अनुविभागीय अधिकारी (रा0), घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ में जमा किये जाने की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
15.	ग्रामगेरवानी के जंगलों - एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले फ्लाई ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत्।	जन समस्या निवारण शिविर के तहत् ग्राम शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स श्री श्याम इस्पात (इण्डिया) प्राईवेट., लिमिटेड ग्रामतराईमाल-, जिलारायगढ़-	31.05.2022	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।	निर्देश उपरांत उक्त स्थल में फ्लाई ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
16.	ग्रामगेरवानी के जंगलों - एवं किसानों के खेतों में उद्योगसे निकलने वाले फ्लाई ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत्।	जन समस्या निवारण शिविर के तहत् ग्राम शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स नवदुर्गा फ्युल्स प्राईवेट., लिमिटेड ग्राम-सराईपाली, जिला-रायगढ़	31.05.2022	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।	निर्देश उपरांत उक्त स्थल में फ्लाई ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
17.	ग्रामगेरवानी के जंगलों - एवं किसानों के खेतों में उद्योग से निकलने वाले ऐश का अवैध रूप फ्लाई से डालने की समस्या बाबत्।	जन समस्या निवारण शिविर के तहत् ग्राम शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स माँ काली एनर्जीयस प्राईवेट लिमिटेड., ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़	31.05.2022	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।	निर्देश उपरांत उक्त स्थल में फ्लाई ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

	ग्राम-लाखा केलोडेम मोड़ के पास स्थित भूमि पर फ्लाई ऐश का अवैध अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन के संबंध में।	दूरभाष से ग्राम मौखिक शिकायत दिनांक 09.10.2023		10.10.2023	मंडल के पत्र दिनांक 10.10.2023 द्वारा उद्योग पर 9,80,000.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 9,80,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
18.	ग्रामगोरखानी के जंगलों - किसानों के खेतों में एवं वाले उद्योग से निकलने फ्लाई ऐश का अवैध रूप से डालने की समस्या बाबत्।	जन समस्या निवारण शिविर के तहत् ग्राम शिकायत दिनांक 05.05.2022	मेसर्स रावगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्रामदेवारी-, जिलारायगढ़-	31.05.2022	मंडल के पत्र दिनांक 31.05.2022 द्वारा उद्योग को फ्लाई ऐश का अपवहन तत्काल बंद करने हेतु निर्देशित किया गया।	निर्देश उपरांत उक्त स्थल में फ्लाई ऐश का अपवहन बंद किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

वर्ष 2021-22 से माह जून 2024 तक जिला रायगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों से जनित फ्लाई ऐश के परिवहन में पाई गई अनियमित्ताओं के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र	उद्योग का नाम व पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
1	मेसर्स जे एस डब्ल्यू स्पेशल प्रोडक्ट लिमिटेड, ग्राम-नाहरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	05.05.2023	उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 10.05.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 52,695.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		25.05.2023	ग्राम झरना से पतरापाली मार्ग में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 26.05.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 66,495.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		06.06.2023	राष्ट्रीय राज्य मार्ग 49 में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 06.06.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 55,020.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		13.07.2023	चन्द्रपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 14.07.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 37,350.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		29.05.2024	राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक-49 में रायगढ़ से चापले के मध्य फ्लाई ऐश का अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन किया जाना पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 29.05.2024 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु 60,000.000 अधिरोपित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 60,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		12.06.2024	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर पर दिनांक 02.06.2024 को ग्राम शिकायत	मंडल के पत्र दिनांक 12.06.2024 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु 55,350.000 अधिरोपित किया गया।	उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
		18.06.2024	राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक-49 में रायगढ़ से चापले के मध्य फ्लाई ऐश का अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन किया जाना पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 18.06.2024 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रु 60,000.000 अधिरोपित किया गया।	उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
2	मेसर्स एस के एस पॉवर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम बिंजकोट एवं दर्रामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला रायगढ़	12.05.2023	उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 15.05.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 25,905.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		24.05.2023	राष्ट्रीय राज्य मार्ग 49 में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 24.05.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 2,24,342.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		06.06.2023	राष्ट्रीय राज्य मार्ग 49 में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 06.06.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 52,680.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		12.07.2023	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर में दिनांक 12.07.2023 को फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमिताओं के संबंध में जानकारी ग्राम हुई।	मंडल के पत्र दिनांक 14.07.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 50,865.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		18.07.2023	राष्ट्रीय राज्य मार्ग 49 में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 19.07.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 1,74,735.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

		03.03.2024	पलगड़ा से राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के मध्य में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितताएं पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 04.03.2024 द्वारा उद्योग पर 42,720.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 42,720.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
3	सिंघल इंटरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नराईमाल, जिला-रायगढ़	12.09.2023	अनुविभागीय अधिकारी, तमनार जिला-रायगढ़ के पत्र दिनांक 12.09.2023 द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।	मंडल के पत्र दिनांक 12.09.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 41,790.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
4	मेसर्स जिंदल पॉवर लिमिटेड ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़	11.01.2023	विकासखण्ड तमनार के सलिहाभाटा बैच में डोंगामहुआ फ्लाई ऐश के परिवहन में अनियमितताएं पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 13.01.2023 द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया।	उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		02.04.2024	तमनार मुख्य मार्ग में फ्लाई ऐश के परिवहन में अनियमितताएं पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 02.02.2024 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 9,63,195.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
5	मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड, ग्राम-बड़े भंडार, छोटे भंडार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	05.10.2023	राष्ट्रीय राजमार्ग 153 रायगढ़ से सारंगढ़ मार्ग में फ्लाई ऐश का परिवहन दौरान अनियमितताएं पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 10.10.2023 के मध्यम से उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 28,590.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
6	मेसर्स बी एस स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	18.05.2023	रायगढ़ से खरसिया राज्य मार्ग में फ्लाई ऐश के अपवहन दौरान अनियमितताएं पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 19.05.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 85,335.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		13.07.2023	चन्द्रपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितताएं पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 14.07.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 1,13,865.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
7	मेसर्स एन टी पी सी लिमिटेड, लारा सुपर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	15.02.2023	ग्राम-नवापारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ में फ्लाई ऐश का परिवहन दौरान राख का लिकेज तथा वाहनों में उका तारपोलिन क्षतिग्रस्त पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 17.02.2023 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		06.03.2023	उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितताएं पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 06.03.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 1,06,172.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		17.03.2023	उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितताएं पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 17.03.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 1,00,000.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		03.05.2023	उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितताएं पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 03.05.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 1,12,500.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		16.05.2023	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर में दिनांक 16.05.2023 को फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमिताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।	मंडल के पत्र दिनांक 16.05.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 52,500.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		19.05.2023	राज्य मार्ग 49 में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितताएं पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 19.05.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 2,29,950.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		19.06.2023	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप्प हेल्प लाईन नंबर में दिनांक 19.06.2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमिताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।	मंडल के पत्र दिनांक 21.06.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 45,500.00 जमा करने हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

		11.06.2023	फ्लाई ऐश बॉट्म ऐश हेल्प लाईन नंबर में दिनांक 11.06.2023 को फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमिताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।	मंडल के पत्र दिनांक 13.06.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 58,200.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निस्तीबद्ध किया गया।
		05.07.2023	दूरभाष में दिनांक 05.07.2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग 153 में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमिताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।	मंडल के पत्र दिनांक 07.07.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 30,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निस्तीबद्ध किया गया।
		30.08.2023	दूरभाष में दिनांक 30.08.2023 को सारंगढ़ मार्ग में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमिताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।	मंडल के पत्र दिनांक 31.08.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 1,43,145.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निस्तीबद्ध किया गया।
		12.10.2023 एवं 17.10.2023	फ्लाई ऐश बॉट्म ऐश हेल्प लाईन नंबर में दिनांक 12.10.2023 एवं 17.10.2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग 153 में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमिताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।	मंडल के पत्र दिनांक 17.10.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 1,51,700.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निस्तीबद्ध किया गया।
		28.11.2023	राष्ट्रीय राजमार्ग 153 रायगढ़ से सारंगढ़ मार्ग में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमिताएं पाई गई।	उद्योग को दिनांक 29.11.2023 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम की धारा 31 "क" के तहत् को नोटिस जारी करते हुए उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 84,870.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निस्तीबद्ध किया गया।
		17.12.2023	फ्लाई ऐश बॉट्म ऐश हेल्प लाईन नंबर में दिनांक 17.12.2023 को राष्ट्रीय राजमार्ग 153 में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमिताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।	मंडल के पत्र दिनांक 21.12.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 48,000.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण निस्तीबद्ध किया गया।
		03.03.2024	उद्योग द्वारा फ्लाई ऐश का नाप्तोलिन में वर्क बिना परिवहन किये जाने एवं गीला फ्लाई ऐश का परिवहन रोड पर गिराते हुये किये जाने पर समय-समय पर उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई एवं दिनांक 29.11.2023 को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत् परिवहन के दौरान अनियमिता की पुनरावृत्ति नही किये जाने हेतु नोटिस जारी किया गया। उद्योग द्वारा दिनांक 03.03.2024 को दूरभाष पर राष्ट्रीय राज मार्ग क्रमांक-153 पर पुनः समुचित रूप से ढके बिना फ्लाई ऐश के परिवहन एवं परिवहन के दौरान रोड पर फ्लाई ऐश गिराने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई शिकायत सही पाई गई।	उद्योग द्वारा बार-बार परिवहन के दौरान अनियमिता की पुनरावृत्ति किये जाने एवं अपेक्षित सुधार नहीं किये जाने पर मंडल के पत्र दिनांक 14.03.2024 द्वारा उद्योग के ऊपर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि 30,90,000.00 रूपये अधिरोपित किया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 05.07.2024 द्वारा उद्योग को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

8	मेसर्स सालासर स्पंज एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-गेरवानी, जिला-रायगढ़	26.05.2023	ग्राम-गेरवानी से ग्राम-रावो मार्ग में फ्लाई ऐश परिवहन के दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 26.05.2023 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 27,795.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		14.06.2023	ग्राम-गेरवानी से ग्राम-रावो मार्ग में फ्लाई ऐश परिवहन के दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 15.06.2023 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 44,955.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		06.10.2023	ग्राम-बरपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ मार्ग में फ्लाई ऐश परिवहन के दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 10.10.2023 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 34,575.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		31.01.2024	ग्राम-गेरवानी से ग्राम-रावो मार्ग में फ्लाई ऐश परिवहनकर्ता के पास वैध दस्तावेज नहीं पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 02.02.2024 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 26,565.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
9	मेसर्स श्री श्याम इस्पात इंडस्ट्रीज़ प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, जिला-रायगढ़	25.05.2023	ग्राम-गेरवानी से ग्राम-रावो मार्ग में फ्लाई ऐश परिवहनकर्ता के पास वैध दस्तावेज नहीं पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 25.05.2023 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 1,32,150.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		13.06.2024	रायगढ़ से तराईमाल के मध्य फ्लाई ऐश परिवहन के दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 18.06.2024 द्वारा उद्योग पर 23,625.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया है।	उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गई है। प्रकरण प्रक्रियाधीन है।
10	मेसर्स माँ काली एलॉयस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-पाली, जिला-रायगढ़	07.07.2023	फ्लाई ऐश वॉट्स ऐप हेल्प लाईन नंबर में दिनांक 07.07.2023 को गेरवानी मार्ग पर फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमिता के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई।	मंडल के पत्र दिनांक 07.07.2023 के द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 25,590.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
		22.05.2024	रायगढ़ से गेरवानी के मध्य फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 24.05.2024 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर जमा करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 25,500.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
11	मेसर्स रायगढ़ इस्पात एण्ड पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-देलारी, जिला-रायगढ़	25.01.2024	ग्राम-गेरवानी से रावो मार्ग में फ्लाई ऐश के परिवहन दौरान अनियमितायें पाई गई।	मंडल के पत्र दिनांक 25.01.2024 द्वारा उद्योग पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये जमा करने बाबत निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 46,200.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
12	मेसर्स रूपानाधाम स्टील प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-सराईपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़	**19.02.2024**	कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, रायगढ़ का इस कार्यालय में पत्र आवक दिनांक **19.02.2024** के माध्यम से ग्राम-बरपाली, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ में बिना वैध दस्तावेज के फ्लाई ऐश का परिवहन किये जाने संबंधी शिकायत प्राप्त।	मंडल के पत्र दिनांक 21.03.2024 द्वारा उद्योग पर 21,420.00 रूपये पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया गया है।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रु 21,420.00 जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र–अ

डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में विकासखंडवार, समितिवार उर्वरक आपूर्ति की जानकारी

इकाई–मे.टन.

क्र	विकासखण्ड	समिति का नाम	प्रश्नांकित अवधि में आपूर्ति/भण्डारण की गई उर्वरक की मात्रा																	
			01.04.2024 प्रारंभिक स्कंध						भण्डारण 01.04.2024 से 30.06.2024						कुल भण्डारण					
			यूरिया	एसएसपी	डी.ए.पी	एमओपी	एनपीके	योग	यूरिया	एसएसपी	डी.ए.पी	एमओपी	एनपीके	योग	यूरिया	एसएसपी	डी.ए.पी	एमओपी	एनपीके	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	डौण्डी	डौण्डी	50	19	17	3	0	89	252	65	35	35	150	537	302	84	52	38	150	626
2		भर्रीटोला	81	51	5	10	0	147	126	35	35	35	49	280	207	86	40	45	49	427
3		घोठिया	0	70	0	7	31	108	126	70	35	0	0	231	126	140	35	7	31	339
4		कुऑगोंदी	7	0	26	0	0	33	63	0	35	35	0	133	70	0	61	35	0	166
5		कोटागांव	32	0	3	13	35	83	149	55	35	24	50	313	181	55	38	37	85	396
6		गुदुम	2	40	2	8	50	102	126	0	35	35	0	196	128	40	37	43	50	298
7		आमाडुला	32	0	1	0	30	63	94	35	35	35	30	229	126	35	36	35	60	292
8		मंगलतराई	0	44	23	6	0	73	126	17	35	17	30	225	126	61	58	23	30	298
9		कुसुमकसा	75	9	33	56	0	173	189	65	30	0	310	594	264	74	63	56	310	767
10		गुजरा	63	22	1	35	0	121	157	20	35	15	125	352	220	42	36	50	125	473
11		चिखलाकसा	66	35	35	25	0	161	126	0	0	0	120	246	192	35	35	25	120	407
12		साल्हे	46	95	84	35	0	260	189	0	0	0	55	244	235	95	84	35	55	504
योग			**454**	**385**	**230**	**198**	**146**	**1413**	**1723**	**362**	**345**	**231**	**919**	**3580**	**2177**	**747**	**575**	**429**	**1065**	**4993**
13	डौण्डीलोहारा	देवरी	88	13	11	32	0	144	76	45	70	10	20	221	164	58	81	42	20	365
14		फरदफोड़	87	32	50	26	15	210	137	0	25	15	30	207	224	32	75	41	45	417
15		नाहंदा	25	31	50	4	0	110	151	25	55	50	20	301	176	56	105	54	20	411
16		चे.ब. नवागांव	2	6	2	3	0	13	158	45	55	25	20	303	160	51	57	28	20	316
17		भण्डेरा	57	0	34	9	0	100	151	93	25	40	30	339	208	93	59	49	30	439
18		अछोली	8	0	21	6	0	35	237	50	60	30	30	407	245	50	81	36	30	442
19		खेरथा	30	2	25	8	0	65	126	15	25	15	30	211	156	17	50	23	30	276
20		राणाखुज्जी	0	0	0	0	0	0	131	55	25	30	30	271	131	55	25	30	30	271
21		जेवरतला	119	21	69	25	0	234	0	0	0	0	0	0	119	21	69	25	0	234
22		भरदा (ट)	27	0	5	0	0	32	101	10	50	40	0	201	128	10	55	40	0	233
23		पिनकापार	50	0	75	25	0	150	127	30	25	25	0	207	177	30	100	50	0	357
24		खामतराई	93	40	117	38	0	288	73	0	0	0	0	73	166	40	117	38	0	361
25		मनकी	0	1	0	6	0	7	242	30	50	25	0	347	242	31	50	31	0	354
26		डौण्डीलोहारा	112	61	8	42	0	223	250	10	151	50	30	491	362	71	159	92	30	714

इकाई–मे.टन.

क्र	विकासखण्ड	समिति का नाम	प्रश्नांकित अवधि में आपूर्ति/भण्डारण की गई उर्वरक की मात्रा																	
			01.04.2024 प्रारंभिक स्कंध						भण्डारण 01.04.2024 से 30.06.2024						कुल भण्डारण					
			यूरिया	एसएसपी	डी.ए.पी	एमओपी	एनपीके	योग	यूरिया	एसएसपी	डी.ए.पी	एमओपी	एनपीके	योग	यूरिया	एसएसपी	डी.ए.पी	एमओपी	एनपीके	योग
27	डौण्डीलोहारा	बड़गांव	16	82	14	12	0	124	230	39	60	35	65	429	246	121	74	47	65	553
28		गैंजी	63	35	35	0	30	163	252	0	60	45	85	442	315	35	95	45	115	605
29		कोचेरा	9	0	7	0	0	16	158	35	55	35	30	313	167	35	62	35	30	329
30		संबलपुर	69	47	37	3	0	156	100	0	35	35	60	230	169	47	72	38	60	386
31		भीमकन्हार	7	39	1	2	0	49	158	0	35	30	110	333	165	39	36	32	110	382
32		दुधली	1	17	0	1	0	19	133	35	35	20	78	301	134	52	35	21	78	320
33		चिल्हाटी	0	35	0	6	0	41	173	20	35	30	30	288	173	55	35	36	30	329
34		पापरा	33	1	35	0	0	69	94	35	0	20	60	209	127	36	35	20	60	278
35		कोबा	38	1	0	0	0	39	63	33	35	20	54	205	101	34	35	20	54	244
36		सुरेगांव	101	53	77	55	0	286	151	25	25	0	95	296	252	78	102	55	95	582
37		भालुकोन्हा	51	26	52	31	25	185	197	60	60	10	70	397	248	86	112	41	95	582
38		मुढिया	6	23	0	1	0	30	194	25	30	40	93	382	200	48	30	41	93	412
39		नवागांव	0	3	3	2	0	8	146	50	30	30	0	256	146	53	33	32	0	264
40		घीना	9	2	1	3	0	15	101	55	30	30	95	311	110	57	31	33	95	326
41		भंवरमरा	58	40	13	2	59	172	268	17	0	15	168	468	326	57	13	17	227	640
42		रैंगाडबरी	53	20	0	15	17	105	219	15	35	31	90	390	272	35	35	46	107	495
43		मंगचुवा	0	35	0	9	0	44	252	0	35	35	150	472	252	35	35	44	150	516
44		खैरकट्टा	3	0	0	0	35	38	126	18	0	18	50	212	129	18	0	18	85	250
45		कोड़ेकसा	11	2	2	13	0	28	171	35	35	20	90	351	182	37	37	33	90	379
46		कमकापार	0	4	17	2	0	23	189	18	35	19	90	351	189	22	52	21	90	374
47		करेगांव	16	0	0	0	32	48	126	18	35	18	25	222	142	18	35	18	57	270
योग			**1242**	**672**	**761**	**381**	**213**	**3269**	**5461**	**941**	**1316**	**891**	**1828**	**10437**	**6703**	**1613**	**2077**	**1272**	**2041**	**13706**
महायोग			**1696**	**1057**	**991**	**579**	**359**	**4682**	**7184**	**1303**	**1661**	**1122**	**2747**	**14017**	**8880**	**2360**	**2652**	**1701**	**3106**	**18699**

(विकास मिश्र)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में विकासखंडवार, समितिवार बीज आपूर्ति की जानकारी
वर्ष 2024 (01.04.2024 से 30.06.2024 तक)

क्र.	विकासखण्ड	समिति का नाम	प्रश्नांकित अवधि में आपूर्ति/भण्डारण की गई बीज की मात्रा (क्विंटल)												
			एम.टी.यू.–1001	एम.टी.यू. –1010	महामाया	स्वर्णा	आई.आर.–64	एम.टी.यू. –1156	स्वर्णा सब–1	धान योग	उड़द	तिल	अरहर	योग दलहन तिलहन	महायोग (12+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	डौण्डी	डौण्डी	30.00	0.00	30.00	30.00	15.00	30.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**135.00**
2	डौण्डी	भर्रीटोला 36	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	120.00	30.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**210.00**
3	डौण्डी	घोटिया	15.00	30.00	0.00	15.00	0.00	30.00	15.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**105.00**
4	डौण्डी	कुंआगोंदी	15.00	30.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**60.00**
5	डौण्डी	कोटागांव	20.10	15.00	0.00	10.20	35.10	20.10	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**100.50**
6	डौण्डी	गुदुम	45.00	30.00	9.00	14.10	20.10	0.00	0.00	118.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**118.20**
7	डौण्डी	आमाडुला	15.00	85.20	15.00	21.00	30.00	0.00	15.00	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**181.20**
8	डौण्डी	मंगलतराई	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	15.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**120.00**
9	डौण्डी	कुसुमकसा	9.00	45.00	15.00	24.90	13.80	0.00	9.00	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	**116.70**
10	डौण्डी	गुजरा	15.00	45.00	21.00	26.10	0.00	0.00	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**107.10**
11	डौण्डी	चिखलाकसा	25.20	0.00	10.20	30.00	0.00	35.10	25.20	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	**125.70**
12	डौण्डी	साल्हे	10.20	80.10	20.10	24.60	20.10	0.00	0.00	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**155.10**
योग			**244.50**	**360.30**	**120.30**	**240.90**	**134.10**	**325.20**	**109.20**	**1534.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1534.50**
13	डौण्डीलोहारा	देवरी	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	30.00	75.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**315.00**
14	डौण्डीलोहारा	खेरथा	0.00	6.00	9.00	124.50	0.00	0.00	45.00	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**184.50**
15	डौण्डीलोहारा	भंडेरा	0.00	30.00	15.00	120.00	0.00	0.00	45.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**210.00**
16	डौण्डीलोहारा	जेवरतला	0.00	0.00	60.00	190.20	0.00	0.00	45.00	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**295.20**
17	डौण्डीलोहारा	नाहंदा	0.00	6.00	9.00	75.00	0.00	0.00	45.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**135.00**
18	डौण्डीलोहारा	चि0कला	10.20	0.00	30.00	75.00	0.00	60.00	75.00	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**250.20**
19	डौण्डीलोहारा	बडगांव	30.00	18.00	30.00	225.00	0.00	72.00	150.00	525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**525.00**
20	डौण्डीलोहारा	कोचेरा	25.20	0.00	50.10	75.00	0.00	30.00	0.00	180.30	0.00	0.00	0.00	0.00	**180.30**
21	डौण्डीलोहारा	गैंजी	30.00	30.00	60.00	60.00	0.00	105.00	135.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**420.00**
22	डौण्डीलोहारा	डौं0लोहारा	60.00	30.00	105.00	135.00	0.00	60.00	120.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**510.00**
23	डौण्डीलोहारा	भंवरमरा	90.00	80.10	0.00	75.00	30.00	120.00	75.00	470.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**470.10**
24	डौण्डीलोहारा	रेंगाडबरी	20.10	150.00	0.00	60.00	0.00	0.00	30.00	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**260.10**
25	डौण्डीलोहारा	मंगचुवा	15.00	30.00	0.00	47.40	15.00	120.00	21.00	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	**248.40**
26	डौण्डीलोहारा	पापरा	0.00	0.00	20.10	90.00	0.00	0.00	60.00	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**170.10**
27	डौण्डीलोहारा	पिनकापार	0.00	0.00	10.20	180.00	0.00	30.00	75.00	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**295.20**
28	डौण्डीलोहारा	खामतराई	0.00	30.00	0.00	210.00	0.00	0.00	30.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**270.00**
29	डौण्डीलोहारा	अहि0नवागांव	0.00	0.00	60.00	195.00	60.00	15.00	100.20	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**430.20**
30	डौण्डीलोहारा	मुढिया	0.00	0.00	30.00	190.20	0.00	0.00	100.20	320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	**320.40**
31	डौण्डीलोहारा	सुरेगांव	30.00	30.00	15.00	180.00	0.00	30.00	120.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**405.00**
32	डौण्डीलोहारा	दुधली	30.00	30.00	30.00	60.00	0.00	0.00	60.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**210.00**
33	डौण्डीलोहारा	कोबा	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	90.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**240.00**

क्र.	विकासखण्ड	समिति का नाम	प्रश्नांकित अवधि में आपूर्ति/भण्डारण की गई बीज की मात्रा (क्विंटल)												
			एम.टी.यू.–1001	एम.टी.यू –1010	महामाया	स्वर्णा	आई.आर.–64	एम.टी.यू –1156	स्वर्णा सब–1	धान योग	उड़द	तिल	अरहर	योग दलहन तिलहन	महायोग (12+16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
34	डौण्डीलोहारा	भीमकन्हार	90.00	0.00	60.00	90.00	30.00	0.00	60.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**330.00**
35	डौण्डीलोहारा	घीना	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	50.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**245.10**
36	डौण्डीलोहारा	कोडेकसा	150.00	225.00	0.00	45.00	0.00	75.00	45.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**540.00**
37	डौण्डीलोहारा	कमकापार	60.00	0.00	0.00	12.60	0.00	90.00	9.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	**171.60**
38	डौण्डीलोहारा	चे.ब.नवागांव	0.00	0.00	0.00	120.60	0.00	30.00	75.00	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	**225.60**
39	डौण्डीलोहारा	भालूकोन्हा	0.00	45.00	0.00	117.00	0.00	30.00	129.00	321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**321.00**
40	डौण्डीलोहारा	भरदा ट	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**180.00**
41	डौण्डीलोहारा	फरदफोड	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	60.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**222.00**
42	डौण्डीलोहारा	मनकी सा	0.00	0.00	45.00	325.20	0.00	60.00	109.80	540.00	0.00	0.00	3.20	3.20	**543.20**
43	डौण्डीलोहारा	खैरकट्टा	0.00	60.00	0.00	50.10	0.00	0.00	30.00	140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**140.10**
44	डौण्डीलोहारा	संबलपुर लो	10.20	0.00	30.00	60.00	0.00	45.00	105.00	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**250.20**
45	डौण्डीलोहारा	करैगांव	10.20	60.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	**120.60**
46	डौण्डीलोहारा	संजारी	0.00	5.10	20.10	50.10	0.00	5.10	20.10	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**100.50**
47	डौण्डीलोहारा	रानाखुज्जी	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	30.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**240.00**
48	डौण्डीलोहारा	अछोली	0.00	0.00	20.10	215.10	0.00	15.00	150.00	400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**400.20**
योग			**660.90**	**865.20**	**798.60**	**4435.20**	**135.00**	**1102.20**	**2374.50**	**10371.60**	**0.00**	**0.00**	**3.20**	**3.20**	**10374.80**
महायोग			**905.40**	**1225.50**	**918.90**	**4676.10**	**269.10**	**1427.40**	**2483.70**	**11906.10**	**0.00**	**0.00**	**3.20**	**3.20**	**11909.30**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में खरीफ फसल हेतु उर्वरक (खाद) के वितरण का विकासखंडवार, समितिवार जानकारी वर्ष 2024 (01.04.2024 से 30.06.2024 तक)

(इकाई–मे.टन.)

क्र	विकासखण्ड	समिति का नाम	प्रश्नांकित अवधि में किसानों द्वारा उठाई गई (वितरित) मात्रा					
			वितरण					
			यूरिया	एस.एस.पी.	डी.ए.पी	एम.ओ.पी.	एन.पी.के.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डौण्डी	डौण्डी	230	59	52	38	112	491
2		भरीटोला	120	26	39	21	48	254
3		घोठिया	126	57	35	7	29	254
4		कुऑगोंदी	70	0	60	19	0	149
5		कोटागांव	157	40	34	23	85	339
6		गुदुम	117	19	37	26	28	227
7		आमाडुला	63	21	4	8	40	136
8		मंगलतराई	105	47	58	7	0	217
9		कुसुमकसा	233	38	54	45	211	581
10		गुजरा	200	26	34	36	90	386
11		चिखलाकसा	174	0	34	25	95	328
12		साल्हे	177	36	83	33	39	368
योग			**1772**	**369**	**524**	**288**	**777**	**3730**
1	डौण्डीलोहारा	देवरी	164	42	81	36	20	343
2		फरदफोड़	186	32	75	41	45	379
3		नाहंदा	142	51	105	41	20	359
4		चे.ब. नवागांव	153	49	57	26	20	305
5		भण्डेरा	202	93	59	43	30	427
6		अछोली	243	47	81	35	30	436
7		खेरथा	144	15	50	21	30	260
8		राणाखुज्जी	115	42	25	21	22	225
9		जेवरतला	98	20	69	17	0	204
10		भरदा (ट)	90	0	30	25	0	145
11		पिनकापार	171	30	100	34	0	335
12		खामतराई	117	23	105	22	0	267
13		मनकी	178	18	50	19	0	265
14		डौण्डीलोहारा	312	60	149	62	30	613
15		बड़गांव	244	93	72	43	65	517

(इकाई–मे.टन.)

क्र	विकासखण्ड	समिति का नाम	प्रश्नांकित अवधि में किसानों द्वारा उठाई गई (वितरित) मात्रा					
			वितरण					
			यूरिया	एस.एस.पी.	डी.ए.पी	एम.ओ.पी.	एन.पी.के.	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	डौण्डीलोहारा	गैंजी	284	35	95	43	85	542
17		कोचेरा	139	35	61	19	30	284
18		संबलपुर	164	47	60	30	56	357
19		भीमकन्हार	145	11	36	28	80	300
20		दुधली	116	42	35	19	45	257
21		चिल्हाटी	130	43	35	30	30	268
22		पापरा	94	32	34	14	41	215
23		कोबा	76	27	35	12	35	185
24		सुरेगांव	246	78	101	55	71	551
25		भालुकोन्हा	226	74	112	37	44	493
26		मुढिया	190	41	30	37	92	390
27		नवागांव	128	43	30	12	0	213
28		घीना	72	44	31	16	28	191
29		भंवरमरा	311	53	13	17	177	571
30		रेंगाडबरी	231	33	33	44	107	448
31		मंगचुवा	252	29	35	20	134	470
32		खैरकट्टा	125	16	0	15	70	226
33		कोड़ेकसा	163	26	37	21	79	326
34		कमकापार	168	12	46	21	78	325
35		करेंगांव	136	18	35	18	49	256
योग			**5955**	**1354**	**2002**	**994**	**1643**	**11948**
महायोग			**7727**	**1723**	**2526**	**1282**	**2420**	**15678**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

डौंडीलोहारा विधान सभा क्षेत्र में खरीफ फसल हेतु बीज के वितरण की विकासखंडवार, समितिवार जानकारी

वर्ष 2024 (01.04.2024 से 30.06.2024 तक)

क्र.	विकासखण्ड	समिति का नाम	प्रश्नांकित अवधि में किसानों द्वारा उठाई गइ (वितरित) बीज की मात्रा (क्विंटल)												
			एम.टी.यू. –1001	एम.टी.यू. –1010	महामाया	स्वर्णा	आई.आर.–64	एम.टी.यू. –1156	स्वर्णा सब–1	धान योग	उड़द	तिल	अरहर	योग दलहन तिलहन	महायोग (11+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	डौण्डी	डौण्डी	30.00	0.00	23.10	30.00	15.00	30.00	0.00	128.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**128.10**
2	डौण्डी	भरीटोला 36	28.50	0.00	0.00	27.30	0.00	120.00	29.70	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**205.50**
3	डौण्डी	घोटिया	8.70	30.00	0.00	13.50	0.00	27.30	6.90	86.40	0.00	0.00	0.00	0.00	**86.40**
4	डौण्डी	कुंआगोंदी	15.00	30.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**60.00**
5	डौण्डी	कोटागांव	20.10	15.00	0.00	10.20	35.10	20.10	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**100.50**
6	डौण्डी	गुदुम	30.00	17.10	9.00	14.10	20.10	0.00	0.00	90.30	0.00	0.00	0.00	0.00	**90.30**
7	डौण्डी	आमाडुला	15.00	85.20	15.00	21.00	30.00	0.00	15.00	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**181.20**
8	डौण्डी	मंगलतराई	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.90	11.70	84.60	0.00	0.00	0.00	0.00	**84.60**
9	डौण्डी	कुसुमकसा	9.00	45.00	15.00	24.90	13.80	0.00	9.00	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	**116.70**
10	डौण्डी	गुजरा	15.00	45.00	21.00	26.10	0.00	0.00	0.00	107.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**107.10**
11	डौण्डी	चिखलाकसा	25.20	0.00	10.20	30.00	0.00	35.10	24.30	124.80	0.00	0.00	0.00	0.00	**124.80**
12	डौण्डी	साल्हे	10.20	80.10	20.10	24.60	20.10	0.00	0.00	155.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**155.10**
योग			**221.70**	**347.40**	**113.40**	**236.70**	**134.10**	**290.40**	**96.60**	**1440.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1440.30**
13	डौण्डीलोहारा	देवरी	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	23.40	75.00	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	**308.40**
14	डौण्डीलोहारा	खेरथा	0.00	6.00	9.00	124.50	0.00	0.00	45.00	184.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**184.50**
15	डौण्डीलोहारा	भंडेरा	0.00	30.00	15.00	120.00	0.00	0.00	45.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**210.00**
16	डौण्डीलोहारा	जेवरतला	0.00	0.00	60.00	190.20	0.00	0.00	45.00	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**295.20**
17	डौण्डीलोहारा	नाहंदा	0.00	6.00	9.00	75.00	0.00	0.00	45.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**135.00**
18	डौण्डीलोहारा	चि0कला	10.20	0.00	30.00	75.00	0.00	60.00	75.00	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**250.20**
19	डौण्डीलोहारा	बडगांव	30.00	18.00	13.50	225.00	0.00	72.00	150.00	508.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**508.50**
20	डौण्डीलोहारा	कोचेरा	25.20	0.00	50.10	75.00	0.00	0.00	0.00	150.30	0.00	0.00	0.00	0.00	**150.30**
21	डौण्डीलोहारा	गैंजी	30.00	30.00	60.00	60.00	0.00	105.00	135.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**420.00**
22	डौण्डीलोहारा	डौ0लोहारा	32.70	27.00	99.30	135.00	0.00	60.00	117.90	471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	**471.90**
23	डौण्डीलोहारा	भंवरमरा	90.00	80.10	0.00	75.00	28.80	120.00	73.80	467.70	0.00	0.00	0.00	0.00	**467.70**
24	डौण्डीलोहारा	रैंगाडबरी .	20.10	150.00	0.00	60.00	0.00	0.00	30.00	260.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**260.10**
25	डौण्डीलोहारा	मंगचुवा	15.00	30.00	0.00	47.40	15.00	120.00	21.00	248.40	0.00	0.00	0.00	0.00	**248.40**
26	डौण्डीलोहारा	पापरा	0.00	0.00	20.10	90.00	0.00	0.00	60.00	170.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**170.10**
27	डौण्डीलोहारा	पिनकापार	0.00	0.00	10.20	180.00	0.00	30.00	75.00	295.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**295.20**
28	डौण्डीलोहारा	खामतराई	0.00	30.00	0.00	210.00	0.00	0.00	30.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**270.00**
29	डौण्डीलोहारा	अहि0नवागांव	0.00	0.00	60.00	195.00	60.00	15.00	100.20	430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**430.20**
30	डौण्डीलोहारा	मुढिया	0.00	0.00	30.00	190.20	0.00	0.00	100.20	320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	**320.40**
31	डौण्डीलोहारा	सुरेगांव	30.00	30.00	15.00	180.00	0.00	30.00	120.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**405.00**
32	डौण्डीलोहारा	दुधली	4.50	30.00	24.00	60.00	0.00	0.00	60.00	178.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**178.50**

क्र.	विकासखण्ड	समिति का नाम	प्रश्नांकित अवधि में किसानों द्वारा उठाई गइ (वितरित) बीज की मात्रा (क्विंटल)												
			एम.टी.यू. –1001	एम.टी.यू. –1010	महामाया	स्वर्णा	आई.आर.–64	एम.टी.यू. –1156	स्वर्णा सब–1	धान योग	उड़द	तिल	अरहर	योग दलहन तिलहन	महायोग (11+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
33	डौण्डीलोहारा	कोबा	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	0.00	90.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**240.00**
34	डौण्डीलोहारा	भीमकन्हार	42.00	0.00	52.80	90.00	30.00	0.00	60.00	274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	**274.80**
35	डौण्डीलोहारा	घीना	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	50.10	0.00	245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	**245.10**
36	डौण्डीलोहारा	कोडेकसा	150.00	197.10	0.00	45.00	0.00	69.90	45.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**507.00**
37	डौण्डीलोहारा	कमकापार	60.00	0.00	0.00	12.60	0.00	90.00	9.00	171.60	0.00	0.00	0.00	0.00	**171.60**
38	डौण्डीलोहारा	चे.ब.नवागांव	0.00	0.00	0.00	120.60	0.00	30.00	75.00	225.60	0.00	0.00	0.00	0.00	**225.60**
39	डौण्डीलोहारा	भालूकोन्हा	0.00	45.00	0.00	117.00	0.00	17.40	129.00	308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	**308.40**
40	डौण्डीलोहारा	भरदा ट	0.00	0.00	30.00	150.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**180.00**
41	डौण्डीलोहारा	फरदफोड	0.00	0.00	0.00	162.00	0.00	0.00	60.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**222.00**
42	डौण्डीलोहारा	मनकी सा	0.00	0.00	45.00	306.60	0.00	60.00	109.80	521.40	0.00	0.00	2.00	2.00	**523.40**
43	डौण्डीलोहारा	खैरकट्टा	0.00	60.00	0.00	38.70	0.00	0.00	30.00	128.70	0.00	0.00	0.00	0.00	**128.70**
44	डौण्डीलोहारा	संबलपुर लो	10.20	0.00	30.00	60.00	0.00	45.00	105.00	250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	**250.20**
45	डौण्डीलोहारा	कर्रेगांव	10.20	60.00	0.00	25.20	0.00	0.00	25.20	120.60	0.00	0.00	0.00	0.00	**120.60**
46	डौण्डीलोहारा	संजारी	0.00	5.10	20.10	50.10	0.00	5.10	20.10	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00	**100.50**
47	डौण्डीलोहारा	रानाखुज्जी	0.00	0.00	30.00	120.00	0.00	30.00	60.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**240.00**
48	डौण्डीलोहारा	अछोली	0.00	0.00	20.10	215.10	0.00	8.70	150.00	393.90	0.00	0.00	0.00	0.00	**393.90**
योग			**560.10**	**834.30**	**763.20**	**4405.20**	**133.80**	**1041.60**	**2371.20**	**10109.40**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**10111.40**
महायोग			**781.80**	**1181.70**	**876.60**	**4641.90**	**267.90**	**1332.00**	**2467.80**	**11549.70**	**0.00**	**0.00**	**2.00**	**2.00**	**11551.70**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

परिशिष्ट - इक्कीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 502) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2022 से जून 2024 तक महासमुन्द जिले के छात्रावास/आश्रमों को प्रदाय की गयी सामग्री, फर्म, मात्रा एवं दर की वर्षवार जानकारी

वर्ष 2022–23				
क्र.	प्रदाय सामग्री का नाम	फर्म का नाम जिससे सामग्री क्रय की गयी	सामग्री की मात्रा	सामग्री का दर
1	2	3	4	5
1	एंगल आयरन काट (तखत)	महारानी स्टील एण्ड एप्लाइन्सेस प्रा.लि. टेमरी ग्राम नियर माना रेलवे स्टेशन रायपुर	90	4456
2	एंगल आयरन काट (तखत)	महारानी स्टील एण्ड एप्लाइन्सेस प्रा.लि. टेमरी ग्राम नियर माना रेलवे स्टेशन रायपुर	10	4456
3	एंगल आयरन काट (तखत)	द्विवेदी वेल्डिंग वर्क्स देवकर, तह.–साजा, जिला–बेमेतरा	11	4456
4	एंगल आयरन काट (तखत)	द्विवेदी वेल्डिंग वर्क्स देवकर, तह.–साजा, जिला–बेमेतरा	89	4456
5	कैबिनेट वीथ वन लाकर (आलमीरा)	महारानी स्टील एण्ड एप्लाइन्सेस प्रा.लि. टेमरी ग्राम नियर माना रेल्वे स्टेशन रायपुर	10	9000
6	मच्छरदानी (मास्क्यूटो)	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर	450	200
7	मच्छरदानी (मास्क्यूटो)	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर	450	200
8	पी–यू फोम मैट्रेस	यूनिक इन्टरप्राइजेस ग्राम कण्डरका वि.खं.–बेरला बेमेतरा	160	3800
9	पी–यू फोम मैट्रेस	यूनिक इन्टरप्राइजेस ग्राम कण्डरका वि.खं.–बेरला बेमेतरा	160	3800
10	पी–यू फोम मैट्रेस	यूनिक इन्टरप्राइजेस ग्राम कण्डरका वि.खं.–बेरला बेमेतरा	180	3800
11	थाली चार खाना, स्टील	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड 07 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा	500	300
12	स्टील हॉफ् प्लेट,	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड 07 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा	500	250
13	स्टील हॉफ् प्लेट,	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड 07 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा	500	250
14	गिलास	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड 07 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा	250	360
15	गिलास	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड 07 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा	250	360
16	जग	मे. मनीषा इन्डस्ट्रीज वार्ड 07 पोस्ट सक्ती जिला जांजगीर चांपा	113	300
17	फिनाईल	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर	1500 लीटर	85.14/ प्रति लीटर
18	फिनाईल	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर	1500 लीटर	85.14/ प्रति लीटर
19	सिलिंग फेन, रेगुलेटर सहित	अर्बन सप्लायर मामा आलमिरह फैक्टरी गली न. 4 गोपाल नगर, रामनगर रायपुर	50	1560
			50	210
20	एल.ई.डी. लैम्प	मे. आर.जी. इन्टरप्राइजेस 4/53 हाउसिंग बोर्ड कालोनी अवंती विहार रायपुर	500	199
21	एल.ई.डी. लैम्प	मे. आर.जी. इन्टरप्राइजेस 4/53 हाउसिंग बोर्ड कालोनी अवंती विहार रायपुर	500	199
22	सबमर्शिबल पंप सेट	मे. श्रीवा पंप प्रा.लि. विठल मंदिर नवीन मार्केट जी0ई0रोड तात्या पारा रायपुर	12	19293

क्र.	प्रदाय सामग्री का नाम	फर्म का नाम जिससे सामग्री क्रय की गयी	सामग्री की मात्रा	सामग्री का दर
1	2	3	4	5
23	पिलो (तकिया)	मे. यूनिक इन्टरप्राइजेस, ग्राम कंडरका, बेरला, जिला–बेमेतरा	350	350
24	अग्निशामक यंत्र (ड्राय पाउडर टाईप)	मे. जी.एस. इन्टरप्राइजेस सदानी दरबार धमतरी रोड रायपुर	35	7740
25	एंगल आयरन काट (तखत)	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग	100	3884
26	एंगल आयरन काट (तखत)	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग	160	3884
27	आलमीरा	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग	20	8000
28	स्टूडेन्ट चेयर	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग	500	986
29	हाफ प्लेट (स्टील)	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर	400 कि.ग्रा.	360/- कि.ग्रा.
30	गिलास (स्टील)	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर	1400 कि.ग्रा.	360/- कि.ग्रा.
31	जग (स्टील)	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर	226 कि.ग्रा.	36/- कि.ग्रा.
32	भगोना	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर सेक्टर–4 देवेन्द्र नगर रायपुर	600 कि.ग्रा.	396/- कि.ग्रा.
33	हाफ प्लेट (स्टील)	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर	200 कि.ग्रा.	360/- कि.ग्रा.
34	गिलास (स्टील)	मे. मनिधारी सेल्स कार्पोरेशन रायपुर	600 कि.ग्रा.	360/- कि.ग्रा.
35	एल.ई.डी. लैम्प (बल्ब)	मे. आर.जी. इन्टरप्राइजेस 4/53 हाउसिंग बोर्ड कालोनी अवंति विहार रायपुर	2000	199
36	फिनाईल लीटर में	धनवंतरी केमिक्लस 33 ए रानी दुर्गावती इन्ड. एरिया, अंजनी, पो–पेन्ड्रा रोड बिलासपुर	2000 लीटर	99/ प्रति लीटर
37	फिनाईल लीटर में	धनवंतरी केमिक्लस 33 ए रानी दुर्गावती इन्ड. एरिया, अंजनी, पो–पेन्ड्रा रोड बिलासपुर	1000 लीटर	99/ प्रति लीटर
38	थाली	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर, छत्तीसगढ़	2000 कि.ग्रा.	360/- कि.ग्रा.
39	सिलिंग पंखा	श्री बालाजी इन्टरप्राइजेस, बन्की मोगरा कटघोरा रोड	150	2030
40	रेगुलेटर सिलिंग पंखा	श्री बालाजी इन्टरप्राइजेस, बन्की मोगरा कटघोरा रोड	150	210
41	फिनाईल	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर	200 लीटर	99/ प्रति लीटर
42	फिनाईल	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर	800 लीटर	99/ प्रति लीटर
43	मग	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर	500	50
44	बुकेट	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर	226	400
45	पानी की टंकी	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर	373 कि.ग्रा.	378/- कि.ग्रा.
46	एंगल आयरन काट (तखत)	द्विवेदी वेल्डिंग वर्क्स देवकर, तह.–साजा, जिला–बेमेतरा	100	3884
47	सिलिंग पंखा	अर्बन सप्लायर नियर मामा अलमारी फैक्टरी गली न. 04 गोपाल नगर राम नगर रायपुर	100	2030
48	बुकेट	ओरियेन्टल सेल्स कार्पोरेशन शॉप नं. 58, 2 एण्ड फ्लोर समवेत शिखर कॉम्पलेक्स डी.बी. कार्पोरेट रायपुर	450	400
49	मग	ओरियेन्टल सेल्स कार्पोरेशन शॉप नं. 58, 2 एण्ड फ्लोर समवेत शिखर कॉम्पलेक्स डी.बी. कार्पोरेट रायपुर	800	50
50	हाफ प्लेट (स्टील)	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर–4 देवेन्द्र नगर रायपुर	600 कि.ग्रा.	360/- कि.ग्रा.
51	जग (स्टील)	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर–4 देवेन्द्र नगर रायपुर	226 कि.ग्रा.	360/- कि.ग्रा.
52	पानी टंक (स्टील)	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर–4 देवेन्द्र नगर रायपुर	200 कि.ग्रा.	378/- कि.ग्रा.
53	पानी टंक (स्टील)	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर–4 देवेन्द्र नगर रायपुर	252 कि.ग्रा.	378/- कि.ग्रा.
54	दवाई किट्स	साक्षी मेडिकल स्टोर्स मरवाही रोड पेन्ड्रा जिला जी.पी.एम.	113	6646
55	दवाई किट्स	साक्षी मेडिकल स्टोर्स मरवाही रोड पेन्ड्रा जिला जी.पी.एम.	102	4902

क्र.	प्रदाय सामग्री का नाम	फर्म का नाम जिससे सामग्री क्रय की गयी	सामग्री की मात्रा	सामग्री का दर
1	2	3	4	5
56	एंगल आयरन काट (तखत)	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग	100	3884
57	एंगल आयरन काट (तखत)	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग	160	3884
58	आलमीरा	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग	20	8000
59	स्टूडेन्ट चेयर	धावले इंजीनियर एण्ड आयरन वर्कस बोरसी, पोटिया दुर्ग	500	986
60	एल.ई.डी. लैम्प (बल्ब)	मे. आर.जी. इन्टरप्राइजेस 4/53 हाउसिंग बोर्ड कालोनी अवंति विहार रायपुर	2000	199
61	फिनाईल लीटर में	धनवंतरी केमिक्लस 33 ए रानी दुर्गावती इन्ड. एरिया, अंजनी, पो–पेन्ड्रा रोड बिलासपुर	2000 लीटर	99/ प्रति लीटर
62	फिनाईल लीटर में	धनवंतरी केमिक्लस 33 ए रानी दुर्गावती इन्ड. एरिया, अंजनी, पो–पेन्ड्रा रोड बिलासपुर	1000 लीटर	99/ प्रति लीटर
63	थाली	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर, छत्तीसगढ़	2000 कि.ग्रा.	360/- कि.ग्रा.
64	सिलिंग पंखा	श्री बालाजी इन्टरप्राइजेस, बन्की मोगरा कटघोरा रोड	150	2030
65	रेगुलेटर सिलिंग पंखा	श्री बालाजी इन्टरप्राइजेस, बन्की मोगरा कटघोरा रोड	150	210
66	फिनाईल	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर	200 लीटर	99/ प्रति लीटर
67	फिनाईल	नलीन मेडिकल स्टोर्स पुराना जिला हॉस्पिटल सुरजपुर	800 लीटर	99/ प्रति लीटर
68	मग	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर	500	50
69	बुकेट	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर	226	400
70	पानी की टंकी	छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स वार्ड नं. 16 केतका रोड सुरजपुर	373 कि.ग्रा.	378/- कि.ग्रा.
71	एंगल आयरन काट (तखत)	द्विवेदी वेल्डिंग वर्क्स देवकर, तह.–साजा, जिला–बेमेतरा	100	3884
72	सिलिंग पंखा	अर्बन सप्लायर नियर मामा अलमारी फैक्टरी गली न. 04 गोपाल नगर राम नगर रायपुर	100	2030
73	बुकेट	ओरियेन्टल सेल्स कार्पोरेशन शॉप नं. 58, 2 एण्ड फ्लोर समवेत शिखर कॉम्पलेक्स डी.बी. कार्पोरेट रायपुर	450	400
74	मग	ओरियेन्टल सेल्स कार्पोरेशन शॉप नं. 58, 2 एण्ड फ्लोर समवेत शिखर कॉम्पलेक्स डी.बी. कार्पोरेट रायपुर	800	50
75	हाफ प्लेट (स्टील)	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर–4 देवेन्द्र नगर रायपुर	600 कि.ग्रा.	360/- कि.ग्रा.
76	जग (स्टील)	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर–4 देवेन्द्र नगर रायपुर	226 कि.ग्रा.	360/- कि.ग्रा.
77	पानी टंक (स्टील)	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर–4 देवेन्द्र नगर रायपुर	200 कि.ग्रा.	378/- कि.ग्रा.
78	पानी टंक (स्टील)	सोनचिरैया कार्पोरेशन 38 सेक्टर–4 देवेन्द्र नगर रायपुर	252 कि.ग्रा.	378/- कि.ग्रा.
		वर्ष 2023–24		
1	मेट्रेस (गद्दा)	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर	200	3800
2	ऑफिस कुर्सी (विजिटर चेयर)	मे. धावले इंजी. एण्ड आयरन वर्क बोरसी पोटिया रोड दुर्ग	40	2401
3	ऑफिस टेबल	मे. धावले इंजी. एण्ड आयरन वर्क बोरसी पोटिया रोड दुर्ग	16	4500
4	केबिनेट (स्टील बुक केश)	मे. धावले इंजी. एण्ड आयरन वर्क बोरसी पोटिया रोड दुर्ग	16	10793
5	लैब टेबल	मे. धावले इंजी. एण्ड आयरन वर्क बोरसी पोटिया रोड दुर्ग	24	5192
6	ऑफिस कुर्सी (विजिटर चेयर)	मे. धावले इंजी. एण्ड आयरन वर्क बोरसी पोटिया रोड दुर्ग	70	2211
7	एल.ई.डी. ट्यूबलाईट	मे. छत्तीसगढ़ इंटरप्राईजेस सूरजपुर जिला सूरजपुर	800	328
8	एल.ई.डी. ट्यूबलाईट	मे. छत्तीसगढ़ इंटरप्राईजेस सूरजपुर जिला सूरजपुर	700	328
9	मेट्रेस (गद्दा)	मे. श्री बालाजी इंटरप्राईजेस कटघोरा रोड बंकी मोंगरा	80	3800
10	मेट्रेस (गद्दा)	मे. श्री बालाजी इंटरप्राईजेस कटघोरा रोड बंकी मोंगरा	80	3800
11	मेट्रेस (गद्दा)	मे. श्री बालाजी इंटरप्राईजेस कटघोरा रोड बंकी मोंगरा	70	3800

क्र.	प्रदाय सामग्री का नाम	फर्म का नाम जिससे सामग्री क्रय की गयी	सामग्री की मात्रा	सामग्री का दर
1	2	3	4	5
12	राऊंड डस्टबीन (30 लीटर)	मे. छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स केतका रोड सुरजपुर जिला–सुरजपुर	80	600
13	वाटर फिल्टर (120 लीटर)	मे. कम्यूनिकेशन सिस्टम शॉप नं. 21 प्रथम तल व्यावसायिक परि. सी.जी.एच.बी. कालोनी बोरियाकला सदानी दरबार रायपुर	8	16500
14	सेनेटरी पेड इंसिनेटर	मे. देवल सोंधी वत्र उद्योग न्यू मार्केट माना केम्प रायपुर	6	20000
15	प्लास्टिक गमला (12 इंच)	मे. ओरिएंटल सेल्स कार्पोरेशन समवेत शिखर डीबी कार्पोरेट के बगल रायपुर	400	140
16	मेट्रेस (गद्दा)	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर	60	3800
17	मेट्रेस (गद्दा)	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर	80	3800
18	मेट्रेस (गद्दा)	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर	70	3800
19	मेट्रेस (गद्दा)	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर	70	3800
20	मेट्रेस (गद्दा)	मे. अरविंद इंडस्ट्रीज इन्दिरा गांधी व्यावसायिक परिसर पंडरी रायपुर	70	3800
21	चादर रंगीन	मे. छत्तीसगढ़ हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	2500	431.46
22	गिलास	मे. छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स केतका रोड सुरजपुर जिला–सुरजपुर	200 कि.ग्रा.	300/कि.ग्रा.
23	थाली	मे. छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स केतका रोड सुरजपुर जिला–सुरजपुर	250 कि.ग्रा.	250/ कि.ग्रा.
24	मग प्लास्टिक	मे. छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स केतका रोड सुरजपुर जिला–सुरजपुर	1200	50
25	बुकेट 20 लीटर	मे. छत्तीसगढ़ सुपर सेल्स केतका रोड सुरजपुर जिला–सुरजपुर	400	400
26	एल.ई.डी. ट्यूब लाईट 20 वाट	छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सुरजपुर, खसरा नं. 2199/4 केटका रोड सुरजपुर	700	328
27	मेट्रेस (गद्दा)	छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सुरजपुर, खसरा नं. 2199/4 केटका रोड सुरजपुर	50	4500
28	मेट्रेस (गद्दा)	छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सुरजपुर, खसरा नं. 2199/4 केटका रोड सुरजपुर	50	4500
29	मेट्रेस (गद्दा)	छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सुरजपुर, खसरा नं. 2199/4 केटका रोड सुरजपुर	50	4500
30	मेट्रेस (गद्दा)	छत्तीसगढ़ इन्टरप्राइजेस सुरजपुर, खसरा नं. 2199/4 केटका रोड सुरजपुर	50	4500
31	एंगल आयरन काट (तखत)	उन्नति वेन्चर, 2nd फलोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर	50	4010
32	एंगल आयरन काट (तखत)	उन्नति वेन्चर, 2nd फलोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर	50	4010
33	कैबिनेट प्लेन मिडियम	उन्नति वेन्चर, 2nd फलोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर	14	8970

क्र.	प्रदाय सामग्री का नाम	फर्म का नाम जिससे सामग्री क्रय की गयी	सामग्री की मात्रा	सामग्री का दर
1	2	3	4	5
34	आफिस चेयर	उन्नति वेन्चर, 2nd फलोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर	75	2378
35	आफिस चेयर	उन्नति वेन्चर, 2nd फलोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर	75	2378
36	प्यूफोम मेट्रेस (गद्दा)	उन्नति वेन्चर, 2nd फलोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर	50	4400
37	प्यूफोम मेट्रेस (गद्दा)	उन्नति वेन्चर, 2nd फलोर, भाटिया काम्पलेक्स, राजकुमार कालेज, जी.ई.रोड रायपुर	50	4400
38	सिलिंग फेन	श्री बालाजी इंटरप्राइजेस बंकी मोंगरा, कटघोरा रोड	50	4140
39	सिलिंग फेन	श्री बालाजी इंटरप्राइजेस बंकी मोंगरा, कटघोरा रोड	50	4140
40	फिनाईल	धनवंतरी केमिकल्स 33 ए. रानी दुर्गावती इन्ड्र. ऐरिया अंजनी, पो.–पेन्ड्रा रोड, जिला गैरेला–पेन्ड्रा–मरवही (छ.ग.)	1000 लीटर	101/ प्रति लीटर
41	एंगल आयरन काट	विधि इन्ड्रस्ट्रीज ठाकुरतोला राजनांदगांव	30	4010
42	एंगल आयरन काट	विधि इन्ड्रस्ट्रीज ठाकुरतोला राजनांदगांव	30	4010
43	एंगल आयरन काट	विधि इन्ड्रस्ट्रीज ठाकुरतोला राजनांदगांव	30	4010
44	एंगल आयरन काट	विधि इन्ड्रस्ट्रीज ठाकुरतोला राजनांदगांव	30	4010
45	एंगल आयरन काट	विधि इन्ड्रस्ट्रीज ठाकुरतोला राजनांदगांव	30	4010
46	ग्लास (200 कि.ग्रा.)	तनुष इंटरप्राइजेस, ग्राम–पोड़, ठाकुरतोला, राजनांदगॉव (छ.ग.)	1740	34.48
	हाफ प्लेट (200 कि.ग्रा.)		715	76.92
47	करछुली (200 कि.ग्रा.)	तनुष इंटरप्राइजेस, ग्राम–पोड़, ठाकुरतोला, राजनांदगॉव (छ.ग.)	1480	58.38
48	दवाई किट्स	साक्षी मेडिकल स्टोर्स मरवाही रोड पेन्ड्रा जिला जी.पी.एम.	113	11016

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र अ

वर्ष 2021–22 में उर्वरक विक्रेताओ के परिसर पर किये गये निरीक्षण की जानकारी

क्र.	वर्ष	बेमेतरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	निरीक्षण में अनियमिता पर की गई कार्यवाही							
			नोटिस				विक्रय प्रतिबंध (संख्या)			
			संख्या	फर्म का नाम/पता	उल्लंघन का कारण	की गयी कार्यवाही	संख्या	फर्म का नाम/पता	उल्लंघन का कारण	की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2021-22	बेमेतरा	15	रजक कृषि केन्द्र कोबिया	मूल्य सूची प्राधिकार पत्र चस्पा नही, स्कंध संधारित नही ।	कारण बताओं नोटिस जारी	1	अन्नपूर्णा एजेंसी बेमेतरा	स्कंध संधारण अपूर्ण, मूल्य सूची का प्रदर्शन नही, पीओएस मशीन एवं भौतिक स्कंध मे अंतर	एक सप्ताह के लिये विक्रय पर प्रतिबंध
2				ओम कृषि केन्द्र बेमेतरा	स्कंध पंजी अपूर्ण, गोदाम में उर्वरकों का भण्डारण नियमानुसार नही होना।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
3				साई कृपा कृषि केन्द्र सिंघौरी	मूल्य सूची एंव स्कंध प्रदर्शित न करना, मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नही करना।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
4				जुआरी फर्म हब सिंघौरी	1. स्कंध पंजी का संधारण अपूर्ण 2. मासिक प्रतिवेदन नियमित प्रस्तुत नही करना।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
5				साहू कृषि केन्द्र कुसमी	1. स्कंध पंजी का संधारण अपूर्ण। 2. मूल्य सूची स्कंध की जानकारी अपूर्ण । 3. मासिक प्रतिवेदन।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
6				वैदिक कृषि केन्द्र बैजी	1. स्कंध पंजी का संधारण अपूर्ण। 2. मूल्य सूची स्कंध की जानकारी अपूर्ण । 3. मासिक प्रतिवेदन।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
7				साहू कृषि केन्द्र जेवरी	POS मशीन एवं भौतिक स्कंध मे अंतर पाया जाना, स्टाक बुक संधारित न होना।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
8				किसान कृषि केन्द्र बेतर	स्कंध पंजी का संधारण अपूर्ण, मूल्य सूची एवं स्कंध का प्रदर्शन न होना। मासिक प्रतिवेदन प्रेषित नही करना।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
9				भवानी कृषि केन्द्र दाढी	स्कंध संधारण अपूर्ण मासिक प्रतिवेदन प्रेषित न करना	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
10				श्याम कृषि भंडार दाढी	स्कंध संधारण अपुर्ण मासिक प्रतिवेदन प्रेषित न करना	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
11				जगदम्बा कृषि केन्द्र दाढी	मूल्य सूची एंव स्कंध प्रदर्शित न करना,	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
12				महामाया कृषि केन्द्र दाढी	स्कंध पंजी का संधारण अपूर्ण, मूल्य सूची एवं स्कंध का प्रदर्शन न होना।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
13				अन्नपूर्णा एग्रो दाढी	स्कंध संधारण अपूर्ण मासिक प्रतिवेदन प्रेषित न करना।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
14				चन्द्रकांता एग्रो होम पांइट दाढी	स्कंध संधारण अपूर्ण मासिक प्रतिवेदन प्रेषित न करना।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
15				अर्पित कृषि केन्द्र दाढी	स्कंध पंजी अपूर्ण।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक

क्र.	वर्ष	बेमेतरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	निरीक्षण में अनियमिता पर की गई कार्यवाही							
			नोटिस				विक्रय प्रतिबंध (संख्या)			
			संख्या	फर्म का नाम/पता	उल्लंघन का कारण	की गयी कार्यवाही	संख्या	फर्म का नाम/पता	उल्लंघन का कारण	की गयी कार्यवाही
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	2021-22	बेरला	4	कनक कृषि केन्द्र भिभौरी	मूल्य सूची एंव स्कंध प्रदर्शित न करना, POS एवं स्कंध मे अंतर पाया गया।	एक सप्ताह के लिये विक्रय पर प्रतिबंध	2	कनक कृषि केन्द्र भिभौरी	मूल्य सूची एंव स्कंध प्रदर्शित न करना, POS एवं स्कंध मे अंतर पाया गया।	एक सप्ताह के लिये विक्रय पर प्रतिबंध
17				लक्ष्मी कृषि केन्द्र भिभौरी	मूल्य सूची एंव स्कंध प्रदर्शित न करना, मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत नही करना।	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक
18				साहू कृषि केन्द्र भिभौरी	मूल्य सूची एंव स्कंध प्रदर्शित न करना, POS एवं स्कंध मे अंतर पाया गया।	कारण बताओं नोटिस जारी		साहू कृषि केन्द्र भिभौरी	POS मशीन एवं भौतिक स्कंध मे अंतर पाया जाना, स्टाक बुक संधारित न होना।	एक सप्ताह के लिये विक्रय पर प्रतिबंध
19				जय अम्बे कृषि केन्द्र भिभौरी	प्राधिकार पत्र प्रदर्शित न होना, स्टाक पंजी संधारण अपूर्ण	कारण बताओं नोटिस जारी		निरंक	निरंक	निरंक

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

प्रपत्र–ब

वर्ष 2022–23 में उर्वरक विक्रेताओ के परिसर पर किये गये निरीक्षण की जानकारी

क्र.	वर्ष	बेमेतरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	निरीक्षण में अनियमिता पर की गई कार्यवाही							
			नोटिस				विक्रय प्रतिबंध (संख्या)			
			संख्या	फर्म का नाम/पता	उल्लंघन का कारण	की गयी कार्यवाही	संख्या	फर्म का नाम/पता	उल्लंघन का कारण	की गयी कार्यवाही
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022-23	बेमेतरा	5	मेसर्स चंद्रकांता एग्रो होम पाइंट दाढ़ी	मूल्य सूची का प्रदर्शन न करना, स्टाक पंजी का संधारण न करना, पीओएस एवं स्टाक पंजी में अंतर पाया जाना, कृषकों को जीएसटी बिल प्रदाय न करना	कारण बताओं नोटिस जारी	2	किसान कृषि केन्द्र बेतर	POS मशीन एवं भौतिक स्कंध में अंतर पाया जाना, स्टाक बुक संधारित न होना।	15 दिनों के लिए उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध
2				मुक्ता कृषि केन्द्र नवागांव कला		निरंक		निरंक	निरंक	निरंक
3				साहू कृषि केन्द कतौतिया		कारण बताओं नोटिस जारी		साहू कृषि केन्द कतौतिया	मूल्य सूची का प्रदर्शन न करना, स्टाक पंजी का संधारण न करना, पीओएस एवं स्टाक पंजी में अंतर पाया जाना, कृषकों को जीएसटी बिल प्रदाय न करना	15 दिनों के लिए उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध
4				किसान कृषि केन्द्र बेतर		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5				मां जगदम्बा कृषि केन्द्र दाढ़ी		निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6		बेरला	1	तिवारी कृषि केन्द्र घोटमर्रा		कारण बताओं नोटिस जारी	1	कनक कृषि केन्द्र भिभौरी	मूल्य सूची का प्रदर्शन न करना, स्टाक पंजी का संधारण न करना, पीओएस एवं स्टाक पंजी में अंतर पाया जाना, कृषकों को जीएसटी बिल प्रदाय न करना	11 दिनों के लिए उर्वरक विक्रय पर प्रतिबंध

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

वर्ष 2023–24 में उर्वरक विक्रेताओ के परिसर पर किये गये निरीक्षण की जानकारी

क्र.	वर्ष	बेमेतरा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	निरीक्षण में अनियमिता पर की गई कार्यवाही				
			नोटिस				विक्रय प्रतिबंध
			संख्या	फर्म का नाम/पता	उल्लंघन का कारण	की गयी कार्यवाही	
1		2	4	5	6	7	8
1	2023-24	बेमेतरा	8	धीरज कृषि केन्द्र, मल्दा	1. मूल्य सूची एवं स्कंध सूची सहदृश्य स्थान पर प्रदर्शित न करना 2. अनुज्ञप्ति पत्र सहदृश्य स्थान पर प्रदर्शित न करना। 3. स्कंध पंजी स्व–प्रमाणित न होना। 4. उर्वरक वितरण पश्चात् POS से स्कंध को न हटाना।	कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	निरंक
2				सेवा सहकारी समिति मर्यादित मोहरेंगा			
3				सेवा सहकारी समिति मर्यादित मउ			
4				सेवा सहकारी समिति मर्यादित दाढी			
5				ओम कृषि केन्द्र बेमेतरा			
6				श्री दादाजी कृषि केन्द्र बालसमुंद			
7				सत्यम ट्रेडर्स एंव कृषि केन्द्र बैजी			
8				मां सिद्धी कृषि केन्द्र बैजलपुर			
9		बेरला	13	मां लक्ष्मी कृषि केन्द्र आनंदगांव	उर्वरक भंडारण वितरण की जानकारी प्रस्तुत न करना		
10				मां मावली कृषि केन्द्र मावलीभाठा	बिल बुक एवं कृषकों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गई।		
11				श्रीराम किसान सेवा केन्द्र गोडगिरी	बिल बुक पूर्णतः संधारित नहीं है।		
12				शुभम कृषि केन्द्र बारगांव	उर्वरकों का स्कंध एवं दर चार्ट स्थान में नहीं पाया गया।		
13				तिवारी कृषि केन्द्र घोटमर्रा	उर्वरक भंडारण वितरण की जानकारी प्रस्तुत न करना		
14				लक्ष्मी कृषि केन्द्र भिमौरी	बिल बुक निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।		
15				मनोज कृषि केन्द्र पिरदा	बिल बुक एवं कृषकों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गई।		
16				मनोज कृषि केन्द्र सरदा	स्कंध पंजी संधारण अपूर्ण पाया जाना।		
17				बालाजी कृषि केन्द्र बेरला	उर्वरक भंडारण वितरण की जानकारी प्रस्तुत न करना		
18				सार्वा कृषि केन्द्र परपोड़ा			
19				पटेल कृषि केन्द्र घोटमर्रा			
20				मां शारदा कृषि केन्द्र कठिया			
21				परगनिहा कृषि केन्द्र भिमौरी	बिल बुक निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।		

(विकास मिश्र)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

प्रपत्र –अ

क	धरमजयगढ़ विधानसभा क्षेत्र में निवासरत विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम	निवासरत ग्राम का नाम
1	2	3
1	विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह बिरहोर	रूवाफूल
2		बलपेदा
3		जमरगीडीह
4		नकना
5		खम्हार
6		जमरगा
7		जमरगा
8		रायमेर
9		सकरलिया
10		तेजपुर
11		ओंगना
12		धोधागांव
13		बरतापाली
14		किदा
15		खररा
16		खलबोरा
17		बिछिनारा
18		कोटरीमाल
19		रायकेरा

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विकास [illegible] मंत्रालय, नया रायपुर

क	वर्ष	ग्राम का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	2022–23	–	पीव्हीटीजी के लिये 02 आवास का निर्माण	5.00
			योगः–	**5.00**
1	2023–24	जमरगीडीह	पक्का आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण)	18.00
2		नकना		2.00
3		खम्हार		6.00
4		जमरगा		16.00
5		रायमेर		6.00
6		सकरलिया		4.00
7		तेजपुर		2.00
8		ओंगना		18.00
9		धोधागांव		6.00
10		किदा		26.00
11		खलबोरा		38.00
12		कोटरीमाल		6.00
			योगः–	**148.00**
1	2023–24	धोधागांव	संपर्क सडकें (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना) 1. एल–043 धौराभांटा से बसंतपुर	162.60
			योगः–	**162.60**
1	2023–24	खर्रा	अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण	0.45
2		कोटरीमाल		0.86
			योगः–	**1.30**
1	2023–24	रूवांफूल	बहुद्देशीय केन्द्र की स्थापना	60.00
			योगः–	**60.00**
			महायोगः–	**376.90**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक [illegible]
[illegible] विकास पंचायती भवन, मंत्रालय, [illegible]

परिशिष्ट - चौबीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 703) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रश्नांश "क" में उल्लेखित उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत जारी सम्मति की वर्तमान वैधता की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	वर्तमान वैधता तिथि
1.	मेसर्स मिवान स्टील्स लिमिटेड, ग्राम-कुरूद, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर	31-07-2025
2.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड, मंदिर हसौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	31-05-2027
3.	मेसर्स नूतन इस्पात एण्ड पावर प्रा.लि., ग्राम-जरौदा, खरोरा रोड, जिला-रायपुर	31-07-2025
4.	मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर	30-09-2025
5.	मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (इनलैण्ड रिले डिपो) ग्राम-छतौना एवं मंदिर हसौद, जिला-रायपुर	30-06-2025
6.	मेसर्स इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (ऑपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाईप लाईन), ग्राम-देवादा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	31-12-2025
7.	मेसर्स इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (हाईड्रोकार्बन स्टोरेज पी.ओ.एल. टर्मिनल), ग्राम-लखोली, गुजरा एवं देवादा तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	30-09-2025
8.	मेसर्स श्री कृष्णा कोल्ड स्टोरेज, ग्राम-रसनी, तहसील-आरंग जिला-रायपुर	31-01-2024

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

प्रश्नांश "ख" में उल्लेखित उद्योगों का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियो द्वारा की गई निरीक्षण की विस्तृत जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम	पाई गई स्थिति (परिपालन/उल्लंघन)	की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	मेसर्स मिवान स्टील्स लिमिटेड, ग्राम-कुरूद, मंदिर हसौद, जिला-रायपुर	27-01-2022	रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला परिचालक	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		26-03-2022	कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रयोगशाला परिचालक	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		30-05-2022	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1 प्रयोगशाला परिचालक	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		18-06-2022	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	उल्लंघन	उल्लंघन पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 22.06.2022 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत् उद्योग को नोटिस जारी किया गया। साथ ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 1,65,000/- अधिरोपित की गयी।
		29-06-2022	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	नोटिस के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा सुधारात्मक/समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। साथ ही उद्योग द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क रूपये 1,65,000/- जमा किया गया है।
		25-07-2022	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		27-09-2022	प्रभारी रसायनज्ञ	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		25-11-2022	प्रभारी रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला परिचालक	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		29-11-2022	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		01-12-2022	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	उल्लंघन	उल्लंघन पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 06.12.2022 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत् उद्योग को नोटिस जारी किया गया। साथ ही पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि रूपये 3,60,000/- अधिरोपित की गयी।
		16-12-2022	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	नोटिस के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा सुधारात्मक/समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी। साथ ही उद्योग द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति शुल्क रूपये 3,60,000/- जमा किया गया है।
		20-12-2022	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

		04-01-2023	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	उल्लंघन	उल्लंघन पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 05.01.2023 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत् उद्योग को नोटिस जारी किया गया हैं।
		17-02-2023	सहायक अभियंता उप अभियंता एवं प्रभारी रसायनज्ञ	नोटिस के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा सुधारात्मक/समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गयी।
		15-05-2023	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		19-06-2024	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		20-09-2023	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		16-01-2024	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		19-06-2024	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
2.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड मंदिर हसौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	12-09-2023	सहायक अभियंता	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
3.	मेसर्स नूतन इस्पात एण्ड पावर प्रा.लि. ग्राम-जरौदा, खरोरा रोड जिला-रायपुर	16-02-2022	प्रभारी रसायनज्ञ, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-2 एवं प्रयोगशाला परिचालक	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		29-06-2022	प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1 एवं प्रयोगशाला परिचालक	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		18-10-2022	प्रभारी रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायक ग्रेड-1	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई
		18-01-2023	प्रभारी रसायनज्ञ	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		13-04-2023	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।
		31-07-2023	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	उल्लंघन	उल्लंघन पाए जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 02.08.2023 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत् उद्योग को नोटिस जारी किया गया हैं।
		23-08-2023	सहायक अभियंता, कनिष्ठ वैज्ञानिक एवं रसायनज्ञ	उद्योग द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/समाधानकारक कार्यवाही नही किया जाना पाया गया।	समाधानकारक कार्यवाही नही किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 28.08.2023 के माध्यम से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31'क' के तहत् विद्युत विच्छेदन/उत्पादन बंद करने हेतु निर्देश जारी किया गया।
		29-09-2023	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	उद्योग द्वारा निर्देश के परिपेक्ष्य में अपेक्षित सुधारात्मक/समाधानकारक कार्यवाही किया जाना पाया गया।	समाधानकारक कार्यवाही किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 29.09.2023 के माध्यम से पुनः उत्पादन प्रारंभ करने हेतु संशोधित निर्देश जारी किया गया।
		18-10-2023	सहायक अभियंता एवं रसायनज्ञ	परिपालन	अतः कार्यवाही नहीं की गई।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

4.	मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (इनलैण्ड रिले डिपो) ग्राम-छतौना एवं मंदिर हसौद, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	09-09-2022	वैज्ञानिक	परिपालन	अत: कार्यवाही नहीं की गई।
		13-03-2024	वैज्ञानिक	परिपालन	अत: कार्यवाही नहीं की गई।
5.	मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एल.पी.जी. बॉटलिंग प्लांट मंदिर हसौद, जिला-रायपुर	28-02-2023	कनिष्ठ वैज्ञानिक	परिपालन	अत: कार्यवाही नहीं की गई।
6.	मेसर्स इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ऑपरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाईप लाईन), ग्राम-देवादा,तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	23-06-2023	वैज्ञानिक	परिपालन	अत: कार्यवाही नहीं की गई।
7.	मेसर्स इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (हाईड्रोकार्बन स्टोरेज पी.ओ.एल. टर्मिनल,) ग्राम-लखोली, गुजरा एवं देवादा, तहसील-आरंग, जिला-रायपुर	21-07-2023	रसायनज्ञ	परिपालन	अत: कार्यवाही नहीं की गई।
8.	मेसर्स श्री कृष्णा कोल्ड स्टोरेज ग्राम-रसनी, तहसील-आरंग जिला-रायपुर	-	-	-	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 09.02.2015 के माध्यम से जल एवं वायु सम्मति जारी की गयी थी, जिसकी सम्मति नवीनीकरण की वैधता दिनांक 31.01.2024 तक थी। उद्योग द्वारा वैधता समाप्त होने के पश्चात उद्योग संचालन किये जाने के कारण छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 12.07.2024 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 33 'क' तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31'क' के तहत विद्युत विच्छेदन/उत्पादन बंद करने के निर्देश जारी किये गये है।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र

परिवीक्षत अतारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 705) की जानकारी

जिला राजनांदगांव एवं खैरागढ–छुइखदान–गंण्डई हेतु कय सामग्रीयों एवं मशीनरी की जानकारी

क्र.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	घटक का नाम	सामग्री / मशीनरी का विवरण					कय सामग्री हेतु अपनायी गयी प्रकिया	भुगतान किये गये फर्म / एजेंसी / दुकान का नाम	भुगतान दिनांक	भुगतान की गई कुल राशि
					सामग्री / मशीनरी का नाम का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू.में)	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	**2021-22**	निरंक											
जिला राजनांदगांव													
1	2022-23	राजनांदगांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	माली प्रशिक्षण	उद्यानिकी टूल किट 10 पीस वाला – हैण्ड हो, गार्डन इगर, खुरपा, पुर्णिग सिकेटियर, बिल हुक, ग्रास सियर, हैण्ड सियर, गार्डन हैण्ड डिगिंग, प्रुनिंग सा विथ पिक्स्ड हैडल, बडिंग नाईफ (प्रत्येक यंत्र एक नग प्रति किट)	25	नग	3505	0.87625	भाव पत्रक के आधार पर कय	मां अम्बे दुर्गा एजेंसी रायपुर	26.02.2023	0.87625
									0.87625				**0.87625**
2	2022-23	राजनांदगांव	जिला खनिज न्यास निधि	–	आटोमेटिक सीलिंग मशीन	12	संख्या	85500	10.26000	निविदा के आधार पर कय	ए.एम. इंटरप्राईजेस रायपुर	19.09.2022 16.01.2023	10.26000
				–	इलेक्ट्रानिक वेट मशीन	12	संख्या	12500	1.50000		आदित्य इंटरप्राईजेस	19.09.2022 16.01.2023	3.70548
				–	फुड पैकेजिंग मटेरियल (पॉली पाउच साइज 250 जीएम 1550 नग, पॉली पाउच 500 जीएम 990 नग, पॉली पाउच 1 किलो 1170 नग	12	संख्या	18379	2.20548		आदित्य इंटरप्राईजेस रायपुर		
				योग					**13.96548**				13.96548
जिला खैरागढ–छुईखदान–गण्डई													
1	2022-23	खैरागढ–छुईखदान –गण्डई	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	माली प्रशिक्षण	उद्यानिकी टूल किट 10 पीस वाला – हैण्ड हो, गार्डन इगर, खुरपा, पुर्णिग सिकेटियर, बिल हुक, ग्रास सियर, हैण्ड सियर, गार्डन हैण्ड डिगिंग, प्रुनिंग सा विथ पिक्स्ड हैडल, बडिंग नाईफ (प्रत्येक यंत्र एक नग प्रति किट)	25	नग	3505	0.87625	भाव पत्रक के आधार पर कय	मां अम्बे दुर्गा एजेंसी रायपुर	26.02.2023	0.87625
				योग					**0.87625**				**0.87625**
2	2022-23	खैरागढ–छुईखदान–गण्डई	जिला खनिज न्यास निधि	–	आटोमेटिक सीलिंग मशीन	2	संख्या	85500	1.71000	निविदा के आधार पर कय	ए.एम. इंटरप्राईजेस रायपुर	19.09.2022 16.01.2023	1.71000
				–	इलेक्ट्रानिक वेट मशीन	2	संख्या	12500	0.25000		आदित्य इंटरप्राईजेस रायपुर	19.09.2022 16.01.2023	0.61758
				–	फुड पैकेजिंग मटेरियल (पॉली पाउच साइज 250 जीएम 1550 नग, पॉली पाउच 500 जीएम 990 नग, पॉली पाउच 1 किलो 1170 नग	2	संख्या	18379	0.36758				
				योग					**2.32758**				**2.32758**
		महायोग							**18.04556**				**18.04556**

क्रं.	वर्ष	जिला	योजना का नाम	घटक का नाम	सामग्री/मशीनरी का विवरण					क्रय सामग्री हेतु अपनायी गयी प्रकिया	भुगतान किये गये फर्म/एजेंसी/दुकान का नाम	भुगतान दिनांक	भुगतान की गई कुल राशि
					सामग्री/मशीनरी का नाम का नाम	मात्रा	इकाई	दर (रू.में)	राशि (लाख में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
जिला राजनांदगांव													
1	2023-24	राजनांदगांव	नीति आयोग निधि	–	आटोमेटिक सीलिंग मशीन	36	संख्या	85455	30.76380	निविदा के आधार पर क्रय	ए.एम. इंटरप्राईजेस रायपुर	28.12.2023 22.03.2024	30.76380
				–	इलेक्ट्रानिक वेट मशीन	36	संख्या	12470	4.48920		आदित्य इंटरप्राईजेस रायपुर	28.12.2023 22.03.2024	11.09880
				–	फुड पैकेजिंग मटेरियल (पॉली पाउच साइज 250 जीएम 1550 नग, पॉली पाउच 500 जीएम 990 नग, पॉली पाउच 1 किलो 1170 नग	36	संख्या	18360	6.60960				
				योग					**41.86260**				**41.86260**
जिला खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई													
1	2023-24	खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई	नीति आयोग निधि	–	इलेक्ट्रानिक वेट मशीन	18	संख्या	85455	15.38190	निविदा के आधार पर क्रय	ए.एम. इंटरप्राईजेस रायपुर	28.12.2023 22.03.2024	15.38190
				–	आटोमेटिक सीलिंग मशीन	18	संख्या	12470	2.24460		आदित्य इंटरप्राईजेस रायपुर	28.12.2023 22.03.2024	5.54940
				–	फुड पैकेजिंग मटेरियल (पॉली पाउच साइज 250 जीएम 1550 नग, पॉली पाउच 500 जीएम 990 नग, पॉली पाउच 1 किलो 1170 नग	18	संख्या	18360	3.30480				
				योग					**20.93130**				**20.93130**
		महायोग							**62.79390**				**62.79390**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–अ

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021–22 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विकय करने हेतु पंजीकृत किसान, धान बेचने वाले किसान, रकबा, विकय धान की मात्रा एवं आदान सहायता राशि के भुगतान की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	पंजीकृत किसानों की संख्या	धान बेचने वाले किसानों की संख्या	धान बेचने वाले किसानों की रकबा (हे.)	किसानों द्वारा बेचे गये धान की मात्रा (क्वि.)	राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत भुगतान	
							कृषक संख्या	राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2021–22	पथरिया	6330	6140	7136.931	261416.40	6242	1602.183
		मुंगेली	32100	31315	39026.449	1428886.40	31801	8761.723
		योग	**38430**	**37455**	**46163.380**	**1690302.80**	**38043**	**10363.91**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

हस्ता/–
संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर

प्रपत्र–ब

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022–23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु पंजीकृत किसान, धान बेचने वाले किसान, रकबा, विक्रय धान की मात्रा एवं आदान सहायता राशि के भुगतान की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	पंजीकृत किसानों की संख्या	धान बेचने वाले किसानों की संख्या	धान बेचने वाले किसानों की रकबा (हे.)	किसानों द्वारा बेचे गये धान की मात्रा (क्वि.)	राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत भुगतान	
							कृषक संख्या	राशि (लाख में)
1	2	3		5	6	7	8	9
1	2022–23	पथरिया	6952	6716	7555.987	277197.60	6836	1268.504
		मुंगेली	34795	33776	40186.560	1475278.00	34345	6742.154
		योग	**41747**	**40492**	**47742.547**	**1752475.60**	**41181**	**8010.658**

हस्ता/–

संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–स

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2022–23 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने हेतु पंजीकृत किसान, धान बेचने वाले किसान, रकबा, विक्रय धान की मात्रा एवं आदान सहायता राशि के भुगतान की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	पंजीकृत किसानों की संख्या			धान बेचने वाले किसानों की संख्या			धान बेचने वाले किसानों की रकबा (हे.)			किसानों द्वारा बेचे गये धान की मात्रा (क्वि.)			कृषि उन्नति योजना अंतर्गत भुगतान					
															कृषक संख्या			राशि (लाख में)		
			अपेक्स बैंक	बीज निगम	योग	अपेक्स बैक	बीज निगम	योग	अपेक्स बैक	बीज निगम	योग	अपेक्स बैक	बीज निगम	योग	अपेक्स बैक	बीज निगम	योग	अपेक्स बैक	बीज निगम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	2023–24	पथरिया	7422	63	**7485**	7201	63	**7264**	7754.486	171.200	**7925.686**	389097.20	9321.30	**398418.50**	7199	63	**7262**	3566.921	78.312	**3645.233**
		मुंगेली	36827	45	**36872**	36056	45	**36101**	41087.765	108.400	**41196.165**	2069973.60	5040.82	**2075014.42**	36054	45	**36099**	18951.536	44.035	**18995.571**
		योग	**44249**	108	44357	**43257**	**108**	**43365**	**48842.251**	**279.600**	**49121.851**	**2459070.80**	**14362.12**	**2473432.92**	**43253**	**108**	**43361**	**22518.457**	**122.347**	**22640.804**

हस्ता/–

संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–द

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित विकासखण्ड की वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में आदान सहायता राशि के भुगतान हेतु शेष किसानों की संख्या की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24	
		भुगतान हेतु शेष कृषको की संख्या	राशि (रू. में)	भुगतान हेतु शेष कृषको की संख्या	राशि (रू. में)	भुगतान हेतु शेष कृषको की संख्या	राशि (रू. में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	पथरिया	0	0	0	0	2	1.10
2	मुंगेली	0	0	0	0	1	0.16
	योग	**0**	**0**	**0**	**0**	**3**	**1.26**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

हस्ता/–

संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर

परिशिष्ट - सत्ताईस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 746) की जानकारी

प्रपत्र–अ

जिला बालोद में डी.ए.पी. व यूरिया खाद का क्लोजिंग स्टॉक

इकाई मे.टन

क्र.	वर्ष	मौसम	जिले अन्तर्गत विकासखण्ड का नाम	उर्वरक का नाम	01.04.2024 की बचत स्कंध सहित 30.06.2024 तक क्लोजिंग स्टॉक			
					मार्कफेड	सहकारी समिति	निजी क्षेत्र	योग (6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2024	खरीफ	बालोद	यूरिया	67.000	413.000	280.000	760.000
				डी.ए.पी.	0.000	23.000	27.000	50.000
2			गुरूर	यूरिया	67.000	559.000	330.000	956.000
				डी.ए.पी.	0.000	50.000	25.000	75.000
3			डौण्डी	यूरिया	957.645	227.000	470.000	1654.645
				डी.ए.पी.	15.000	30.000	64.000	109.000
4			डौण्डीलोहारा	यूरिया	0.000	530.000	494.000	1024.000
				डी.ए.पी.	0.000	23.000	55.000	78.000
5			गुण्डरदेही	यूरिया	134.000	1245.000	409.000	1788.000
				डी.ए.पी.	0.000	14.000	43.000	57.000
	योग			**यूरिया**	**1225.645**	**2974.000**	**1983.000**	**6182.645**
				डी.ए.पी.	**15.000**	**140.000**	**214.000**	**369.000**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

जिला बालोद में डी.ए.पी. व यूरिया खाद का भण्डारण एवं वितरण

इकाई मे.टन

क्र.	वर्ष	मौसम	जिला बालोद अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड का नाम	उर्वरक का नाम	01.04.2023 के बचत स्कंध एवं 01.04.2023 से 31.03.2024 सहित उर्वरक का भण्डारण			उर्वरक का वितरण		
					सहकारी समिति	निजी क्षेत्र	योग	सहकारी समिति	निजी क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01.04.2023 से 31.03.2024	खरीफ + रबी	बालोद	यूरिया	9210	2480	11690	8040	2450	10490
				डी.ए.पी.	6370	543	6913	4460	520	4980
2			गुरूर	यूरिया	9547	2160	11707	8230	2110	10340
				डी.ए.पी.	7149	628	7777	6728	620	7348
3			डौंडी	यूरिया	6110	1890	8000	4356	1650	6006
				डी.ए.पी.	3810	395	4205	3765	390	4155
4			डौंडीलोहारा	यूरिया	7350	2246	9596	6850	1940	8790
				डी.ए.पी.	4950	455	5405	4870	412	5282
5			गुण्डारदेही	यूरिया	9680	2370	12050	8430	2190	10620
				डी.ए.पी.	7154	597	7751	6954	407	7361
योग				**यूरिया**	**41897**	**11146**	**53043**	**35906**	**10340**	**46246**
				डी.ए.पी.	**29433**	**2618**	**32051**	**26777**	**2349**	**29126**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

जिला बालोद में डी.ए.पी. व यूरिया खाद का वितरण

इकाई मे.टन

क्र.	जिला बालोद अंतर्गत आने वाले विकासखण्ड	उर्वरक का नाम	31.03.2024 की स्थिति में बचत स्कंध एवं 01.04.2024 से 30.06.2024 तक भण्डारण			वितरण 01.04.2024 से 30.06.2024 तक		
			सहकारी समिति	निजी क्षेत्र	योग	सहकारी समिति	निजी क्षेत्र	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बालोद	यूरिया	2263	870	3133	1850	590	2440
		डी.ए.पी.	939	217	1156	916	190	1106
2	गुरूर	यूरिया	2419	940	3359	1860	610	2470
		डी.ए.पी.	1700	230	1930	1650	205	1855
3	डौंडी	यूरिया	2177	860	3037	1950	390	2340
		डी.ए.पी.	575	184	759	545	120	665
4	डौंडीलोहारा	यूरिया	6795	925	7720	6265	431	6696
		डी.ए.पी.	2143	195	2338	2120	140	2260
5	गुण्डरदेही	यूरिया	6436	979	7415	5191	570	5761
		डी.ए.पी.	2524	226	2750	2510	183	2693
	योग	**यूरिया**	**20090**	**4574**	**24664**	**17116**	**2591**	**19707**
		डी.ए.पी.	**7881**	**1052**	**8933**	**7741**	**838**	**8579**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–द

जिला बालोद में डी.ए.पी. व यूरिया खाद माहवार, मात्रावार विवरण

(इकाई मे.टन)

क्र.	अवधि	उर्वरक	अप्रैल 2023	मई 2023	जून 2023	जुलाई 2023	अगस्त 2023	सितंबर 2023	अक्टूबर 2023	नवम्बर 2023	दिसंबर 2023	जनवरी 2024	फरवरी 2024	मार्च 2024	योग 2023–24
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	01.04.2023 से 31.03.2024	यूरिया	3600	7812	6465	3425	140	830	0	0	1738	3426	4326	5464	37226
2		डीएपी	2350	7825	1075	1200	90	1005	0	750	1208	0	2505	3610	21618

क्र.	अवधि	उर्वरक	अप्रैल 2024	मई 2024	जून 2024	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	01.04.2024 से 30.06.2024	यूरिया	5577	7404	4886	17867
2		डीएपी	2961	2185	862	6008

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - अट्ठाईस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 25 (क्र. 755) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-महासमुन्द

चयनित विकासखंड	वर्ष	चयनित ग्राम	प्रदाय अनुदान व सामान में व्यय राशि का मदवार विवरण (रू.)									
			सामग्री/कार्य का नाम	सामान्य (मद-13)		अनुसूचित जन जाति (मद- 41)		अनुसूचित जाति (मद-64)		योग	
				मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पिथौरा, बागबाहरा	2015-16	मोहगांव, सिंहारपुर, सुआरमार , घोघनाबाहरा	पी.व्हीसी. ड्रम संख्या	108	172800.00	66	105600.00	26	41600.00	200	320000.00
			धान बीज पीकेव्ही एचएमटी. कि.	24.15	47093.00	9.6	18720.00	0	0.00	33.75	65813.00
			ढैंचा बीज कि.	18.75	80625.00	9.6	41280.00	5.4	23220.00	33.75	145125.00
			उड़द बीज टीए.यू. कि.	3.64	29120.00	2.8	22400.00	0.56	4480.00	7	56000.00
			बेन्टानाईट सल्फर 5किग्रा. पैकिंग संख्या	137	39360.00	102	29304.00	24	6895.00	263	75559.00
			अम्बिका वीडर संख्या	63	53320.00	32	26700.00	18	15200.00	113	95220.00
			सायकल हेण्ड हो संख्या	45	46385.00	34	34500.00	8	8100.00	87	88985.00
			ट्राईकोडर्मा 1 कि.ग्रा. संख्या	150	4500.00	0	0.00	0	0.00	150	4500.00
			एन.पीव्ही 100एमएल. संख्या	216	43200.00	132	26400.00	52	10400.00	400	80000.00
			इन्सेक्ट लाईट ट्रेप संख्या	108	162000.00	66	99000.00	26	39000.00	200	300000.00
			पीएसबी. एजेक्टोबेक्टर राईजोबियम कल्चर पैकेट	1090	11930.00	626	6868.00	234	2652.00	1950	21450.00
			खेत में बोनी तैयारी, निंदाई गुड़ाई कृषक संख्या	111	166500.00	69	103500.00	20	30000.00	200	300000.00
			मिट्टी परीक्षण संबंधी कार्य	15	16000.00	0	0.00	0	0.00	15	16000.00
			वर्मी टांका	49	392000.00	39	312000.00	12	96000.00	100	800000.00
			नाडेप टांका	65	260000.00	32	128000.00	3	12000.00	100	400000.00
			योग		**1524833.00**		**954272.00**		**289547.00**		**2768652.00**

चयनित विकासखंड	वर्ष	चयनित ग्राम	प्रदाय अनुदान व सामान में व्यय राशि का मदवार विवरण (रू.)							
			सामग्री/कार्य का नाम	सामान्य (मद-13)		अनुसूचित जन जाति (मद- 41)		अनुसूचित जाति (मद-64)		योग	
				मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पिथौरा, बागबाहरा	2016-17	मोहगांव, सिंहारपुर, सुअरमार , घोयनाबाहरा	धान बीज पीकेव्ही एचएमटी. कि.	23.25	49987.00	10.84	43960.00	5.4	11610.00	39.49	105557.00
			उड़द बीज अजाद कि.	5.80	84100.00	0.00	0.00	0.56	8120.00	6.36	92220.00
			ढैंचा बीज कि.	23.25	108112.00	0	0.00	5.4	25110.00	28.65	133222.00
			पीएसबी. एजेक्टोबेक्टर राईजोबियम कल्चर पैकेट	200	2300.00	100	1150.00	100	1150.00	400	4600.00
			एन.पीव्ही 250एलई 250एमएल. संख्या	158	39745.00	17	4276.00	25	6289.00	200	50310.00
			एजाडेरेक्टिन1500पीपीएम 1 ली	158	38141.00	17	4104.00	25	6035.00	200	48280.00
			बेन्टोनाईट सल्फर 5किग्रा. पैकिंग संख्या	316	105481.00	34	11349.00	50	16690.00	400	133520.00
पिथौरा, बागबाहरा	2016-17	मोहगांव, सिंहारपुर, सुअरमार , घोयनाबाहरा	माईकोराईजा 1 कि.ग्रा पैकेट संख्या	81	11227.00	0	0.00	7	970.00	88	12197.00
			स्यूडोमोनास 100ग्राम पैकेट	506	8034.00	119	1751.00	108	1548.00	733	11333.00
			फेरामोन ट्रेप संख्या	1000	25000.00	0	0.00	1000	25001.00	2000	50001.00
			ल्यूर स्टेमबोरर, हेलीकोवर्पा अरमिजेरा संख्या	3000	41280.00	0	0.00	3000	43500.00	6000	84780.00
			यल्लो स्टिकी ट्रेप संख्या	4589	82602.00	0	0.00	4589	82603.00	9178	165205.00
			खेत में बोनी तैयारी, निंदाई गुड़ाई कृषक संख्या	200	491000.00	0	0.00	0	0.00	200	491000.00
			योग		**1087009.00**		**66590.00**		**228626.00**		**1382225.00**
पिथौरा	2017-18	मोहगांव	यल्लो स्टिकी ट्रेप संख्या	5106	91908.00	3163	56934.00	909	16362.00	9178	165204.00
		सिंहारपुर	ल्युर संख्या	3330	47020.00	2070	29060.00	600	8700.00	6000	84780.00
बागबाहरा		सुअरमार	फेरामोन ट्रेप संख्या	1110	27750.00	690	17250.00	200	5000.00	2000	50000.00
		घोयनाबाहरा	ढैंचा बीज कि.	11.60	47560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.60	47560.00

चयनित विकासखंड	वर्ष	चयनित ग्राम	प्रदाय अनुदान व सामान में व्यय राशि का मदवार विवरण (रू.)							
			सामग्री/कार्य का नाम	सामान्य (मद-13)		अनुसूचित जन जाति (मद- 41)		अनुसूचित जाति (मद-64)		योग	
				मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
पिथौरा, बागबाहरा	2017-18	मोहगांव, सिंहारपुर, सुअरमार , घोंयनाबाहरा	एजाडेरेक्टिन1500पीपीएम 1 ली	222	60224.00	138	37437.00	40	10851.00	400	108512.00
			स्यूडोमोनास 100 ग्राम पैकेट	427	6730.00	252	3972.00	112	1765.00	791	12467.00
			एन.पीव्ही 250एलई 250एमएल. संख्या	111	31380.00	69	19506.00	20	5654.00	200	56540.00
			बावेरियाना बेसियाना 1 कि.ग्रा.	51	6026.00	33	3900.00	4	473.00	88	10399.00
			सीवीडजेल हयुमिक एसिड एमिनोएसिड 1 ली.	111	66348.00	69	41243.00	20	11954.00	200	119545.00
			बीज,निदाई गुड़ाई कृषक संख्या	131	427500.00	49	154000.00	20	62000.00	200	643500.00
			चूना कि.ग्रा	6235	79840.00	9180	50582.00	2160	11902.00	17575	142324.00
			पी.जी.एस. सर्टिफिकेट		32136.00	0	0.00	0	0.00	0	32136.00
			योग		**924422.00**		**413884.00**		**134661.00**		**1472967.00**
बागबाहरा	2018-19	भालुचुआं, बसुलाडबरी	पीव्हीसी.ड्रम प्लासिटक(200ली.) संख्या	200	400000.00	0	0.00	0	0.00	200	400000.00
			अम्बिकावीडर	0	0.00	0	0.00	200	166400.00	200	166400.00
			हेण्ड हो	0	0.00	0	0.00	200	33600.00	200	33600.00
			बीज बोनी ,निदाई गुड़ाई कृषक संख्या	60	90000.00	129	193500.00	11	16500.00	200	300000.00
			पीएसबी. एजेक्टोबेक्टर कल्चर कि.ग्रा.	0	0.00	0	0.00	800	67200.00	800	67200.00
			इनसेक्ट लाईट ट्रेप	200	300000.00	0	0.00	0	0.00	200	300000.00
			एन.पीव्ही 100मिली.	200	44800.00	0	0.00	0	0.00	200	44800.00
बागबाहरा	2018-19	भालुचुआं, बसुलाडबरी	ट्राईकोकार्ड संख्या	200	93220.00	0	0.00	0	0.00	200	93220.00
			ट्राईकोडर्मा वीरडे 250जीएसएम पैकेट	0	0.00	200	14840.00	0	0.00	200	14840.00
			पी.जी.एस. सर्टिफिकेट संख्या	80	3425.00	0	0.00	0	0.00	80	3425.00
			ढैंचा बीज कि.	12.00	93600.00	25.80	201240.00	2.20	17160.00	40.00	312000.00
			धान बीज पुसा बासमती-1121, कि.	4.24	27560.00	9.03	58695.00	0.77	5005.00	14.04	91260.00
			वर्मी/केंचुआ कि.ग्रा.	0	0.00	0	0.00	100	20000.00	100	20000.00
			योग		**1052605.00**		**468275.00**		**325865.00**		**1846745.00**

चयनित विकासखंड	वर्ष	चयनित ग्राम	प्रदाय अनुदान व सामान में व्यय राशि का मदवार विवरण (रू.)							
			सामग्री/कार्य का नाम	सामान्य (मद-13)		अनुसूचित जन जाति (मद- 41)		अनुसूचित जाति (मद-64)		योग	
				मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बागबाहरा	2019-20	भालुचुआं, बसुलाडबरी	बीज बोनी ,निदाई गुड़ाई कृषक संख्या	278	260600.00	289	344200.00	33	35200.00	600	640000.00
			वर्मीटांका	58	464000.00	10	80000.00	6	48000.00	74	592000.00
			नाडेप टांका	26	184000.00	24	96000.00	26	104000.00	76	384000.00
			ट्राईकोकार्ड सेट नग	138	54510.00	240	94800.00	22	8690.00	400	158000.00
			सरफोगा ल्युर सेट नग	1507	25842.00	2745	44958.00	0	0.00	4252	70800.00
			फेरोमोन ट्रेप सेट नग	732	18290.00	1291	37464.00	130	3245.00	2152	58999.00
			यल्लो स्टिकी ट्रेप सेट नग	2926	52675.00	5994	107899.00	519	9346.00	9440	169920.00
			नेपसेक स्प्रेयर सेट नग	162	324000.00	27	54000.00	11	22000.00	200	400000.00
			ढैंचा बीज कि.	37.80	282555.00	0.00	0.00	2.20	16445.00	40.00	299000.00
			योग		**1666472.00**		**859321.00**		**246926.00**		**2772719.00**
बागबाहरा	2020-21	भालुचुआं, बसुलाडबरी	बीज बोनी ,निदाई गुड़ाई कृषक संख्या	150	480000.00	37	118400.00	10	32000.00	197	630400.00
			ढैंचा बीज कि.	23.10	140910.00	36.90	225090.00	0.00	0.00	60.00	366000.00
			फेरामोन ट्रेप एवं ल्युर सेट नग	5490	196783.00	0	0.00	510	18280.00	6000	215063.00
			वेम माइकोराईजा 1 कि.ग्रा.	180	24948.00	369	51143.00	51	7069.00	600	83160.00
			एजाडिरेक्टिन 3000पी.पी.एम. 500मि.ली.	180	49896.00	369	102287.00	51	14137.00	600	166320.00
			योग		**892537.00**		**496920.00**		**71486.00**		**1460943.00**
बागबाहरा	2021-22	बटोरा, कोकड़ी, कोटरीपानी, कसेकेरा, कुलिया, मुड़पार, बिडोरा, उखरा, अमेरा, टोंगोपानीकला, लामी	वर्मीटांका	100	800000.00	0.00	0.00	0.0	0.00	100.00	800000.00
			वर्मीखाद कि.	146.00	146000.00	13.00	13000.00	111.00	111000.00	270.00	270000.00
			अम्बिका पैडीवीडर संख्या	360	422280.00	0.00	0.00	40	46920.00	400	469200.00
			हसिया,हेण्ड हो,फावड़ा,खुरपी,गैती सेट नग	45	37800.00	0	0.00	5	4200.00	50	42000.00
			फेरामोन ट्रेप एवं ल्युर सेट नग	9100	546694.00	5187	311372.00	0	0.00	14287	858066.00

चयनित विकासखंड	वर्ष	चयनित ग्राम	प्रदाय अनुदान व सामान में व्यय राशि का मदवार विवरण (रू.)							
			सामग्री/कार्य का नाम	सामान्य (मद-13)		अनुसूचित जन जाति (मद- 41)		अनुसूचित जाति (मद-64)		योग	
				मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बागबाहरा	2021-22	बटोरा, कोकड़ी, कोटरीपानी, कसेकेरा, कुलिया, मुड़पार, बिडोरा, उखरा, अमेरा, टोंगोपानीकला, लामी	वेम माइकोराईजा 1 कि.ग्रा.	1680	232848.00	50	6930.00	520	72072.00	2250	311850.00
			ट्रायकोडर्मा 1%WP 1 कि.ग्रा.	775	77318.00	37	3687.00	88	8808.00	900	89813.00
			जिंक सोल्युबलाईजिंग बायोफर्टिलाईजर (जेड.एस.बी.) 500 मि.ली.	1525	158524.00	60	6237.00	215	22349.00	1800	187110.00
			एजाडिरेक्टिन 3000 पी.पी.एम. 1 ली.	855	474012.00	35	19404.00	10	5544.00	900	498960.00
			कल्चर पीएसबी. राईजोबियम	380.8	29680.00	72	5850.00	6	490.00	458	36020.00
			उड़द बीज इंदिरा कि.	2.32	20880.00	1.44	12960.00	0.24	2160.00	4.00	36000.00
			ढैंचा बीज कि.	123.00	738000.00	0.00	0.00	12.00	72000.00	135.00	810000.00
			धान बीज जिंक राईस मधुराज, बादशाहभोग कि.	96.00	230400.00	48.00	120600.00	16.00	46200.00	160.00	397200.00
			योग		**3914436.00**		**500040.00**		**391743.00**		**4806219.00**
बागबाहरा	2022-23	बटोरा, कोकड़ी, कोटरीपानी, कसेकेरा, कुलिया, मुड़पार, बिडोरा, उखरा, अमेरा, टोंगोपानीकला, लामी	वेम माइकोराईजा 1 कि.ग्रा.	810	31012.00	405	0.00	135	53015.00	1350	84027.00
			ट्रायकोडर्मा 1%WP 1 कि.ग्रा.	584	93533.00	0	0.00	900	144144.00	1484	237677.00
			पोटेशियम मोबोलाईजिंग बायो फर्टिलाईजर 500 मि.ली.	300	27720.00	0	0.00	720	66528.00	1020	94248.00
			एजाडिरेक्टिन 3000 पी.पी.एम. 1 ली.	300	197735.00	0	0.00	720	474566.00	1020	672301.00
			कल्चर पीएसबी. राईजोबियम	0	0.00	405	32400.00	45	3600.00	450	36000.00
			ढैंचा बीज सत्यरूप, कि.	81.00	502200.00	37.80	234360.00	0.00	0.00	118.80	736560.00
			स्कोप सर्टिफिकेट पी.जी.एस.प्रमाणीकरण	51	36000.00	43	30000.00	86	60000.00	180	126000.00
			वर्मीखाद कि.	59.70	59700.00	135.00	135000.00	131.80	131800.00	326.50	326500.00
			पी.जी.एस. प्रमाणीकरण	140	98000.00	0	0.00	0	0.00	140	98000.00
			बीज बोनी ,निदाई गुड़ाई कृ संख्या	367	1027600.00	68	190400.00	15	42000.00	450	1260000.00
			योग		**2073500.00**		**622160.00**		**975653.00**		**3671313.00**

चयनित विकासखंड	वर्ष	चयनित ग्राम	प्रदाय अनुदान व सामान में व्यय राशि का मदवार विवरण (रू.)								
			सामग्री/कार्य का नाम	सामान्य (मद-13)		अनुसूचित जन जाति (मद- 41)		अनुसूचित जाति (मद-64)		योग	
				मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि	मात्रा	व्यय राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
बागबाहरा	2023-24	बटोरा, कोकड़ी, कोटरीपानी, कसेकेरा, कुलिया, मुड़पार, बिडोरा, उखरा, अमेरा, टोंगोपानीकला, लामी	वेम माइकोराईजा 1 कि.ग्रा.	1350	132536.00	675	66268.13	225	22089.38	2250	220893.50
			ट्रायकोडर्मा कि.ग्रा.	540	81164.00	270	40582.08	90	13527.36	900	135273.44
			पोटेशियम मोबोलाईजिंग बायो फर्टिलाईजर 500 मि.ली.	1350	124740.00	675	62370.00	225	20790.00	2250	207900.00
	2023-24		जिंक सोल्युबल बायो फर्टिलाईजर 500मिली.	1350	124740.00	675	62370.00	225	20790.00	2250	207900.00
			एजाडिरेक्टिन 3000 पी.पी.एम. 1 ली.	540	325987.00	270	162994.00	90	54331.00	900	543312.00
			वर्मी कम्पोस्ट कि.	0.00	0.00	126.00	126000.00	279.00	279000.00	405.00	405000.00
			बैटरी कम हैंड आपरेटेड नेपसेक स्प्रेयर नग	240	595830.00	165	410061.00	45	111766.00	450	1117657.00
			ढैंचा (सत्यरूप) कि	48.00	400800.00	22.50	0.00	9.60	80160.00	80.10	480960.00
			बीज पर अनुदान (कृषक संख्या)	360	360000.00	68	68000.00	22	22000.00	450	450000.00
	2023-24	बटोरा, कोकड़ी, कोटरीपानी, कसेकेरा, कुलिया, मुड़पार, बिडोरा, उखरा,	निदाई गुड़ाई संख्या	104	104000.00	191	343800.00	22	39600.00	317	487400.00
			पी.जी.एस. प्रमाणीकरण	107	74900.00	85	59500.00	28	19600.00	220	154000.00
			फसल अवशेष परीक्षण संख्या	2	0.00	0	0.00	0	0.00	2	0.00
			योग		**2324697.00**		**1401945.21**		**683653.74**		**4410295.94**
बागबाहरा	2024.25 (दिनांक 30.06.2024 तक)	जुनवानीकला, जुनवानीखुर्द, हरनादादर, खुटेरी, पेन्ड्रा, फलझर, बैहाडीह, कोकनाझर, डुमरडीह	छ.ग. देवभोग बीज (कि)	67.50	303750.00	32.00	144000.00	13.00	58500.00	112.50	506250.00
			हरीखाद सनई बीज (कि.)	60.00	696000.00	28.00	324800.00	12.00	139200.00	100.00	1160000.00
			योग		**999750.00**		**468800.00**		**197700.00**		**1666250.00**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

हस्ता.
संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर

परिशिष्ट - उन्तीस
परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 763) की जानकारी

प्रपत्र–अ

जिला बालोद अंतर्गत विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी

विभाग	केन्द्र / राज्य पोषित		योजना का नाम
1	2		3
कृषि	केन्द्र प्रवर्तित योजना	1	एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा)
		2	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल
		3	रेनफेड एरिया डेव्लपमेट योजना
		4	स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी
		5	कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजना
		6	परंपरागत कृषि विकास योजना
		7	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
		8	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार)
		9	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन)
		10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)
		11	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
		12	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
		13	पी.एम. प्रणाम योजना
		14	नमो ड्रोन दीदी योजना
	राज्य प्रवर्तित योजना	1	अक्ती बीज संवर्धन योजना
		2	राज्य गन्ना विकास योजना
		3	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना
		4	किसान समृद्धि योजना
		5	लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना
		6	जैविक खेती मिशन
		7	द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार
		8	ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल को प्रोत्साहन योजना
		9	कृषक उन्नति योजना
		10	शाकम्भरी योजना
उद्यानिकी	केन्द्र प्रवर्तित योजना	1	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
		2	सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री
		3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
		4	पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना
	राज्य प्रवर्तित योजना	1	फल क्षेत्र विस्तार
		2	नदी के कछार / तटों पर खेती करने वाले लघु सब्जी उत्पादक कृषि समुदायो के प्रोत्साहन की योजना
		3	पोषण बाडी विकास कार्यक्रम
		4	उद्यानिकी प्रशिक्षण
		5	कम्यूनिटी फेन्सिंग योजना
		6	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

जिला बालोद अंतर्गत संचालनालय कृषि द्वारा संचालित योजनाएं एवं लाभान्वित हितग्राही की वर्षवार जानकारी

इकाई व्यय–लाख रू.

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021–22			वर्ष 2022–23			वर्ष 2023–24		
		प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	केन्द्र प्रवर्तित योजना									
1	एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा)	21.87	21.87	6258	62.62	62.52	1883	44.61	44.61	632
2	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	19.46	19.46	4126	28.59	28.59	10111	91.22	91.22	6826
3	रेनफेड एरिया डेव्लपमेट योजना	8.47	8.140	149	27.98	27.84	127	1.38	1.38	7
4	स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी	8.82	8.82	25	लक्ष्य अप्राप्त।			20.58	20.23	5300
5	कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजना	2.80	2.796	440	प्राप्त लक्ष्य के विरूद्ध बीज निगम को प्रदाय आदेश जारी करने के पश्चात भण्डारण नहीं करने के कारण व्यय नहीं किया गया।			0.00	0.00	0
6	परंपरागत कृषि विकास योजना	38.86	38.86	831	-	-	-	50.17	49.04	626
7	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	20.900	0.00	0	223.40	169.54	2605	344.71	315.77	2698
8	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार)	16.230	16.23	2275	57.00	57.00	992	100.66	95.40	264
9	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन)	10.83	8.81	338	3.87	3.87	357	3.20	3.20	50
10	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	48.00	48.00	846	37.00	37.00	383	20.00	20.00	620
11	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	भारत सरकार के राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के डीजी क्लेम माड्यूल के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में राशि हस्तांतरित की जाती है।								
12	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	भारत सरकार द्वारा ही किसानों के खातों में राशि डी.बी.टी. के माध्यम से हस्तांतरित की जाती है।								
13	पी.एम. प्रणाम योजना	आबंटन प्राप्त नहीं।								
14	नमो ड्रोन दीदी योजना	आबंटन प्राप्त नहीं।								

इकाई व्यय–लाख रू.

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021–22			वर्ष 2022–23			वर्ष 2023–24		
		प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या
	राज्य प्रवर्तित योजना									
1	अक्ती बीज संवर्धन योजना	293.24	293.23	28633	337.40	337.40	31418	306.00	305.18	26669
2	राज्य गन्ना विकास योजना	36.55	36.54	911	50.78	24.08	591	22.96	8.98	186
3	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना	6.90	6.90	33	5.38	5.29	25	3.90	3.90	16
4	किसान समृद्धि योजना	8.10	7.98	29	7.04	5.89	18	8.15	7.64	24
5	लघुत्तम सिंचाई तालाब योजना	87.55	87.55	186	71.70	71.70	169	73.19	73.19	35
6	जैविक खेती मिशन	56.89	40.07	450	48.12	42.20	450	51.34	47.69	450
7	द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार	8.75	8.33	245	9.50	9.15	339	9.00	9.00	267
8	ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल को प्रोत्साहन योजना	20.00	20.00	494	20.00	18.87	455	22.00	21.69	485
9	कृषक उन्नति योजना	वर्ष 2023–24 में न्यूनतम समर्थन मूल्य में की गई धान खरीदी के अंतर की राशि को कृषकों के खाते में हस्तांतरित किया गया है।								
10	शाकम्भरी योजना	योजना चैम्प्स के माध्यम से संचालित है।								

टीपः– धान उत्पादन प्रोत्साहन योजना (धान बोनस) वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की बोनस राशि कृषकों के खाते में सीधे डी.बी.टी. के माध्यम से वर्ष 2023–24 में हस्तांतरित किया गया है।

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

जिला बालोद अंतर्गत संचालनालय उद्यानिकी द्वारा संचालित योजनाएं एवं लाभान्वित हितग्राही की वर्षवार जानकारी

इकाई व्यय–लाख रू.

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021–22			वर्ष 2022–23			वर्ष 2023–24		
		प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	केन्द्र प्रवर्तित योजना									
1	**राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना**									
1	बीजोत्पादन कार्यकम –पब्लिक सेक्टर	0.000	0.00	0	1.75	1.75	9	0.000	0.00	0
2	फल पौध रोपण (प्रथम वर्ष)									
i	केला (सामान्य)	26.2500	26.2500	95	9.00375	9.00375	27	16.8750	16.8750	83
ii	ड्रेगन फल (4x4)	1.4575	1.4575	33	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0
iii	पपीता	11.2500	11.2500	100	2.7000	2.7000	9	0.0000	0.0000	0
iv	नींबू	3.84475	3.84475	58	4.55191	4.55191	88	0.0000	0.0000	0
3	फल पौध रोपण (द्वितीय वर्ष)									
i	केला	2.0000	2.0000	15	5.43625	5.43625	47	2.87625	2.87625	25
ii	ड्रेगन फल	0.0000	0.0000	0	0.07956	0.07956	7	0.0000	0.0000	0
iii	नींबू	0.0000	0.0000	0	0.54876	0.54876	25	1.75386	1.75386	84
iv	पपीता	0.0000	0.0000	0	0.00000	0.00000	0	0.9000	0.9000	9
4	फल पौध रोपण (तृतीय वर्ष)									
i	नींबू	0.0000	0.0000	0	0.00000	0.00000	0	0.52121	0.52121	24
5	सब्जी क्षेत्र विस्तार									
i	प्याज	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0	8.8640	8.8640	173
ii	टमाटर (हाईब्रिड)	30.0000	30.0000	247	19.99553	19.99553	165	0.0000	0.0000	0
iii	भिण्डी (हाईब्रिड)	40.0000	40.0000	388	21.54204	21.54204	221	25.6860	25.6860	305
iv	जिमीकंद	0.0000	0.0000	0	18.34	18.34	171	0.0000	0.0000	0
v	बैंगन	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0	9.08965	9.08965	98
vi	हरी मिर्च	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0	14.95303	14.95303	137
6	मसाला विकास									

इकाई व्यय–लाख रू.

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021–22			वर्ष 2022–23			वर्ष 2023–24		
		प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या
i	धनिया	12.0000	12.0000	167	10.7472	10.7472	103	6.0000	6.0000	92
ii	मिर्च	14.4540	14.4540	223	11.99965	11.99965	207	0.0000	0.0000	0
iii	अदरक	21.5460	21.5460	222	9.6528	9.6528	135	2.4000	2.4000	21
iv	हल्दी	0.0000	0.0000	0	10.8864	10.8864	185	0.0000	0.0000	0
7	पुष्प क्षेत्र विस्तार									
i	गेंदा	16.0000	16.0000	206	16.0000	16.0000	175	11.2000	11.2000	121
ii	ग्लेडियोलस	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0	3.0000	3.0000	13
8	औषधि एवं सुगंधित									
i	एलोविरा, लेमनग्रास	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0	1.2160	1.2160	6
9	शैडनेट हाउस	106.5000	106.5000	13	35.5000	35.5000	4	56.8000	56.8000	8
10	प्लास्टिक मल्चिंग	16.0000	16.0000	98	32.0000	32.0000	184	16.0000	16.0000	101
11	वर्मी कम्पोस्ट–पक्का टाका	10.0000	10.0000	20	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0
12	पैक हाउस	18.0000	18.0000	9	18.0000	18.0000	9	16.0000	16.0000	8
13	छोटा तालाब	2.0240	2.0240	4	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0
14	पॉवर वीडर	3.1500	3.1500	10	61.9100	61.9100	100	114.6600	114.6600	182
15	पल्वलाईजर	2.4000	2.4000	4	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0
16	पॉवर स्प्रेयर	2.9295	2.9295	30	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0
17	मधुमक्खीपालन	8.8000	8.8000	10	9.6000	9.6000	10	0.0000	0.0000	0
18	राज्य के भीतर प्रशिक्षण	0.2000	0.2000	20	3.0000	3.0000	100	1.8604	1.8604	200
19	राज्य के बाहर प्रशिक्षण	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0	0.0700	0.0700	1
20	हाईटेक नर्सरी	0.0000	0.0000	0	0.0000	0.0000	0	17.558	17.558	0
21	मिशन मैनेजमेंट	0.0000	0.0000	0	6.02353	6.02353	0	10.88486	10.88486	0
	योग :–	**348.80579**	**348.80579**	**1972**	**309.26738**	**309.26738**	**1981**	**339.1683**	**339.1683**	**1691**
2	**एग्रोफॉरेस्ट्री (पाध उत्पादन)**	**0.0000**	**0.0000**	**0**	**0.0000**	**0.0000**	**0**	**10.000**	**6.82714**	**0**
3	**प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना**	जिलों को आबंटन प्रदाय नही किया जाता है।								
4	**पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना**	जिलों को आबंटन प्रदाय नही किया जाता है।								

इकाई व्यय–लाख रू.

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2021–22			वर्ष 2022–23			वर्ष 2023–24		
		प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या	प्राप्त आबंटन	व्यय राशि	लाभान्वित कृषक संख्या
	राज्य प्रवर्तित योजना									
1	फल क्षेत्र विस्तार	3.75	3.36	165	4.38	4.24	724	5.08	4.95	661
2	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	4.35	4.336	143	4.35	4.35	103	4.11	4.11	104
3	पोषण बाड़ी विकास	17.00	16.95	1700	17.00	16.95	1700	20.00	19.98	2000
4	उद्यानिकी प्रशिक्षण	0.000	0.00	0	0.33	0.33	40	0.33	0.33	40
5	कम्यूनिटी फेन्सिंग योजना	10.898	7.48	17	9.26	8.72	14	13.62	13.41	18
6	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	जिलों को आबंटन प्रदाय नही किया जाता है।								

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र'

जिला बीजापुर में वर्ष 2022 से जून 2024 की स्थिति में सामग्री क्रय, दर एवं फर्मो को किये गये भुगतान की जानकारी

क्र0	सामग्री का नाम	मद का नाम	क्रय आदेश दिनांक	फर्म का नाम	दर	भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7
वर्ष 2022–23						
1	पंजियां	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/02/2022	मेसर्स सांई ट्रेडर्स रायपुर	144.78	1038827.00
2	प्लास्टिक बाल्टी	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/02/2022	मेसर्स सांई ट्रेडर्स रायपुर	485	349200.00
3	प्लास्टिक मग	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/02/2022	मेसर्स सांई ट्रेडर्स रायपुर	65	46800.00
4	पांवदान	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/02/2022	मेसर्स सांई ट्रेडर्स रायपुर	425	314075.00
5	परदा कपडा	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/02/2022	मेसर्स सांई ट्रेडर्स रायपुर	380	38000.00
6	दिवाल घड़ी	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/02/2022	मेसर्स सांई ट्रेडर्स रायपुर	625	156250.00
7	स्टील झारा	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/02/2022	मेसर्स सांई ट्रेडर्स रायपुर	1050	210000.00
8	स्टील चम्मच	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/02/2022	मेसर्स सांई ट्रेडर्स रायपुर	480	96000.00
9	आईना बडी साईज	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/02/2022	मेसर्स सांई ट्रेडर्स रायपुर	1120	224000.00
10	डस्टबीन ढक्कन सहित	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/02/2022	मेसर्स सांई ट्रेडर्स रायपुर	950	537700.00
11	स्टील आलमारी	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/02/2022	मेसर्स अग्रवाल इण्डस्ट्रीज जगदलपुर	9000	675000.00
17	पी वी फोम मेट्रेसेस	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	06/07/2022	मेसर्स अरविंद इण्डस्ट्रीज, पंडरी रायपुर	3800	5864175.00
18	मच्छरदानी	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	07/07/2022	मेसर्स अग्रवाल फाउंड्री एंड फेब्रिकेशन वर्क्स कोरबा	200	354501.00
19	स्टील पंलग	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	08/07/2022	मेसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज, जांजगीर	4456	2327436.00
20	अनाज कोठी	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	09/07/2022		1600	434947.00
21	फिनाईल	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	10/07/2022	मेसर्स धनवंतरी केमिकल्स पेन्ड्रा रोड बिलासपुर	85.14/lt	418379.00
22	एल्युमिनियम भगोना	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/07/2022	मेसर्स ओम मेटलस इण्डस्ट्रीज,जांजगीर चांपा	350/kg	799680.00
23	एल्युमिनियम कड़ाही	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	12/07/2022	मेसर्स ओम मेटलस इण्डस्ट्रीज,जांजगीर चांपा	350/kg	359029.00

24	स्टील थाली	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	13/07/2022	मेसर्स ओम मेटलस इण्डस्ट्रीज,जांजगीर चांपा	250/kg	84000.00
क्र0	सामग्री का नाम	मद का नाम	क्रय आदेश दिनांक	फर्म का नाम	दर	भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7
25	स्टील गिलास	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	14/07/2022	मेसर्स ओम मेटलस इण्डस्ट्रीज,जांजगीर चांपा	350/kg	38002.00
26	प्लास्टिक डस्टबीन	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	15/07/2022	मेसर्स सिंध पॉलीमर्स प्रा.लि. रायपुर	1344	638175.00
27	प्लास्टिक बाल्टी	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	16/07/2022		330	78347.00
28	प्रेशर कुकर 22 ली.	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	17/07/2022	मेसर्स ओरिएंटल सेल्स कार्पोरेशन रायपुर	5200	1131138.00
29	ट्यूबलाईट सेट	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	18/07/2022		328	77873.00
30	पी वी फोम मेट्रेसेस	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	22/02/2023	मेसर्स शिवा इन्टरनेशनल, टिकरापारा रायपुर	3800	760000.00
31	स्टील पंलग	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	22/02/2023	मेसर्स रॉयल इण्डस्ट्रीज, स्टेशन रोड रायपुर	4000	1248000.00
32	फिनाईल	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	22/02/2023	मेसर्स नलीन मेडिकल स्टोर, सूरजपूर	99/lt	764280.00
33	स्टील थाली	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	22/02/2023	मेसर्स ओरिएंटल सेल्स कार्पोरेशन, रायपुर	360/kg	720000.00
34	स्टील गिलास	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	22/02/2023	मेसर्स ओरिएंटल सेल्स कार्पोरेशन, रायपुर	360/kg	709200.00
35	स्टील जग	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	22/02/2023	मेसर्स ओरिएंटल सेल्स कार्पोरेशन, रायपुर	360/kg	277920.00
36	स्टील धामा	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	22/02/2023	मेसर्स ओरिएंटल सेल्स कार्पोरेशन, रायपुर	360/kg	272160.00
37	स्टील करछूली	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	22/02/2023	मेसर्स ओरिएंटल सेल्स कार्पोरेशन, रायपुर	396/kg	152856.00
38	स्टील बाल्टी	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	22/02/2023	मेसर्स ओरिएंटल सेल्स कार्पोरेशन, रायपुर	360/kg	96840.00
39	स्टील मसाला डिब्बा	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	22/02/2023	मेसर्स ओरिएंटल सेल्स कार्पोरेशन, रायपुर	378/kg	65394.00
40	स्टील आलमारी	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	22/02/2023	मेसर्स वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	8000	1544000.00
वर्ष 2023–24						
41	फिनाईल	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	14/06/2023	मेसर्स धनवन्तरी केमिकल्स, पेण्ड्रारोड जी0पी0एस0	99/lt	554698.00
42	स्टील पंलग	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	14/06/2023	मेसर्स वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	4654	2740237.00
43	पी वी फोम मेट्रेसेस	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	14/06/2023	मेसर्स यूनिक इन्टरप्राईजेस मेन रोड बेरला, बेमेतरा	3800	4398132.00
44	एल.ई.डी.बल्ब	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	14/06/2023	मेसर्स यूनिक इन्टरप्राईजेस मेन रोड बेरला, बेमेतरा	248	561119.00
45	एल.ई.डी.बल्ब	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	14/06/2023	मेसर्स जी.एस. इन्टरप्राईजेस बोरियाकला रायपुर	248	500473.00
46	सीलिंग पंखा	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	14/06/2023	मेसर्स सांई टेक्नो सेल्स बोरियाकला रायपुर	2030	3168851.00

47	मच्छरदानी	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	14/06/2023	मेसर्स महाबीर इन्टरप्राईजेस रेवलीडीह, दुर्ग	258	3065447.00
क्र0	सामग्री का नाम	मद का नाम	क्रय आदेश दिनांक	फर्म का नाम	दर	भुगतान की राशि
1	2	3	4	5	6	7
48	स्टील बाल्टी	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स क्रिस्टल इंडिया इण्ड. बिरकोनी, महासमुन्द	360/kg	524465.00
49	स्टील पंलग	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स वर्षा इण्डस्ट्रीज, दुर्ग रोड़ बेमेतरा	4654	2381132.00
50	फिनाईल	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स जे.एम.बी. इन्डस्ट्रीज माना बस्ती रायपुर	99/lt	888458.00
51	स्टील थाली	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स क्रिस्टल इंडिया इण्ड. बिरकोनी,महासमुन्द	360/kg	905058.00
52	स्टील मसाला डिब्बा	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	378/kg	470859.00
53	स्टील परात	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	360/kg	44699.00
54	स्टील पलटा	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	396/kg	62465.00
55	सी.पी. प्लस सी.सी.टी.व्ही. नेटवर्क बुलेट कैमरा (2 एम.पी.)	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स आर.के. ट्रेडिग गली नं. 2 तेलीबाधा रायपुर	5455	1243740.00
56	सी.पी. प्लस सी.सी.टी.व्ही. नेटवर्क विडियों रिकार्ड (8 चैनल)	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स आर.के. ट्रेडिग गली नं. 2 तेलीबाधा रायपुर	7095	404415.00
57	सीगेट हार्ड डिस्क 2 टी.बी.	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स आर.के. ट्रेडिग गली नं. 2 तेलीबाधा रायपुर	7700	438900.00
58	4 यू. रेक	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स आर.के. ट्रेडिग गली नं. 2 तेलीबाधा रायपुर	4388	250116.00
59	सी.पी. लूज केट 6 केबल	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	11/12/2023	मेसर्स आर.के. ट्रेडिग गली नं. 2 तेलीबाधा रायपुर	38 mt	389880.00
60	एल्यु. कुकर	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	23/02/2024	मेसर्स क्रिस्टल इंडिया इण्डस्ट्रीज बिरकोनी, महासमुन्द	4800	1076919.00
61	स्टील पलंग	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	23/02/2024	मेसर्स महाबीर इन्टरप्राईजेस रेवलीडीह, दुर्ग	4010	1856474.00
62	एल.ई.डी.ट्यूबलाईट	विभागीय सामग्री पूर्ति मद	23/02/2024	मेसर्स छत्तीसगढ़ इंडिया इण्ड. बिरकोनी महासमुन्द	328	1502938.00

अप्रैल 2024 से जून 2024 तक

निरंक

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्रालय भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - इक्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 30 (क्र. 787) की जानकारी

प्रपत्र–अ

जिला जांजगीर चांपा में सीमित निविदा (कोटेशन) द्वारा क्रय की गई सामाग्रियों का वर्षवार, योजनावार विवरण

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	निविदा निकालने की तिथि	क्रय की गई सामग्री का विवरण			
				सामग्री का नाम	संख्या / मात्रा	कुल मूल्य (रूपयें में)	भुगतान राशि (रूपयें में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022–23	रेनफेड एरिया डेव्हपलमेंट योजना	24.02.2023	चिक फीडर सेट	323	299744	299744
			24.02.2023	चिक वाटर ड्रिंकर	550	298100	298100
			24.02.2023	ब्रायलर चिक	4754	299978	299978
			24.02.2023	ब्रायलर क्रमफीड	89	299485	299485
			14.03.2023	चिक गार्ड	335	298150	298150
			14.03.2023	पोल्ट्री चिक फीडर	329	281999	281999
			14.03.2023	चिकगार्ड स्टेण्ड	500	160000	160000
2	2023–24	रेनफेड एरिया डेव्हपलमेंट योजना	05.04.2023	चिक गार्ड एवं चिकगार्ड स्टेण्ड	44	52693	52693
			05.04.2023	ब्रायलर चिक	791	49851	49851
			05.04.2023	ब्रायलर चिक	2426	153081	153081
			05.04.2023	चिक गार्ड	166	147434	147434
			05.04.2023	ब्रायलर क्रमफीड	89	299485	299485
			09.05.2023	फीश नेट (नॉयलन)	3	64350	64350
			09.05.2023	नॉयलान थ्रेड	48	86016	86016
			09.05.2023	फीश आईस बॉक्स	12	74880	74880
			09.05.2023	फीश नेट (नॉयलन)	7	150150	150150
			09.05.2023	नॉयलान थ्रेड	112	200704	200704
			09.05.2023	फीश आईस बॉक्स	28	174720	174720
			09.05.2023	ऐग ट्रे	810	192780	192780
			09.05.2023	वाटर ड्रिंकर	550	296998	296998
			09.05.2023	मेक्सी चिक फीडर	400	299999	299999
			09.05.2023	बर्ड ट्रांसपोर्ट केज	90	288900	288900
			09.05.2023	बेल ड्रिंकर	315	298621	298621
			09.05.2023	चिक वेयर मेश	19	79894	79894
			08.05.2023	फीश फीड	65	250000	250000
			09.05.2023	जम्बो चिक फीडर सेट	300	296399	296399
			09.05.2023	पोल्ट्री करटेन (50फीट X 8फीट)	60	286020	286020
4	2024–25 (दिनांक 30.06.2024 तक)	रेनफेड एरिया डेव्हपलमेंट योजना	08.05.2024	वाटर लिफटिंग डिवाईस (विद्युत पम्प)	10	225000	225000

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

सीमित निविदा (कोटेशन) से क्रय की गई सामग्री के वितरण की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	विकासखण्ड का नाम	क्रय की गई सामग्री का विवरण			
				सामग्री का नाम	क्रय संख्या / मात्रा	विकासखण्ड को प्रदायित संख्या / मात्रा	लाभान्वित किसानों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2022–23	रेनफेड एरिया डेव्हपलमेंट योजना	मालखरौदा	चिक फीडर सेट	323	323	323
				चिक वाटर ड्रिंकर	550	550	550
				ब्रायलर चिक	4754	4754	4754
				ब्रायलर क्रमफीड	89	89	89
			बम्हनीडीह	चिक गार्ड	335	335	335
				पोल्ट्री चिक फीडर	329	329	329
				चिकगार्ड स्टेण्ड	500	500	500
2	2023–24	रेनफेड एरिया डेव्हपलमेंट योजना	मालखरौदा	चिक गार्ड एवं चिकगार्ड स्टेण्ड	44	44	44
			बम्हनीडीह	ब्रायलर चिक	791	791	791
				ब्रायलर चिक	2426	2426	2426
				चिक गार्ड	166	166	166
				ब्रायलर क्रमफीड	89	89	89
			पामगढ	फीश नेट (नॉयलन)	3	3	3
				नॉयलान थ्रेड	48	48	48
				फीश आईस बॉक्स	12	12	12
			डभरा	फीश नेट (नॉयलन)	7	7	7
				नॉयलान थ्रेड	112	112	112
				फीश आईस बॉक्स	28	28	28
			बलौदा	ऐग ट्रे	810	810	810
				वाटर ड्रिंकर	550	550	550
				मेक्सी चिक फीडर	400	400	400
				फीश फीड	65	65	65
			अकलतरा	बर्ड ट्रांसपोर्ट केज	90	90	90
				बेल ड्रिंकर	315	315	315
				चिक वेयर मेश	19	19	19
				जम्बो चिक फीडर सेट	300	300	300
				पोल्ट्री करटेन (50फीट X 8फीट)	60	60	60
3	2024–25 (दिनांक 30.06	रेनफेड एरिया	अकलतरा	वाटर लिफटिंग डिवाईस (विद्युत पम्प)	10	10	10

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - बत्तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 31 (क्र. 788) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2021–22 से 30.06.2024 तक क्रय की गयी सामग्री एवं फर्मो का नाम की वर्षवार जानकारी

क्र.	वर्ष	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	संस्थाओं के नाम जिनके लिए सामग्री क्रय की गई
1	2	3	4	5
1	2021–22	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	टीन बाक्स	1 प्री मै. अ.जा.बा.छात्रावास जांजगीर
	2021–22	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	कैबीनेट	2 प्री मै. अ.जा.बा.छात्रावास नवागढ़
	2021–22	छ.ग. इंटरप्राइसेस सुरजपुर	तकिया	3 प्री मै.अ.जा. कन्या छात्रावास जांजगीर
	2021–22	छ.ग. सुपरसेल सुरजपुर	गिलास	4 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. नवागढ़
	2021–22	छ.ग. सुपरसेल सुरजपुर	थाली	5 प्री.मै. अ.जा.कन्या छात्रावास केरा
	2021–22	छ.ग. सुपरसेल सुरजपुर	बर्तन सामग्री	6 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. सलखन
	2021–22	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भण्डार बिलासपुर	पोलिस्टर साडी	7 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रावास कुटरा
	2021–22	छ.ग. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड भण्डार बिलासपुर	सफेद पोली वस्त्र	8 प्री मै. अ.ज.जा. बा.छात्रावास जांजगीर
	2021–22	वासुदेव एजेंसी जांजगीर	टेबल ग्लास	9 पो.मै. अनु.ज.जा. कन्या छात्रा., जांजगीर
	2021–22	वासुदेव एजेंसी जांजगीर	पर्दा रेडिमेड	10 पो.मै. अनु.जाति बा. छात्रा., जांजगीर
	2021–22	वासुदेव एजेंसी जांजगीर	फोटोकॉपी मशीन	11 पो.मै. अनु.जाति कन्या छात्रा.,जांजगीर
	2021–22	वासुदेव एजेंसी जांजगीर	टेबल क्लाथ	12 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रावास अमोदा
	2021–22	वासुदेव एजेंसी जांजगीर	वाटर केरियर	13 प्री मै. अ.जा.क. छात्रावास अकलतरा
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	पुस्तक	14 प्री.मै. अ.जा. बालक छात्रावास अकलतरा
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	ग्लोब व एटलस	15 प्री मै. अ.जा.क. छात्रावास नरियरा
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	चेयर टॉवेल	16 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. पोड़ीदल्हा
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	डॉमर गोली	17 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रावास कापन
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	हैंडवास	18 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. कोटमीसुनार
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	योगा मैट	19 प्री.मै. अ.जा.कन्या छात्रा. हरदी (जर्वे)
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	पेन	20 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रावास तिलई
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	कम्पास सेट	21 प्री मै. अ.ज.जा. बा. छात्रावास अकलतरा
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	ज्योमिट्री बाक्स, कम्पास	22 पो.मै. अनु.जाति बालक छात्रा. अकलतरा
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	हार्पिक	23 पो.मै. अनु.जाति कन्या छात्रा. अकलतरा
	2021–22	श्री मारूती इंटरप्राइसेस अंबिकापुर	लुडो	24 प्री मै. अ.जा.बा. छात्रावास बलौदा
	2021–22	श्री मारूती इंटरप्राइसेस अंबिकापुर	फुटबाल	25 प्री मै. अ.जा.बा. छात्रावास खिसोरा
	2021–22	किरण ड्रेसेज सक्ती	किकेट कीट	26 प्री.मै. अनु.जाति बा. छात्रावास खैजा
	2021–22	किरण ड्रेसेज सक्ती	झाडु	27 प्री.मै. अनु.जाति क. छात्रावास बलौदा
	2021–22	किरण ड्रेसेज सक्ती	टॉयलेट एसिड	28 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. बुड़गहन
	2021–22	किरण ड्रेसेज सक्ती	दर्पण	29 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. पहरिया
	2021–22	किरण ड्रेसेज सक्ती	चेस सेट	30 प्री मै. अ.ज.जा. बा. छात्रावास बलौदा
	2021–22	किरण ड्रेसेज सक्ती	बैडमिंटन	31 अनु.जाति कन्या आश्रम पंतोरा
	2021–22	किरण ड्रेसेज सक्ती	दर्पण फ्रेम	32 पो.मै. अनु.जाति कन्या छात्रा. चारपारा
	2021–22	किरण ड्रेसेज सक्ती	टॉयलेट क्लिनर	33 पो.मै. अनु.जाति कन्या छात्रा. जर्वे ब
	2021–22	किरण ड्रेसेज सक्ती	टॉयलेट ब्रश	34 प्री.मै. अ.जा. बालक छात्रावास पामगढ़
	2021–22	किरण ड्रेसेज सक्ती	मैप भारत, छ.ग.	35 प्री.मै. अ.जा. बालक छात्रावास खरौद
	2021–22	किरण ड्रेसेज सक्ती	कंघी	36 प्री.मै. अ.जा. बालक छात्रावास राहौद
	2021–22	गणपति इंटरप्राइसेस अंबिकापुर	कांच गिलास सेट	37 प्री मै. अ.जा. क. छात्रावास पामगढ
	2021–22	गणपति इंटरप्राइसेस अंबिकापुर	कप सेट	38 प्री मै. अ.जा. क. छात्रावास खरौद
	2021–22	गणपति इंटरप्राइसेस अंबिकापुर	सटल कॉक	39 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. भुईगांव (रा.)
	2021–22	गणपति इंटरप्राइसेस अंबिकापुर	स्टील ट्रे	40 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रावास तनौद
	2021–22	गणपति इंटरप्राइसेस अंबिकापुर	पोछा डंडा	41 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रावास ससहा

क्र.	वर्ष	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	संस्थाओं के नाम जिनके लिए सामग्री क्रय की गई	
1	2	3	4	5	
	2021–22	गणपति इंटरप्राइसेस अंबिकापुर	सांप सिढी	42	पो.मै. अनु.जाति कन्या छात्रा. पामगढ़
	2021–22	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	आलमारी छोटा	43	पो.मै. अनु.जाति बालक छात्रा. पामगढ़
	2021–22	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	फ्रेस एयर फेन	44	पो.मै. अनु.जाति बालक छात्रा. राहौद
	2021–22	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	रूम कूलर	45	प्री मै. अ.जा.बा. छात्रावास झरना
	2021–22	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	कम्प्यूटर टेबल	46	प्री मै. अ.जा. बा. छात्रावास बम्हनीडीह
	2021–22	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	कम्प्यूटर चेयर	47	प्री मै. अ.जा. बा. छात्रावास सारागांव
	2021–22	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा	चर्मशिल्प औजार	48	प्री.मै. अ.जा. बालक छात्रावास चांपा
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	स्ट्रीट लाईट 45 वॉट	49	प्री.मै. अ.जा. बालक छात्रावास बिर्रा
	2021–22	अग्रवाल बुक डिपो जांजगीर	टयूब लाईट सेट	50	प्रीमै. अ..जा. कन्या छात्रावास चांपा
	2021–22	वासुदेव एजेंसी जांजगीर	सिलिंग फेन	51	प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. बम्हनीडीह (चोरिया)
	2021–22	वासुदेव एजेंसी जांजगीर	स्ट्रीट लाईट 60 वॉट	52	प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. अफरीद
	2021–22	वासुदेव एजेंसी जांजगीर	स्ट्रीट लाईट 72 वॉट	53	प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रावास बिर्रा
	2021–22	वासुदेव एजेंसी जांजगीर	एलईडी बल्ब 12 वॉट	54	प्री.मै. अ.ज.जा. बालक छात्रावास बिर्रा
	2021–22	थवाईत मेडिकल पामगढ़	हैण्ड सेनेटाइजर	55	पो.मै. अनु.ज.जा. बालक छात्रा., चॉपा
	2021–22	थवाईत मेडिकल पामगढ़	स्प्रे साबुन	56	प्री मै. अ.जा. बालक छात्रावास सक्ती
	2021–22	थवाईत मेडिकल पामगढ	हैण्डवाश	57	प्री मै. अ..जा.बा.छात्रावास बाराद्वार
	2021–22	थवाईत मेडिकल पामगढ़	वोपोराईजर	58	प्री मै. अ.जा. कन्या छात्रावास सक्ती
	2021–22	थवाईत मेडिकल पामगढ़	औषधी	59	प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. लवसरा
	2021–22	थवाईत मेडिकल पामगढ़	बी0पी0 मॉनिटर	60	प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. बाराद्वार
2	2023–23	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	कूलर	61	प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. जर्वे (स.)
	2023–23	राजेश कुमार अग्रवाल, जांजगीर	एग्जास्ट	62	प्री मै. अ.ज.जा. बा. छात्रावास सक्ती
	2023–23	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	शू–रैक	63	प्री मै. अ.ज.जा. बा. छात्रावास खैरा
	2023–23	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	ड्रेसिंग टेबल	64	प्री मै. अ.ज.जा. क. छात्रावास सक्ती
	2023–23	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	जूता स्टैंड	65	आदिवासी बालक आश्रम अमलडीहा
	2023–23	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा	कैबीनेट	66	आदिवासी बालक आश्रम केरीबंधा
	2023–23	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा	आलमारी	67	आदिवासी बालक आश्रम आमापाली
	2023–23	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा	रैक	68	आदिवासी बालक आश्रम मसनियाखुर्द
	2023–23	जिंदल जनरल सप्लायर सुरजपुर	टॉवेल	69	पो.मै. अनु.ज.जा. बालक छात्रा. सक्ती
	2023–23	जिंदल जनरल सप्लायर सुरजपुर	तकिया कव्हर, गद्दा कव्हर	70	संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पलाडीखुर्द
	2023–23	छ.ग. इंटरप्राइसेस सुरजपुर	तकिया	71	प्री.मै. अ.जा. बालक छात्रावास जैजैपुर
	2023–23	नलीन मेडिकल सुरजपुर	फिनाईल	72	प्री मै. अ.जा. बा. छात्रावास ठठारी
	2023–23	नलीन मेडिकल सुरजपुर	सेनेटरी पैड	73	प्री मै. अ.जा. बा. छात्रावास दतौद
	2023–23	छ.ग. सुपरसेल सुरजपुर	थाली	74	प्री मै. अ.जा. बालक छात्रावास हसौद
	2023–23	छ.ग. सुपरसेल सुरजपुर	भगोना	75	प्री मै. अ.जा. बा. छात्रावास कचंदा
	2023–23	छ.ग. सुपरसेल सुरजपुर	प्लास्टिक सामान	76	प्री मै. अ.जा. बा. छात्रावास पेण्ड्री
	2023–23	छ.ग. सुपरसेल सुरजपुर	कढाई	77	प्री.मै. अ.जा. बालक छात्रावास, ओड़ेकेरा
	2023–23	सिंघानिया ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज बनारी	लोहा तखत	78	प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रावास जैजैपुर
	2023–23	सिंघानिया ग्रुप एंड इंडस्ट्रीज बनारी	गद्दा	79	प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रावास सलनी
	2023–23	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	लोहा तखत	80	प्री.मै अनु.जा. कन्या छात्रावास हसौद
	2023–23	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	गद्दा	81	अनु. जा. कन्या आश्रम चिस्दा
	2023–23	बालाजी इंटरप्राइसेस बांकीमोंगरा	पंखा	82	अनु. जा. बा. आश्रम कुटराबोड़
	2023–23	धनवंतरी केमिकल्स, पेंड्रा रोड	फिनाईल	83	अनु. जा. बा. आश्रम हरेठीकला
	2023–23	राज इंटरप्राइसेस जांजगीर	गैस चुल्हा	84	अनु. जा. बा. आश्रम नगारीडीह

क्र.	वर्ष	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	संस्थाओं के नाम जिनके लिए सामग्री क्रय की गई
1	2	3	4	5
	2023–23	सागर इंडस्ट्रीज जांजगीर	कूलर	85 अनु. जा. बा. आश्रम तुषार
	2023–23	आर0के0 ट्रेडिंग, रायपुर	सिलिंग फेन	86 अनु. जा. बा. आश्रम परसाडीह
	2023–23	अरबन सप्लायर रायपुर	सिलिंग फेन	87 आदिवासी बालक आश्रम गुचकुलिया
	2023–23	खादी ग्रामोद्योग भण्डार बिलासपुर	वर्दी	88 अनु.ज.जा. कन्या आश्रम अकलसरा
	2023–23	छ.ग. राज्य हथकरघा रायपुर	दरी	89 पो.मै. अनु.जाति बालक छात्रा. हसौद
	2023–23	छ.ग. राज्य हथकरघा रायपुर	वर्दी	90 अनुसूचित जाति कन्या क्रीडा परिसर हसौद (चिस्दा)
3	2023–24	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा	बेड	91 प्री.मै. अ.जा. बा. छा. डभरा
	2023–24	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा	तखत	92 प्री. मै. अ.जा. बा. छा. धुरकोट
	2023–24	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा	चेयर	93 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. डभरा
	2023–24	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा	फर्नीचर	94 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. कोटमी
	2023–24	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा	गद्दा कव्हर	95 प्री मै. अ.ज.जा. बा. छा. कोटमी
	2023–24	शिवशंकर इंडस्ट्रीज चांपा	स्टडी टेबल	96 प्री मै. अ.ज.जा. बा. छा. चन्द्रपुर
	2023–24	छ.ग. इंटरप्राइसेस सुरजपुर	ट्यूब लाईट	97 प्री. मै. अ.ज.जा. बा. छा. डभरा
	2023–24	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	12 वॉट बाल्ब	98 अनु.जाति बालक आश्रम धौराभांठा
	2023–24	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	बेड	99 अनु.ज.जा. बालक आश्रम धौराभाठा
	2023–24	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	आलमीरा	100 अ.ज.जा. बालक आश्रम कंवलाझर
	2023–24	श्री बालाजी इंडस्ट्रीज चांपा	ग्राइडर मिक्सर	101 पो.मै. अनु.जाति बालक छात्रा. डभरा
	2023–24	कंसोल मल्टी इलेक्ट्रीकल्स रायपुर	फोटोकॉपी मशीन	102 प्री मै. अ.जा. बा. छात्रा. मालखरौदा
	2023–24	नलीन मेडिकल सुरजपुर	फिनाईल	103 प्री मै. अ.जा. बा. छात्रावास पिरदा
	2023–24	छ.ग. सुपरसेल सुरजपुर	बर्तन सामग्री	104 प्री मै. अ.जा. बा. छात्रावास सिंघरा
	2023–24	छ.ग. सुपरसेल सुरजपुर	प्लास्टिक सामग्री	105 प्री मै. अ.जा. बालक छात्रावास फगुरम
	2023–24	बालाजी इंटरप्राइसेस बांकीमोगरा	सिलिंग फेन	106 प्री मै. अ.जा. बा. छात्रावास अड़भार
	2023–24	बालाजी इंटरप्राइसेस बांकीमोगरा	गद्दा	107 प्री मै. अ.जा. बा. छात्रा. छपोरा
	2023–24	जय महामाया फर्नीचर बैकुंठपुर	कूलर	108 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. मालखरौदा
	2023–24	बसंल ऑटो चांपा	बैटरी	109 प्री.मै. अ.जा. कन्या छात्रा. छपोरा
	2023–24	श्रीराम इंडस्ट्रीज सारागांव	गद्दा	110 अनु. जाति कन्या आश्रम, मालखरौदा
	2023–24	मनीषा इंडस्ट्रीज सक्ती	बेड	111 अनुसूचित जाति बालक आश्रम अड़भार
	2023–24	कम्प्यूटर जोन जांजगीर	कम्प्यूटर सामग्री	112 पो.मै. अनु.जाति कन्या छात्रा. मालखरौदा
	2023–24	छ.ग. हाथकरघा रायपुर	साडी	
	2023–24	छ.ग. हाथकरघा रायपुर	वर्दी कपडा	
	2023–24	बसंल मेडिकल हॉल चांपा	फरस्ट ऐड बाक्स	
	2023–24	राज इंटरप्राइसेस जांजगीर	गैस चुल्हा	
	2023–24	ऑनलाइन कम्प्यूटर चांपा	सी0सी0 टी0व्ही	
	2023–24	दीपक गारमेंट एंड साडीज चांपा	गणवेश	
	2023–24	ओमकार पब्लिकेशन भिलाई दुर्ग	सामान्य ज्ञान पुस्तक	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
अ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - तैंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 804) की जानकारी

प्रपत्र

महासमुंद जिले में दिनांक 01/01/2021 से दिनांक 30/06/2024 तक की अवधि में पर्यावरण प्रदूषण सम्बन्धी प्राप्त शिकायतों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग/ संयंत्र का नाम एवं पता	शिकायतकर्ता का नाम एवं पता	शिकायत दिनांक (कार्यालय में प्राप्ति दिनांक)	शिकायत का विवरण	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
विकासखण्ड-महासमुंद							
1.	मेसर्स बालाजी पॉवर, ग्राम-बेलसोण्डा, जिला-महासमुंद	श्री लक्ष्मीकांत चन्द्राकर, हाउस नं.-386, ओल्ड मार्केट सितला मंदिर के पास, बेलसोन्डा, जिला-महासमुंद।	24.02.2021	बालाजी पावर प्लांट, शिवाली पावर एण्ड स्टील जहा से निकलने वाले धुए तथा भगवती राईस मिल से निकलने वाले प्रदूषित जल से सड़न की बहुत बदबु आती है तथा धुये से पुरा गांव में घर की छते काला-काला हो गया हैं। तथा हर वक्त ऐसा लगता है कि घरों में मानों चुल्हे में आग लगाया हो जहां से धुआं आ रहा है। अतः उपरोक्त उद्योग एवं राईस मिलों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रदूषण की रोकथाम हेतु उचित व्यवस्था किये जाने के संबंध में।	28.07.2021	निरीक्षण दिवस उद्योग संचालित पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्था स्थापित एवं संचालित पाई गई। उद्योग में वायु अथवा जल प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाई गई। अत: कार्यवाही नहीं की गई ।
2.	मेसर्स भगवती इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बेलसोण्डा, जिला-महासमुंद				13.08.2021	निरीक्षण दिवस उद्योग संचालित पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्था स्थापित एवं संचालित पाई गई। उद्योग में वायु अथवा जल प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाई गई। अत: कार्यवाही नहीं की गई ।
3.	मेसर्स शिवालिक इंजीनियरिंग इण्डस्टीज लिमिटेड (पूर्व नाम-शिवालिक पॉवर एण्ड स्टील प्रा.लि.,) ग्राम-बेलसोण्डा, जिला-महासमुंद				25.08.2021	निरीक्षण दिवस उद्योग संचालित पाया गया। प्रदूषण नियंत्रण हेतु सक्षम व्यवस्था स्थापित एवं संचालित पाई गई। उद्योग में वायु अथवा जल प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाई गई। अत: कार्यवाही नहीं की गई ।
4.	मेसर्स बेल्सन क्रशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बेलसोण्डा, तहसील एवं जिला-महासमुंद	श्री नीरज सिंग बिसेन, अयोध्या नगर, सरिता फैंसी स्टोर के पास, गली नं.-1, महासमुंद की शिकायत।	19.10.2022	आइसक्रीम फैक्ट्री के पास स्टोन क्रशर के कारण होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संबंध में	01.12.2022	उद्योग वैध जल एवं वायु सम्मति के बगैर संचालित पाया गया तथा उद्योग में फ्यूजिटिव उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उचित व्यवस्था का अभाव पाया गया।	उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र क्रमांक 3702 दिनांक 05.12.2022 के माध्यम से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम ,1974 की धारा 33 'क' एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम ,1981 की धारा 31 'क' के तहत् उत्पादन बंद करने तथा विद्युत विभाग को उद्योग का विद्युत विच्छेदन करने बाबत निर्देश पत्र प्रेषित किया गया।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

					11.05.2023	उद्योग मे उत्पादन बंद पाया गया तथा फ्यूजिटिव उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था पाई गई। निर्देश के परिपेक्ष्य में उद्योग द्वारा आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण किया जाना पाया गया।	उद्योग द्वारा प्राप्त आवेदन के परिपेक्ष्य मे छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र क्रमांक 415 दिनांक 15.05.2023 के माध्यम से जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया तथा पत्र क्रमांक 474 दिनांक 16.05.2023 के माध्यम से उत्पादन प्रारंभ करने/विद्युत बहाली बाबत् संशोधित निर्देश पत्र जारी किया गया
		श्री नीरज बिसेन, मेसर्स बिसेन फूड्स, नांदगांव रोड, बेलसोण्डा, जिला-महासमुंद	02.01.2024	बेल्सन स्टोन क्रशर खसरा नं.- 1079/1, 1081/1 के द्वारा भयंकर धूल डस्ट से हो रही स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार की क्षति बाबत्।	10.01.2024	उद्योग मे जल छिड़काव की व्यवस्था संचालित नहीं पाई गई, जिससे अत्यधिक फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन अवलोकित किया गया तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाई गई। साथ ही हाउस कीपिंग व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 11.01.2024 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया।
					06.02.2024	उद्योग मे जल छिड़काव की व्यवस्था संचालित पाई गई, परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाई गई। साथ ही हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक पाई गई। उद्योग द्वारा नोटिस के परिपेक्ष्य में आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण किया जाना पाया गया।	उद्योग द्वारा सुधारात्मक कार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गई।
5.	मेसर्स डी.एम.के. इंटरप्राईजेस, प्लॉट न.-105, औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद	श्री ओम कश्यप, छत्तीसगढ़ संयुक्त किसान मोर्चा, हांडीपारा, रायपुर	23.11.2022	सड़े गले टायर को गलाकर ज्वलनशील सर्वाधिक प्रदूषित करने वाला मानव सहित जानवरों को चर्म रोग से ग्रसित करने वाला ऑयल बनाने का यूनिट जो पूरे भारत में प्रतिबंधित है, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा सभी कलेक्टरों को नोटिस भेजकर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए है, जिसमें बिरकोनी भी शामिल है ऐसी प्रदूषित करने वाले प्रतिबंधित उद्योग बिरकोनी (महासमुंद) औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने हेतु अनुमति बाबत्	07.12.2022	उद्योग मे प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाई गई। अत: कार्यवाही नहीं की गई ।
6.	मेसर्स ए.एस.जी. इंटरप्राईस, प्लॉट न.-104, औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, महासमुंद				07.12.2022	उद्योग मे प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नहीं की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	स्थिति सामान्य पाई गई। अत: कार्यवाही नहीं की गई ।
7.	मेसर्स ग्लोबल ग्रीन ऐनर्जी (पूर्व नाम श्री धाम इंडस्ट्रीज) प्लॉट न.-237 (पार्ट), औद्योगिक क्षेत्र बिरकोनी, जिला-महासमुंद				07.12.2022	उद्योग मे उत्पादन बंद पाया गया। उद्योग द्वारा लगभग 03 माह पूर्व से उत्पादन बंद होना बताया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

				आवेदन लंबित है, जिसे प्रतिबंध करते हुए निरस्त करने बाबत्।	05.10.2023	उद्योग में स्टेन्डर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर (एस.ओ.पी.) के अनुसार उचित प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था पाई गई तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 11.10.2023 के माध्यम से उद्योग को जल एवं वायु सम्मति नवीनीकरण जारी किया गया।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
8.	मेसर्स महामाया होम लिंकर्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-घोड़ारी, जिला-महासमुंद	श्री रितेन्द्र नायक प्रोपराईटर मेसर्स समृद्धि एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-घोड़ारी, जिला-महासमुंद	30.01.2024	गिट्टी क्रशर (ग्राम-घोड़ारी, जिला-महासमुंद खसरा नंबर 481 व 482) स्थापित होने से प्रदूषण संबंधी शिकायत बाबत्।	06.03.2024	शिकायत स्थल पर उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ नहीं किया जाना पाया गया तथा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ने जैसी स्थिति नहीं पाई गई।	कार्यवाही की आवश्यकता नहीं।
		श्री रितेन्द्र नायक प्रोपराईटर मेसर्स समृद्धि एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-घोड़ारी, जिला-महासमुंद	28.06.2024	ग्राम घोड़ारी जिला महासमुंद के खसरा नंबर 480 व 481 में गिट्टी क्रेशर स्थापित होने पर तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु।	08.07.2024	निरीक्षण में पाया गया कि प्रस्तावित उद्योग द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये बगैर क्रशर इकाई की स्थापना/निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है।	उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 10.07.2024 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य बंद करने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया।
					12.07.2024	प्रस्तावित उद्योग द्वारा उनके पत्र दिनांक 12.07.2024 के माध्यम से स्थापना/निर्माण कार्य बंद करने की जानकारी दी गयी तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त करने के उपरांत ही पुनः स्थापना/निर्माण कार्य आरंभ करने की जानकारी दी गई। तत्परिपेक्ष्य में निरीक्षण के दौरान स्थापना/निर्माण कार्य नहीं किया जाना पाया गया।	समाधानकारककार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गयी।
विकासखण्ड – बागबाहरा- निरंक							
विकासखण्ड – बसना- निरंक							
विकासखण्ड – सराईपाली- निरंक							
विकासखण्ड - पिथौरा - निरंक							

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - चौंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 816) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वर्ष	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	संस्थाओं के नाम जिनके लिए सामग्री क्रय की गयी
1	2	3	4	5
1	2021–22 (अप्रैल 2021 से मार्च 2022)	छत्तीसगढ़ इंटरप्राईजेस	गद्दा	1 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास धमतरी
			तकिया	2 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास अकलाडोंगरी
		महावीर इंटरप्राईजेस रवेलीडीह दुर्ग	छोटी आलमारी	3 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास धमतरी
			विद्यार्थी कुर्सी	4 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सिंगपुर
			विद्यार्थी टेबल	5 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास मगरलोड
			लोहा रेक	6 प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास नगरी
		छ.ग.सुपर सेल्स सूरजपुर	स्टील पानी टंकी	7 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सिहावा
			बाल्टी	8 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सांकरा
			पल्टा/करछी	9 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सियारीनाला
		महावीर इंटरप्राईजेस रवेलीडीह दुर्ग	बड़ी आलमारी	10 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुकरेल
		लक्ष्मी साइंटीफिक एंड स्पोटर्स वर्क्स धमतरी	व्हालीबाल (कास्को)	11 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास रिसगांव
			बैडमिंटन रैकेट	12 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास टांगापानी
			शटलकॉक	13 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बेलरबाहरा
		नवीन मेडिकल स्टोर सुरजपुर	फिनाईल	14 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास घुटकेल
		मनीषा इंडस्ट्रीज रायपुर	बर्तन (गंज)	15 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास नगरी
		ओरियंटल सेल्स कोर्पोरेशन रायपुर	एल.ईडी. ट्यूबलाईट	16 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास गट्टासिल्ली
		श्रीराम इंडस्ट्रीज रायपुर	मच्छरदानी	17 प्री. मैट्रिक अनुसुचित जाति बालक छात्रावास धमतरी
		छ.ग.सुपर सेल्स सूरजपुर	मच्छरदानी	18 प्री. मैट्रिक अनुसुचित जाति कन्या छात्रावास धमतरी
		श्रीचंद नचनमल धमतरी	गैस भट्ठा	19 प्री. मैट्रिक अनुसुचित जाति बालक छात्रावास कुरूद
		जलाराम बुक हाउस धमतरी	कम्प्यूटर सेट	20 प्री. मैट्रिक अनुसुचित जाति बालक छात्रावास भखारा
			बुक केश	21 प्री. मैट्रिक अनुसुचित जाति कन्या छात्रावास भखारा
			आलमारी	22 प्री. मैट्रिक अनुसुचित जाति बालक छात्रावास मगरलोड
			बैंच	23 प्री. मैट्रिक अनुसुचित जाति बालक छात्रावास सिंगपुर
			कम्प्यूटर टेबल	24 प्री. मैट्रिक अनुसुचित जाति कन्या छात्रावास सिंगपुर
			कुर्सी	25 प्री. मैट्रिक अनुसुचित जाति बालक छात्रावास नगरी
			वाल पेपर	26 प्री. मैट्रिक अनुसुचित जाति कन्या छात्रावास नगरी
			विद्युत वायर	27 प्री. मैट्रिक अनुसूयित जनजाति बालक छात्रावास दुगली
			साकेट	28 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बेलरगांव
			ट्यूबलाईट	29 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास अरौद
			पंखे	30 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मगरलोड
			स्वीचं	31 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास फरसिंया
			स्वीच बोर्ड	32 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास डाही
			चार्ट	33 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुरूद
			ग्लोब	34 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास केरेगांव
			पेंट एण्ड डेकोरेशन	35 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास गट्टासिल्ली
			लाइब्रेरी हेतु पुस्तकें	36 प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास उमरगांव
			वायर बोर्ड	37 पो.मै. अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास नगरी
			डस्टर	38 पो.मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास धमतरी
			मार्कर पेन	39 पो.मै. अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास धमतरी
			रजिस्टर	40 पो.मै. अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास नगरी
		नलिन मेडिकल स्टोर सुरजपुर	फिनाईल	41 पो.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास धमतरी

क.	वर्ष	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	संस्थाओं के नाम जिनके लिए सामग्री क्रय की गयी
1	2	3	4	5
		छ.ग.सुपर सेल्स सूरजपुर	मच्छरदानी	42 पो.मै अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास धमतरी
2	2022–23 अप्रैल 2022 से मार्च 2023	मणिधारी सेल्स कोर्पोरेशन रायपुर	थाली	43 पो.मै. अनुसूचित जाति बालक छात्रावास कुरूद
			गिलास	44 पो.मै अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कुरूद
			जग	45 प्राथ. अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम दुगली
			कढाही (15 कि.ग्रा.)	46 प्राथ. अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम बरनासिल्ली
		आर.के.ट्रेडिंग रायपुर	एल.ईडी. बल्ब	47 प्राथ. अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम करेहा
			एल.ईडी. ट्यूबलाईट	48 प्राथ. अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम भैंसामुडा
			पंखा	49 प्राथ. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम,सलोनी
		महावीर इंटरप्राईजेस रवेलीडीह दुर्ग	विद्यार्थी टेबल	50 प्राथ. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम,सिहावा
			विद्यार्थी कुर्सी	51 प्राथ. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम, कसपुर
			आलमारी छोटी	52 प्राथ. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम,बोरई
			लोहा पलंग	53 प्राथ. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम,घोटगांव
		अरविंद इंडस्ट्रीज रायपुर	गद्दा	54 प्राथ. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम,गेदरा
		वेदान्ता इंटरप्राईजेस नगरी	व्हालीबाल (कास्को)	55 प्राथ. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम,सांकरा
			फुटबाल (कास्को)	56 प्राथ. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम,भोथापारा
			गैस भट्टा (डबल बर्नर)	57 प्राथ. अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम, मेचका
			गैस भट्टा (सिंगल बर्नर)	
		गुरू स्पोर्ट्स धमतरी	बैडमिंटन	
			शटलकॉक	
			व्हालीबाल (कास्को)	
			चेनिस चेकर	
		वर्षा इंडस्ट्रीज बेमेतरा	विद्यार्थी टेबल	
			विद्यार्थी कुर्सी	
			आलमारी छोटी	
			लोहा पलंग	
		छ.ग.सुपर सेल्स सूरजपुर	पानी टंकी (स्टील)	
			बाल्टी 20 लीटर	
		आर.एम.ट्रेडिंग रायपुर	आईना	
		एस.के.प्लास्टिक धमतरी	दीवार घड़ी	
		छ.ग.सुपर सेल्स सूरजपुर	फिनाईल	
		श्रीचंद नचनमल धमतरी	गैस भट्टा (डबल बर्नर)	
		वर्षा इंडस्ट्रीज बेमेतरा	विद्यार्थी टेबल	
			विद्यार्थी कुर्सी	
			लोहा पलंग	
			छोटी आलमारी	
			मच्छरदानी	
			बड़ी आलमीरा	
		उन्नति वेंचर रायपुर	लोहा पलंग	
			छोटी आलमारी	
		छ.ग.सुपर सेल्स सूरजपुर	बाल्टी (प्लास्टिक)	
			मग (प्लास्टिक)	
			मच्छरदानी	

क.	वर्ष	फर्म का नाम	सामग्री का नाम	संस्थाओं के नाम जिनके लिए सामग्री क्रय की गयी
1	2	3	4	5
		लक्ष्मी जैन अटल नगर, रायपुर	बाल्टी (प्लास्टिक)	
			मग (प्लास्टिक)	
		श्री बालाजी इंटरप्राईजेस सुरजपुर	गद्दा	
3	2023–24 अप्रैल 2023 से मार्च 2024	निलेश ट्रेडिंग कंपनी राजनांदगांव	कूकर (12 लीटर)	
		धनवंतरी केमिकल्स पेण्ड्रारोड	फिनाईल	
		श्रीचंद नचनमल धमतरी	गैस भट्ठा	
		ओरियटल सेल्स कोर्पोरेशन रायपुर	थाली स्टील	
			कटोरी स्टील	
		गुरू स्पोर्ट्स धमतरी	बैडमिंटन रैकेट	
			शटलकॉक	
			व्हालीबॉल	
			चेनिस चेकर	
		आर.के.ट्रेडिंग रायपुर	ट्यूबलाईट	
		श्रीचंद नचनमल धमतरी	नाश्ता प्लेट	
			नाश्ता चम्मच	
			स्टील गिलास	
			स्टील जग	
		छत्तीसगढ़ ग्रामोद्योग केन्द्र, ग्राम–कोलिहामार, बालोद	तकिया (16X24) इंच	
			दरी (12X15)	
			गद्दा	
		एस.के.इंडस्ट्रीज रायपुर	मच्छरदानी	
		नलिन मेडिकल स्टोर सूरजपुर	फिनाईल	
		वेदान्ता इंटरप्राईजेस मंडी रोड, नगरी	बॉलीबॉल	
			बॉलीबॉल नेट	
			फूटबॉल	
			फूटबॉल नेट	
			स्कीपिंग रोप	
			फाईवर तरतरी	
			बेट 3नं0	
			बेट 4नं0	
			बेट 5नं0	
			टेनिस बॉल	
			स्टम्प	
			गोला 4नं0	
			बास्केट बॉल	
			रिंग	
			बैडमिटन	
			बैडमिटन नेट	
			शटल कॉक	
			लूडो सेट	
			शतरंज सेट	
			कैरम बोर्ड	
			स्टाईगर	
			चैनिस चेकर	
			पित्तुल	

परिशिष्ट - पेंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 38 (क्र. 823) की जानकारी

प्रपत्र–अ

जिला राजनांदगांव अंतर्गत वर्ष 2024–25 में समितिवार उर्वरक वितरण का लक्ष्य

क्र	विकासखंड का नाम	समिति का नाम	समितिवार उर्वरक वितरण का लक्ष्य, वर्ष 2024–25					
			उर्वरक का नाम (इकाई मे.टन)					
			यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	योग
			लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*10*	*13*	*16*	*19*
1	राजनांदगांव	ढाबा	230	187	24	35	64	540
2		कन्हारपुरी	160	146	16	39	28	389
3		सोमनी	445	203	115	108	143	1013
4		सुरगी	238	183	46	62	89	619
5		भर्रेगांव	115	140	11	33	24	321
6		सिंघोला	279	220	48	70	65	682
7		रानीतराई	249	256	0	63	36	604
8		रामपुर	127	178	16	48	53	421
9		गठुला	285	326	27	69	66	773
10		रंगकठेरा	191	180	30	28	33	462
11		सांकरा	89	103	0	33	33	257
12		तुमडीबोड	315	319	32	59	71	795
13		कोहका	184	154	56	34	79	508
14		भानपुरी	232	163	35	33	52	515
15		सुकुलदैहान	232	201	22	23	42	521
16		तिलईरवार	252	110	81	42	52	537
17		तेन्दुनाला	191	260	0	32	55	538
18		घुमका	170	90	24	33	57	374
19		पटेवा	214	187	51	35	57	542
20		भैंसातरा	182	86	46	26	49	389
21		मुरमुंदा	142	186	11	37	51	427
22		उपरवाह	230	194	59	33	57	571
23		बघेरा	245	192	27	56	56	577
24		पदुमतरा	335	233	78	52	57	755
25		डोंगरगांव	262	244	16	67	27	616
26		अर्जुनी	239	171	27	28	57	521

क्र	विकासखंड का नाम	समिति का नाम	समितिवार उर्वरक वितरण का लक्ष्य, वर्ष 2024–25					
			उर्वरक का नाम					(इकाई मे.टन)
			यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	योग
			लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*10*	*13*	*16*	*19*
27	डोंगरगांव	दीवानभेडी	268	182	22	39	73	584
28		कोकपुर	225	135	48	40	45	494
29		खुर्सीटिकुल	437	204	86	43	82	852
30		बादराटोला	346	250	49	42	99	786
31		कुमरदा	383	140	100	37	48	708
32		चारभाठा कु.	174	149	11	17	49	400
33	छुरिया	खुज्जी	148	140	16	16	19	340
34		खुर्सीपार	368	277	62	56	85	847
35		किरगी	376	278	56	30	123	863
36		रतनभाठ	213	210	16	38	9	487
37		गिदर्री	193	174	16	30	46	459
38		पांगरीखुर्द	163	116	16	23	45	363
39		मटिया	401	301	67	51	71	891
40		उमरवाही	230	182	22	31	42	507
41		छुरिया	329	146	89	33	57	653
42		शि.महका	249	264	19	23	76	631
43		झिथराटोला	187	179	24	22	33	445
44		भोलापुर	258	225	20	14	61	578
45		बम्हनी चारभाठा	390	59	168	51	92	760
46		सडक चिरचारी	556	54	218	75	154	1057
47		गैदाटोला	191	101	49	19	85	445
48		जोशीलमती	408	179	83	42	141	853
49		कुहीकला	454	78	201	47	142	921
50		क.बंजारी	388	194	56	23	80	741
51		साल्हेटोला	212	97	38	14	92	453
52		गहिराभेडी	215	125	48	37	71	496
53	डोंगरगढ़	ला.ब.नगर	234	178	40	28	71	552
54		रामाटोला	315	408	0	39	69	831
55		महाराजपुर	252	349	11	24	61	696
56		लालूटोला	259	295	0	21	57	632
57		चारभाटा	241	165	48	28	71	553
58		मडियान	215	165	46	28	47	501
59		सीतागोटा	258	147	74	16	94	590
60		बागरेकसा	289	226	56	23	71	665

क्र	विकासखंड का नाम	समिति का नाम	समितिवार उर्वरक वितरण का लक्ष्य, वर्ष 2024–25					
			उर्वरक का नाम (इकाई मे.टन)					
			यूरिया	डीएपी	एनपीके	एमओपी	एसएसपी	योग
			लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य	लक्ष्य
1	*2*	*3*	*4*	*7*	*10*	*13*	*16*	*19*
61	डोंगरगढ़	मेढ़ा	281	140	56	33	64	575
62		मुडपार	255	279	30	37	75	676
63		कोलिहापुरी	360	318	48	58	113	897
64		ढारा	318	171	47	51	132	720
65		अछोली	400	292	0	42	85	820
66		मुसराकला	328	285	73	40	63	788
67		बेलगाव	303	186	24	42	161	716
68		पनियाजोब	254	233	0	47	81	613
69		ठाकुरटोला	345	186	48	33	146	758
70		बोरतलाब	239	140	40	5	73	497
71		मोहारा	240	93	70	45	94	541
72		रूवांतला	268	203	38	20	21	550
73		छीपा	129	120	32	33	36	350
74		खुर्सीपार	220	174	10	37	57	497
महायोग–			**19600**	**14100**	**3290**	**2800**	**5110**	**44900**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

जिला राजनांदगांव में रासायनिक उर्वरकों का भण्डारण एवं कृषकों को वितरण की जानकारी

इकाई मे.टन

क्र.	उर्वरक का नाम	उर्वरक वितरण का लक्ष्य 2024–25			जिले को आपूर्ति की गयी उर्वरक की मात्रा						कृषकों को वितरित उर्वरक (01.03.2024 से 03.07.2024 तक)					
					01.03.2024 से 31.03.2024 (2023–24)			01.04.2024 से 03.07.2024 (2024–25)			मात्रा			कृषक संख्या		
		सहकारी	निजी	योग	सहकारी	निजी	योग	सहकारी	निजी	योग	सहकारी	निजी	योग	सहकारी	निजी	योग
1	यूरिया	19600	8400	**28000**	3927.33	2153.76	**6081.09**	18433.18	6606.18	**25039.36**	16330.50	6540.16	**22870.66**	66915	10718	77633
2	एस.एस.पी.	5110	2190	**7300**	1457.33	205.00	**1662.33**	5425.80	1765.90	**7191.70**	4460.50	1244.45	**5704.95**			
3	एम.ओ.पी.	2800	1200	**4000**	1016.30	160.00	**1176.30**	3003.20	423.00	**3426.20**	2385.40	415.10	**2800.50**			
4	डी.ए.पी.	14100	3500	**17600**	3436.15	438.85	**3875.00**	9096.70	2133.63	**11230.33**	8737.35	1980.93	**10718.28**			
5	एन.पी.के.	3290	1410	**4700**	600.55	108.09	**708.64**	6137.02	1875.79	**8012.81**	5274.20	1329.47	**6603.67**			
योग		**44900**	**16700**	**61600**	**10437.66**	**3065.70**	**13503.36**	**42095.90**	**12804.50**	**54900.40**	**37187.95**	**11510.11**	**48698.06**	**66915**	**10718**	**77633**

(विकास मिश्रा)
अवर सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–अ

अविभाजित राजनांदगांव जिला में वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में पंजीकृत एवं पात्र किसानों को भुगतान एवं शेष प्रोत्साहन राशि की वर्षवार, संस्थावार जानकारी

क्र.	वर्ष	पंजीकुत कृषको को भुगतान का विवरण						पंजीकुत कृषको को भुगतान हेतु शेष						भुगतान शेष होने का कारण
		कृषक संख्या			भुगतान की गई राशि (रू लाख में)			कृषक संख्या			शेष राशि (रू लाख में.)			
		अपेक्स बैक	बीज निगम	योग	अपेक्स बैक	बीज निगम	योग	अपेक्स बैक	बीज निगम	योग	अपेक्स बैक	बीज निगम	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2015-16	75375	282	75657	8764.17	113.41	8877.58	767	0	767	63.73	0.00	63.73	किसानों द्वारा दर्ज कराए गए बैंक खाते बंद हो जाने, आइ.एफ. एस.सी. कोड एवं खाता कमांक त्रुटिपूर्ण होने के कारण ट्रांसेक्शन फेल हो जाने के कारण भुगतान नहीं हो सका है। किसानों से सही बैंक खाते की जानकारी प्राप्त कर तहसीलदार द्वारा सत्यापन के पश्चात् खाता सुधार कर भुगतान की कार्यवाही प्रचलित है।
2	2016-17	115374	261	115635	15534.16	105.52	15639.68	0	0	0	0	0	0	–

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

राजनांदगांव जिला में वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में भुगतान हेतु शेष प्रोत्साहन राशि एवं किसानों की संख्या की विकासखण्डवार जानकारी

प्रपत्र–ब

क्र.	विकासखण्ड का नाम	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17	
		भुगतान हेतु शेष कृषको की संख्या	राशि (रू. में)	भुगतान हेतु शेष कृषको की संख्या	राशि (रू. में)
1	2	3	4	5	6
1	खैरागढ़	145	1397880	0	0
2	चौकी	14	102240	0	0
3	छुईखदान	177	1285320	0	0
4	छुरिया	92	517200	0	0
5	डोगरगांव	180	1534080	0	0
6	डोगरगढ़	5	31440	0	0
7	मोहला	31	147240	0	0
8	मानपुर	10	50520	0	0
9	राजनांदगांव	113	1307460	0	0
	योग	**767**	**6373380**	**0**	**0**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर

परिशिष्ट - सैंतीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 839) की जानकारी

प्रपत्र–"अ"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 839 के प्रश्नांश "क" की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का नाम	छात्रावास आश्रम का नाम	स्थान	स्वयं के भवन में संचालित	किराये के भवन में संचालित	अन्य शासकीय भवन में संचालित
1	3			5	6	7	8	9
1	छुरिया	राजनांदगांव	खुज्जी	पोष्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, छुरिया	छुरिया	स्वयं के भवन में	–	–
2	छुरिया			प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, कुमर्दा	कुमर्दा	–	–	पुराना हाई स्कुल भवन में संचालित
3	छुरिया			प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, छुरिया	छुरिया	–	–	शिक्षा विभाग के छात्रावास भवन में संचालित
4	छुरिया			प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास, गोडलवाही	गोडलवाही	स्वयं के भवन में	–	–
5	छुरिया			प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, छुरिया	छुरिया	स्वयं के भवन में	–	–
6	छुरिया			प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, उमरवाही	उमरवाही	स्वयं के भवन में	–	–
7	छुरिया			प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास, छुरिया	छुरिया	स्वयं के भवन में	–	–
8	छुरिया			आदिवासी कन्या आश्रम, कुहीकला	कुहीकला	स्वयं के भवन में	–	–
9	छुरिया			अनुसूचित जाति बालक आश्रम, बूचाटोला	बूचाटोला	स्वयं के भवन में	–	–
10	अं.चौकी	मोहला–मानपुर–अं.चौकी		पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास जादूटोला	जादूटोला	स्वयं के भवन में	–	–
11	अं.चौकी			पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास जादूटोला	जादूटोला	स्वयं के भवन में	–	–
12	अं.चौकी			प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास जादूटोला	जादूटोला	–	–	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास के भवन में संचालित
13	अं.चौकी			प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास जादूटोला	जादूटोला	स्वयं के भवन में	–	–
14	अं.चौकी			अनुसूचित जाति बालक आश्रम, हज्जूटोला	हज्जूटोला	स्वयं के भवन में	–	–
15	अं.चौकी			प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बांधाबाजार	बांधाबाजार	स्वयं के भवन में	–	–
16	अं.चौकी			प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास आमाटोला	आमाटोला	स्वयं के भवन में	–	–
17	अं.चौकी			प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चिल्हाटी	चिल्हाटी	स्वयं के भवन में	–	–
18	अं.चौकी			प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास चिल्हाटी	चिल्हाटी	–	–	कन्या आश्रम चिल्हाटी में संयुक्त रूप से संचालित
19	अं.चौकी			अनुसूचित जाति कन्या आश्रम, चिल्हाटी	चिल्हाटी	स्वयं के भवन में	–	–
20	अं.चौकी			आदिवासी कन्या आश्रम मक्के	मक्के	स्वयं के भवन में	–	–
21	अं.चौकी			प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास छछानपहरी	छछानपहरी	स्वयं के भवन में	–	–
22	अं.चौकी			पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी	चौकी	स्वयं के भवन में	–	–
23	अं.चौकी			पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास चौकी	चौकी	स्वयं के भवन में	–	–
24	अं.चौकी			प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी क्रमांक–01	चौकी	स्वयं के भवन में	–	–
25	अं.चौकी			प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी क्रमांक–02	चौकी	–	–	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी क्रमांक–01 में संयुक्त रूप से संचालित है
26	अं.चौकी			प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास चौकी	चौकी	स्वयं के भवन में	–	–
27	अं.चौकी			शास. कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास अं.चौकी	चौकी	स्वयं के भवन में	–	–
28	अं.चौकी			शास. कन्या क्रीड़ा परिसर छात्रावास अं.चौकी	चौकी	स्वयं के भवन में	–	–

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

"प्रपत्र – ब"

विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 839 के प्रश्नांश "ख" की जानकारी

क्र.	विकासखंड का नाम	छात्रावास आश्रम का नाम	स्थान	स्वीकृत वर्ष	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि (लाख में)	कार्य की भौतिक स्थिति
1	2	5	6	7	8	9	10
1	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास गोडलवाही	गोडलवाही	2021-22	भवन निर्माण	152.97	प्लास्टर कार्य प्रगति पर
2	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास उमरवाही	उमरवाही	2021-22	भवन का दरवाजा, फलोरिंग, प्लास्टर, पोताई पेन्ट एवं अन्य कार्य	4.99	पूर्ण
3	चौकी	अनुसूचित जाति बालक आश्रम हज्जूटोला	हज्जूटोला	2021-22	फ्लोर टाईल्स एवं अन्य कार्य	4.00	पूर्ण
4	चौकी	अनुसूचित जाति कन्या आश्रम चिल्हाटी	चिल्हाटी	2021-22	फलोर टाइल्स, एवं अन्य कार्य	5.00	पूर्ण
5	चौकी	कन्या शिक्षा परिसर, छात्रावास क्र. 02 अं. चौकी	चौकी	2021-22	मच्छरजाली व अन्य कार्य	4.67	पूर्ण
6	चौकी	कन्या शिक्षा परिसर, छात्रावास क्र. 01 अं. चौकी	चौकी	2021-22	पाईप लाईन, चेम्बर, डायनिंग हाल का छत गेडिंग व अन्य कार्य	2.48	पूर्ण
7	चौकी	कन्या क्रीड़ा परिसर, छात्रावास चौकी	चौकी	2021-22	किचनशेड, प्लास्टर, टाईल्स व अन्य कार्य	3.67	पूर्ण
		योग				177.78	
8	छुरिया	पोष्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास छुरिया	छुरिया	2022-23	मॉडुलर किचन, नाली निर्माण, इंटरलॉकिंग एव अन्य लघु कार्य	12.50	पूर्ण
9	छुरिया	अनुसूचित जाति बालक आश्रम बूचाटोला	बूचाटोला	2022-23	शौचायल–स्नानागर के दरवाजा में बदलाव पोताई पेन्टिंग एवं अन्य लघु कार्य	5.55	पूर्ण
10	चौकी	कन्या क्रीड़ा परिसर छात्रावास चौकी	चौकी	2022-23	छात्रावास भवन में इमल्सन एवं एक्सटिरियर पेंट तथा अन्य लघु कार्य	2.28	पूर्ण
11	चौकी	पोष्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी	चौकी	2022-23	शौचालय स्नानागार के सीटो में बदलाव सिवरेज कनेक्शन प्लास्टर एएवं अनय लघु कार्य	1.78	पूर्ण
12	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास क्रमांक–01 चौकी	चौकी	2022-23	मच्छरजाली कार्य, पुटटी, पेन्टिंग, इंटरलॉकिंग, टाइल्स एवं अन्य लघु कार्य	19.96	पूर्ण
13	चौकी	कन्या शिक्षा परिसर छात्रावास चौकी	चौकी	2022-23	छात्रावास भवन में इमल्सन एवं एक्सटिरियर पेंट तथा अन्य लघु कार्य	6.25	पूर्ण
14	चौकी	अनु. जाति बालक आश्रम हज्जूटोला	हज्जूटोला	2022-23	सेप्टिक टैंक निर्माण, शौचालय में टाइल्स, चेम्बर सिवरेज कनेक्शन एवं अन्य लघु कार्य	2.25	पूर्ण
15	चौकी	अनु. जाति कन्या आश्रम चिल्हाटी	चिल्हाटी	2022-23	मच्छरजाली कार्य, मॉडुलर किचन, फ्लोर टाइल्स, पुटटी, पेंट एवं अन्य लघु कार्य	19.00	पूर्ण
		योग				69.57	
16	छुरिया	प्री. मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास छुरिया	छुरिया	2023-24	प्लास्टर, पोताई पेंटिंग, व अन्य लघु कार्य	3.50	पूर्ण
17	छुरिया	प्री मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास, उमरवाही	उमरवाही	2023-24	बोर खनन, समर्सिबल पम्प, पाइप लाइन का विस्तार एवं अन्य कार्य।	2.00	पूर्ण
18	छुरिया	प्री मैट्रिक अनु.जाति कन्या छात्रावास छुरिया	छुरिया	2023-24	भवन में छत ग्रेडिंग (आवश्यकतानुसार) प्लास्टर पोताई–पेन्टिंग व अन्य कार्य	3.00	पूर्ण
19	चौकी	पो0 मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास चौकी	चौकी	2023-24	भवन की रंगाई–पुताई (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण
20	चौकी	प्री मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बांधाबाजार	बांधाबाजार	2023-24	भवन की रंगाई–पुताई (गोबर पेंट)	2.00	पूर्ण
21	चौकी	पोष्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास चौकी	चौकी	2023-24	छत कार्य, प्लास्टर, बाथरूम में टाइल्स, इमल्शन पेंट, एक्सटिरियर पेंट, सिंथेटिक पेंट एव अन्य लघु कार्य	19.99	फ्लोर मे टाइल्स कार्य पूर्णता पर।
22	चौकी	अनुसूचित जाति बालक आश्रम हज्जूटोला	हज्जूटोला	2023-24	प्लास्टर, टाइल्स, छत कार्य, पोताई पेन्टिंग, एवं अन्य लघु कार्य	18.80	पूर्ण
23	चौकी	कन्या कीड़ा परिसर छात्रावास अ.चौकी	चौकी	2023-24	नवीनीकरण कार्य।	19.23	टाइल्स कार्य प्रगति पर।
		योग				70.52	
		महायोग –				317.87	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एव
पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - अड़तीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 42 (क्र. 849) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

बस्तर संभाग में संचालित आश्रम शालाओं एवं छात्रावासों की विकासखंडवार/जिलेवार जानकारी

क.	जिले का नाम	विकासखंड		संचालित आश्रम शालाओं की संख्या	संचालित छात्रावासों की संख्या	योग
1	2	3		4	5	
1	बस्तर	1	जगदलपुर	4	25	**29**
		2	बस्तर	26	41	**67**
		3	बकाबंड	9	15	**24**
		4	लोहण्डीगुड़ा	22	13	**35**
		5	तोकापाल	8	13	**21**
		6	बास्तानार	18	12	**30**
		7	दरभा	15	10	**25**
योग–				**102**	**129**	**231**
2	कोण्डागांव	1	केशकाल	5	15	**20**
		2	बडेराजपुर	6	11	**17**
		3	कोंण्डागांव	21	29	**50**
		4	फरसगांव	14	14	**28**
		5	माकड़ी	8	11	**19**
योग–				**54**	**80**	**134**
3	कांकेर	1	कांकेर	9	20	**29**
		2	चारामा	7	16	**23**
		3	नरहरपुर	11	14	**25**
		4	भानुप्रतापुर	13	15	**28**
		5	दुर्गकोंदल	11	14	**25**
		6	कोयलीबेड़ा	11	23	**34**
		7	अंतागढ़	14	19	**33**
योग–				**76**	**121**	**197**
4	दंतेवाड़ा	1	दंतेवाडा	10	19	**29**
		2	गीदम	31	20	**51**
		3	कुआकोंण्डा	17	12	**29**
		4	कटेकल्याण	12	6	**18**
योग–				**70**	**57**	**127**
5	सुकमा	1	कोंटा	34	14	**48**
		2	सुकमा	30	14	**44**
		3	छिंदगढ़	31	16	**47**
योग–				**95**	**44**	**139**
6	बीजापुर	1	बीजापुर	21	20	**41**
		2	भैरमगढ़	64	15	**79**
		3	भोपालपट्नम	23	8	**31**
		4	उरूर	29	8	**37**
योग–				**137**	**51**	**188**
7	नारायणपुर	1	नारायण्पुर	30	24	**54**
		2	ओरछा	58	5	**63**
योग–				**88**	**29**	**117**
महायोग–				**622**	**511**	**1133**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग

मूल स्थान से अन्यत्र संचालित संस्थाओं की स्थलवार जानकारी

क्रं.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	संस्था का नाम	अन्यत्र संचालित स्थल का नाम	मूल स्थान पर संचालित नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5	6
1	सुकमा	सुकमा	कन्या आश्रम गोंदपल्ली	ग्राम गादीरास के हाई स्कूल भवन में संचालित है।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
2			कन्या आश्रम कोतरा	जिला मुख्यालय सुकमा के पावारास हाई स्कूल भवन में संचालित है।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
3			बालक आश्रम पोंगाभेज्जी	ग्राम मांझीपारा केरलापाल बालाक आश्रम मरकामपारा के भवन में संचालित।	स्वयं का भवन जर्जर स्थिति में होने के कारण
4			बालक आश्रम मानकापाल	ग्राम गोलागुड़ा बालक आश्रम गोण्डेरास में संचालित।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
5			बालक आश्रम गोण्डेरास	बालक आश्रम मानकापाल में संचालित।	भवन विहीन होने के कारण
6		कोन्टा	कन्या आश्रम दरभागुडा	आश्रम भवन कोन्टा में संचालित।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
7			कन्या आश्रम बिरला	ग्राम फंदीगुड़ा में संचालित।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
8			कन्या आश्रम गोलापल्ली	ग्राम मरईगुड़ा कन्या आश्रम मरईगुड़ा के भवन में संयुक्त रूप से संचालित है।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
9			कन्या आश्रम जगरगुण्डा	ग्राम पोलमपल्ली में संचालित।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
10			बालक आश्रम डब्बाकोन्टा	ग्राम दोरनापाल के पोटा केबिन भवन में संचालित।	भवन विहीन होने के कारण
11			बालक आश्रम गंगलेर	ग्राम मरईगुड़ा के अस्थाई शेड में संचालित है।	भवन विहीन होने के कारण
12			बालक आश्रम करीगुण्डम	ग्राम दोरनापाल के पोटा केबिन भवन में संचालित।	भवन विहीन होने के कारण
13			बालक आश्रम गोलापल्ली	ग्राम मरईगुड़ा (वन) में संचालित।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
14			बालक आश्रम मेहता	ग्राम कोन्टा में निर्मित बालक आश्रम बण्डा के भवन में संयुक्त रूप से संचालित।	भवन विहीन होने के कारण
15			बालक आश्रम नागाराम	ग्राम दोरनापाल के पोटा केबिन भवन में संचालित।	भवन विहीन होने के कारण
16			बालक आश्रम मिनपा	ग्राम दोरनापाल के पोटा केबिन भवन में संचालित।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
17			बालक आश्रम पालाचलमा	बालक आश्रम सामसट्टी के भवन में संयुक्त रूप से संचालित।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
18			बालक आश्रम उरसागंल	ग्राम पोलमपल्ली के अस्थाई शेड में संचालित है।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
19			बालक आश्रम सिलगेर	ग्राम पोलमपल्ली के अस्थाई शेड में संचालित है।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण

क्रं.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	संस्था का नाम	अन्यत्र संचालित स्थल का नाम	मूल स्थान पर संचालित नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5	6
20	सुकमा	कोन्टा	प्री. मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास गोलापल्ली	ग्राम मरईगुड़ा (वन) के अन्य शासकीय भवन में संचालित।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
21			पो.मै. अनु.ज.जाति बालक छात्रावास गोलापल्ली	ग्राम मरईगुड़ा (वन) के अन्य शासकीय भवन में संचालित।	भवन निर्माणाधीन होने के कारण
22	बीजापुर	उसूर	प्राथमिक बालक आश्रम दारेली	ग्राम धरमारम में संचालित।	नक्सल समस्या के कारण
23			प्राथमिक बालक आश्रम कोण्डापल्ली	ग्राम धरमारम में संचालित।	
24			प्राथमिक बालक आश्रम पुजारीकांकेर	ग्राम उसूर में संचालित।	
25			प्राथमिक बालक आश्रम कोरसागुड़ा	ग्राम सारकेगुड़ा में संचालित।	
26			प्राथमिक बालक आश्रम पुसबाका	विस्थातिप सारकेगुडा में संचालित।	
27			प्राथमिक बालक आश्रम धरमापुर	ग्राम तर्रेम में संचालित।	
28			प्राथमिक बालक आश्रम पोलमपल्ली	ग्राम चिंताकोंटा में संचालित।	
29			प्राथमिक बालक आश्रम मारूढ़बाका	ग्राम उसूर में संचालित।	
30			प्राथमिक बालक आश्रम गलगम	ग्राम उसूर में संचालित।	
31			प्राथमिक कन्या आश्रम भट्टीगुड़ा	ग्राम पामेड़ में संचालित।	
32			प्राथमिक कन्या आश्रम पुजारीकांकेर	ग्राम उसूर में संचालित।	
33		भैरमगढ़	प्राथमिक बालक आश्रम मुकाबेली	ग्राम फरसेगढ़ में संचालित।	
34			प्राथमिक बालक आश्रम जारामरका	ग्राम करकेली में संचालित।	
35			प्राथमिक बालक आश्रम पिटेतुंगाली	ग्राम बरदेला में संचालित।	
36			प्राथमिक बालक आश्रम फुल्लोड़	ग्राम माटवाड़ा में संचालित।	
37			प्राथमिक बालक आश्रम हिंगुम	ग्राम भैरमगढ़ में संचालित।	
38			प्राथमिक बालक आश्रम बेचापाल	ग्राम मिरतुर में संचालित।	
39			प्राथमिक बालक आश्रम निराम	ग्राम नेलसनार में संचालित।	
40			प्राथमिक कन्या आश्रम पाण्डेमुर्गा	ग्राम कोडोली में संचालित।	

क्रं.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	संस्था का नाम	अन्यत्र संचालित स्थल का नाम	मूल स्थान पर संचालित नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5	6
41	बीजापुर	भैरमगढ़	प्राथमिक कन्या आश्रम मटासी	ग्राम बारसूर में संचालित।	नक्सल समस्या के कारण
42			प्राथमिक बालक आश्रम आदेड़	ग्राम पैकरम में संचालित।	
43			प्राथमिक बालक आश्रम ताकिलोड़	ग्राम भैरमगढ़ में संचालित।	
44			प्राथमिक बालक आश्रम बांगोली	ग्राम नेलसनार में संचालित।	
45			प्राथमिक बालक आश्रम गोमटेर	ग्राम सडार में संचालित।	
46			प्राथमिक बालक आश्रम छोटेपल्ली	ग्राम भैरमगढ़ में संचालित।	
47			प्राथमिक बालक आश्रम तामोड़ी	ग्राम मिरतुर में संचालित।	
48			प्राथमिक बालक आश्रम तुर्रेम	ग्राम भैरमगढ़ में संचालित।	
49			प्राथमिक बालक आश्रम धरमा	ग्राम भैरमगढ़ में संचालित।	
50			प्राथमिक कन्या आश्रम ईतामपार	ग्राम भैरमगढ़ में संचालित।	
51			प्राथमिक कन्या आश्रम मंगलनार	ग्राम गौराबेड़ा में संचालित।	
52			माध्यमिक बालक आश्रम बैल	ग्राम भैरमगढ़ में संचालित।	
53			प्राथमिक बालक आश्रम सतवा	ग्राम नेलसनार में संचालित।	
54			प्राथमिक बालक आश्रम धुसावड़	ग्राम भैरमगढ़ में संचालित।	
55			प्राथमिक नवीन कन्या आश्रम अड़ावली	ग्राम कुटरू में संचालित।	
56		बीजापुर	बालक आश्रम कड़ेनार	मांझीपारा बीजापुर में संचालित।	
57			प्राथमिक बालक आश्रम तामोड़ी	ग्राम गंगालूर में संचालित।	
58			प्राथमिक बालक आश्रम पदेड़ा	ग्राम चेरपाल में संचालित।	
59			प्राथमिक बालक आश्रम तोड़का	ग्राम गंगालूर में संचालित।	
60			प्राथमिक बालक आश्रम गोंगला	ग्राम गंगालूर में संचालित।	
61			प्राथमिक कन्या आश्रम रेगड़गट्टा	ग्राम चेरपाल में संचालित।	
62			प्राथमिक कन्या आश्रम पीड़िया	ग्राम गंगालूर में संचालित।	

क्रं.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	संस्था का नाम	अन्यत्र संचालित स्थल का नाम	मूल स्थान पर संचालित नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5	6
63	बीजापुर	बीजापुर	माध्यमिक बालक आश्रम कैका	ग्राम नैमेड़ में संचालित।	नक्सल समस्या के कारण
64			माध्यमिक कन्या आश्रम कैका	ग्राम नैमेड़ में संचालित।	
65		भोपालपटनम	प्राथमिक बालक आश्रम करकावाया	ग्राम देपला में संचालित।	
66		भोपालपटनम	प्राथमिक बालक आश्रम एड़ापल्ली	ग्राम वरदली में संचालित।	
67		भोपालपटनम	प्राथमिक बालक आश्रम अन्नापुर	ग्राम वरदली में संचालित।	
68		भोपालपटनम	प्राथमिक बालक आश्रम पीलूर	ग्राम वरदली में संचालित।	
69			प्राथमिक बालक आश्रम दूड़ेपल्ली	ग्राम कुटरू में संचालित।	
70			माध्यमिक कन्या आश्रम दुधेड़ा	ग्राम मद्देड़ में संचालित।	
71			माध्यमिक कन्या आश्रम सण्ड्रा	ग्राम मद्देड़ में संचालित।	
72			कन्या आश्रम केरपे	ग्राम कुटरू में संचालित।	
73			प्री मैट्रिक बालक छात्रावास सण्ड्रा	ग्राम मद्देड़ में संचालित।	
74	दंतेवाड़ा	कुआकोण्डा	बालक आश्रम बुरगुम	बालक आश्रम कोडेनार ग्राम–हितवार में संचालित	नक्सलीयों द्वारा भवन ध्वस्त किये जाने के कारण
75			बालक आश्रम फुलपाड़	बालक आश्रम फुलपाड़ ग्राम–पालनार में संचालित	नक्सल समस्या के कारण
76			बालक आश्रम टिकनपाल	बालक आश्रम टिकनपाल ग्राम–हितवार में संचालित	
77			कन्या आश्रम टिकनपाल	कन्या आश्रम टिकनपाल ग्राम–हितवार में संचालित	
78		कटेकल्याण	प्री.मै. बालक छात्रावास बडेबेड़मा	माध्यमिक शाला बडेहण्डामुण्डा में संचालित	भवन स्वीकृत नहीं होने के कारण
79		गीदम	पो.मै.आदि.बालक छात्रावास गीदम (नवीन)	पो.मै.आदिवासी बालक छात्रावास दंतेवाड़ा में संचालित	भवन स्वीकृत नहीं होने के कारण
80	कोण्डागांव	कोण्डागांव	कन्या आश्रम शाला कड़ेनार	मा.शा.हसलनार के अतिरिक्त कक्ष में संचालित।	भवन स्वीकृत नहीं होने के कारण
81			बालक आश्रम शाला नवागांव	मूलनार में स्वयं के भवन में संचालित है।	नक्सलीयों द्वारा भवन ध्वस्त किये जाने के कारण
82		फरसगांव	कन्या आश्रम शाला बनचपई	भैंसाबेड़ा (बड़ेडोंगर) में संचालित	नक्सल समस्या के कारण
83	नारायणपुर	ओरछा	आदिवासी कन्या आश्रम कलेबेड़ा	विभागीय भवन ओरछा में संचालित	अतिसंवेदनशील क्षेत्र होने के कारण

क्रं.	जिले का नाम	विकास खण्ड का नाम	संस्था का नाम	अन्यत्र संचालित स्थल का नाम	मूल स्थान पर संचालित नहीं होने का कारण
1	2	3	4	5	6
84	नारायणपुर	ओरछा	आदिवासी कन्या आश्रम हितावाडा	विभागीय भवन ओरछा में संचालित	अतिसंवेदनशील क्षेत्र होने के कारण
85			आदिवासी कन्या आश्रम डूगां	माध्यमिक शाला भवन ओरछा में संचालित	
86			आदिवासी कन्या आश्रम परलनार	कन्या आश्रम भवन ओरछा में संचालित	
87			आदिवासी कन्या आश्रम रोहताड़	कन्या आश्रम भवन ओरछा में संचालित	
88			आदिवासी कन्या आश्रम ओरछामेटा	माध्यमिक शाला भवन ओरछा में संचालित	
89			आदिवासी कन्या आश्रम गुमरका	विकासखंड मुख्यालय ओरछा में संचालित	
90			आदिवासी कन्या आश्रम चालचेर	माध्यमिक शाला भवन ओरछा में संचालित	
91			आदिवासी कन्या आश्रम हतलानार	कुरूषनार के पंचायत भवन में संचालित	
92		नारायणपुर	आदिवासी कन्या आश्रम झारावाही	250 सीटर कन्या छात्रावास गरांजी में संचालित	
93			आदिवासी बालक आश्रम तोके	250 सीटर बालक छात्रावास गरांजी में संचालित	
94			आदिवासी कन्या आश्रम मालिंगनार	कन्या आश्रम नेलवाड़ में संचालित	
95			आदिवासी कन्या आश्रम नेलनार	250 सीटर कन्या छात्रावास गरांजी में संचालित	
96			आदिवासी कन्या आश्रम कोंगेरा	धौड़ाई में संचालित	

अनुभाग अधिकारी
[illegible]
आ.जा. तथा अनु.जन., विकास उपायुक्त (जा)
पिछड़ा वर्ग विभाग [illegible] भवन, मंत्रालय, नया [illegible]

परिशिष्ट - उनतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 864) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	वर्ष	विकासखण्ड	वितरित वन अधिकार पत्र	
			व्यक्तिगत	सामुदायिक
1	2	3	4	5
1	2022–23	छुरिया	63	0
		अंबागढ़ चौकी	8	12
2	2023–24	छुरिया	0	0
		अंबागढ़ चौकी	0	0
3	2024–25 (01 जुलाई 2024 तक)	छुरिया	0	0
		अंबागढ़ चौकी	0	0
	योग		71	12

अनुभाग अधिकारी
अनुभाग-अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - चालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 44 (क्र. 866) की जानकारी

प्रपत्र

वर्ष 2022–23 से दिनांक 01 जुलाई, 2024 तक नकली उर्वरक के विक्रय/भण्डारण के संबंध में कंपनियों/व्यवसायियों के विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं कृत कार्यवाही का विवरण

क्र	वर्ष	जिला	विकासखण्ड	आदान विक्रेता फर्म/कंपनी का नाम एवं पता जिसके विरूद्ध शिकायत हुई	नकली उर्वरक विक्रय/भण्डारण के संबंध में प्राप्त शिकायत का विवरण			शिकायत के विरूद्ध कृत कार्यवाही का विवरण	रिमार्क
					उर्वरक का नाम	कंपनी	शिकायत के बिन्दु		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2022–23	राजनांदगांव	राजनांदगांव	–	–	–	–	–	–
			डोगरगांव	–	–	–	–	–	–
			छुरिया	–	–	–	–	–	–
			डोंगरगढ़	–	–	–	–	–	–
		मोहला–मानपुर–अं.चौकी	मोहला	–	–	–	–	–	–
			मानपुर	–	–	–	–	–	–
			अं.चौकी	–	–	–	–	–	–
2	2023–24	राजनांदगांव	राजनांदगांव	–	–	–	–	–	–
			डोगरगांव	–	–	–	–	–	–
			छुरिया	–	–	–	–	–	–
			डोंगरगढ	श्री मनीष राठी के मकान में नकली खाद निर्माण कार्य में सम्मिलित श्री सुजीत धूत पिता प्रहलात धूत पता ग्राम मरोडी तह. व जिला– अकोला (महाराष्ट्र) एवं श्रीमती श्रुती त्रिवेद्वी, पता–नवोदय विद्यालय परिसर बधियाटोला, डोंगरगढ़, जिला–राजनांदगांव	सॉल्यूबल फर्टिलाईजर 0:52:34 सॉल्यूबल फर्टिलाईजर 19:19:19	कामधेनु क्रॉप साईस एग्रो. केमिकल बी–119 फेस नं. 02, जी.आई.डी.एस., वडोदरा, गुजरात	उक्त कंपनी के नाम से अवैधनिक रूप से निर्माण किया जाना	प्राथमिक सूचना रिपोर्ट डोंगरगढ पुलिस थाने में दर्ज की गई	उत्पादित जप्त उर्वरक का गुणवत्ता परिक्षण कराया गया। परिक्षण में अमानक स्तर का पाये जाने पर कार्या. पत्र क्रं./टी.2/उर्व.गु.नि./2023–24/3988 दिनांक 15.09.2023 के द्वारा उर्वरक के भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए उत्पादित उत्पाद को जप्त कर संबंधित के परिसर को सील किया गया।
		मोहला–मानपुर–अं.चौकी	मोहला	–	–	–	–	–	–
			मानपुर	–	–	–	–	–	–
			अं.चौकी	–	–	–	–	–	–
3	2024–25 (01.07.2024 की स्थिति में)	राजनांदगांव	राजनांदगांव	–	–	–	–	–	–
			डोगरगांव	–	–	–	–	–	–
			छुरिया	–	–	–	–	–	–
			डोंगरगढ	–	–	–	–	–	–
		मोहला–मानपुर–अं.चौकी	मोहला	आदान विक्रेता श्री रफीक खान (वाहन द्वारा अवैध परिवहन)	डबल ऑर्गेनिक पावर	बिरला बायोटेक फर्टिलाईजर प्रा.लिमि. जयपुर	खाद का अवैध परिवहन	वाहन सहित जब्ती एवं सुपुर्दगी की कार्यवाही उपरांत जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत	जैविक उर्वरक की जब्ती उपरांत नमूना प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु प्रेषित किया गया था, जो कि अमानक स्तर का पाया गया है। परीक्षण परिणाम जिला कलेक्टर को प्रेषित किया गया है।
			मानपुर	–	–	–	–	–	–
			अं.चौकी	–	–	–	–	–	–

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - इकतालीस

प्रपत्र

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 871) की जानकारी

बस्तर संभाग के जिलों (योजना प्रारंभ से मार्च 2023 तक) में महिला स्व–सहायता समूह के माध्यम से महिलाएं द्वारा स्व–रोजगार, कुटीर उद्योग अथवा लघु व्यवसाय से जुड़े गौठान तथा महिलाओं की जानकारी

क्र.	जिला	विकास खण्ड	महिला स्व–समूह सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं, एवं रोजगार, कुटीर उद्योग अथवा लघु उद्योग क्रियान्वित गोठान विवरण (योजना प्रारंभ से 31 मार्च, 2023 तक)			कार्य संचालन की अद्यतन स्थिति (हां/नहीं)
			गोठान की संख्या	महिला स्व–सहायता समूह की संख्या	स्व–रोजगार से जुड़ी महिलाओं की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
1	कांकेर	कांकेर	41	105	879	नहीं
		नरहरपुर	61	82	661	नहीं
		चारामा	39	56	522	नहीं
		भानुप्रतापपुर	51	89	581	नहीं
		दुर्गुकोंदल	43	62	414	नहीं
		अंतागढ़	51	55	449	नहीं
		कोयलीबेड़ा	95	125	813	नहीं
योग–			**381**	**574**	**4319**	–
2	कोण्डागांव	कोण्डागांव	31	59	531	नहीं
		फरसगांव	36	94	998	नहीं
		केशकाल	57	112	1232	नहीं
		बडेराजपुर	40	36	362	नहीं
		माकड़ी	52	58	200	नहीं
योग :–			**216**	**359**	**3323**	–
3	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	35	35	420	नहीं
		गीदम	39	39	468	नहीं
		कुआकोण्डा	15	15	180	नहीं
		कटेकल्याण	10	10	120	नहीं
योग–			**99**	**99**	**1188**	–
4	नारायणपुर	नारायणपुर	49	115	1103	नहीं
		ओरछा	4	4	40	नहीं
योग–			**53**	**119**	**1143**	–
5	बस्तर	जगदलपुर	44	49	808	नहीं
		बस्तर	72	85	935	नहीं
		बकावण्ड	60	66	692	नहीं
		लोहण्डीगुड़ा	30	101	740	नहीं
		तोकापाल	44	53	94	13 गोठानों में कार्य संचालित, शेष 31 में कार्य संचालन नहीं हो रहा है।
		दरभा	14	17	31	नहीं
		बास्तानार	23	34	374	नहीं
		जगदलपुर (नगर)	1	107	243	नहीं
		बस्तर (नगर)	1	1	20	नहीं
योग–			**289**	**513**	**3937**	–

क्र.	जिला	विकास खण्ड	महिला स्व–समूह सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं, एवं रोजगार, कुटीर उद्योग अथवा लघु उद्योग क्रियान्वित गोठान विवरण (योजना प्रारंभ से 31 मार्च, 2023 तक)			कार्य संचालन की अद्यतन स्थिति (हां/नहीं)
			गोठान की संख्या	महिला स्व–सहायता समूह की संख्या	स्व–रोजगार से जुड़ी महिलाओं की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7
6	सुकमा	सुकमा	24	48	371	नहीं
		कोण्टा	45	43	334	नहीं
		छिन्दगढ़	50	70	726	नहीं
योग –			**119**	**161**	**1431**	–
7	बीजापुर	बीजापुर	22	23	164	नहीं
		भैरमगढ़	22	24	179	नहीं
		भोपालपटनम	25	27	192	नहीं
		उसूर	15	16	122	नहीं
योग –			**84**	**90**	**657**	–
महायोग–			**1241**	**1915**	**15998**	–

टीप :– जिला बस्तर के विकासखण्ड तोकापाल अंतर्गत 13 गोठान संचालित है।

(विकास मिश्र)
उप सचिव
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रोद्योगिकी विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

प्रपत्र "अ"

क.	जिले का नाम	भवन विहीन छात्रावास/आश्रम				जर्जर भवनों की स्थिति				खराब शौचालयों की स्थिति			
		छात्रावास		आश्रम		छात्रावास		आश्रम		छात्रावास		आश्रम	
		बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या
1	बस्तर	1	1	7	2	1	0	2	0	7	0	6	0
2	कांकेर	21	4	13	1	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बीजापुर	2	1	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सुकमा	1	0	7	0	1	1	2	0	4	5	8	6
5	नारायणपुर	5	0	24	1	4	1	21	3	0	0	0	0
6	कोंडागांव	8	1	5	1	4	2	8	7	14	4	6	8
7	दंतेवाड़ा	7	2	15	2	1	0	11	1	6	3	16	3
योग :–		45	9	97	7	11	4	44	11	31	12	36	17

परिवीक्षित अतारांकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 872) की जानकारी

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अतारांकित
प्रिन्ट की विभाग मंत्रालय, भवन, मंत्रालय, रायपुर

क्र.	जिले का नाम	संचालित आश्रमों/छात्रावास की संख्या					आश्रम/छात्रावास में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्थाओं जिनमें है की संख्या				आश्रम/छात्रावास में सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था जिनमें नही है की संख्या			
		छात्रावास		आश्रम		योग	छात्रावास		आश्रम		छात्रावास		आश्रम	
		बालक	कन्या	बालक	कन्या		बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या	बालक	कन्या
1	बस्तर	77	43	60	42	222	0	29	0	21	77	14	60	21
2	कांकेर	78	36	43	33	190	0	23	0	25	78	13	43	8
3	बीजापुर	28	16	95	42	181	0	13	0	30	28	3	95	12
4	सुकमा	27	17	60	35	139	0	2	0	0	27	15	60	35
5	नारायणपुर	21	15	63	25	124	0	7	0	8	21	8	63	17
6	कोंडागांव	51	29	28	26	134	0	11	0	4	51	18	28	22
7	दंतेवाड़ा	36	21	50	20	127	0	21	0	9	36	0	50	11
योग :–		318	177	399	223	1117	0	93	0	67	239	53	276	114

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्रालय, नया [illegible]

परिशिष्ट - तिरालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 (क्र. 885) की जानकारी

प्रपत्र-अ

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसले) 1 अप्रैल 2021 से जून 2024 तक फसल बीमा की जानकारी

वर्ष	मौसम	जिला का नाम	तहसील का नाम	बीमित रकबा (हें.)
1	2	3	4	5
2021	खरीफ	दुर्ग	धमधा	38478.74
2021	खरीफ	दुर्ग	दुर्ग	18401.81
2021	खरीफ	दुर्ग	पाटन	39196.94
मौसम खरीफ वर्ष 2021 योग				**96077.49**
2021-22	रबी	दुर्ग	धमधा	19466.12
2021-22	रबी	दुर्ग	दुर्ग	4072.93
2021-22	रबी	दुर्ग	पाटन	9787.23
मौसम रबी वर्ष 2021-22				**33326.28**
वर्ष 2021-22 योग				**129403.77**
2022	खरीफ	दुर्ग	धमधा	38640.37
2022	खरीफ	दुर्ग	दुर्ग	19015.04
2022	खरीफ	दुर्ग	पाटन	40851.19
मौसम खरीफ वर्ष 2022 योग				**98506.60**
2022-23	रबी	दुर्ग	धमधा	23802.34
2022-23	रबी	दुर्ग	दुर्ग	4861.80
2022-23	रबी	दुर्ग	पाटन	13010.08
मौसम रबी वर्ष 2022-23 योग				**41674.22**
वर्ष 2022-23 योग				**140180.82**
2023	खरीफ	दुर्ग	अहिवारा	10489.20
2023	खरीफ	दुर्ग	भिलाई-3	3163.82
2023	खरीफ	दुर्ग	बोरी	8799.05
2023	खरीफ	दुर्ग	धमधा	18951.94
2023	खरीफ	दुर्ग	दुर्ग	19553.40
2023	खरीफ	दुर्ग	पाटन	39438.60
मौसम खरीफ वर्ष 2023 योग				**100396.01**
2023-24	रबी	दुर्ग	अहिवारा	4367.02
2023-24	रबी	दुर्ग	दुर्ग	603.58
2023-24	रबी	दुर्ग	बोरी	5981.52
2023-24	रबी	दुर्ग	धमधा	13870.18
2023-24	रबी	दुर्ग	दुर्ग	5022.44
2023-24	रबी	दुर्ग	पाटन	12420.36
मौसम रबी वर्ष 2023-24 योग				**42265.10**
वर्ष 2023-24 योग				**142661.11**
मौसम खरीफ वर्ष 2024	मौसम खरीफ वर्ष 2024 में योजना अंतर्गत 01 अप्रैल 2024 से 30 जून 2024 तक बीमित रकबे की जानकारी निरंक है।			

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–ब

पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (उद्यानिकी फसले)

01 अप्रैल 2021 से जून 2024 तक फसल बीमा की जानकारी

कमांक	वर्ष	मौसम	जिला	तहसील	बीमित कृषक संख्या	बीमित रकबा (हें)
1	2	3	4	5	6	7
1	2021	खरीफ	दुर्ग	धमधा	728	1087.00
				दुर्ग	38	80.00
				पाटन	46	97.00
योग (खरीफ 2021)					**812**	**1264.00**
2	2021–22	रबी	दुर्ग	धमधा	413	545.00
				दुर्ग	39	79.00
				पाटन	62	114.00
योग (रबी 2021–22)					**514**	**738.00**
योग (वर्ष 2021–22)					**1326**	**2002.00**
3	2022–23	खरीफ	दुर्ग	धमधा	922	1274.00
				दुर्ग	54	97.00
				पाटन	45	108.00
योग (खरीफ 2022–23)					**1021**	**1479.00**
4	2022–23	रबी	दुर्ग	धमधा	716	920.00
				दुर्ग	55	98.00
				पाटन	73	160.00
योग (रबी 2022–23)					**844**	**1178.00**
योग (वर्ष 2022–23)					**1865**	**2657**
5	2023–24	खरीफ	दुर्ग	अहिवारा	266	146.11
				भिलाई–3	49	35.77
				बोरी	159	59.51
				धमधा	915	581.32
				दुर्ग	48	14.41
				पाटन	49	35.50
योग खरीफ 2023					**1486**	**872.62**
6	2023–24	रबी	दुर्ग	अहिवारा	99	114.51
				भिलाई–3	11	14.68
				बोरी	105	97.02
				धमधा	327	270.68
				दुर्ग	64	47.08
				पाटन	49	58.03
योग रबी 2023–24					**655**	**602.00**
योग वर्ष 2023–24					**2141**	**1474.62**
महायोग (वर्ष 2021–22 से 2023–24)					**5332**	**6133.62**
मौसम खरीफ वर्ष 2024					मौसम खरीफ वर्ष 2024 में योजना अंतर्गत 01 अप्रैल से 30 जून 2024 तक बीमित रकबे की जानकारी निंरक है।	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र-स

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (कृषि फसले) अंतर्गत वर्षवार आवेदन की संख्या एवं निरस्त होने का कारण

मौसम	वर्ष	फसल बीमा हेतु प्राप्त कृषक आवेदन		प्राप्त आवेदन में से निरस्त हुए आवेदन		
		आवेदन संख्या	कृषक संख्या	आवेदन संख्या	कृषक संख्या	क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा आवेदन को निरस्त करने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
रबी	2021-22	84893	22174	806	288	गलत गांव में प्रविष्टी, दोहरी बीमा/दोहरी प्रविष्टी, गलत खसरे की प्रविष्टी, बैंकों और बीमित कृषकों के अनुरोध के आधार पर
	2022-23	123507	30015	736	168	दोहरी बीमा/दोहरी प्रविष्टी,गलत खसरे में प्रविष्टी, बैंकों और बीमित कृषकों के अनुरोध के आधार पर
	2023-24	128632	33529	110	32	बीमित कृषक एवं भू-स्वामी के नाम में भिन्नता, भू-अभिलेख संबंधित दस्तावेज स्पष्ट नहीं होने, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में भू-अभिलेख से संबंधी दस्तावेज दर्ज नहीं होने एवं रेगहा प्रमाण-पत्र में भू-स्वामी और कृषक के नाम में भिन्नता के कारण।
योग		**337032**	**85718**	**1652**	**488**	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी फसलो के बीमा के संबंध में प्राप्त शिकायतें और उन पर की गई कार्यवाही

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम/आवेदन का स्त्रोत	जिला	ग्राम	मौसम/वर्ष	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
संचालनालय स्तर के शिकायत प्रकरण						
1	बसंता राणा	दुर्ग	गोरपा	रबी 2021-22	बैंक ऑफ महाराष्ट्र, शाखा-धमधा द्वारा कृषकों का प्रीमियम राशि काटने के बावजुद भी दावा भुगतान नहीं मिलने के संबंध में।	बैंक द्वारा दावा भुगतान की कार्यवाही कर प्रकरण को निराकृत किया गया है।
2	भगवान सिंह चंद्राकर	दुर्ग	औरी	रबी 2021-22	फसल कटाई आंकड़ों में आपत्ति किए जाने से दावा राशि नहीं मिलने के संबंध में।	बीमा कंपनी द्वारा दावा भुगतान की कार्यवाही कर प्रकरण को निराकृत किया गया है।
3	कृषि मंत्री से प्राप्त	दुर्ग	तेलीगुण्ड्रा	रबी 2021-22	सरसों फसल खराब हो जाने के बावजूद दावा भुगतान प्राप्त नहीं होने के संबंध में।	बीमा कंपनी द्वारा दावा भुगतान की कार्यवाही कर प्रकरण को निराकृत किया गया है।
4	समाचार कतरन हरिभूमि	दुर्ग	तहसील - धमधा, पाटन एवं दुर्ग	रबी 2021-22	बेमौसम बारिश के चलते फसल बर्बादी के बाद भी नहीं मिला फसल बीमा की राशि	बीमा कंपनी द्वारा दावा भुगतान की कार्यवाही कर प्रकरण को निराकृत किया गया है।
5	अनेक कृषक	दुर्ग	पौउहा और भैसबोड़	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	बीमा कंपनी द्वारा दावा भुगतान की कार्यवाही कर प्रकरण को निराकृत किया गया है।
क्रियान्वयक बीमा कंपनी स्तर के शिकायत प्रकरण						
1	नेतराम साहू	दुर्ग	बठेना	रबी 2021-22	सरसों की फसल का क्लेम नहीं मिला	उच्च से उच्चतर इकाई के उपज आकड़े दावा भुगतान की गणना के संबंध में बीमा कंपनी द्वारा भारत सरकार को मार्गदर्शन हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यवाही भारत सरकार स्तर पर लंबित है।
2	पार्वती वैष्णव	दुर्ग	बोराई	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	दावा भुगतान कर प्रकरण को निराकृत किया गया है।
3	श्री रोहित कुमार/भुखन लाल एवं अन्य 24 कृषक	दुर्ग	तेलीगुंडरा	रबी 2022-23	सरसों की फसल का क्लेम नहीं मिला	निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से वास्तविक उपज अधिक होने के कारण दावा भुगतान की पात्रता नहीं बनती है कि सूचना दी गई।
4	टीकम दास	दुर्ग	देमार	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से वास्तविक उपज अधिक होने के कारण दावा भुगतान की पात्रता नहीं बनती है कि सूचना दी गई।
5	रविप्रकाश ताम्रकार	दुर्ग	बोडेगांव	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषक द्वारा फसल बीमा नहीं कराया गया है।
6	अश्वनी कुमार	दुर्ग	गातापार	रबी 2022-23	गेहूं की फसल में क्लेम नहीं मिला	फसल अधिसूचित नहीं होने के कारण।
7	ईश्वर यादव/अंशु यादव	दुर्ग	चुलगाहन	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से वास्तविक उपज अधिक होने के कारण दावा भुगतान की पात्रता नहीं बनती है कि सूचना दी गई।
8	रणजीत सिंह	दुर्ग	रहटादह	रबी 2022-23	गलत बीमा इकाई ग्राम में प्रविष्टी	अधिसूचित ग्राम में प्रविष्टी नहीं होने के कारण कृषक का आवेदन निरस्त किया गया है।
9	कमल राम साहू	दुर्ग	कांडई	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	निर्धारित थ्रेसहोल्ड उपज से वास्तविक उपज अधिक होने के कारण दावा भुगतान की पात्रता नहीं बनती है कि सूचना दी गई।
10	जगदेव कुमार	दुर्ग	खैरझिटी	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषक द्वारा फसल बीमा नहीं होने की सूचना दी गई।
11	उखेलाल वर्मा	दुर्ग	धूमा	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषक द्वारा फसल बीमा नहीं होने की सूचना दी गई।
12	देवकुमार साहू	दुर्ग	धूमा	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषक द्वारा फसल बीमा नहीं होने की सूचना दी गई।

क्र.	शिकायतकर्ता का नाम/आवेदन का स्त्रोत	जिला	ग्राम	मौसम/वर्ष	शिकायत का विवरण	शिकायत पर की गई कार्यवाही
13	1.नागेन्द्र 2. रामप्यारा, दौलतराम, अम्बा बाई	दुर्ग	घसरा/खिलौराकलां	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल में कृषक द्वारा फसल बीमा नहीं होने की सूचना दी गई।
14	चिंताराम कश्यप	दुर्ग	मेडेसरा	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	दावा भुगतान डिजी-क्लेम के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया।
15	शिवकुमार ठाकुर	दुर्ग	डोमा	रबी 2022-23	दावा प्राप्त नहीं हुआ	दावा भुगतान डिजी-क्लेम के माध्यम से सफलतापूर्वक किया गया।
उप संचालक कृषि, जिला - दुर्ग स्तर के शिकायत प्रकरण						
1	श्री रामकृष्ण साहू	दुर्ग	खर्रा, धमधा	रबी 2021-22	गेंहू की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत
2	समारू/बलराम देशलहरा	दुर्ग	नवागांव, धमधा	रबी 2021-22	गेंहू सिंचित की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत
3	सुनील बजारे एवं अन्य कृषक	दुर्ग	करेली, धमधा	रबी 2021-22	रबी फसल का बीमा राशि अप्राप्त होने के संबंध में।	निराकृत
4	मीनाराम/नेतराम वर्मा एवं अन्य कृषक	दुर्ग	घोटवानी, धमधा	रबी 2021-22	बीमा की राशि प्राप्त नहीं होने बाबत्।	बैंक ऑफ महाराष्ट्र धमधा के माध्यम से कृषकों को दावा राशि भुगतान किया गया है।
5	संजय/गैंदराम साहू	दुर्ग	देवरी, धमधा	रबी 2021-22	बीमा की राशि प्राप्त नहीं होने बाबत्।	निराकृत
6	राजेन्द्र मढ़रिया एवं अन्य कृषक	दुर्ग	लिमतरा, धमधा	रबी 2021-22	बीमा की राशि प्राप्त नहीं होने बाबत्।	निराकृत
7	चिन्ताराम/सोगालाल पटेल	दुर्ग	घोठा, धमधा	रबी 2021-22	चना फसल का बीमा राशि नहीं मिलने बाबत्।	निराकृत
8	कमलेश/रामकुमार वर्मा	दुर्ग	घोठा, धमधा	रबी 2021-22	बीमा की राशि प्राप्त नहीं होने बाबत्।	निराकृत
9	कंवर लाल कौशिक	दुर्ग	अरसी, धमधा	रबी 2021-22	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मौसम रबी 2021-22 अंतर्गत दावा राशि प्रदाय करने बाबत्।	पति के मृत्यु उपरांत उत्तराधिकारी पत्नी श्रीमति बिमला बाई को मौसम रबी 2021-22 में दावा भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया गया है।
10	श्री बहल राम	दुर्ग	पेण्ड्री, धमधा	रबी 2022-23	चना की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत
11	श्री बिसेसर सिन्हा एवं अन्य कृषकगण	दुर्ग	घोटवानी, धमधा	रबी 2022-23	चना एवं गेंहू फसल की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत
12	श्री किसुन राम वर्मा एवं अन्य 03 कृषक	दुर्ग	भाठाकोकड़ी धमधा	रबी 2022-23	चना एवं गेंहू फसल की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत
13	श्री कन्हैया लाल साहू,	दुर्ग	जामगांव-आर, पाटन	रबी 2022-23	गेंहू फसल की क्षतिपूर्ति राशि कम प्राप्त हुआ है।	निराकृत
14	श्री धनुष राम साहू पिता चैनू राम साहू	दुर्ग	खुर्शीडीह, दुर्ग	रबी 2022-23	चना की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत
15	गोवर्धन लाल/संवल राम	दुर्ग	उमरपोटी, पाटन	रबी 2022-23	चना की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत
16	भगवती साहू	दुर्ग	बेलौदी, पाटन	रबी 2022-23	गेंहू, चना एवं सरसों की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित दुर्ग द्वारा निराकृत किया गया है।
17	नागेन्द्र सिंह/कीरिट सिंह	दुर्ग	घसरा, धमधा	रबी 2022-23	गेंहू की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत
18	अम्बा बाई/रामकुमार एवं अन्य कृषक	दुर्ग	खिलौराकला, धमधा एवं गाड़ाडीह	रबी 2022-23	चना की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत
19	समस्त कृषकगण	दुर्ग	नवागांव बी, पाटन	रबी 2022-23	सरसों की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
20	नंदकुमार सिन्हा	दुर्ग	बोरई, दुर्ग	रबी 2022-23	चना की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत
21	हंसु राम साहू	दुर्ग	दमोदा, दुर्ग	रबी 2022-23	चना की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत
22	समस्त कृषकगण	दुर्ग	दनिया, धमधा	रबी 2022-23	गेंहू एवं चना की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	कार्यवाही प्रक्रियाधीन।
23	द्वारिका प्रसाद	दुर्ग	चुलगहन, पाटन	रबी 2022-23	चना की क्षतिपूर्ति राशि अप्राप्त	निराकृत

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभ

परिशिष्ट - चवालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 900) की जानकारी

प्रपत्र–अ

कृषि विभाग द्वारा जिला सरगुजा में अनुदान पर वितरित किये गये पावर वीडर की जानकारी

स.क्र.	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	प्रदायक संस्था का नाम	मॉडल का नाम	यंत्र की दर प्रति नग (रूपयें में)	लाभान्वित कृषकों की संख्या
1	2	3	4	5	6	8
1	2021–22	निरंक				
2	2022–23	निरंक				
3	2023–24	अंबिकापुर	मेसर्स किसान क्रॉफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., बैंगलोर	केके–आईसी–300 डी	102272	1
				केके–आईसी–205 पी	296100	4
				केके–आईसी–400 डी	230112	2
			मेसर्स किसान एग्रोटेक दुर्ग	केसी–आर–टी 10 कामा	141480	46
			योग			53
		बतौली	किसान क्रॉफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., बैंगलोर	केके–आईसी–300 डी	102272	1
				केके–आईसी–205 पी	148050	2
			मेसर्स किसान एग्रोटेक दुर्ग	केसी–आर–टी 10 कामा	141480	50
			योग			53
		लखनपुर	किसान क्रॉफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., बैंगलोर	केके–आईसी–400 डी	115056	1
			मेसर्स किसान एग्रोटेक दुर्ग	केसी–आर–टी 10 कामा	141480	35
			योग			36
		लुन्ड्रा	किसान क्रॉफ्ट मशीन टूल्स प्रा.लि., बैंगलोर	केके–आईसी–205 पी	222075	3
			मेसर्स किसान एग्रोटेक दुर्ग	केसी–आर–टी 10 कामा	141480	62
			योग			65
		उदयपुर	मेसर्स किसान एग्रोटेक दुर्ग	केसी–आर–टी 10 कामा	141480	40
		सीतापुर		केसी–आर–टी 10 कामा	141480	68
		मैनपाट		केसी–आर–टी 10 कामा	141480	29
महायोग						344

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र – ब

उद्यानिकी विभाग द्वारा जिला सरगुजा में छ.ग. राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से क्रय कर वितरित पॉवर वीडर की जानकारी

क्रं.	योजना का नाम	विकासखण्ड	वर्ष	वितरण किये गये पावर वीडर की संख्या	पावर वीडर के सप्लायर कंपनियों की जानकारी		
					कंपनी का नाम	मॉडल का नाम	दर प्रति वीडर (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
	–	–	2021–22	–	–	–	–
	–	–	2022–23	–	–	–	–
1	रा.बा.मि. एवं डी.एम.एफ. के अभिशरण से	अम्बिकापुर	2023–24	24	कृषि क्राफ्ट	के.सी.–आर.टी. –10 कामा	1.41480
		उदयपुर		22			
		लखनपुर		16			
		बतौली		32			
		लुण्ड्रा		46			
		सीतापुर		47			
		मैनपाट		10			
	योग			**197**			
2	रा.बा.मि. योजना	अम्बिकापुर	2023–24	22	कृषि क्राफ्ट	के.सी.–आर.टी. –10 कामा	1.41480
		उदयपुर		18			
		लखनपुर		19			
		बतौली		18			
		लुण्ड्रा		16			
		सीतापुर		21			
		मैनपाट		19			
	योग			**133**			
	कुलयोग			**330**			

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र – स

उद्यानिकी विभाग अंतर्गत जिला सरगुजा में कृषकों द्वारा कय कर डीबीटी के माध्यम से अनुदान प्राप्त वितरित पॉवर वीडर की जानकारी

क्रं.	योजना का नाम	विकासखण्ड	वर्ष	कृषकों द्वारा कय किये गये पावर वीडर की संख्या	पावर वीडर के कंपनियों की जानकारी		
					कंपनी का नाम	मॉडल का नाम	दर प्रति वीडर (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रा.बा.मि.	अम्बिकापुर	2021–22	13	किसान क्राफ्ट	के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.63000
				2		के.के.–आई.सी.–300 डी.	0.81600
				7		के.के.–आई.सी.–400 डी.	0.91800
				2		के.के.–आई.सी.–400 डी.	1.15056
				1		के.के.–आई.सी.–8626 पी.	0.25000
		उदयपुर		1		के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.91800
				1		के.के.–आई.सी.–400 डी.	0.63000
		लखनपुर		3		के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.63000
				3		के.के.–आई.सी.–400 डी.	0.91800
		बतौली		6		के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.63000
				1		के.के.–आई.सी.–400 डी.	0.91800
				1		के.के.–आई.सी.–400 डी.	1.15056
				1	माजिओ पॉवर वीडर	डब्ल्यू.बी.–1100बी.–6डी.एल.एक्स.	0.95000
		लुण्ड्रा		1	किसान क्राफ्ट	के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.63000
		सीतापुर		1		के.के.–आई.सी.–400 डी.	0.91800
				2		के.के.–आई.सी.–400 डी.	1.15056
		मैनपाट		1		के.के.–आई.सी.–400 डी.	0.91800
	योग			**47**			
2	रा.बा.मि.	अम्बिकापुर	2022–23	2	किसान क्राफ्ट	के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.74026
				1		के.के.–406 डी.	1.13494
		उदयपुर		1		के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.74026
		बतौली		1		के.के.–आई.सी.–300 डी.	1.02272
		सीतापुर		2		के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.74026
		मैनपाट		3		के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.74026
	योग			**10**			
3	रा.बा.मि.	अम्बिकापुर	2023–24	2	किसान क्राफ्ट	के.के.–205 डी.	0.74025
				2		के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.74025
				1		के.के.–205 पी.	0.74025
				3		के.के.–300 डी.	1.02272
				2		के.के.–आई.सी.–300 डी.	1.02272
				1		के.के.–आई.सी.–205 डी.	0.74025
				2		के.के.–आई.सी.–250 डी.	0.90000
				2		के.के.–आई.सी.–400 डी.	1.15056
				1		के.के.–400 डी.	1.15056
				2		के.के.–आई.सी.–406 डी.	1.70000
		उदयपुर		2		के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.74025
				1		के.के.–आई.सी.–300 डी.	1.02272
				1		के.के.–300 डी.	1.02272
				1		के.के.–आई.सी.–406 डी.	1.70000
				1		के.के.–आई.सी.–8626 पी.	0.25000

क्र.	योजना का नाम	विकासखण्ड	वर्ष	कृषकों द्वारा कय किये गये पावर वीडर की संख्या	पावर वीडर के कंपनियों की जानकारी		
					कंपनी का नाम	मॉडल का नाम	दर प्रति वीडर (राशि रू. लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	रा.बा.मि.	लखनपुर	2023–24	2	किसान क्राफ्ट	के.के.–400 डी.	1.15056
				2		के.के.–आई.सी.–406 डी.	1.70000
		बतौली		3		के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.74025
				1		के.के.–300 डी.	1.02272
				1		के.के.–406 डी.	1.70000
				1		के.के.–आई.सी.–406 डी.	1.70000
				1	वाल्क बिहान्ड टाईप	एस.सी.एस. 1000 जी.एक्स.	0.87360
3	रा.बा.मि.	लुण्ड्रा		1	किसान क्राफ्ट	के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.74025
				1		के.के.–आई.सी.–205 डी.	0.74025
				2		के.के.–आई.सी.–400 डी.	1.15056
		मैनपाट		1		के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.74025
		सीतापुर		1		के.के.–आई.सी.–205 पी.	0.74025
				1	वाल्क बिहान्ड टाईप	एस.पी. 830	1.41680
	योग			42			
महायोग				99			

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पैंतालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 908) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	सड़क परियोजना का नाम	वित्तीय स्वीकृति की राशि (राशि रू. लाख में)
1	2	3
1	जिला सक्ती के धनपुर से गुढ़वा तक सड़क निर्माण (पुल पुलिया सहित) लं. 2.50 कि.मी.	338.38
2	जिला सक्ती के आमादहरा बरपेल्हाडीह से केसला तक सड़क निर्माण कार्य (पुल पुलिया सहित) लं. 2.00 कि.मी.	344.83
3	जिला सक्ती के अंतर्गत बुंदेली से अड़भार मार्ग लंबाई 3.00 कि.मी.	498.18
4	जिला जांजगीर–चांपा के ग्राम पंचायत मालखरौदा में मुख्यमार्ग कलमी, नहरपार से चिखली, छोटेकोट, बड़ेकोट, सिंघरा होते हुये बेल्हाडीह तक सड़क निर्माण लंबाई–12.80 कि.मी.	1435.38
5	जिला जांजगीर चांपा के मौहापाली डभरा खरसिया मार्ग लं. 3.85 कि.मी. का निर्माण कार्य	585.35
6	जिला जांजगीर–चांपा के ग्राम खर्री, से नवापारा मार्ग पुल–पुलिया सहित लंबाई 2.00 कि.मी.	433.66
7	जिला जांजगीर चांपा के देवरघटा से कठर्रा पाली, निमोही, सिंघीतराई, बेनीपाली, ओड़ेकेरा मुख्य मार्ग तक पुल पुलिया सहित सड़क निर्माण कार्य लं. 9.00 कि.मी.	1134.78

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - छियालीस

परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 945) की जानकारी

प्रपत्र

विषय – डौण्डीलोहारा विधानसभा क्षेत्र में मण्डी बोर्ड से स्वीकृत कार्य।

क्र.	मंडी का नाम	वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	निविदा दर सहित लागत (रू. लाख में)	व्यय राशि रू. (लाख में)	कार्य की वर्तमान स्थिति
1	बालोद	2023– 24	ग्राम अन्नूटोला सी.सी. रोड निर्माण	10.18	9.09	पूर्ण
2	बालोद	2023– 24	ग्राम गारका में सी.सी. रोड निर्माण	10.17	9.28	पूर्ण
3	बालोद	2023– 24	ग्राम खैरकट्टा में सी. सी. रोड निर्माण	10.17	9.65	पूर्ण
4	बालोद	2023– 24	ग्राम संजारी के धान खरीदी केन्द्र में सीमेंटीकरण कार्य	10.18	9.29	पूर्ण
5	बालोद	2023– 24	ग्राम रेंगाडबरी के हाट बाजार में सीमेंटीकरण कार्य	10.17	9.30	पूर्ण
6	बालोद	2023– 24	ग्राम पंचायत दुधली के आश्रित ग्राम बनगांव में सी. सी. रोड निर्माण	9.16	8.34	पूर्ण
7	बालोद	2023– 24	ग्राम पंचायत सोरली के आश्रित ग्राम खैरडीह के कलामंच के पास सीमेंटीकरण कार्य	5.09	4.83	पूर्ण
8	बालोद	2023– 24	ग्राम पंचायत भरदा (ट) में सी. सी. रोड निर्माण	9.15	8.35	पूर्ण
9	बालोद	2023– 24	ग्राम संजारी में किसान भवन सह वाटर कूलर निर्माण	15.48	0.00	स्लेब लेबल
10	बालोद	2023– 24	ग्राम गारका से कोसमी धरसा मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य	17.30	0.00	स्लेब लेबल
11	बालोद	2023– 24	ग्राम हितापठार के आश्रित ग्राम सुन्दरनगर में घासीटोला पहुच मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य	15.30	0.00	फाउंडेशन लेबल
12	बालोद	2023– 24	ग्राम कुआगोंदी में 200 मि. टन गोदाम निर्माण	13.30	0.00	(भूमि का अभाव) अप्रारंभ
13	बालोद	2023– 24	सेवा सहकारी समिति डौण्डीलोहारा के आश्रित ग्राम धनगांव में 200 मि. टन गोदाम निर्माण	13.30	12.47	पूर्ण
14	बालोद	2023– 24	आ.जा. सेवा सहकारी समिति मर्या. चिखलाकसा में 200 मि. टन गोदाम निर्माण	13.30	0.00	फाउंडेशन लेबल

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–अ

(राशि रू. में)

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	कार्य का नाम	वर्ष 2020–21		वर्ष 2021–22		वर्ष 2022–23		वर्ष 2023–24		अप्रैल 2024 से जून 2024 तक	
				कुल आबंटित राशि	कुल व्यय राशि	कुल आबंटित राशि	कुल व्यय राशि	कुल आबंटित राशि	कुल व्यय राशि	कुल आबंटित राशि	कुल व्यय राशि	कुल आबंटित राशि	कुल व्यय राशि
1	राजीव युवा उत्थान योजना	64 / 2202 योजना क्रमांक 7363	01 वेतन एवं भत्ते	12400000	9059555	12400000	9392051	10674000	10520257	14400000	11365326	15700000	3818953
2			02 मजदुरी 005 दैनिक वेतन भोगी	350000	285300	350000	269541	350000	287550	450000	29920	500000	76450
3			03 यात्रा भत्ता 001 यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	10000	1080	25000	23987	60000	55264	30000	23790	200000	122817
4			04 कार्यालय व्यय 001 डाक तार पर व्यय	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0	10000	0
5			04 कार्यालय व्यय 002 दूरभाष पर व्यय	20000	18760	20000	19668	25000	22946	25000	24868	25000	7710
6			04 कार्यालय व्यय 003 फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	230000	22975	20000	19942	20000	0	20000	19960	20000	0
7			04 कार्यालय व्यय 004 पुस्तके एवं नियतकालिक पत्रिकाए	2000	1224	10000	4639	10000	7847	10000	9991	10000	0
8			04 कार्यालय व्यय 005 बिजली एवं जल प्रभार	300000	300000	300000	300000	600000	600000	600000	600000	700000	0
9			04 कार्यालय व्यय 006 वर्दियां	10000	4000	10000	9088	10000	4726	8000	6930	8000	0
10			04 कार्यालय व्यय 007 लेखन सामग्री एवं फर्मो की छपाई	20000	18987	20000	19971	20000	20000	20000	19967	8000	0
11			04 कार्यालय व्यय 008 अन्य आकस्मिक व्यय	20000	19972	20000	16389	20000	19574	20000	20000	8000	0
12			04 कार्यालय व्यय 009 सूचना प्रौद्योगिकी	80000	75866	80000	74550	80000	15150	90000	90000	80000	0
13			10 व्यवसायिक सेवाओं हेतु 003 परामर्श सेवाएं	1200000	0	675000	0	2520000	1764000	2520000	2520000	756000	0
14			11 छात्रवृत्तियां, वृत्तिया एव हितलाभ 001 शिष्यवृत्ति	640000	0	300000	0	1200000	537500	1200000	666000	400000	261000
15			25 सामग्री एव पुर्तियां 004 गैर कार्यालयीन फर्नीचर	100000	98232	250000	169198	250000	33000	250000	250000	100000	0
16			25 सामग्री एवं पुर्तियां 006 अन्य व्यय	640000	64000	160000	16690	160000	159925	160000	160000	64000	0
17			25 सामग्री एवं पुर्तियां 007 दवाईयां	20000	19750	50000	22340	20000	19918	50000	47650	20000	0
18			25 सामग्री एवं पुर्तियां 008 कपडे एव बिस्तर	80000	74017	200000	162560	80000	0	200000	200000	80000	0

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्रालय भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

क्र.	वर्ष	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या	प्रतियोगिता परीक्षा का नाम जिसमें प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता द्वारा सफलता प्राप्त की गई	चयनित अभ्यर्थी
1	2	3	4	5
1	2020–21	कोविड के कारण प्रशिक्षण संचालित नही था।	–	–
2	2021–22	कोविड के कारण प्रशिक्षण संचालित नही था।	–	–
3	2022–23 प्रथम सत्र	100	शिक्षक पात्रता परीक्षा (व्यापम)	8
4	2022–23 द्वितीय सत्र	100	शिक्षक पात्रता परीक्षा	6
			पर्यवेक्षक महिला बाल विकास	1
5	2023–24 प्रथम सत्र	100	सहायक ग्रेड –03	1
			सहा. पशु चिकित्सक क्षेत्र अधिकारी	1
			सहायक शिक्षक	1
6	2023–24 द्वितीय सत्र (25 जून 2024 को समाप्त)	100	–	–

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
अ.जा. तथा अन्.जा. विभाग अल्पसंख्यक [illegible]
[illegible] वर्ग विभाग मंत्रालय, [illegible]

प्रपत्र–स

कमांक	वर्ष	प्रशिक्षण प्रदाय करने वाले संस्था का नाम	संस्था को भुगतान की गई राशि	रिमार्क
1	2020–21	निरंक	निरंक	कोविड के कारण प्रशिक्षण संचालित नही था।
2	2021–22	निरंक	निरंक	कोविड के कारण प्रशिक्षण संचालित नही था।
3	2022–23	सी.एल.एजुकेट (कैरियर लांचर) लि. शाखा बिलासपुर	17,64,000	—
4	2023–24	सी.एल.एजुकेट (कैरियर लांचर) लि. शाखा बिलासपुर	25,20,000	—
5	अप्रैल 2024 से जून 2024	सी.एल.एजुकेट (कैरियर लांचर) लि. शाखा बिलासपुर	—	—

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्रालय, नया रायपुर

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

पारिशेष्ट - अड़तालीस

अतारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 432) की जानकारी

प्रपत्र–अ

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला	विकास खण्ड	वर्ष 2021–22 से जून 2024 तक				
			स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
1	2	3	4	5			
1	बलरामपुर	वाड्रफनगर	52	208.70	36	16	0
		रामचंद्रपुर	189	927.00	104	85	0
		बलरामपुर	50	127.00	35	15	0
		राजपुर	31	155.00	16	15	0
		कुसमी	41	172.59	18	23	0
		शंकरगढ़	44	247.70	43	1	0
		योग	**407**	**1837.99**	**252**	**155**	**0**
2	सूरजपुर	भैयाथान	59	195.00	52	5	2
		प्रतापपुर	71	304.70	54	13	4
		प्रेमनगर	85	303.96	68	12	5
		रामानुजनगर	149	1016.47	128	18	3
		सूरजपुर	119	571.71	93	19	7
		ओड़गी	30	97.70	24	1	5
		योग	**513**	**2489.54**	**419**	**68**	**26**
3	कोरिया एवं मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी –भरतपुर	मनेन्द्रगढ़	115	541.95	74	41	0
		खड़गंवा	84	388.20	67	17	0
		बैकुण्ठपुर	88	425.20	58	30	0
		भरतपुर	62	350.00	48	14	0
		सोनहत	41	196.75	23	18	0
		योग	**390**	**1902.10**	**270**	**120**	**0**

क्र.	जिला	विकास खण्ड	वर्ष 2021–22 से जून 2024 तक				
			स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ
1	2	3	4	5			
4	सरगुजा	बतौली	20	103.00	15	1	4
		मैनपाट	30	178.00	13	8	9
		सीतापुर	102	837.50	90	10	2
		उदयपुर	43	153.50	29	6	8
		अम्बिकापुर	122	577.49	86	19	17
		लखनपुर	54	227.00	40	9	5
		लुण्ड्रा	53	254.50	49	3	1
		योग	**424**	**2330.99**	**322**	**56**	**46**
5	जशपुर	बगीचा	59	387.80	54	5	0
		कांसाबेल	33	131.80	24	9	0
		कुनकुरी	77	332.72	66	11	0
		मनोरा	37	288.87	27	10	0
		पत्थलगांव	84	324.86	60	24	0
		दुलदुला	24	99.50	17	7	0
		फरसाबहार	98	331.00	93	5	0
		जशपुर	13	52.41	12	1	0
		योग	**425**	**1948.96**	**353**	**72**	**0**
महायोग			**2159**	**10509.58**	**1616**	**471**	**72**

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर

प्रपत्र–ब

सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण मद अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र पत्थलगांव में स्वीकृत निर्माण कार्यो की जानकारी (वर्ष 2021–22 से जून 2024 की स्थिति में)

क्र.	स्वीकृत निर्माण कार्य का नाम	विकास खण्ड
1	2	3
1	पुलिया निर्माण, पकरीडीपा में, ग्राम पंचायत तिलंगा, ज.पं. कांसाबेल	कांसाबेल
2	पुलिया निर्माण, शोधन के खेत के पास,ग्राम पंचायत खारपानी,ज.पं. कांसाबेल	कांसाबेल
3	पुलिया निर्माण, बेलशन बस्ती पहुंचमार्ग विरेन्द्र के खेत पास, ग्राम पंचायत केनाडांड़ ज.पं. कांसाबेल	कांसाबेल
4	पुलिया निर्माण, जंगलटोली से आमाटोली पहुंच मार्ग में रोमियुस खेत के पास, ग्राम पंचायत सूजीबहार ज.पं. कांसाबेल	कांसाबेल
5	सी.सी.रोड़ निर्माण, बढ़नीझरिया गोपालघर से बागघर तक, ग्राम पंचायत केनाडांड़, ज.पं. कांसाबेल	कांसाबेल
6	हैण्ड पम्प खनन, बहमा में, ग्राम पंचायत, नकबार, ज.पं.कांसाबेल	कांसाबेल
7	हैण्ड पम्प खनन, कोरंगाबहला जंगलपारा में, ग्राम पंचायत देवरी, ज.पं. कांसाबेल	कांसाबेल
8	वाउण्डरीवाल निर्माण मैनी नदी सीढी के समीप,ग्राम पंचायत, बगिया ,ज.पं. कांसाबेल	कांसाबेल
9	समतलीकरण कार्य, प्रा.शा.खेल मैदान का ग्राम पंचायत कुसुमताल, ज.पं. कांसाबेल	कांसाबेल
10	आर.सी.सी.पुलिया निर्माण,ग्राम पंचायत नक्टीमुण्डा,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
11	सी.सी.रोड़ निर्माण, गंझूटोली बस्ती में,ग्राम पंचायत गंझूटोली, ज.पं.कांसाबेल	कांसाबेल
12	सी.सी.रोड़ निर्माण,कुम्हारपारा में ,ग्राम पंचायत खूंटेरा,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
13	सामुदायिक भवन निर्माण,ग्राम पंचायत कोरगा,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
14	हैण्डपंप खनन,नदीपारा में, ग्राम पंचायत लमडाड,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
15	हैण्डपंप खनन,हरिहर साय घर के पास, ग्राम पंचायत खूटीटोली,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
16	हैण्डपंप खनन,चट्टानपारा में,ग्राम पंचायत पुसरा,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
17	हैण्डपंप खनन,जंगलपारा कोरंगाबहला में,ग्राम पंचायत देवरी,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
18	हैण्डपंप खनन,भैसबुड़ लालधर घर के पास,ग्राम पंचायत फरसाजुनवाईन,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
19	हैण्डपंप खनन,जुमईकेला बाजारडाड़ में,ग्राम पंचायत जुमईकेला,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
20	हैण्डपंप खनन,अखराडाड ईसाईपारा में ,ग्राम पंचायत कांसाबेल,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
21	अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शा.प्रा.शा.तुरंगाखार में 02 नग, ग्राम पंचायत बांसबहार,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
22	अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शा.प्रा.शा.बहामा में 02 नग,ग्राम पंचायत नकबार,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
23	बालिका शौचालय निर्माण, शा.प्रा.शा. जंगलटोली में ,ग्राम पंचायत नकबार,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
24	बालिका शौचालय निर्माण, शा.प्रा.शा. डांडपानी में,ग्राम पंचायत डांडपानी ,जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
25	बालिका शौचालय निर्माण,शा.प्रा.शा.गतिमहुआ में, ग्राम पंचायत सागीभावना जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
26	आर.सी.सी.पुलिया निर्माण, आमाटोली पहुँच मार्ग बुधन खेत के पास, ग्राम पंचायत नरियडांड, जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
27	पुलिया निर्माण मुख्यमार्ग से पंचटोली पहुेच मार्ग पर ,ग्राम पंचायत सिहारबुड, जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
28	पुलिया निर्माण मुंडाटोली पहुंच मार्ग पर जगजुगी खेत के पास, ग्राम पंचायत सागीभावना, जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
29	हैण्ड पम्प खनन, गिरना बस्ती बार्ड क्र. 06, ग्राम पंचायत कोड़ालिया, जनपद पंचायत कांसाबेल	कांसाबेल
30	सी, सी रोड बडेगौटियापारा में रतन घर से गोटो तक, ग्राम पंचायत लुडेग, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
31	सी, सी रोड वार्ड कमांक 5 शेखर यादव घर से आंगनबाडी भवन तक, ग्राम पंचायत पाकरगांव, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
32	सी, सी रोड महेंन्द्र यादव घर से रविशंकर घर तक, ग्राम पंचायत लोकेर, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
33	सी,सी रोड भुईहरपारा में ग्राम पंचायत सुरंगपानी ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
34	सी.सी.रोड़ निर्माण, सरमा रोड़ पितरूस घर से सगन घर, ग्राम पंचायत कुकुरभुंका, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
35	सी, सी रोड मेनरोड से सिद्धु सिदार घर तक ग्राम पंचायत केराकछार, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
36	सी,सी रोड रैहापारा स्कुल से फुलसिंह सिदार घर तक ग्राम पंचायत केराकछार, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
37	सी,सी रोड से खालपारा पहुंच मार्ग में, ग्राम पंचायत सुखरापारा, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव

क्र.	स्वीकृत निर्माण कार्य का नाम	विकास खण्ड
38	सी.सी.रोड़ निर्माण, सरईपारा मोहल्ला में अमोस घर से कब्रिस्तान तक, ग्राम पंचायत कटंगजोर, ज.प. पत्थलगांव	पत्थलगांव
39	सामुदायिक भवन निर्माण ग्राम पंचायत फरसाटोली में, ग्राम पंचायत फरसाटोली, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
40	लाखझार प्रा.शा.भवन विहिन मय भवन निर्माण हेतु, ग्राम पंचायत, पालीडीह ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
41	सामुदायिक भवन का विस्तार कार्य, कारगील चौक के पास, ग्राम पचायत कोतबा, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
42	शेड निर्माण कार्य, कब्रिस्तान में, ग्राम पंचायत पत्थलगांव, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
43	हैण्डपंप खनन फरसपारा मे ग्राम पंचायत तेरेकेला, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
44	हैण्डपंप खनन चौराआमा एक्का पारा हरिहर घर के पास ग्राम पंचायत तिरसोठ, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
45	हैण्ड पम्प खनन हर्रापारा पुर्व सरपंच मॅहल्ला में, ग्राम पंचायत, बिलडेगी, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
46	हैण्ड पम्प खनन, नरवाटिकरा मुहल्ला में, ग्राम पंचायत, जामजुनवानी, ज.पं.पत्थलगांव	पत्थलगांव
47	हैण्ड पम्प खनन, कन्या उ.मा.विद्यालय परिसर में, ग्राम पंचायत, कोतबा, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
48	हैण्ड पम्प खनन, टुकूपखना मोहन घर के पास, ग्राम पंचायत, रघुनाथपुर, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
49	हैण्ड पम्प खनन, टुकूपखना स्कूल पारा में, ग्राम पंचायत, रघुनाथपुर, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
50	हैण्ड पम्प खनन, वितुलपारा में, ग्राम पंचायत, जमरगी 'बी',ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
51	हैण्ड पम्प खनन, कर्राजोर आशीष कुजूर घर के पास, मुड़ाबहला, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
52	मंच में छज्जा निर्माण आश्रिम ग्राम लाखझार में ग्राम पंचायत फरसाटोली, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
53	कोविड केयर सेन्टर पत्थलगांव के लिए जेनरेटर क्रय हेतु,	पत्थलगांव
54	अहाता निर्माण उ,मा,वि, परिसर में, ग्राम पंचायत पाकरगांव, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
55	मंच में छज्जा निर्माण सुखवासुपारा ग्राम पंचायत बनगांव के, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
56	मंच सह छज्जा निर्माण दशहरा मैदान में ग्राम पंचायत सुखरापारा ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
57	अहाता निर्माण, आ.जा.सेवा सह.समिति का 250मी. ग्राम पंचायत पत्थलगांव, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
58	मंच में छज्जा निर्माण, भण्डारपारा, ग्राम पंचायत कुड़केलखजरी ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
59	मैदान समतलीकरण, हाई स्कूल परिसर में, ग्राम पंचायत चिकनीपानी, ज.पं. पत्थलगांव	पत्थलगांव
60	सी.सी.रोड निर्माण, मेन रोड से गौटियापारा होते महिला बाल विकास कार्यालय तक, ग्राम पंचायत लुड़ेग, ज.प. पत्थलगांव	पत्थलगांव
61	सी.सी.निर्माण, शंकर नागवंशी घर से उसत राम पैंकरा घर तक,ग्राम पंचायत पाकरगांव,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
62	सी.सी.निर्माण, मेन रोड़ सें संदीप कुजूर घर तक,ग्राम पचायत रोकबहार,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
63	सी.सी.रोड़ निर्माण,कब्रिस्तान पहुंच मार्ग पर,ग्राम पंचायत कटंगजोर,जनपद पंचायत पत्थलगावं	पत्थलगांव
64	सी.सी.रोड़ निर्माण,मेनरोड़ से देवसिंग घर तक,ग्राम पंचायत सुरंगपानी,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
65	सी.सी.रोड़ निर्माण, लाईनपारा तालाब से जोगेन्द्र घर तक,ग्राम पंचायत बहनाटांगर ,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
66	सांस्कृतिक भवन निर्माण,अनुसूचित जनजाति समुदाय हेतु (करूमहुआ मोहल्ले में),ग्राम पंचायत करमीटिकरा, ज.प. पत्थलगांव	पत्थलगांव
67	ट्यूववेल खनन एवं पाईप लाईन विस्तार उद्यानिकी परिक्षेत्र संजय निकुंज में,ग्राम पंचायत करमीटिकरा, ज.प. पत्थलगांव	पत्थलगांव
68	ट्यूववेल खनन एवं पाईप लाईन विस्तार कन्या छात्रावास (आश्रम विद्यालय) में,ग्राम पचायत सरईटोला, ज.प. पत्थलगांव	पत्थलगांव
69	हैण्ड पंप खनन,गाड़ाबहारी वार्ड क्र.04 में,ग्राम पंचायत गोढ़ी "बी",जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
70	हैण्ड पंप खनन,उरांव बस्ती नमकखार में, ग्राम पंचायत खुटापानी,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
71	हैण्ड पंप खनन,नदीपारा में, ग्राम पांचात जमरगी "बी",जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
72	हैण्डपंप खनन,बथनपारा वार्ड क्र. 8 परमानंद घर पास,ग्राम पंचायत झिमकी,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
73	हैण्डपंप खनन, टोंगरीपारा में,ग्राम पंचायत झिमकी जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
74	हैण्डपंप खनन,वार्ड क्र.13में ,ग्राम पंचायत पत्थलगांव,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
75	अतिरिक्त कक्ष निर्माण, शा0हाई स्कूल में,ग्राम पंचायत सुरेशपुर,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
76	मंच सह छज्जा निर्माण, फिटिंगपारा में,ग्राम पंचायत खजरीढाप,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
77	सायकल स्टैण्ड निर्माण,उ.मा.विद्यायल में,ग्राम पंचायत फरसाटोली, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
78	प्राथमिक शाला भवन निर्माण कार्य, ग्रम पंचायत शेखरपुर, जनपद पंचायत पत्थलगावं	पत्थलगांव
79	भवन निर्माण, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, ग्राम पंचायत पत्थलगांव , जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
80	अहाता निर्माण सामाजिक एवं सांस्कृतिक भवन में,ग्राम पंचायत पत्थलगावं	पत्थलगांव
81	मंच/छज्जा निर्माण, ग्राम पंचायत ईला, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
82	मंच सह छज्जा निर्माण, शीला घाट लपई, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत कांसाबेल	पत्थलगांव
83	पचरी निर्माण, घुघरी नदी घाट में,ग्राम पंचायत खुंटेरा,जनपद पंचायत कांसाबेल	पत्थलगांव
84	औघड़ आश्रम स्कूल परिसर में अहाता निर्माण कार्य (भाग–01), ग्राम पंचायत शेखरपुर, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव

क्र.	स्वीकृत निर्माण कार्य का नाम	विकास खण्ड
85	औघड़ आश्रम स्कूल परिसर में अहाता निर्माण कार्य (भाग–02), ग्राम पंचायत शेखरपुर, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
86	आर.सी.सी.पुलिया निर्माण, चौहानपारा से केदा झरिया पहुंच मार्ग में, ग्राम पंचायत घरजियाबथान, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
87	आर.सी.सी.पुलिया निर्माण, मुख्य मार्ग पटेलपारा पहुँच मार्ग में ज्वाकिम के खेत पास, ग्राम पंचायत डुमरबहार, ज.प. पत्थलगांव	पत्थलगांव
88	पुलिया निर्माण डांडपानी कोटवार डीपा मार्ग में, ग्राम पंचायत खाडामाचा, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
89	पुलिया निर्माण बांसपारा में अरविन्द के खेत के पास, ग्राम पंचायत पिठाआमा, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
90	पुलिया निर्माण गोपाल के खेत के पास, ग्राम पंचायत पतराटोली ,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
91	सी.सी.रोड निर्माण, वार्ड क्र.1 इंजको मेन रोड से गणेश घर तक, ग्राम पंचायत तिलडेगा, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
92	सी.सी.रोड़ निर्माण, आमाकानी से कटंगतराई पहुंच मार्ग में, ग्राम पंचायत तिलडेगा, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
93	सी.सी.रोड़ निर्माण, प्रा.शा. तेन्दूपारा से कैलास घर तक ,ग्राम पंचायत लुड़ेग, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
94	सी.सी.रोड़ निर्माण, पंचायत भवन से शिशु मंदिर तक, ग्राम पंचायत दीवानपुर, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
95	सी.सी.रोड़ निर्माण, मुख्य मार्ग से अथनस घर पहुंच मार्ग में, ग्राम पंचायत बनगांव के, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
96	सी.सी.रोड़ निर्माण, मेनरोड़ राजू धर तक, ग्राम पचायत महेशपुर, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
97	सी.सी.रोड़ निर्माण, पंचायत भवन से मनप्यारी घर तक, ग्राम पंचायत टांगरगांव, जनपद पंचायत कांसाबेल	पत्थलगांव
98	सामुदायिक भवन निर्माण, हर्रापारा मुण्डा बस्ती में, ग्राम पंचायत घोघरा, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
99	सामुदायिक भवन निर्माण, मुख्यमार्ग गांधी चौक के पास, ग्राम पंचायत खजरीढाप, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
100	सामुदायिक भवन निर्माण, ग्राम पंचायत दीवानपुर, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
101	नाली निर्माण, महाकुलपारा से कटरपारा मार्ग पर, ग्राम पंचायत कोकियाखार , जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
102	हैण्ड पम्प खनन, वार्ड क्र.04 उपरपारा महकुल बस्ती में ग्राम पंचायत बनगांव क, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
103	हैण्ड पम्प खनन, कोल्ड स्टोर जशपुर रोड गेट के सामने बाजू में पूरब की ओर, ग्राम पंचायत पालीडीह, ज.प.पत्थलगांव	पत्थलगांव
104	हैण्ड पम्प खनन, सरनापारा वार्ड क्र.6लक्ष्मीकांत नट घर पास,ग्राम पंचायत शिवपुर ,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
105	हैण्ड पम्प खनन, प्रा.शा.छिंदबहरी स्कूल प्रांगण में, ग्राम पंचायत पण्डरीपानी, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
106	हैण्ड पम्प खनन, वार्ड क्र.15 भाथूपारा भजनसिंह घर पास,ग्राम पंचायत पत्थलगांव ,जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
107	हैण्ड पम्प खनन, सरनापारा भोगीलाल घर के आस–पास, ग्राम पंचायत शिवपुर, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
108	हैण्ड पम्प खनन, टांगरपानी मोनिका घर के आस–पास, ग्राम पंचायत महेशपुर, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
109	हैण्ड पम्प खनन, सालिक राम घर के आस–पास, ग्राम पंचायत रेड़े, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
110	हैण्ड पम्प खनन, शेखर यादव घर के आस–पास, ग्राम पंचायत दीवानपुर, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
111	हैण्ड पम्प खनन, सेन्द्रीबहला स्कूलपारा, ग्राम पंचायत कछार, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
112	हैण्ड पम्प खनन, सुकबासूपारा, ग्राम पंचायत खरकट्टा, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
113	हैण्ड पम्प खनन, दर्रापारा ठोर्रे उरांव घर आस–पास, ग्राम पंचायत चिकनीपानी, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
114	मंच सह छज्जा निर्माण पुराना बाजारपारा में न.पं. पत्थलगांव जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
115	मंच सह छज्जा निर्माण, हर्राबहार पेमला ,ग्राम पंचायत पेमला, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
116	शौचालय निर्माण हाईस्कूल परिसर में, ग्राम पंचायत सुखरापारा, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव
117	अतिरिक्त कक्ष निर्माण स्वामी आत्मानंद अग्रेजी स्कूल में, ग्राम पंचायत पत्थलगांव, जनपद पंचायत पत्थलगांव	पत्थलगांव

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जा
विकास विभाग, मंत्रालय, नवा राय

परिशिष्ट - उन्चास

अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 433) की जानकारी

प्रपत्र

जिला जशपुर में किसानों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी

क.	विभाग	राज्य/केन्द्र पोषित योजना	संचालित योजनाओं का नाम
1	3		4
1	कृषि	राज्य पोषित योजना	कृषक समग्र विकास योजना (अक्ति बीज संवर्धन योजना/रामतिल प्रोत्साहन योजना/दलहन विकास कार्यक्रम),
			कृषक उन्नति योजना
			किसान समृद्धि (नलकूप) योजना
			लघुत्तम सिंचाई (तालाब) योजना
			शाकम्भरी योजना
			फसल प्रदर्शन योजना
			जैविक खेती मिशन
		केन्द्र पोषित योजना	कृषि यांत्रिकीकरण सब मिशन योजना
			रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट प्रोग्राम
			राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
			परंपरागत कृषि विकास योजना
			राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना
			सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल
			एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा)
			प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
			प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
			स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी
			प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
			पी.एम. प्रणाम योजना
			नमो ड्रोन दीदी योजना
2	उद्यानिकी	राज्य पोषित योजना	फल क्षेत्र विस्तार
			नदी के कछार/तटो पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों
			नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम
			सामुदायिक फेंसिंग योजना
			पोषण बाड़ी विकास कार्यक्रम
		केन्द्र पोषित योजना	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
			एग्रोफारेस्ट्री
			पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पचास

अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 436) की जानकारी

प्रपत्र – अ

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मस्तुरी में शामिल ग्रामों की सूची

क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	ग्राम का नाम
1	केवतरा	27	भुरकुंडा	53	भदौरा
2	भगवानपाली	28	धुर्वाकारी	54	सुलौनी
3	थेम्हापुर	29	केंवटाडीह (टांगर)	55	कोहरौद
4	कोसमडीह	30	बोहारडीह	56	पतैटाडीह
5	चकरबेढ़ा	31	मटिया	57	रैलहा
6	बिद्याडीह (टांगर)	32	गोड़ाडीह	58	पाराघाट
7	मोहतरा	33	बेल्हा	59	अंकडीह
8	चौहा	34	नरगोड़ा	60	पकरिया
9	खोरसी	35	नवागांव	61	मुड़पार
10	धनगवां	36	जलसो	62	खपरी
11	बिनैका	37	खपरी	63	दर्रीघाट
12	डंगनिया	38	कछार	64	सीपत
13	हरदी	39	किरारी	65	रांक
14	देवगांव	40	देवरी	66	पंधी
15	परसदा किसान	41	सुकुलकारी	67	भेलाई
16	दलदली	42	कुकुर्दीखूर्द	68	गतौरा
17	पेंडारी	43	साल्हेघोरी	69	दर्राभाठा
18	सरगवां	44	रलिया	70	नवांगांव
19	मुड़पार	45	रिसदा	71	नवांगांव
20	बिनौरी	46	बिद्याडीह	72	मस्तूरी
21	पचपेड़ी	47	डोमगांव	73	एरमसाही
22	बकरकुदा	48	केंवटाडीह (भू)	74	भटचौरा
23	भादा	49	जांजी	75	मड़ई
24	टिकारी	50	कुकदा	76	बुढ़ीखार
25	भनेसर	51	डोड़की	77	खम्हरिया
26	कुटेला	52	हिंडाडीह	78	जुनवानी
				79	बेलटुकरी

छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मस्तुरी में शामिल ग्रामों की सूची

क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	ग्राम का नाम	क्र.	ग्राम का नाम
1	जेवरा	35	जांजी	69	टिकारी
2	खोधरा	36	कौड़िया	70	नवागांव
3	कनई	37	देवरी	71	डोड़की
4	निरतू	38	पंधी	72	दलदली
5	अदराली	39	खजुरी	73	चौहा
6	उड़ागी	40	रांक	74	अकोला
7	बसहा	41	मुड़पार	75	सरगवां
8	कुकदा	42	तेन्दुवा	76	मुड़पार
9	बिटकुला	43	एरमसाही	77	खोरसी
10	सोठी	44	बेलटुकरी	78	बकरकुदा
11	पिपरानार	45	कछार	79	पत्थरताल
12	मड़ई	46	परसदाकिसान	80	जैतपुर
13	लुतरा	47	जयरामनगर	81	बेटरी
14	खम्हरिया	48	भनेसर	82	बुढ़ीखार
15	जुहली	49	पाराघाट	83	डगनिया
16	कारीछापर	50	देवगांव	84	बिनैका
17	बनियाडीह	51	खुडुभाठा	85	विद्याडीह
18	परसाही	52	कोसमडीह	86	सरसेनी
19	खाड़ा	53	मोहतरा	87	मटिया
20	कैमाडीह	54	गतौरा	88	ठकुरदेवा
21	उसलापुर	55	लिमतरा	89	कुटेला
22	धनिया	56	खपरी	90	ओखर
23	भौराडीह	57	किरारी	91	खपरी
24	गुड़ी	58	कर्रा	92	गिधपुरी
25	दर्राभाठा	59	दर्रीघाट	93	डोमगांव
26	दवनडीह	60	मस्तूरी	94	बहतरा
27	नरगोड़ा	61	रिस्दा	95	मचहा
28	पोड़ी	62	पेन्ड्री	96	धनगवां
29	नवागांव	63	परसदावेद	97	भगवानपाली
30	मचखंडा	64	कोनी	98	पकरिया
31	बम्हनीकला	65	आंकडीह	99	भरारी
32	सीपत	66	ईटवा	100	धुर्वाकारी
33	झलमला	67	पाली	101	पचपेड़ी
34	कौवाताल	68	लावर	102	जुनवानी

103	कटहा	128	परसोडी	153	बंसतपुर
104	केवतरा	129	गोपालपुर	154	मुकुन्दपुर
105	सुलौनी	130	सोन	155	मनवा
106	बल्हा	131	सोनसरी	156	रहटाटोर
107	केंवटाडीह टा	132	केवटाडीह (भू.)	157	पतईडीह
108	सुकुलकारी	133	कुकुर्दीकला	158	सेमराडीह
109	लोढ़ाबोर	134	कुकुर्दीखुर्द	159	जैतपुरी
110	लोहर्सी	135	कुली	160	हिंदाडीह
111	गोड़ाडीह	136	उनी	161	हरदाडीह
112	भुरकुण्डा	137	हिर्री	162	चकरबेढ़ा
113	मानिकचौरी	138	भदौरा	163	थेम्हपार
114	भडहा	139	बोहारडीह	164	जलसो
115	रैल्हा	140	अमलडीहा	165	आमगावं
116	चिल्हाटी	141	उदईबंद	166	आमाकोनी
117	कोकड़ी	142	भिलौनी	167	कोहरौदा
118	खपरी	143	शिवटिकारी	168	नेवारी
119	साल्हेघोरी	144	बिनौरी	169	बरेली
120	बेलपान	145	हरदी	170	कर्रा
121	भटचौरा	146	रलिया	171	विद्याडीह (टा.)
122	हरदी	147	भिलाई	172	महमंद
123	गोबरी	148	ठरकपुर	173	ढेका
124	कुकुर्दीकेरा	149	खैरवारपारा	174	मानिकपुर
125	हरदी	150	भरूवाडीह	175	धुमा
126	जोधरा	151	हरदाडीह		
127	चिस्दा	152	नवागांव ह		

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र मस्तुरी में शामिल ग्रामों की सूची

क्रं.	ग्राम का नाम	क्रं.	ग्राम का नाम
1	बम्हनीकला	8	उड़ागी
2	कारीछापर	9	पिपरानार
3	कैमाडीह	10	लुतरा
4	जुहली	11	उसलापुर
5	सोठी	12	हरदाडीह
6	खोधरा	13	हिडाडीह
7	जेवरा	14	ऊनई
		15	अदराली

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

क्र.	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य की भौतिक स्थिति			रिमार्क
					पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	मस्तूरी	2021-22	ग्राम व ग्राम पंचायत ठाकुरदेवा के स्थान पर संशोधन(के स्थान पर बिट्टू के धर से नाला तक सी.सी.रोड ग्राम व ग्राम पंचायत सरगवां में)	7.00	पूर्ण	–	–	–
2	मस्तूरी	2021-22	ग्राम व ग्राम पंचायत कुटेला के स्थान पर संशोधन(एनटीपीसी सामुदयिक भवन के सामने से स्कूल परिसर तक धर से नाला तक सी.सी.रोड ग्राम व ग्राम पंचायत जांजी में)	6.00	पूर्ण	–	–	–
3	मस्तूरी	2021-22	संतोष टेंगवार के घर से शिवदुलारी के घर तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत मडई	6.00	पूर्ण	–	–	–
4	मस्तूरी	2021-22	मातेश्वरी चौक से पीपर चौक तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत गुडी	6.00	पूर्ण	–	–	–
5	मस्तूरी	2021-22	सांस्कृतिक मंच निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत खपरी (ओखर)	1.83	पूर्ण	–	–	–
6	मस्तूरी	2021-22	घासीराम मधुकर के घर से मेन रोड तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत कछार	5.00	पूर्ण	–	–	–
7	मस्तूरी	2021-22	रंगमंच निर्माण कार्य दुखियापारा मे ग्राम व ग्राम पंचायत टिकारीं	1.00	पूर्ण	–	–	–
8	मस्तूरी	2021-22	रंगमंच निर्माण कार्य दर्रीतालाब के पास ग्राम वग्राम पंचायत टिकारी	2.00	पूर्ण	–	–	–
9	मस्तूरी	2021-22	चबुतरा निर्माण कार्य, सतनामी मोहल्ले में ग्राम व ग्राम पंचायत मानीकचौरी	1.00	पूर्ण	–	–	–
10	मस्तूरी	2021-22	सामुदायिक भवन निर्माण कार्य अनुसूचित जाति मोहल्ला में ग्राम व ग्राम पंचायत रांक	7.00	–	अपूर्ण	–	कार्य पूर्णता पर
11	मस्तूरी	2021-22	रंगमंच निर्माण कार्य जिला सहकारी बैंक के सामने ग्राम व ग्राम पंचायत लोहर्सी	2.50	पूर्ण	–	–	–
12	मस्तूरी	2021-22	रंगमंच निर्माण कार्य सतनामी मोहल्ले में ग्राम व ग्राम पंचायत भरारी	2.00	पूर्ण	–	–	–
योग :–				**47.33**	–	–	–	

क्र.	विकास खण्ड	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	कार्य की भौतिक स्थिति			रिमार्क
					पूर्ण	अपूर्ण	अप्रारंभ	
1	मस्तूरी	2022--23	मेन रोड से शा.कन्या उ.मा.शा. मस्तूरी तक सी.सी.रोड निर्माण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत मस्तूरी	12.00	पूर्ण	–	–	–
2	मस्तूरी	2022--23	नवा तालाब से मुक्तिधाम तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य ग्राम वग्राम पंचायत किरारी	10.00	पूर्ण	–	–	–
3	मस्तूरी	2022--23	हरदेव लाल मंदिर से बुढा शंकर मंदिर तक सी.सी. रोड निर्माण कार्य ग्राम वग्राम पंचायत लिमतरा	10.00	पूर्ण	–	–	–
4	मस्तूरी	2022--23	बकलीभाठा गौठान में समतलीकरण कार्य ग्राम व ग्राम पंचायत किरारी	10.00	पूर्ण	–	–	–
5	मस्तूरी	2022--23	शासकीय पातालेश्वर महाविद्यालय में समतलीकरण कार्यग्राम व ग्राम पंचायत मस्तूरी	10.00	पूर्ण	–	–	–
6	मस्तूरी	2022--23	सी.सी.रोड निर्माण कार्य, पनभरिया तालाब से हगरी तालाब तक ग्राम व ग्राम पंचायत किरारी	5.00	पूर्ण	–	–	–
7	मस्तूरी	2022--23	सी.सी.रोड निर्माण कार्य, संतोष के दुकान से होते हुए रामकिशुन के घर तक ग्राम व ग्राम पंचायत पाली	5.00	पूर्ण	–	–	–
			योग :–	**62.00**	–	–	–	
1	मस्तूरी	2023-24	समतलीकरण कार्य, खेल मैदान में ग्राम व ग्राम पंचायत किरारी	10.00	पूर्ण	–	–	–
2	मस्तूरी	2023-24	समतलीकरण कार्य,मुक्तिधाम में ग्राम व ग्राम पंचायत किरारी	10.00	पूर्ण	–	–	–
3	मस्तूरी	2023-24	समतलीकरण कार्य, खपरी क्रिकेट मैदान में ग्राम व ग्राम पंचायत भदौरा	10.00	पूर्ण	–	–	–
			योग :–	**30.00**	–	–	–	

छ.ग. राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण

1	मस्तूरी	2022--23	सी.सी.रोड निर्माण सुदामा के घर से बाबुलाल के घर तक ग्राम लावर	5.00	पूर्ण	–	–	
2	मस्तूरी	2022--23	सी.सी.रोड निर्माण भागवत के घर से दौलत के घर तक ग्राम लावर	5.00	पूर्ण	–	–	
3	मस्तूरी	2022--23	सी.सी. रोड़ निर्माण राजकुमार के घर से छोटेलाल के घर तक ग्राम कोनी	10.00	पूर्ण	–	–	
4	मस्तूरी	2022--23	सी.सी. रोड़ निर्माण पुराना तालाब से नाला तक ग्राम आंकडीह	10.00	पूर्ण	–	–	
5	मस्तूरी	2022--23	सी.सी. रोड़ निर्माण नारायण के घर से प्रहलाद के घर तक ग्राम वेदपरसदा	10.00	पूर्ण	–	–	
			योग :–	**40.00**				

मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

1	मस्तूरी	वर्ष 2021–22 से 2023–24 तक	सी.सी.रोड़ निर्माण (कृष्ण कुमार घर से हैण्डपंप तक) ग्राम व ग्राम पंचायत जुहली	5.00	पूर्ण	–	–	

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - इन्कयावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 492) की जानकारी

प्रपत्र

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में दिनांक 30.06.2024 तक रायपुर जिले में कृषि यंत्रों, मिनी राईस मिल, ट्रैक्टर हेतु ऑनलाईन प्राप्त आवेदनों की जानकारी

क्र.	योजना का नाम	सामग्री का नाम	मुख्यालय को प्राप्त आवेदन संख्या	कार्य अनुमोदन संख्या / निराकृत संख्या
1	2	3	4	5
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो. क्र.–3) कृषि यंत्रों पर अनुदान	कम्बाईन हार्वेस्टर	45	0
		कल्टीवेटर	1	0
		फ्लोर मिल	20	0
		फुड ग्रेन रोस्टर मशीन	15	0
		मिनी दाल मिल	26	0
		मिनी फ्लोर मिल कम पल्वराईजर	13	0
		मिनी राईस मिल	7	0
		ऑयल मिल	24	0
		पोटेटो चिप्स मेकिंग मशीन	21	0
		पावर टिलर	5	0
		पावर वीडर	31	0
		रोटावेटर	13	0
		सीड ड्रिल	1	0
		पैडी ट्रांसप्लांटर	1	0
		स्व–चलित रीपर	8	0
		थ्रेसर	3	0
		ट्रैक्टर	354	0
		जिरो टिल सीड कम फर्टि. ड्रील	1	0
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चॉवल)	सिंचाई पंप	1	0
3	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–ड्रिप	ड्रिप	10	1
4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–स्प्रिंकलर	स्प्रिंकलर	105	11
5	शाकम्भरी योजना	सिंचाई पंप	27	6
6	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना–ड्रिप	ड्रिप	13	8
योग			745	26

टीप :– चैम्प्स प्रणाली अंतर्गत योजनावार 745 ऑनलाईन प्राप्त कृषक आवेदनों में से 26 आवेदन स्वीकृत किए गए है, शेष 719 कृषक आवेदन स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

उप सचिव
छ.ग. शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - बावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 559) की जानकारी

प्रपत्र

महासमुंद जिले में दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 30.06.2024 तक की अवधि में वायु एवं जल प्रदूषण संबंधित शिकायतों तथा स्व संज्ञान से प्रतिष्ठानों/उद्योगो का छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियो द्वारा किये गये निरीक्षण की विस्तृत जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	शिकायतकर्ता का नाम	शिकायत दिनांक	शिकायत का विषय/विवरण	निरीक्षणकर्ता अधिकारी का पदनाम एवं निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	मेसर्स बेल्सन क्रशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम-बेलसोण्डा, तहसील एवं जिला-महासमुंद	श्री नीरज बिसेन, मेसर्स बिसेन फूड्स, नांदगांव रोड, बेलसोण्डा, जिला-महासमुंद	02.01.2024	बेल्सन स्टोन क्रशर खसरा नं.-1079/1, 1081/1 के द्वारा भयंकर धूल डस्ट से हो रही स्वास्थ्य एवं अन्य प्रकार की क्षति बाबत्।	सहायक अभियंता, उप अभियंता एवं रसायनज्ञ 10.01.2024	उद्योग मे जल छिड़काव की व्यवस्था संचालित नहीं पाई गई, जिससे अत्यधिक फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन अवलोकित किया गया तथा परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा से अधिक पाई गई। साथ ही हाउस कीपिंग व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 11.01.2024 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया।
					उप अभियंता एवं रसायनज्ञ 06.02.2024	उद्योग मे जल छिड़काव की व्यवस्था संचालित पाई गई, परिवेशीय वायु गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर पाई गई। साथ ही हाउस कीपिंग व्यवस्था संतोषजनक पाई गई।	समाधानकारककार्यवाही किये जाने के कारण आगामी कार्यवाही नहीं की गयी।
2.	मेसर्स महामाया होम लिंकर्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-घोड़ारी, जिला-महासमुंद	श्री रितेन्द्र नायक प्रोपराईटर मेसर्स समृद्धि एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-घोड़ारी, जिला-महासमुंद	30.01.2024	गिट्टी क्रशर (ग्राम-घोड़ारी, जिला-महासमुंद खसरा नंबर 481 व 482) स्थापित होने से प्रदूषण संबंधी शिकायत बाबत्।	उप अभियंता 06.03.2024	निरीक्षण दिवस शिकायत स्थल पर उद्योग स्थापना का कार्य आरंभ नहीं किया जाना पाया गया तथा पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ने जैसी स्थिति नहीं पाई गई।	अत: कार्यवाही नहीं की गई ।
		श्री रितेन्द्र नायक प्रोपराईटर मेसर्स समृद्धि एग्रो इण्डस्ट्रीज, ग्राम-घोड़ारी, जिला-महासमुंद	28.06.2024	ग्राम घोड़ारी जिला महासमुंद के खसरा नंबर 480 व 481 में गिट्टी क्रेशर स्थापित होने पर तत्काल उचित कार्यवाही करने हेतु।	उप अभियंता 08.07.2024	निरीक्षण में पाया गया कि प्रस्तावित उद्योग द्वारा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के तहत् जल एवं वायु सम्मति प्राप्त किये बगैर क्रशर इकाई की स्थापना/निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है।	उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 10.07.2024 के द्वारा तत्काल प्रभाव से निर्माण कार्य बंद करने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया।
					सहायक अभियंता एवं उप अभियंता, 12.07.2024	प्रस्तावित उद्योग द्वारा उनके पत्र दिनांक 12.07.2024 के माध्यम से स्थापना/निर्माण कार्य बंद करने की जानकारी दी गयी तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु सम्मति प्राप्त करने के उपरांत ही पुनः स्थापना/निर्माण कार्य आरंभ करने की जानकारी दी गई। तत्परिपेक्ष्य में निरीक्षण के दौरान स्थापना/निर्माण कार्य नहीं किया जाना पाया गया।	उद्योग के द्वारा निर्देश का पालन किया जाना पाया गया। अत: आगामी कार्यवाही नहीं की गई।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

3.	मेसर्स करणीकृपा पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-खैरझिटी एवं कौवाझर, तहसील व जिला-महासमुंद	स्व संज्ञान	14.06.2024	प्रदूषण की स्थिति अवलोकित होने पर स्व संज्ञान से उद्योग का निरीक्षण किया गया।	सहायक अभियंता एवं उप अभियंता, 14.06.2024	उद्योग के (1) आई बिन प्रभाग से अत्यधिक मात्रा में फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन अवलोकित किया गया। (2) किल्न क्रमांक 1 के ईएसपी से संबंद्ध चिमनी में ओपेसिटी मीटर अपने नियत स्थान पर नहीं पाया गया। (3) आई-बिन प्रभाग तथा डे-बिन प्रभाग में अत्यधिक मात्रा में डस्ट का जमाव पाया गया। (4) हाउसकीपिंग व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई।	उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 21.06.2024 के द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 'क' के तहत् नोटिस जारी किया गया।
					सहायक अभियंता एवं उप अभियंता, 12.07.2024	निरीक्षण के दौरान उद्योग संचालित नहीं पाया गया। उद्योग द्वारा संधारण का कार्य किया जा रहा है।	उपरोक्त नोटिस के परिपेक्ष्य में उद्योग पर सतत् निगरानी रखी जा रही है।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - तिरपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 584) की जानकारी

प्रपत्र

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से सम्मति प्राप्त स्थापित राईस मिल, क्रेशर एवं अन्य उद्योगों के नामवार, विकासखंडवार एवं बसाहट/आबादी से दूरी संबंधी जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	विकासखण्ड	बसाहट/आबादी से लगभग दूरी (मीटर में)
1	2	3	4
विकासखण्ड अकलतरा में स्थापित राईस मिल, क्रेशर एवं अन्य उद्योगों की जानकारी			
1.	मेसर्स बागड़िया राईस इण्डस्ट्रीज, कापन रोड, ग्राम-खिसोरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	500
2.	मेसर्स श्री बजरंग परबायलिंग इण्डस्ट्रीज, ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	100
3.	मेसर्स सत्य कौशल पैड्डी प्रोसेसर्स, ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	100
4.	मेसर्स दीपक पेड्डी प्रोसेसिंग, ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	100
5.	मेसर्स विजय लक्ष्मी पेड्डी प्रोसेसर्स, ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	100
6.	मेसर्स ओम गंगा पेड्डी प्रोसेर्स, शिवरीनारायण रोड़, ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	100
7.	मेसर्स श्री सांई पेड्डी प्रोसेसिंग, ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	150
8.	मेसर्स ताराचंद एण्ड संस, वार्ड नं. 2, ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	100
9.	मेसर्स गिरीराज पेड्डी प्रोसेर्स, ग्राम-नरियरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	200
10.	मेसर्स कान्हा पेड्डी प्रोसेसिंग झलमला रोड़, ग्राम-नरियरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	200
11.	मेसर्स लक्ष्मी फूड, ग्राम-नरियरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	200
12.	मेसर्स अन्नपूर्णा एग्रो इंडस्ट्रीज, ग्राम-नरियरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	200
13.	मेसर्स किसान पेड्डी प्रोसेसर्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर चांपा	अकलतरा	100
14.	मेसर्स आकाश पेड्डी प्रोसेसर्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	200
15.	मेसर्स जय किसान फुड प्रोसेर्स, ग्राम-तरौद, जिला- जांजगीर-चांपा	अकलतरा	200
16.	मेसर्स लक्ष्मी पेड्डी प्रोसेसिंग, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	100
17.	मेसर्स शारदा पेड्डी प्रोसेसर्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	200
18.	मेसर्स लक्ष्मी राईस मिल, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	100
19.	मेसर्स जय अम्बे राईस मिलिंग इंडस्ट्रीज यूनिट-02, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	200
20.	मेसर्स कृष्णा परबायलिंग फॉर पेड्डी, ग्राम-चोरभट्ठी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	100
21.	मेसर्स एस.के.ग्लोबल, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	200
22.	मेसर्स पवनसुत एग्रो इंडस्ट्रीज, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	200
23.	मेसर्स मधु इंटरप्राइजेस ग्राम-तिलई, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	200
24.	मेसर्स जे.एस. इन्फ्रावर्क्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-हरदी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1500
25.	मेसर्स श्री गणेश मिनरल्स, ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
26.	मेसर्स सतगुरू मिनरल्स, (पूर्व नाम- टी.एन. इंटरप्राइजेज), ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
27.	मेसर्स बाबा रामदेव मिनरल्स, लटिया रोड़ अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1200
28.	मेसर्स श्री बालाजी माइंस, ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1300
29.	मेसर्स एस.एस. इंटरप्राईजेस, ग्राम-लटिया, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1400
30.	मेसर्स नर्मदा रिसोर्सेस, ग्राम-लटिया, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1200
31.	मेसर्स कृष्ण कुमार अग्रवाल, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
32.	मेसर्स बांके बिहारी ट्रेडर्स, ग्राम-बनाहिल, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
33.	मेसर्स बालाजी एण्ड संस क्रशर उद्योग, ग्राम-बनाहिल, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
34.	मेसर्स नेक्सेस प्रोजेक्ट प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बनाहिल, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
35.	मेसर्स शिवम मिनरल्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	500
36.	मेसर्स शिवम् मिनरल्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	600
37.	मेसर्स छापरिया मिनरल्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
38.	मेसर्स गजानंद केडिया क्रशर उद्योग, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	800
39.	मेसर्स अग्निशिखा मिनरल्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
40.	मेसर्स वाणी मिनरल्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर चांपा	अकलतरा	1000
41.	मेसर्स लक्ष्मी मिनरल्स, स्टोन क्रशर, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
42.	मेसर्स जायसवाल मिनरल्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

43.	मेसर्स सूरज मिनरल्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	600
44.	मेसर्स देवराज माइनिंग, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	800
45.	मेसर्स लक्ष्मी मिनरल्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
46.	मेसर्स अकलतरा मिनरल्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
47.	मेसर्स संजय क्रशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
48.	मेसर्स अकलतरा मिनरल्स (पूर्व नाम संजय छापरिया माइंस), ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
49.	मेसर्स छापरिया माइंस, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
50.	मेसर्स शारदा मुकीम क्रशर एंड माइंस, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
51.	मेसर्स मातादीन मुकीम एण्ड संस, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
52.	मेसर्स जय अम्बे मिनरल्स, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	800
53.	मेसर्स विकास कुमार तुलस्यान, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
54.	मेसर्स मुकेश स्टोन क्रशर, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
55.	मेसर्स आर.एस. मिनरल्स, ग्राम-किरारी जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
56.	मेसर्स ओम महामाया इन्टरप्राईजेस, (क्रशर उद्योग), ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
57.	मेसर्स स्वास्तिक स्टोन, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
58.	मेसर्स जिंदल स्टोन क्रशर, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
59.	मेसर्स श्री श्याम मिनरल्स, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
60.	मेसर्स बैजनाथ स्टोन क्रशर, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
61.	मेसर्स मां शारदा माईंस एण्ड मिनरल्स, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
62.	मेसर्स ललित कुमार अग्रवाल स्टोन क्रशर, (विष्णु स्टोन क्रशर) ग्राम व पोस्ट-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
63.	मेसर्स गौरी मिनरल्स, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
64.	मेसर्स श्री बैजनाथ स्टोन क्रशर मांईस, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
65.	मेसर्स विकास मिनरल्स, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
66.	मेसर्स मां मिनरल्स, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
67.	मेसर्स प्रमोद कुमार तिवारी मिनरल्स, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
68.	मेसर्स दीवान स्टोन क्रशर, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
69.	मेसर्स मुकीम मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
70.	मेसर्स सिंघानिया मिनरल्स क्रशर एवं माइंस, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
71.	मेसर्स श्री बालाजी इंटरप्राईजेस, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
72.	मेसर्स सिद्वी विनायक इंटरप्राईजेस, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
73.	मेसर्स कृष्णा मिनरल्स (स्टोन क्रशर) ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
74.	मेसर्स जय हनुमान स्टोन, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
75.	मेसर्स रवितेज प्रोडक्ट, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
76.	मेसर्स नारायण स्टोन इण्डस्ट्रीज, (क्रशर) ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
77.	मेसर्स कृष्णा मिनरल्स, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
78.	मेसर्स मॉ नारायणी क्रशर उद्योग, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
79.	मेसर्स पारसनाथ मिनरल्स, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
80.	मेसर्स श्रीमती नीलकमल सिंह, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
81.	मेसर्स मां दुर्गा मिनरल्स, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
82.	मेसर्स के.एस.के. महानदी पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, ग्राम एवं पोस्ट-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1500
83.	मेसर्स नूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, अरसमेटा पॉवर प्लांट, ग्राम- अरसमेटा, पोस्ट ऑफिस-गोपालनगर, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	2500
84.	मेसर्स एम.व्ही.के. इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड, एनएच-49, ग्राम-अमरताल, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
85.	मेसर्स नूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, अरसमेटा लाईम स्टोन माइन, पोस्ट ऑफिस-गोपालनगर, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	2500
86.	मेसर्स नूवोको विस्टास कार्पोरेशन लिमिटेड, अरसमेटा सीमेंट प्लांट, पोस्ट ऑफिस-गोपालनगर, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	2500
87.	मेसर्स त्रिकुटा अर्थ मूव्हर्स, (फरहदा लाईम स्टोन माईंस) ग्राम-फरहदा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
88.	मेसर्स हार्ड रॉक्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-पीपरसत्ती, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
89.	मेसर्स जे.एस. इन्फ्रावर्क्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-हरदी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	2000

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

90.	मेसर्स कुमारी निकिता गुम्बर (नवापारा सेण्ड माईंस) आर-2, ग्राम-नवापारा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
91.	मेसर्स उमेंद्र सिंह कौशिक माइंस, ग्राम-महुवाडीह, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	800
92.	मेसर्स केमिकल्स इंटरप्राईजेस, प्लांट नं. 58 एवं 40, ग्राम-कापन औद्योगिक प्रक्षेत्र, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
93.	मेसर्स फोनीक्स एडसोर्बेन्टस, प्लाट नं. 5, औद्योगिक क्षेत्र,. कापन, ग्राम-कापन, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
94.	मेसर्स कांटापाली इंडस्ट्रीज, प्राईवेट लिमिटेड, प्लाट नं 93, कापन औद्योगिक क्षेत्र, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
95.	मेसर्स वालेस जेम्स ग्रुप, प्लाट नं. 21, कापन औद्योगिक क्षेत्र, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
96.	मेसर्स क्लीन कोल इंटरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड, (रेलवे साईडिंग) ग्राम-अकलतरा, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	300
97.	मेसर्स सतगुरू मिनरल्स ग्राम-लटिया, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1200
98.	मेसर्स मुकेश कुमार जैन माइंस, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	2200
99.	मेसर्स अविनाश अग्रवाल, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	600
100.	मेसर्स निर्विकार चंदेल माइंस, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	500
101.	मेसर्स राजेश कुमार वैष्णव, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	800
102.	मेसर्स आर. एम. स्टोन क्रशर, ग्राम-तरौद, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
103.	मेसर्स बालाजी एण्ड संस माईन्स, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1200
104.	मेसर्स दीवान पत्थर खदान, ग्राम-किरारी, जिला-जाँजगीर-चाँपा	अकलतरा	1100
105.	मेसर्स आनंद डालमिया माइंस, ग्राम-किरारी, जिला- जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
106.	मेसर्स नारायण स्टोन इण्डस्ट्रीज माइंस, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
107.	मेसर्स मुकेश कुमार जैन माइंस, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
108.	मेसर्स श्री बालाजी इंटरप्राईजेस, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
109.	मेसर्स ओम क्रशर (माइंस), ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	2500
110.	मेसर्स श्री बालाजी इंटरप्राईजेस, ग्राम-किरारी, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	900
111.	मेसर्स पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्राम-तागाताह, जिला-जांजगीर-चांपा	अकलतरा	1000
	विकासखण्ड बलौदा में स्थापित राईस मिल, क्रेशर एवं अन्य उद्योगों की जानकारी		
112.	मेसर्स बालाजी राईस मिल, ग्राम-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	100
113.	मेसर्स श्री ओम राईस मिल ग्राम-ओराईकला, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	200
114.	मेसर्स श्री हरि राईस मिल ग्राम-कुदरी, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	300
115.	मेसर्स विनायक मिनरल्स, ग्राम-बैजलपुर, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	600
116.	मेसर्स खाटू श्याम मिनरल्स, ग्राम-बैजलपुर, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
117.	मेसर्स सुनील कुमार अग्रवाल, ग्राम-बैजलपुर, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	700
118.	मेसर्स राजेन्द्र कुमार अग्रवाल, ग्राम- बैजलपुर, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
119.	मेसर्स भवानी स्टोन क्रशर इण्डस्ट्रीज, ग्राम-करमंदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
120.	मेसर्स एन.सी.एन.के. मिनरल्स (पूर्वनाम मेसर्स सिद्धी विनायक क्रशर उद्योग), ग्राम-करमंदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
121.	मेसर्स पवन स्टोन क्रशिंग इण्डस्ट्रीज, ग्राम-करमंदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
122.	मेसर्स शिवा क्रशर उद्योग, ग्राम-करमंदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
123.	मेसर्स एम.एम. इंटरप्राईजेस माइंस, ग्राम-करमंदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
124.	मेसर्स श्री मिनरल्स, ग्राम-ओराई कला, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1800
125.	मेसर्स रेडिएंट कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड (पूर्वनाम-मेसर्स क्लीन कोल इंटरप्राईजेस प्राईवेट लिमिटेड), ग्राम-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
126.	मेसर्स रेडिएंट कोल बेनिफिकेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
127.	मेसर्स हिन्द मल्टीसर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-बिरगहनी, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1500
128.	मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-भेलाई, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
129.	मेसर्स महावीर कोल वॉशरीज प्राईवेट लिमिटेड, यूनिट-02, ग्राम-भेलाई, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
130.	मेसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ग्राम व तहसील बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	2000
131.	मेसर्स जी.आर. इन्फ्राप्रोजेक्ट लिमिटेड (हॉट मिक्स प्लांट), ग्राम-बलोदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	2000
132.	मेसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, (बेचिंग प्लांट- नं.-02), ग्राम-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	2000

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

133.	मेसर्स जी.आर. इन्फ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ग्राम-बलौदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	2000
134.	मेसर्स श्रीमती भावना शर्मा (केरा कछार सेण्ड माईन एम-1), ग्राम-केरा कछार, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
135.	मेसर्स श्री सुनील कुमार दीक्षित (स्टोरेज ऑफ सेण्ड), ग्राम-केराकछार, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
136.	मेसर्स श्री शशी कपूर उपाध्याय (देवरी सेण्ड माईन), ग्राम-देवरी, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	2000
137.	मेसर्स श्री सिद्धी विनायक मिनरल्स, ग्राम-बैजलपुर, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	600
138.	मेसर्स विष्णु कुमार मोदी, ग्राम-बैजलपुर, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	400
139.	मेसर्स राजेन्द्र कुमार अग्रवाल माईंस, ग्राम-बैजलपुर, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
140.	मेसर्स कपूरचंद अग्रवाल माईंस, ग्राम-करमंदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	500
141.	मेसर्स गीता मिनरल्स, ग्राम-करमंदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	100
142.	मेसर्स हसदेव कोल रिसोर्सेस, ग्राम-महुदा, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	500
143.	मेसर्स घुटिया सेण्ड माइन, ग्राम- घुटिया, ग्राम-पंचायत-कुदरी, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000
144.	मेसर्स अवध मिनरल्स, ग्राम-बैजलपुर, जिला-जांजगीर-चांपा	बलौदा	1000

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र

अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 640) की जानकारी

मोहला–मानपुर विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत कृषकों की जानकारी

क्र.	दिसम्बर 2023 पश्चात किसानो के लिए संचालित नई योजनाएं	वर्ष	विकासखण्ड का नाम			योग
			मोहला	मानपुर	अम्बागढ़–चौकी	
			पंजीकृत कृषक	पंजीकृत कृषक	पंजीकृत कृषक	पंजीकृत कृषक
1	2	3	4	6	8	10
1	कृषक उन्नति योजना	01 दिसम्बर 2023 से 30 जून 2024 तक	13976	12041	6645	32662

टीपः– विकासखण्ड मोहला के 838, मानपुर के 1276, अम्बागढ़ चौकी के 334, इस तरह कुल 2448 पंजीकृत कृषकों द्वारा धान का विक्रय नही किये जाने के कारण से योजना का लाभ प्राप्त नही किया गया है।

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पचपन

अतारांकित प्रश्न संख्या 26 (क्र. 692) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पंचायत / वार्ड का नाम	व्यक्तिगत वन अधिकार	
			लंबित प्रकरणों की संख्या	हितग्राहियों की संख्या
1	2	3	4	5
1	धरमजयगढ़	खम्हार	2	2
2		ठाकुरपोड़ी	2	2
3		बायसी	145	145
4		बनहर	2	2
5		कमरई	7	7
6		कोयलार	6	6
7		मिरीगुड़ा	1	1
8		सिसरिंगा	7	7
9		पुरूंगा	1	1
10		रायमेर	32	32
11		सोनपुर	1	1
12		ससकोबा	5	5
13		सेमीपाली	5	5
14		दर्रीडीह	40	40
15		चरखापारा	1	1
16		चुहकीमार	1	1
17		तालबांव	3	3
18		नरकालो	35	35
19		नवापारा	2	2
20		नवागांव	4	4
21		आमापाली	4	4
22		गनपतपुर	4	4
23		खर्रा	1	1
24		कमोसिनडांड़	12	12
25		कदमढोढी	1	1
26		क्रिन्धा	21	21
27		पोटिया	1	1
28		सागरपुर	1	1
29		जबगा	3	3
30		रूवाफूल	1	1
31		पुटूकछार	1	1
32		झूलनबर (नगर पंचायत धरमजयगढ़)	7	7
33		बांसजोर (नगर पंचायत धरमजयगढ़)	12	12
34		कोदवारीपारा (नगर पंचायत धरमजयगढ़)	13	13
35		चिकटवानी (नगर पंचायत धरमजयगढ़)	1	1
36		पिपरमार (नगर पंचायत धरमजयगढ़)	5	5
37		तेंदुमार (नगर पंचायत धरमजयगढ़)	28	28
38	घरघोड़ा	चिमटापानी	1	1
39		पोरडा	2	2
40		बैहामुड़ा	2	2
41		पुरी	1	1
योग–			**424**	**424**

अनुभाग अधिकारी
आ.जा. तथा अनु.जा.वि. विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - छप्पन

अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 726) की जानकारी

प्रपत्र

सरगुजा जिले में जनवरी 2021–22 से जून 2024 तक प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना–जलग्रहण विकास घटक अंतर्गत संपादित कार्यों की विधानसभा क्षेत्रवार जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	वर्ष	परियोजना क्रमांक	वि.स.	विकास खण्ड	मा.वा.शेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लाभांवित कृषक / हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी का नाम
1	2021-22	आई.डब्ल्यू.एम.पी. –15	सीतापुर	अम्बिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	बड़ादमाली	परकोलेशन टैंक	4.94	4.94	4.65	3	13.25	जलग्रहण समिति
2	2021-22		सीतापुर	अम्बिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	बड़ादमाली	परकोलेशन टैंक	5.61	5.61	5.78	4	12.56	जलग्रहण समिति
3	2021-22		सीतापुर	अम्बिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	बड़ादमाली	परकोलेशन टैंक	6.50	6.49	5.12	5	13.25	जलग्रहण समिति
4	2021-22		सीतापुर	अम्बिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	बड़ादमाली	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	11.56	जलग्रहण समिति
5	2021-22		सीतापुर	अम्बिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	बड़ादमाली	डबरी निर्माण	2.00	1.99	0.25	1	15.12	जलग्रहण समिति
6	2021-22		सीतापुर	अम्बिकापुर	बड़ादमाली	बड़ादमाली	बड़ादमाली	डबरी निर्माण	2.00	1.99	0.27	1	13.12	जलग्रहण समिति
7	2021-22		सीतापुर	अम्बिकापुर	मोतीपुर	मोतीपुर	मोतीपुर	तटबंध निर्माण	6.90	6.90	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
8	2021-22		सीतापुर	अम्बिकापुर	मोतीपुर	मोतीपुर	मोतीपुर	तटबंध निर्माण	6.90	6.89	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
9	2021-22		लुण्ड्रा	लखनपुर	जमगवां	जमगवां	जमगवां	डबरी निर्माण	2.00	1.99	0.25	1	13.10	जलग्रहण समिति
10	2021-22		लुण्ड्रा	लखनपुर	जमगवां	जमगवां	जमगवां	डबरी निर्माण	2.00	1.99	0.27	1	14.20	जलग्रहण समिति
11	2021-22		लुण्ड्रा	लखनपुर	जमगवां	जमगवां	जमगवां	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.29	1	11.23	जलग्रहण समिति
12	2021-22		लुण्ड्रा	लखनपुर	जमगवां	जमगवां	जमगवां	डबरी निर्माण	2.00	1.99	0.28	1	9.65	जलग्रहण समिति
13	2021-22		लुण्ड्रा	लखनपुर	जमगवां	जमगवां	जमगवां	डबरी निर्माण	2.00	1.99	0.25	1	9.25	जलग्रहण समिति
14	2021-22		लुण्ड्रा	लखनपुर	जमगवां	जमगवां	जमगवां	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.30	1	8.98	जलग्रहण समिति
15	2021-22		लुण्ड्रा	लखनपुर	जमगवां	जमगवां	जमगवां	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.29	1	10.12	जलग्रहण समिति
16	2021-22	आई.डब्ल्यू.एम.पी. –16	अम्बिकापुर	उदयपुर	बकोई	बकोई	बकोई	वाटरहार्वेस्टिंग टैंक	6.88	6.88	3.02	4	16.25	जलग्रहण समिति
17	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	बकोई	बकोई	बकोई	सिल्ट कलेक्शन टैंक	4.27	4.27	0.00	2	14.25	जलग्रहण समिति

क्र.	वर्ष	परियोजना कमांक	वि.स.	विकास खण्ड	मा.वा.शेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लाभांवित कृषक / हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी का नाम
18	2021-22	आई.डब्ल्यू.एम.पी. –15	अम्बिकापुर	उदयपुर	बकोई	बकोई	बकोई	वाटरहार्वेस्टिंग टेंक	4.15	4.15	2.50	5	12.23	जलग्रहण समिति
19	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	बकोई	बकोई	बकोई	वाटरहार्वेस्टिंग टेंक	6.60	6.60	3.07	3	14.42	जलग्रहण समिति
20	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	बकोई	बकोई	बकोई	परकोलेशन टेंक	6.74	6.74	3.97	5	11.41	जलग्रहण समिति
21	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	बुले	बुले	बुले	परकोलेशन टेंक	6.96	6.89	4.01	4	10.52	जलग्रहण समिति
22	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	भकुरमा	तटबंध निर्माण	6.75	6.75	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
23	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	भकुरमा	तटबंध निर्माण	6.76	6.46	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
24	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	भकुरमा	तटबंध निर्माण	3.87	3.87	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
25	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	भकुरमा	तटबंध निर्माण	6.00	5.99	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
26	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	भकुरमा	तटबंध निर्माण	6.00	5.98	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
27	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	भकुरमा	भकुरमा	भकुरमा	वाटरहार्वेस्टिंग टेंक	5.85	5.85	2.98	2	14.41	जलग्रहण समिति
28	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	केदमा	केदमा	केदमा	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	9.65	जलग्रहण समिति
29	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	केदमा	केदमा	केदमा	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	8.69	जलग्रहण समिति
30	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	केदमा	केदमा	केदमा	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	10.25	जलग्रहण समिति

क्र.	वर्ष	परियोजना कमांक	वि.स.	विकास खण्ड	मा.वा.शेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लाभांवित कृषक / हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी का नाम
31	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	केदमा	केदमा	केदमा	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	11.26	जलग्रहण समिति
32	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	केदमा	केदमा	केदमा	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	11.63	जलग्रहण समिति
33	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	केदमा	केदमा	केदमा	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	12.50	जलग्रहण समिति
34	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	केदमा	केदमा	केदमा	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	10.25	जलग्रहण समिति
35	2021-22		अम्बिकापुर	उदयपुर	बडेगांव	बडेगांव	बडेगांव	भूमि समतलीकरण	16.50	16.50	0.00	30	16.50	जलग्रहण समिति
36	2021-22	आई.डब्ल्यू.एम.पी. –16	लुण्ड्रा	लखनपुर	जयपुर	अमलभिट्ठी	जयपुर	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	10.20	जलग्रहण समिति
37	2021-22		लुण्ड्रा	लखनपुर	जयपुर	अमलभिट्ठी	जयपुर	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	9.78	जलग्रहण समिति
38	2021-22		लुण्ड्रा	लखनपुर	जयपुर	अमलभिट्ठी	जयपुर	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	10.26	जलग्रहण समिति
39	2021-22		लुण्ड्रा	लखनपुर	जयपुर	अमलभिट्ठी	जयपुर	डबरी निर्माण	2.00	2.00	0.25	1	10.68	जलग्रहण समिति
								योग	**160.18**	**159.68**	**40.55**	**88**	**9.76**	
40	2022-23	डब्ल्यू.डी.सी.पी. एम.के.एस.वाय.– 2.0 / 2	लुण्ड्रा	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	सकरिया	बोल्डर चेक	0.43	0.43	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
41	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	सकरिया	बोल्डर चेक	0.28	0.28	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
42	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	सकरिया	बोल्डर चेक	0.23	0.23	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
43	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	सकरिया	गेबियन स्ट्रक्चर	1.38	1.38	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
44	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	सकरिया	गेबियन स्ट्रक्चर	1.19	1.17	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
45	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	सकरिया	गेबियन स्ट्रक्चर	1.76	1.39	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
46	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	सकरिया	सकरिया	सकरिया	डबरी निर्माण	3.56	3.54	0.35	2	8.65	जलग्रहण समिति
47	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	मानपुर	लिपिंगी	लिपिंगी	डबरी निर्माण	3.53	3.51	0.35	2	8.69	जलग्रहण समिति
48	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	लिपिंगी	लिपिंगी	लिपिंगी	डबरी गहरीकरण	1.70	1.70	0.35	3	5.69	जलग्रहण समिति
49	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	चोड़ेया	चोड़ेया	डबरी निर्माण	3.53	3.53	0.35	2	8.50	जलग्रहण समिति

क्र.	वर्ष	परियोजना कमांक	वि.स.	विकास खण्ड	मा.वा.शेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लाभांवित कृषक / हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी का नाम
50	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	तुरगा	चोड़ेया	डबरी निर्माण	3.41	3.41	0.35	2	8.65	जलग्रहण समिति
51	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	तुरगा	चोड़ेया	सिचाई नाली	14.37	14.37	12.50	22	15.69	जलग्रहण समिति
52	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	तुरगा	तुरगा	चोड़ेया	सिचाई नाली	14.37	14.37	10.00	15	18.56	जलग्रहण समिति
53	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	कुन्नी	कुन्नी	तटबंध निर्माण	7.70	7.70	0.00	0	0.00	जलग्रहण समिति
54	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	लिपिंगी	लिपिंगी	लिपिंगी	डबरी गहरीकरण	0.83	0.83	0.35	2	5.62	जलग्रहण समिति
55	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	लिपिंगी	लिपिंगी	लिपिंगी	डबरी गहरीकरण	3.15	3.14	0.35	4	4.62	जलग्रहण समिति
56	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	चोड़ेया	चोड़ेया	डबरी निर्माण	3.43	3.43	0.35	2	5.20	जलग्रहण समिति
57	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	चोड़ेया	चोड़ेया	डबरी निर्माण	3.43	3.43	0.35	1	5.50	जलग्रहण समिति
58	2022-23	डब्ल्यू.डी.सी.पी. एम.के.एस.वाय.–2.0 / 2	लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	चोड़ेया	चोड़ेया	डबरी निर्माण	3.56	3.56	0.35	2	6.50	जलग्रहण समिति
59	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	पोड़ी	पोड़ी	डबरी गहरीकरण	3.45	3.45	0.35	3	8.56	जलग्रहण समिति
60	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	मानपुर	पोड़ी	पोड़ी	डबरी गहरीकरण	2.05	2.05	0.35	3	6.50	जलग्रहण समिति
61	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	मानपुर	पोड़ी	पोड़ी	डबरी गहरीकरण	3.45	3.45	0.35	3	10.23	जलग्रहण समिति
62	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	लिपिंगी	पोड़ी	पोड़ी	डबरी गहरीकरण	2.55	2.54	0.35	3	8.95	जलग्रहण समिति
63	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	कुन्नी	कुन्नी	अमृत सरोवर (तालाब गहरीकरण)	14.73	14.73	7.50	15	21.50	जलग्रहण समिति
64	2022-23		लुण्ड्रा	लखनपुर	लिपिंगी	लिपिंगी	लिपिंगी	अमृत सरोवर (तालाब गहरीकरण)	14.90	14.90	7.00	13	21.65	जलग्रहण समिति
65	2022-23	डब्ल्यू.डी.सी.पी. एम.के.एस.वाय.–2.0 / 1	अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	डबरी निर्माण	3.50	2.95	0.35	1	13.00	जलग्रहण समिति
66	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	डबरी निर्माण	3.50	1.87	0.35	1	13	जलग्रहण समिति
67	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	डबरी निर्माण	3.50	3.48	0.35	1	13	जलग्रहण समिति

क्र.	वर्ष	परियोजना कमांक	वि.स.	विकास खण्ड	मा.वा.शेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लाभांवित कृषक/ हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी का नाम
68	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	मिट्टी बांध निर्माण	7.50	7.49	13.00	6	15	जलग्रहण समिति
69	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	फुन्गी	रामनगर	रामनगर	डबरी निर्माण कार्य	2.97	2.97	0.35	1	12	जलग्रहण समिति
70	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	फुन्गी	रामनगर	रामनगर	सिंचाई नाली	19.76	19.75	24.00	30	15	जलग्रहण समिति
71	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	सोनतरई	सोनतरई	सिंचाई नाली	18.38	18.37	25.00	32	15	जलग्रहण समिति
72	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	सोनतरई	सोनतरई	सिंचाई नाली	9.98	9.98	26.00	32	15	जलग्रहण समिति
73	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	डबरी गहरीकरण	2.50	2.50	0.35	1	10	जलग्रहण समिति
74	2022-23	डब्ल्यू.डी.सी.पी. एम.के.एस.वाय.–2.0/1	अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	डबरी गहरीकरण	2.50	1.25	0.35	1	10	जलग्रहण समिति
75	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	सोनतरई	सोनतरई	तालाब गहरीकरण	14.92	14.92	15.00	26	15	जलग्रहण समिति
76	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	सोनतरई	सोनतरई	तालाब गहरीकरण	18.00	18.00	8.00	13	15	जलग्रहण समिति
77	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	डबरी गहरीकरण	2.50	1.25	0.35	1	10	जलग्रहण समिति
78	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	डबरी गहरीकरण कार्य	2.25	2.24	0.35	1	10	जलग्रहण समिति
79	2022-23		अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	डबरी गहरीकरण	2.50	2.50	0.35	1	10	जलग्रहण समिति
								योग	**227.22**	**222.02**	**156.05**	**247**	**9.26**	

क्र.	वर्ष	परियोजना कमांक	वि.स.	विकास खण्ड	मा.वा.शेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लाभांवित कृषक / हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी का नाम
80	2023-24 (जून 2024 तक)	डब्ल्यू.डी.सी.पी. एम.के.एस.वाय.–2.0/2	लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	तुरगा	चोड़ेया	सिचाई नाली	14.84	14.84	5.50	12	15.25	जलग्रहण समिति
81	2023-24 (जून 2024 तक)		लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	कुन्नी	कुन्नी	तटबंध निर्माण	7.70	7.70	0.00	0	0	जलग्रहण समिति
82	2023-24 (जून 2024 तक)		लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	कुन्नी	कुन्नी	तटबंध निर्माण	7.70	7.70	0.00	0	0	जलग्रहण समिति
83	2023-24 (जून 2024 तक)		लुण्ड्रा	लखनपुर	कुन्नी	कुन्नी	कुन्नी	तटबंध निर्माण	7.70	7.70	0.00	0	0	जलग्रहण समिति
84	2023-24 (जून 2024 तक)	डब्ल्यू.डी.सी.पी. एम.के.एस.वाय.–2.0/2	लुण्ड्रा	लखनपुर	लिपिंगी	लिपिंगी	लिपिंगी	तटबंध निर्माण	12.00	12.00	0.00	0	0	जलग्रहण समिति
85	2023-24 (जून 2024 तक)		लुण्ड्रा	लखनपुर	लिपिंगी	पोड़ी	पोड़ी	डबरी गहरीकरण	1.43	1.43	0.35	1	8.95	जलग्रहण समिति
86	2023-24 (जून 2024 तक)		लुण्ड्रा	लखनपुर	लिपिंगी	कुन्नी	कुन्नी	डबरी गहरीकरण	2.05	2.05	0.35	1	8.96	जलग्रहण समिति
87	2023-24 (जून 2024 तक)		लुण्ड्रा	लखनपुर	मानपुर	पोड़ी	पोड़ी	डबरी गहरीकरण	1.68	1.68	0.35	3	7.56	जलग्रहण समिति
88	2023-24 (जून 2024 तक)		लुण्ड्रा	लखनपुर	मानपुर	पोड़ी	पोड़ी	डबरी गहरीकरण	1.71	1.71	0.35	1	6.35	जलग्रहण समिति

क्र.	.वर्ष	परियोजना कमांक	वि.स.	विकास खण्ड	मा.वा.शेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लाभांवित कृषक / हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी का नाम
89	2023-24 (जून 2024 तक)	डब्ल्यू.डी.सी.पी. एम.के.एस.वाय.–2.0 / 1	अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	सोनतरई	सोनतरई	डबरी गहरीकरण	2.48	1.61	0.35	1	10	जलग्रहण समिति
90	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	झिरमिट्टी	झिरमिट्टी	झिरमिट्टी	डबरी गहरीकरण	1.94	1.69	0.35	1	10	जलग्रहण समिति
91	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	फुन्गी	रामनगर	रामनगर	वृक्षारोपण / पौधरोपण	2.20	1.75	1.00	0	0	जलग्रहण समिति
92	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	फुन्गी	रामनगर	रामनगर	वृक्षारोपण / पौधरोपण	2.20	1.73	1.00	0	0	जलग्रहण समिति
93	2023-24 (जून 2024 तक)	डब्ल्यू.डी.सी.पी. एम.के.एस.वाय.–2.0 / 1	अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	डबरी गहरीकरण	2.50	0.00	0.35	1	10	जलग्रहण समिति
94	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	डबरी निर्माण	3.50	0.00	0.35	1	13	जलग्रहण समिति
95	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	लक्ष्मणगढ़	डबरी निर्माण	2.50	0.00	0.35	1	13	जलग्रहण समिति
96	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	डबरी गहरीकरण	1.99	1.50	0.35	1	10	जलग्रहण समिति
97	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	उदयपुर	डबरी गहरीकरण	2.00	0.00	0.35	1	10	जलग्रहण समिति

क्र.	वर्ष	परियोजना कमांक	वि.स.	विकास खण्ड	मा.वा.शेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लाभांवित कृषक/ हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी का नाम
98	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	झिरमिट्टी	झिरमिट्टी	झिरमिट्टी	सिंचाई नाली	10.00	6.58	28.00	45	15	जलग्रहण समिति
99	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	झिरमिट्टी	झिरमिट्टी	झिरमिट्टी	कुआं निर्माण	3.00	1.70	0.75	1	13	जलग्रहण समिति
100	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	झिरमिट्टी	झिरमिट्टी	झिरमिट्टी	कुआं निर्माण	3.00	1.70	0.75	1	13	जलग्रहण समिति
101	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	डुमरडीह	खोड़री	खोड़री	स्टापडेम निर्माण	18.70	11.99	48.00	45	16	जलग्रहण समिति
102	2023-24 (जून 2024 तक)	डब्ल्यू.डी.सी.पी. एम.के.एस.वाय.–2.0/1	अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	पलका	पलका	कुआं निर्माणा	2.99	2.49	0.75	1	13	जलग्रहण समिति
103	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	पलका	पलका	कुआं निर्माण कार्य	2.99	2.49	0.75	1	13	जलग्रहण समिति
104	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	पलका	पलका	कुआं निर्माण कार्य	2.99	2.49	0.75	1	13	जलग्रहण समिति
105	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	पलका	पलका	कुआं निर्माण कार्य	2.99	2.49	0.75	1	13	जलग्रहण समिति
106	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	पलका	पलका	कुआं निर्माण कार्य	2.99	2.49	0.75	1	13	जलग्रहण समिति

क्र.	वर्ष	परियोजना कमांक	वि.स.	विकास खण्ड	मा.वा.शेड का नाम	ग्राम	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	लागत राशि	व्यय राशि	सिंचित रकबा में वृद्धि (हे.)	लाभांवित कृषक/ हितग्राही की संख्या	फसल उत्पादन में वृद्धि (प्रतिशत में)	कार्य एजेंसी का नाम
107	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	पलका	पलका	कुआं निर्माण कार्य	2.99	2.49	0.75	1	13	जलग्रहण समिति
108	2023-24 (जून 2024 तक)		अम्बिकापुर	उदयपुर	सोनतरई	पलका	पलका	कुआं निर्माण कार्य	2.99	2.49	0.75	1	13	जलग्रहण समिति
								योग	**133.75**	**104.48**	**94.10**	**124**	**9.34**	
								कुल योग	**521.14**	**486.19**	**290.70**	**459**	**9.46**	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नया रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - सनतावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 35 (क्र. 727) की जानकारी

प्रपत्र

सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों के भवनों की जानकारी (जून 2024 की स्थिति में)

क्र.	संचालित छात्रावास/आश्रमों का नाम	स्वयं का भवन में	अन्य शासकीय भवन में	किराये के भवन में
1	2	3	4	5
1	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास नवानगर	स्वयं के भवन में	–	–
2	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बतौली	स्वयं के भवन में	–	–
3	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बिलासपुर	स्वयं के भवन में	–	–
4	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सरमना	स्वयं के भवन में	–	–
5	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास नर्मदापुर	स्वयं के भवन में	–	–
6	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास जामढ़ोढ़ी	स्वयं के भवन में	–	–
7	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास राजापुर	स्वयं के भवन में	–	–
8	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सीतापुर	स्वयं के भवन में	–	–
9	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास देवगढ़	स्वयं के भवन में	–	–
10	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास गेरसा	स्वयं के भवन में	–	–
11	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पेटला	स्वयं के भवन में	–	–
12	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास बतौली	स्वयं के भवन में	–	–
13	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास वंदना	स्वयं के भवन में	–	–
14	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास वंदना	स्वयं के भवन में	–	–
15	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास नर्मदापुर मैनपाट	स्वयं के भवन में	–	–
16	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास सीतापुर	स्वयं के भवन में	–	–
17	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास गुतुरूमा	स्वयं के भवन में	–	–
18	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास सीतापुर	स्वयं के भवन में	–	–
19	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास बतौली	स्वयं के भवन में	–	–
20	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास सीतापुर	स्वयं के भवन में	–	–
21	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास मैनपाट	स्वयं के भवन में	–	–
22	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास मंगारी	स्वयं के भवन में (जर्जर)	–	–
23	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बोदा	–	–	किराये के भवन में
24	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कमलेश्वरपुर	–	स्वयं के भवन के दो कक्ष में संचालित	–

क्र.	संचालित छात्रावास/आश्रमों का नाम	स्वयं का भवन में	अन्य शासकीय भवन में	किराये के भवन में
1	2	3	4	5
25	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास बोदा	–	मिडिल स्कूल के अतिरिक्त कक्ष में संचालित	–
26	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास बतौली	–	पो.मै. कन्या छात्रावास बतौली के भवन में	–
27	पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नर्मदापुर मैनपाट	–	प्री मै. बालक छात्रावास नर्मदापुर के अतिरिक्त कक्ष में संचालित	–
28	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास राजापुर मैनपाट	–	–	–

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - अनठावन

अतारांकित प्रश्न संख्या 36 (क्र. 733) की जानकारी

प्रपत्र-अ

जिला रायगढ़ के अंतर्गत दिसंबर 2023 से जून 2024 तक की अवधि में अवैध फ्लाई ऐश डंपिंग की प्राप्त शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	शिकायत प्राप्ति दिनांक	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही	वर्तमान स्थिति
1.	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील्स एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम-जामगांव, जिला-रायगढ़	11.03.2024	21.03.2024	ग्राम-महापल्ली मार्ग से लगे भूमि पर फ्लाई ऐश का अनियंत्रित एवं अनुचित अपवहन किया जाना पाया गया।	मंडल के पत्र दिनांक 22.03.2024 द्वारा उद्योग पर रूपये 4,50,000/- पर्यवरणीय क्षतिपूर्ति राशि अधिरोपित करते हुऐ फ्लाई ऐश का समतलीकरण कर मिट्टी की परत बिछाने का कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया।	उद्योग द्वारा क्षतिपूर्ति राशि रूपए 4,50,000/- जमा करते हुये स्थल पर समाधानकारक कार्यावाही किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

जिला रायगढ़ में संचालित ताप विद्युत संयंत्रों से जनित राखड़ के भण्डारण के लिए ऐश डाईक की व्यवस्था

क्र.	उद्योग का नाम व पता	ऐश डाईक का स्थल	ऐश डाईक का क्षेत्रफल
01.	मेसर्स एस.के.एस. पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, ग्राम-बिंजकोट एवं दर्रामुड़ा, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़	प्लांट परिसर ग्राम-बिंजकोट, रायगढ़	59 एकड़
02.	मेसर्स टी.आर.एन. एनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवापारा (टेण्डा), तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	प्लांट परिसर ग्राम-भेंगारी, रायगढ़	105 एकड़ एवं 45 एकड़
03.	मेसर्स एन.टी.पी.सी. लिमिटेड लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, ग्राम-लारा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	ग्राम-कांदागढ़ एवं झीलगिटार	373 एकड़
04.	मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड, ग्राम-तमनार, जिला-रायगढ़	ग्राम-रेगांव, कुंजेमुरा, रायगढ़	198 एकड़
05.	मेसर्स अडाणी पॉवर लिमिटेड, (पूर्व नाम-मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड) ग्राम-बड़े भण्डार छोटे भण्डार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	प्लांट परिसर ग्राम-बड़े भण्डार, रायगढ़	90 एकड़
06.	मेसर्स जिंदल स्टील एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम-पतरापाली, जिला-रायगढ़	ग्राम-गेजामुड़ा, कोसमपाली, रायगढ़	187 एकड़

(डी.आर.सौन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-स

जिला रायगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों से जनित फ्लाई ऐश के भू-भराव हेतु अनुमति/अनापत्ति प्राप्त स्थलों की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व पता	भू-भराव स्थल
01.	मेसर्स आर.के.एम. पावर जनरेशन प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-उच्चपिण्डा, तहसील-डभरा, जिला-सक्ती	ग्राम-बोजिया, तहसील-छाल, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-19/1/झ, 28/1/ख/1 रकबा क्रमशः-0.607 एवं 0.870 हेक्टेयर, कुल रकबा-1.447 हेक्टेयर
02.	मेसर्स अडानी पॉवर लिमिटेड (पूर्व नाम मेसर्स रायगढ़ एनर्जी जनरेशन लिमिटेड), ग्राम-बडे भण्डार छोटे भण्डार, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़	ग्राम-टपरदा, तहसील-पुसौर, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-23, रकबा 0.397 हेक्टेयर
		ग्राम-पटेलपाली, तहसील व जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-206/23ग/1, 206/23ग/2, रकबा-0.257 हेक्टेयर
03.	मेसर्स टी.आर.एन. इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-नवापारा (टेण्डा), तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	ग्राम-छोटेगुमड़ा, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-299 एवं 308 रकबा क्रमशः-0.514 एवं 0.787 हेक्टेयर
04.	मेसर्स बी.एस. स्पंज प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-तराईमाल, तहसील-घरघोड़ा, जिला-रायगढ़	ग्राम-पूंजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ के खसरा क्रमांक-60 रकबा-6.330 हेक्टेयर

(डी.आर.सौन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - उन्सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 37 (क्र. 736) की जानकारी

प्रपत्र

जिला रायगढ़ के अंतर्गत उद्योगों की संचालित कोल साईडिंग की जानकारी

क्र.	कोल साइडिंग का नाम एवं पता	स्थल
1.	मेसर्स विमला इंफ्रास्ट्रक्चर (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम-भूपदेवपुर, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़
2.	मेसर्स एम.एस.पी. स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड	ग्राम-जॉमगांव, तहसील व जिला-रायगढ़
3.	मेसर्स नलवा स्टील एण्ड पॉवर लिमिटेड	ग्राम-उच्चभिट्ठी, किरोड़ीमल नगर, जिला-रायगढ़
4.	मेसर्स वेदांता वाशरी एंड लोगिस्टिक सलूशन प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम-कुनकुनी, तहसील -खरसिया, जिला-रायगढ़
5.	मेसर्स भाटिया एनर्जी एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड (रेलवे साईडिंग बीईएमआर)	ग्राम-छोटेडूमरपाली, तहसील-खरसिया, जिला-रायगढ़

(डी.आर.सॉन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - साठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 39 (क्र. 747) की जानकारी

प्रपत्र-अ

वन विभाग बालोद के द्वारा अन्य स्थलों पर प्रदूषित वातावरण को स्वच्छ एवं नियंत्रित किये जाने हेतु की गई कार्यवाही की जानकारी

क्रमांक	वर्ष	योजना का नाम	क्षेत्राफल (हे.में)	रोपित पौधा संख्या
1.	2021-22	कैम्पा मद- वृक्षारोपण	72.00	76335
2.	2021-22	मनरेगा - वृक्षारोपण	190.447	7049
		योग	262.447	83384
3.	2022-23	मनरेगा - वृक्षारोपण	18.00	1600
4.	2022-23	कैम्पा मद- वृक्षारोपण	30.00	12000
5.	2022-23	डी.एम.एफ मद - वृक्षारोपण	2.80	1500
6.	2022-23	राजस्व क्षेत्रों में वृक्ष कटाई के विरुद्ध पौधा रोपण (पी.डी. मद)	1.00 हेक्टेयर एवं 16.50 कि.मी.	2030
		योग	51.80 हेक्टेयर एवं 16.50 कि.मी.	17130
7.	2023-24	विभागीय मद - वृक्षारोपण	50.00	55000
8.	2023-24	कैम्पा मद- वृक्षारोपण	156.00	116329
9.	2023-24	राजस्व क्षेत्रों में वृक्ष कटाई के विरूद्ध पौधा रोपण (पी.डी.मद)	29.00	30500
		योग	235.00	201829

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

बालोद जिला के अंतर्गत दिनांक 01/04/2021 से 31/03/2024 के मध्य किये गये निरीक्षण में जिन उद्योगों/खदानों में अनियमितता पाई गई एवं की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम एवं पता	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स राजहरा मेकेनाईज्ड माइन्स (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड), पोस्ट-दल्ली राजहरा, जिला- बालोद	27.01.2022	डिस्पेच स्थल पर रेल्वे वैगन में लोडिंग करते समय एवं परिवहन के दौरान रेल्वे वैगन में कव्हर्ड नही किया जाना पाया गया।	पत्र दिनांक 07.02.2022 के माध्यम से सुधार कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। खदान प्रबंधन द्वारा पत्र दिनांक 15.02.2022 को समाधानकारक कार्यवाही कर सूचित किया गया।
		17.02.2022	खदान प्रबंधन द्वारा सुधार किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
2.	मेसर्स प्रेमा एग्रोटेक, ग्राम- उसरवारा, तहसील- गुरूर, जिला- बालोद	22.02.2024	उद्योग के प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाले दूषित जल के उपचार हेतु दूषित जल उपचार संयंत्र संचालित पाया गया। दूषित जल संग्रहण के लिए निर्मित नाली का क्षतिग्रस्त होने के कारण अनुपचारित जल नाली के समीप स्वयं के भूमि में जाना पाया गया।	पत्र दिनांक 01.03.2024 के माध्यम से सुधार कार्य किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। उद्योग द्वारा दिनांक 22.03.2024 को सुधार कार्य करने की जानकारी दी गई।
		03.04.2024	उद्योग द्वारा सुधार किया जाना पाया गया। स्थिति सामान्य पाई गई।	प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - इकसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 40 (क्र. 748) की जानकारी

प्रपत्र–अ

वर्ष 2023–24 में गुणवत्ता जांच में पाए गए अमानक रासायनिक खाद की जानकारी

क्र.	जिला	विक्रय संस्थान जहां से नमूना लिया गया		उर्वरक की जानकारी जिसका नमूना लिया गया	गुणवत्ता जांच का परीक्षण परिणाम	अमानक के विरूद्ध की गई कार्यवाही
		नाम	पता			
1	2	3	4	5	6	7
1	बालोद	सेवा सहकारी समिति	डौंडीलोहारा, विकासखण्ड डौंडीलोहारा	सिंगल सुपर फास्फेट 16%	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
2		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति	कुआगोंदी, विकासखण्ड डौंडी	डी.ए.पी. (18:46)	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
3		सेवा सहकारी समिति मर्यादित	मेड़की, विकासखण्ड बालोद	डी.ए.पी. (18:46)	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
4		देव कृषि केन्द्र,	चिखलाकसा, विकासखण्ड डौंडी	एन.पी.के. (20:20:0:13)	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
5		कर्मा कृषि केन्द्र,	पटेली, विकासखण्ड डौंडी	बेन्टोनाईट सल्फर 90 %	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
6		लक्ष्मी कृषि सेवा केन्द्र	गुण्डरदेही, विकासखण्ड गुण्डरदेही	यूरिया	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
7		महेश ट्रेडर्स	अर्जुदा, विकासखण्ड गुण्डरदेही	28:28:0	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
8		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति	कोंडेकसा, विकासखण्ड डौण्डीलोहारा	12:32:16	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
9		छ.ग. राज्य संग्रहण केन्द्र	जगतरा, विकासखण्ड बालोद	यूरिया	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
10		छ.ग. राज्य संग्रहण केन्द्र	जगतरा, विकासखण्ड बालोद	20:20:0:13	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
11		सोनकर कृषि केन्द्र	डौण्डीलोहारा, विकासखण्ड डौण्डीलोहारा	जिंक फर्टिलाईजर 33%	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
12		सत्यम कृषि केन्द्र	कंवर, विकासखण्ड गुरूर	पोटेशियम सल्फेट	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
13		कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	विकासखण्ड गुरूर	मैगनिज सल्फेट	अमानक	भण्डारण / वितरण, विक्रय एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित

प्रपत्र–ब

वर्ष 2023–24 में गुणवत्ता जांच में पाए गए अमानक बीज की जानकारी

क्र.	जिला	विक्रय संस्थान जहां से नमूना लिया गया		बीज की जानकारी जिसका नमूना लिया गया			गुणवत्ता जांच का परीक्षण परिणाम	अमानक के विरूद्ध की गई कार्यवाही
		नाम	पता	बीज की श्रेणी	फसल	किस्म		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बालोद	छ0ग0 राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	झलमला, वि.खं. बालोद	प्रमाणित	धान	एमटीयू–1010	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
2		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति	दुधली, वि.ख. डौंडीलोहारा	प्रमाणित	धान	एमटीयू–1010	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
3		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति	कोडेकसा, वि.ख. डौंडीलोहारा	प्रमाणित	धान	एमटीयू–1010	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
4		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति	डौंडी, वि.खं. डौण्डी	प्रमाणित	धान	आई आर–64	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
5		छ0ग0 राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम	झलमला, वि.खं. बालोद	प्रमाणित	चना	आरजीव्ही–203	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
6				प्रमाणित	कुसुम	सीजी–कुसुम–1	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
7		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति	डौंडी, वि.खं. डौण्डी	प्रमाणित	कुसुम	सीजी–कुसुम–1	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
8		सेवा सहकारी समिति मर्यादित	भरदाकला, वि.खं. गुण्डरदेही	प्रमाणित	गेहूं	एचआई–8759	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

वर्ष 2023–24 में गुणवत्ता जांच में पाए गए अमानक कीटनाशक की जानकारी

क्र.	जिला	विक्रय संस्थान जहां से नमूना लिया गया		कीटनाशक की जानकारी जिसका नमूना लिया गया	गुणवत्ता जांच का परीक्षण परिणाम	अमानक के विरूद्ध की गई कार्यवाही
		नाम	पता			
1	2	3	4	5	6	7
1	बालोद	खेती बाड़ी कृषि केन्द्र	ग्राम टिकरी, वि.खं. गुण्डरदेही	लेम्डासाईहेलोथ्रीन– 5% ईसी	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
2		कृषि परामर्श केन्द्र	बालोद, वि.खं. बालोद	बाईफेनथ्रीन– 10% ईसी	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
3		महामाया कृषि केन्द्र	पसौद, वि.खं. डौ.लोहारा	बाईफेनथ्रीन– 10% ईसी	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
4		गुरूपंच कृषि केन्द्र	कोहंगाटोला, वि.खं. बालोद	बीसपायरीबेक सोडियम–10% एससी	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
5		सिध्दि कृषि केन्द्र,	कोलिहामार, वि.ख. गुरूर	कार्टाप हाईड्रोक्लोराईड– 50% एसपी	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
6		मौली कृषि केन्द्र, बस स्टैण्ड	डौण्डी, वि.स. डौण्डी	क्लोरपायरीफॉस–50%+ सायपरमेथ्रीन–5% ईसी	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित
7		गणपती ट्रेडर्स	बालोद, वि.खं. बालोद	क्लोरपायरीफॉस–50%+ सायपरमेथ्रीन–5% ईसी	अमानक	भण्डारण/वितरण एवं प्रदर्शन पर प्रतिबंधित

(विकास मिश्रा)
उपं सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - बैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 751) की जानकारी

प्रपत्र

क्र.	कार्यालय का नाम	जिला का नाम	कार्यालय हेतु स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, नवा रायपुर	रायपुर	58	37	21
2	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायपुर	रायपुर	35	19	16
		गरियाबंद			
3	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग	दुर्ग	28	13	15
		बेमेतरा			
4	कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर	बिलासपुर	29	10	19
		मुंगेली			
		गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही			
5	कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरबा	कोरबा	23	8	15
6	कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जगदलपुर	बस्तर	20	6	14
		कोण्डागांव			
		नारायणपुर			
		बीजापुर			
		सुकमा			
7	कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, रायगढ़	रायगढ़	20	9	11
		सारंगढ़-बिलाईगढ़			
8	कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, राजनांदगांव	राजनांदगांव	21	9	12
		मोहला-मानपुर- अंबागढ़ चौकी			
		खैरागढ़-छुईखदान- गण्डई			
9	कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, धमतरी	धमतरी	13	5	8
10	कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जशपुर	जशपुर	14	8	6
11	कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, अंबिकापुर	सरगुजा	14	6	8
		सूरजपुर			
		बलरामपुर-रामानुजगंज			
12	कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	13	7	6
		सक्ती			
13	कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कवीरधाम	कवीरधाम	14	6	8
14	कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कांकेर	कांकेर	10	2	8
15	कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	9	2	7
16	कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बलौदाबाजार	बलौदाबाजार	10	4	6
17	कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बालोद	बालोद	10	5	5
18	कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, महासमुंद	महासमुंद	10	3	7
19	कार्यालय सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, कोरिया	कोरिया	10	4	6
		भरतपुर-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरि			
	प्रतिनियुक्ति रक्षित पद		37	5	32
	योग		398	168	230

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - तेरसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 757) की जानकारी

प्रपत्र

जिला-महासमुन्द में संचालित शहरी एवं ग्रामीण अवास योजना

क्र.	विकासखण्ड का नाम	शहरी/ ग्रामीण	योजना का नाम	कुल स्वीकृत आवास	कुल निर्मित /पूर्ण आवास	अपूर्ण आवास	अनआबंटित आवास की संख्या	अनआबंटित आवास कब तक कर दी जावेगीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	बागबाहरा	शहरी	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	2489	1510	979	0	-
		ग्रामीण	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	11315	10865	450	-	हितग्राहियों द्वारा स्वतः आवास निर्माण किया जाता है, अतः अनआबंटित होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
			प्रधानमंत्री जनमन योजना	289	06	283	-	
			मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	295	03	292	-	
2	सरायपाली	शहरी	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	953	784	169	0	-
			अटल आवास योजना	300	224	76	10	अन आबंटित आवासों के आबंटन हेतु पंजीयन जारी है, आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।
		ग्रामीण	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	17972	16954	1018	-	हितग्राहियों द्वारा स्वतः आवास निर्माण किया जाता है, अतः अनआबंटित होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
			मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	194	25	169	-	
3	महासमुन्द	शहरी	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	1637	1395	242	13	अन आबंटित आवासों के आबंटन हेतु पंजीयन जारी है, आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जावेगी।
			अटल विहार योजना	242	236	06	04	
			दीनदयाल आवास योजना	137	60	77	0	-
		ग्रामीण	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	10818	9977	841	-	हितग्राहियों द्वारा स्वतः आवास निर्माण किया जाता है, अतः अनआबंटित होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
			प्रधानमंत्री जनमन योजना	274	01	273	-	
			मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	647	22	625	-	
4	बसना	शहरी	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	493	374	119	0	-
		ग्रामीण	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	16471	15637	834	-	हितग्राहियों द्वारा स्वतः आवास निर्माण किया जाता है, अतः अनआबंटित होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
			मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	350	0	350	-	
			अटल आवास योजना	300	0	300	0	-
5	पिथौरा	शहरी	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	774	497	277	0	-
		ग्रामीण	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	16690	15605	1085	-	हितग्राहियों द्वारा स्वतः आवास निर्माण किया जाता है, अतः अनआबंटित होने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।
			प्रधानमंत्री जनमन योजना	17	01	16	-	
			मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण	274	15	259	-	
			योग	82931	74191	8740	27	

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र "अ"

30 जून 2024 की स्थिति में																	
क्र.	विकास खंड	वर्ग	प्री मैट्रिक छात्रावास						पोस्ट मैट्रिक छात्रावास						कुल योग	
			बालक		बालिका		योग		बालक		बालिका		योग		छात्रावास	स्वीकृत सीट
			संस्था की संख्या	स्वीकृत सीट	संस्था की संख्या	स्वीकृत सीट	बालक/बालिका	स्वीकृत सीट	संस्था की संख्या	स्वीकृत सीट	संस्था की संख्या	स्वीकृत सीट	बालक/बालिका	स्वीकृत सीट		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	बालोद	अनुसूचित जनजाति	4	140	2	70	6	210	1	50	1	50	2	100	8	310
2	डौण्डी		21	995	2	100	23	1095	2	100	1	50	3	150	26	1245
3	डौंडीलोहारा		12	340	2	80	14	420	1	50	2	100	3	150	17	570
4	गुरूर		4	170	1	50	5	220	1	50	1	50	2	100	7	320
5	गुण्डरदही		4	100	0	0	4	100	0	0	1	50	1	50	5	150
योग			45	1745	7	300	52	2045	5	250	6	300	11	550	63	2595
1	बालोद	अनुसूचित जाति	2	70	0	0	2	70	0	0	1	50	1	50	3	120
2	डौण्डी		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	डौंडीलोहारा		1	20	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	1	20
4	गुरूर		1	50	1	1	1	50	0	0	0	0	0	0	1	50
5	गुण्डरदही		1	20	0	0	1	20	0	0	0	0	0	0	1	20
योग			5	160	1	1	5	160	0	0	1	50	1	50	6	210

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग पहली मंजिल, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र "ब"

30 जून 2024 की स्थिति में									
क्र.	विकास खंड	वर्ग	प्री मैट्रिक छात्रावास			पोस्ट मैट्रिक छात्रावास			कुल दर्ज संख्या
			बालक दर्ज संख्या	बालिका दर्ज संख्या	योग	बालक दर्ज संख्या	बालिका दर्ज संख्या	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बालोद	अनुसूचित जनजाति	168	111	279	50	70	120	**399**
2	डौण्डी		919	184	1103	76	103	179	**1282**
3	डौंडीलोहारा		407	105	512	24	100	124	**636**
4	गुरूर		128	52	180	20	58	78	**258**
5	गुण्डरदही		70	0	70	0	85	85	**155**
योग			**1692**	**452**	**2144**	**170**	**416**	**586**	**2730**
1	बालोद	अनुसूचित जाति	77	0	77	0	40	40	**117**
2	डौण्डी		0	0	0	0	0	0	**0**
3	डौंडीलोहारा		11	0	11	0	0	0	**11**
4	गुरूर		20	0	20	0	0	0	**20**
5	गुण्डरदही		6	0	6	0	0	0	**6**
योग			**114**	**0**	**114**	**0**	**40**	**40**	**154**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग गोलबंदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

वर्ष 2021–22				
क्र.	मद का नाम	प्रदान की गयी राशि	कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4	5
	अनुरक्षण कार्य			
1	41/2202/1395 – छात्रावास24–अनुरक्षण कार्य–011 –शैक्ष.संस्थाये छात्रा./आश्रम	17.90000	छत एवं खिड़की दरवाजा मरम्मत/छत जीर्णोद्धार/ शौचालय एवं स्नानागार मरम्मत कार्य	17.57264
2	64/2202/1395 – छात्रावास24–अनुरक्षण कार्य–011 –शैक्ष.संस्थाये छात्रा./आश्रम	4.56000	खिड़की दरवाजा मरम्मत एवं फ्लोर मरम्मत कार्य	4.55465
3	64/2202/1395 – छात्रावास24–अनुरक्षण कार्य–011 –शैक्ष.संस्थाये छात्रा./आश्रम	2.76000	आहाता मरम्मत एवं शौचालय का दरवाजा मरम्मत कार्य	2.73865
	वर्ष 2022–23			
1	41/2202/1395 – छात्रावास24–अनुरक्षण कार्य–011 –षैक्ष.संस्थाये छात्रा./आश्रम	30.40000	दरवाजा मरम्मत/भवन मरम्मत कार्य/शौचायल, दरवाजा, खिड़की मरम्मत कार्य/शौचालय स्नानागार, दरवाजा मरम्मत एवं विद्युतिकरण कार्य/शौचायल मरम्मत एवं विद्युतिकरण कार्य	29.98235
2	41/2202/1395 – छात्रावास24–अनुरक्षण कार्य–011 –शैक्ष.संस्थाये छात्रा./आश्रम	77.79000	छत मरम्मत एवं रंग–रोहन कार्य/भवन जीर्णोद्धार कार्य/भवन जीर्णोद्धार कार्य/सेप्टिक टैंक मरम्मत एवं पाईप लाईन विस्तर कार्य/बालक छात्रा. में किचन शेड निर्माण	75.85200
3	64/2202/1395 – छात्रावास24–अनुरक्षण कार्य–011 –शैक्ष.संस्थाये छात्रा./आश्रम	4.90000	खिड़की दरवाजा मरम्मत कार्य	4.75200
	लघु निर्माण कार्य			
	वर्ष 2021–22			
1	41/2202/1395 – छात्रावास 27–लघु निर्माण कार्य–002 –भवन निर्माण	17.90000	लघु निर्माण कार्य	16.89200

क्र.	मद का नाम	प्रदान की गयी राशि	कार्य का नाम	व्यय राशि
1	2	3	4	5
2	64/2202/1395 – छात्रावास27–लघु निर्माण कार्य–002 –भवन निर्माण	4.56000	लघु निर्माण कार्य	4.55465
3	64/2202/1395 – छात्रावास27–लघु निर्माण कार्य–002 –भवन निर्माण	2.76000	लघु निर्माण कार्य	2.74567
	वर्ष 2022–23			
1	41/2202/1395 – छात्रावास 27–लघु निर्माण कार्य–002 –भवन निर्माण	30.40000	बाऊण्ड्रीवाल ऊचीकरण/भवन जीर्णोद्वार कार्य/छत मरम्मत, शौचालय मरम्मत, खिड़की मरम्मत एवं विद्युतीकरण कार्य	28.47320
	वर्ष 2023–24			
1	41/2202/1395 – छात्रावास 27–लघु निर्माण कार्य–002 –भवन निर्माण	29.90000	छत जीर्णोद्वार कार्य/रंग रोहन कार्य	25.32000
2	64/2202/1395 – छात्रावास27–लघु निर्माण कार्य–002 –भवन निर्माण	5.25000	छत जीर्णोद्वारा कार्य	4.95500
3	64/2202/1395 – छात्रावास27–लघु निर्माण कार्य–002 –भवन निर्माण	4.93000	छत का स्लैब मरम्मत कार्य	4.93000

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - पैंसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 45 (क्र. 765) की जानकारी

प्रपत्र

विगत 03 वर्षो के छात्रावास में मदवार, कार्यवार, प्राप्त राशि, व्यय राशि का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	वर्ष	मांग संख्या, मुख्य शीर्ष, मद/उपमद का नाम	प्राप्त राशि (राशि रू.लाखों में)	कार्य का नाम	व्यय राशि (राशि रू.लाखों में)
1	2	3	4	5	6
अनुरक्षण कार्य					
1	2021–22	66/2202/1395 – छात्रावास 24–अनुरक्षण कार्य–011 –शैक्ष.संस्थाये छात्रा./आश्रम	1.04	प्री.मे.अ.पि.व. बालक छात्रा.बालोद में खिड़की दरवाजा मरम्मत	1.03688
2		66/2202/1395 – छात्रावास 24– अनुरक्षण कार्य–011 – शैक्ष.संस्थाये छात्रा./आश्रम	1.70	प्री.मे.अ.पि.व. बालक छात्रा.बालोद में खिड़की दरवाजा मरम्मत एवं पोताई कार्य	1.693
3	2022–23	66/2202/1395 – छात्रावास 24– अनुरक्षण कार्य–011 –शैक्ष.संस्थाये छात्रा./आश्रम	2.70	प्री.मे.अ.पि.व. बालक छात्रा.बालोद में शौचालय में टाईल्स एवं मरम्मत कार्य	2.69
4	2023–24	——— निरंक ———			
लघु निर्माण कार्य					
1	2021–22	66/2202/1395 – छात्रावास 27 –लघु निर्माण कार्य–002 –भवन निर्माण	1.25	प्री.मे.अ.पि.व. बालक छात्र.बालोद में मरम्मत, पोताई कार्य	1.23750
2		66/2225/7631 – अल्पसंख्यक वर्ग के लिये योजनायें 27–लघु निर्माण कार्य– 006 –अन्य लघु निर्माण कार्य	7.56	प्री.मे.अ.पि.व. बालक छात्र.बालोद में शौचालय, छत मरम्मत एवं नल फीटिंग कार्य	7.54
3		66/2202/1395 – छात्रावास 27–लघु निर्माण कार्य–002 –भवन निर्माण	1.94	प्री.मे.अ.पि.व. बालक छात्र.बालोद में चेकर टाईल्स कार्य	1.843
4	2022–23	66/2202/1395 – छात्रावास 27–लघु निर्माण कार्य–002 –भवन निर्माण	3.25	प्री.मे.अ.पि.व. बालक छात्र.बालोद में मरम्मत, छत ग्रेडिंग एवं पोताई कार्य	3.225
5	2023–24	66/4202/1400 –विवेकानंद गुरूकुल उन्नयन योजना27–लघु निर्माण कार्य–002	5.00	प्री.मे.अ.पि.व. बालक छात्र.बालोद में टाईल्स कार्य	0.00
			5.00	प्री.मे.अ.पि.व. बालक छात्र.बालोद में खिड़की, दरवाजा, फ्लोर मरम्मत कार्य	0.00

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

परिशिष्ट - छैसठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 769) की जानकारी

प्रपत्र–अ

क	विकासखंड	आश्रम		छात्रावास	
		भवन विहीन	स्वयं के भवन	भवन विहीन	स्वयं के भवन
1	2	3	4	5	6
1	बीजापुर	6	15	0	14
2	उसूर	9	20	1	7
3	भैरमगढ़	4	60	2	12
4	भोपालपटनम	7	16	0	8
योग		26	111	3	41

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
[illegible] विकास [illegible] भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–ब

क	विकासखंड	मूल स्थान पर संचालित		अन्यत्र संचालित		अन्यत्र संचालित होने का कारण
		आश्रम	छात्रावास	आश्रम	छात्रावास	
1	2	3	4	5	6	7
1	बीजापुर	12	14	9	0	नक्सल समस्याओं के कारण
2	उसूर	18	8	11	0	
3	भैरमगढ़	41	14	23	0	
4	भोपालपटनम	15	7	8	1	
योग		86	43	51	1	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अ.पि.व. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग फतेहपुर भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र-अ

संचालनालय कृषि अंतर्गत बिलासपुर जिला में नलकूप खनन हेतु प्राप्त आवेदन, नलकूप खनन एवं पंप प्रतिष्ठापन पर कृषकों को प्रदाय अनुदान की वर्षवार, विकासखंडवार जानकारी

क्र	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	नलकूप खनन					पंप प्रतिष्ठापन		
				प्राप्त आवदेन संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	खनित नलकूप संख्या	वितरित अनुदान (राशि रू. लाख में)	लाभान्वित कृषक संख्या	पम्प प्रतिष्ठापन संख्या	वितरित अनुदान (राशि रू. लाख में)	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2021-22	तखतपुर	किसान समृद्धि योजना	3	3	3	0.48	3	1	0.20	1
		कोटा		3	3	3	0.46	3	1	0.25	1
2	2022-23	मस्तूरी		4	4	4	0.61	4	1	0.25	1
		बिल्हा		3	3	3	0.29	3	2	0.35	2
		कोटा		10	10	10	1.50	10	7	1.40	7
		तखतपुर		2	2	2	0.30	2	1	0.20	1
3	2023-24	मस्तूरी		2	2	2	0.26	2	2	0.37	2
		बिल्हा		1	1	1	0.08	1	1	0.20	1
		कोटा		1	1	1	0.18	1	1	0.21	1
योग				**29**	**29**	**29**	**4.16**	**29**	**17**	**3.43**	**17**

क्र	वर्ष	विकासखण्ड	योजना का नाम	नलकूप खनन					पंप प्रतिष्ठापन		
				प्राप्त आवदेन संख्या	स्वीकृत आवेदन संख्या	खनित नलकूप संख्या	वितरित अनुदान (राशि रू. लाख में)	लाभान्वित कृषक संख्या	पम्प प्रतिष्ठापन संख्या	वितरित अनुदान (राशि रू. लाख में)	लाभान्वित कृषक संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2021-22	तखतपुर	उथला नलकूप (रा.कृ.वि. यो.)	10	10	10	0.50	10	10	1.50	10
		कोटा		40	40	40	2.00	40	40	6.00	40
2	2022-23	तखतपुर		3	3	3	0.15	3	3	0.45	3
		कोटा		47	47	47	2.35	47	47	7.05	47
3	2023-24	तखतपुर		2	2	2	0.10	2	2	0.30	2
योग				**102**	**102**	**102**	**5.10**	**102**	**102**	**15.30**	**102**
महायोग				**131**	**131**	**131**	**9.26**	**131**	**119**	**18.73**	**119**

हस्ता/–
संचालक कृषि
छ.ग. रायपुर

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

प्रपत्र–ब

संचालनालय उद्यानिकी अंतर्गत बिलासपुर जिला अंतर्गत लघु सिंचाई तथा तालाब निर्माण योजना एवं नलकूप खनन योजना के तहत प्राप्त आवेदन।

क्र.	विकासखण्ड	वर्ष	योजना का नाम	घटक / कार्य	प्राप्त आवेदनों की संख्या	निराकृत आवेदनों की संख्या	लाभांवित कृषकों की संख्या	प्रदाय अनुदान राशि (लाख)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	तखतपुर	2021-22	राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना	जल संसाधन का स्त्रोत छोटा तालाब	10	10	10	7.50
	बिल्हा		————————निरंक————————					
	मस्तूरी							
	कोटा							
2	–	2022-23	————————निरंक————————					
3	–	2023-24	————————निरंक————————					

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर

हस्ता / –
संचालक
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी
नवा रायपुर अटल नगर छ.ग.

परिशिष्ट - अड़सठ

अतारांकित प्रश्न संख्या 51 (क्र. 794) की जानकारी

प्रपत्र

क्रं.	जिले का नाम	विकासखण्ड	संस्था के प्रकार		
			आश्रम	पोस्ट मैट्रिक छात्रावास	प्री–मैट्रिक छात्रावास
1	सक्ती	जैजैपुर	8	1	10
		मालखरौदा	0	0	3
2	जांजगीर–चांपा	बम्हनीडीह	0	0	5
योग :–			8	1	18

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
[illegible] विभाग मंत्रालय भवन, मंत्रालय, नया [illegible]

परिशिष्ट - उनहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 797) की जानकारी

प्रपत्र-अ

नवा रायपुर अटल नगर में निर्माणाधीन "सेवाग्राम" की जानकारी

स.क्र.	निर्माण कार्य का नाम	क्षेत्रफल	प्रस्तावित राशि (राशि रू. करोड़ में)	कार्य की भौतिक स्थिति	कार्य की वित्तीय स्थिति	व्ययित राशि (करोड़ में)	शेष राशि (करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	मल्टीपरपज डाईनिग हॉल, सामुदायिक किचन एवं प्रसाधन कक्ष का निर्माण	1600 वर्गमीटर	4.24	75 प्रतिशत	40 प्रतिशत	1.59	2.65
2	12 यूनिट विजिटर सेंटर, 20 यूनिट सेवाश्रम, 12 यूनिट सेंटर फार रिजुविनेशन ऑफ रूरल इकानॉमी, 2 यूनिट सुरक्षा केबिन एवं अन्य सहायक भवनों यथा सब स्टेशन, पंप रूम, पैनल रूम आदि का निर्माण	14505 वर्गमीटर	101.90	60 प्रतिशत	52 प्रतिशत	52.88	49.02
3	बायोडायवर्सीटी पार्क, लैण्डस्केपिंग एवं आर्गेनिक फार्मिंग।	216525.00 वर्गमीटर (49 एकड़)					
4	इकोलॉजी पाण्ड का निर्माण	30761.00 वर्गमीटर (07 एकड़)					
5	फ्रीडम वॉक एवं पाथवे निर्माण।	5.4 किलोमीटर					
6	कम्पाउंड वाल।	2.7 किलोमीटर					
7	अन्य निर्माण कार्यों में 2 प्रवेश द्वार, पार्किंग, सौर ऊर्जा प्रणाली, पेयजल व्यवस्था, वर्षाजल निकास, रेनवाटर कलेक्शन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एवं रियूज, बाह्य विद्युत व्यवस्था-ट्रांसफार्मर, विद्युत पैनल, भूमिगत केबल, प्रकाश व्यवस्था, टेलीकम्यूनिकेशन, सी0सी0टी0व्ही0, वाईफाई सिस्टम, इत्यादि निर्माण कार्य किया जा रहा है।	समस्त परिसर (77 एकड़) हेतु					

(डी.आर.सोन्टापर)

अवर सचिव,

छत्तीसगढ़ शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

नवा रायपुर अटल नगर में निर्माणाधीन "सेवाग्राम" के कार्य में विलंब का कारण तथा निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी करने की तिथि

स.क्र.	कार्य में विलंब का कारण	निर्माण एजेन्सी को नोटिस जारी करने की तिथि
1	प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट से अनुबंध के अनुसार निर्धारित समय अवधि से लगभग 20 माह अधिक अवधि की समाप्ति के उपरांत भी भवनों के निर्माण के लिये आवश्यक स्ट्रक्चरल डिजाईन एवं ड्राईंग प्रदान नहीं होने से।	प्रथम चरण निर्माण एजेन्सी- मेसर्स आर0 के0 बिल्डर्स, रायपुर - 1. पत्र क्र. 199 दिनांक 19.04.2024. 2. पत्र क्र. 528 दिनांक 09.07.2023 3. पत्र क्र. 362 दिनांक 10.05.2023 4. पत्र क्र. 231 दिनांक 21.03.2023 5. पत्र क्र. 205 दिनांक 10.03.2023 6. पत्र क्र. 62 दिनांक 10.01.2023 7. पत्र क्र. 589 दिनांक 04.11.2022 8. पत्र क्र. 571 दिनांक 21.10.2022 9. पत्र क्र. 548 दिनांक 14.10.2022 10. पत्र क्र. 536 दिनांक 10.10..2022 द्वितीय चरण निर्माण एजेन्सी- मेसर्स डी0व्ही0 प्रोजेक्ट्स, रायपुर - 1. पत्र क्र. 855 दिनांक 11.12.2023 2. पत्र क्र. 582 दिनांक 26.07.2023 3. पत्र क्र. 348 दिनांक 09.05.2023 4. पत्र क्र. 295 दिनांक 18.04.2023 5. पत्र क्र. 268 दिनांक 04.04.2023
2	सेवाग्राम के सभी भवन स्थानीय पत्थरों से निर्मित किये जा रहे है। जुलाई से लेकर दिसम्बर तक खदानों के पानी डूबे रहने के कारण पत्थर उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस कारण से भवनों के सुपरस्ट्रक्चर के निर्माण की गति धीमी हुई है।	
3	सेवाग्राम के सभी भवन के छत टेराकोटा क्ले खपरों से निर्मित किये जा रहे है। जो वर्षा ऋतु में उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस कारण से भवनों के छतों के निर्माण की गति धीमी है।	

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र–अ

सरायपाली विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत कृषि विभाग की योजनाओं से लाभान्वित कृषक की जानकारी

संचालनालय कृषि

क्र.	योजना	लाभान्वित कृषक संख्या											
		01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक		योग	01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक		योग	01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक		योग	01 अप्रैल 2024 से 30.06.2024 तक		योग
		सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन - एक्सटेंशन रिफॉर्म्स (आत्मा)	140	22	162	250	42	292	50	15	65	32	0	32
2	सब मिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल के अंतर्गत बीज ग्राम योजना	525	202	727	827	281	1108	1102	573	1675	283	120	403
3	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन योजनान्तर्गत कृषि यंत्रो का वितरण	0	0	0	112	0	112	0	0	0	0	0	0
i	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सब–मिशन कम्पोनेंट–3	26	6	32	30	24	54	15	14	29	0	0	0
ii	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सब–मिशन कम्पोनेंट–4 – फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना लागत राशि 25.00 लाख रू.	1	1	2	0	0	0	2	1	3	0	0	0
iii	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सब–मिशन कम्पोनेंट–4 – फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना लागत राशि 10.00 लाख रू.	4	2	6	1	4	5	1	1	2	0	0	0
iv	केन्द्र पोषित कृषि यांत्रिकीकरण सब–मिशन कम्पोनेंट–6 – चयनित ग्रामों में कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन हेतु फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना (8.00 लाख)	3 (31 सदस्य)	1 (10 सदस्य)	4 (41 सदस्य)	1 (10 सदस्य)	0	1 (10 सदस्य)	1	0	1 (10 सदस्य)	0	0	0
4	रेनफेड एरिया डेव्लपमेट योजना	66	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	स्वायल हैल्थ कार्ड योजना	0	350	350	0	0	0	1800	1027	2827	1600	233	1833
6	परंपरागत कृषि विकास योजना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	557	453	1010	1137	543	1680	0	0	0	0	0	0
8	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	743	150	893	576	198	774	81	80	161	0	0	0
9	खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन	947	224	1171	1387	99	1486	988	363	1351	0	0	0

क्र.	योजना	लाभान्वित कृषक संख्या											
		01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक		योग	01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक		योग	01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक		योग	01 अप्रैल 2024 से 30.06.2024 तक		योग
		सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना	
10	टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)–दलहन / ऑयलसीड्स	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (ऑयलसीड्स)	98	0	98	0	0	0	60	0	60	0	0	0
12	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	19498	17190	36688	4083	6295	10378	5323	2051	7374	0	0	0
13	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	20588	6558	27146	23744	7035	30779	25795	7253	33048	27650	7615	35265
14	गोधन न्याय योजना	2559	1631	4190	1498	1551	3049	1077	1551	2628	0	0	0
15	राजीव गांधी किसान न्याय योजना	0	0	0	24792	25748	50540	25799	26795	52594	79	95	174
16	कृषक उन्नति योजना	0	0	0	0	0	0	26067	26743	52810	0	0	0
17	अक्ती बीज संवर्धन योजना।	13649	1131	14780	10782	833	11615	9951	713	10664	3707	836	4543
18	रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	दलहन बीज उत्पादन प्रोत्साहन योजना।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	राज्य गन्ना विकास योजना।	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	फसल प्रदर्शन योजना												
i	द्वि–फसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु रबी फसल प्रदर्शन कार्यक्रम	23	45	68	22	0	22	35	0	35	0	0	0
ii	ग्रीष्मकालीन धान के बदले दलहन तिलहन एवं मक्का फसल को प्रोत्साहन योजना	217	53	270	142	25	167	173	36	209	0	0	0
22	जैविक खेती मिशन	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	शाकम्भरी योजना	194	66	260	151	32	183	134	23	157	0	0	0
24	लघुत्तम सिंचाई (तालाब) निर्माण	0	0	0	0	0	0	80	0	80	100	0	100
25	किसान समृद्धि योजना	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0

टीपः 1. राजीव गांधी किसान न्याय योजनान्तर्गत आकड़े खरीफ 2021 एवं खरीफ 2022 के है। खरीफ 2021 एवं खरीफ 2022 का भुगतान सत्यापन लंबित होने के फलस्वरूप भुगतान वित्तीय वर्ष – 2023–24 एवं 2024–25 में भी किया गया है।

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 805, श्रीमती चातुरी नन्द, माननीया सदस्य, छत्तीसगढ़ विधानसभा

संचालनालय उद्यानिकी

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या												कुल योग
			01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक		योग	01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक		योग	01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक		योग	01 अप्रैल 2024 से 30.06.2024 तक		योग	
			सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	फल क्षेत्र विस्तार	–	443	40	**483**	34	6	**40**	297	71	**368**	-	-	-	**891**
2	नदी के कछार/तटों पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	–	32	2	**34**	32	4	**36**	10	11	**21**	-	-	-	**91**
3	पोषण बाड़ी विकास	–	785	136	**921**	785	437	**1222**	600	106	**706**	-	-	-	**2849**
4	कम्यूनिटी फेंसिंग योजना	–	20	0	**20**	0	2	**2**	5	0	**5**	-	-	-	**27**
		योग :–	**1280**	**178**	**1458**	**851**	**449**	**1300**	**912**	**188**	**1100**	-	-	-	**3858**
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	मल्चिंग	0	4	**4**	14	1	**15**	4	1	**5**	-	-	-	**24**
		फल क्षेत्रविस्तार–अमरुद	2	0	**2**	0	0	**0**	0	0	**0**	-	-	-	**2**
		फल क्षेत्रविस्तार–पपीता	1	0	**1**	0	2	**2**	0	0	**0**	-	-	-	**3**
		फल क्षेत्रविस्तार–नीबू	1	0	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	-	-	-	**1**
		फल क्षेत्रविस्तार–केला	0	0	**0**	0	1	**1**	0	0	**0**	-	-	-	**1**
		सब्जी क्षेत्रविस्तार–प्याज	18	8	**26**	10	0	**10**	0	0	**0**	-	-	-	**36**
		सब्जी क्षेत्रविस्तार–पत्तागोभी	1	0	**1**	2	0	**2**	0	0	**0**	-	-	-	**3**
		सब्जी क्षेत्रविस्तार–लौकी	4	0	**4**	0	0	**0**	0	0	**0**	-	-	-	**4**
		सब्जी क्षेत्रविस्तार–भिण्डी	4	1	**5**	8	0	**8**	0	0	**0**	-	-	-	**13**
		सब्जी क्षेत्रविस्तार–टमाटर	13	4	**17**	10	1	**11**	0	0	**0**	-	-	-	**28**
		सब्जी क्षेत्रविस्तार–बैगन	0	0	**0**	16	0	**16**	0	0	**0**	-	-	-	**16**

क्र.	योजना का नाम	घटक का नाम	लाभान्वित कृषक संख्या												कुल योग
			01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक		योग	01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक		योग	01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक		योग	01 अप्रैल 2024 से 30.06.2024 तक		योग	
			सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना		सरायपाली	बसना		
2	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	सब्जी क्षेत्रविस्तार–करेला	0	0	**0**	5	0	**5**	3	0	**3**	-	-	-	**8**
		सब्जी क्षेत्रविस्तार–फूलगोभी	0	0	**0**	9	0	**9**	0	0	**0**	-	-	-	**9**
		सब्जी क्षेत्रविस्तार–आलू	0	7	**7**	0	0	**0**	0	0	**0**	-	-	-	**7**
		मसाला क्षेत्रविस्तार–धनिया	34	15	**49**	13	0	**13**	0	0	**0**	-	-	-	**62**
		मसाला क्षेत्रविस्तार–मिर्च	56	6	**62**	2	0	**2**	0	0	**0**	-	-	-	**64**
		पुष्प क्षेत्रविस्तार–गेंदा	1	0	**1**	0	0	**0**	0	0	**0**	-	-	-	**1**
		ग्राफ्टेड बैगन एवं टमाटर सीडलिंग प्रदर्शन	11	1	**12**	4	3	**7**	4	0	**4**	-	-	-	**23**
		पावर वीडर	10	0	**10**	1	2	**3**	0	0	**0**	-	-	-	**13**
		पल्वेराइजर	20	0	**20**	49	0	**49**	0	0	**0**	-	-	-	**69**
		पैक हाउस निर्माण	0	0	**0**	2	0	**2**	0	7	**7**	-	-	-	**9**
		योग :–	**176**	**46**	**222**	**145**	**10**	**155**	**11**	**8**	**19**	**0**	**0**	**0**	**396**
3	नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल–ऑयल पॉम	आयल पॉम	3	0	**3**	0	0	**0**	8	0	**8**	-	-	-	**11**
4	सब मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री	परीधिय पौध रोपण	25	1	**26**	0	0	**0**	0	0	**0**	-	-	-	**26**
5	पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना	–	24	0	**24**	64	24	**88**	7	0	**7**	-	-	-	**119**
6	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	–	16	21	**37**	119	41	**160**	0	0	**0**	-	-	-	**197**
7	नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना	शेडनेट हाउस निर्माण	0	1	**1**	1	0	**1**	0	0	**0**	-	-	-	**2**
		महायोग :–	**1524**	**247**	**1771**	**1180**	**524**	**1704**	**938**	**196**	**1134**	-	-	-	**4609**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - इकहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 54 (क्र. 806) की जानकारी

प्रपत्र

प्रदेश में स्थापित होने वाले नवीन उद्योगों की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरणों की जिलेवार जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम	स्थल का नाम	आवेदन दिनांक	लंबित होने का कारण
		जिला- कबीरधाम		
1.	मेसर्स मध्य भारत मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	ग्राम- हरिनछपरा, तहसील – बोडरा	02/11/2023	राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 174वीं बैठक दिनांक 26/06/2024 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने बाबत् विचार हेतु रखा गया है।
		जिला-सरगुजा		
2.	मेसर्स माँ कुदरगढ़ी मिनरल्स एंड रिफ्रेक्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	ग्राम- सिलसिला, तहसील- लुण्ड्रा	05/02/2024	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की अनुशंसा कर दिनांक 28/06/2024 को राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ को भेजा गया है। राज्य स्तर पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की आगामी बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।
		जिला- रायपुर		
3.	मेसर्स एन्होमा स्पेशलिटी केमिकल मैनुफेक्चर युनिट,	ग्राम- बरतोरी, तहसील- तिल्दा	04/03/2024	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ की 535वीं बैठक दिनांक 12/06/2024 को टी.ओ.आर. जारी किये जाने बाबत् विचार हेतु रखा गया है।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र–अ

धमतरी जिले में संचालित रासायनिक उर्वरक/जैविक उर्वरक, खाद, बीज की दुकाने

वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में अमानक खाद, बीज एवं कीटनाशक की जानकारी

क्र	विवरण	वर्ष		
		2022-23	2023-24	योग
1	2	3	4	5
1	उर्वरक	7	13	**20**
2	बीज	3	7	**10**
3	कीटनाशक	6	13	**19**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

धमतरी जिले में संचालित रासायनिक उर्वरक/जैविक उर्वरक, खाद, बीज की दुकानें वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में अमानक उर्वरक पर किये गये प्रतिबंध की जानकारी

वर्ष 2022–23			
क्र.	संस्था/कंपनी का नाम	उर्वरक	किये गये प्रतिबंध की जानकारी कारण सहित
1	2	3	4
1	श्री गणपति फर्टिलाइजर लिमि.	एसएसपी (जी)	1. उर्वरक नमूनें का विश्लेषण पश्चात अमानक पाये जाने पर प्रतिबंध किया गया। 2. प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष संबंधित फर्म के द्वारा अपील किया जाता है, तत्पश्चात पुर्नविश्लेषण उपरांत मानक परिणाम प्राप्त होने के बाद ही प्रतिबंध हटाया जाता है।
2	बालाजी फॉस्फेट	एसएसपी (जी)	
3	खेतान केमिकल्स	एसएसपी जिंकेटेड	
4	सुहाने एग्रो (इंडिया) प्रा.लि.	एनपीके (16:30:10)	
5	पारादीप फॉस्फेट	एनपीके 20:20:0:13	
6	पीपीएल, नवरत्ना	डीएपी	
7	इंडियन पोटाश लिमि.	डीएपी	

वर्ष 2023–24			
क्र.	संस्था/कंपनी का नाम	उर्वरक	किये गये प्रतिबंध की जानकारी कारण सहित
1	2	3	4
1	मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमि. सागर (म.प्र.)	एसएसपी	1. उर्वरक नमूनें का विश्लेषण पश्चात अमानक पाये जाने पर प्रतिबंध किया गया। 2. प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष संबंधित फर्म के द्वारा अपील किया जाता है, तत्पश्चात पुर्नविश्लेषण उपरांत मानक परिणाम प्राप्त होने के बाद ही प्रतिबंध हटाया जाता है।
2	बीईसी फर्टिलाइजर, सिरगिट्टी, बिलासपुर	एसएसपी	
3	बालाजी फॉस्फेट	एसएसपी	
4	मध्य भारत एग्रो प्रोडक्ट लिमि. सागर (म.प्र.)	एसएसपी (जी) जिंकेटेड बोरनेटेड	
5	न्यूमेक्स इंडिया प्रा.लि.	एनपीके	
6	त्रयंबकेश्वर एग्रो इंडस्ट्रीज	एनपीके (16:30:10)	
7	गोदावरी फर्टिलाइजर	एनपीके (19:19:19)	
8	चेतक एग्रो	एनपीके (20:20:10)	
9	कोरोमंडल इंटरनेशनल, लिमिटेड, ,तेलांगना	एनपीके (28:28:0)	
10	कोरोमंडल इंटरनेशनल, लिमिटेड, ,तेलांगना	एनपीके (28:28:0)	
11	कोरोमंडल इंटरनेशनल, लिमिटेड, ,तेलांगना	एनपीके (28:28:0)	
12	इंडियन पोटाश लिमि. सीताकथी बिजनेस सेंटर,	डीएपी	
13	नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड	डीएपी	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

धमतरी जिले में संचालित रासायनिकउर्वरक/जैविक उर्वरक, खाद, बीज की दुकानें

वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में अमानक बीज पर किये गये प्रतिबंध की जानकारी

वर्ष 2022–23			
क्र.	संस्था/कंपनी का नाम	बीज	किये गये प्रतिबंध की जानकारी कारण सहित
1	2	3	4
1	प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, कोसमर्रा	धान	1. बीज नमूनें का विश्लेषण पश्चात अमानक पाये जाने पर प्रतिबंध किया गया। 2. माननीय न्यायालय के समक्ष संबंधित फर्म के द्वारा अपील किया जाता है, तत्पश्चात पुर्नविश्लेषण उपरांत मानक परिणाम प्राप्त होने के बाद ही प्रतिबंध हटाया जाता है।
2	बीज प्रक्रिया केन्द्र, मरौद	धान	
3	बीज प्रक्रिया केन्द्र, कलारतराई	रागी	

वर्ष 2023–24			
क्र.	संस्था/कंपनी का नाम	बीज	किये गये प्रतिबंध की जानकारी कारण सहित
1	2	3	4
1	प्रा.कृ.सा.स.स., दरबा	धान	1. बीज नमूनें का विश्लेषण पश्चात अमानक पाये जाने पर प्रतिबंध किया गया। 2. माननीय न्यायालय के समक्ष संबंधित फर्म के द्वारा अपील किया जाता है, तत्पश्चात पुर्नविश्लेषण उपरांत मानक परिणाम प्राप्त होने के बाद ही प्रतिबंध हटाया जाता है।
2	प्रा.कृ.सा.स.स., मगरलोड	धान	
3	प्रा.कृ.सा.स.स., मगरलोड	धान	
4	छ.ग.रा.बी.एव कृ.वि.नि.लि., कलारतराई	धान	
5	छ.ग.रा.बी.एवं कृ.वि.नि.लि., कलारतराई	धान	
6	आ.जा.से.स.स., फरसियां	धान	
7	कैलाश सेल्स कार्पोरेशन, धमतरी	गेहूं	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–द

धमतरी जिले में संचालित रासायनिक उर्वरक/जैविक उर्वरक, खाद, बीज की दुकानें वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में अमानक कीटनाशक पर किये गये प्रतिबंध की जानकारी

वर्ष 2022–23			
क्र.	संस्था/कंपनी का नाम	कीटनाशक	किये गये प्रतिबंध की जानकारी कारण सहित
1	2	3	4
1	यूनाइटेड पेस्टिसाइड, रायपुर	इमिजा थाइपर 10 प्रति. एस.एल.	1. कीटनाशी नमूने का विश्लेषण पश्चात अमानक पाये जाने पर प्रतिबंध किया गया। 2. माननीय न्यायालय के समक्ष संबंधित फर्म के द्वारा अपील किया जाता है, तत्पश्चात पुर्नविश्लेषण उपरांत मानक परिणाम प्राप्त होने के बाद ही प्रतिबंध हटाया जाता है।
2	डीपीएस क्रॉप साईंस प्रा.लि.	क्लोरोपायरीफॉस 50 प्रति. + सायपरमेथरीन 5 प्रति. ईसी.	
3	ओजस एग्रो, चांपा	क्लोरोपैरीफॉस 50 प्रति. + साइपरमेथरीन 5 प्रति. ईसी	
4	क्रॉप लाईफ साइंस लिमि. अंकेलस्वर गुजरात	हेक्साकोनाजोल 5 प्रति. ई.सी.	
5	सल्फर मिल्स लिमि.	लेम्डा साईक्लोथिन 4.9 प्रति. सी.एस.	
6	गायत्री इंसेक्टिसाइट इंडिया, प्रा.लि.	लेम्डासाइलोथिन 4.9 प्रति. सी.एस.	

वर्ष 2023–24			
क्र.	संस्था/कंपनी का नाम	कीटनाशक	किये गये प्रतिबंध की जानकारी कारण सहित
1	2	3	4
1	हेरंबा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, गुजरात	डेल्टामेथ्रिन 2.5 प्रति. पलो	1. कीटनाशी नमूने का विश्लेषण पश्चात अमानक पाये जाने पर प्रतिबंध किया गया। 2. माननीय न्यायालय के समक्ष संबंधित फर्म के द्वारा अपील किया जाता है, तत्पश्चात पुर्नविश्लेषण उपरांत मानक परिणाम प्राप्त होने के बाद ही प्रतिबंध हटाया जाता है।
2	जुपिटर क्रॉप केमिकल	पाइमेट्रोजिन 50 प्रति. डब्ल्यूजी	
3	जय केमिकल्स	इंडोक्साकार्ब 14.5 प्रति. एससी	
4	श्रीमन केमिकल्स – फर्टिलाइजर प्रा.लि.	क्लोरोपायरीफॉस 50 प्रति + साइपरमेथ्रिन 5 प्रति + ईसी	
5	इचिबन क्रॉप साइंस लटड., राजस्थान	बिस्पायरीबैक सोडियम 10 प्रति. एससी	
6	इंडियन क्रॉप चमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई	अल्फामेथ्रीन 10 प्रति. ईसी	
7	जीनियस क्रॉप साइंस, उज्जैन	ट्राईसाइक्लाजोल 75 प्रति. डब्ल्यूपी	
8	एडवांस क्रॉप सॉलूशन	क्लोरोपायरीफॉस 50 प्रति + साइपरमेथ्रिन 5 प्रति + ईसी	
9	यूनाइटेड पेस्टिसाइड लिमिटेड,	प्रोपिकोनाजोल 25 प्रति. ईसी	
10	आधुनिक क्रॉप केयर अंबाला	इमिडाक्लोप्रिड 70 प्रति. डब्ल्यूजी	कीटनाशी नमूने का विश्लेषण पश्चात अमानक पाये जाने पर प्रतिबंध किया गया। 2. माननीय न्यायालय के समक्ष संबंधित फर्म के द्वारा अपील किया जाता है, तत्पश्चात पुर्नविश्लेषण उपरांत मानक परिणाम प्राप्त होने के बाद ही प्रतिबंध हटाया जाता है।
11	अल्माइट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड	ट्राईसाइक्लाजोल 75 प्रति. डब्ल्यूपी	
12	भारत सर्टिस एग्री साइंस दिल्ली	इमिडाक्लोप्रिड 70 प्रति. डब्ल्यूजी	
13	यूनाइटेड पेस्टिसाइड लिमिटेड,	इमिडाक्लोप्रिड 17.8 प्रति. एसएल	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ई

धमतरी जिले में संचालित रासायनिक/जैविक उर्वरक, खाद, बीज की दुकाने
(वर्ष 2022–23 एवं 2023–24 में)

बिना अनुमति/लाईसेंस के संचालित दुकानों की जानकारी (कीटनाशक)

क्र.	वर्ष	संस्था का नाम	स्थान पता सहित	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1	2022–23	निरंक	निरंक	निरंक
2	2023–24	निरंक	निरंक	निरंक
3	2024 (01.04.2024 से 10.07.2024 तक)	निरंक	निरंक	निरंक

बिना अनुमति/लाईसेंस के संचालित दुकानों की जानकारी (बीज)

क्र.	वर्ष	संस्था का नाम	स्थान पता सहित	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1	2022–23	निरंक	निरंक	निरंक
2	2023–24	निरंक	निरंक	निरंक
3	2024 (01.04.2024 से 10.07.2024 तक)	विगर बायोटेक प्रा.लि. इंदौर	संबलपुर, धमतरी	संबंधित मेसर्स के भण्डारण स्थल में भण्डारित बीज को जब्त की जाकर सील किया गया।
		साबरमती सीड्स एवं जैविक कृषि उत्पादक कल्याण समिति जिला धमतरी	श्यामतराई, धमतरी	संबंधित मेसर्स के भण्डारण स्थल में भण्डारित बीज को जब्त की जाकर सील किया गया।

बिना अनुमति/लाईसेंस के संचालित दुकानों की जानकारी (कृषि यंत्र)

क्र.	वर्ष	संस्था का नाम	स्थान पता सहित	कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5
1	2022–23	निरंक	निरंक	निरंक
2	2023–24	निरंक	निरंक	निरंक
3	2024 (01.04.2024 से 10.07.2024 तक)	निरंक	निरंक	निरंक

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - तिहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 57 (क्र. 822) की जानकारी

प्रपत्र

धमतरी जिले में स्थापित उद्योगों / संस्थानों को वर्ष 2020 से जून, 2024 तक टी.ओ.आर. / पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों की वर्षवार जानकारी

क्र.	उद्योगों / संस्थानों का नाम एवं पता	प्रकार	टी.ओ.आर. / पर्यावरणीय स्वीकृति	टी.ओ.आर. / पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का आधार	लंबित होने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
वर्ष 2020					
1.	मेसर्स श्री जितेन्द्र कुमार मण्डल, सरगी सेण्ड माईन, ग्राम-सरगी, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण लंबित नहीं है।
2.	मेसर्स श्री द्रोनेश प्रकाश, सिरसिदा सेण्ड माईन, ग्राम-सिरसिदा, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण लंबित नहीं है।
3.	मेसर्स श्रीमती सुमन जाजोदीया, हरदी सेण्ड माईन, ग्राम-हरदी, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण लंबित नहीं है।
4.	मेसर्स श्री अरुण कुमार गुप्ता, लीलर सेण्ड माईन, ग्राम-लीलर, तहसील व जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण लंबित नहीं है।
5.	मेसर्स श्री सतीश देवता, जवरगांव सेण्ड माईन, ग्राम-जवरगांव, तहसील व जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण लंबित नहीं है।
6.	मेसर्स चेवराक्स कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड (राजपुर सेण्ड स्टोन क्वारी(सी)), ग्राम-राजपुर, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण लंबित नहीं है।
7.	मेसर्स चेवराक्स कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड (राजपुर सेण्ड स्टोन क्वारी(डी)), ग्राम-राजपुर, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण लंबित नहीं है।
8.	मेसर्स श्री चन्द्र प्रकाश वर्मा, मंदरौद सेण्ड माईन, ग्राम-मंदरौद, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण लंबित नहीं है।
9.	मेसर्स श्री उत्तम सिंह, नाहरडीह सेण्ड माईन, ग्राम-नाहरडीह, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण लंबित नहीं है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

10.	मेसर्स श्री टीकम लाल साहू, कपालफोड़ी सेण्ड माईन, ग्राम-कपालफोड़ी, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
11.	मेसर्स श्रीमती शालिनी सिंह, दरगहन सेण्ड माईन, ग्राम-दरगहन, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
12.	मेसर्स श्री सतीश देवता, जवरगांव सेण्ड माईन, ग्राम-जवरगांव, तहसील व जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
13.	मेसर्स श्री प्रतीक सिंह नेताम, गाड़ाडीह सेण्ड माईन, ग्राम-गाड़ाडीह, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
14.	मेसर्स श्री प्रतीक सिंह नेताम, परखंदा सेण्ड माईन, ग्राम-परखंदा, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
15.	मेसर्स श्री चंद्रकांत साहू कुल्हाड़ीकोट सेण्ड माईन, ग्राम-कुल्हाड़ीकोट, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
16.	मेसर्स श्री हेमंत अनंत, चारभाठा सेण्ड माईन, ग्राम-चारभाठा, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
17.	मेसर्स श्री सुनील कुमार खण्डेलिया, वाय-1 करेलीछोटी सेण्ड माईन, ग्राम-करेलीछोटी, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
18.	मेसर्स श्री रौनक सिंह राजपूत, करेलीबड़ी सेण्ड माईन, ग्राम-करेलीबड़ी, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
19.	मेसर्स श्री आशीष शुक्ला, सौंगा सेण्ड माईन, ग्राम-सौंगा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
20.	मेसर्स श्री संदीप गुप्ता, हसदा सेण्ड माईन, ग्राम-हसदा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

21.	मेसर्स श्री शोएब खान, परसुली सेण्ड माईन, ग्राम-परसुली, तहसील व जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
22.	मेसर्स श्री अक्षय राजपूत, भरारी सेण्ड माईन, ग्राम-भरारी, तहसील व जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
23.	मेसर्स श्री अरुण कुमार गुप्ता, अरौद सेण्ड माईन, ग्राम-अरौद, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
24.	मेसर्स श्री गिरीश देवांगन (सेमरा बी सेण्ड माईन, ग्राम-सेमरा (बी), तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी), ग्राम-चर्रा, तहसील-कुरुद, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
			वर्ष 2021		
25.	मेसर्स मौरीकला लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री नीरज गंगवाल), ग्राम-मौरीकला, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
26.	मेसर्स सियादेही ब्रिक अर्थ क्वारी एण्ड ब्रिक किल्न प्रोजेक्ट (प्रो.- श्री रामचन्द्र चक्रधारी), ग्राम-सियादेही, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी	मिट्टी	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
27.	मेसर्स पाईकभाठा क्रशर स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री ज्ञानचंद गोलछा), ग्राम-पाईकभाठा, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
28.	मेसर्स जोगीडीह क्वार्टजाईट क्वारी (प्रो.- श्री शैलेन्द्र दुबे पुजारी), ग्राम-जोगीडीह, तहसील व जिला-धमतरी	क्वार्ट जाईट	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
29.	मेसर्स श्री छबी जंघेल, भूरसीडोगरी सेण्ड माईन, ग्राम-भूरसीडोगरी, तहसील-नगरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण है।
30.	मेसर्स श्री छबी जंघेल (डोमपदर सेण्ड माईन), ग्राम-डोमपदर, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

वर्ष 2022					
31.	मेसर्स मोहरेंगा ऑर्डिनरी सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्री बसंत सिन्हा), ग्राम-मोहरेंगा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	पत्थर	टी.ओ.आर. जारी की गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	टी.ओ.आर. जारी की जा चुकी है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बेसलाइन स्टडी एवं लोक सुनवाई कराया जाकर फाइनल ई.आई.ए. के साथ पुन: पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आनलाईन आवेदन किया जाने के उपरांत विचार किया जायेगा। अत: प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है।
32.	मेसर्स डमकाडीह ऑर्डिनरी सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्री बसंत सिन्हा), ग्राम-डमकाडीह, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर. जारी की गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	टी.ओ.आर. की जा चुकी है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बेसलाइन स्टडी एवं लोक सुनवाई कराया जाकर फाइनल ई.आई.ए. के साथ पुन: पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आनलाईन आवेदन किया जाने के उपरांत विचार किया जायेगा। अत: प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है।
33.	मेसर्स बारना सेण्ड माईन (प्रो.- श्री राहुल वरदियानी), ग्राम-बारना, तहसील व जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
34.	मेसर्स सोनेवारा सेण्ड क्वारी (प्रो.- श्री राहुल वरदियानी), ग्राम-सोनेवारा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
35.	मेसर्स श्री नीरज गंगवाल लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-गोजी, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
36.	मेसर्स देवपुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री गगन नाहटा), ग्राम-देवपुर, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी	पत्थर	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

37.	मेसर्स देवपुर ऑर्डिनरी स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री खेमेन्द्र नाथ साहू), ग्राम-देवपुर, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी	पत्थर	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।		परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण है।
			वर्ष 2023		
38.	मेसर्स दिलीप बिल्डकान लिमिटेड (धनबुड़ा ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी(1)), ग्राम-धनबुड़ा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
39.	मेसर्स दिलीप बिल्डकान लिमिटेड (धनबुड़ा ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी(2)), ग्राम-धनबुड़ा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
40.	मेसर्स दिलीप बिल्डकान लिमिटेड (धनबुड़ा ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी(3)), ग्राम-धनबुड़ा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
41.	मेसर्स दिलीप बिल्डकान लिमिटेड (धनबुड़ा ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी(4)), ग्राम-धनबुड़ा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
42.	मेसर्स दिलीप बिल्डकान लिमिटेड (गोंदलानाला ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी(1)), ग्राम-गोंदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
43.	मेसर्स दिलीप बिल्डकान लिमिटेड (गोंदलानाला ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी(2)), ग्राम-गोंदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
44.	मेसर्स दिलीप बिल्डकान लिमिटेड (गोंदलानाला ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी(3)), ग्राम-गोंदलानाला, तहसील-नगरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
45.	मेसर्स दिलीप बिल्डकान लिमिटेड (गोंदलानाला ऑर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी(4)), ग्राम-गोंदलानाला, तहसील-नगरी, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

46.	मेसर्स परेवाडीह सेण्ड माईन (प्रो.- श्री मुकेश पटेल), ग्राम-परेवाडीह, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
47.	मेसर्स गोजी लाईम स्टोन क्वारी (प्रो.- श्री रेवेन्द्र चंद्राकर), ग्राम-गोजी, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	पत्थर	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
48.	मेसर्स दोनर सेण्ड माईन (प्रो.- श्री देवकांत पटेल), ग्राम-दोनर, तहसील व जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
49.	मेसर्स दर्री सेण्ड क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.-श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा), ग्राम-दर्री, तहसील व जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
			वर्ष 2024		
50.	मेसर्स बुड़ेनी सेण्ड माईन, (प्रो- श्री विजय साहेब), ग्राम-बुड़ेनी, तहसील-मगरलोड़, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
51.	मेसर्स गाड़ाडीह सेण्ड माईन (प्रो.- श्रीमती सुधा तिवारी), ग्राम-गाड़ाडीह, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	रेत	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं समय-समय पर जारी आफिस मेमोरेंडमो के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। अत: प्रकरण लंबित नहीं है।
52.	मेसर्स गिरौद-एक्स-1 सेण्ड माईन, (प्रो.- श्री प्रदीप बंसल), ग्राम-मगरलोड़, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के समक्ष विचाराधीन है।
53.	मेसर्स गिरौद-एक्स-2 सेण्ड माईन, (प्रो.- श्री प्रदीप बंसल), ग्राम-मगरलोड़, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के समक्ष विचाराधीन है।
54.	मेसर्स मंदरौद सेण्ड माईन (प्रो.- श्री उमेश कुमार सिदार), ग्राम-मंदरौद, तहसील- कुरूद, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के समक्ष विचाराधीन है।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

55.	मेसर्स अरौद सेण्ड माईन (प्रो.- श्री हरी शंकर सोनवानी), ग्राम-अरौद, तहसील-कुरूद	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के समक्ष विचाराधीन है।
56.	मेसर्स लीलर सेण्ड माईन (प्रो.- श्री हरी शंकर सोनवानी), ग्राम-लीलर, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के समक्ष विचाराधीन है।
57.	मेसर्स चंद्रसूर सेण्ड माईन (प्रो.- श्री धनेश कुमार चंदेल), ग्राम-चंद्रसूर, तहसील-मगरलोड़, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के समक्ष विचाराधीन है।
58.	मेसर्स नरधा सेण्ड माईन (प्रो.- श्रीमती सुप्रिया वर्मा), ग्राम-नरधा, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के समक्ष विचाराधीन है।
59.	मेसर्स भेण्ड्री सेण्ड माईन (प्रो.- श्री देशराम खांडे), ग्राम- भेण्ड्री, तहसील-मगरलोड, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के समक्ष विचाराधीन है।
60.	मेसर्स नारी रेत खदान (प्रो.- श्री लव कुमार सिंह), ग्राम-नारी, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़ के समक्ष विचाराधीन है।
61.	मेसर्स चारभाठा ऑर्डिनरी सेण्ड क्वारी, (प्रो.- श्री हितेश कुमार), ग्राम-चारभाठा, तहसील-कुरूद, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण है।
62.	मेसर्स पारखंदा सेण्ड़ माईन, (प्रो.- श्री कन्हैया दर्शन), ग्राम- पारखंदा, तहसील- कुरूद, जिला-धमतरी	रेत	टी.ओ.आर./ पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	-	परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी / दस्तावेज अपूर्ण है।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

परिशिष्ट - चौहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 59 (क्र. 826) की जानकारी

प्रपत्र–अ

वर्ष 2022–23 से दिनांक 30.06.2024 तक राजनांदगांव जिले में चैम्प्स प्रणाली के माध्यम से अनुदान पर लाभान्वित कृषकों की योजनावार एवं वर्षवार जानकारी

क्र	योजना का नाम	लाभांवित कृषक संख्या			महायोग
		वर्ष 2022–23	वर्ष 2023–24	वर्ष 2024–25 (दिनांक 30.06.2024 तक)	
1	2	3	4	5	6
1	कृषि यांत्रिकीकरण सबमिशन (कम्पो.–3)	268	131	0	**399**
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – दलहन	5	0	0	**5**
3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – चावल	2	0	0	**2**
4	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – ड्रिप	412	0	1	**413**
5	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना – स्प्रिंकलर	2908	0	48	**2956**
6	शाकम्भरी योजना	114	180	0	**294**
7	राज्य पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना – ड्रिप	46	15	27	**88**
महायोग		**3755**	**326**	**76**	**4157**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा
जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–ब

वर्ष 2022–2023 से 30.06.2024 तक जिला राजनांदगांव में निःशुल्क वितरित बीज से लाभांवित किसानों की विकासखण्डवार, योजनावार एवं फसलवार जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	निःशुल्क वितरित फसल बीज	विकासखंडवार लाभान्वित हितग्राही संख्या									
					राजनांदगांव	डोंगरगांव	छुरिया	डोंगरगढ़	खैरागढ़	छुईखदान	चौकी	मोहला	मानपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2022–23	राज्य पोषित योजना	निरंक											
		केन्द्र पोषित योजना												
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	रागी फसल प्रदर्शन	रागी	100	150	200	250	350	350	150	450	100	**2100**
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (चांवल)	धान कतार बोनी	धान	49	0	0	0	0	0	0	0	0	**49**
			धान एस.आर.आई. प्रदर्शन	धान	0	23	0	0	0	0	24	0	0	**47**
			हाईब्रिड धान प्रदर्शन	हाईब्रिड धान	50	0	0	0	0	0	0	25	0	**75**
			धान स्ट्रेस टालरेंस किस्म प्रदर्शन	धान	0	0	0	0	47	47	0	0	0	**94**
			फसल पद्धति पर आधारित प्रदर्शन (धान–चना)	धान एवं चना	50	0	49	0	0	0	0	0	0	**99**
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	चना तकनीकी प्रदर्शन	चना	49	0	0	49	0	0	0	0	0	**98**
			फसल पद्धति पर आधारित प्रदर्शन (धान–चना)	धान एवं चना	0	0	0	0	45	46	0	0	0	**91**
			मिनीकिट वितरण	अरहर	50	50	50	50	50	50	50	50	50	**450**
				उड़द	250	250	350	300	250	250	250	250	250	**2400**
				मसूर	500	400	500	400	400	400	400	400	400	**3800**
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन)	मिनीकिट वितरण	सोयाबीन	200	100	100	200	100	100	100	100	100	**1100**
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (न्यूट्रीसिरियल्स)	कलस्टर फंटलाईन प्रदर्शन– रागी	रागी	0	0	0	0	0	23	25	25	23	**96**
			कलस्टर फंटलाईन प्रदर्शन– कोदो	कोदो	0	0	0	25	0	22	0	0	0	**47**
			कलस्टर फंटलाईन प्रदर्शन– कुटकी	कुटकी	0	0	0	0	0	0	0	0	5	**5**
		एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) योजना	फसल प्रदर्शन	अरहर बीज	50	0	0	0	0	0	0	0	0	**50**
				छ.ग. देवभोग	50	50	0	0	0	0	0	0	0	**100**
				कोदो	30	15	55	0	25	200	60	120	200	**705**
				रागी	45	45	105	15	25	65	65	50	20	**435**
				तिवड़ा	10	0	0	10	10	15	0	10	15	**70**
				अलसी	10	10	0	12	0	0	10	10	0	**52**
				कुसुम	10	10	0	33	0	0	10	10	0	**73**
				सरसों	10	10	10	28	0	15	10	15	0	**98**
				गेहूं	0	0	0	27	60	25	0	0	0	**112**
				मसूर	0	10	0	0	0	0	10	10	10	**40**
				उड़द	0	0	45	0	0	0	0	0	0	**45**
				तिल	0	0	0	0	0	0	0	0	50	**50**
		टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (दलहन)	मूंग फसल प्रदर्शन	मूंग	85	54	0	49	0	65	0	50	0	**303**
			उड़द फसल प्रदर्शन	उड़द	0	0	0	50	0	70	50	109	0	**279**
		टारगेटिंग राईस फेलो एरिया (तिलहन)	सरसों फसल प्रदर्शन	सरसों	0	18	88	25	51	0	54	50	51	**337**
योग–					1598	1195	1552	1523	1413	1743	1268	1734	1274	**13300**
		राज्य पोषित योजना	निरंक											

वर्ष 2022–2023 से 30.06.2024 तक जिला राजनांदगांव में निःशुल्क वितरित बीज से लाभांवित किसानों की विकासखण्डवार, योजनावार एवं फसलवार जानकारी

क्र.	वर्ष	योजना का नाम	घटक का नाम	निःशुल्क वितरित फसल बीज	विकासखंडवार लाभान्वित हितग्राही संख्या									
					राजनांदगांव	डोंगरगांव	छुरिया	डोंगरगढ़	खैरागढ़	छुईखदान	चौकी	मोहला	मानपुर	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	2023–24	केन्द्र पोषित योजना–												
		राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	रागी फसल प्रदर्शन	रागी	50	50	100	100	0	0	0	0	0	300
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन)	चना तकनीकी प्रदर्शन	चना	50	-	-	-	-	-	-	-	-	50
			मूंग तकनीकी प्रदर्शन	मूंग	5	10	15	20	-	-	-	-	-	50
			मिनीकिट वितरण	उड़द	400	300	400	400	300	300	300	300	300	3000
				मसूर	200	200	250	250	250	200	300	200	200	2050
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (तिलहन)	मिनीकिट वितरण	सोयाबीन	200	150	200	200	200	200	150	150	100	1550
		राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (न्यूट्रीसिरियल्स)	कलस्टर फंटलाईन प्रदर्शन– रागी	रागी	0	0	0	0	0	23	25	25	23	96
			कलस्टर फंटलाईन प्रदर्शन– कोदो / कुटकी	कोदो	0	0	0	25	0	22	0	0	0	47
				कुटकी	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
			मिनीकिट वितरण	रागी	200	150	200	200	200	200	200	200	200	1750
		योग–			1105	860	1165	1195	950	945	975	875	828	8898
3	2024–25 (30 जून 2024)	राज्य पोषित योजना	निरंक											
		केन्द्र पोषित योजना–	निरंक											
	महायोग				2703	2055	2717	2718	2363	2688	2243	2609	2102	22198

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा
जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–स

विषयः– उद्यानिकी विभाग जिला राजनांदगांव द्वारा राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत कय किये गये बीज वितरण की जानकारी

क.	वित्तीय वर्ष	विकासखंड का नाम	योजना का नाम	वितरित किये गये बीज का विवरण					
				बीज का नाम	इकाई	मात्रा	दर (रू.में)	राशि रू. (लाख में)	कृषक संख्या
1	2022–23	खैरागढ	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	मिर्च	कि.ग्रा.	6.980	25155.9	1.75588	28
		छुईखदान				6.400		1.60998	16
		अंबागढ चौकी				9.820		2.47031	51
		मोहला				9.800		2.46528	32
		योग				**33.000**		**8.30145**	**127**
2	2023–24	राजनांदगांव	राज्य पोषित योजना–नदी के कछार/तटों पर खेती करने वाले लघु सब्जी उत्पादक कृषक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	करेला	कि.ग्रा.	0.600	2763.99	0.01658	12
				लौकी		1.200	2446.29	0.02936	
				खीरा		0.300	12708.00	0.03812	
				करेला		0.950	2763.99	0.02626	19
				लौकी		1.900	2446.29	0.04648	
				खीरा		0.475	12708.00	0.06036	
				करेला		0.850	2763.99	0.02349	17
				लौकी		1.700	2446.29	0.04159	
				खीरा		0.425	12708.00	0.05401	
		योग				**8.400**	-	**0.33625**	**48**
3	2023–24	छुरिया	राज्य पोषित योजना–नदी के कछार/तटों पर खेती करने वाले लघु सब्जी उत्पादक कृषक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	करेला	कि.ग्रा.	1.400	2763.99	0.03870	28
				लौकी		2.800	2446.29	0.06850	
				खीरा		0.700	12708.00	0.08896	
				करेला		0.150	2763.99	0.00415	3
				लौकी		0.300	2446.29	0.00734	
				खीरा		0.075	12708.00	0.00953	
				करेला		0.500	2763.99	0.01382	10
				लौकी		1.000	2446.29	0.02446	
				खीरा		0.250	12708.00	0.03177	
				करेला		0.550	2763.99	0.01520	11
				लौकी		1.100	2446.29	0.02691	
				खीरा		0.275	12708.00	0.03495	
		योग				**9.100**	-	**0.36427**	**52**

क.	वित्तीय वर्ष	विकासखंड का नाम	योजना का नाम	वितरित किये गये बीज का विवरण					
				बीज का नाम	इकाई	मात्रा	दर (रू.में)	राशि रू. (लाख में)	कृषक संख्या
4	2023–24	डोंगरगांव	राज्य पोषित योजना–नदी के कछार/तटों पर खेती करने वाले लघु सब्जी उत्पादक कृषक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	करेला	कि.ग्रा.	1.200	2763.99	0.03317	24
				लौकी		2.400	2446.29	0.05871	
				खीरा		0.600	12708.00	0.07625	
				करेला		0.150	2763.99	0.00415	3
				लौकी		0.300	2446.29	0.00734	
				खीरा		0.075	12708.00	0.00953	
				करेला		0.500	2763.99	0.01382	1
				लौकी		0.100	2446.29	0.00245	
				खीरा		0.025	12708.00	0.00318	
		योग				**5.350**	-	**0.20859**	**28**
		कुल योग–नदी कछार				**22.850**		**0.90911**	**128**
5	2023–24	राजनांदगांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	ग्रीन चिली	कि.ग्रा.	7.500	25155.90	1.88669	35
		डोंगरगांव				6.900		1.73576	38
		डोगरगढ़				7.575		1.90556	67
		योग				**21.975**	-	**5.52801**	**140**
6	2023–24	राजनांदगांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	भिण्डी	कि.ग्रा.	400.000	1270.80	5.08320	76
		डोंगरगांव				400.000		5.08320	55
		छुरिया				400.000		5.08320	74
		डोंगरगढ़				400.000		5.08320	160
		योग				**1600.000**	-	**20.33280**	**365**
7	2023–24	डोंगरगांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	बैगन	कि.ग्रा.	5.025	5893.97	0.29615	21
		डोंगरगढ़				9.975		0.58787	89
		योग				**15.000**	-	**0.88402**	**110**
8	2023–24	राजनांदगांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	फूलगोभी	किग्रा.	12.500	24378.18	4.98397	44
		डोगरगांव				12.500		4.98397	32
		छुरिया				12.500		4.98397	39
		योग				**37.500**	-	**14.95191**	**115**
9	2023–24	राजनांदगांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	टमाटर	किग्रा.	7.500	24948.00	1.87109	34
		डोगरगांव				7.500		1.87110	30
		छुरिया				7.500		1.87110	51
		डोगरगढ़				7.500		1.87110	88
		योग				**30.000**	-	**7.48439**	**203**

क.	वित्तीय वर्ष	विकासखंड का नाम	योजना का नाम	वितरित किये गये बीज का विवरण					
				बीज का नाम	इकाई	मात्रा	दर (रू.में)	राशि रू. (लाख में)	कृषक संख्या
10	2023–24	राजनांदगांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	लौकी	किग्रा.	250.000	2446.30	6.11575	75
		डोगरगांव				250.000		6.11575	55
		छुरिया				250.000		6.11575	73
		डोगरगढ				250.000		6.11575	130
		योग				**1000.000**	-	**24.46300**	**333**
11	30 जून, 2024–25	–	–	.	.	-	-	-	-
		महायोग				**2760.325**	-	**82.85469**	**1521**

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

प्रपत्र–द

विषयः– उद्यानिकी विभाग जिला राजनांदगांव द्वारा राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के तहत कय किये गये यंत्र की वितरण की जानकारी

क.	वर्ष	विकासखंड	योजना का नाम	वितरित किये गये यंत्र का विवरण						रिमार्क
				यंत्र का नाम	यंत्र संख्या	ग्राम संख्या	दर (लाख में)	राशि रू. (लाख में)	कृषक संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2022–23	राजनांदगांव	जिला खनिज न्यास निधि	पल्वराईजर	3	3	2.16954	6.50862	25	महिला स्व–सहायता समूहों को स्वरोजगार प्रदाय करने के उद्देश्य से उल्लेखित ग्रामों के महिला स्व–सहायता समूह को लाभान्वित किया गया है।
		डोंगरगांव			3	3		6.50862	27	
		छुरिया			3	3		6.50862	30	
		डोंगरगढ़			3	3		6.50862	28	
		खैरागढ़			1	1		2.16954	10	
		छुईखदान			1	1		2.16954	10	
		मोहला			1	1		2.16954	10	
		मानपुर			1	1		2.16954	10	
		अंबागढ़ चौकी			1	1		2.16954	10	
योग					**17**	**17**	-	**36.88218**	**160**	
2	2023–24	राजनांदगांव	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	पावर वीडर	4	4	1.38432	5.53728	4	–
		डोंगरगांव			5	5		6.92160	5	
		छुरिया			2	2		2.76864	2	
		डोंगरगढ़			4	4		5.53728	4	
योग					**15**	**15**	-	**20.76480**	**15**	
3	2023–24	डोगरगांव	नीति आयोग निधि	पल्वराईजर	11	11	2.16954	23.86494	106	महिला स्व–सहायता समूहों को स्वरोजगार प्रदाय करने के उद्देश्य से उल्लेखित ग्रामों के महिला स्व–सहायता समूह को लाभान्वित किया गया है।
		डोगरगढ़			7	7		15.18678	70	
		राजनांदगांव			9	9		19.52586	85	
		छुरिया			9	9		19.52586	88	
		मोहला			9	9		19.52586	90	
		अंबागढ़ चौकी			9	9		19.52586	87	
		मानपुर			9	9		19.52586	86	
		खैरागढ़			9	9		19.52586	85	
		छुईखदान			9	9		19.52586	86	
योग					**81**	**81**	-	**175.73274**	**783**	
11	30 जून, 2024–25	–	–	.	-	-	-	-	-	
कुल योग					**113**	**113**	-	**233.37972**	**958**	

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छ.ग.शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा
जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - पचहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 61 (क्र. 834) की जानकारी

प्रपत्र "अ"

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित बालक/बालिका छात्रावासों की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विकास खंड	छात्रावास/आश्रम का नाम	बालक	बालिका
1	2	3	4	5
1	कवर्धा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास इंदौरी	बालक	–
2	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पंडरिया	बालक	–
3	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पोलमी	बालक	–
4	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पांडातराई	बालक	–
5	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास देवसरा	बालक	–
6	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुकदूर नवीन	बालक	–
7	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुकदूर पुराना	बालक	–
8	सरहसपुर लोहारा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास ठाठापुर	बालक	–
9	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पंडरिया	–	बालिका
10	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कुई	–	बालिका
11	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कोदवागोडान	–	बालिका
12	सरहसपुर लोहारा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास ठाठापुर	–	बालिका
13	सरहसपुर लोहारा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास रणवीरपुर	–	बालिका
योग			8	5
14	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम देवसरा	बालक	–
15	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम चियाडांड	बालक	–
16	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम कुई	बालक	–
17	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम पंडरीपानी	बालक	–
18	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम नेउर (माध्यमिक स्तर)	बालक	–
19	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम दामापुरा (माध्यमिक स्तर)	बालक	–
20	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम कुई	–	बालिका
21	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम कोदवागोदान	–	बालिका
22	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम नेउर	–	बालिका
23	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम कामठी	–	बालिका
योग			6	4
महायोग			14	9

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र "ब"

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित छात्रावासों हेतु स्वीकृत राशि, कार्य का विवरण एवं कार्य एजेंसी की वर्षवार जानकारी

क्र.	वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख में)	स्वीकृत कार्य का विवरण	कार्य एजेंसी का नाम
1	2	3	4	5
1	वर्ष 2021–22	4.00	छत, स्टोन फलोरिंग, खिड़की दरवाजा, पोताई पेंटिंग एंव अन्य मरम्मत कार्य	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कबीरधाम
2	वर्ष 2022–23	निरंक		
3	वर्ष 2023–24	10.43	छत नवीनीकरण, प्लास्टर, विद्युतीकरण मरम्मत, स्टोन फ्लोरिंग, पोताई पेंटिंग, एवं अन्य कार्य	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कबीरधाम
4		10.36	छत ग्रेडींग प्लास्टर, स्टोन फ्लोरिंग, शौचालय एंव स्नानागार, आहाता निर्माण, पोताई पेंटिंग एवं अन्य कार्य	
5		7.03	छत ग्रेडींग प्लास्टर, मरम्मत स्टोन फ्लोरिंग, शौचालय एंव स्नानागार, पोताई पेंटिंग एवं अन्य कार्य	
6		2.00	पोताई पेंटिंग एवं अन्य कार्य	
योग		**29.82**		
7	वर्ष 2024–25 (2 जुलाई 2024 की स्थिति में)	निरंक		

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र ''स''

पंडरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित छात्रावासों में निवासरत बालक एवं बालिकाओं की जानकारी

क्र.	विकास खंड	छात्रावास/आश्रम का नाम	निवासरत बालकों की संख्या	निवासरत बालिकाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1	कवर्धा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास इंदौरी	50	0
2	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पंडरिया	50	0
3	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पोलमी	50	0
4	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास पांडातराई	50	0
5	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास देवसरा	50	0
6	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुकदूर नवीन	50	0
7	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कुकदूर पुराना	40	0
8	सरहसपुर लोहारा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास ठाठापुर	50	0
9	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास पंडरिया	0	50
10	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कुई	0	50
11	पंडरिया	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास कोदवागोडान	0	50
12	सरहसपुर लोहारा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास ठाठापुर	0	50
13	सरहसपुर लोहारा	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास रणवीरपुर	0	50
योग			390	250
14	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम देवसरा	55	0
15	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम चियाडांड	50	0
16	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम कुई	50	0
17	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम पंडरीपानी	50	0
18	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम नेउर (माध्यमिक स्तर)	60	0
19	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति बालक आश्रम दामापुरा (माध्यमिक स्तर)	60	0
20	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम कुई	0	55
21	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम कोदवागोदान	0	50
22	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम नेउर	0	50
23	पंडरिया	अनुसूचित जनजाति कन्या आश्रम कामठी	0	50
योग			325	705
महायोग			715	955

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र –"अ"

विधानसभा अतारांकित प्रश्न कमांक 842 प्रश्नांश "क" की जानकारी					
क्र0	विधान सभा क्षेत्र	विकास खंड	प्री मैट्रिक छात्रावास/आश्रम का नाम	बालक/ बालिका	संचालित स्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास					
1	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	प्री0मै0 बालक छात्रावास नानगुर	बालक	ग्राम नानगुर में संचालित
2	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	पंडित मोतीलाल नेहरू बालक छात्रावास जगदलपुर	बालक	जगदलपुर में संचालित
3	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	प्री0मै0 बालक छात्रावास आडावाल	बालक	ग्राम आडावाल में संचालित
4	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	प्री0मै0 बालक छात्रावास नगरनार	बालक	ग्राम नगरनार में संचालित
5	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	प्री0 विशिष्ट बालक छात्रावास जगदलपुर	बालक	जगदलपुर में संचालित
6	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	प्री0मै0 कन्या छात्रावास नानगुर	बालिका	ग्राम नानगुर में संचालित
7	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	प्री0मै0 कन्या छात्रावास नगरनार	बालिका	ग्राम नगरनार में संचालित
8	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	प्री0मै0कमला नेहरू कन्या छात्रावास जगदलपुर	बालिका	जगदलपुर में संचालित
9	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	प्री0मै0 विशिष्ट कन्या छात्रावास जगदलपुर	बालिका	जगदलपुर में संचालित
अनुसूचित जनजाति आश्रम					
10	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	बालक आश्रम नागलसर	बालक	ग्राम नागलसर में संचालित
11	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	बालक आश्रम नेतानार	बालक	ग्राम नेतानार में संचालित
12	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	बालक आश्रम तिरिया	बालक	ग्राम तिरिया में संचालित
13	86 – जगदलपुर	जगदलपुर	नवीन कन्या आश्रम नागलसर	बालिका	ग्राम नागलसर में संचालित
प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रावास					
14	86 – जगदलपुर	दरभा	प्री0मै0 बालक छात्रावास नेगानार	बालक	ग्राम नेगानार में संचालित
15	86 – जगदलपुर	दरभा	प्री0मै0 कन्या छात्रावास नेगानार	बालिका	ग्राम नेगानार में संचालित
16	86 – जगदलपुर	दरभा	प्री0मै0 बालक छात्रावास दरभा	बालक	ग्राम दरभा में संचालित
17	86 – जगदलपुर	दरभा	प्री0मै0 कन्या छात्रावास दरभा	बालिका	ग्राम दरभा में संचालित
18	86 – जगदलपुर	दरभा	प्री0मै0 कन्या छात्रावास चिंगपाल	बालिका	ग्राम चिंगपाल में संचालित

क्र0	विधान सभा क्षेत्र	विकास खंड	प्री मैट्रिक छात्रावास/आश्रम का नाम	बालक/ बालिका	संचालित स्थान का नाम
अनुसूचित जनजाति आश्रम					
19	86 – जगदलपुर	दरभा	बालक आश्रम कोलेंग	बालक	ग्राम कोलेंग में संचालित
20	86 – जगदलपुर	दरभा	कन्या आश्रम कोलेंग	बालिका	ग्राम कोलेंग में संचालित
21	86 – जगदलपुर	दरभा	बालक आश्रम माहकापाल	बालक	ग्राम माहकापाल में संचालित
22	86 – जगदलपुर	दरभा	बालक आश्रम पेदावाड़ा	बालक	ग्राम पेदावाडा में संचालित
23	86 – जगदलपुर	दरभा	कन्या आश्रम चिंगपाल	बालिका	ग्राम चिंगपाल में संचालित
24	86 – जगदलपुर	दरभा	कन्या आश्रम सेडवा	बालिका	ग्राम सेडवा में संचालित

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
अ.जा. तथा अनु.ज.. विभाग अन्वेषांक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्रालय भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 842 के प्रश्नांश ''ख'' की जानकारी

विभागीय छात्रावास/ आश्रम भवनों में वर्ष 2021–22, 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 में दिनांक 30 जून 2024 तक में स्वीकृत कार्यों की जानकारी

(राशि रू. लाखों में)

क्रं.	जिला का नाम	स्वीकृत वर्ष	छात्रावास / आश्रम का नाम		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	21-22	बालक आश्रम पेदावाड़ा के भवन में विद्युत मरम्मत कार्य।	दरभा	2.83	2.71	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
2	बस्तर	21-22	कन्या आश्रम नागलसर के भवन का जीर्णोद्वार कार्य।	जगदलपुर	8.37	7.41	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
			योग :–		**11.20**	**10.12**	
3	बस्तर	22-23	प्री.मे. कमला नेहरू कन्या छात्रावास जगदलपुर के भवन का जीर्णोद्वार कार्य।	जगदलपुर	19.97	19.97	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
4	बस्तर	22-23	प्री.मे. कमला नेहरू कन्या छात्रावास जगदलपुर के अधीक्षिका आवासगृह का मरम्मत काय भाग–01।	जगदलपुर	1.78	1.68	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
5	बस्तर	22-23	प्री.मे. कमला नेहरू कन्या छात्रावास जगदलपुर के अधीक्षिका आवासगृह का मरम्मत काय भाग–02।	जगदलपुर	1.78	1.68	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
			योग :–		**23.53**	**23.33**	
6	बस्तर	23-24	प्री.मे. अनु. जा. बालक छात्रावास जगदलपुर के भवन की रंगाई–पोताई (गोबर पेन्ट) कार्य।	जगदलपुर	2.00	1.99	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
7	बस्तर	23-24	प्री0मे0 विशिष्ट बालक छात्रावास जगदलपुर के भवन का जीर्णोद्वार कार्य	जगदलपुर	12.11	12.04	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
8	बस्तर	23-24	प्री0मे0 बालक छात्रावास आड़ावाल के भवन का जीर्णोद्वार कार्य	जगदलपुर	14.33	13.81	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
9	बस्तर	23-24	प्री0मे0 कन्या छात्रावास नानगुर के भवन का जीर्णोद्वार कार्य	जगदलपुर	14.70	14.69	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
10	बस्तर	23-24	कन्या आश्रम सेड़वा के भवन का जीर्णोद्वार कार्य	दरभा	15.05	13.02	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर

क्रं.	जिला का नाम	स्वीकृत वर्ष	छात्रावास / आश्रम का नाम		स्वीकृत राशि	व्यय राशि	कार्य एजेन्सी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
11	बस्तर	23-24	बालक आश्रम पेदावाड़ा के भवन की रंगाई–पोताई (गोबर पेन्ट) कार्य।	दरभा	2.00	2.00	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
12	बस्तर	23-24	कन्या आश्रम चिंगपाल के भवन की रंगाई–पोताई (गोबर पेन्ट) कार्य।	दरभा	2.00	2.00	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
13	बस्तर	23-24	कन्या आश्रम चिंगपाल के भवन में किचन शेड निर्माण कार्य।	दरभा	1.00	1.00	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
14	बस्तर	23-24	प्री.मे. कन्या छात्रावास दरभा के भवन की रंगाई–पोताई (गोबर पेन्ट) कार्य।	दरभा	2.00	2.00	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
15	बस्तर	23-24	प्री.मे. कन्या छात्रावास चिंगपाल के भवन की रंगाई–पोताई (गोबर पेन्ट) कार्य।	दरभा	2.00	2.00	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
16	बस्तर	23-24	प्री.मे. बालक छात्रावास नेगानार के भवन की रंगाई–पोताई (गोबर पेन्ट) कार्य।	दरभा	2.00	2.00	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
17	बस्तर	23-24	कन्या आश्रम कोलेंग में चहार दिवारी एवं किचन शेड निर्माण कार्य।	दरभा	18.24	7.71	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
18	बस्तर	23-24	बालक आश्रम महकापाल भवन का जीर्णोद्वार कार्य।	दरभा	18.58	7.43	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
19	बस्तर	23-24	प्री.मे. बालक छात्रावास नेगानार भवन का जीर्णोद्वार कार्य।	दरभा	18.69	7.48	सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर
योग :–					**124.70**	**89.17**	
महायोग :–					**159.43**	**122.62**	

परिशिष्ट - सतत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्र. 843) की जानकारी

प्रपत्र–अ

क.	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम	जिले का नाम	जनसंख्या
1	2	3	4
1	अबूझमाड़िया	नारायणपुर	23330
		योग	**23330**
2	बैगा	बिलासपुर	11901
		कबीरधाम	43979
		कोरिया	19668
		मुंगेली	8384
		राजनांदगांव	4385
		योग	**88317**
3	बिरहोर	बिलासपुर	460
		जशपुर	527
		कोरबा	1545
		रायगढ	958
		योग	**3490**
4	कमार	बलौदाबाजार	159
		धमतरी	6485
		गरियाबंद	16390
		कांकेर	298
		कोण्डागांव	37
		महासमुंद	3253
		योग	**26622**
5	पहाड़ी कोरवा	बलरामपुर	15661
		जशपुर	15262
		कोरबा	2471
		सरगुजा	10632
		योग	**44026**
		कुल योग	**185785**
क.	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य हेतु मान्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम	जिले का नाम	जनसंख्या
1	2	3	4
1	भुंजिया	गरियाबंद	7503
2		धमतरी	362
3		महासमुंद	1106
		योग	**8971**
1	पंडो	सरगुजा	3952
2		सूरजपुर	15938
3		बलरामपुर–रामानुजगंज	11924
		योग	**31814**
		कुल योग	**40785**

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

(राशि लाखों में)

क.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि
1	2	3	4	5
1	2021–22	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	पीव्हीटीजी आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए आवर्ती व्यय (ई.एम.आर.एस. की तरह)	500.000
2			पीव्हीटीजी छात्रों के लिए जूता मोजा और स्वेटर का वितरण	50.000
3			गर्भवती महिलाओं हेतु प्रतीक्षा कक्ष	95.900
4			खरीफ मौसम के दौरान स्थानीय बागवानी नर्सरी केन्द्रों द्वारा चिन्हित समूहों में स्थानीय सब्जी/खाद्य पौधों का सघन वृक्षारोपण और प्राथमिक प्रसंस्करण (आईएफआर लाभार्थियों सहित)	10.000
5			पारंपरिक जनजातीय खेलों के लिए सहायता (प्रति अभिकरण के लिये रू.2.00 लाख और प्रति प्रकोष्ठ के लिए रू.1.00 लाख)	21.000
6			बांस शिल्प/फर्नीचर निर्माण का प्रशिक्षण।	50.000
7			पीव्हीटीजी आवासीय विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशाला (प्रति विद्यालय 25 कम्प्यूटर) जिसमें कम्प्यूटर कक्ष/प्रयोगशाला का निर्माण भी शामिल है।	20.000
8			पर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ पीव्हीटीजी आवासीय विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालय (कक्षा I से V) की स्थापना।	100.000
9			100 मीटर जल आपूर्ति पाइप (लगभग 10000 पाइप) के साथ सिंचाई के लिए सतही जल का दोहन (आईएफआर लाभार्थियों सहित)	100.000
10			पीव्हीटीजी के 2 चयनित स्थानों में एनटीएफपी, मिलेट्स और सब्जी उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण और विपणन स्थान के लिए कॉमन फेसिलिटी सेंटर की स्थापना।	50.000
			योग	**996.900**

क.	वर्ष	योजना का नाम	कार्य का नाम	प्राप्त राशि
1	2	3	4	5
1	2022–23	केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	आंगनबाड़ी भवन का निर्माण	165.000
2			स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	275.000
3			पीव्हीटीजी के लिये आवास का निर्माण	1060.000
			योग	**1500.000**
1	2023–24	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान	पक्का आवास (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण)	4904.000
2			संपर्क सड़कें (प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना)	14392.500
3			मोबाईल मेडिकल यूनिट	289.330
4			छात्रावास का निर्माण	1260.000
5			अविद्युतीकृत घरों का विद्युतीकरण	743.400
6			अविद्युतीकृत घरों का सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण	435.000
7			वन धन विकास केन्द्र की स्थापना	59.880
8			बहुद्देशीय केन्द्र की स्थापना	852.390
9			आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना	648.000
			योग	**23584.500**
1	2024–25 (30 जून 2024 तक)	प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान	वर्ष 2024–25 में संचालित योजना में केन्द्र से प्राप्त राशि निरंक है।	0.000
			योग	**0.000**

परिशिष्ट - अठहत्तर

अतारांकित प्रश्न संख्या 67 (क्र. 856) की जानकारी

प्रपत्र-अ

बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में दिनांक 01.04.2023 से दिनांक 31.03.2024 तक की अवधि में उद्योगों के विरुद्ध प्रदूषण संबंधी प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम	शिकायतकर्ता का नाम/माध्यम	शिकायत दिनांक	शिकायत का विषय/विवरण	निरीक्षण दिनांक	पाई गई स्थिति	की गई कार्यवाही
1.	मेसर्स बजाज उद्योग ग्राम-सेंदरी, बोरसी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के आनलाईन पोर्टल के माध्यम से श्री योगेश बोस, ग्राम-सेंदरी, बोरसी, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा की प्राप्त शिकायत।	19.02.2024	हम इस मिल को बंद करवाना चाहते हैं, क्योंकि यह हमारे घर के बहुत नजदीक है और मेरे सभी पड़ोसी भी इस मिल को बंद करना चाहते हैं। कृपया इस मामले को तुरंत देखें। मैं गांव से मिल बंद करने के लिए सहमति पत्र जमा करवाऊंगा।	10.07.2024	निरीक्षण के दौरान इकाई की स्थापना का कार्य किया जाना पाया गया। उद्योग द्वारा उत्पादन प्रारंभ नहीं किया गया है। उद्योग एक अरवा राईस मिल है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा पत्र दिनांक 29/01/2024 के माध्यम से कोदो राईस – 2600 मीट्रिक टन प्रतिवर्ष हेतु सहमति जारी की गई है। उद्योग अल्प प्रदूषणकारी प्रकृति का होने के दृष्टिगत प्रदूषण स्थिति निर्मित होना संभावित नहीं है।	शिकायतकर्ता को आनलाईन पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया गया।
2.	मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, पो.आ.- रवान, तहसील-बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के आनलाईन पोर्टल के माध्यम से श्री रोशन सिंह यादव, रेल्वे स्टेशन आरपीएफ स्टेशन के बगल में जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा की प्राप्त शिकायत।	26.02.2024	मुझे उम्मीद है कि आप मेरी शिकायत को गंभीरता से लेंगे और बलौदा बाजार में स्थित ए.सी.सी./ अम्बुजा फैक्ट्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। इन उद्योगों द्वारा वायु प्रदूषण के किसी भी मानदंड का पालन नहीं किया जाता हैं। वे हवा में धूल ही छोड़ते हैं जिससे उनके अपने मजदूरों, कर्मचारियों और आस-पास रहने वाले नागरिकों के फेफड़ों को गंभीर नुकसान पहुंचता है। ये धूल फेफड़ों से संबंधित बीमारी जैसे फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण है। कृपया जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई करें।	10.07.2024	उद्योग में प्रदूषण नियंत्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाए स्थापित एवं संचालित पाई गई। उद्योग में प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	शिकायतकर्ता को आनलाईन पोर्टल के माध्यम से अवगत कराया गया।

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, रायपुर

3.	मेसर्स एम.ए फूड प्रोडक्ट, चंदेरी, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलौदाबाजार के माध्यम से जागेश्वर साहू, दामाखेडा, सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा की प्राप्त शिकायत।	04.08.2023	मेसर्स एम.ए. फूड प्रोडक्ट राईस मिल यूनिट के संचालन के संबंध में।	11.08.2023	उद्योग मे प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बलौदाबाजार को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र पृष्ठांकन क्रमांक 2208 दिनांक 14.08.2023 के माध्यम से जांच में पाई गई स्थिति से अवगत कराते हुये प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।
4.	मेसर्स गर्ग पैडी परबॉयलिंग इण्डस्ट्रीज, बलौदाबाजार-भाटापारा	कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा द्वारा ईमेंल के माध्यम से श्री वीरु कोसले, अध्यक्ष, शासकीय जीएडी आवासीय कॉलोनी विकास समिति लवन रोड जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा की प्राप्त शिकायत।	24.11.2023	जीएडी शासकीय आवासीय कॉलोनी बलौदाबाजार के बगल में स्थित राईस मिल से निकलने वाले हानिकारक भूसा/डस्ट के संबंध में उचित कार्यवाही किये जाने विषयक।	27.11.2023	निरीक्षण के दौरान इकाई उत्पादनरत नही पाई गई। उद्योग अल्प प्रदूषणकारी अरवा राईस मिल इकाई होने के दृष्टिगत प्रदूषण की संभावना नही पाई गई। उद्योग के संचालक द्वारा डस्ट/भूसे के रख-रखाव हेतु व्यवस्था और अधिक सुदृढ किये जाने बाबत् जानकारी दी गई।	उद्योग को डस्ट/भूसे के रख-रखाव हेतु समाधानकारक कार्यवाही किये जाने बाबत् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के पत्र दिनांक 28.11.2023 के माध्यम से निर्देशित करते हुये पत्र की प्रति कार्यालय कलेक्टर बलौदाबाजार-भाटापारा को भी प्रेषित की गई।
					11.03.2024	उद्योग से जनित डस्ट/भूसे का भण्डारण कव्हर्ड शेड के भीतर किया जाना पाया गया। प्रदूषण की स्थिति अवलोकित नही की गई तथा स्थिति सामान्य पाई गई।	प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

प्राप्त शिकायत उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु की गई व्यवस्था की जानकारी

क्र.	उद्योग का नाम व् पता	प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था
1.	मेसर्स बजाज उद्योग, ग्राम-सेंदरी, बोरसी, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा	उद्योग अरवा राईस मिल है। वर्तमान में उद्योग इकाई की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
2.	मेसर्स अंबुजा सीमेंट लिमिटेड, पो.आ.-रवान, तहसील- बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार- भाटापारा	उद्योग में जल प्रदुषण नियंत्रण हेतु सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एवं एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित एवं संचालित है। वायु प्रदुषण नियंत्रण हेतु बैग फ़िल्टर, ई.एस.पी. तथा जल छिड़काव की व्यवस्था की गयी है। कच्चे माल एवं ठोस अपशिष्ट के भण्डारण हेतु कव्हर्ड शेड के भीतर पक्के प्लेटफार्म में रखा जाता है।
3.	मेसर्स एम.ए. फूड प्रोडक्ट, चंदेरी, तहसील-सिमगा, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा	उद्योग अरवा राईस मिल है, जिसमे जल एवं वायु प्रदुषण होने की संभावना नहीं होती है। धान भूसे के रख रखाव हेतु कव्हर्ड शेड का निर्माण किया गया है।
4.	मेसर्स गर्ग पैडी परबॉयलिंग इण्डस्ट्रीज, बलौदाबाजार- भाटापारा	उद्योग अरवा राईस मिल है, जिसमे जल एवं वायु प्रदुषण होने की संभावना नहीं होती है। धान भूसे के रख रखाव हेतु कव्हर्ड शेड का निर्माण किया गया है।

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग

वर्ष 2023–24 से जून 2024 तक जिला बलौदाबाजार–भाटापारा में उद्यानिकी विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के तहत् वर्षवार एवं मांग संख्यावार प्राप्त राशि व स्वीकृत कार्य की जानकारी

क.	वर्ष	संचालित योजनाओं का नाम	स्वीकृत मद/कार्य का नाम	प्राप्त राशि (रू. लाख में)				स्वीकृत कार्यो की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	रिमार्क
				सामान्य (13)	अजजा (41)	अजा (64)	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	2023–24	राज्य पोषित योजना	फल क्षेत्र विस्तार	2.047	0.519	3.587	6.152	पूर्ण	-
			नदी के कछार/तटो पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	1.738	0.470	0.705	2.913		
			नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यकम	16.305	-	-	16.305		
			सामुदायिक फेंसिंग योजना	13.621	3.814	11.932	29.367		
			पोषण बाड़ी विकास कार्यकम	21.000	5.000	9.000	35.000		
			योग :–	**54.711**	**9.803**	**25.224**	**89.737**		
2		राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सब्जी क्षेत्र विस्तार	22.515	4.573	8.091	35.180	पूर्ण	-
			पुष्प क्षेत्र विस्तार	10.240	2.080	3.680	16.000		
			मसाला क्षेत्र विस्तार	18.278	3.713	6.569	28.560		
			संरक्षित खेती	181.274	36.821	65.145	283.240		
			उद्यानिकी यंत्रीकरण	142.080	28.860	51.060	222.000		
			मानव संसाधन विकास एवं मिशन मैनेजमेंट	8.486	1.724	3.050	13.260		
			एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन	10.240	2.080	3.680	16.000		
			योग :–	**393.114**	**79.851**	**141.275**	**614.240**		
3		एग्रोफारेस्ट्री	पूर्व से स्थापित रोपणियों में पौध उत्पादन	6.400	1.300	2.300	10.000	पूर्ण	
			योग :–	**6.400**	**1.300**	**2.300**	**10.000**		
4		पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना	उद्यानिकी फसलों का बीमा	-	-	-	-	-	बीमा कंपनी द्वारा दावा राशि का कृषकों को भुगतान प्रकियाधीन है।
			योग :–	-	-	-	-	-	-
			कुलयोग (वर्ष 2023–24):–	**454.224**	**90.954**	**168.800**	**713.978**		

क.	वर्ष	संचालित योजनाओं का नाम	स्वीकृत मद/कार्य का नाम	प्राप्त राशि (रू. लाख में)				स्वीकृत कार्यो की अद्यतन स्थिति (पूर्ण/अपूर्ण)	रिमार्क
				सामान्य (13)	अजजा (41)	अजा (64)	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9
1	2024–25 (30 जून 2024 की स्थिति में)	राज्य पोषित योजना	फल क्षेत्र विस्तार	2.019	0.508	0.822	3.349	कार्य प्रगतिरत	-
			नदी के कछार/तटो पर लघु सब्जी उत्पादक समुदायों को प्रोत्साहन की योजना	2.291	0.458	0.811	3.560		
			नर्सरी में उन्नत एवं प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यकम	5.551	-	-	5.551		
			सामुदायिक फेंसिंग योजना	19.070	4.250	16.345	39.665		
			पोषण बाड़ी विकास कार्यकम	20.000	5.000	7.000	32.000		
			योग :–	**48.931**	**10.216**	**24.978**	**84.125**		
2		राष्ट्रीय बागवानी मिशन	सब्जी क्षेत्र विस्तार	-	-	-	-	आबंटन अप्राप्त	-
			पुष्प क्षेत्र विस्तार						
			मसाला क्षेत्र विस्तार						
			संरक्षित खेती						
			मानव संसाधन विकास एवं मिशन मैनेजमेंट						
			एकीकृत कटाई पश्च प्रबंधन						
			योग :–	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**		
3		एग्रोफारेस्ट्री	पूर्व से स्थापित रोपणियों में पौध उत्पादन	-	-	-	-	आबंटन अप्राप्त	-
			योग :–	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**		
4		पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना	उद्यानिकी फसलों का बीमा	-	-	-	-	-	बीमा कार्य प्रकियाधीन है।
			योग :–	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	-	-
			कुलयोग (वर्ष 2024–25) :–	**48.931**	**10.216**	**24.978**	**84.125**		
			महायोग (वर्ष 2023–24 से जून 2024 तक):–	**503.155**	**101.170**	**193.777**	**798.102**		

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - अस्सी

अतारांकित प्रश्न संख्या 70 (क्र. 859) की जानकारी

प्रपत्र– अ

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना विधानसभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत चिन्हित ग्रामों की जानकारी

कमांक	वर्ष	विकासखण्ड का नाम	चयनति ग्राम का नाम
1	2	3	4
1	2018–19	कसडोल	मड़वा
2	2018–19	पलारी	सुन्द्रावन
3	2018–19	पलारी	अछोली
4	2018–19	पलारी	तेलासी
5	2019–20	पलारी	जुनवानी
6	2019–20	पलारी	नवागांव
7	2020–21	पलारी	चुचरूंगपुर
8	2020–21	पलारी	खैरा
9	2020–21	पलारी	मुडियाडीह
10	2020–21	पलारी	परसवानी
11	2020–21	पलारी	खपरी
12	2021–22	पलारी	बेल्हा
13	2021–22	पलारी	बोहारडीह
14	2021–22	पलारी	देवगांव
15	2021–22	पलारी	धौराभाठा
16	2021–22	पलारी	गाताडीह
17	2021–22	पलारी	पत्थरचुँआ
18	2021–22	पलारी	फुडंरडीह
19	2021–22	पलारी	सरकीपार
20	2021–22	पलारी	सेमराडीह
21	2021–22	पलारी	तमोरी
22	2021–22	कसडोल	नवापारा
23	2021–22	कसडोल	देवरीखुर्द
24	2022–23	कसडोल	चरौदा
25	2022–23	कसडोल	मोहतरा ह
26	2022–23	कसडोल	मोहतरा क
27	2022–23	पलारी	लटेरा
28	2022–23	पलारी	छडीया
29	2022–23	पलारी	रसौटा
30	2022–23	पलारी	गैतरा
31	2022–23	पलारी	बलौदी
32	2022–23	पलारी	सलौनी
33	2022–23	पलारी	सीतापार

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर

प्रपत्र– ब

(राशि रू. लाख में)

क्र.	स्वीकृत कार्य	स्वीकृत राशि	कराए गए कार्यों की संख्या	कार्यो की लागत	कार्य एजेंसी का नाम
1	2	3	4	5	6
1	170	648.00	170	648.00	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पलारी
2	19	98.00	19	98.00	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कसडोल
3	36	132.00	36	132.00	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास बलौदाबाजार– भाटापारा
योग	225	878.00	225	878.00	

अनुभाग अधिकारी
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति
विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर

परिशिष्ट - इक्यासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 73 (क्र. 880) की जानकारी

प्रपत्र

विषय – रायपुर जिला अंतर्गत कृषि उपज मंडियों में जमा स्थायी निधि।

क.	मंडी समिति	जून 2024 की स्थिति में स्थायी निधि के रूप में जमा राशि	जनवरी 2021 से जून 2024 के मध्य स्वीकृत निर्माण कार्य		लागत (रू. लाख में)
1	2	3	4		5
1	रायपुर	2320204.00	निरंक		–
2	नेवरा	102681780.00	निरंक		–
3	आरंग	82420353.00	निरंक		–
4	गोबरा नवापारा	29569044.00	निरंक		–
5	अभनपुर	41202165.00	1.	ग्राम झांकी में पारधीपारा वार्ड 04 में शेड निर्माण कार्य	11.00
			2.	ग्राम बकतरा में शेड निर्माण साहू पारा भवन के पास	9.28
			3.	ग्राम सिंगार माता में घासीदास मंदिर के पास बाजार शेड निर्माण कार्य	9.28
			4.	ग्राम सिवनी में घासीदास के सामने बाजार शेड (स्व. मन्नु संत) मंदिर के पास	11.60
			5.	ग्राम पलौद में नया रंगमंच के सामने शेड निर्माण एवं अशोक साहू के घर से खार पहूंच मार्ग सी.सी. रोड निर्माण कार्य 200 मी.	33.07
			6.	ग्राम भटगांव में सी.सी. रोड निर्माण बाजार चौक से शीतला मंदिर तक	12.05
			7.	ग्राम सोनपैरा में स्कुल चौक से खोमन घर तक सी.सी. रोड 200 मी. एवं भुताही पारा में मेन रोड से मानिकराम के घर तक 50 मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य	13.01
			8.	ग्राम छछानपैरी में मुक्तिधाम प्रतिक्षालय एवं शेड चबुतरा निर्माण	5.00
			9.	ग्राम नायकबांधा में तंबोली दुकान से रवि यादव के घर तक 300 मी. सी.सी. रोड निर्माण कार्य	15.10
			10.	ग्राम केन्द्री के धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50
			11	ग्राम सारखी के धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50
			12.	ग्राम चण्डी में धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50

क.	मंडी समिति	जून 2024 की स्थिति में स्थानीय (स्थायी) निधि में जमा राशि रू. में	जनवरी 2021 से जून 2024 के मध्य स्वीकृत निर्माण कार्य		लागत (रू. लाख में)
1	2	3	4		5
5	अभनपुर		13.	ग्राम सकरी के धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50
			14.	ग्राम खोरपा के धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50
			15.	ग्राम रवेली के धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50
			16.	ग्राम बेन्द्री के धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50
			17.	ग्राम सिवनी के धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50
			18.	ग्राम खिलोरा के धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50
			19.	ग्राम ढोंढरा के धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50
			20.	ग्राम नायकबांधा के धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50
			21.	ग्राम बैलभांठा के धान उपार्जन केन्द्र में किसान कुटीर निर्माण कार्य	13.50
				योग	281.39

(अमित कुमार सिंह)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - बयासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 74 (क्र. 890) की जानकारी

प्रपत्र–अ

प्रदेश में निवासरत विशेष रूप से कमजोर जनजाति परिवार की जिलेवार जानकारी

क.	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम	जिले का नाम	परिवार संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	अबूझमाडिया	नारायणपुर	4786	
		योग	**4786**	
2	बैगा	बिलासपुर	3675	
		कबीरधाम	11261	
		कोरिया	5947	
		मुंगेली	2358	
		राजनांदगांव	1348	
		योग	**24589**	
3	बिरहोर	बिलासपुर	143	
		जशपुर	163	
		कोरबा	506	
		रायगढ	304	
		योग	**1116**	
4	कमार	बलौदाबाजार	40	
		धमतरी	1711	
		गरियाबंद	4739	
		कांकेर	79	
		कोण्डागांव	10	
		महासमुंद	895	
		योग	**7474**	
5	पहाड़ी कोरवा	बलरामपुर	3791	
		जशपुर	4143	
		कोरबा	642	
		सरगुजा	2659	
		योग	**11235**	
		कुल योग	**49200**	
क.	छत्तीसगढ़ शासन द्वारा राज्य हेतु मान्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम	जिले का नाम	परिवार संख्या	रिमार्क
1	2	3	**4**	5
1	पंडो	सरगुजा	926	
2		सूरजपुर	3553	
3		बलरामपुर–रामानुजगंज	2267	
		योग	**6746**	
1	भुंजिया	गरियाबंद	1725	
2		धमतरी	90	
3		महासमुंद	315	
		योग	**2130**	
		कुल योग	**8876**	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग मंत्रालय, नया रायपुर

प्रपत्र–ब

क.	योजना का नाम	भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम	जिले का नाम	विशेष रूपसे कमजोर जनजाति के हितग्राहियों की संख्या जिन्हे योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है	योजनाओं के लाभ से वंचितों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	प्रधानमंत्री जनजाति न्याय महाअभियान (पीएम–जनमन)	अबूझमाड़िया	नारायणपुर	23330	0	–
			योग	**23330**	**0**	
2		बैगा	बिलासपुर	11901	0	–
			कबीरधाम	43979	0	–
			कोरिया	19668	0	–
			मुंगेली	8384	0	–
			राजनांदगांव	4385	0	–
			योग	**88317**	**0**	
3		बिरहोर	बिलासपुर	460	0	–
			जशपुर	527	0	–
			कोरबा	1545	0	–
			रायगढ	958	0	–
			योग	**3490**	**0**	
4		कमार	बलौदाबाजार	159	0	–
			धमतरी	6485	0	–
			गरियाबंद	10390	0	–
			कांकेर	298	0	–
			कोण्डागांव	37	0	–
			महासमुंद	3253	0	–
			योग	**26622**	**0**	
5		पहाड़ी कोरवा	बलरामपुर	15661	0	–
			जशपुर	15262	0	–
			कोरबा	2471	0	–
			सरगुजा	10632	0	–
			योग	**44026**	0	
			कुल योग	**185785**	0	
क.	योजना का नाम	राज्य सरकार द्वारा मान्य विशेष रूप से कमजोर जनजाति का नाम	जिले का नाम	विशेष रूपसे कमजोर जनजाति के हितग्राहियों की संख्या जिन्हे योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है	योजनाओं के लाभ से वंचितों की संख्या	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	(1) पंडो विकास अभिकरण (2) मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम	पंडो	सरगुजा	3952	0	–
2			सूरजपुर	15938	0	–
3			बलरामपुर–रामानुजगंज	11924	0	–
			योग	**31814**	**0**	–
1	(1) भुंजिया विकास अभिकरण (2) मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम	भुंजिया	गरियाबंद	7199	304	भुंजिया विकास अभिकरण क्षेत्र के बाहर निवासरत भुंजिया जनजाति के 1772 हितग्राही कंडिका 02 में उल्लेखित योजना अंतर्गत लाभान्वित नही हो रहे है।
2			धमतरी	0	362	
3			महासमुंद	0	1106	
			योग	**7199**	**1772**	
			कुल योग	**39013**	1772	

अनुभाग अधिकारी
छत्तीसगढ़ शासन
आ.जा. तथा अनु.जा. विभाग अल्पसंख्यक एवं
पिछड़ा वर्ग विभाग महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई में विभिन्न योजनान्तर्गत वर्ष 2024–25 (जून 2024 तक) स्वीकृत लक्ष्य, पूर्ति का आदान सामग्रीवार विवरण

राशि रू. लाख में

क्र.	योजना का नाम	घटक	स्वीकृत लक्ष्य		पूर्ति		प्रावधानित आदान समाग्री	मात्रा	सामग्री आपूर्ति स्थिति
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (रफ्तार)	प्रदर्शन	300 हे.	18.00	300 हे.	0.00	कोदो	20 क्विं.	प्राप्त
							रागी	04 क्विं.	प्राप्त
							जिंक	15 क्विं.	प्रकियाधीन
							के.एम.बी.	300 लिटर	प्रकियाधीन
							जेड.एस.बी.	300 लिटर	प्रकियाधीन
							ऐजाडिरेक्टीन	450 लिटर	प्रकियाधीन
							इमिडाक्लोरपिड	450 लिटर	प्रकियाधीन
							पी.एस.बी	300 लिटर	प्रकियाधीन
		उथला नलकूप	80	16.00	0	0.00	–	–	प्रकियाधीन
2	स्वायल हेल्थ एण्ड फर्टिलिटी	प्रदर्शन	80 हे.	15.00	0	0.00	के.एम.बी.	20 लिटर	प्रकियाधीन
							माईकोराइजा	16 क्विं.	प्रकियाधीन
							जिंक सल्फेट	20 क्विं.	प्रकियाधीन
							माईक्रोन्यूट्रियन	400 कि.ग्रा.	प्रकियाधीन
							बोरान	40 कि.ग्रा.	प्रकियाधीन
							बोरेक्स	8 कि.ग्रा.	प्रकियाधीन
							सल्फर	8 क्विं.	प्रकियाधीन
							ट्राईकोडर्मा विर्डी	38 कि.ग्रा.	प्रकियाधीन

क्र.	योजना का नाम	घटक	स्वीकृत लक्ष्य		पूर्ति		प्रावधानित आदान समाग्री	मात्रा	सामग्री आपूर्ति स्थिति
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
3	रेनफेड एरिया डेव्हलपमेंट	प्रदर्शन	150 हे.	46.00	0	0.00	माईकोराइजा	40 कि.ग्रा.	प्रकियाधीन
							जिंक इडिटा	130 कि.ग्रा.	प्रकियाधीन
							क्लोरोपाइरीफास + साईपरमेथरिन	10 लिटर	प्रकियाधीन
							ऐजाडिरेक्टीन	60 लिटर	प्रकियाधीन
							कोदो	1.20 क्वि.	प्राप्त
							उड़द	10 क्वि.	प्राप्त
4	परम्परागत कृषि विकास योजना	प्रदर्शन	500 हे.	76.83	500 हे.	0.00	ऐजोस्पिरलम	500 लिटर	प्रकियाधीन
							स्यूडोमोनास	10 क्विं.	प्रकियाधीन
							प्रोम	500 क्विं.	प्रकियाधीन
							के.एम.बी.	500 लिटर	प्रकियाधीन
							जेड.एस.बी.	500 लिटर	प्रकियाधीन
							ऐजाडिरेक्टीन	500 लिटर	प्रकियाधीन
							फेरोमोनट्रैप	5000 नग	प्रकियाधीन
							फेरोमोनल्यूर	10000 नग	प्रकियाधीन
							पी.एस.बी	500 लिटर	प्रकियाधीन
5	एक्सटेंशन रिफार्म्स आत्मा	प्रदर्शन	27 एकड	0.81	0	0.00	–	–	प्रकियाधीन

क्र.	योजना का नाम	घटक	स्वीकृत लक्ष्य		पूर्ति		प्रावधानित आदान समाग्री	मात्रा	सामग्री आपूर्ति स्थिति
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
6	सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मटेरियल	बीज वितरण	263 क्विं	7.96	0	0.00	–	–	प्रकियाधीन
7	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन	प्रदर्शन	40 हे.	3.60	0	0.00	धान	20 क्विं.	प्राप्त
							अरहर	01 क्विं.	प्राप्त
							जिंक	02 क्विं.	प्रकियाधीन
							के.एम.बी.	40 लिटर	प्रकियाधीन
							जेड.एस.बी.	40 लिटर	प्रकियाधीन
							ऐजा.डिरेक्टीन	60 लिटर	प्रकियाधीन
							इमिडाक्लोरपिड	60 लिटर	प्रकियाधीन
							बिसपाइरीबैक सोडियम	08 लिटर	प्रकियाधीन
							पी.एस.बी	300 लिटर	प्रकियाधीन
8	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन	प्रदर्शन	80 हे.	6.00	0	0.00	क्लोरोपाइरीफास + साईपरमेथरिन	200 लिटर	प्रकियाधीन
							मुंगफली	40 क्वि.	प्राप्त
							सोयाबीन	32 क्वि.	प्राप्त

क्र.	योजना का नाम	घटक	स्वीकृत लक्ष्य		पूर्ति		प्रावधानित आदान समाग्री	मात्रा	सामग्री आपूर्ति स्थिति
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
9	द्विफसलीय क्षेत्र बढ़ाने हेतु फसल प्रदर्शन योजना	प्रदर्शन	155 हे.	6.20	0	0.00	–	–	दिशानिर्देशानुसार प्रदर्शन रबी में आयोजित किया जावेगा
10	ग्रीष्मकालीन धान के बदले दहलन तिलहन मक्का की विशेष प्रोत्साहन योजना	प्रदर्शन	100 हे.	5.00	0	0.00	–	–	दिशानिर्देशानुसार प्रदर्शन रबी में आयोजित किया जावेगा
11	जैविक खेती मिशन	प्रदर्शन	180 हे.	56.64	0	0.00	कोदो	14.40 क्विं.	प्राप्त
							ऐजोस्पिरलम्र	225 लिटर	प्रकियाधीन
							प्रोम	900 क्विं.	प्रकियाधीन
							के.एम.बी.	225 लिटर	प्रकियाधीन
							जेड.एस.बी.	225 लिटर	प्रकियाधीन
							कन्सोर्टिया	225 लिटर	प्रकियाधीन
							माईकोराइजा	45 क्विं.	प्रकियाधीन
							अंबिका पैडीविडर	450 नग	प्रकियाधीन
							हैंड हो	900 नग	प्रकियाधीन
							ट्राईकोडर्मा विर्डी	450 कि.ग्रा.	प्रकियाधीन
							बेवेरिया बेसियाना	450 कि.ग्रा.	प्रकियाधीन
							स्यूडोमोनास	1125 कि.ग्रा.	प्रकियाधीन
							ऐजाडिरेक्टीन	450 लिटर	प्रकियाधीन
							फेरोमोनट्रैप	4500 नग	प्रकियाधीन
							फेरोमोनल्यूर	9000 नग	प्रकियाधीन
							पी.एस.बी	450 लिटर	प्रकियाधीन

क्र.	योजना का नाम	घटक	स्वीकृत लक्ष्य		पूर्ति		प्रावधानित आदान समाग्री	मात्रा	सामग्री आपूर्ति स्थिति
			भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय			
12	किसान समृद्धि योजना	संख्या	60	20.47	0	0.00	–	–	प्रकियाधीन
13	शांकम्भरी योजना	संख्या	225	27.00	0	0.00	–	–	प्रकियाधीन
14	अक्ती बीज संवर्धन योजना	बीज उत्पादन	5000 क्विं	100.00	0	0.00	–	–	प्रकियाधीन
		बीज वितरण	15000 क्विं		0		–	–	प्रकियाधीन
15	दलहन उत्पादन प्रोत्साहन	बीज उत्पादन	2800 क्विं	28.00	0	0.00	–	–	प्रकियाधीन

(विकास मिश्रा)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
कृषि विकास एवं किसान कल्याण
तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग

परिशिष्ट - चौरासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 80 (क्र. 929) की जानकारी

प्रपत्र

प्रश्नाधीन अवधि में लिए गए ऋण की जानकारी

(राशि करोड़ में)

क्र.	संस्था का नाम	ऋण की राशि	ब्याज की दर	लौटाने की अवधि
1.	भारतीय रिजर्व बैंक	42,000.00	7.38 से 7.67	वर्ष 2029 से 2035 तक
2.	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	799.42	2.75 से 5.25	ऋण प्राप्ति के 02 वर्ष पश्चात् 05 समान किश्तों में 05 वर्ष तक
3.	केन्द्र सरकार के माध्यम से एशियन डेव्हलपमेंट बैंक/विश्व बैंक/जी.एस.टी. ऋण/ अन्य ऋण	2690.95	LIBOR दर	ऋण प्राप्ति के 06 वें वर्ष से 25 वर्ष तक

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग, मंत्रालय
नवा रायपुर, अटल नगर

परिशिष्ट - पच्चासी

अतारांकित प्रश्न संख्या 81 (क्र. 943) की जानकारी

प्रपत्र-अ

दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 30 जून 2024 तक की अवधि में स्टोन क्रशर उद्योगों के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के आस-पास के ग्रामों में किये गये जन/पर्यावरण उपयोगी कार्यो की जानकारी।

क्रं.	ग्राम	उद्योग क्रशर/ क्रेशर संचालक एसोसीयेशन का नाम एवं पता	जन/पर्यावरण उपयोगी कार्यो की जानकारी
1.	ग्राम- मुरा, धनसुली, खसरा नं. - 436/1, रकबा लगभग 02 हेक्टेयर	मेसर्स महामाया स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-मुरा, धनसुली, जिला- रायपुर	जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गई भूमि में लगभग 500-600 नग वृक्षारोपण किया गया है।
2.	ग्राम-बहनाकाड़ी, खसरा क्रमांक 566, रकबा 1.18 हेक्टेयर	रायपुर क्रेशर संचालक एसोसीयेशन	भूमि में 350 नग वृक्षारोपण किया गया है।
3.	ग्राम-मुरा एवं धनसुली	मेसर्स आरसन क्रशिंग प्लान्ट, ग्राम-मुरा, तहसील- तिल्दा, जिला-रायपुर	क्रशर संचालकों द्वारा सामूहिक रूप से पेय जल हेतु बोरवेल, स्कूल में स्टेशनरी वितरण, विद्यार्थियों को जूते-चप्पल मोजा वितरण आदि कार्य किया गया हैं।
		मेसर्स विश्व भारती मिनरल्स, ग्राम - मुरा, तहसील-तिल्दा, जिला- रायपुर	
		मेसर्स कपिल माईनिंग रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-मुरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	
		मेसर्स मॉ महालक्ष्मी स्टोन क्रशर, ग्राम - मुरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	
		मेसर्स रामदूत स्टोन्स प्रा. लि.,ग्राम - धनसुली, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	
		मेसर्स महामाया स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - धनसुली, तहसील - तिल्दा, जिला-रायपुर	

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव.
छत्तीसगढ़ शासन.
आवास एवं पर्यावरण विभाग

प्रपत्र-ब

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति में अधिरोपित शर्तो के पालन के संबंध में धरसींवा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत संचालित स्टोन क्रशर उद्योगों का दिनांक 01.01.2023 से दिनांक 30.06.2024 तक की अवधि में किये गये निरीक्षण तिथि की जानकारी।

क्रं.	क्रशर उद्योग का नाम एवं पता	जांच का दिनांक
1.	मेसर्स जय पार्वती स्टोन्स, ग्राम-दोंदेकला, जिला -रायपुर	19.04.2023
2.	मेसर्स आरसन क्रशिंग प्लान्ट, ग्राम-मुरा, तहसील- तिल्दा, जिला-रायपुर	19.04.2023
		26.04.2024
3.	मेसर्स विपुल मिनरल्स, ग्राम-धनसुली, तहसील-तिल्दा, जिला -रायपुर	13.07.2023
4.	मेसर्स ओसियन स्टोन प्रा.लि. (यूनिट-2), ग्राम-दोदेंकला, तहसील व जिला - रायपुर	19.04.2023
		24.05.2023
5.	मेसर्स जार्ज राजन संतोषी, ग्राम-छेरीखेड़ी, तहसील व जिला- रायपुर	11.05.2024
6.	मेसर्स खेतान बिल्डकॉन प्रा.लि., ग्राम-नकटी, खपरी, तहसील-तिल्दा, जिला- रायपुर	13.07.2023
7.	मेसर्स भावना स्टोन, ग्राम- छेरीखेड़ी तहसील व जिला- रायपुर	11.05.2024
8.	मेसर्स श्री राम इंटरप्राईजेस, ग्राम - मुरा, तहसील - तिल्दा, जिला- रायपुर	13.07.2023
9.	मेसर्स बालाजी स्टोन क्रशर, ग्राम-दोदेंकला, बलौदाबाजार रोड, जिला-रायपुर	19.04.2023
		24.05.2023
10.	मेसर्स मोहन स्टोन्स, ग्राम - लालपुर, जिला-रायपुर	26.04.2024
11.	मेसर्स ताराचंद आहूजा (मेसर्स शिवम स्टोन क्रशर) द्वारा श्री किशनचंद आहूजा, ग्राम- नकटी, खपरी, तहसील -तिल्दा, जिला-रायपुर	04.08.2023
		02.03.2024
12.	मेसर्स रामदूत स्टोन्स प्रा. लि., ग्राम - धनसुली, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	19.02.2023
13.	मेसर्स विश्व भारती मिनरल्स, ग्राम - मुरा, तहसील-तिल्दा, जिला- रायपुर	11.05.2024
14.	मेसर्स मॉ महालक्ष्मी स्टोन क्रशर, ग्राम - मुरा, तहसील- तिल्दा, जिला- रायपुर	26.04.2024
15.	मेसर्स बेनी प्रसाद गुप्ता (स्टोन क्रशर), ग्राम - धनसुली, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	11.05.2024
16.	मेसर्स जय दुर्गा स्टोन क्रशर, ग्राम - बुड़ेरा, तहसील- तिल्दा, जिला - रायपुर	28.08.2023
17.	मेसर्स हसदेव रूफिंग एलएलपी, ग्राम - दोदेंकला, तहसील व जिला-रायपुर	13.07.2023
18.	मेसर्स वेंकटेश मेंटल (प्रोपराईटर - सुनील छाबड़िया), ग्राम - मटिया, तहसील व जिला - रायपुर	26.04.2024
19.	मेसर्स महामाया स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - धनसुली, तहसील - तिल्दा, जिला-रायपुर	11.05.2024
20.	मेसर्स देवकी नंदन स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम - धनसुली, तहसील - तिल्दा, जिला-रायपुर	13.07.2023
21.	मेसर्स श्रुति इंटरप्राईजेज, ग्राम - मुरा, तहसील - तिल्दा, जिला-रायपुर	11.05.2024
22.	मेसर्स बंसल स्टोन, ग्राम - मुरा, तहसील-तिल्दा, जिला -रायपुर	13.07.2023
23.	मेसर्स यश स्टोन क्रशर, ग्राम-लालपुर, ब्लॉक-धरसींवा, जिला-रायपुर	27.09.2023
24.	मेसर्स कपिल माईनिंग रिर्सोसेस प्राईवेट लिमिटेड, ग्राम-मुरा, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर	24.05.2023

(डी.आर.सोन्टापर)
अवर सचिव,
छत्तीसगढ़ शासन,
आवास एवं पर्यावरण विभाग